

खण्ड-07 सत्र-02 (भाग-04)
अंक-18

मंगलवार 4 जनवरी, 2022
14 पौष, 1943 (शक)

दिल्ली विधान सभा की कार्यवाही



सत्यमेव जयते

सातवीं विधान सभा
दूसरा सत्र

अधिकृत विवरण
(खण्ड-07 (भाग-04) में अंक 17 और 18 सम्मिलित हैं।)

दिल्ली विधान सभा सचिवालय
पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054

सम्पादक वर्ग
EDITORIAL BOARD

राज कुमार
सचिव
RAJ KUMAR
Secretary

महेन्द्र गुप्ता
उप-सचिव (सम्पादन)
MAHENDRA GUPTA
Deputy Secretary (Editing)

विषय सूची

सत्र-2 भाग (4) मंगलवार, 04 जनवरी, 2022/14 पौष, 1943 (शक) अंक-18

क्रसं.	विषय	पृष्ठ सं.
1	सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची	1-2
2	विशेष उल्लेख (नियम-280)	4-32
3	अल्पकालिक चर्चा (नियम-55)(नगर निगम)	33-68
4	सदन द्वारा विशेषाधिकार समिति के प्रथम प्रतिवेदन से सहमति	69-74
5	सदन द्वारा कार्य मंत्रणा समिति के दूसरे प्रतिवेदन से सहमति	74-76
6	तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर	76-181
7	तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	182-268
8	अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	268-727
9	विधेयक पर विचार एवं पारण	727-774
10	नियम-114 के अन्तर्गत बधाई प्रस्ताव	774-777
11	अनुदान की पूरक मांगें (2021-2022)	777-784
12	अल्पकालिक चर्चा (नियम-55) (नई आबकारी नीति)	784-840

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र-2 भाग (4) मंगलवार, 04 जनवरी, 2022/14 पौष, 1943 (शक) अंक-18

दिल्ली विधान सभा

निम्नलिखित सदस्य सदन में उपस्थित हुए

1 श्री अजेश यादव	12 श्री हाजी युनूस
2 श्रीमती ए. धनवंती चंदेला ए.	13 श्री जय भगवान
3 श्री अजय दत्त	14 श्री करतार सिंह तंवर
4 सुश्री आतिशी	15 श्री कुलदीप कुमार
5 श्री अब्दुल रहमान	16 श्री महेंद्र गोयल
6 श्रीमती बंदना कुमारी	17 श्रीमती प्रमिला धीरज टोकस
7 सुश्री भावना गौड़	18 श्री प्रकाश जारवाल
8 श्री बी. एस. जून	19 श्री रघुविंदर शौकीन
9 श्री धर्मपाल लाकड़ा	20 श्री रोहित कुमार
10 श्री गिरीश सोनी	21 श्री शरद कुमार चौहान
11 श्री गुलाब सिंह	22 श्री सोम दत्त

23 श्री सोमनाथ भारती	35 श्री मोहन सिंह बिष्ट
24 श्री सौरभ भारद्वाज	36 श्री ओमप्रकाश शर्मा
25 श्री सही राम	37 श्री पवन शर्मा
26 श्री सुरेंद्र कुमार	38 श्री राज कुमार आनंद
27 श्री विशेष रवि	39 श्रीमती राजकुमारी ढिल्लों
28 श्री वीरेंद्र सिंह कादियान	40 श्री राजेश ऋषि
29 श्री अखिलेश पति त्रिपाठी	41 श्री संजीव झा
30 श्री अभय वर्मा	42 श्री शोएब इकबाल
31 श्री अनिल कुमार वाजपेयी	43 श्री शिव चरण गोयल
32 श्री अजय कुमार महावर	44 श्री एस. के. बग्गा
33 श्री जितेंद्र महाजन	45 श्री विजेन्द्र गुप्ता
34 श्री मदन लाल	
-

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र-2 भाग (4) मंगलवार, 04 जनवरी, 2022/14 पौष, 1943 (शक) अंक-18

सदन पूर्वाह्न 11.04 बजे समवेत हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय (श्री रामनिवास गोयल) पीठासीन हुए।

माननीय अध्यक्ष: सभी माननीय सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। आज डीडीएमए की मीटिंग हो रही है एलजी हाउस में इसलिए स्वास्थ्य मंत्री और उप-मुख्यमंत्री जी उस मीटिंग में हैं तो स्टार क्वेश्चंस जो पहले होते हैं उनको अभी रोका है। स्टार क्वेश्चंस लंच के बाद में होंगे, उत्तर देने के लिए मंत्री जी उपलब्ध नहीं रहेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी को कोरोना हो गया है इसलिए आज पहले हम 280 ले रहे हैं। श्रीमान अभय वर्मा जी।

श्री अभय वर्मा: धन्यवाद अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्ष: एक सेकेंड अभय जी, माननीय सदस्य गण आज माननीय सदस्या श्रीमती राजकुमारी दिल्ली का जन्मदिन है। मैं इस अवसर पर उनको अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ तथा कामना करता हूँ कि अपने व्यक्तिगत तथा राजनीतिक जीवन में नई ऊंचाइयां प्राप्त करें। एक बार मेज थप-थपाकर उनके जन्मदिन की उनको बहुत-बहुत बधाई। हां अभय जी, धन्यवाद।

विशेष उल्लेख (नियम-280)

श्री अभय वर्मा: धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का ध्यान लक्ष्मी नगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत शकरपुर गांव की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। शकरपुर गांव लक्ष्मी नगर विधानसभा क्षेत्र का सबसे पुराना गांव है और लक्ष्मी नगर विधानसभा क्षेत्र का बहुत बड़ा भूभाग शकरपुर के नाम से जाना जाता है। आज भी रेवेन्यू रिकार्ड में पूरा विधानसभा शकरपुर इलाके के रूप में दर्ज है। लंबे समय से शकरपुर थाने के अंतर्गत ही लक्ष्मी नगर आता रहा है परन्तु शकरपुर के नाम पर न तो इस विधानसभा क्षेत्र का नाम रखा गया और न ही यहां से गुजरने वाली मेट्रो स्टेशन का नाम शकरपुर के नाम पर रखा गया। अध्यक्ष जी इससे शकरपुर गांव और शकरपुर की जनता जो कि लगभग 60 परसेंट जनता शकरपुर के नाम से ही अपने एड्रेस को इंगित करती है, उनकी भावनाएं इससे आहत होती हैं कि हम बहुत पुराना नाम है ये शकरपुर गांव, तो मेट्रो स्टेशन का नाम लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन के स्थान पर लक्ष्मी नगर-शकरपुर मेट्रो स्टेशन हो जाए ऐसा दो तीन जगह हो चुका है। तो ये वहां की जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इसको बदला जाए तो अच्छा रहेगा। अध्यक्ष जी आपके माध्यम से मेरा माननीय मंत्री महोदय से विनम्र निवेदन है कि वो लक्ष्मी नगर मेट्रो रेल कार्पोरेशन से तालमेल कर लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन का नाम बदल कर लक्ष्मी नगर-शकरपुर मेट्रो स्टेशन रखा जाए, बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: बहुत-बहुत धन्यवाद, अखिलेशपति त्रिपाठी जी। श्रीमान शिवचरण गोयल जी।

श्री शिवचरण गोयल: धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे नियम 280 के अंतर्गत बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष जी हमारे कर्मपुरा के पास एक डीडिए

का पार्क है जिसे पिछले 40 सालों से वहां की जनता की सेवा करने का मौका मिलता था। वहां पर बुजुर्ग, नौजवान, महिलाओं का पार्क में अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए आवागमन रहता था लेकिन अभी 8-10 साल पहले डीडीए ने उस पार्क को बंद कर दिया और उस पार्क में अब कर्मपुरा न्यू मोती नगर के निवासी जाने में सक्षम नहीं हैं क्योंकि उसका रास्ता अब 2 किलोमीटर लंबा कर दिया है क्योंकि वहां पर अभी डीएलएफ के नये फ्लैट्स बने हैं जिसकी वजह ये भी हो सकती है कि उस कारण से उस डीडीए पार्क को बंद कर दिया गया हो। तो वहां की जनता बड़ी परेशान है और मेरा आपसे निवेदन भी है, अनुरोध भी है कि वहां पर कम से कम भी 40 हजार लोग रहते हैं, उनके स्वास्थ्य लाभ को देखते हुए इस पार्क का रास्ता जैसे पहले था उस रास्ते को दिलवाया जाए और वहां की जनता को स्वास्थ्य लाभ मिल सके। मुझे इस टॉपिक पर बोलने का मौका दिया बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: बहुत-बहुत धन्यवाद, श्री ओमप्रकाश शर्मा जी।

श्री ओमप्रकाश शर्मा: धन्यवाद अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से मेरे क्षेत्र विश्वास नगर में जल विभाग के माननीय मंत्री महोदय का ध्यान अपनी विधानसभा क्षेत्र में पेयजल की भीषण समस्या की ओर दिलाना चाहता हूँ। विश्वास नगर विधानसभा क्षेत्र में गाजीपुर गांव, सैनी इंक्लेव, कड़कड़डूमा, कड़कड़डूमा कालोनी के अंदर पेयजल की भयंकर समस्या है। यहां पेयजल की आपूर्ति न के बराबर है और जो पानी आता भी है वो बहुत ही गंदा आता है। जहां लोग कम पानी की समस्या से जूझ रहे हैं वहीं गंदे पानी की आपूर्ति होने से जलजनित बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूँ कि पेयजल की समस्या को ठीक करने के लिए पाइप लाइन

को समयसीमा में बदला जाए और पर्याप्त मात्रा में पेयजल की आपूर्ति की जाए धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: धन्यवाद ओमप्रकाश जी। श्रीमान सोमदत्त जी।

श्री सोमदत्त: धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मेरी विधानसभा में स्थित इंदरलोक मेट्रो स्टेशन पर मोहल्ला क्लिनिक है जोकि बंद है इसकी ओर माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ध्यान दिलाना चाहता हूं। ये मोहल्ला क्लिनिक पिछले एक साल में बहुत कम खुलती है और बार-बार इसमें ये रीजन देते हैं कि डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर नहीं है आल्टरनेट अरेंजमेंट करें और कभी कहीं से और कभी कहीं से टेम्परेरी डॉक्टर लाकर भेज देते हैं यहां पर। क्योंकि यह मोहल्ला क्लिनिक बड़ी प्राइम लोकेशन पर है और बड़ी संख्या में लोगों की यहां विजिटिंग रहती है जोकि यहां पर तमाम ट्रीटमेंट्स के लिए आते हैं। तो मेरा आपके श्रु माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से ये निवेदन है, ये अनुरोध है कि वहां पर परमानेंट व्यवस्थाएं बनाई जाएं और पिछले एक डेढ़ साल में कोविड के दौरान भी बड़ी संख्या में पेशेंट्स की संख्या बढ़ी है तो वहां पर परमानेंट व्यवस्था की जाए। मैंने अथॉरिटी से बार-बार बात करने की कोशिश की लेकिन इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकल पाया, तो इसलिए मेरा आपसे, इस सदन से अनुरोध है कि इस समस्या का समाधान किया जाए, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: धन्यवाद, सुश्री भावना गौड़ जी। श्री गुलाब सिंह जी। श्रीमान अजय दत्त जी। श्री शरद कुमार चौहान जी। श्रीमान अनिल कुमार बाजपेयी जी।

श्री अनिल कुमार बाजपेयी: माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आदरणीय अध्यक्ष महोदय

जी मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान गांधी नगर विधानसभा के अंतर्गत सोनिया गांधी कैंप, पुराने रेलवे पुल के पास कैलाश नगर की ओर दिलाना चाहता हूं। यहां भू-माफियाओं द्वारा अवैध रूप से सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया गया। इस जमीन पर पहले एक बड़ा पेड़ भी था जो अधिकारियों की मिलीभगत से वो काट दिया गया। आज दिल्ली सरकार के इसमें जो एसडीएम नंद नगरी के जो बड़े अधिकारी हैं वो भी इसमें इन्वाल्व हैं। मैंने कई बार उनको पत्र लिखा। एक बार वो जगह सील की गई उसके बाद दोबारा उसकी सीलिंग खोल दी गई। अध्यक्ष जी, कई सौ करोड़ रुपये की कीमत की सरकारी जमीन है। मेरा आपसे निवेदन है कि ये एक बहुत गंभीर मामला है और कई विभाग इसके अंदर लिप्त हैं। कोई ऐसी कमेटी बना दी जाए या इसकी जांच कराई जाए ताकि भू-माफियाओं के चंगुल से इस सरकारी जमीन को वहां से मुक्ति मिल जाए और कोई दिल्ली सरकार का कोई हास्पिटल, कोई मिनी पॉलीक्लिनिक कुछ भी इसके अंदर खोला जा सकता है ये मेरा आपसे निवेदन है। माननीय अध्यक्ष जी ये बहुत बड़ा काम होगा कि आज करोड़ों रुपये की जमीन को मुक्ति मिल जाएगी। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद ।

माननीय अध्यक्ष: धन्यवाद-धन्यवाद, चौधरी सुरेंद्र कुमार जी, हां बोलिए।

श्री सुरेंद्र कुमार: माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री सत्येन्द्र जैन जी से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे यहां विधानसभा क्षेत्र में तीन-तीन दिन में पानी आता है सर और आता है तो 15 मिनट और आधे घंटे के लिए आता है। कुछ कालोनियां इस तरह की हैं जहां पर लगातार तीन साल से पानी ही नहीं मिला।

माननीय अध्यक्ष: नहीं सुरेंद्र जी जो आपने लिखकर दिया है कृपया वही बोलिए, आप उससे अलग बोल रहे हैं।

श्री सुरेंद्र कुमार: माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ।

माननीय अध्यक्ष: आपने रोडों का लिखकर दिया है मुझे।

श्री सुरेंद्र कुमार: माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंडोली रोड पीडब्लूडी के पास है जो मास्टर प्लान के अनुसार 80 फुट रोड है जबकि वर्तमान स्थिति के अनुसार ये रोड कहीं 35 फुट है तो कहीं 25 फुट है और वो कहीं 50 फुट है कहीं पर 60 फुट है। ये रोड कम चौड़ी होने के कारण यहां हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है। कभी-कभी तो जाम तीन-तीन, चार-चार घंटे तक रहता है क्योंकि यह रोड दिल्ली यूपी को आपस में जोड़ता है। इस रोड पर औद्योगिक क्षेत्र भी स्थित है, यहां पर व्यापारिक गतिविधियां भी चलती रहती हैं। इस रोड के छोटे और संकुचित होने के कारण यहां जाम की स्थिति बनी रहती है। आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध है कि इस रोड को मास्टर प्लान के अनुसार चौड़ी करने का आदेश करें और क्षेत्र को जाम से मुक्ति दिलाने की कृपा करें जो मानवीय कल्याण के लिए आवश्यक है धन्यवाद, सर।

माननीय अध्यक्ष: जो दूसरी समस्या आप बोल रहे थे वो भी बोल दीजिए।

श्री सुरेंद्र कुमार: सर वो कल लगा था सर मेरा। सर मेरे यहां पानी की बड़ी दिक्कत है और कई बार माननीय मंत्री जी से भी मुलाकात हुई और इस समस्या को देखते हुए सर माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि मेरे यहां यूजीआर को जो सोनिया विहार में जो यूजीआर काफी दिन से बंद है जिसको अभी चालू नहीं किया गया है, यदि वो यूजीआर चालू हो जाए तो मेरे क्षेत्र की करीब 50 परसेंट जनता को पानी मिल सकेगा क्योंकि क्षेत्र में पानी को लेकर

लोग त्राहि-त्राहि कर रहे हैं, परेशान हैं। तो इसलिए मैं अपने आदरणीय जलमन्त्री से यह कहना चाहता हूँ कि मेरे यहां पानी दिलवाने की कृपा करें धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: विशेष रवि जी।

श्री विशेष रवि: सर बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने नियम 280 के तहत मुझे बोलने का मौका दिया है। सर मुझे आपसे अनुमति चाहिए। मैंने एमसीडी के बारे में ये एक अपना प्रश्न लगाया था या 280 के लिए लगाया था लेकिन आज की एक बड़ी घटना एमसीडी से जुड़ी हुई मेरे क्षेत्र में हुई है मैं चाहता हूँ कि उसके बारे में।

माननीय अध्यक्ष: नहीं पहले तो इसको लीजिए।

श्री विशेष रवि: सर ये विषय है यूटीपैक से एक स्कीम पास हुई थी करोल बाग के लिए जिसके अंदर 3 काम वहां तय हुए थे करने के लिए। पहला काम यह था कि करोल बाग के अंदर ब्यूटीफिकेशन के लिहाज से सड़कों को चौड़ा किया जाएगा, दूसरा काम इसमें यह था कि वहां करोल बाग के अंदर ट्रैफिक सिस्टम को रेग्यूलरेट करने के लिए एक नया प्लान लागू किया जाएगा और तीसरा एक काम था कि करोल बाग के अंदर कुछ पार्किंग स्पेस डेवलप किये जाएंगे। ये तीनों काम अलग-अलग स्टेप पर होने थे। पहला काम यह था कि पार्किंग डेवलप करनी थी, दूसरा काम यह था कि ट्रैफिक रेग्यूलरेशन का नया प्लान लागू करना था और तीसरा काम ये था कि उसके बाद सड़कों को और फुटपाथ को चौड़ा करना था। सर ये स्कीम जो है यूटीपैक से पास हुई, एमसीडी ने इसको इनिशियेट किया था, उनके द्वारा स्कीम बनाई गई थी, उन्होंने एक आदमी हायर किया था बाहर से कंपनी से उसने पूरा करोल बाग का प्लान बनाया और उसके बाद एलजी साहब की अध्यक्षता के अंदर ही इस स्कीम को

पास किया गया। सर इसमें सबसे बड़ी गड़बड़ हुई जो इस स्कीम को करने से वहां आज लोग बहुत मुश्किल में हैं कि तीन क्रम में इस स्कीम को करना था लेकिन उल्टे क्रम में इस स्कीम को कर दिया गया यानि जैसा मैंने बताया कि पहले पार्किंग डेवलप होनी थी फिर ट्रैफिक रेग्यूलरेशन बनाना था और उसके बाद सड़कों को और फुटपाथ को चौड़ा करना था पर कर उन्होंने ये दिया कि पहले फुटपाथ चौड़ा कर दिये, ट्रैफिक रेग्यूलरेशन का कुछ पता नहीं है और पार्किंग का तो अभी भी कुछ पता नहीं है। तो हो ये गया है कि फुटपाथ चौड़े करने से जो सड़के पहले ही छोटी थी उनको फुटपाथ चौड़ा कर देने के बाद से वहां पर अब गाड़ियों का खड़ा होना, चलने, आवाजाही के अंदर बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है। जो फुटपाथ चौड़े हुए हैं वहां पर दुकानदार शोरूम वाले अपना इन्क्रोचमेंट कर रहे हैं। दुकान के आगे बड़े-बड़े उन्होंने जो है घेराव कर दिया है। इसको लेकर मैं लगातार लम्बे समय से मैं यूटीपैक की अध्यक्षता कर रहे एलजी साहब को और एमसीडी को लिख रहा हूं कि ये स्कीम आपने बिल्कुल गलत बनाई और इसको लागू बिल्कुल गलत किया। इस स्कीम को रोका जाए और जो इसमें क्रमबद्ध तरीके से इसको बनाया गया था पहले पार्किंग डेवलप हो उसके बाद कोई और काम किया जाए, वैसे इसको किया जाए। लेकिन वो हो नहीं रहा सर। मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि इस मुद्दे पर कोई कार्यवाही हो सके।

माननीय अध्यक्ष: धन्यवाद। दूसरा क्या कह रहे थे आप।

श्री विशेष रवि: सर दूसरा एक बहुत बड़ा विषय है। आज हमारे यहां पर करोल बाग के अंदर भगवती मार्केट में 45 दुकानों को एमसीडी ने आज सुबह 7.30 बजे सील कर दिया। सर इस विषय पर मैंने आज क्वेश्चन भी लगा रखा था एमसीडी के अंदर और उसी क्वेश्चन के लिए उन्होंने आज देखा कि शायद वो यहां जवाब नहीं दे पाएंगे या जवाब देने के बाद उस कार्यवाही को नहीं कर

पाएंगे तो सुबह साढ़े सात बजे जाकर उन्होंने 45 दुकानें वो दुकानें जो आजादी के समय जो रिफ्यूजी पाकिस्तान से यहां पर आए थे हिन्दु समाज के उन लोगों को यहां पर बसाया गया था, उनको बैठाया गया था, इतनी पुरानी दुकानों को सिर्फ तीन दिन के नोटिस के ऊपर आज सील कर दिया गया। सर हमारे यहां पर एमसीडी के दो विद्यालय हैं, उन विद्यालयों को बंद करके एक पार्किंग का प्रोजेक्ट लेकर आई है। हमने इसका विरोध किया कि आपको पार्किंग लगानी है तो जगह बहुत है हमारे पास आप वहां बनाइए। लेकिन उसको माने नहीं। हम जब कमिश्नर से मिलकर आए, उनसे हमने बात की तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि मुझे 200 करोड़ रुपये चाहिए। मुझे अपने कर्मचारियों का वेतन देना है। सर कर्मचारियों के वेतन के लिए ये विद्यालयों को बंद करके ये पार्किंग ला रहे हैं और वहां कॉन्ट्रेक्टर से इसमें अलग से जो है अपना कोई अतिरिक्त फायदा करने के लिए इस काम को किया जा रहा है। उसका आज मैंने क्वेश्चन लगाया था। आज सुबह साढ़े सात बजे दुकानों को बंद कर दिया गया। सर मेरा निवेदन ये है कि एमसीडी कमेटी में या किसी और कमेटी में इस मामले को भेजा जाए। ये बहुत ही गम्भीर मामला है। 45 परिवार जो पचास साल से ईमानदारी से अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, अचानक उनकी दुकानें सील कर दी गई है। ये बिल्कुल गलत है। विद्यालयों को बंद करके पार्किंग के जो प्रोजेक्ट लाए जा रहे हैं ये भी सरासर गलत है। मैं चाहता हूं कि इस मामले को आप किसी कमेटी में रैफर करें और इसी हफ्ते के अंदर कमिश्नर को बुलाकर इस पर बात करें ये मेरा आपसे निवेदन है।

माननीय अध्यक्ष: ये रिकार्ड तो हो गया है लेकिन मेरे पास लिखित में नहीं है। इसको एक बार लिखित में जमा करा दें।

श्री विशेष रवि: ठीक है सर। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: राजेश ऋषि जी।

श्री राजेश ऋषि: अध्यक्ष जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने मुझे 280 में बोलने का मौका दिया। मेरा आज का विषय है पर्यावरण। अध्यक्ष जी मैं आज आपका ध्यान दिल्ली में तेजी से बढ़ रही अवैध पेड़ों की कटिंग की ओर ले जाना चाहता हूँ। आज स्थिति ये है कि पार्कों के अंदर लोग धड़ाधड़ पेड़ों को कटवा रहे हैं क्योंकि उनको धूप नहीं मिल रही। वो कहते हैं हमें धूप नहीं मिलती है इसलिए पेड़ कटवा रहे हैं। एमसीडी भी आती है तो उसको जो सिस्टम से काटना चाहिए वो ना काटकर पूरे पूरे पेड़ की हरियाली को खत्म कर देती है केवल एक मुंड खड़े हो जाते हैं वहां पर। अध्यक्ष जी और इसके साथ ही स्थिति ये हो गई है कि हमारे जनकपुरी में जो-जो मेन रोड्स की तरफ मकान, कोठियां हैं, डीडीए की दी हुई कोठियां उन कोठियों के सामने हमारी पीडब्ल्यूडी की रोड्स हैं इसके ऊपर बहुत बड़े-बड़े पेड़ लगे हैं जो पचास-पचास, साठ-साठ साल पुराने हैं। इन पेड़ों को वो लोग काट देते हैं क्योंकि अब वो कमर्शियल रोड बन गई है, वो शोरूम बनते जा रहे हैं। उनको रातोंरात पेड़ों को गायब कर देते हैं। जब कम्प्लेंट करें तो उसकी छोटे मोटे एक फाईन होता है उनके ऊपर फोरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से इसके अलावा कुछ नहीं हो पाता। साथ ही वहां पर अब नए बिल्डर्स आ गए। बिल्डर्स जब वो बिल्डिंग बना रहे हैं, बड़े-बड़े शोरूम बना रहे हैं तो उसके सामने जो पेड़ हैं बड़े-बड़े जो पचास-पचास साल पुराने हैं उनके अंदर वो कैमिकल डाल देते हैं, जिसके कारण पेड़ सूख जाता है, फिर फोरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिशन लाकर वो उसको कटवा देते हैं। ये स्थिति हमारे यहां पर है सड़कों पर, मेरे यहां एक सी-1 जनकपुरी की मेन रोड है जो सी-1 से शुरू होती है और जेल रोड तक जाती है, इसका नाम है लाल साईं मार्ग। इस मार्ग के ऊपर बहुत सारे पेड़ थे। इन पेड़ों की कटिंग लगातार

धीरे-धीरे होने लगी। जब हम शुरू में जीत करके आए थे, हमने कई बार थानों को कम्प्लेंट की, फोरेस्ट डिपार्टमेंट को कम्प्लेंट की, सब लोग मैनेज हो जाते थे और पेड़ का कुछ नहीं होता था। मेरा आपसे ये अनुरोध है कि दस साल पहले का इसका रिकार्ड निकलवाया जाए और यहां पर जो पेड़ थे जहां-जहां थे वहां-वहां पर पेड़ों को दोबारा लगवाया जाए और फुटपाथों को ठीक कराया जाए क्योंकि स्थिति उन्होंने बहुत खराब कर दी है। जैसा कि अभी भाई साहब ने बताया कि हमारे करोल बाग की स्थिति है वैसी आज रोड की स्थिति हो चुकी है। फुटपाथ पर चलने लायक पोजिशन नहीं रह गई। जो पेड़ थे पेड़ काट दिये गए। गाड़ियां उसके ऊपर खड़ी कर दी जाती है। मेरा आपसे यह अनुरोध है कि दस साल पुराना रिकार्ड निकालवाएं और फोरेस्ट डिपार्टमेंट को बोले और पीडब्ल्यूडी को बोले ताकि जितने भी पेड़ पहले थे, जितनी हरियाली हमारे यहां पहले शुरूआत में थी उस हरियाली को दोबारा से वहां पर किया जाए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं एक छोटी सी बात बीच में और रख सकता हूं जो इससे थोड़ी सी हटकर है। अध्यक्ष जी की अनुमति हो तो। (माननीय अध्यक्ष जी की अनुमति उपरान्त) अध्यक्ष जी, मेरे यहां पर ए-वन में एक ग्रीन बेल्ट है। जो डीडीए की ग्रीन बैल्ट है और बहुत खूबसूरत बनी हुई है। डीडीए ने क्या किया है कि उसके एक छोटे से भाग को लगभग तीन या चार गज के भाग को उसका यूज चेंज करके जो कानूनन नहीं हो चाहिए, यूज चेंज करके एक किसी पोलिटिकल पार्टी के रिश्तेदार के नाम पर उसको ट्रांसफर कर दिया गया। पिछली बार जब हम विधायक थे हमने इसका ऑब्जेक्शन किया था कि इसके नीचे से बहुत-बहुत बड़ी पानी की लाइनें जा रही हैं वो कभी ब्लास्ट कर सकती है। आप इसके ऊपर स्कूल बनाने जा रहे हैं तो उसके ऊपर रोक लगा दी गई थी। लेकिन अभी हमें पता चला है कि पानी की लाइनों को इन्होंने वहां से

हटाकर पीछे की तरफ कर दिया और उस प्लॉट को जिसका चार सौ गज केवल उन्होंने दिया है और दो सौ गज उसको यूज करने के लिए दे दिया है जो वहां छोटे-छोटे पेड़ लगे थे वो सारे पेड़ साफ कर दिये हैं जबकि हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से हमने जब बात की, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट डीडीए का कहता है हमारी जानकारी में नहीं है ये कैसे ट्रांसफर हुआ। ये एक पोलिटिकल पार्टी के रिश्तेदार के नाम पर ट्रांसफर हुई है और ये काफी दिन से लगे हुए थे। मेरा आपसे अनुरोध है कि इसके ऊपर भी डीडीए की ये जो ग्रीन बैल्ट है इसमें भी कार्यवाही करने के लिए आप किसी डिपार्टमेंट को दें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: लिखित में दे दीजिए।

श्री राजेश ऋषि: मैं इसका लिखकर आपको भेज देता हूँ। हाँ मैं लिखित में डीडीए से जो-जो कार्यवाही की है वो भी मैं आपको भेज देता हूँ इसके साथ ही। अध्यक्ष जी आपने बोलने का मौका दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: भूपेन्द्र सिंह जून जी।

श्री भूपेन्द्र सिंह जून: धन्यवाद स्पीकर सर। सर जैसा कि हम सब जानते हैं गवर्नमेंट व्हीकल का इन्श्योरेंस मैन्डेट्री है। प्राइवेट व्हीकल्स का मैन्डेट्री है। 2016 में एक amendment आया MV Act में कि गवर्नमेंट व्हीकल्स, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स और गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिसेज है उनका third party insurance होगा। पहले 146 MV Act में Government vehicles exempted थे। कुछ स्टेट्स ने ये चालू कर दिया जैसे महाराष्ट्र, तमिलनाडू और गुजरात ने लेकिन बाकी स्टेट्स ने अभी amendment के बावजूद Government vehicles, government hospitals, schools, Government offices का third party insurance शुरू नहीं किया। लाखों करोड़ों रुपये compensation हर साल गवर्नमेंट जो है इनको

देती है। अगर किसी बस से एक्सीडेंट हो जाए या कोई दूसरी इन्सीडेंट हो जाए। अगर कोई दंगा होता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है सबसे पहली casualty होती हैं बसें। उनमें तोड़फोड़ होती है। कई केसेज में पूरी की पूरी बस जला दी जाती है। उसमें कोई compensation नहीं मिल पाता इन्श्योरेंस का क्योंकि कोई third party insurance होती नहीं बसेज की। होस्पिटल्स है अगर किसी हॉस्पिटल में कोई अनहोनी हो गई तो उसके जो परिजन होंगे deceased के वो तोड़फोड़ करते हैं, स्कूल्स हैं बड़े अच्छे स्कूल्स बना दिये अगर उनमें डेमेज होता है तो करोड़ों रुपये का गवर्नमेंट को लॉस होता है। similarly जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं कई बार mischievous elements उनमें आग लगा देते हैं रिकार्ड को destroy करने के लिए या अपने आप शार्ट सर्किट से आग लग जाती है, बिल्डिंग डैमेज हो जाती है तो उसका भी compensation इन्श्योरेंस कम्पनी से लेने का कोई प्रावधान आज तक नहीं है। मेरा एक ही सुझाव है कि जो third party insurance जो है Government vehicles का, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स का, हॉस्पिटल्स का, स्कूल्स का और जितने भी दूसरे concerned departments हैं उन सबका third party insurance होना चाहिए ताकि जो लॉस स्टेट exchequer का हर साल होता है उसको बचाया जा सके और इन्श्योरेंस कम्पनी की liability बने कि ऐसी incident होने पर जो compensation दे वो इन्श्योरेंस कम्पनी दे। बोलने के लिए मौका देने के लिए धन्यवाद सर। थैंक्यू।

माननीय अध्यक्ष: जो माननीय सदस्य उपस्थित नहीं थे मैं एक बार उनके नाम दोबारा बोल रहा हूँ अगर वे आ गए हैं तो अपनी बात रख सकेंगे। श्रीमान अखिलेखपति त्रिपाठी जी, सुश्री भावना गौड़ जी, श्रीमान गुलाब सिंह जी, श्रीमान अजय दत्त जी, श्रीमान शरद कुमार चौहान जी। हाँ चौहान जी।

श्री शरद कुमार चौहान: धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, नरेला विधान सभा ज्यादातर कृषि पर निर्भर है और 40-42 गांव नरेला विधान सभा में लगते हैं। छोटे किसान हैं उनकी सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि उनके पिछले तीन साल से कोई भी बिजली के कनेक्शन ट्यूबवैलों के नहीं हुए हैं। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि ना तो डीएम ने पिछले दो तीन साल से इस मैटर पर कोई मीटिंग ली है, ना जल बोर्ड ने कोई मीटिंग ली है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि इस बारे में कार्यवाही करके उनको कहा जाए कि किसानों के ट्यूबवैलों के कनेक्शन ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी करके दिये जाएं क्योंकि उनकी फसलें नहीं हो पाती है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।

माननीय अध्यक्ष: श्रीमती राजकुमारी ढिल्लों जी।

श्रीमती राजकुमारी ढिल्लों: धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे 280 पर बोलने का एक अवसर दिया। अध्यक्ष जी मेरी विधान सभा में एक पूरा औद्योगिक क्षेत्र है उसमें दो फेज पड़ते हैं, मायापुरी फेज-1 और फेज-2। वहां की सड़कें सारी डीएसआईडीसी के अन्तर्गत आती हैं। बहुत ही खुशी की बात है कि वहां की जितनी भी सैकड़ों सड़कें हैं वो लगातार दो साल से माननीय दिल्ली के हमारे मुख्य मंत्री जी और सत्येन्द्र जैन जी के आशीर्वाद से लगातार वहां पर तकरीबन एक-एक सवा-सवा फुट मोटी रोड बनाई जा रही है। वहां औद्योगिक क्षेत्र के जितने भी वहां पर कम्पनी के या बैंकेंट हॉल के मालिक है वो इसे एक बहुत ही सराहनीय कदम बता रहे हैं कि जो सड़कें तकरीबन 35-40 साल पहले बनी थी और बरसात के दिनों में वहां पर दो-दो, ढाई-ढाई फुट पानी भर जाता था। कम्पनी के लेबर, कम्पनी के मालिक जितने भी लोगों को वहां से आवागमन रहता था, बहुत ही परेशान रहते थे। आज वहां की जनता धन्यवाद करती है

दिल्ली सरकार का, मुख्य मंत्री जी का। लेकिन अध्यक्ष जी वहां पर एक बहुत बड़ी समस्या है लोगों की, एक बहुत बड़ी मांग है कि वहां पर प्रकाश की व्यवस्था की जाए। प्रकाश की व्यवस्था हो जाएगी तो वहां पर हर तरीके से वहां पर चौड़ी-चौड़ी सड़कें हैं, लोगों को पार्किंग की समस्या भी नहीं है। वहां पर अंधेरा दूर करवाने के लिए अध्यक्ष जी एक प्रश्न है कि ऐसा हमारा कौन सा विभाग रहेगा कि जो कि वहां पर प्रकाश व्यवस्था करवाएगा। क्योंकि डीएसआईडीसी के इलैक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से जब मैंने बात की तो वो कह रहे थे कि ये काम हम नहीं करवा सकते। मेरा इस प्रश्न के माध्यम से एक ये ही प्रश्न है। इसका मुझे अध्यक्ष महोदय जी जवाब मिल जाए तो मैं इसको आगे कन्सीडर कर लूंगी। अध्यक्ष जी आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: ढिल्लों जी ये रिकार्ड तो हो गया है लेकिन लिखित में secretariat में जरूर दें दें ।

श्रीमती राजकुमारी ढिल्लों: हाँ जी दिया हुआ है सर मैंने। हाँ जी दिया हुआ है।

माननीय अध्यक्ष: सुश्री भावना गौड़ जी।

सुश्री भावना गौड़: धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे 280 में बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय मेरी विधान सभा पालम एसी-37। मैंने जब-जब रेवेन्यू डिपार्टमेंट से पालम विधान सभा के अंदर पडने वाली जमीनों का ब्यौरा मांगा है तब-तब लिखित में मुझे ये जवाब मिला है कि एक नोटिफिकेशन के द्वारा ये जमीनें डीडीए को हस्तान्तरित कर दी गई हैं। अध्यक्ष महोदय मैं आपको बताना चाहूंगी कि पालम विधान सभा तीनों तरफ से द्वारका जो एशिया की एक बहुत बड़ी कालोनी है उससे घिरा हुआ एरिया है। सैक्टर-2, सैक्टर-3 और

सैक्टर-7 स्वयं मेरे एरिये के अंदर आते हैं और यहां जो-जो डीडिए की जमीनें हैं उन पर धीरे-धीरे कब्जा होने लगा है। मैंने एक पत्र सोमनाथ भारती जी को भी इस विषय में लिखकर दिया है। एक बार मेरी व्यक्तिगत तौर पर जो डीडिए के अधिकारी हैं मंगला पुरी में बैठते हैं उनसे मेरी बातचीत हुई। मैंने उन्हें बताया कि आपकी डीडिए की जमीनों के ऊपर क्षेत्र के ही कुछ दबंग लोग, बदमाश टाइप के लोग आपकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मुझे ये कहते हुए बहुत आश्चर्य भी होता है और शर्म भी आती है कि जिस जमीन के बारे में मैंने उनसे व्यक्तिगत तौर पर चर्चा की, दस और बारह दिन के अंदर वहां पर ऑफिस का निर्माण हो गया। वहां पर दो कमरे बन गए। वहां पर एसी लग गया। बाहर की जमीन को एन्क्रोच कर लिया, चार मुठ्ठे डल गए। लोग बैठ करके हुक्का पीने लगे तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि जिन चीजों की चर्चा हम अधिकारियों से कर रहे हैं, उनकी जमीन को बता रहे हैं कि आप उसको सम्भालिए। लेकिन इस तरह की कोई कार्यवाही डीडिए की तरफ से नहीं हो रही है। अध्यक्ष महोदय, बहुत सारी ऐसी और भी जगह हैं जो ग्राम सभा ने डीडिए को सम्भालने के लिए दी। पालम विधान सभा के अन्तर्गत पड़ने वाली उन जमीनों का कोई लेखा जोखा इनके रिकार्ड में उपस्थित नहीं है। आरटीआई लगाकर जब जवाब मांगते हैं तो 2010 के अंदर उन्होंने उसका जवाब दिया कि ये हमारी कस्टडी में है और हम इनकी बाऊंड्री कर चुके हैं। लेकिन आज वहां क्षेत्र के कुछ ऐसे लोग जो अपने आप को बहुत शक्तिशाली मानते हैं, डीडिए के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से उन जमीनों के ऊपर ऑलरेडी कब्जा हो गया है। तो 280 के माध्यम से मैं सदन को अवगत कराना चाहूंगी और अध्यक्ष महोदय आपसे भी निवेदन करूंगी कि पालम विधान सभा की वो जमीनें जो ग्रामसभा ने डीडिए को देखरेख के लिए सौंपी थी उनके बारे में पता लगाया जाए, उनकी

स्थिति का पता लगाया जाए और वो अधिकारी जिनकी मिलीभगत से उन जमीनों पर कब्जा हुआ है उन पर आरोप तय किए जाएं। धन्यवाद।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: किसका? नहीं वो आपसे मिल लेंगी जवाब थोड़ी दिए जायेंगे इसमें।

सुश्री भावना गौड़: सर लेकिन मैं बताना चाहूंगी और इनका तरीका भी बहुत ही अजीब है। अधिकारियों ने मुझे जवाब दिया कि जिस जमीन की आप बात कर रही हैं वो तो कोर्ट में केस है। तो कोर्ट में केस है तो स्थिति तो वैसी ही रहनी चाहिए, जमीन का स्वरूप तो नहीं बदलना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष: सारा मैटर विद प्रूफ जो आरटीआई आपने लगाई है, जो जवाब आए है एक बार सेक्रेटेरिएट में दाखिल करें।

सुश्री भावना गौड़: जी, शुक्रिया। शुक्रिया अध्यक्ष महोदय।

माननीय अध्यक्ष: फिर सोम नाथ जी को सौंपेंगे मामला, मेंबर डीडीए हैं। जितेंद्र महाजन जी।

श्री जितेंद्र महाजन: माननीय अध्यक्ष जी, नमस्कार आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यमुना पार्क में शाहदरा के अंदर एक बहुत बड़ा फ्लाईओवर विश्वकर्मा सेतु के नाम से बनाया गया था और उसके नीचे रेलवे की क्रासिंग थी, उस क्रासिंग को पार करने के लिए एक अंडरपास बनाया गया था। जब यह अंडरपास बनाया गया था तो विश्वकर्मा सेतु से नीचे उतरने के लिए जो सीढ़ियां बनाई गयीं थी उन सीढ़ियों को तोड़ा गया

था और यह कहा गया था कि अंडरपास बनने के बाद इन सीढ़ियों को दोबारा बनाया जाएगा। पीडब्ल्यूडी द्वारा अंडरपास बनाए हुए भी 5 वर्ष हो गए हैं मगर उन सीढ़ियों को आज तक नहीं बनाया गया है और जिसके कारण से महिलाओं और बुजुर्गों को विश्वकर्मा सेतु पार करने में दिक्कत होती है और पार करने के कारण से कई लोगों की जान भी चली गयी है मगर अभी तक पीडब्ल्यूडी के द्वारा वो सीढ़ियां नहीं बनायी गयी हैं। मैं आपके माध्यम से पीडब्ल्यूडी से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी उन सीढ़ियों को दोबारा बनाया जाए जिसके कारण से जो लोगों को जान की हानि हो रही है उसको रोका जाए और इन सीढ़ियों को जल्दी से जल्दी बनवाया जाए। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: श्रीमान जयभगवान उपकार जी। अभी जो लेट आए हैं दो बार बोल चुका हूं, तीसरी बार फिर बोलूंगा। थोड़ा सा सब्र रखिए।

श्री जय भगवान: धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, आपने मुझे 280 में बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं दिल्ली सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि पूरी दिल्ली के अंदर जैसे कि अनआथोराइज्ड कालोनी और जो गांव थे जिनके अंदर सीवर लाइन नहीं पड़ी हुई थी वहां पर सीवर लाइन दिल्ली सरकार के द्वारा डलवाई जा रही है। मैं विशेष रूप से बवाना विधान सभा की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाह रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, चूंकि मेरी बवाना विधान सभा के अंदर मेरे 3 वार्डों के अंदर सीवर लाइन का काम बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा है। वार्ड नंबर 32, 33, 34 और मेरी बवाना विधान सभा के वार्ड नंबर 29 और 30 और 31। अध्यक्ष महोदय, मैं दिल्ली विधान सभा के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर जो मेरे 3 वार्ड जो गांव का रूरल बेल्ट है, मेरी अनआथोराइज्ड कालोनियां हैं उन सभी के अंदर सीवर लाइन का कार्य जल्दी से जल्दी कराया जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: अखिलेश पति त्रिपाठी जी।

माननीय अध्यक्ष: नहीं एक आया है न इसमें।

श्री जय भगवान: दो भेजे थे यहां पर। छोटा सा ही है।

माननीय अध्यक्ष: पढ़िए, पढ़िए। मेरे पास जो आई है लिस्ट में ले रहा हूं उसको।

श्री जय भगवान: अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान विकलांग बूथों की तरफ दिलाना चाहता हूं क्योंकि जो विकलांग व्यक्ति है वो बहुत ही असहाय है और आज उसको रोजगार की जरूरत है। वो परेशान है चूंकि आज रोजगार के जो साधन हैं वो भी नहीं मिल पा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि कोरोना के दौरान लोगों का रोजगार छूटता जा रहा है और लोग परेशान हैं। मैंने अभी कोरोना के दौरान देखा कि विकलांग व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशानी झेल रहे थे और मैंने बारीकी से देखा कि वो लोग चाहते हैं कि उनको रोजगार के साधन उपलब्ध हों। लेकिन जो विकलांग बूथ है चूंकि एमसीडी द्वारा पिछले 2011-12 से नहीं दिए गए हैं तो मैं सदन के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि एमसीडी कम से कम ये जो नेक कार्य है इसको तो कम से कम जल्दी से जल्दी कर ले जो विकलांग व्यक्ति है उनको बूथ प्रोवाइड कराए जाएं। धन्यवाद। नमस्कार।

माननीय अध्यक्ष: धन्यवाद। श्रीमान अजय महावर जी।

श्री अजय कुमार महावर: धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे 280 में बोलने का मौका दिया। यह विषय मैंने पहले भी सदन में उठाया हुआ है जोकि गामड़ी रोड को चौड़ा करने के संदर्भ में है। उस क्षेत्र के घनत्व को देखते हुए लंबे समय से क्षेत्र की जनता की मांग है। अब दिक्कत यह है कि फुटबाल की तरह

बात को इधर से उधर हर डिपार्टमेंट में भेजा जा रहा है। पीडब्ल्यूडी कहता है एमसीडी करेगी, एमसीडी कहती है पीडब्ल्यूडी करेगी, भूमि एवं भवन विभाग कहता है कि पीडब्ल्यूडी का कोई रिक्वेस्ट नहीं आया। 2018 में चीफ सेक्रेटरी, दिल्ली ने उसमें एक कंपनी को हायर करके डिमाकेशन के लिए, उसके सर्वे के लिए दिया था उसकी रिपोर्ट भी 2019 में सब्मिट हो चुकी है। तो अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मेरा निवेदन है कि मंत्री महोदय इस पर ध्यान दें कि इसका रोडमैप क्या है और क्षेत्र के लाखों लोगों की उस जीवनरेखा को हम कैसे चौड़ा करके राहत दे सकते हैं। इसके लिए जो भी उचित कदम हो, उठाने का और हमको रोडमैप बताने की कृपा करें ताकि हम उसको चौड़ाकरण कर सकें।

माननीय अध्यक्ष: महावर जी, जो कुछ आपने बोला है वो लिखित में मेरे पास कहीं नहीं है, लिखित में आपने दूसरा दिया है।

श्री अजय कुमार महावर: गामड़ी रोड का नहीं है इसमें?

माननीय अध्यक्ष: न। जो मेरे पास आया है लिखित में वो आपका नहीं है। चलिए। आपने रोड का नाम बदलने वाला दिया है।

श्री अजय कुमार महावर: ये 107 में है। 107 पे था ये सब। जी जी। अच्छा मैं 280 समझा जी। अध्यक्ष जी, गोपाल राय जी यहां सामने बैठे हैं, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इस विधान सभा का नाम बाबरपुर विधान सभा है और बाबर एक आक्रांता था जिसने इस देश की अस्मिता को लूटने और तलवार की नोंक पर इस देश को बरसों तक गुलाम बनाए रखा, इसलिए इस सदन से आपके माध्यम से मेरा निवेदन है कि इसका नाम बदलकर देश के प्रसिद्ध वैज्ञानिक राष्ट्रपति डा. अब्दुल कलाम के नाम से इस विधान सभा का नाम किया जाए जोकि युवाओं के प्रेरणास्त्रोत हैं, इस देश के प्रेरणास्त्रोत हैं,

मिसाइलमैन हैं, जबकि एक आक्रांता के नाम पर विधान सभा का नाम होना एक गुलामी का प्रतीक है।

माननीय अध्यक्ष: धन्यवाद। अब जो पीछे के छूट गए हैं, दो मिनट। नहीं एक बार उनको तो कंप्लीट कर लूं जो पुराने हैं सारे। मैंने 15 तक ले लिए हैं, 20 तक ले लिए हैं बल्कि। अभी उनमें जो नाम आएंगे, अभी 2 मिनट रूकिए, प्लीज। मेरे पास समय है, मैं देखता हूं अभी। आप ऐसे स्लिप लिख कर भेज दें अगर नहीं आया तो। अखिलेश पति त्रिपाठी जी, गुलाब सिंह जी, हां बोलिये गुलाब सिंह जी।

श्री गुलाब सिंह: शुक्रिया सर। माननीय अध्यक्ष महोदय, शुक्रिया आपने 280 में बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां एक मधु विहार नाला है जहां से एक ड्रेन निकलती है और जो द्वारका के बीचों-बीच द्वारका सेक्टर 4, 5, 6, 10 और 18, 19 में से होते हुए वो नजफगढ़ ड्रेन को कनेक्ट करता है। और ये नाला जो है विशेष तौर पर भावना गौड़ जी और राजेश ऋषि जी की विधान सभा से सीवर का पानी या गंदा पानी जो नालों का है वो सारा द्वारका के बीचों-बीच एक बड़ा नाला जाता है जिससे कि वहां के लोग जो हैं स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से तो जूझ ही रहे हैं साथ में द्वारका के अंदर इन सभी फ्लैटों में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनके हर साल इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट हैं जैसे एयर कंडीशंस हैं, फ्रिज है, सालाना उनके अंदर उनका खर्चा होता है, उनकी गैस रिसाव होने के कारण उनको उसमें गैस डलवानी पड़ती है। साथ में वहां पर लोगों को सबसे बड़ी समस्या जो है स्वास्थ्य संबंधी आती है। इसमें पहले भी यह बात रखी गयी है कि अगर मधु विहार नाले पर एक एसटीपी सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाए जैसा कि हमारी सरकार का ध्येय भी है, माननीय मुख्यमंत्री जी का ये सपना भी है कि हमें यमुना नदी को साफ करना है, तो इस नाले को जब

तक हम एसटीपी से कवर नहीं करेंगे, एसटीपी नहीं लगाएंगे तो ये बहुत बड़ी समस्या रहेगी और इससे दूषित पानी जो है नजफगढ़ ड्रेन के माध्यम से यमुना तक पहुंचता ही रहेगा। माननीय जल मंत्री तक अगर मेरी ये बात पहुंचे, तो मैं आपसे बहुत अनुरोध करता हूं कि इस बात को वहां तक पहुंचाया जाए क्योंकि मैं इस बात को कई बार उनके संज्ञान में भी ला चुका हूं और द्वारका के लोगों के स्वास्थ्य के लिए इस नाले पर एसटीपी बनाना बहुत जरूरी है। आपने बोलने का मौका दिया बहुत बहुत शुक्रिया।

माननीय अध्यक्ष: धन्यवाद गुलाब सिंह जी, अजय दत्त जी।

श्री अजय दत्त: अध्यक्ष जी, धन्यवाद आपने मुझे मेरे क्षेत्र के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष जी, अम्बेडकर नगर में एक बहुत विशाल अस्पताल बनाया गया है और मैं इस विधान सभा में कई बार कह चुका हूं कि उस अस्पताल के साथ में एक विराट का पार्क है और उस पार्क की जमीन को मैं और अस्पताल का विभाग कई बार डीडीए से, एलजी साहब से मांग चुका है कि उस अस्पताल को बनाने के साथ साथ वहां पर अस्पताल के रेजीडेंट डाक्टरों के लिए सुविधा चाहिए, वहां पर लैब बनाने के लिए सुविधा चाहिए, आक्सीजन का बड़ा प्लांट लगाने के लिए सुविधा चाहिए, जगह चाहिए और मैं दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से 50 बार टाइम मांग चुका हूं, आज तक उन्होंने मुझे न तो वीडियो काल पर टाइम दिया, न वैसे टाइम दिया। मैंने मेरे साथी सोम नाथ भारती जी को भी कहा, उन्होंने भी इस पर चर्चा की लेकिन डीडीए जबर्दस्ती उस जमीन पर एक विवाहोत्सव स्थल बना रहा है जिसकी अम्बेडकर नगर में कोई जरूरत नहीं है और जिसकी वजह से 50 बार लोगों ने वहां पर प्रदर्शन किया और कहा कि हमें ये नहीं चाहिए। डीडीए और एलजी साहब जबर्दस्ती वहां पर एक विवाह स्थल बना रहे हैं, उनको दिल्ली के लोगों

की स्वास्थ्य से संबंधित सुविधाओं से कोई मतलब नहीं है। आज दिल्ली के अंदर, पूरे देश के अंदर कोरोना महामारी फैलती जा रही है। अम्बेडकर नगर के लोगों को आक्सीजन प्लांट की आवश्यकता है, अम्बेडकर नगर के अस्पताल को सीटी लैब की आवश्यकता है, रेजीडेंट डाक्टर के लिए हॉस्टल की आवश्यकता है, इसीलिए वो जमीन मांगी जा रही है और मुझे बड़ा दुख होता है कि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब बार बार कहते हैं ये मेरी सरकार है। अगर ये आपकी सरकार है, अगर आप यहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं तो क्यों नहीं वो जमीन अस्पताल को दे देते, क्यों नहीं आप वो जमीन स्वास्थ्य की सुविधाओं के लिए दे देते हैं, क्यों मेरी आवाज इस ऑगस्ट विधान सभा से कई बार आपके कानों तक पहुंची लेकिन आपने उसको क्यों इग्नोर किया, क्यों एक चुने हुए विधायक को आप समय नहीं दे रहे और दिल्ली की जनता के साथ आप इस तरीके से अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, दिल्ली की जनता के स्वास्थ्य से आप खेल रहे हैं। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से ये उनके कानों तक पहुंचाना चाहता हूं कि ऐसी क्या मजबूरी है कि आप वहां पर एक विवाह स्थल बना रहे हैं जबकि उस जमीन का सदुपयोग दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं के लिए किया जा सकता है। तो अध्यक्ष जी, मैं बहुत रोष के साथ यह बात इस सदन में रखना चाहता हूं आपके माध्यम से ये बात जरूर डीडीए को पहुंचाना चाहता हूं। डीडीए के अधिकारियों से मैंने मिलने का कई बार टाइम मांगा, मुझे समय नहीं मिला। तो मैं इस सदन में हमारे माननीय सदस्य सोम नाथ भारती जी जो अपने हकों की लड़ाई के लिए जाने जाते हैं, आप इस लड़ाई को क्यों नहीं लड़कर मेरे लिए जीत सकते। मैं आपसे भी और दिलीप भाई भी सदन में बैठे हैं, मैं चाहूंगा दिलीप भाई इस लड़ाई को लड़े, दिल्ली की जनता के लिए, दिल्ली के अस्पतालों के लिए ये जमीन जरूर दिलवाएं, इसका सदुपयोग हो, नहीं तो अब कोरोना की महामारी

में अगर आक्सीजन प्लांट नहीं लगे और अगर जनता इस महामारी से जूझती रही तो इसका हर्जाना पूरी दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ेगा। एलजी साहब मेरी बातों को सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं।

माननीय अध्यक्ष: अजय दत्त जी हो गया। हो गया।

श्री अजय दत्त: अध्यक्ष जी, हो सकता है कि कुछ दिनों में मैं वहां जाकर अनशन पर बैठ जाऊं। अध्यक्ष जी, अगर मुझे दिल्ली की जनता के लिए लड़ना पड़ा, अम्बेडकर नगर की जनता के लिए लड़ना पड़ा तो मैं किसी भी हद तक चला जाऊंगा। अध्यक्ष जी, मैं 50 बार लिख कर बोल चुका हूँ लेकिन मेरी बात को कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है।

माननीय अध्यक्ष: अब कन्क्लूड हो गया बस।

श्री अजय दत्त: मैं आपके माध्यम से ये निवेदन करता हूँ कि आप इसको लिखित में संज्ञान में लें, डी.डी.ए. को बुलायें और उनको पूछें।

माननीय अध्यक्ष: बैठिये हो गया।

श्री अजय दत्त: आप समय क्यों नहीं देना चाहते। अध्यक्ष जी मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे इस।

माननीय अध्यक्ष: ठीक है।

श्री अजय दत्त: महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का मौका दिया और मैं सभी सदस्यों से ये गुजारिश करता हूँ कि आप दिल्ली की हैल्थ सर्विसिज के लिए मेरे साथ चलें।

माननीय अध्यक्ष: भई हो गया अब अजय दत्त जी।

श्री अजय दत्त: धन्यवाद अध्यक्ष जी जयहिन्द, जयभारत।

माननीय अध्यक्ष: श्री सोमनाथ जी।

श्री सोमनाथ भारती: अध्यक्ष महोदय आपका बहुत-बहुत धन्यवाद आपने मुझे 280 में बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, जो मेरी विधानसभा है वो शायद इकलौती विधानसभा होगी पूरी दिल्ली में जहां कि पार्क्स बहुत भारी संख्या में हैं। मेरे क्षेत्र में 316 एम.सी.डी. पार्क्स हैं और 09 डी.डी.ए. पार्क्स हैं। मैं पिछले सात-आठ सालों से बार-बार एम.सी.डी. के अधिकारियों के साथ मुद्दा उठा रहा हूँ कि भई मेरी इस एसेम्बली को जिस प्रकार से परमात्मा ने इतनी भारी संख्या में पार्कों से नवाजा है उसे assembly of gardens बना सकते हैं। मैंने बार-बार अपना बजट भी दिया। बजट के साथ हमने जो कुछ हो सकता है पार्कों में, मैंने उनको कहा कि भई 11 तरीकों से पार्क को हम अच्छा कर सकते हैं ये 11 yardsticks से अच्छी boundary बना सकते हैं, अच्छे फुटपाथ बना सकते हैं, अच्छा गेट बना सकते हैं Open jim बना सकते हैं children equipments लगा सकते हैं, landscape अच्छा कर सकते हैं, street lights लग सकता है, गजीबो लग सकता है, benches, dustbins, CCTV Camera and Wifi, toilets, if required, अब ये मैंने बजट भी दे दिया, मंशा भी दे दी, चिट्ठी भी दे दी, इसके बावजूद एम.सी.डी. में बैठा अधिकारी शायद क्षेत्रीय पार्षदों के दवाब में इसका फैसला नहीं कर पा रहा। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ और एक बात और बता दूँ, सभी साथियों को बता दूँ चूंकि डी.डी.ए. ने भी जितने पार्क्स दिल्ली में तीन एकड़ से कम के हैं वो सभी एम.सी.डी. के पास चले गए हैं तो जो डी.डी.ए. ने भी डेवलप किया था जो थोड़ा-बहुत उसको अच्छा बनाने का प्रयत्न किया था, वो भी खराब हो गया। तो सभी साथी इस बात पर ध्यान दें कि जितने

पार्क्स आपके क्षेत्र में हैं अगर वो डी.डी.ए. के पास हैं तो मुझे बतायें, अगर डी. डी.ए. ने एम.सी.डी. को दे दिया है तो आप एम.सी.डी. के साथ इसको पिकप करें, नहीं तो ये पार्क्स आज की तारीख में अध्यक्ष महोदय हो ये रहा है कि पार्क्स धीरे-धीरे करके encroach हो रहा है। क्षेत्रीय पार्षद हों और भाजपा के नेता लोग हों। मैंने बताया था इस सदन के माध्यम से भी रोजगार्डन, रोजगार्डन डी.डी.ए. का बड़ा पार्क है वहां भाजपा के पूर्व पार्षद शैलेन्द्र सिंह मोन्टी ने कब्जा करके बिल्डिंग बना लिया, होटल बना लिया।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: भई बात आपस में।

श्री सोमनाथ भारती: ठीक कह रहे हैं Rose palace बना लिया। डी.डी. ए. का आदेश है तोड़ने का फिर भी नहीं टूट रहा। तो अध्यक्ष महोदय मैं यह कह रहा हूँ कि ये पार्क्स भाजपा के पार्षद और भाजपा के नेता कब्जा न कर लें इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि कमिश्नर को आदेश दें कि भई जो विधायक आपको फंड देता है, जो विधायक आपको लिखित में रिक्वेस्ट करता है, उसका पालन करो और उनके मंशा के अनुसार पार्कों को डेवलप करने का प्रयत्न करो बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: धन्यवाद, सोमनाथ जी ये आपने लिखित में दिया हुआ है आज।

श्री सोमनाथ भारती: जी।

माननीय अध्यक्ष: लिखित में है वो ना।

श्री सोमनाथ भारती: जी है।

माननीय अध्यक्ष: ठीक है अब्दुल रहमान जी।

श्री अब्दुल रहमान: बहुत-बहुत शुक्रिया अध्यक्ष महोदय। मैं आपका ध्यान अपनी विधानसभा में आने वाले दो रोड़ की ओर दिलाना चाहता हूँ। एक रोड़ है ब्रह्मपुरी रोड़ जो घोंडा चौक से सीलमपुर रेड लाइट तक आता है। अध्यक्ष महोदय, उस रोड़ पर जाम का ये हाल है, पहली बात तो वो रोड़ मास्टर प्लान में 80 फुट का रोड़ है और मौके पर वो रोड़ कहीं 50 फुट, कहीं 40 फुट रह गया है और उसके बाद भी रोड़ पर बी.एस.ई.एस. के ट्रांसफार्मर रखे हुए हैं और उसके आगे एम.सी.डी. वालों ने अपने डस्टबीन रख दिए हैं तो अभी आठ दिन पहले ऐसा एक हादसा उस रोड़ पर हुआ कि उस रोड़ से एक हार्टअटैक पैशेंट को लेकर के एम्बुलेंस जा रही थी और जाम होने के कारण वहीं रोड़ पर ही उसकी मृत्यु हो गई। तो अध्यक्ष महोदय एक तो मैं आपके माध्यम से पी.डब्ल्यू.डी. से ये कहना चाहता हूँ कि मास्टर प्लान को अमल में कब लाया जायेगा और उस रोड़ को कब चौड़ा किया जायेगा ये बता दिया जाये। इसी तरह दूसरा रोड़ 66 नं० रोड़ है। मास्टर प्लान में वो 66 नं० रोड़ 100 फीट का रोड़ है लेकिन मौके पर कहीं 60 फुट कहीं 55 फुट का वो रोड़ है और उस पर भी सोने पर सुहागा कि रोड़ पर किराये की जमीन लेकर जाफराबाद थाना खुला और उन्होंने bericade लगाकर अपनी जो है illegal parking थाने के सामने कर दी, वहां से रोड़ केवल 10 फुट 12 फुट चौड़ा बचा है। तो सर आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आने-जाने वाले राहगीरों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है, आए दिन जाम लगा रहता है। मुझे आज साढ़े नौ बजे आपकी महत्वपूर्ण मीटिंग में पहुंचना था मैं 08 बजकर 20 मिनट पर अपने घर से निकला लेकिन 09 बजकर 45 मिनट पर मैं विधानसभा पहुंचा। तो सर इस ओर ध्यान दिया जाये और पी.डब्ल्यू.डी. को कहकर कर इसको जल्द से जल्द अमल में लाया जाये। आपने मुझे बोलने का मौका दिया बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: आपने लिखित में दिया हुआ है ये।

श्री अब्दुल रहमान: जी हाँ लिखित में दिया है।

माननीय अध्यक्ष: श्रीमान मोहन सिंह बिष्ट जी।

श्री मोहन सिंह बिष्ट: आदरणीय अध्यक्ष जी, आपके द्वारा मुझे नियम 280 के तहत दिल्ली की मेरे इस क्षेत्र की अनॉथराइज कॉलोनी के महत्व को देखते हुए सदन में उठाने का मौका दिया इसके लिए तो मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान करावल नगर विधानसभा क्षेत्र की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, जैसे कि आपको मालूम है कि करावल नगर जैसी बहुत सी विधानसभायें अधिकतर अनॉथराइज कॉलोनियां हैं जिन्हें कि दिल्ली सरकार और टाउन प्लानर डिपार्टमेंट ने 1993 से 1998 तक 1071 और उसके बाद 1739 की सूची में उसको अंकित किया हुआ है। ये ही नहीं सर, दिल्ली सरकार के शहरी विभाग मंत्री द्वारा और मंत्री के कार्यालय में आज तक मेरी विधानसभा करावल नगर की अनॉथराइज कॉलोनीज के सारे के सारे एस्टिमेट लम्बित पड़े हुए हैं जिसकी वजह से क्षेत्र में विकास कार्य नहीं हो पा रहा है और जनता को नारकीय जीवन यापन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। अतः अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि मंत्री जी को और दिल्ली सरकार के अनॉथराइज कॉलोनिज सेल को निर्देश दें कि जल्दी से जल्दी अनॉथराइज कॉलोनीज के बजट को उपलब्ध कराया जाए जिससे कि वहां विकास कार्य संभव हो सके और लोगों को आने-जाने की समस्या से परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा मेरे क्षेत्र की जनता भी आपकी आभारी रहेगी बहुत-बहुत धन्यवाद, नमस्कार।

माननीय अध्यक्ष: प्रमिला टोकस जी। है या नहीं आपके पास, भेज सकते हैं क्या।

श्रीमती प्रमिला धीरज टोकस: अध्यक्ष जी, मैंने पिछली बार भी ये टॉवर का मुद्दा उठाया था और आज भी मेरा यही मुद्दा था टॉवर के ऊपर ही।

माननीय अध्यक्ष: ये है आपका एस.डी.एम.सी. द्वारा मेरे आर.के.पुरम। इसके बाद आखिरी रहेगा नरेश बाल्यान जी उपस्थित हैं। नहीं ऐसे नहीं, थोड़ा सा मुझे।

श्रीमती प्रमिला टोकस: अध्यक्ष जी मेरे विधानसभा में।

माननीय अध्यक्ष: हाजी युनूस जी हैं हाजी युनूस जी बस हाजी युनूस जी का रहेगा इसके बाद।

श्रीमती प्रमिला टोकस: अभी काफी जगह पर एम.सी.डी. के द्वारा टॉवर लगाये गये हैं, जहां पर पेड़-पौधे थे उनको काटकर टॉवर लगाये गये, जहां लोगों ने इसका विरोध भी किया लेकिन वो टॉवर अभी भी वहीं के वहीं हैं और मैंने पिछली बार भी ये मुद्दा उठाया था और दूसरा मुद्दा मेरा ये था कि एम.सी.डी. द्वारा हमने लाइट लगवाई। पहले एम.सी.डी. को बोला लेकिन उन्होंने लाइटें नहीं लगवाई तो हमने अपने फंड से लाइटें लगवाना चाहा लेकिन एम.सी.डी. लगने नहीं देती, काफी दिन हो गये हमें और दो जगह हमने लगाने की कोशिश भी की। बसंत गाँव में बाल्मिकी मंदिर के वहां पर तो उन्होंने लाइट का कनेक्शन देने से मना कर दिया और वो जो हमने पोल लगाया था उसको उखाड़ दिया और एक आनन्द निकेतन में भी हमने शुरू किया लेकिन उन्होंने काम रूकवा दिया। तो अध्यक्ष जी आपके माध्यम से मेरा ये निवेदन है कि जहां पर डार्कस्पॉट है वहां पर हम लाइट लगाना चाह रहे हैं और एम.सी.डी. लगाने नहीं देती है। ऐसा ही

हमारा सी.पी.डब्ल्यू.डी. का है क्योंकि मेरे एरिये में सी.पी.डब्ल्यू.डी. और एम.सी.डी. ही ज्यादा हैं और न एम.सी.डी. काम करने देती है न सी.पी.डब्ल्यू.डी. काम करने देती है। अध्यक्ष जी जो हम एम.पी. चुनते हैं या पार्षद चुनते हैं या एम.एल.ए. चुनते हैं वो जनता की भलाई के लिए चुनते हैं, उनके काम करने के लिए चुनते हैं लेकिन एम.सी.डी. और सी.पी.डब्ल्यू.डी. बिल्कुल भी काम न करती है और न करने देती है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि जो हम काम करना चाहते हैं वो काम करने दे। एम.सी.डी. तो अभी तीन महीने में आ जायेगी लेकिन अभी सी.पी.डब्ल्यू.डी. भी आ जाये तो हम काम अच्छे से कर पायेंगे।

माननीय अध्यक्ष: करिये कन्क्लूड करिये समय समय की सीमा है थोड़ा प्लीज धन्यवाद हाजी युनूस जी।

श्री हाजी युनूस: अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे 280 पर बोलने का मौका दिया इसके लिए आपका धन्यवाद। मैं आपका ध्यान अपनी विधानसभा में जो एक रोड़ जोकि गोकलपुरी विधानसभा के अर्न्तगत आता है लेकिन उस रोड़ से तीन विधानसभा के लोग बड़ी तादाद में गुजरते हैं। अग्रवाल स्वीट से लेकर शिव विहार तिराहे का ये रोड़ दिल्ली सरकार ने अपने पैसे से यमुनापार विकास बोर्ड से बनवाया था लेकिन इस रोड़ के बनने के कुछ ही दिन बाद ये रोड़ टूटने लगा, इसकी स्थिति बहुत खराब हो गई जिसकी मैंने एम.सी.डी. में, क्योंकि ठेकेदार जो था वो एम.सी.डी. का ठेकेदार था, उनको मैंने grievance भी डाली, बराबर complaint भी की लेकिन उन्होंने आज तक इस रोड़ की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इसमें इतने बड़े-बड़े गड्डे हो गए हैं कि आये दिन कोई ना कोई दुर्घटना होती रहती है, बैटरी रिक्शे पलटते हैं, मोटरसाइकिलें गिरती हैं। मेरी आपसे विनती है कि इस रोड़ की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ जिससे ये रोड़

रिपेयर हो सके और वहां की जनता को आराम मिल सके और उस जाम से भी निजात मिल सके जिसकी वजह से बहुत जाम रहता है, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।

माननीय अध्यक्ष: बहुत-बहुत धन्यवाद, आज सदन बहुत प्यार से चला। 280, 21 लिये गये 21 ये रिकार्ड है मैं समझता हूँ मैं विपक्ष को भी, सत्तापक्ष को भी बहुत-बहुत बधाई दे रहा हूँ। अब नगर निगमों में वित्तीय कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के लिए चर्चा प्रारम्भ करेंगे अल्पकालिक चर्चा नियम 55 के अन्तर्गत श्री पवन शर्मा जी। हाँ जी, पवन जी।

अल्पकालिक चर्चा (नियम-55)

श्री पवन शर्मा: धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मुझे नियम 55 में तहत चर्चा का मौका दिया अध्यक्ष महोदय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने पूरे भारत को स्वच्छ भारत का नारा दिया। पूरे भारत में स्वच्छता अभियान चलाया गया जिसमें भाजपा के बड़े-बड़े नेताओं ने अपने आप कूड़ा उड़ेलकर, सड़कों पर कूड़ा डालकर विडियो बनवाते दिखाई दिए उसमें।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: भई उनको बोलने दो भई इस।

श्री पवन शर्मा: विडियो अपने आप कूड़ा डालकर सफाई करते हुये जो है फोटो खिंचवाये गये, विडियो बनवाई गई। अध्यक्ष महोदय, पिछले कई सालों से भाजपा की केन्द्र सरकार स्वच्छता सर्वेक्षण करवाती आ रही है और यह एक तरीके का सर्वे है जिसमें यह देखा जाता है कि कौन से राज्य, कौन से शहर में स्वच्छता का पालन किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, पूरे देश में उस सर्वेक्षण के अन्दर मात्र 48 शहर हैं जिसमें दिल्ली के भाजपा शासित तीनों निगम भी

शामिल हैं। स्थिति यह है अध्यक्ष महोदय कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम उन 48 शहरों में 45वें नम्बर पर है।

ई/केबी

स्वच्छता अभियान में सफाई में और पूर्वी दिल्ली नगर निगम 41 वें नम्बर पर है और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम 31 वें नम्बर पर है। अध्यक्ष महोदय, पिछले 15 साल से भाजपा दिल्ली के तीनों निगमों पर शासन कर रही है और भ्रष्टाचार और कुशासन का आलम यह है कि तीनों निगम आज कंगाली के कगार पर खड़े हैं। सफाई-कर्मियों की, डाक्टरों की, अध्यापकों की, नर्सों की वेतन देने के लिए निगमों के पास पैसे नहीं हैं। दूसरी तरफ मात्र 300 रुपये प्रति मीटिंग पाने वाले पार्षद, पार्षद बन जाने के बाद उनके पास महंगी से महंगी गाड़िया, मकान, दुकान, कार्यालय अचानक कहां से आ जाते हैं? जैसे कुबेर का खजाना उनके हाथ लग गया हो।

अध्यक्ष महोदय, एम.सी.डी. में भ्रष्टाचार के हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि आज निगम अपनी सम्पत्तियों को औने पौने दाम पर बेचकर अपने इस कार्यकाल का सबसे बड़े, घिनौने और अंतिम भ्रष्टाचार को अमली जामा पहनाने की फिराक में है जो अति निंदनीय है और बेशर्मी की पराकाष्ठा है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम, राजन बाबू टीबी अस्पताल की 3 एकड़ जमीन की नीलामी की तैयारी कर रही है। यदि निगम चाहे तो इस अस्पताल की खाली जमीन से राजस्व अर्जित करने के लिए योजनाएं बना सकता है लेकिन वो इसे बेचने की तैयारी में है।

अध्यक्ष महोदय, झुग्गी बस्तियों में निगम द्वारा विकास का कोई कार्य नहीं किया गया और अब भाजपा द्वारा झुग्गी सम्मान यात्रा के नाम पर इन बस्तियों की जमीन की पहचान की जा रही है ताकि इन्हें बेचा जा सके और मोटा पैसा कमाया जा सके।

नावल्टी सिनेमा को साढ़े चौतीस करोड़ रुपये में बेच दिया गया। नावल्टी सिनेमाघर की जमीन को नीलाम करने के बाद अब उत्तरी दिल्ली नगर निगम दंगल मैदान और नानीवाला बाग सहित 18 सम्पत्तियों को बेचने की तैयारी कर रहा है। इसी तरह से हजारों करोड़ रुपये की 11 सम्पत्तियों को निगम ने मात्र 744 करोड़ रुपये में बेच दिया है। टाउन हाल को हेरिटेज होटल बनाकर लीज पर दे दिया गया।

निगम कर्मचारी वेतन के लिए हड़ताल करते रहें। अब उन्हें सेवा निवृत्ति के बाद भविष्य निधि की राशि मिलने पर भी संदेह है। निगम में कर्मचारियों के 1200 करोड़ रुपये के भविष्य निधि की गड़बड़ी का मामला सामने आया है।

एस.पी.मुखर्जी मार्ग स्थित वाणिज्यिक पुनर्विकास परियोजना के लिए ई-नीलामी करने सहित करीब 18 सम्पत्तियों को बेचने के लिए प्रस्ताव लाया जा रहा है। बताया गया है कि नानीवाला बाग भूखंड के लिए करीब 12 करोड़ 21 लाख रुपये आरक्षित मूल्य स्वीकृत किया गया है। एम.सी.डी. की प्रॉपर्टी बेचकर भागने की तैयारी कर रही भाजपा ने 150 करोड़ रुपये की कीमत के नावल्टी सिनेमा की जमीन को मात्र 34 करोड़ रुपये में बेच दिया है। एम.सी.डी. अगर 11 सौ वर्ग मीटर जमीन पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाकर दुकाने भी लीज पर देती तो इससे कम से कम 3 सौ करोड़ रुपये का फायदा हो सकता था।

अध्यक्ष महोदय, आपको, इस सदन को जानकारी आश्चर्य होगा कि निविदा में शामिल Asteroid Shelter Home और स्टाइल एंटरप्राइजिज की कीमतों में मात्र एक लाख रुपये का अंतर है। एक ने 34 करोड़ 75 लाख रुपये की और दूसरे ने 34 करोड़ 74 लाख रुपये की बीड डाली है। और यह इतनाफाक नहीं हो सकता। इन कम्पनियों से जरूर भाजपा नेताओं के तार जुड़े हैं, manipulate

किया जा रहा है। भाजपा ने एम.सी.डी. से जाते-जाते अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए इस जमीन को कोड़ियों के दाम पर बेचने का फैसला लिया है क्योंकि इन्हें अपना अंधकारमय भविष्य आईने में नजर आने लगा है।

अध्यक्ष महोदय, भाजपा शासित नगर निगम का शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, गलियों की मरम्मत, नालियों की सफाई किसी काम पर ध्यान नहीं है। बस भ्रष्टाचार के नये-नये रास्ते खोजने पर पूरा फोकस है। अध्यक्ष महोदय, निगम का पूरा बजट 6872 करोड़ रुपये है और भाजपा शासित निगम द्वारा इसका केवल डेढ़ परसेंट शिक्षा पर खर्च किया जाता है, केवल डेढ़ परसेंट, जो लगभग 116 करोड़ रुपये है। ये बड़े शर्म की बात है और ये डेढ़ परसेंट इसलिए खर्च किया जाता है अध्यक्ष महोदय क्योंकि 'पढ़ेगा इंडिया तो सवाल पूछेगा इंडिया'। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी की अगुवाई में शिक्षा, चिकित्सा, बिजली पानी पर इस प्रकार से ईमानदारी से कार्य किया है उसको देखकर दिल्ली के लोगों ने ये मन बना लिया है कि एम.सी.डी. में भी केजरीवाल जी की सरकार चाहिए। केजरीवाल ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो एम.सी.डी. को भ्रष्टाचार मुक्त कर सकता है।

तो अध्यक्ष महोदय, भाजपा को इस बात का पता है कि अब एम.सी.डी. में दिल्ली के लोग भाजपा को नहीं चुनेंगे। क्यों न जाते-जाते एम.सी.डी. की जमीन बेचकर मोटी रकम कमाई जाए, अपने लोगों को फायदा पहुंचाया जाए। ये बहुत ही शर्म की बात है। अध्यक्ष महोदय, आम आदमी पार्टी एम.सी.डी. से यह जमीन बेचने के निर्णय को वापस लेने की पुरजोर मांग करती है। हम और हमारे पार्षद, विधायक, सांसद सड़क से संसद तक इसका विरोध करेंगे। भ्रष्टाचार को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए हमें जेल भी क्यों न जाना पड़े।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे नियम 55 के तहत बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: धन्यवाद। संजीव झा जी।

श्री संजीव झा: बहुत-बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय कि आपने इस अति महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का मौका दिया। मुझे लगता है कि अभी सरकारी सम्पत्ति बेचो योजना न केवल दिल्ली बल्कि पूरे देश में चल रहा है। वो ग्रामीण भारत में एक कहावत है कि 'पूत सपूत तो क्यूं धन संचय और पूत कपूत तो क्यूं धन संचय।' अगर पूत सपूत होगा तो धन अर्जन कर लेगा, धन संचय क्यूं करें और अगर पूत कपूत होगा तो अर्जा हुआ धन संपत्ति सब बेच देगा। सौभाग्य से दिल्ली में 3 सरकारें हैं, केंद्र सरकार, दिल्ली की सरकार और एम.सी.डी. की, एम.सी.डी. में भाजपा की सरकार। दिल्ली की सरकार दिल्ली के डेफिसिट बजट को प्रॉफिट में ले आई और बहुत सारे फायदे दिल्ली की जनता को दिये। लेकिन एम.सी.डी. में देखिये जो हेरिटेज प्रॉपर्टी है उस सबको बेचा जा रहा है। बहुत सारी सम्पत्ति की चर्चा पवन भाई ने की कि एक तरफ ये तमाम जो फाइनेंसियल मिस-मैनेजमेंट है, दिल्ली सरकार जो लगातार एम.सी.डी. को पैसे देती है वो पैसे कर्मचारियों की सैलरी के बजाय भाजपा के पार्श्वों के पॉकेट में जाता है। सैलरी नहीं मिल रही लेकिन डेवलपमेंट के पैसे जा रहे हैं और उस सारे पैसे की लूट हो रही है। तो अब बहुत सारे साथियों ने बताया कि 3 महीने अभी रह रहे हैं तो अब इन लोगों ने तय कर लिया है कि एम.सी.डी. में लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताओगे जब सत्ता जाएगी छूट। अभी एक प्रॉपर्टी की चर्चा पवन जी कर रहे थे। मैं bidding pattern को देख रहा था। मैं 2 उदाहरण देता हूं आपको और हमारे काफी सीनियर नेता हैं बिधूड़ी जी, LOP भी हैं यहां, वो भी

बेहतर बतायेंगे कि D-4, Commercial Complex, Karam Pura को बेचा गया, मिनिमम बोली थी 6 करोड़ 36 लाख, पहली बोली 6 करोड़ 36 लाख 90 हजार, दूसरी बोली 6 करोड़ 37 लाख, ये bidding pattern ही बता रहा है कि किस तरह का घालमेल है। दूसरा मैं बताऊं आपको ये नानीवाला बाग कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है आजादपुर में, उसके bidding pattern को मैं देख रहा था। मतलब ऐसे सारे, सबके bidding pattern ऐसे ही है। मैं 2 उदाहरण दे रहा हूं आपको कि मिनिमम बोली 12 करोड़ 21 लाख, पहली बोली 12 करोड़ 35 लाख और दूसरी बोली 12 करोड़ 38 लाख। तो ये जो bidding pattern है ये bidding pattern ही अपने आप में घालमेल को दर्शाता है। नावल्टी सिनेमा के बारे में इन्होंने बताया कि मार्केट रेट था 150 करोड़, बेच दिया उसको 34 करोड़ में। राजन बाबू के बारे में पवन भाई ने विस्तार से बताया। 125 समुदाय केंद्र, 37 जिम, 4 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, 23 वरिष्ठ नागरिक मनोरंजन केन्द्र, 1 महिला हाट, 1 कामकाजी महिला होस्टल और बहुत सारी सम्पत्ति को लीज पर दे दिया गया है। इसका किराया कितना है, मैंने खूब ढूंढ़ने की कोशिश की, कहीं भी ये जानकारी नहीं मिली। जैसे गांधी मैदान पार्किंग, शिवा मार्केट पार्किंग, कुतुब रोड, मोती नगर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, टाउन हाल, चादनी चौक का, ये सब जो leasing किया गया है, इसका लीज एमाउंट क्या है, किसी को नहीं पता।

हैरत की बात ये है कि पहले चरण में 34 में से 14 ऐसे स्कूल हैं जिनको प्राइवेट कोचिंग इंस्टिट्यूट को दिए जाने की योजना बना रही है एम.सी.डी.। एक तरफ दिल्ली में दिल्ली की सरकार सरकारी स्कूल का एक miraculous revamp किया है, जिसकी चर्चा देश-विदेश में हो रहा है, वही दूसरी तरफ इसी दिल्ली में एम.सी.डी. अपने सरकारी स्कूल की प्रॉपर्टी को प्राइवेट इंस्टिट्यूट को दे रही है।

अभी मैंने स्टैंडिंग कमेटी का एक एजेंडा देखा, उसका एक आइटम में मैंने देखा कि बंदना जी के विधान सभा शालीमार बाग में AC, Block के निगम का एक स्कूल है जो 2800 स्क्वायर मीटर में है उसको 126 करोड़ में बेचने का प्रस्ताव है। अगर वहां पर रिहायशी रेट देखें तो 250 करोड़ का और कमर्शियल रेट देखें तो 500 करोड़ का है। तो समझिये किस तरह से सरकारी सम्पत्ति को औने पौने दाम पर बेचने की योजना है। जैसे हमने आपको बताया कि चांदनी चौक का ये हेरिटेज होटल है टाउन हाल, उसको private player को लीज पर दिये जाने की योजना है। ये पूर्णिमा सेठी होस्पिटल जिसका इनऑर्गेशन अरूण जेटली जी ने किया था उसका एक floor private player को देने की योजना है। 13 multi layer parking है जिसको throw away price पर private player को दे दिया गया है।

तो मैं ये कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि अगर इसी तरह से लूट होती रही तो 2 महीने बचे हैं, एम.सी.डी. की एक भी सरकारी सम्पत्ति नहीं बचने वाली। और इसके घालमेल में सब लोग हैं। मुझे तो कई बार हैरत होती है कि बीजेपी की कोई सेंट्रल योजना तो नहीं है। वो प्रधानमंत्री जी पहले कहते थे चाय बेचते हैं, चाय बेचते हैं, चाय बेचते हैं। आज वो कहते हैं कि मैं SAIL बेचता हूं, ONGC बेचता हूं, BHAIL बेचता हूं, LIC बेचता हूं, Airport बेचता हूं, रेलवे स्टेशन बेचता हूं, लाल किला बेचता हूं, Railway Station बेचता हूं। मैं वो भी लिस्ट निकाल रहा था। मैंने देखा कि 40 से ज्यादा सरकारी कम्पनी तो बेची जा चुकी है। नीति आयोग के प्लान के अनुसार 26 हजार 7 सौ किलोमीटर सड़कों को motorized कर दिया गया। 400 Station बेच दिये गये। पेट्रोलियम प्रोडक्ट पाइप लाइन बेच दिये गये, एल.पी.जी. पाइप लाइन बेच दिये गये, 26 हवाई अड्डे बेच दिये गये, 2 स्टेडियम बेच दिये गये। तो मुझे ये लगता है कि ये पूरे देश

में बीजेपी का ये प्लान है कि जो सरकारी सम्पत्ति है वो औने पौने दाम पर आप जितने भी इस देश के इनके अपने लोग हैं उनको बेच दिया जाए। तो मैं अध्यक्ष जी आपसे, ये चिंता कोई मेरी नहीं है या इस सदन के लोगों को नहीं है, ये चिंता दिल्ली की जनता की है जिस जनता ने निगम में एम.सी.डी. में बीजेपी के लोगों को भेजा था, ...जारी.....

चूँकि मैनिफेस्टो इनका 2017 में बड़ा अच्छा था, इन्होंने कहा था कि पूरे दिल्ली को हम चमका देंगे, न्यूयार्क बना देंगे। दिल्ली में एक भी कूड़ा घर नहीं होगा। कोई नया टैक्स नहीं लगेगा, जितने भी सरकारी सम्पत्ति हैं उनको सजाएंगे, उनको अच्छा बनाएंगे और आज जो हालात इन्होंने दिल्ली का कर दिया है अगर इसको नहीं रोका गया तो 2 महीने में दिल्ली में एक भी एमसीडी की प्रोपर्टी नहीं बचने वाली है। तो इसीलिए हमारे सदन में अपोजिशन के भी साथी हैं मैं इनसे भी निवेदन करना चाहता हूँ कि दिल्ली की चिंता आपको भी होनी चाहिए, चूँकि आपको भी दिल्ली की जनता ने अपने विधान सभा में जिताया है और अगर आप दिल्ली की चिंता करते हैं तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि इस तरह जो औने-पौने में चीजें बिक रही है उसको रोकें, चाहे आपके अपने मेयर को कहना पड़े या आपके नेता को कहना पड़े। चूँकि ये संपत्ति बेशकीमती संपत्ति है और मैं आपसे भी निवेदन करना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय कि इस सदन के जरिये एक कड़ा संदेश जाए कि अगर इस तरह से सरकारी संपत्ति को औने-पौने दाम पर बेचा जाएगा तो एक कमेटी बने जो इसकी वैलिडिटी की जांच करे और क्यों ये औने-पौने दाम में बेचा जा रहा है उसपर ठोस कार्रवाई हो। तो इसीलिए ज्यादा ना कहते हुए मैं इस सदन के जरिये दिल्ली की जनता की चिंता, अध्यक्ष जी आप तक और आप के जरिये जो लोग इस तरह से सरकारी संपत्ति को औने-पौने

दाम में बेचने के लिए तैयार है या बेचने की योजना बना रहे है उसको रोका जाए, इसकी कोशिश हो और इस पर कोई ना कोई ठोस कार्रवाई की जाए। नहीं तो मैं अभी एक आदमगोंडवी बहुत बड़े जन कवि थे वो कहते थे कि,

जो डलहौजी नहीं कर पाया, वो काम कर देंगे
कमिशन दो तो हिन्दुस्तान को नीलाम कर देंगे

ये योजना चल रहा है, इसको हम सब लोग सदन के जरिये चिंता जाहिर करके इसको रोकने की कोशिश करें, बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: धन्यवाद श्री विजेन्द्र गुप्ता जी।

श्री विजेन्द्र गुप्ता: आदरणीय अध्यक्ष जी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि सदन में जो दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले विभाग हैं, दिल्ली जल बोर्ड, उसके भ्रष्टाचार पर यहां पर आज तक चर्चा नहीं हुई, क्योंकि भ्रष्टाचार में पूरी सरकार लिप्त है और हजारों-हजार करोड़ रुपया लूटा जा रहा है, कभी चर्चा नहीं हुई। दिल्ली स्लम बोर्ड, पूरी तरह दिल्ली की झुग्गी बस्तियों की हालत खस्ता है, पीने का पानी नहीं है। इस सदन में कभी एक बार भी शॉर्ट डयूरेशन, इस सदन में पिछली बार, 5 वर्ष में भी और इस 2 वर्ष में भी, एक बार भी चर्चा नहीं हुई है। ऐसे अनेकों विभाग मैं गिनवा सकता हूं, यहां पर दिल्ली सरकार के जिनमें भारी भ्रष्टाचार है, लूट है, डकैती है, सरकार में बैठे हुए लोगों के द्वारा डकैती है लेकिन कोई चर्चा यहां पर करने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ जो दिल्ली का नगर-निगम है, ये एक संवैधानिक व्यवस्था है और संवैधानिक व्यवस्था ये है कि 3 तरह की सरकारें है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल बॉडिज। लोकल बॉडिज के साथ भारी सौतेला व्यवहार हो रहा है और ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। मैं आपको थोड़ा इतिहास में ले जाना चाहता हूं कुछ पंक्तियों

द्वारा कि 1991 में जब constitutional amendment हुआ तो उससे पहले इसी प्रकार से लोकल बॉडीज को suppress किया जाता था, हर स्टेट गवर्नमेंट वो अपने अंतर्गत आने वाली नगर निगमों को जो उनकी पार्टी से पावर में होती थी उनको अधिक फंड दे देते थे, जो उनकी पार्टी के पावर में नहीं होती थी वहां उनको कुचला जाता था, उनको पूरी तरह से उनका शौषण होता था और उनको वित्तिय रूप से पंगू बनाया जाता था। तो भारत के संविधान में एक constitutional amendment हुआ कि जो थर्ड टायर गवर्नमेंट है उसको कैसे मजबूती प्रदान करें। क्योंकि constitution में उनकी obligations है, उनकी जिम्मेदारियाँ हैं और इसके लिए उनके पास फंड्स नहीं होते तो उनको फंड्स भी मिले और फिर उस अमेंडमेंट में ये लाया गया कि स्टेट फाइनेंस कमिशन जो है वो गठित किए जाएंगे, वो हर पांच साल बाद वो उस निगम की, उस प्रदेश की तमाम निगमों की वित्तिय संसाधनों की जांच करेगा और उनकी आवश्यकताओं पर सरकार को एक रिकमंडेशन देगा और सरकार उन रिकमंडेशन्स का पालन करते हुए निगमों को इक्वल फुटिंग पर उनको पैसा दिया जाएगा। ये जो फाइनेंस कमिशन बनाया ये कोई सरकार की ग्रांट नहीं है, ये जो बेसिक assigned taxes हैं, जो टैक्स municipalities के भी थे उनको दिल्ली सरकार के टैक्सीसज में मर्ज कर दिया गया और उसकी शेयरिंग की गई, उसको कहा गया ग्लोबल शेयरिंग और जो टैक्स असाइमेंट है उसकी शेयरिंग की बात आई और फिर उसके बाद constitutional provisions हैं उसमें ग्रांट की बात आई। अब हुआ क्या कि जब आम आदमी पार्टी सरकार में आई तो इन्होंने दिल्ली फाइनेंस कमिशन का गठन ही नहीं किया। क्यों, इनको लगा कि फाइनेंस कमिशन का गठन करेंगे तो 2017 में चुनाव है और बीजेपी को हमको पैसा देना पड़ेगा, बीजेपी की कॉर्पोरेशन को तो उसके बाद मैं खुद अध्यक्ष जी।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: भई अजय दत्त जी।

श्री विजेन्द्र गुप्ता: अरे क्या हुआ मैं तो बड़े कायदे की बात कर रहा हूँ।

माननीय अध्यक्ष: अजय दत्त जी आप बीच में टोका-टाकी नहीं करेंगे बैठिये।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप बैठ जाइये नीचे। आप नीचे बैठिये बोलेंगे नहीं बीच में।

श्री विजेन्द्र गुप्ता: षड्यंत्र कर रहे हो आप, आप निगमों को नहीं दबा रहे।

माननीय अध्यक्ष: आपके वक्ता हैं वो बोलेंगे।

श्री विजेन्द्र गुप्ता: आप संवैधानिक व्यवस्थाओं की अवहेलना कर रहे हो। आप दिल्ली के लोगों से बदला ले रहे हो, दिल्ली के लोगों ने क्योंकि निगम में भारतीय जनता पार्टी को।

माननीय अध्यक्ष: एक सेकंड विजेन्द्र जी, विजेन्द्र जी एक सेकंड रूकिये विजेन्द्र जी एक सेकंड के लिये।

श्री विजेन्द्र गुप्ता: जी।

माननीय अध्यक्ष: अजय दत्त जी ये बीच में टोका-टाकी का मामला बंद करिये। आपके मन में कोई बात आ रही है, जिस वक्ता ने बोलना है उसको लिखित में दीजिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: नहीं मैं आग्रह कर रहा हूँ, आप बीच में मत टोकिये। वो सदन देखेगा, आप बैठ जाइये। आप बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: नहीं, नहीं आप बैठ जाइये मैं अलाउ नहीं करूंगा। बैठ जाइये अजय दत्त जी जो बोल रहे हैं कार्यवाही से निकाल दीजिये। अच्छा बढ़िया सदन चल रहा है। आपको जो कुछ बोलना है, जो बताना है लिखित में अपने सत्तापक्ष के जो वक्ता हैं उनको दीजिये ना। आपकी बारी आएगी जब बोल।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: हो गया, मैंने रोक दिया। मैंने तुरंत रोक दिया।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी (माननीय नेता, प्रतिपक्ष): आदरणीय अध्यक्ष जी, नगर निगमों पर जो चर्चा हो रही है वो माननीय पवन शर्मा जी ने, माननीय झा जी ने शुरू की है, जो कुछ भी आरोप लगाये गये हैं हमने उसको बहुत धैर्यपूर्वक सुना है।

माननीय अध्यक्ष: मैंने उसको रोक दिया ना, सख्ती से रोक दिया।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी (माननीय नेता, प्रतिपक्ष): नगर निगमों पर जो चर्चा हो रही है वो माननीय पवन शर्मा जी ने, माननीय झा जी ने शुरू की है। जो कुछ भी आरोप लगाए गए हैं, हमने उसको बहुत धैर्यपूर्वक सुना है।

माननीय अध्यक्ष: मैंने उसको रोक दिया ना, सख्ती से रोक दिया। समय रह जाएगा फिर चर्चा करें।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी (माननीय नेता, प्रतिपक्ष): अब आप इसकी ऐसी व्यवस्था करिये की जब हमारी तरफ से किसी तरह की दखलअंदाजी नहीं है, हम किसी को इंटरप्ट नहीं करते हैं तो आप इस बात की गारंटी जरूर करें हमारे लिए कि कम से कम हम जब बोलें तो ऑनरेबल आम आदमी पार्टी के एमएलएज हमें इंटरप्ट ना करें, हम आपसे ये आग्रह करना चाहते हैं।

माननीय अध्यक्ष: ठीक है धन्यवाद, हॉ जी विजेन्द्र जी कम्पलीट करिये।

श्री विजेन्द्र गुप्ता: अध्यक्ष जी मैं आगे कंटीन्यू करता हूँ। तो फाइनेंस कमिशन का गठन ही नहीं किया गया। मैंने सदन में मामला उठाया, वहां भी मुझे उसका कोई उचित ना जवाब मिला और दुर्व्यवहार अलग हुआ। अंतोगत्वा मुझे दिल्ली हाईकोर्ट जाना पड़ा इस सदन का सदस्य होने के नाते, क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी थी विपक्ष का सदस्य होने के नाते और कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के बाद सरकार जब वहां बेजवाब हो गई तो मजबूरी में कोर्ट के ऑर्डर पर, कोर्ट के सामने गवर्नमेंट को ये एक्सपैक्ट करना पड़ा कि ये हम गठन कर रहे हैं। और जो रिपोर्ट लागू हो जानी चाहिए थी 1 अप्रैल, 2017 को उसके बाद constitutionally वो लागू नहीं की गई और उसके बाद जो रिपोर्ट आई ये भी हिन्दुस्तान के इतिहास में लिखा जाएगा और लोग आने वाली जो जनरेशन है हैरानी प्रकट करेगी कि जो फाइनेंस कमिशन दिल्ली नगर निगमों की वित्तीय स्थिति पर रिकमंडेशन थी, इस सदन में उनको पलट दिया गया, उसके विपरीत कार्रवाई की गई। पहली बार ऐसा हुआ होगा कि फाइनेंस कमिशन की रिकमंडेशन आए और जो फंड वो देने को कह रहे हैं उसमें से ओर उल्टा काट लिया जाए। यानि कि जो चौथे वित्त आयोग के माध्यम से या तीसरे वित्त आयोग के माध्यम से जो फंडिंग हो रही थी वो पांचवे वित्त आयोग में काट ली गई। तो पंगू बनाकर रखना निगमों

को ये सरकार की पहली नीति है कि दिल्ली की नगर निगमों को कैसे पंगू बनाया जाए।

माननीय अध्यक्ष: विजेन्द्र जी अब कन्कलूड करिए समय के अनुसार।

श्री विजेन्द्र गुप्ता: अभी तो अध्यक्ष जी मेरे 2 मिनट भी नहीं हुए हैं।

माननीय अध्यक्ष: नहीं तो ऐसे नहीं जी, देखिए 2 सदस्य बोल चुके हैं 15 मिनट में।

श्री विजेन्द्र गुप्ता: मैं जो भी बात कर रहा हूँ बड़ी रैलीवेंट कर रहा हूँ, इनकी तरह झूठ नहीं बोल रहा, ऐसे हवा में तीर नहीं चला रहा, मेरे पास सारे तथ्य हैं, फैक्ट्स पे मैं बात कर रहा हूँ।

माननीय अध्यक्ष: नहीं आपने जो बोलना है संक्षेप में बोलिये, मैं 2 मिनट ओर दे रहा हूँ।

श्री विजेन्द्र गुप्ता: हॉ मुझे 2-3 मिनट दे दीजिए।

माननीय अध्यक्ष: 2 मिनट में कन्कलूड करिये।

श्री विजेन्द्र गुप्ता: मुझे मालूम है इससे ज्यादा आप समय नहीं देंगे इसलिए मैंने उससे ज्यादा सोचा ही नहीं, 2-3 मिनट आप मुझे दे दीजिए, ये घड़ी रोक देना, मेरे उसमें मत गिनना आप।

माननीय अध्यक्ष: बोलिये आप शुरू करिये। 2 मिनट शुरू करिये।

श्री विजेन्द्र गुप्ता: हॉ फिर शुरू करता हूँ, दूसरी बार interruption के बाद।

माननीय अध्यक्ष: हॉ शुरू करिये।

श्री विजेंद्र गुप्ता: अब 2017 से और मार्च, 2022 तक। अभी छठा वित्त आयोग गठित ही नहीं किया गया। अब वो गठित किया जायेगा फिर मुझे अदालत जाना पड़ेगा, फिर वो गठित किया जायेगा अदालत के आदेश से। फिर मैं चेतावनी देता हूँ अध्यक्ष जी आपके माध्यम से सरकार को कि छठा वित्त आयोग बिठाइये, संविधान की अवहेलना हो रही है और नहीं बिठाया जायेगा तो फिर अदालत जाऊंगा। इसकी रिकमंडेशन लागू होनी चाहिए। ट्राईफरकेशन के बाद निगमों में जो नगर निगम का जन्म हुआ 2012 में, देखिये सूदखोरों की सरकार। निगमों से जबरदस्त ईस्ट वसूल किया जा रहा है, कौन से पैसे का जो उन्होंने लोन लिया ही नहीं है। ईस्ट दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जिसका जन्म ही 2012 में हुआ है, वो कैसे 1998 और 1995 के लिये वे लोन की वापसी वो क्यों करेगी? अरे जो लोन उसने लिया ही नहीं वो लोन ही नहीं वापस लिया जा रहा उससे, उसपर सूद भी लिया जा रहा है और वो भी वो सूद लिया जा रहा है 11 प्रसेंट, 12 प्रसेंट, 13 प्रसेंट और उनकी जो हिस्सेदारी है, देखिये मेरे पास कुछ दस्तावेज है। समय की कमी के कारण अभी जो फीफथ फाइनेंस कमिशन ने कहा उसमें भी 4673 करोड़ रुपया उसमें से और काट लिया। अरे जो आपने एक्सेप्ट किया, पहले तो वो काट लिया जो रिकमंडेशन आई। फिर उसमें जो आपने खुद पारित किया वो नहीं दिया जा रहा। निगमों को वित्तीय रूप से ईस्ट दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कहता है, हमारे 6328 करोड़ रुपया आपके पास पैडिंग है। इस तरह से निगमों को एक सूदखोर सरकार, मैं दिल्ली की जनता को इस सदन के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि एक सूदखोर सरकार लगातार दिल्ली की नगर निगमों को शोषित कर रही है, उनका शोषण हो रहा है, सिर्फ अपने राजनीतिक मसूबों की प्राप्ति के लिए। ऐसा दुर्भाग्य दिल्ली में है कि आम आदमी पार्टी की

सरकार लोगों से बदला ले रही है और उनके कामों को रोक रही है। पार्कों में सफाई ना हो, सड़कों पर सफाई ना हो, पैसा रोक लिया जाए, हड़ताल हो और सफाई कर्मचारियों को भी पूरी तरह से ये सरकार प्रताड़ित कर रही है। मैं इस सदन के माध्यम से कहना चाहता हूँ अध्यक्ष जी कि सरकार को ये रवैया बदलना होगा, केजरीवाल जी को ये रवैया बदलना पड़ेगा और कोई मुख्यमंत्री इस तरह से दुर्भावना से नगर निगमों का कत्ल करने की कोशिश कर रहा है ये बर्दाश्त नहीं होगा, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: धन्यवाद, धन्यवाद। कुलदीप जी।

श्री कुलदीप कुमार: धन्यवाद अध्यक्ष जी, आज दिल्ली के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष जी हर परिवार में एक बेटा होता है और जब बेटा बिगड़ जाये या उसे नशे की लत लग जाये तो वो हमेशा पिताजी से पैसे मांगता रहता है, कि जी मुझे पैसे दो, मुझे और पैसे दो, मुझे और पैसे दो, क्योंकि नशे की लत, चोरी करने की लत बढ़ जाती है। उस लत के साथ-साथ जब उसे जो पॉकेट मनी मिलती थी

G/RK

वो तो उसे पूरी मिल रही है। जो लोन मिलता था उसे वो लोन भी पूरा मिल रहा है लेकिन उसके साथ-साथ उसे नशे की इतनी लत पड़ गयी कि वो हमेशा कहता है कि मुझे पैसा दो, मुझे पैसा दो, पैसा दो, पैसा दो और उसे पैसा न दो तो गली में, मोहल्ले में, चौराहे पर, रिश्तेदारों को फोन करके बोलता है मेरे पिताजी मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। मुझे पैसा नहीं दे रहे हैं और अगर उसे तब भी पैसा न मिले अध्यक्ष जी तो वो घर के बर्तन, प्रापर्टी, मकान के कागज जो उसके हाथ लगेगा वो उसे बेच देंगे। यही हाल आज दिल्ली एमसीडी का दिल्ली

के अन्दर हो चुका है अध्यक्ष जी कि उनके यहाँ जो भी कुछ लगता है। उनके यहाँ प्रापर्टी लगे, उनके यहाँ नावल्टी सिनेमा लगे, हास्पिटल लगे, उन्हें कोई मतलब नहीं दिल्ली के विकास से, इन्हें कोई मतलब नहीं दिल्ली के डेवलपमेन्ट से। इन्हें मतलब है केवल इन्हें पैसा मिल जाये। क्यों इतना पैसा, पैसा, पैसा करते हो। कितना पैसा तुम लोगों को चाहिए। जिस लोन की ये बात कर रहे हैं उसकी किश्त तक नहीं चुका पा रहे हैं अध्यक्ष जी आज तक। जिस इन्टरेस्ट की बात कर रहे हैं, ये कोर्ट में खुद हलफनामा देते हैं कि अभी हम पर पैसे नहीं है, हम इन्टरेस्ट नहीं भर पायेंगे। जब ये हलफनामा कोर्ट में देते हैं कि इन्टरेस्ट नहीं भर पायेंगे तो उसके बाद अध्यक्ष जी ये आज कहते हैं कि कौन सा लोन। ये बिल्कुल मैं कहता हूँ कि आज दिल्ली को कूड़े का ढेर बनाकर बीजेपी के लोगों ने रख दिया है और आज ये हर प्रापर्टी को, हर जमीन को बेचने में लगे हुए हैं। बड़े वाले साहब बड़ी प्रापर्टी बेच रहे हैं, छोटे वाले साहब छोटी प्रापर्टी बेच रहे हैं। इनको देश बेचना है। इनको सब कुछ बेचना है। अध्यक्ष जी, आज एमसीडी के अन्दर क्या बुरा हाल, क्या चोरी इन लोगों ने पिछले 15 साल के अन्दर की है। अध्यक्ष जी, ये मैं नहीं कह रहा हूँ सदन में, दिल्ली का बच्चा-बच्चा, दिल्ली का एक-एक नागरिक ये बात कह रहा है कि एमसीडी से भाजपा को उखाड़कर फेंकना है क्योंकि इन्होंने हर जगह को, प्रापर्टी को बेचने का काम किया, चोरी करने का काम किया और आज अगर आप दिल्ली के किसी भी व्यक्ति से पूछोगे कि पिछले 15 सालों के अन्दर, मैं दावे से कह रहा हूँ, दिल्ली में रहने वाले हरेक व्यक्ति को कम से कम तीन-तीन बार कमीशन एमसीडी को देनी पड़ी होगी, तीन-तीन बार हर नागरिक को। मतलब सौ में से सौ नागरिकों को एमसीडी को कमीशन देनी पड़ी होगी, चाहे मकान बनाने के नाम पर दें, चाहे हाउस टैक्स के नाम पर दें, चाहे कनवर्जन के नाम पर दें, कमीशन जरूर देनी

पड़ी होगी, दलाली जरूर देनी पड़ी होगी। और वो गयी कहाँ पर? वो सब गयी है भाजपा के नेताओं की जेब में। ये दिल्ली का चक्का जाम करने की बात करते हैं। इन्होंने दिल्ली का बेड़ा गर्क करने का काम किया 15 साल में। एमसीडी का चक्का जाम कर दिया। आज एमसीडी का कर्मचारी स्ट्राइक पर चला जाता है। उनकी तनख्वाह नहीं मिल रही है। अध्यक्ष जी, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि अगर दिल्ली एमसीडी के अन्दर के सफाई कर्मचारी को अपनी पे स्लिप भी निकलवानी हो न, तो 500 रुपये दलाली देनी पड़ती है और ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। इनको भी पता है, विजेन्द्र गुप्ता जी यहां बोल रहे थे। इनको भी ये बात स्पष्ट है कि एमसीडी में कितना बड़ा भ्रष्टाचार है और विजय गोयल जी तो बोल चुके हैं कि कितना भ्रष्टाचार एमसीडी के अन्दर भरा हुआ है। एक-एक कोने में अगर कहीं पैर रखेंगे तो एमसीडी का भ्रष्टाचार वहाँ बढ़ा हुआ है और दिल्ली की नालियाँ आप देख लो जाकर, कूड़े से अटी पड़ी हैं। अध्यक्ष जी, आपकी विधान सभा भी होगी तो मैं दावे से कह रहा हूँ किसी चौक-चौराहे पर चले जाइयेगा, वहाँ पर आपको कूड़े का ढेर पड़ा हुआ मिलेगा। उसे कोई सफाई करने वाला नहीं होगा। सफाई करने वाला कहाँ से मिलेगा, सफाई कर्मचारी से महीने के पैसे लिये जाते हैं। उनसे महीने का पैसा लिया जाता है। पैसा बंधा हुआ है। सफाई वाले से पैसे लेंगे, लेन्टर वाले से पैसे लेंगे, एमसीडी के जेई से पैसे लेंगे, हाउस टैक्स के नाम पर पैसे लेंगे, प्रापर्टी सील करने के नाम पर पैसे लेंगे। हर जगह से अध्यक्ष जी पैसे की इन लोगों की इतनी हाय है। सरकार से भी पैसा चाहिए और जनता से लूट का भी पैसा चाहिए। इन्होंने एमसीडी में इतना पैसा लूटने का काम किया। मैं कह सकता हूँ आज कि इनका समय आ चुका है अध्यक्ष जी। तीन महीने का समय बचा है। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ जैसे अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली के लोगों ने 70 में से 67 सीट देने का काम

किया था। अबकी बार आप देख लेना दिल्ली की नगर निगम के अन्दर भाजपा वालों को 8 सीटें भी नहीं मिलने वाली है। तो अबकी बार इनका पूरा जो रवैया था वो दिल्ली के लोगों ने देख लिया है और इन्होंने एक-एक प्रापर्टी को जिस प्रकार से बेचा है और खरीदने वाले कौन हैं अध्यक्ष जी, खरीदने वाले भी इन्हीं के लोग हैं। पूर्व मेयर, पूर्व स्टेन्डिंग कमेटी चेयरमैन कम्पनियाँ बनाते हैं बेटे-बेटियों की और कम्पनियों को खरीदने का काम करते हैं। इन लोगों ने पिछले इतने सालों के अन्दर एमसीडी को बर्बाद करने का काम किया। मैं कह सकता हूँ कि दिल्ली के लोगों ने अब मन बना लिया है कि अब आप लोगों की दादागिरी, आप लोगों की लूट एमसीडी में चलने वाली नहीं है। दिल्ली के लोग आपको सबक सिखा देंगे और आने वाले चुनाव में आप लोगों की जमानत जब्त कराने का काम करेंगे। धन्यवाद अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्ष: धन्यवाद, धन्यवाद। श्रीमती बन्दना कुमारी जी।

श्रीमती बन्दना कुमारी: धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर मुझे बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष जी, जैसा कि अभी हमारे साथी संजीव जी ने भी बताया। जो हमारे एरिया में एक स्कूल, एमसीडी का एक स्कूल था जिसको पार्किंग के लिए लीज पर दे दिया गया और जब हमारे साथी बहन आतिशी जी और दुर्गेश भाई ने जब शोर मचाया तो आनन-फानन में उसको रोका गया लेकिन अभी कहाँ पर रूका हुआ है। सिर्फ पेपर की कटिंग में अभी हमारे पास आयी है जिसमें रूका हुआ है। कागजों में रूका है कि नहीं रूका है, अभी हम सबको नहीं पता। जनता बहुत चिन्तित है। जहाँ पर स्कूल था उस जगह को पार्किंग के लिए लीज पर दे दिया गया है। साथ ही हमारे एरिया में जो गाँव के, समाज के लोगों की जमीन थी जिसको लोगों ने आयुर्वेदिक हास्पिटल के लिए जगह दी थी, उस पर भी पीछे निगम के साथियों ने वेदान्ता हास्पिटल को बेचने

का काम किया। गाँव के लोगों ने आयुर्वेदिक हास्पिटल, छोटा सा हास्पिटल के लिए जगह दिया था। आज उस जगह को डेवलप करने की जगह उसको भी बेचने का काम किया जा रहा था। गाँव के लोगों ने जब उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया और उन लोगों ने जाकर धरना-प्रदर्शन किया तब जाकर वो रुका। उसी तरीके से हमारे क्षेत्र में एक ओल्ड एज होम 2005 से उस पर कार्रवाई चली। पहले 5 करोड़ रुपये का बजट दिया गया फिर 3 करोड़ रुपये का बजट दिया गया फिर डेवलपमेंट के नाम पर उस पर पैसा बढ़ता चला गया और आज की डेट में वो ओल्ड एज होम पब्लिक को समाज की सुविधा के लिए जो काम होना था उस पर, आज तक पब्लिक को हैण्डओवर नहीं किया गया, समाज को हैण्डओवर नहीं किया गया। ना ही किसी सामाजिक संस्था को दिया गया। 2005 से लेकर आज तक उस पर काम ही चल रहा है और समय-समय पर उसकी एस्टीमेट बढ़ती जाती है, समय-समय पर उसका पैसा बढ़ता चला जाता है। आज वो ओल्ड एज होम बार-बार उसमें दो साल काम रुकता है फिर वो खंडहर बनता है फिर उसमें पैसा लगाया जाता है। फिर दो साल काम रुकता है फिर उसमें पैसा लगाया जाता है। अभी भी एमसीडी ये नीति साफ नहीं कर पायी है कि इसका क्या होगा। उसी तरीके से सभी साथियों ने बताया। जिस तरह से कूड़ा-कूड़ा, पार्को में कूड़ा, गलियों में कूड़ा, अब तो जितने भी पीडब्लूडी की रोड है। सभी साथियों को पता होगा। राजेश ऋषि भाई ने अभी बताया कि पीडब्लूडी के रोड पर जितने भी इन्फ्रोचमेन्ट एमसीडी के द्वारा पैसा ले लेकर कराया जा रहा है। चाहे वो रेहड़ी वाले हो, चाहे वो दुकान वाले हो, चाहे पटरी वाले हों, उनको किसी को 3 हजार, किसी को 4 हजार, किसी को 10 हजार, किसी को 50 हजार में गुमटी बैठा-बैठाकर वहाँ पर दुकानें लगायी जा रही हैं और जब पीडब्लूडी से हम सब बात करते हैं कि ये इन्फ्रोचमेन्ट बढ़ रहा है तो

पब्लिक तो जानती है। हमारी पब्लिक को उतना पता नहीं है। पीडब्लूडी के रोड पर तो दिल्ली सरकार जिम्मेदार है। जब पीडब्लूडी के साथियों से हम सब बात करते हैं तो कहते हैं कि इन्क्रोचमेन्ट हटाने का जितने भी काम है एमसीडी को दी गयी है और एमसीडी ही इस इन्क्रोचमेन्ट को हटायेगी और डे बाई डे चुनाव आते तो ऐसी भरमार लग जाती है, चुनाव के पहले रोड पर एक इंच जगह नहीं बच रही है।

माननीय अध्यक्ष: बन्दना जी कन्क्लूड करिये। प्लीज कन्क्लूड करिये।

श्रीमती बन्दना कुमारी: और लगातार इन्क्रोचमेन्ट रोड के दोनों साइड जो फुटपाथ है आज लोगों को चलने के लिए जगह नहीं बची है और डे बाई डे उस पर इन्क्रोचमेन्ट होती जा रही है। तो अध्यक्ष जी ये बहुत ही गम्भीर मामला है और हम सब को मिलकर इसे गम्भीरता से लेना पड़ेगा। जिस तरह से हमारे सीनियर सिटीजन, चाहे कोई भी साथी आज के डेट में पैदल चलने के लिए फुटपाथ ढूँढ़ता है लेकिन दिल्ली के अन्दर, दिल्ली की सड़कों पर फुटपाथ का नामोनिशान खत्म होता जा रहा है। पार्किंग को लेकर हम सब उसी तरह परेशान हैं। आये दिन हमारे क्षेत्र में दो ऐसी मौतें हुई जो पार्किंग की वजह से हुई और पार्किंग को लेकर कोई भी पॉलिसी एमसीडी नहीं बना पा रही है अभी तक और रोड पर पूरा एक लेयर पहले गाड़ी लगती थी अब दो लेयर, तीन लेयर लग गयी हैं। तो मैं अध्यक्ष जी आपके माध्यम से चाहती हूँ कि इस गम्भीर मुद्दे पर हम सब कोई ठोस निर्णय लें और ठोस रास्ता निकालें। जय हिन्द, जय भारत।

माननीय अध्यक्ष: श्रीमान् अब्दुल रहमान जी।

श्री अब्दुल रहमान: बहुत-बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आपने इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर मुझे बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं एक चीज सदन के

सामने बताना चाहता हूं। अभी मेरे एक साथी यहाँ बता रहे थे कि घूसखोर सरकार और ब्याज 12 प्रतिशत वसूल रही है लेकिन वो ये भूल गये कि पैसा अगर बाप ने लिया तो बेटा चुकायेगा। किसी भी टाईम में किसी की भी सरकार होगी। 1997 में निगम दिल्ली का बना और दिल्ली की सरकार से जो कर्ज लिया गया उसे भुगताने की बजाय उन्हें और पैसे की भूख इतनी बढ़ गयी। मैं समझता हूं अगर एमसीडी अपना काम ईमानदारी से कर लेती, हर वार्ड के अन्दर 150 से 200 कर्मचारी हैं अध्यक्ष महोदय और जितने विपक्ष के पार्षद हैं उनके कर्मचारी भी खींचखींच कर भाजपा के पार्षदों को दे दिये गये हैं और होता क्या है वहाँ खेल कि वहाँ अगर एक वार्ड में तीन सौ कर्मचारी हैं डेली बेसिस वाले और परमानेंट मिलाकर तो मात्र 70 से 75 कर्मचारी काम पर आते हैं और बाकी कर्मचारियों से 5000, 7000 रुपये महीना का लेकर पार्षद को दिया जाता है। वो इन्स्पेक्टर और पार्षद के बीच बन्दर बाँट होती है। इस तरह से ढाई लाख, तीन लाख रुपये महीना इनका एक पार्षद लेता है और उस लूट को न तो उसके चलते नालियाँ साफ हो पाती है, ना कूड़ा प्रॉपर उठ पाता है। किसी भी वार्ड में, आप हर वार्ड का हाल ये देख लीजिए और अगर ईमानदारी से निगम अपने कर्मचारियों को ड्यूटी पर बुलाते तो दिल्ली की सड़क पर एक भी, एक कील क्या एक तिनका नजर नहीं आता जितने कर्मचारी निगम में कार्यरत हैं। कर्मचारी पूरी ईमानदारी से काम को करना चाहते हैं लेकिन पार्षद लोग उनको वापसी भेजते हैं ये कहकर कि कोई अपना काम देख तेरी हाजिरी लग जायेगी। तुम पांच हजार रुपये महीना यहाँ दे देना इन्स्पेक्टर को। ये इस तरह का भ्रष्टाचार निगम में शुरू से चलता रहा है। हद तो यहाँ हुई कि कोरोना काल में एक किसी की डेथ हुई। वो बेचारी विधवा औरत हमारे यहाँ मुस्लिम समुदाय में अध्यक्ष महोदय होता क्या है कि किसी के शौहर की अगर डेथ हो जाये पति की तो फौरी तौर

पर चार महीना दस दिन के लिए इद्दत में बैठना पड़ता है। वो महिला बाहर नहीं जा सकती। अब वो चार महीने तक अपना पति का डेथ सर्टिफिकेट नहीं बनवा पायी। उसके बाद उसने लगभग एक महीना जब निगम के चक्कर काट लिये और उसके पति का डेथ सर्टिफिकेट नहीं बनाया गया तब मैंने जाकर एक बार उसके लिए एक चिट्ठी लिखी कि भई इसका डेथ सर्टिफिकेट बनाया जाये तो वहां उससे तीन हजार रुपये की मांग की गयी कि तीन हजार रुपये दे दो, कल तक डेथ सर्टिफिकेट बनकर मिल जायेगा। मेरे पास वो महिला भी है। गवाही देने के लिए सारे सबूत मौजूद हैं। फिर मैं डीएचओ के पास गया। डीएचओ के पास जाकर मैंने हाथ के हाथ उसका रिलीज कराया। मैंने उनको कहा कि मैडम ये एक विधवा महिला है जिसके पास खाने के लिए रोटी नहीं है क्या ये तीन हजार रुपये की रिश्त देगी। तो जिन्दों की तो बात छोड़ दीजिये कि बर्थ सर्टिफिकेट पर पैसे लेना, ये तो डेथ सर्टिफिकेट वालों को नहीं छोड़ते। उनसे भी हजार, पांच सौ रुपये वसूले बिना ये काम नहीं करते। बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।

माननीय अध्यक्ष: धन्यवाद रहमान जी। श्री मोहन सिंह बिष्ट जी। उसके बाद आतिशी जी और सौरभ भारद्वाज जी।

श्री मोहन सिंह बिष्ट: आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे अल्पकालिक चर्चा में नगर निगमों के वित्तीय कुप्रबन्धन और भ्रष्टाचार पर चर्चा करने के लिए समय दिया उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, वास्तव में इस सदन में बहुत लम्बे समय से और आपके जैसे लोगों के नेतृत्व में यहाँ सीखने को बहुत सी चीजें सब लोगों को मिल रही है लेकिन मैंने एक वो समय भी देखा जब नगर निगम का ट्राइफरकेशन हुआ। नगर निगम को तीन भागों में बांटा गया और तीन भागों में इसलिए बांटा गया जो मैं मानता हूँ कि दिल्ली

की सरकार चाहती थी कि दिल्ली के लिए एक अच्छा काम कर सकें। हम ठीक वित्तीय सहायता देकर उन कामों को आगे ले जा सकें। दिल्ली के लोगों को नारकीय जीवन यापन करने से, उनको एक अच्छे माहौल में रहना सीखा सके। इसलिए इसकी नींव डाली गयी।

H/vkt

लेकिन मैं कल से ही सदन के अंदर बहुत सी बातों को देख रहा था। गायों के बारे में जिस प्रकार की चर्चा हो रही थी अध्यक्ष जी, सदन के अंदर आपको भी मालूम है, हम सब लोगों को मालूम है। ये सदन कोई नगर निगम नहीं है, दिल्ली का सदन है। हमें शब्दों का उच्चारण कैसे करना चाहिए, बहुत सी बातों को आपके माध्यम से सीखा जाता है। मुझे आज खुशी इस बात की हुई कि जिस प्रकार की रूलिंग आपने देने का प्रयास किया, वास्तव में आप अभिनंदन के पात्र हैं, टोकाटाकी सिस्टम को खत्म करके साइलेंट ड्राप में हाउस चले, यदि मैं कोई गलत बात बोलता हूं तो उसका जवाब देना चाहिए। लेकिन भ्रष्टाचार के बारे में जिस प्रकार के आरोप और प्रत्यारोप अध्यक्ष जी लगाए जा रहे हैं, एक कहावत है अध्यक्ष जी, छाछ तो बोले बोले छलनी भी बोल रही है जिसमें हजारों छेद हैं, जिनके बीती में एक नहीं अनेक अनियमितताएं हैं। अध्यक्ष महोदय, यदि हम दिल्ली को लें, दिल्ली के रेवेन्यू को देखते हैं वास्तव में हमको प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी का अभिनंदन करना चाहिए जो पूरे देश के अंदर उन्होंने एक ऐसा मॉडल प्रस्तुत किया यदि किसी अन्य प्रदेशों को पैसा एक्स्ट्रा दिया जाता है तो दिल्ली को भी दिया गया। दिल्ली के वित्तीय संकट को खत्म करने का बहुत बड़ा काम किया और यही नहीं अध्यक्ष महोदय, दिल्ली ठीक ढंग से चल पड़े, इस प्रकार का कदम है। दूसरा मैं अभी यही सदन के अंदर सुन रहा था, नावल्टी सिनेमाघर के बेचने में आरोप और प्रत्यारोप लग रहे थे। अध्यक्ष महोदय, मैं

आपके माध्यम से एक निवेदन करना चाहता हूँ। जब दिल्ली नगर निगम ने दिल्ली सरकार से निवेदन किया कि आप इस नावेल्टी सिनेमा जो इसका 36 करोड़ रुपये में इसमें ईमानदारी के साथ बिड डालकर इसका टेंडर हुआ, यदि आप उसमें 150 करोड़ रूपया उसके भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो 10 करोड़ रूपया एक्स्ट्रा देकर के आप उसको खरीद लेते, आपने क्यों नहीं किया ये काम। क्योंकि आरोप और प्रत्यारोप न लगाकर के हमको कहीं न कहीं एक राजनीतिक परिदृश्य में इस बात को रखना चाहिए ये मैं कहना चाहता हूँ। दूसरी बात मैं कल देख रहा था अध्यक्ष जी कि इसी सदन के अंदर हमें ऐसे शब्दों से भले ही वो सत्ता पक्ष हो, विपक्ष वाला हो, हम सदन के सदस्य हैं इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इसी सदन में कहा गया गोमूत्र में इनको डुबो देना चाहिए, ये कौन सी सभ्यता है? क्या दर्शाना चाहते हैं आप? दिल्ली के अंदर इस सदन का ये कैसा उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते हैं आप? अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है, नम्र निवेदन है कि सदन के अंदर शब्दों का उच्चारण ठीक हो जिससे लगे कि वास्तव में हम इस सदन के सदस्य हैं, ऐसे आम जनमानस में हमारी बात जानी चाहिए ये मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ। अध्यक्ष जी, यही नहीं हम भ्रष्टाचार के बहुत से आरोप लगा रहे थे। मैं कुछ आंकड़ें लेकर आया हूँ अध्यक्ष महोदय, हमारी नगर निगम द्वारा एक बार नहीं, अनेकों बार जो नगर निगम की वजह से नगर निगम को परेशानियां हो रही हैं उनके बारे में कई बार इस प्रकार की बातें की कि वित्तीय सहायता हमको दी जाए। मैं आज पूछना चाहता हूँ यदि दिल्ली के अंदर कोविड होता है, उस कोविड जैसी महामारी के अंदर कौन सी सरकार आम जनमानस में जाकर वहां के लोगों की समस्याओं को सुनते हुए, यही नहीं, फॉगिंग मशीन मंगाई गयी, वो जापान वाली फॉगिंग मशीन तो हमें कहीं नजर नहीं आई लेकिन वहां सिर्फ आ रही थी दिल्ली नगर निगम

की गाड़ियां जो हर गली और कूचे में जाकर इस प्रकार का कार्य कर रही थी ये दिल्ली नगर निगम ने किया लेकिन आज तक उन नगर निगम के लोगों का पैसा नहीं दिया गया। यही नहीं अध्यक्ष महोदय, बहुत से कर्मचारियों की प्राणलीला समाप्त हो गयी लेकिन उनको कहीं वित्तीय मदद नहीं की गयी। यही नहीं अध्यक्ष महोदय, यदि हम देखें तो वित्तीय बजट के तहत आज भी नगर निगम की बहुत सी ऐसी बकाया राशि इस सरकार के पास पड़ी है। ठीक कह रहे थे विजेंद्र गुप्ता जी, आपके लोगों को बुरा लगा होगा लेकिन साढ़े 12 परसेंट जो रेवेन्यू पर जिस प्रकार की कटौती और बार बार कह रहे हैं नगर निगम का पैसा, नगर निगम ने एक्स्ट्रा पैसा दिल्ली की सरकार को दिलाना है। अध्यक्ष महोदय, आज भी चौथा डीएफसी अतिदेय राशि का 2985 करोड़ रूपया और जिसका ब्याज 3098 करोड़ रूपया कुल अतिदेय 6038 करोड़ रूपया ये जारी नहीं किया। यही नहीं, ईडीएमसी की आज भी कर्मचारियों के हित में तत्काल से कोई इस प्रकार का काम नहीं किया गया जिससे उनकी सैलरी वगैरह राशि जारी की जाए। 5वां अध्यक्ष महोदय,

माननीय अध्यक्ष: कंकल्यूड करिए, नहीं, देखिए समय की एक सीमा है मैंने 3-3 मिनट बोलने का मौका दिया है बाकी लोगों को। आप दो मिनट में कंकल्यूड करिए प्लीज।

श्री मोहन सिंह बिष्ट: मैं आपकी बात जरूर मानूंगा। मैंने कल से प्रण लिया है।

माननीय अध्यक्ष: पूरे 10 मिनट।

श्री मोहन सिंह बिष्ट: सर मैं आपको डिस्टर्ब नहीं मैं बैठा रहूंगा।

माननीय अध्यक्ष: पूरे 10 मिनट लिए हैं 2 मिनट में कंकल्यूड करिए।

श्री मोहन सिंह बिष्ट: आप यदि कहेंगे 2 मिनट में बोल देंगे।

माननीय अध्यक्ष: कंकल्यूड करिए प्लीज।

श्री मोहन सिंह बिष्ट: अध्यक्ष महोदय, यही नहीं आज भी यदि हम देखें तो चौथे डीएफसी के अनुसार कुल बकाया ब्याज सहित राशि 245.93 करोड़ जिसका टोटल बनता है 6083 करोड़ और ईडीएमसी कर्मचारियों के वेतन के भुगतान की बकाया राशि को जारी करने को फिर से गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली नगर निगम के एक नहीं अनेक इस प्रकार के उदाहरण हैं। लेकिन जिस प्रकार आपने कहा, आज मैंने शुरू में ही बात की कि कल से आप देख रहे होंगे, यदि आप समय देंगे, हम समय का अनुपालन करेंगे। लेकिन मैं पुनः आपके माध्यम से आरोप और प्रत्यारोप से हटकर किस प्रकार से सार्थकता से हम इसको लेकर चल सकें इस प्रकार का होना चाहिए। आपने मुझे बोलने का समय दिया आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: बहुत बहुत धन्यवाद मोहन जी। मैडम आतिशी जी।

सुश्री आतिशी: धन्यवाद अध्यक्ष महोदय कि आपने मुझे एक ऐसे मुद्दे पर बोलने का मौका दिया जिससे दिल्ली की जनता त्रस्त है, दिल्ली की जनता परेशान है। अगर आप दिल्ली के आम जनमानस से पूछिए कि जो हम बार बार एमसीडी एमसीडी करते हैं उस एमसीडी का फुल फार्म क्या है तो मैं आज आपको लिखकर दे दूंगी कि 90 परसेंट दिल्ली वाले कहेंगे कि एमसीडी का फुल फार्म है मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट क्योंकि दिल्ली वालों को यही पता है। यहां पर हमारे साथी कहते हैं कि एमसीडी के पास पैसा नहीं है। मैं उनसे आग्रह करूंगी विजेन्द्र गुप्ता जी हैं नहीं यहां पर, पर वो हमेशा हाउस में बहुत रिसर्च करके आते हैं। मैं विजेन्द्र गुप्ता जी से आग्रह करूंगी कि अपनी रिसर्च में कभी दिल्ली

सरकार के फाइनांशियल मॉडल पर भी रिसर्च करिए। आप देखेंगे कि 2015 में जब अरविंद केजरीवाल जी की दिल्ली में सरकार बनी थी तो दिल्ली की सरकार घाटे में चलती थी, डेफिसिट में चलती थी। अगर आप दिल्ली की सरकार का रेवेन्यू देखें तो 2010 में दिल्ली का टोटल रेवेन्यू 25 हजार करोड़ होता था। 2015 में 5 साल के समय में वो बढ़कर सिर्फ 30 हजार करोड़ तक पहुंचा लेकिन 5 साल में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने एक भी टैक्स बढ़ाए बिना 5 साल में इस रेवेन्यू को 30 हजार करोड़ से 60 हजार करोड़ तक पहुंचा दिया, ये अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है। विजेंद्र गुप्ता जी वापिस आएंगे तो मैं उनसे ये आग्रह करूंगी कि ये रिसर्च करके कृपया कुछ एमसीडी को भी सिखाएं। एमसीडी के पास आय के कितने स्रोत हैं? उनके पास हाउस टैक्स है, उनके पास कमर्शियल प्रापर्टी टैक्स है, वो पार्किंग से पैसा लेते हैं, वो Advertisements का पैसा लेते हैं, टोल से पैसा लेते हैं, उनके पास रेवेन्यू के इतने सोर्सिस हैं लेकिन आज तक जब से 15 साल से एमसीडी में भाजपा की सरकार है, एमसीडी की सरकार शुरू घाटे से होती है, अंत घाटे पर होती है। ये एमसीडी की फाइनांशियल सच्चाई है। लेकिन रेवेन्यू बढ़ेगा कैसे? क्योंकि एमसीडी में तो भाजपा में एक चीज बढ़ती है कि उनके पार्श्वों की गाड़ी का साइज बढ़ जाता है, उनके पार्श्वों के मकानों का साइज बढ़ जाता है, भाजपा के पार्श्वों का बैंक बैलेंस बढ़ जाता है लेकिन भाजपा शासित एमसीडी की आय नहीं बढ़ती है, उनकी रेवेन्यू नहीं बढ़ती है, उनका पैसा नहीं बढ़ता है। अध्यक्ष महोदय, जो जो काम डीएमसी एक्ट एमसीडी को देता है, हर काम में घोटाला निकलकर आता है। एमसीडी को काम दिया गया है कि साफ-सफाई करें, तो कुछ समय बाद पता चलता है कि जो सफाई की मशीनें हैं, जो कूड़े को मैनेज करने के लिए मशीनें खरीदनी होती हैं उनकी खरीद में घोटाला हो जाता है। एमसीडी को काम

दिया जाता है कि डेंगू, मलेरिया से बचाने के लिए फॉगिंग की जाए, तो जो फॉगिंग की दवा होती है उसकी खरीद में घोटाला हो जाता है। एमसीडी को काम दिया जाता है कि हाउस टैक्स इकट्ठा करिए, तो हाउस टैक्स में घोटाला हो जाता है। कल गौशालाओं पर इतनी चर्चा हुई, तो जो काम एमसीडी को दिया गया था गौशाला मैनेज करने का, वहां पर पशुओं की देखरेख करने का, तो गौशाला का चारा खरीदने तक में घोटाला हो जाता है, ये एमसीडी की सच्चाई है। और ये घोटाले और एमसीडी कितना भ्रष्टाचार कर रही है ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। आप दिल्ली के किसी भी हिस्से में जाएं, हरेक आम इंसान आपको बता देगा कि जब सफाई करनी होती है तो फोन करते हैं लेकिन कोई नहीं आता। जब डेंगू से बचाने के लिए फॉगिंग करनी होती है, हम पार्षद को फोन करते हैं, कोई नहीं आता। हम एमसीडी के कर्मचारी को फोन करते हैं, कोई नहीं आता लेकिन जैसे ही हम अपने घर में एक इंट भी डालते हैं तो पार्षद आ जाते हैं उगाही करने के लिए, जैसे जादू की तरह प्रकट हो जाते हैं। दिल्ली का हर निवासी आपको ये बता देगा। तो ये भ्रष्टाचार की स्थिति है दिल्ली में भाजपा शासित एमसीडी में। लेकिन अध्यक्ष महोदय, ये भ्रष्टाचार तो 15 साल से चल ही रहा था लेकिन पिछले 6 महीनों में भाजपा शासित एमसीडी ने भ्रष्टाचार की सारी हदें पार कर दी। क्यों? क्योंकि अब उनको समझ में आ गया है कि दिल्ली की जनता उन्हें एमसीडी से निकाल बाहर करने वाली है। तो उन्होंने ये सोच लिया है कि अब आखिरी कुछ महीनों का समय है जितनी चोरी कर सकते हैं कर लें, जितनी अपनी जेब भरनी है भर लें, जितना भ्रष्टाचार करना है कर लें और उसमें अगर हमें एमसीडी की सारी एसेट्स बेचने पड़ जाएं, औने-पौने दामों पर बेचने पड़ जाएं, कौड़ियों के दामों पर बेचने पड़ जाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और आजकल आप नॉर्थ एमसीडी, साउथ एमसीडी का जब भी

उनकी मीटिंग होती है, जब भी हाउस बैठता है, जब एजेंडा आता है हर बारी एजेंडा में देखेंगे कि कोई न कोई सरकारी प्रापर्टी को बेचा जा रहा है, प्राइवेट कंपनीज को लीज पर दिया जा रहा है। यहां पर नावल्टी सिनेमा की बात हुई, उसको इतने सस्ते दामों पर दिया गया लीज पर। संजीव जी ने बताया बिलकुल किस तरह से बिडिंग पैटर्न ही भ्रष्टाचार दिखाता है वो प्रस्तुत किया। आप पार्किंग्स देखिए, मल्टीलेवल पार्किंग्स को प्राइवेट कंपनीज को दिया जा रहा है। आप जो संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर है वहां पर 132 ऐसे प्लॉट्स हैं जिनको सस्ते दामों पर अलग अलग प्राइवेट कंपनियों को लीज पर दिया गया है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, इसमें सबसे ज्यादा चिंता का विषय यह है कि अब पैसे की ऐसी हवस हो गयी है भाजपा शासित एमसीडी को कि पार्किंग तो छोड़िए, नावल्टी सिनेमा तो छोड़िए, प्लॉट तो छोड़िए, अब वो सरकारी स्कूलों को भी बेचने लग गए हैं, ये पैसे की हवस हो गयी है। आज एमसीडी में ये हालात हैं, हम सब को पता है कि एमसीडी के स्कूल कितने बुरे हाल में हैं। एमसीडी के स्कूल 5वीं तक चलते हैं। जब वो बच्चे 5वीं खत्म करके छठी क्लास में दिल्ली सरकार के स्कूलों में आते हैं तो जब हमने अपने स्कूलों में बच्चों का टैस्ट लेना शुरू किया, उनके सब्जेक्ट के टैस्ट नहीं, बस कि उन्हें किताबें पढ़नी आती हैं कि नहीं आती हैं, उन्हें हिंदी पढ़नी आती है कि नहीं आती है, उन्हें 4 को 6 से जमा करना आता है कि नहीं आता है, तो पता चला कि जो बच्चे एमसीडी के स्कूलों से आते हैं 75 परसेंट ऐसे बच्चे हैं जिनको अपनी किताब तक पढ़नी नहीं आती है।

1-54-55-0

I/बीएम

ये है भाजपा शासित एमसीडी के स्कूलों का हाल। एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है जिसने दिल्ली के सरकारी स्कूलों को सुधारने का काम किया और दूसरी तरफ भाजपा शासित एमसीडी है जिन्होंने स्कूलों का बेड़ा

गर्क कर दिया और आज उन स्कूलों को सुधारने की जगह उन स्कूलों को बेच रही है, कौड़ियों के दाम बेच रही है। अध्यक्ष महोदय, ये हमारे देश के लिए शर्म की बात है कि आज एमसीडी के 14 स्कूलों को प्राइवेट कोचिंग कंपनिज को लीज पर दिया गया है, सस्ते दामों पर लीज पर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि एमसीडी ने अपने हाथ खड़े कर लिये कि हम स्कूल तो चला नहीं सकते हैं, कम से कम उनको बेचकर हम अपनी जेब में ही पैसा भर लेते हैं, ये भाजपा कर रही है। बंदना जी ने अभी बताया शालीमार बाग के एसी ब्लॉक में एक प्राइमरी स्कूल है। उस प्राइमरी स्कूल को एक प्राइवेट कंपनी को पार्किंग बनाने के लिए बेच दिया गया। हम जिस देश में सरस्वती की पूजा करते हैं उस देश में भाजपा शासित एमसीडी की सरकार है जो स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के बजाय, स्कूल में बच्चों की पढ़ाई सुधारने की बजाय प्राइवेट कंपनियों को स्कूल बेच रही है। क्या ये हालत आ गई है आज हमारे देश की? हम संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर की बात करते हैं। वहां पर कम से कम 90 ऐसे प्लॉट थे जो स्कूलों के लिए थे, जो अस्पतालों के लिए थे। दिल्ली सरकार बार-बार एमसीडी को भी, डीडीए को भी लिखती रही है कि हमें स्कूल बनाने के लिए प्लॉट चाहिए, हमें अस्पताल बनाने के लिए प्लॉट चाहिए लेकिन स्कूल और अस्पताल बनाने के लिए भाजपा शासित एमसीडी थोड़े ही प्लॉट देगी। वो तो प्राइवेट कंपनियों को बेचेगी, वो प्राइवेट कंपनियों को लीज पर देगी क्योंकि दिल्ली सरकार को प्लॉट देने से उनकी जेब में पैसा कैसे आएगा। अध्यक्ष महोदय, यही कारण है कि आज दिल्ली की जनता ने अपना मन बना लिया है। आज दिल्ली की जनता ने अपना मन बना लिया है कि 15 साल भाजपा शासित एमसीडी के इस भ्रष्टाचार को देखने के बाद इस बार दिल्ली की जनता ने अपना मन बना लिया है कि भाजपा को तीनों एमसीडी से निकालकर बाहर करना है। चिंता तो मुझे

इस बात की है कि भाजपा को भी पता है कि वो निकाल बाहर होने वाले हैं। तो पता चला कि अप्रैल में जब तक चुनाव आए और वहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार बने, इन्होंने एमसीडी के सारे स्कूल, सारे अस्पताल बेच दिए हों, सारी पार्किंग बेच दी हों कि कोई आकर वहां पर ठीक से सरकार चलाना भी चाहें तो सरकार चलाने के लिए कुछ बचे न, ये डर है मुझे अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से, आपके माध्यम से चाहूंगी कि जो भ्रष्टाचार भाजपा शासित एमसीडी कर रही है उस पर इन्क्वायरी होनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: बहुत-बहुत धन्यवाद। सौरभ भारद्वाज।

श्री सौरभ भारद्वाज: अध्यक्ष जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि जितने विधायक साथी हमारे बीच में बैठे हुए हैं, चाहे वो सत्तापक्ष के हों, चाहे वो प्रतिपक्ष के हों, सब विधायकों का सीधा-सीधा जो संपर्क है वो अपनी एरिया के पार्षदों के साथ रहता है। अक्सर हम जब क्षेत्र में जाते हैं और आप कोई भी किसी भी मीटिंग की आप लाइव रिकार्डिंग करा लीजिए चाहे वो रामवीर सिंह बिधूड़ी जी अपने क्षेत्र में मीटिंग कर रहे हों, चाहे वो आतिशी जी कर रही हों, चाहे वो दिलीप पांडेय कर रहे हों, चाहे वो संजीव झा कर रहे हों, चाहे वो विजेन्द्र गुप्ता जी कर रहे हों, विधायक की मीटिंग में, अगर वो पब्लिक के साथ मीटिंग है तो अगर उसके अंदर 100 कंप्लेंट आती हैं तो 100 में से 80 कंप्लेंट एमसीडी के बारे में आती है, हम सब लोग जानते हैं। आवारा कुत्तों की समस्या हर कंप्लेंट में होती है, बंदरों की समस्या, आवारा पशुओं की समस्या, पार्कों में माली नहीं आते, कालोनी के अंदर की सड़कें टूटी हुई हैं, कालोनी के अंदर जो लाइटें हैं वो जलती नहीं हैं, सारी की सारी समस्याएं, बरसात के अंदर कालोनियों के अंदर पानी भर जाता है। आप और ये सब विधायक जितने भी यहां बैठे हैं

सब लोग अपने दिल में जानते हैं ये बात कि एमसीडी से लोग बहुत ज्यादा परेशान है और मुझे लगता है कि थोड़ी सी ईमानदारी हमें अपने वक्तव्यों में रखनी चाहिए। एमसीडी से लोग बहुत परेशान है। अब सवाल ये आता है कि एमसीडी के पास पैसा क्यों नहीं है। अध्यक्ष जी, किसी भी विश्व की सरकार को आप लें, चाहे वो किसी देश की सरकार हो, किसी राज्य की सरकार हो, कोई नगर निगम की सरकार हो, आपके पास रेवेन्यू जमा करने के संसाधन होते हैं जैसा आतिशी जी ने बताया। एमसीडी के क्या संसाधन है वो हम सबको पता है। दिल्ली सरकार के क्या संसाधन है सबको पता है। केन्द्र के क्या संसाधन है सबको पता है और अगर बड़े लेवल पर कहीं पर भ्रष्टाचार करना हो तो ये हर सरकार को पता है कि ये पैसा आपको पब्लिक की जेब से लेना है। पब्लिक की जेब से तो वो पैसा जाएगा, अब वो या तो आप उसको अपनी जेब में भर लो या आप उसको सरकार की तिजोरी के अंदर भर दो ये दो च्वाइस हमेशा हर सरकार के पास होती है, एमसीडी के पास भी है। इनके सबसे बड़े सोर्स क्या है और देश में किसी नगर निगम के पास टोल टैक्स का इतना बड़ा सोर्स नहीं है जितना दिल्ली नगर निगम के पास है। उसका कारण ये है अध्यक्ष जी, दिल्ली एक सिटी भी है और एक स्टेट भी है। तो जो सारा का सारा बार्डर है दिल्ली का वो दिल्ली नगर निगम के पास टोल टैक्स के रूप में आता है और कोई अगर आप नगर निगम देखें, बाम्बे देखें, बैंगलोर देखें, हैदराबाद देखें तो उनके पास राज्य का कोई बार्डर नहीं लगता। उनके पास कोई टोल टैक्स का पैसा नहीं आता। दिल्ली नगर निगम के पास हजारों करोड़ रुपये टोल टैक्स का आ सकता है। दिल्ली के अंदर करीब 1100 किलोमीटर सड़कें हैं, पीडब्ल्यूडी की सड़कें, एमसीडी की सड़कों को छोड़ दें। सिर्फ पीडब्ल्यूडी की सड़कों को ही हम ले लें और हम सब लोग रोज सड़क पर जाते हैं सारे पत्रकार सड़क पर निकलते

हैं, रामवीर जी भी निकलते होंगे, विजेन्द्र गुप्ता जी भी निकलते होंगे। आप सड़क पर दोनों तरफ देखते हुए जाओ सारी सड़कों पर जो होर्डिंग लगे हुए हैं एक-एक होर्डिंग का किराया एक से डेढ़ लाख रुपये महीने का किराया है और आप सारे होर्डिंग देख लीजिए 85 परसेंट होर्डिंग भाजपा के नेताओं के लगे हुए हैं। यहां पर बता दीजिए रसीद लाकर दिखा दो कितनों की पेमेंट आप लोगों ने की है। भाजपा का जो अपना दिल्ली का नेतृत्व है, भाजपा की कोई भी कंपेन होती है वो सारे होर्डिंग दिल्ली की सारी सड़कों पर देखे जाते हैं। वो पिछले 5 साल का दिखा दे भाजपा ने कितनी पेमेंट की है। जो आपका मेन सोर्स है, टेंडर ही नहीं हुआ। जो आपका मेन सोर्स है इन्कम का उसको तो आप लूट रहे हैं और फिर आप कहते हैं हमारी तिजोरी खाली रह गई। पार्किंग का ले लीजिए, पार्किंग के अंदर जितनी बड़ी-बड़ी पार्किंग है उन पर पार्किंग माफियाओं का कब्जा है। वो पार्किंग माफियाओं का कब्जा नहीं होगा तो आप उससे रेवेन्यू जेनरेट कर सकती हैं, एमसीडी की तिजोरी में आएगा पैसा। आप मकान बना लीजिए, अध्यक्ष जी मुझे लगता है हर विधायक इस बात को जानता है, चाहे वो बीजेपी के हों, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे वो आम आदमी पार्टी के हों, अब तो कांग्रेस के बचे नहीं कि आपके एरिया में अगर आप मकान बनाओगे, हर लेंटर के पैसे हैं, कहीं पर 20 हजार हैं, कहीं पर 50 हजार हैं, कहीं पर 5 लाख हैं पर लेंटर का पैसा है। अब ये तो आपकी च्वाइस है न, वो पैसा या तो एमसीडी वाले अपनी जेब में डाल ले या आप किसी तरीके से उसको रेवेन्यू की सेफ में, एमसीडी की तिजोरी में लेकर आए। इसके ऊपर आपको एक सार्थक चर्चा करने की जरूरत है, इस पर विचार करने की जरूरत है कि जिस तरीके से लूटमार हो रही है वो ठीक नहीं है और वो सस्टेनेबल नहीं है। लोग कब तक उस चीज को सहेंगे। तीसरी बात अध्यक्ष जी, 2017 का चुनाव था। हमने तो नहीं कहा बीजेपी के

केन्द्रीय नेतृत्व ने कहा कि जितने भी भाजपा के काउंसलर हैं, जितने भी भाजपा के पार्षद हैं वो बेहद बदनाम हैं। अगर उनको दोबारा टिकट दे दी, उनको क्या अगर उनके परिवार में भी किसी को दोबारा टिकट दे दी तो सारे हार जाएंगे ये तो केन्द्रीय नेतृत्व ने मानी बात, हमने कोई न बोला। 2017 में इन्होंने सर्टिफिकेट बांट दिए सारे के सारे पार्षद, सबके टिकट काटे गए, वो सारे के सारे बदनाम थे। भई सारे के सारे बदनाम थे सबके काटे टिकट। इसका मतलब भाजपा का केन्द्रीय नेतृत्व इस बात को जानता था। तो यहां पर इस हाउस के अंदर हम कोई ऐसा तरीका निकालें, कोई ऐसी पोजिटिव बातचीत करें कि इसको कैसे रोका जा सकता है। ये सब हम जानते हैं, हम सब समझते हैं कि इसके अंदर बड़े लेवल पर भ्रष्टाचार है और अभी एक नया ट्रेंड चलना शुरू हो गया है कि मतलब आप ये समझिए जब आपका कोई परिवार पूरा कंगाल हो जाता है तो आप घर के गहने बेचते हो और अब तो ये उस हालत पर आ गए हैं कि घर के गहने बेच रहे हैं। ये जो संपत्तियां एमसीडी की, एमसीडी के स्कूल है, एमसीडी के अस्पताल है, एमसीडी की डिस्पेंसरी है, एमसीडी की जमीनें हैं अब इन जमीनों को बेच रहे हैं। अच्छा और क्या ऑफर दे रहे हैं, कह रहे हैं कि भई वो जो सिनेमाघर की जमीन है हमने प्राइवेट आदमी को तो 31 करोड़ में बेच दी और दिल्ली सरकार डेढ़ सौ करोड़ में ले लें। भई तुम जो प्राइवेट के अंदर दे रहे हो उसी रेट में क्यों नहीं दे देते दिल्ली सरकार को, वो कौन लगते हैं। दिल्ली सरकार को दे दो, दिल्ली सरकार ने ऑफर किया जहां-जहां बेच रहे हो ओपन ऑफर ले लो कि जहां-जहां पर भी हो वो आप हमें दे दो। तो ये चीज सबको नजर आ रही है और अध्यक्ष जी, मैंने तो टेंडर देखे हैं। अगर किसी जमीन का रिजर्व प्राइज रखा हुआ है 30 करोड़ तो उसमें दो बिड आती है। एक आती है 30 करोड़ 15 लाख, एक आती है 30 करोड़ 16 लाख, भगवान आ रहे हैं क्या

सपने में, मतलब ये कैसे हो सकता है और मैंने इनके बहुत सारे टेंडर देखे। जितने भी जमीनों के टेंडर हो रहे हैं उसके अंदर एक-एक लाख के मार्जिन में दो बिड आ रही है या तीन बिड आ रही है वो भी तीनों बिड आसपास की और ऊपर वाली बिड को जो है दे देते हैं रिजर्व प्राइस से मात्र थोड़ा सा ऊपर। तो इसके अंदर बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है और दिल्ली के लोग बहुत परेशान हैं। कल भी जब ये गाय का मुद्दा चला, उस गाय के मामले को गलत तरीके से मोड़ा गया। अध्यक्ष जी, मैं दो मिनट और लूंगा क्योंकि आज हमारे पत्रकार साथी भी हैं। दो तरह की गाय दिल्ली की सड़कों पर घूमती हैं, एक दूध देने वाली गाय और एक जो दूध नहीं देती है। जो गाय दूध देती है उनको आपको गौशाला में जमा नहीं कराना उसका कानून अलग है। गाय अगर दूधारू है तो उसका कानून ये है कि आप उसका ऑक्शन करेंगे। ऑक्शन करके ऐसे आदमी को वो देंगे जो दिल्ली में नहीं रहता हो उत्तर प्रदेश या हरियाणा वगैरह कहीं का आदमी हो। अब यहां पर एमसीडी के यहां पूरी सेटिंग चलती है। आप दूध देने वाली गाय किसी की उठाते हो, दिल्ली के ही किसी आदमी को बाहर के एड्रेस पर आप उसको गाय वापिस कर देते हो और वो गाय वापिस आपकी सड़कों पर आ जाती हैं। गौशालाओं की कमी की वजह से गाय नहीं घूम रही, एमसीडी के भ्रष्टाचार की वजह से दूधारू गाय जो हैं वो हर जगह घूम रही है और जितने विधायक साथी बैठे हैं, चाहे किसी भी दल के हों, मुझे लग रहा है कि वो अपनी उंगुलियों पर जानते हैं कि हमारे यहां किस-किस आदमी की गाय घूम रही है। क्योंकि आप गाय पकड़ो वो अगले दिन आपके यहां आ जाते हैं आफिस के अंदर। ये बड़ा भ्रष्टाचार है और मुझे लगता है इसके ऊपर खुले मन से यहां पर चर्चा होनी चाहिए और इसका जो है कुछ न कुछ सोल्यूशन निकालना चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: धन्यवाद। लंच के लिए एक घंटा 1.10 मिनट हुए हैं 2.15 बजे हम मिलेंगे। लंच जहां कल हुआ था उसी स्थान पर है, पत्रकार बन्धु भी वहीं सादर आमंत्रित है। सब माननीय सदस्य आमंत्रित हैं।

(सदन की कार्यवाही अपराह्न 2.15 बजे तक के लिए स्थगित की गई)

के/पालीवाल

सदन पुनः अपराह्न 2.17 बजे समवेत हुआ

माननीय अध्यक्ष महोदय (श्री रामनिवास गोयल) पीठासीन हुए

(सदन द्वारा विशेषाधिकार समिति के प्रथम प्रतिवेदन से सहमति)

माननीय अध्यक्ष: प्रतिवेदन पर सहमति श्री अखिलेशपति त्रिपाठी श्री सौरभ भारद्वाज जी

श्री अखिलेशपति त्रिपाठी: धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट सदन पटल पर रखने की अनुमति दी है, मैं चाहता हूं कि दो मिनट इस पर कुछ बोलूं अध्यक्ष महोदय ताकि सदन को यह पता चले कि यह प्रतिवेदन जो रखा जा रहा है वो किस लिए रखा जा रहा है और क्यों बहुत जरूरी है। अध्यक्ष महोदय यह मामला स्टार क्वेश्चन नंबर 2 और 32 का रिप्लाय नहीं देने के कारण आपके आदेश से समिति में इसकी जांच हुई और समिति में जब जांच हुई तो क्वेश्चन क्या थे मैं चाहता हूं कि सदन को पता चले। जो क्वेश्चन पूछे गये थे वो क्वेश्चन थे कि दिल्ली सरकार के किस-किस विभाग में कितनी वैकेंसीज हैं। माननीय उप-मुख्यमंत्री जी से यह क्वेश्चन पूछा गया था। जब माननीय मंत्री जी ने संबंधित विभाग को भेजा कि ये बताइये किस-किस विभाग में कितनी रिक्तियां हैं, इन रिक्तियों को भरने के लिए क्या-क्या कदम

उठाये जा सकते हैं, जो कर्मचारी कच्चे हैं उनको पक्का करने के लिए क्या कदम उठाये जाने हैं, कितने कर्मचारी कच्चे हैं, कितने पक्के हैं वो बताइये ताकी सरकार एप्रोप्रियेट एक्शन ले पाये और उनको पक्का किया जा सके, समयबद्ध तरीके से कोई उस पर जो है कार्यवाही कर सकें, एक क्वेश्चन इस तरीके का था। दूसरी तरफ वंदना जी का क्वेश्चन था चूंकि गृह विभाग से आफिसर्स समझ नहीं पाये कि पुलिस में कुछ व्यवहारिक दृष्टिकोण का आभाव है। शिकायत दर्ज कराने जाते हैं तो दर्ज नहीं हो पाता। उसके लिए कोई मैकेनिज्म बनाया जा सके, सुझाव दिया जा सके इस सदन से ताकि दिल्ली के लोगों को राहत मिल सके। ये तो बहुत साधारण से क्वेश्चंस पूछे गये थे और शायद आफिसर्स को यह भी नहीं पता था कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो पुलिस शिकायत प्रकोष्ठ एक रिड्रेसल कमेटी होती है उसके चेयरमैन भी होते हैं। उस हैसियत से भी वंदना जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी से ये क्वेश्चन पूछा था, कि वो मांगा गया अधिकारियों से तो अधिकारियों ने यह कहकर कि गृह मंत्रालय से एक नोटीफिकेशन आया हुआ है और उस गृह मंत्रालय के नोटीफिकेशन के संज्ञान में हम इस हाउस को यह जवाब नहीं दे सकते। ये नोटीफिकेशन एलजी साहब की तरफ से भी 19.03.2018 को आया। उस समय आदरणीय उप-मुख्यमंत्री जी ने इस सदन में बहुत दुख व्यक्त किया कि जिस सवाल के जवाब मात्र एक आरटीआई के अंतर्गत भी किसी भी व्यक्ति को पाने का अधिकार है उसका भी उत्तर इस सदन को नहीं दिया जा रहा है इससे बड़े दुर्भाग्य का विषय कुछ नहीं हो सकता। माननीय अध्यक्ष महोदय, उसी दिन आपने एक रूलिंग दी थी 26.03.2018 को कि कोई भी आफिसर होगा वो ड्यूटी बाउंड है इस सदन में जो क्वेश्चन रखे जाएंगे जिसको आप स्वीकृति देंगे उसका उत्तर देना होगा और मैं इसी सदन के इस रूल बुक की तरफ आपका और पूरे सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं जिसमें साफ-साफ

लिखा है अध्यक्ष महोदय कि जो भी विभाग हों दिल्ली सरकार के इस हाउस के बजट से एक रुपया भी किसी भी विभाग के द्वारा एक्सपेंडीचर होता है वो विभाग इस हाउस के लिए जवाबदेह है। उससे सवाल भी पूछेगा यह सदन, उससे जवाब भी करेगा और उसको उत्तरदायी भी ठहरायेगा हर काम के लिए। आज आपके पीछे आदरणीय विट्टल भाई पटेल जी का फोटो लगा हुआ है, मुझे लगता है जो संवैधानिक और संसदीय यात्रा यहीं इसी सदन से शुरू हुई थी पूरे देश में, मैं सदन को बताना चाहता हूँ कि यह सदन वह सदन है जहां केन्द्रीय विधानसभा जहां पर पहली बार अंग्रेजों के समय में भी, अंग्रेजों ने भी, जब भारत देश के लोग पहली बार सीमित चुनाव हुआ, तो यहां पर इसी सदन में प्रश्न पूछने का अधिकार पहली बार इसी सदन को प्राप्त हुआ था। आदरणीय विट्टल भाई पटेल जी स्पीकर हुआ करते थे।

माननीय अध्यक्ष: थोड़ा शोर्ट करिए अखिलेश जी प्लीज।

श्री अखिलेशपति त्रिपाठी: अध्यक्ष महोदय, यह सदन आज आपकी तरफ देख रहा है कि इस हाउस से एक रुपया बजट भी अगर किसी भी विभाग को दिया जाता है।

श्री विजेंद्र गुप्ता: अध्यक्ष जी, क्योंकि मेरे प्रश्नों के आगे रिप्लाय ही नहीं दिया कुछ प्रश्नों का और ये लिख दिया कि बाद में भेजेंगे।

माननीय अध्यक्ष: एक बार उनको बात कर लेने दें।

श्री अखिलेशपति त्रिपाठी: मुझे लगता है बिधूड़ी जी इस पर जरूर संज्ञान लेंगे। बिष्ट जी जरा अपने मेंबर को समझा लीजिए। अभी आप समझा रहे थे शिष्टाचार क्या है, सबको शिष्टाचार आप समझा रहे थे, मुझे लगता है उन्हें

जरूर समझाएंगे। आप लोग बड़े सीनियर व्यक्ति हैं, समझते होंगे शिष्टाचार को। अध्यक्ष महोदय, आज ये सदन तय करे कि जो रिपोर्ट में है वह अक्षरक्षः लागू होना चाहिए, साथ-साथ कोई भी जो ये रूल बुक कहती है। यह पार्लियामेंट का रूल बुक भी कहती है कि एक रुपया भी अगर बजट से हमारे एक्सपेंडीचर में जाता है, इस हाउस से अलाउ होकर के कहीं खर्च होता है तो वह विभाग यहां पर जिम्मेदार होगा और अगर जवाब नहीं देता तो यह इस फाइनेंशियल कंट्रोलर होने के नाते इस सदन को अधिकार भी है कि ऐसे अधिकारियों का, ऐसे विभाग का जो पैसा है वो भी कटौती किया जा सकता है और साथ-साथ एक चीज और है कि आज एक और दुर्भाग्यपूर्ण काम हो रहा है संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में, पूरे भारतवर्ष में पहली बार ऐसा हो रहा है कि विधानसभा के द्वारा जो बजट अलाउ किया जा रहा है, उसका प्रयोग सरकारी अफसर विधानसभा के खिलाफ सरकारी धन पर मुकदमा लड़ने का काम कर रहे हैं। विधानसभा कोई डिजीजन लेता है उसको रोकने के लिए हाइकोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, ये भी इकलौता मामला है पूरे भारतवर्ष में अध्यक्ष महोदय। आज क्यों न यह सदन इस पर विचार करे कि कोई भी एक्सपेंडीचर अगर विधानसभा के खिलाफ कोई सरकारी अधिकारी मुकदमा लड़ने के लिए जा रहा है तो सरकार का पैसा सरकार के खिलाफ लग रहा है, इस पर विचार करने की जरूरत है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूरी की पूरी रिपोर्ट सदन के पटल पर रख रहा हूँ। आज सदस्यों को पता चला कि किस आमूलचूल प्रश्नों का उत्तर हम लोग चाहते हैं। क्या दिल्ली के लोगों को, अगर मान लीजिए उप-मुख्यमंत्री जी गेस्ट टीचरों को को रेग्यूलर करना चाहते हैं, उनकी संख्या जानना चाहते थे, वो जानने का अधिकार नहीं है। उनको रेग्यूलर करने की सरकार की जो मंशा है, एलजी साहब के इशारे पर, उसको डिरेल करने की कोशिश की जा रही है। अध्यक्ष महोदय यह बहुत

दुर्भाग्य की बात है। आज अगर जनहित में वंदना जी पूछती हैं कि पुलिस का मैकेनिज्म ठीक नहीं है, उसको ठीक करने की जरूरत है, उसमें कुछ सलाह देना चाहता है सदन तो क्या इस सदन को अधिकार नहीं है? आज यह सदन तय करे कि ऐसे लोग अगर जवाब नहीं देते हैं तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए और अगर ऐसे लोग जवाब नहीं देते हैं तो उनकी तनख्वाह इसी सदन के द्वारा काटी जानी चाहिए और कोई भी मुकदमा अगर सदन के खिलाफ, सदन के निर्णय के खिलाफ, सीमितियों के निर्णय के खिलाफ अगर कोई कोर्ट में जाता है, उसके लिए एक भी पैसा किसी भी अफसर को अलाउ नहीं करना चाहिए कोर्ट जाने के लिए ऐसी मेरी मंशा है। बहुत-बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं चाहता हूं सौरभ भाई भी इसमें कुछ ब्रीफ देना चाहते हैं दो मिनट जरूर।

माननीय अध्यक्ष: नहीं आपने जो कुछ बोला है वो इस अपने प्रतिवेदन में।

श्री अखिलेशपति त्रिपाठी: जी, जी, मैं चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि मैं।

माननीय अध्यक्ष: इस प्रस्ताव में है न वो सब।

श्री अखिलेशपति त्रिपाठी: जी अध्यक्ष महोदय।

माननीय अध्यक्ष: बस ठीक है ये प्रस्ताव पारित कर रहे हैं, सौरभ जी।

श्री सौरभ भारद्वाज: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव रखता हूं कि यह सदन दिनांक 03 जनवरी, 2022 को सदन में प्रस्तुत विशेषाधिकार समिति के प्रथम प्रतिवेदन से सहमत है।

माननीय अध्यक्ष: यह प्रस्ताव सदन के सामने है

जो इसके पक्ष में हैं वह हां कहें,
जो इसके विरोध में हैं न कहें,
(सदस्यों के हाँ कहने पर)
हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता,
प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ

(सदन द्वारा कार्य मंत्रणा समिति के दूसरे प्रतिवेदन से सहमति)

मैं माननीय सदस्यों की भावनाओं से सहमत होते हुए नेता विपक्ष से, अपने उन साथियों से यह करबद्ध प्रार्थना कर रहा हूँ कि इस सदन को जो अपंग बनाने का प्रयास एलजी के हाथों हुआ है उस पर हमको सर्वसम्मति से बातचीत करके यह लैटर जो एलजी ने लिखा है इसको वापस करवाना चाहिए, यह मेरी प्रार्थना है इसके लिए, हम सब लोग पीड़ित हैं। आपके इलाके में भी पुलिस के द्वारा कोई ज्यादाती होती है आप क्वेश्चन नहीं उठा सकते हैं। आपके इलाके में भी कोई land grabbing का है आप क्वेश्चन नहीं उठा सकते तो इसको।

श्री विजेन्द्र गुप्ता: मेरे को तो आपके अधिकार क्षेत्र में है उसके भी जवाब नहीं आए।

माननीय अध्यक्ष: वो दीजिए विशेषाधिकार समिति को दे दूंगा भई।

श्री विजेन्द्र गुप्ता: हां जी, इसमें ये जो लिख देते हैं कि या तो टाइम बाउंड करें ये दस्तावेज जल्द ही उपलब्ध करा दिये जाएंगे, कब करा दिये जाएंगे। सदन में मंत्री को रिप्लाय आज करना है।

माननीय अध्यक्ष: विजेन्द्र जी इसको हम कमेटी को दे देते हैं पहले भी ऐसा हुआ है।

श्री विजेन्द्र गुप्ता: ऐसे ही दूसरा एक प्रश्न का तो इन्होंने रिप्लाय एक्नॉलेज ही नहीं किया।

माननीय अध्यक्ष: इसका विजेन्द्र जी टाइम लिमिट जो मुझे जानकारी दी गई 3 महीने का होता है फिर भी आपको कुछ लगता है तो मुझे दे दीजिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ता: और एक ये इसको एक्नॉलेज ही नहीं किया। इसको un-starred में भी नहीं रखा गया।

माननीय अध्यक्ष: आप लिखकर दे दीजिएगा एक बार।

श्री विजेन्द्र गुप्ता: इसको सदन में ही उठा रहा हूँ न जी, दे रहा हूँ आपको हाथ के हाथ।

माननीय अध्यक्ष: चलिये ठीक है, हो गया। समिति के प्रतिवेदन का प्रस्तुतिकरण। श्रीमान दिलीप पाण्डेय जी, अब्दुल रहमान जी समिति का दूसरा प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

श्री दिलीप पाण्डेय: अध्यक्ष महोदय मैं कार्य मंत्रणा समिति का दूसरा प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत कर रहा हूँ।

माननीय अध्यक्ष: प्रस्ताव करेंगे कि यह सदन में दिनांक 04 जनवरी, 2022 को सदन में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के दूसरे प्रतिवेदन से सहमत है।

श्री दिलीप पाण्डेय: मैं प्रस्ताव करता हूँ कि यह सदन दिनांक 04 जनवरी, 2022 को सदन में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के दूसरे प्रतिवेदन से सहमत है।

माननीय अध्यक्ष: यह प्रस्ताव सदन के सामने है:

1. दिल्ली विधानसभा पुस्तकालय में संदर्भ संख्या आर-22086 पर उपलब्ध।

जो इसके पक्ष में हैं वह हां कहें,
जो इसके विरोध में हैं न कहें,
(सदस्यों के हाँ कहने पर)
हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता,
प्रस्ताव पास हुआ

स्टार क्वेश्चंस श्री भूपेन्द्र सिंह जून जी।

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर

श्री भूपेन्द्र सिंह जून: अध्यक्ष महोदय मैं माननीय जल मंत्री से यह अनुरोध करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 21 में उठाई गई क्वेरीज का रिप्लाय दें।

क्या माननीय जल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिजवासन विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत गाँव रंगपुरी और शाहबाद मोहम्मदपुर में सीवर लाइन बिछाने हेतु एसपीएस निर्माण किए जाने का क्या कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है;

(ग) क्या उक्त उद्देश्य से संबंधित विभाग की ओर भू-स्वामित्व विभाग से भूमि आवंटन हेतु कोई अनुरोध किया गया है;

(घ) क्या महिपालपुर और कापसहेड़ा गाँवों में सीवर व्यवस्था पूरी तरह से चालू हो गई है;

(ड) क्या बिजवासन गाँव में सीवर डालने का कार्य पूरा हो चुका है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) राजनगर-पालम कॉलोनी में सीवर के काम की गुणवत्ता को जाँचने के लिए इसका निरीक्षण किसी थर्ड पार्टी द्वारा कराया जा चुका है; और

(ज) यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है?

जल मंत्री (श्री सत्येन्द्र जैन): आदरणीय अध्यक्ष महोदय प्रश्न संख्या 21 का जवाब इस प्रकार से है:

(क) जी हां,

(ख) दिल्ली सीवरेज मास्टर प्लान 2031 के अनुसार गांव रंगपुरी क्षेत्र में एस.पी.एस. निर्माण का प्रस्ताव है, जिसके लिए रंगपुरी में एक जगह का चयन किया गया है और दिल्ली विकास प्राधिकरण को प्रस्तावित जमीन के आवंटन के लिए प्रयास किये जा रहे हैं।

बिजवासन विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत शाहाबाद मौहम्मदपुर में सीवरलाइन बिछाने हेतु एस.पी.एस के निर्माण का प्रस्ताव है जिसके लिए गांव शाहबाद मौहम्मदपुर में एक जगह का चयन किया गया है और उप मंडल मस्ट्रिट दिल्ली कैंट को प्रस्तावित जमीन के आवंटन के लिए प्रयास किये जा रहे हैं।

(ग) जी हां। उक्त उद्देश्य से संबंधित भू-स्वामित्व विभाग से भूमि आवंटन हेतु अनुरोध किया गया है।

(घ) महिपालपुर एवं कापसहेड़ा गांव में सीवर लाइन का काम पूरा हो गया है। महिपालपुर की मुख्य सीवर लाइन द्वारका लिंक रोड होकर गुजरती है जिसको

विस्थापित करने का कार्य एन.एच.ए.आई विभाग द्वारा किया जा रहा है। यह कार्य पूरा होने के पश्चात महिपालपुर गांव की सीवर लाइन चालू हो जाएगी। कापसहेडा गांव की सीवर लाइन/व्यवस्था पूरी तरह से चालू हो गयी है।

(ड) जी नहीं। पश्चिमी बिजवासन क्षेत्र में सीवर डालने का कार्य पूरा हो चुका है। पूर्वी बिजवासन क्षेत्र में अभी सीवर डालने का कार्य अभी बाकी है।

(च) दिल्ली जल बोर्ड द्वारा पश्चिमी बिजवासन गांव में सीवर डालने का कार्य पूरा हो चुका है। पूर्वी बिजवासन गांव में सीवर डालने का कार्य अभी होना बाकी है। पूर्वी बिजवासन गांव के लिए तीन एम.जी.डी. का एस.पी.एस. निर्माण कार्य होना बाकी है। हॉर्टीकल्चर विभाग द्वारा प्रस्तावित एस.पी.एस. में पेड़ों की कटाई अथवा पेड़ों प्रतिरोपण की अनुमति लेने का कार्य चल रहा है। एस.पी.एस के निर्माण के बाद पूर्वी बिजवासन गांव में सीवर डालने का कार्य किया जायेगा।

(छ) राजनगर-2 पालम कालोनी में सीवर से काम की गुणवत्ता को जांचने के लिए इसका निरीक्षण मैसर्स राइट्स द्वारा किया गया है।

(ज) मैसर्स राइट्स लिमिटेड द्वारा समय समय पर कार्य का निरीक्षण किया गया है तथा हुए कार्य की गुणवत्ता को जांचा व परखा है और रिपोर्टों में कोई विपरीत टिप्पणी नहीं पायी गयी है।

माननीय अध्यक्ष: जून जी सप्लीमेंटरी।

श्री भूपेन्द्र सिंह जून: सर क्वेश्चन आंसर 'च' हॉर्टीकल्चर विभाग द्वारा प्रस्तावित एसपीएस में पेड़ों की कटाई अथवा पेड़ों के प्रतिरोपण की अनुमति लेने का कार्य चल रहा है इसमें यह मंशन नहीं किया है कि horticulture department of which department, MCD, DDA or Delhi Govt. सर एक सेकेंड, सेकेंडली

इसके बारे में जलबोर्ड ने कोई रिमाइंडर भेजा, नहीं भेजा क्योंकि यह काम पिछले 3 साल से पेंडिंग है।

जल मंत्री: आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यह जो कार्य है जलबोर्ड के डिपार्टमेंट के द्वारा किया जा रहा है वो उसकी परमीशन लेने के लिए, फारेस्ट डिपार्टमेंट से परमीशन लेने की प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं और जल्द से जल्द इसको कर लिया जाएगा।

श्री भूपेन्द्र सिंह जून: वन मोन, सर लास्ट का 'ज' क्वेश्चन मैसर्स राइट लिमिटेड द्वारा समय-समय पर कार्य का निरीक्षण किया गया तथा हुए कार्य की गुणवत्ता को जांचा-परखा, रिपोर्ट में कोई विपरीत टिप्पणी नहीं पाई गई। Sir, this is factually incorrect. जो सीवर का काम हुआ उसमें जो बैड बनता है मेनहोल का वो कच्चा छोड़ दिया गया। अंदर जो प्लास्टर होता है वो प्लास्टर बहुत से मेनहोल में नहीं किया गया जिससे पानी का रिसाव होकर पीने के पानी में मिलकर इल्लीगल कनेक्शन से लोगों के घरों में पहुंच रहा है अगर मंत्री जी कहें तो मैं specific instance भी दे सकता हूं कि कितने मेनहोल ऐसे हैं जिनमें न बैड बनाया गया और न प्लास्टर किया गया और ढक्कन टूटकर अंदर जा गिरे हैं। जो मैसर्स राइट्स की जो रिपोर्ट का जिक्र किया गया अगर उसकी मुझे कापी सप्लाई करें तो मैं उसके contrary इतने सबूत दूंगा उससे साबित होगा कि यह रिपोर्ट प्रापर नहीं है।

जल मंत्री: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि यह सारे डिटेल्स मुझे दे दिये जाएं ताकि अगर राइट्स ने अपना कार्य ठीक से नहीं किया है जो कि ये केन्द्र सरकार की एक संस्था है अगर उसने अपना काम ठीक से नहीं किया है तो उसको ब्लैक लिस्ट किया जाए उसके खिलाफ कार्यवाही जरूरी की

जाएगी और जो जो भी रिपोर्ट आपको चाहिए सारी रिपोर्ट आपको दे दी जाएंगी और यहां पर यह बताना उचित होगा कि माननीय सदस्य खुद भी जलबोर्ड के मेंबर हैं और जो भी रिपोर्ट चाहिए वो वैसे भी ले सकते हैं।

माननीय अध्यक्ष: श्री विजेंद्र गुप्ता जी।

श्री विजेंद्र गुप्ता: आदरणीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से प्रश्न नंबर 22 प्रस्तुत है:

क्या माननीय **खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि स्कूल के अध्यापकों को लॉकडाउन अवधि के दौरान राशन वितरण के काम में तैनात किया गया था;

(ख) क्या अध्यापकों को इस प्रकार गैर-शिक्षा संबंधी कार्यों में लगाया जाना उचित है;

(ग) यदि हाँ, तो वे कौन-से वैधानिक प्रावधान हैं, जो इसकी अनुमति देते हैं;

(घ) क्या यह उचित था कि अध्यापकों को तीन महीने बाद राशन की खाली बोरी को वापस करने के लिए कहा गया;

(ङ) क्या अध्यापकों ने कोरोना-वारियर के रूप में भी कार्य किया था और राहत उपलब्ध कराने में वे अग्रिम पंक्ति में थे;

(च) यदि हाँ, तो क्या जिन अध्यापकों की मृत्यु कोरोना के कारण हुई उनके परिजनों को भी एक करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति राशि तथा करुणामूलक आधार पर नौकरी दी गई; और

(छ) इसका पूर्ण विवरण उपब्ध कराएँ?

खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री (श्री इमरान हुसैन): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 22 का उत्तर है :

(क) जी हां।

(ख) कोरोना महामारी के दौरान महामारी एक्ट का अनुसरण करते हुए एवं डीडीएमए के समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुपालन करते हुए सभी विभागों के सरकारी कर्मचारी प्रयुक्त हुए जिसमें शिक्षा विभाग भी सम्मिलित है।

(ग) बिन्दू 'ख' के अनुरूप।

(घ) दिनांक 24.02.2021 की बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार सभी जोनल सहायक आयुक्त, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को निर्देश दिये गये थे कि गैर पीडीएस अनाज की खाली बोरियां जो की विद्यालय के कमरों में पड़ी हुई हैं उनकी नीलामी कर दी जाए और जो भी पैसा इक्कट्टा हो वह सरकारी खजाने में टी आर-5 के जरिये जमा करा दिया जाए। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि बहुत से विद्यालयों के अधिकारियों द्वारा खाली बोरियों का निपटान करने के लिए अनुरोध हो रहा था क्योंकि विद्यालयों को शिक्षा के लिए दोबारा से खोलने का प्रस्ताव चल रहा था।

(ङ) शिक्षा विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार 'जी हां' दिल्ली सरकार इस बात को लेकर बेहद गौरवान्वित है कि हमारे अध्यापक साथियों ने इस महामारी के समय कोरोना वॉरियर के रूप में कार्य किया है।

(च) कैबिनेट निर्णय संख्या 2835 दिनांक 13/05/2020 के तहत जिन अध्यापकों की ड्यूटी दिल्ली सरकार द्वारा कोरोना से संबंधित कार्यों में लगाई गई

है और उस ड्यूटी के दौरान उनकी मृत्यु कोरोना से हो जाती है उनके परिवार को एक-एक करोड़ रुपये की मुआवजा राशि दिल्ली सरकार द्वारा दी जाती है। उपरोक्त कैबिनेट निर्णय के अनुसार करुणामूलक आधार पर नौकरी का कोई भी प्रावधान नहीं है।

(छ) वह अध्यापक जिनके परिवार को एक करोड़ की मुआवजा राशि दिल्ली सरकार की तरफ से दी गई है उनका विवरण इस प्रकार है:

1. श्रीमती बैकली सरकार, अनुबंधित अध्यापक एम.सी.पी.ए.एस. भढोला
2. श्री ओमपाल, प्राध्यापक, जी.बी.एस.एस.एस. कल्याणपुरी
3. श्री नितिन तंवर, पी.आर.टी., एम.सी.पी.एस. नारायणा
4. श्री श्योजी मिश्रा, टी.जी.टी. अंग्रेजी कल्याणपुरी

माननीय अध्यक्ष: हां सप्लीमेंटरी विजेन्द्र जी।

श्री विजेन्द्र गुप्ता: अध्यक्ष जी, मेरा पूरक प्रश्न है कि सरकार के नियम और कानून में ये सर्वथा स्थापित है कि अगर किसी कर्मचारी की ड्यूटी पर मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार के सदस्यों को करुणामूलक आधार पर नौकरी का प्रावधान होता है और कोरोना के काल में जिन कर्मचारियों की, अध्यापकों की ड्यूटी पर मृत्यु हुई है कोरोना के कारण उसके बारे में आपने लिखा है कि उनको करुणामूलक आधार पर वो नौकरी नहीं दी जाएगी। तो ये स्पेसिफिक करके जो लिखा गया है कि उनको नहीं दी जाएगी इसको अध्यक्ष जी आपके माध्यम से मैं चाहता हूँ मंत्री जी स्पष्ट करें कि सरकार ने ये जो व्यापक या सर्वविदित नियम है उसके विपरीत ये फैसला क्यों लिया है।

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री: ऐसा कहां लिखा है नहीं दिये।

श्री विजेन्द्र गुप्ता: ये लिखा है नीचे लिखा है पढ़ लीजिए 'च' ।

माननीय अध्यक्ष: 'च' में लिखा है।

श्री विजेन्द्र गुप्ता: जो मेरा 22 नंबर प्रश्न है उसका जो 'च' है उसमें लिखा है।

माननीय अध्यक्ष: उसमें लिखा है करुणामूलक आधार पर नौकरी का कोई भी प्रावधान नहीं है।

श्री विजेन्द्र गुप्ता: जी इसको थोड़ा।

श्री मनीष सिसोदिया (उप-मुख्यमंत्री): मैं थोड़ा सा स्पष्टीकरण आपकी अनुमति से इसमें देना चाहता हूं क्योंकि कैबिनेट के इस डिसीजन में जहां यह निर्णय लिया गया कि अगर कोई ऐसी दुर्घटना घटती है, किसी के साथ ऐसा होता है तो उसको एक करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि जिसकी कोई योजना उस वक्त लागू नहीं है, कभी भी परंपरा में नहीं रही, वो एक बहुत एक्स्ट्रा आर्डिनरी जिसका कहीं पूरे देश में इस तरह का प्रावधान देखने को नहीं मिलता उस पर कैबिनेट का निर्णय लिया गया। उस कैबिनेट के डिसीजन में इसमें कोई प्रावधान नहीं है लेकिन अगर किसी और नियम, परंपरा, पॉलिसी, रूल के तहत किसी को और प्रावधान इस एक करोड़ में उसके डिपार्टमेंट्स से या उसकी सर्विस कंडीशंस पर या उसके और अन्य प्रावधानों के तहत कोई भी आर्थिक राशि या अनुकंपा नियुक्ति या परिवार की और मदद या जो भी बेनिफिट्स मिलते हैं उसका तो नहीं दिये जाने का सवाल ही नहीं है। ये कहां लिखा है कि नहीं दिये जाएंगे।

श्री विजेंद्र गुप्ता: अध्यक्ष जी।

उप-मुख्यमंत्री: एक मिनट आप जो भाषा बोल रहे हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि उपरोक्त कैबिनेट निर्णय के अनुसार, उपरोक्त कैबिनेट निर्णय के अनुसार जिसमें एक करोड़ रुपये देने का प्रावधान है उसमें नौकरी का प्रावधान कोई नहीं किया गया था लेकिन इसका मतलब ये तो कहीं नहीं हुआ कि नौकरी नहीं दी जाएगी। अगर किसी भी नीति में नौकरी दिये जाने का प्रावधान है तो वो दी जाएगी, ये सवाल था ही नहीं इनका।

श्री विजेंद्र गुप्ता: मैं मंत्री जी को और स्पष्ट कर दूँ और मैं चाहूँगा कि वो सदन के समक्ष एश्योरेंस दें, पहले तो मेरा प्रश्न सुन लीजिए और फिर उसके सामने उत्तर। मेरा प्रश्न है कि जिन अध्यापकों की मृत्यु कोरोना के कारण हुई उनके परिजनों को भी एक करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति राशि जो आपने घोषणा की तथा सेकेंड क्वेश्चन करूणामूलक आधार पर नौकरी दी गई। क्या किसी को करूणामूलक आधार पर नौकरी दी गई जिनकी मृत्यु कोरोना के कारण कोरोना काल में ऑन ड्यूटी हुई है ये मेरा प्रश्न है। उत्तर में लिखा है 'च' में कि कैबिनेट का डिसीजन, मैं पढ़ देता हूँ, कैबिनेट निर्णय संख्या 2835 दिनांक 13.05.2020 के तहत जिन अध्यापकों की ड्यूटी दिल्ली सरकार द्वारा कोरोना से संबंधित कार्यों में लगाई गई है, कैबिनेट का डिसीजन सर मैं पढ़ रहा हूँ, और उस ड्यूटी के दौरान उनकी मृत्यु कोरोना से हो जाती है तो उनके परिवार को एक करोड़ रुपये की मुआवजा राशि दिल्ली सरकार द्वारा दी जाती है। उपरोक्त कैबिनेट के निर्णय के अनुसार उनको करूणामूलक आधार जिनको एक करोड़ रुपया दिया जायेगा, उनको करूणामूलक आधार पर नौकरी का कोई भी प्रावधान नहीं है। तो हमारा ये कहना है अध्यक्ष जी कि एक करोड़ रुपया अगर आपने

दिया है और वो भी सबको नहीं दिया लेकिन करुणामूलक आधार पर नौकरी का आधार सबका छीन लिया।

उप-मुख्यमंत्री: गलत बयानी कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय।

श्री विजेन्द्र गुप्ता: नहीं आप सही कर दीजिए न। मैं गलत बयानी नहीं, मैंने जो समझा है। आप मंत्री हैं आप सदन को एश्योर कर दीजिए कि करुणामूलक आधार पर सबको नौकरी मिलेगी, दैट्स ऑल।

उप-मुख्यमंत्री: करुणामूलक आधार पर नौकरी देने का काम आपके।

श्री विजेन्द्र गुप्ता: ये कैबिनेट ने जो फैसला, आप कैबिनेट का फैसला दे दीजिए न हमें।

उप-मुख्यमंत्री: जवाब दे रहा हूँ।

माननीय अध्यक्ष: आप सुन तो लीजिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ता: सर हमें कैबिनेट का फैसला दे दीजिए हम पढ़ लेते हैं।

माननीय अध्यक्ष: भई वो सुनिये तो सही विजेन्द्र जी आप सुनने को तैयार नहीं होते हैं। सुनने का माद्दा भी रखिये वो क्लियर है बिल्कुल सारा क्लियर है।

उप-मुख्यमंत्री: किसी भी परिस्थिति में, किसी भी अवस्था में किसी को करुणामूलक नौकरी देने और नहीं देने का काम।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: विजेन्द्र जी अब सुन लीजिए।

...(व्यवधान)

उप-मुख्यमंत्री: भारतीय जनता पार्टी के गैर-लोकतांत्रिक व्यवहार और करेक्टर की वजह से चुनी हुई सरकार से छीन लिया गया है और एलजी और केन्द्र सरकार के पास रखा हुआ है अगर ये चाहते हैं मैं भारतीय जनता पार्टी के आधार पर आश्वासन देने को तैयार हूँ। अगर मेरा आश्वासन न पूरा हो तो भारतीय जनता पार्टी को फांसी पर लटकाया जाए इसके लिए।

श्री विजेंद्र गुप्ता: अध्यक्ष जी कपैसनेट ग्राउंड पर..ये कोई अधिकार का हिस्सा ही नहीं है ये प्रॉपर कानून है कि कपैसनेट ग्राउंड पर उनको लगाया जाए। कपैसनेट ग्राउंड पर 05 परसेंट सीट रिजर्व हैं कि आप कपैसनेट ग्राउंड पर उनको आपको लगाना है और उसके लिए बकायदा एक कमेटी है।

...(व्यवधान)

श्री मनीष सिसोदिया (उप-मुख्यमंत्री): अध्यक्ष महोदय, एक मिनट भारतीय जनता पार्टी का लोकतांत्रिक चरित्र की चर्चा अभी अखिलेशपति त्रिपाठी जी के प्रतिवेदन में भी हुई है जिसमें ये सर्विस।

माननीय अध्यक्ष: वो दे रहे हैं जवाब आप रूको तो सही।

उप-मुख्यमंत्री: पूरा जवाब सुनने की हिम्मत रखिये न।

श्री विजेंद्र गुप्ता: सिसोदिया सर आपके चरणों में हैं।

उप-मुख्यमंत्री: चरणों में मत रहिये दिल में रहिये। या तो आप चरणों में रहते हैं या बगल में छुरी रखकर घूमते हैं। चरणों में नहीं दिल में रहिये न। ये चरणों में रखने वाली राजनीति आप लोग करते होंगे हम तो दिल में रखने वाली राजनीति करते हैं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: विजेन्द्र जी ये जो प्रश्न है इसका तो उत्तर बहुत क्लियर है, आप समझ नहीं पा रहे, क्यों नहीं समझ पा रहे या उलझाना चाह रहे हैं। आप दो मिनट सुनिये अभी, सुन लीजिए।

उप-मुख्यमंत्री: जो भारतीय जनता पार्टी इस चुने हुए सदन में मेंबर्स को इतना सवाल पूछने का हक नहीं देना चाहती कि कहां कितनी वेकेंसी हैं उसके मेंबर बेशर्मी से जवाब मांग रहे हैं कि आप करुणामूलक नियुक्ति दोगे कि नहीं दोगे, शर्म आनी चाहिए यह सवाल पूछते हुए। जाकर एलजी साहब से पूछिये, जाकर अमित शाह जी से पूछिये। अमित शाह जी से पूछिये न कि करुणामूलक नियुक्ति दोगे कि नहीं दोगे। एलजी साहब से पूछिये करुणामूलक नियुक्ति दोगे कि नहीं दोगे। हम तो चाहते हैं केवल कोविड में क्यों, किसी भी दुर्घटनाग्रस्त सरकारी कर्मचारी के परिजनों को 100 परसेंट नौकरी मिलनी चाहिए, उसका अधिकार होना चाहिए और इसको अनुकंपा नियुक्ति नहीं बोलना चाहिए, उसका अधिकार नियुक्ति बोलना चाहिए। लेकिन अमित शाह जी से लेकर आए कानून, एलजी साहब से लेकर आए आर्डर। बकवास करते हैं यहां पर बैठकर। अध्यक्ष महोदय किसी भी कर्मचारी को सिर्फ कोरोना में नहीं किसी भी परिस्थिति में अगर किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होती है।

L/k/SS/

सरकारी कर्मचारी ड्यूटी होते हुए, ड्यूटी पर होते हुए किसी दुर्घटना का शिकार होता है, उसकी मृत्यु होती है, हम अरविंद केजरीवाल जी की सरकार इस पक्ष में है कि हर परिस्थिति में उसको नौकरी दी जानी चाहिए, सिर्फ कोरोना में क्यों। लेकिन बनाओ ना नियम, एलजी साहब से बनवाओ। अमित शाह जी से बनवाओ। सर्विस के मालिक बनोगे और सवाल हमसे पूछोगे। ये आपका फेलियर

है। ये भारतीय जनता पार्टी का फेलियर है। भारतीय जनता पार्टी का फेलियर है। ये एक अध्यापक जिसकी मौत हो गई उसके बच्चों को नौकरी के लिए रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी का फेलियर है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: विजेन्द्र जी आप इसको गलत interpret कर रहे हैं। आप इसको क्लीयरली समझ लीजिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ता: compassionate ground पर नौकरी देने का उसका हक मार लिया। ये लिखिए। आपने compassionate पर.....

माननीय अध्यक्ष: बैठिए विजेन्द्र जी बैठिए।

...(व्यवधान)

श्री अखिलेशपति त्रिपाठी: बैठाइए, माननीय उप-मुख्य मंत्री जी जवाब दे रहे हैं। उसको सुनें।

माननीय अध्यक्ष: अखिलेश जी, अखिलेश जी।

श्री अखिलेशपति त्रिपाठी: आप सदन को derail कर रहे हैं। सदन की गरिमा को समझिए।

माननीय अध्यक्ष: विजेन्द्र जी, आप विषय को उलझा रहे हैं।

श्री रामबीर सिंह बिधूडी (माननीय नेता, प्रतिपक्ष): आदरणीय अध्यक्ष जी,

माननीय अध्यक्ष: नहीं आप विषय को उलझा रहे हैं। वो क्लीयर डिसेजन है। आप वाक आउट करिए आप। करिए, करिए। स्टार्ड क्वेश्चन ठीक ढंग से चलेंगे। भई मैं अलाऊ नहीं कर रहा हूं। मैं अलाऊ नहीं कर रहा हूं प्लीज।

माननीय नेता, प्रतिपक्ष: आदरणीय अध्यक्ष जी, दिल्ली के....

माननीय अध्यक्ष: भई मैं अलाऊ नहीं कर रहा हूं। प्लीज। मैं अलाऊ नहीं कर रहा हूं। बिल्कुल अलाऊ नहीं कर रहा हूं। मैं कोई चीज भी अलाऊ नहीं कर रहा।

माननीय नेता प्रतिपक्ष: दिल्ली के ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर को अगर.....

माननीय अध्यक्ष: मैं कोई चीज भी अलाऊ नहीं कर रहा।

माननीय नेता प्रतिपक्ष: अगर भाजपा का कोई वरिष्ठ विधायक अगर सवाल कर रहा है तो ये नहीं कहना चाहिए कि आप क्या बकवास कर रहे हैं। ये डिप्टी सीएम को शोभा नहीं देता है। ये शोभा नहीं देता है और देश के गृह मंत्री के बारे में अपशब्द कहें हैं, देश के गृह मंत्री अमित शाह जिन्दाबाद, देश के गृह मंत्री अमित शाह जिन्दाबाद,

(विपक्ष के सदस्यों द्वारा सदन में नारेबाजी करते हुए सदन से
वाँक आउट किया गया।)

...(व्यवधान)

माननीय उप-मुख्य मंत्री: अध्यक्ष महोदय, क्योंकि एक महत्वपूर्ण मुद्दा था उस पर मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ.....

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: भई अब दो मिनट चुप।

उप-मुख्य मंत्री: मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ केजरीवाल जी की सरकार का आदरणीय मुख्य मंत्री जी का और पूरी सरकार का रूख स्पष्ट करना चाहता हूँ। सरकार का रूख अनुकम्पा नियुक्तियों की जगह अधिकारपूर्ण नियुक्तियों पर है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी की वो चाहे शिक्षक हो या जलबोर्ड का कर्मचारी हो या कोई अन्य कर्मचारी हो सरकार का, अगर अपनी ड्यूटी करते हुए किसी दुर्घटनावश उसको कोई नुकसान पहुंचता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, ईश्वर ना करे, लेकिन फिर भी अगर किसी परिवार में ऐसा हो जाता है तो उसको अधिकार के आधार पर नौकरी मिलनी चाहिए अनुकम्पा के आधार पर क्यों मिले। ये सरकार का रूख है। अब क्योंकि सरकार के पास में सर्विस डिपार्टमेंट नहीं है, नौकरियों की शर्तें, नौकरियां देने, लेने का काम, नौकरी ट्रांसफर का काम ये सब भारतीय जनता पार्टी ने चुनी हुई सरकार से छीन कर, इस विधान सभा से छीन कर अपने अधीन ले रखा है। मैं उम्मीद करूंगा कि माननीय सदस्य नारे बाजी करके क्योंकि उनको पता था कि वो अनर्गल प्रलाप में, 'बकवास' शब्द ठीक है, कई बार शब्द होता है, कई बार अपेक्षित होता है नहीं होता, अनर्गल प्रलाप कर रहे थे उसमें चले गए लेकिन अगर हिम्मत है तो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में, क्योंकि उनके पास ये सर्विस डिपार्टमेंट है, ये प्रस्ताव लेकर आए ना कि कोरोना की वजह से या किसी भी परिस्थिति में, किसी भी अन्य कारण से अगर किसी सरकारी कर्मचारी की ड्यूटी करते हुए, अपनी ड्यूटी निभाते हुए मृत्यु होती है तो गारंटीड रूप से उसके परिवार के सदस्यों को, उसके परिवार के किसी जिम्मेदार सदस्य को नौकरी दी जाएगी। केजरीवाल जी की सरकार इस पक्ष में है, अधिकार आपके पास में है, करके दिखाइए सवाल क्या पूछते हो।

माननीय अध्यक्ष: सुश्री भावना गौड़ जी।

सुश्री भावना गौड़: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से प्रश्न संख्या नं० 23 का जवाब चाहूंगी।

क्या माननीय **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पालम विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जलाशयों (जोहड़) का विवरण, उनकी स्थिति और क्षेत्र क्या है;

(ख) क्या यह सत्य है कि इन्हें दिल्ली विकास प्राधिकरण को हस्तांतरित कर दिया गया है;

(ग) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण इनके रखरखाव के लिए जिम्मेदार है और इनकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) क्या यह सत्य है कि भू-माफिया ने ऐसे अनेक जलाशयों पर अतिक्रमण कर लिया है;

(ङ) यदि हाँ, तो इसका विवरण क्या है;

(च) क्या यह भी सत्य है कि इन स्थानों पर बिल्डर्स द्वारा अनधिकृत निर्माणकार्य किए जा रहे हैं; और

(छ) यदि हाँ, तो इन्हें रोकने और इनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए उत्तरदायी विभाग कौन-सा है?

शहरी विकास मंत्री (श्री सत्येन्द्र जैन): आदरणीय अध्यक्ष महोदय प्रश्न संख्या 23 का जवाब इस प्रकार है:

(क) दक्षिणी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार पालम विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत दो जलाशय पड़ते हैं। खसरा नं० 153 एवं 155,

पालम गांव, जिनका रखरखाव का कार्य दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा कराया जाता है। उनको दिल्ली विकास प्राधिकरण को हस्तांतरित नहीं किया है। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के अधीन उपरोक्त दो जलाशयों पर कोई अतिक्रमण नहीं है।

राजस्व विभाग, दिल्ली सरकार से जवाब लंबित है।

(ख) उपरोक्तानुसार।

(ग) उपरोक्तानुसार।

(घ) उपरोक्तानुसार।

(ङ) उपरोक्तानुसार।

(च) उपरोक्तानुसार।

(छ) उपरोक्तानुसार।

माननीय अध्यक्ष: भावना जी।

सुश्री भावना गौड़: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि नीचे एक पंक्ति लिखी राजस्व विभाग, दिल्ली सरकार से जवाब लम्बित है। ये जवाब सर कब तक मिलेगा। ये दिल्ली का राजस्व विभाग कोई विदेश में तो बैठा नहीं है। कल भी राजस्व विभाग की तरफ से दो जवाब आने थे जिसमें मंत्री जी ने कहा कि एक का जवाब आधा अधूरा था जो सदन में पेश नहीं हो सका। दूसरा जवाब लम्बित था, तीसरा जवाब भी लम्बित है। सर ये सरकार का राजस्व विभाग ही जवाब क्यों नहीं देता है। मेरे साथ के बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जिन्होंने रेवेन्यू से क्वेश्चन किया, उनका जवाब आज तक नहीं आया। अध्यक्ष

महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगी कि ये मामला प्रिविलेज को भेजा जाए कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट से किसी भी सवाल का जवाब सदन में क्यों नहीं आता। दस दिन की अवधि होती है निश्चित। हमारे विधायक प्रश्न लगाते हैं दस दिन पहले और वो नियमित रूप से सवाल यहां से सम्बन्धित विभाग को भेजे जाते हैं। हर विभाग अपना जवाब यहां पर भेजता है। स्टार में क्वेश्चन लगते हैं। अन-स्टार्ड के क्वेश्चन लगते हैं। लेकिन रेवेन्यू विभाग का जवाब प्रोपर तरीके से नहीं मिलता। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि ये मामला प्रिविलेज कमेटी को भेजा जाए। शुक्रिया।

श्री सौरभ भारद्वाज: अध्यक्ष जी, कल भी हमने रेवेन्यू डिपार्टमेंट से कुछ सवाल पूछे थे जिनका जवाब नहीं आया और आज हमने बहुत सारे सवाल एमसीडी से पूछे थे उनके जवाब भी सन्तोषजनक नहीं हैं। तो मेरा भी आपसे ये निवेदन रहेगा, मैं आपको रिटन एप्लीकेशन भी दूंगा कि इन मामलों को आप जो है उचित कमेटी में भेजें ताकि इनका जवाब आए। क्या है कि हर बार ये होता है कि इनको क्वेश्चन्स एंड रैफरेंस कमेटी में रैफर करते हैं उस पर बहुत टाईम हमारा वेस्ट होता है और एमसीडी के कमिश्नर्स जो हैं वो एक तो आते बहुत कम हैं और अगर आते हैं तो फिर वो जवाब कम आते हैं। आप इसमें थोड़ी अपनी तरफ से कड़ी रूलिंग दें ताकि इनके जवाब जो है जल्द से जल्द हम लोग इकट्ठे कर सकें।

श्री विशेष रवि: मैंने सुबह एक मुद्दा उठाया था और उन्होंने बताया था कि आज उसी मुद्दे के ऊपर हमारे इलाके में सुबह साढ़े सात बजे दुकानें सील कर दी गई हैं। उसका जवाब नहीं दिया इन्होंने।

माननीय अध्यक्ष: वो आपने दे दिया मुझे।

श्री विशेष रवि: मैंने सर दे दिया है आपको। बता रहा हूँ आपको क्योंकि इन्होंने जवाब नहीं दिया इसका ठीक से। तो मेरी प्रार्थना ये है कि मेरे इस ईश्यू को भी आप किसी कमेटी में भेजें और जल्द से जल्द इसके निपटारे के लिए आदेश दें।

सुश्री भावना गौड़: रेवेन्यू जवाब नहीं भेज रहा ये समझ में नहीं आता। अध्यक्ष महोदय डीडीए जवाब नहीं दे रहा है, एमसीडी जवाब नहीं दे रहा है, ये दिल्ली पुलिस जवाब नहीं दे रही वो मैटर तो हमें समझ में आता है लेकिन ये राजस्व विभाग रेवेन्यू डिपार्टमेंट तो दिल्ली सरकार का है, दिल्ली सरकार में बैठे हुए अधिकारी जवाब क्यों नहीं दे रहे। सर ये प्रिविलेज को भेज दीजिए इस मामले को।

श्री अजय दत्त: प्रिविलेज में भेजिए और स्पेशली जो डीएम है और जो उसके अधिकारी है जो काम नहीं कर रहे हैं जो जवाब नहीं दे रहे हैं उनको यहां पर हाजिर करा कर पूछिए क्या हो रहा है।

माननीय अध्यक्ष: चलिए क्वेश्चन रेफरेंस कमेटी को ये जिन भी विभागों ने उत्तर नहीं दिये हैं उनको रैफर करते हैं।

श्री सौरभ भारद्वाज: एक छोटा सा निवेदन है अध्यक्ष जी क्वेश्चन...

माननीय अध्यक्ष: मेरे ख्याल ये प्रिविलेज कमेटी को भेजें। क्वेश्चन रैफरेंस के बजाय प्रिविलेज को भेजें that is the privilege of the House.

श्री सौरभ भारद्वाज: हाँ सर।

माननीय अध्यक्ष: अखिलेश जी ठीक कह रहे हैं।

सुश्री भावना गौड़: सर मंत्री जी से मेरा सवाल था ये लम्बित जवाब कब तक मिलेगा। हम तो कुछ उम्मीद भरी दृष्टि से आपकी ओर देखें ना सर।

माननीय शहरी विकास मंत्री: अध्यक्ष महोदय, आज बाई चांस इस समय राजस्व मंत्री है नहीं और कोई अधिकारी भी नहीं है जिनसे मैं पूछ कर बता पाऊँ। उन्होंने ऐसा कुछ टाइम दिया नहीं है। फिर भी मैं आशा कर सकता हूँ कि जल्दी ही मिलेगा मैक्सिमम दस दिन में पन्द्रह दिन में मिल जाना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष: क्वेश्चन रैफरेंस कमेटी को ये सारे, हॉ प्रिविलेज कमेटी को सॉरी, प्रिविलेज कमेटी को ये रैफर किये जाते हैं सारे क्वेश्चन्स। सदन इस बात से सहमत है। (सदस्यों के हॉ कहने पर) ठीक है। श्री विशेष रवि जी।

श्री विशेष रवि: सर मैं माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि वो प्रश्न संख्या नं० 24 का उत्तर देने की कृपा करें:

क्या माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) माननीय मंत्री/आयुक्त को श्रीमती सरला देवी के आवेदन को एफएसओ द्वारा रद्द किए जाने और रिश्वत माँगे जाने के संबंध में लिखे मेरे पत्र संख्या 116411 दिनांक 18.11.2020 पर की गई कार्रवाई का विवरण क्या है;

(ख) आयुक्त को एसी-23 करोलबाग क्षेत्र में पिछले बचे हुए राशनकार्ड आवेदनों के संबंध में लिखे मेरे पत्र संख्या 115774 दिनांक 28.09.2020 पर की गई कार्रवाई का विवरण क्या है; और

(ग) पहले अस्वीकृत कर दिए गए/रद्द कर दिए गए राशनकार्ड आवेदनों पर पुनर्विचार करने तथा करोलबाग विधानसभा क्षेत्र में लंबित राशनकार्ड आवेदनों का

विवरण प्रदान किए जाने के संबंध में मेरे पत्र दिनांक 09.11.2021 पर की गई कार्रवाई का विवरण क्या है?

अध्यक्ष महोदय प्रश्न नं. 24 का उत्तर निम्न प्रकार है:

(क) उक्त पत्र संख्या के संबंध में माननीय विधायक जी को पत्र संख्या 433 दिनांक 19.12.2020 द्वारा वस्तुस्थिति से अवगत कराया गया। पत्र की कापी संलग्न है।

(ख) उक्त पत्र के संबंध में माननीय विधायक जी को बताना चाहते हैं कि माननीय विधायक जी के पत्र के बाद कुल तीन सौ चौसठ (364) राशन कार्ड के आवेदनों का निस्तारण किया गया है। पत्र की कापी संलग्न है।

(ग) उक्त पत्र में माननीय विधायक जी के कार्यालय द्वारा भेजे गये 7 आवेदनों व 14 अन्य आवेदनों समेत कुल 21 आवेदन, जिला शिकायत निवारण अधिकारी, दरियागंज को अनुमोदन हेतु भेज दिये गये हैं। इस संबंध में माननीय विधायक जी को पत्र संख्या 689 दिनांक 27.12.2021 द्वारा वस्तुस्थिति से अवगत कराया गया। पत्र की कापी संलग्न है।

माननीय अध्यक्ष: स्पलीमेंट्री विशेष जी।

श्री विशेष रवि: सर प्रश्न संख्या न0 'क' में मैंने ये पूछने की कोशिश की थी कि एक महिला जिसकी उम्र 17 साल है, उसका अचानक घर बैठे कार्ड कैंसल कर दिया गया। उसका रीजन जब हमने जानने की कोशिश की तो विभाग ने कहा कि उनके घर पर गाड़ी है। बाद में हमने जांच की तो वहां पर कोई गाड़ी नहीं थी। ऐसी कोई बात नहीं थी। हमने इसकी शिकायत की, उस बुजुर्ग महिला ने बताया कि जो आदमी उनके घर पर आया था उसने उनसे कुछ पैसे

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर

97

14 पौष, 1943 (शक)

संलग्नक प्र. 24

आम आदमी पार्टी
Cont. : +91-9953758914, 99998 81090.
Add. : I-18/542, Military Road, Bapa Nagar
Karol Bagh, New Delhi-110008
E-mail : karolbaghmla@gmail.com



VISHESH RAVI
M.L.A.
(KAROL BAGH)

PGC AC-23 Helpline No. : 011-25758864

Ref. No. 115779/28/9/2020

Date 28/9/2020

The Commissioner
Central
Food & Supplies Department
K-Block, Vikas Bhawan, I P Estate
New Delhi - 110002

Additional (Central)
AC (Central)

Subject: Heavy backlog of ration cards applications from Karol Bagh constituency

Dear Sir,

Several applicants of new ration cards have approached me for their applications pending with your office for 2-3 years.

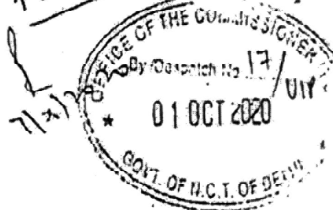
I understand that more than 1000 cases of ration cards are pending with your office and several more at DGRO. Due to the prevailing Covid-19 endemic, people are going through hard times and delay in getting ration cards is further adds to their woes.

I request you to look into the matter and get cleared the pending cases at your earliest.

Thanking you
Sincerely,

(Vishesh Ravi)
MLA, Karol Bagh Constituency
AC-23

For C-23



508

06/10/2020

6218

01/10/2020

16.11.20
05/10/2020

Department of Food, Supplies and Consumer Affairs
Govt. of NCT of Delhi

Approvals/Registration New Entry Various Modules Reports and FCS Accounts FSO: Rajesh Kumar (Circle 23)

Date Wise Report Of FSO Approval Status

From Date (DD/MM/YYYY): 28/09/2020 To Date (DD/MM/YYYY): 28/12/2021
Select Phase of Application: Phase-II
View Report

Phase-II Details

Sr No	Circle	FSO Name	Contact No.	Detail of Applications as On: 27/12/2021 05:10:26 AM				Action Taken within Selected Time Period				
				Total Nos.	Disposed	Not ready for Approval	Ready for Approval Within 30 Days	More Than 30 Days	Approved	Rejected	Re-Verification	Total Disposed
1	23 - KAROL BAGH	Rajesh Kumar	9810270110	25192	23759	1269	72	0	233	46	85	364
	Total			25192	23759	1269	72	0	233	46	85	364

GOVT. OF NCT OF DELHI
OFFICE OF THE FOOD & SUPPLY OFFICER, CIRCLE-23, KAROL BAGH
MATA RAMESHWARI NEHRU NAGAR, NEW DELHI-110005

NO.FSO/C-23/KN/2020/433

Dated 19-12-2020

To,

The Hon'ble MLA
Karol Bagh constituency,
New Delhi - 05.

Subject :- Action taken on the DO letter no 116163 dt 20/10/2020 and 116411 dt 18/11/2020 regarding the Grievance of Smt Sarla Rani.

Sir,

On the subject cited above action taken report regarding the grievance of Smt Sarla Devi and brief chronology of case are as under.

1. A reference from your office vide ref no 116163 dt 20/10/2020 regarding the grievance of Smt Sarla Rani was received in this office vide diary no 662/AC central dt 28/10/2020. (Copy attached). In her Grievance Smt Sarla Rani stated that she have received ration till 2013. An employee of the ration office has denied ration on this card and asked to apply for a new ration card. She has applied for the ration card. A person came to her house for the inspection and asked for a bribe for clearing the application. She denied for the bribe and her application was rejected because there is a govt employee in her family. (Copy of her complaint is attached)
2. Accordingly her status was checked on the NFS portal by entering her Aadhar card no. It was found that her ration card was cancelled on 15/09/2014 by the then FSO. There was no specific reason found for the rejection of her application. Copy of status report of her application is attached. We have written a letter to Smt Sarla Rani vide letter no 411 dt 10/11/2020 wherein she was requested to file the application addressed to the DGRO along with latest electricity bill and copies of Aadhar card so that her card may be restored but the letter was received back as undelivered. (Copy attached) We have also sent the copy of the same to your office for information. We also tried to contact her on the given number but her phone was sounding as temporarily out of service.
3. Now this second D.O letter is received from your office vide ref no 116411 dt 18/11/2020 (Copy attached) wherein it is stated that the response from F&S officer is unsatisfactory and unacceptable as the application from Sarla Rani has been delayed intentionally for months during

the time of pandemic. It was requested in the D.O letter to assist Sarla Rani to get her ration card and to conduct an inquiry against the officer for asking bribe and harassing senior citizen.

4. Accordingly we again tried to reach her through telephone on 16/12/2020 and 17/12/2020 but her phone was sounding as temporarily out of service. It is further submitted that the application of Smt Sarla Rani was rejected in the year 2014. At present there is no case of Smt Sarla Rani is pending with us. As she has not applied for the restoration the card no inquiry was conducted by the FSI in recent months. We have tried so many times to contact her through telephone but every time her phone was sounding as out of service. We have also written a letter to her but it was received back as undelivered.

Further it is submitted that she may appeal to the DGRO/ADM central who is the appellate authority for the restoration of the cancelled/rejected ration card for the Karol Bagh Constituency situated at 14, Darya Ganj, New Delhi-110002. We can process her application as soon as order of the appellate authority is received in our office.

Yours faithfully

Encl as above


FOOD & SUPPLY OFFICER
CIRCLE-23, KAROL BAGH

Dated 19/12/20

NO.FSO/C-23/KB/2020/439

Copy to:-

1. PA to Commissioner, Food & Civil Supply.
2. Assistant Commissioner, District Central.
3. Assistant Commissioner, Vigilance Branch.


FOOD & SUPPLY OFFICER
CIRCLE-23, KAROL BAGH

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर

100

04 जनवरी, 2022

GOVT. OF NCT OF DELHI
OFFICE OF THE FOOD & SUPPLY OFFICER, CIRCLE-23, KAROL BAGH
MATA RAMESHWARI NEHRU NAGAR, NEW DELHI-110005

Dated 27/12/2021

No.FSO/C-23/KB/2021/689

To,

The Hon'ble MLA
Karol Bagh constituency,
New Delhi-05.

Subject:- Action taken report regarding D.O letter no 1204914 dt 09/11/2021 from your office regarding the reconsideration of previously cancelled card of seven applicants and the details of pending ration cards applications in circle-23, Karol Bagh.

Respected Sir,

It has the reference to the D.O. letter no 119784 dt 09/08/2021 from your office addressed to the commissioner, food & civil supply, vide which the documents of seven applicants forwarded for necessary action whom ration cards/ applications have been rejected in the past for the various reasons. It was also desired in the letter to share the details of pending ration cards application pertaining to circle-23, Karol Bagh.

Accordingly, it is submitted that twenty one applications of cancelled cards have been forwarded to the ADM/DGRO central vide letter no 688 dt 20/12/2021 for the reconsideration including the seven application forwarded from your office. However as per NFS portal there are 1269 applications for fresh ration cards showing pending in circle-23, Karol Bagh.

The status is submitted for your kind information.

Yours faithfully


FOOD & SUPPLY OFFICER
CIRCLE-23, KAROL BAGH

Copy to:

1. AC Central for information.

की बात की। उन्होंने मना कर दिया तो उस महिला का कार्ड अधिकारी ने काट दिया। मेरा इसमें निवेदन ये है जो उत्तर आया है वो सही नहीं आया है। मेरा निवेदन इसमें मंत्री से ये है कि इस मामले की विजिलेंस जांच कराई जाए क्योंकि उस महिला ने साफतौर पर ये कहा है कि मेरा कार्ड जो है गलत काटा गया है।

खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री: अध्यक्ष महोदय, अगर माननीय विधायक जी को गलत अवगत कराया गया है क्योंकि मुझे ये बताया गया है कि विभाग ने उस महिला के यहां एक चिट्ठी भी भेजी थी जो वहां से वापिस आ गई स्पीड पोस्ट से कि वो वहां रहती नहीं है। मुझे ये बताया गया कि वो उस एड्रेस पर रहती नहीं है और ये केस 2014 का है। 2014 में उनका राशन कार्ड कैंसल हुआ था और माननीय विधायक जी ने मेरे ख्याल से अब 2020 में इसको दोबारा इसको देखा है। अगर किसी भी व्यक्ति ने उनके साथ गलत किया है और वो मतलब गलत हुआ है तो उस पर कार्यवाही की जाएगी।

श्री विशेष रवि: विजिलेंस जांच की मेरी आपसे रिक्वेस्ट है।

माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री: नहीं जो भी जांच हमें जहां तक भी करानी पड़े उसको कराएंगे और अगर किसी ने गलत किया है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही होगी।

श्री रोहित कुमार: सर सीमिलर केस मेरे यहां भी बहुत बार आए हैं और मेरे पड़ोस में एक जो ई-रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति उसका भी कार्ड कैंसल कर दिया गया ये कहते हुए कि आपके घर में कार है। तो वो खुद एक ई-रिक्शा चालक है जो कि मेरे घर के पीछे गली में रहता है और उसको मैं भली भांति जानता हूं, उसके घर में कोई कार नहीं है, उसको भी बाद में यह बोला गया

कि आप डिपार्टमेंट में जाइए, डिपार्टमेंट में ये लिखवाकर लेकर लाइए कि आपके पास में कोई कार नहीं है। डिपार्टमेंट कहता है कि जब आपके पास कार का नम्बर ही नहीं है, जब कार का नम्बर होगा तभी तो बताएंगे कि इस व्यक्ति के नाम पर है या नहीं है। इस तरह नहीं बताया जा सकता। इस तरह से लोगों को चक्कर कटाए जाते हैं सर। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: आप लिखकर दीजिए, कोई ऐसा केस है तो लिखकर दीजिए। कमेटी को रैफर करेंगे। प्रमिला टोकस जी।

श्रीमती प्रमिला धीरज टोकस: माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से प्रश्न नं० 25 प्रस्तुत है:

क्या माननीय शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेहरू एकता कैंप बस्ती विकास केंद्र में आम आदमी मोहल्ला क्लीनिक खोले जाने के संबंध में जिसे पहले एक निष्क्रिय संगठन ने लिया हुआ था के बारे में मेरे लिखे पत्र पर की गई कार्रवाई का विवरण क्या है;

(ख) क्या अपने परिसरों का बस्ती विकास केंद्र आदि के द्वारा इस्तेमाल किए जाने पर समीक्षा करने हेतु विभाग का कोई तंत्र है;

(ग) यदि है, तो उसका विवरण प्रदान करें, और

(घ) नेहरू एकता कैंप बस्ती विकास केंद्र को कब तक खाली करा लिया जाएगा और इस परिसर को आम आदमी मोहल्ला क्लीनिक खोलने हेतु उपलब्ध करा दिया जाएगा?

शहरी विकास मंत्री: आदरणीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 25 का उत्तर इस प्रकार है:

(क) माननीय विधायिका श्रीमती प्रमिला धीरज टोकस द्वारा प्राप्त किये गये पत्र के आधार पर अधिशासी अभियंता सी-5 से प्राप्त सूचना दिनांक 06.10.2021 के अनुसार नेहरू एकता कैंप बस्ती विकास केन्द्र, बंद पाया गया एवं स्थानीय निवासियों के अनुसार पिछले तीन वर्षों से कोई भी गैर सरकारी संस्था इस बस्ती विकास केन्द्र में कार्य नहीं कर रही है। (अनुलग्नक 'क')

(ख) बस्ती विकास केन्द्र का किसी भी संस्था/ट्रस्ट/संगठन को आवंटन 17वीं बोर्ड मीटिंग के आदेशानुसार दिनांक 28.09.2016 से बंद है। (अनुलग्नक 'ख')

(ग) उपरोक्त के अनुसार

(घ) नेहरू एकता कैंप बस्ती विकास केन्द्र को खाली कराने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है तथा बस्ती विकास केन्द्र के खाली होने की सूचना मिलते ही आई.ए.एल शाखा को आम आदमी मोहल्ला क्लीनिक आवंटन करने हेतु रिपोर्ट दे दी जाएगी ताकि आई.ए.एल शाखा को आवंटन कर सकें और मोहल्ला क्लीनिक जल्द से जल्द खोला जा सके।

माननीय अध्यक्ष: सप्लीमेंट्री।

श्रीमती प्रमिला धीरज टोकस: अध्यक्ष जी, मैंने पूछा था कि खाली कब होगा। इन्होंने वहां पर जाकर पता किया कि तीन साल से बंद पड़ा हुआ है। इन्होंने 06/10 को वहां पर सर्वे किया। 'ख' में ये खुद ही कह रहे हैं कि 28.09.2016 से बंद था किसी संस्था को दिया ही नहीं। फिर मैंने कहा कि

अनुलग्नक-क

DELHI URBAN SHELTER IMPROVEMENT BOARD
GOVT OF NCT OF DELHI
OFFICE OF DY. DIRECTOR (BVK)
D-10, VIKAS KUTIR, ITO NEW DELHI -110002

NO : F-2(80)/BVK/16/2021/D-181

Dated : 17/9/2021

SUB : Regarding NOCs for opening of AAMC in Basti Vikas Kendra,
Nehru Ekta Colony, R.K. Puram, Sector -07.

This is in continuation of this office letter dated 31/08/2021 on the subject noted above wherein you were requested to provide feasible report of Basti Vikas Kendra, Nehru Ekta Colony, R.K. Puram, Sector -07 within 7 days. But, it is regretted to say that your report is still awaited.

You are once again requested to send the report immediately along with the factual status of the activity of the allotted NGO as Hon'ble MLA Pramila Tokas R.K. Puram has also requested for cancellation of allotment of the current allottee NGO of the aforesaid BVK on grounds of non-activity for three years and give possession of the said BVK to the CDMO New Delhi to start an Aam Aadmi Mohalla Clinic in the public interest (copy of the reference attached).

The matter should be assigned priority.

[Signature]
Dy. Director (BVK)

To.

✓ 1.EE C-5
DUSIB(GNCTD), 1, Kilokari Ring Road,
Opp. Maharani Bagh, New Delhi -110014

Copy for information to :

2.SE -II

DUSIB(GNCTD), 1, Kilokari Ring Road,
Opp. Maharani Bagh, New Delhi -110014 with the request to expedite the
submission of reply from the concerned EE (C-5).

[Signature]
Dy. Director (BVK)

*Pl. examine
and put up
in the
after coming
from the
office.*

*The said Permisses in the reference was found docketed.
As per local inquiry it is come to notice that NAO is not
working since long time i.e. 03 yrs.*

30/10/21

21/11/21

Submitted at.

17/11/21

अनुलग्नक-ख

**DELHI URBAN SHELTER IMPROVEMENT BOARD
GOVT. OF NCT OF DELHI
Punarvas Bhawan, New Delhi
(Meeting Cell)**

NO: Meeting Cell/DUSIB/DD(Board)2016/D77

Dated: 21.10.2016

Sub: Minutes of the 17th Meeting of Delhi Urban Shelter Improvement Board (DUSIB) held on 28.09.2016.

Sir/Madam,

Please find enclosed herewith the minutes of the 17th Meeting of Delhi Urban Shelter Improvement Board (DUSIB) held on 28.09.2016 and duly approved by Hon'ble Chairperson, DUSIB for kind information.

Yours faithfully

(D. Karthikeyan)
Dy. Director (Board)

Distribution:

1. Hon'ble Chief Minister, GNCT of Delhi/Chairperson of DUSIB.
2. Hon'ble Minister of Urban Development, GNCT of Delhi/Vice Chairperson of DUSIB.
3. Shri Sahi Ram, MLA, Tughlakabad (AC No. 52).
4. Shri Akhilesh Pati Tripathi, MLA, Model Town (AC No. 18).
5. Shri Hazari Lai Chauhan, MLA, Patel Nagar (AC No 24).
6. Vice Chairman, DDA.
7. Jt. Secretary (L&W), M/o UD, Gol, Nirman Bhawan representative of M/o UD.
8. Pr. Secretary (UD), UD Deptt., GNCT of Delhi.
9. Chairperson, NDMC.
10. CEO, Delhi Jal Board.
11. Director (Local Bodies), GNCT of Delhi.
12. CEO, DUSIB.

- L3. Member (Admn), DUSIB.
- 14. Member (Power), DUSIB.
- 15. Member (Engg.), DUSIB.
- 16. Member (Finance), DUSIB.
- 17. Shri Bipin Kumar Rai, Expert (non-official).
- 18. Shri A.K. Gupta, Expert (non-official).

Special Invitees:

- 1. Hon'ble Dy Chief Minister, Govt, of NCT of Delhi.
- 2. Chief Secretary, Govt of NCT of Delhi.
- 3. Principal Secretary (Finance), Govt of NCT of Delhi.
- 4. Managing Director, DSIIDC.

The Board considered the actual receipts and expenditures for the year 2015-16 and Budget Estimates for the year 2016-17 in respect of DUSIB and approved the budget proposals.

Agenda Item No. 17/5

Relocation of JJ basti existing on NH-24 in the area of Vinod Nagar on the request of National Highway Authority of India to widen the NH-24.

CEO, DUSIB informed the Board that about 410 JJ dwellers have been identified during the joint survey conducted by DUSIB and NHAI for relocation. The Hon'ble Dy. Chief Minister asked the basis for identifying only 410 although the number is much more in the two JJ Bastis coming in the way of widening of Delhi-Meerut Expressway (NH24). The Hon'ble Chairperson/Chief Minister directed the CEO, DUSIB to examine the proposal again and address the concerns raised by the Hon'ble Dy. Chief Minister before finalizing the proposal in accordance with the Delhi Slum & JJ Rehabilitation and Relocation Policy-2015.

Agenda Item No. 17/6

Additional terms & conditions for granting permission to use of Basti Vikas Kendras for organizing community development activities.

CEO, DUSIB informed that there are 317 BVKs, out of which 29 are fully vacant and 07 are partly vacant. He also informed that notices were issued to 125 allottee agencies for violation of terms and conditions of the allotment. He also informed that after examining the replies received from the allottee agencies, allotment of 20 BVK's has already been cancelled by DUSIB. Board appreciated the efforts of DUSIB in this regard and directed

DUSIB to explore the possibility of using the vacant BVKs to operate Mohalla Clinic/ Poly Clinic so that the vacant BVKs can be optimally utilized and also directed to not-allot the BVKs unless a comprehensive view is taken for optimum utilization of the premises.

**LIST OF MEMBERS/OFFICERS WHO ATTENDED THE
17TH BOARD MEETING OF DUSIB ON 28.09.2016**

1. Sh Arvind Kejriwal, Hon'ble Chairperson/Hon'ble Chief Minister. Delhi.
2. Sh Manish Sisodia, Hon'ble Dy Chairman/Hon'ble Dy CM.
3. Sh. Satyendar Jain, Hon'ble Minister of UD.
4. Sh A.K. Tripathi, Hon'ble MLA/Member.
5. Sh. Sahi Ram, Hon'ble MLA/Member.
6. Sh. Hazari Lal Chauhan, Hon'ble MLA Member.
7. Sh. Janak Digal Principal Secretary, UD.
8. Sh. V.K. Jain, CEO, DUSIB.
9. Sh. Keshav Chandra, CEO, Delhi Jal Board.
10. Sh. K.R. Meena, MD, DSIIDC.
11. Shri M.C. Yadav, Chief Engineer, DSIIDC.
12. Sh. S.N.A. Najmi, Member (Finance & Admn.) Delhi Jal Board.
13. Sh. Anand Mohan, L&DO, Ministry of UD, GOI.
14. Sh. Rakesh Bali. Special Secretary (E), Govt. of NCT of Delhi.
15. Sh. Shripal, Pr. Commissioner, DDA.
16. Pankaj Asthana, Member (Amn.), DUSIB.
17. Sh. Ravi Dadhich, Member (Power), DUSIB.
18. Shri M.K. Tyagi, Member (Engg.), DUSIB.
19. Sh. A.K. Gupta, Member.
20. Sh. Bansh Raj, Pr. Director (Rehab.), DUSIB.
21. Shri Shanti Swaroop, Chief Engineer-I, DUSIB.
22. Sh. S.K Mahajan, Chief Engineer-II, DUSIB.
23. Shri Brij Mohan, FA, DUSIB.
24. Shri R.K. Gupta, Director, DUSIB.

इसको खाली कराकर मोहल्ला क्लीनिक बनाया जाए, इसमें कह रहे हैं कि अभी खाली करा रहे हैं। जब पांच साल से हमने किसी को दिया ही नहीं तो खाली ही होगा और खाली क्या कराएंगे इसको। पांच साल से खाली है और खाली क्या कराएंगे। मुझे ये समझ में नहीं आया अध्यक्ष जी।

स्वास्थ्य मंत्री: ये जो अलॉटमेंट है लगता है पहले की गई है। हमने बताया कि 28.09.2016 के बाद से नई अलॉटमेंट नहीं हुई है। क्योंकि अलॉटमेंट पहले थी तो लीगल प्रोसीजर तो पूरा करना ही पड़ेगा। इसको जल्द ही खाली कराकर, मुझे लगता है लगभग दो महीने या तीन महीने के अंदर खाली करा कर यहां पर मोहल्ला क्लीनिक जल्द से जल्द खोला जाएगा।

श्रीमती प्रमिला धीरज टोकस: कब तक हो जाएगा।

माननीय अध्यक्ष: दो तीन महीने कहा है, दो तीन महीने में खाली करा कर..। महेंद्र गोयल जी अनुपस्थित हैं, प्रश्न संख्या 26 के लिए। प्रश्न संख्या 27 बंदना कुमारी जी।

श्रीमती बंदना कुमारी: माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से प्रश्न संख्या 27 प्रस्तुत है:

क्या माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि यदि व्यक्ति लगातार दो या तीन बार राशन न ले तो राशनकार्ड को रद्द कर दिया जाता है;

(ख) क्या ऐसा किया जाना उन व्यक्तियों के प्रति अन्याय नहीं है जो किसी आपात् स्थिति या अपरिहार्य कारणों से राशन नहीं ले पाते;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि ऐसे व्यक्तियों को पुनः नया कार्ड बनावाने के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है;

(घ) क्या यह भी सत्य है कि जब नए कार्ड के लिए अंवेदन किया जाता है तो पहले वाले कार्ड की स्थिति को 'सक्रिय' दिखाया गया होता है, जिसके कारण बहुत समस्याएँ होती हैं;

(ङ) क्या यह भी सत्य है कि वर्ष 2014 में रद्द किए गए कार्ड के लिए अभी भी 'पहले ही आवेदन किया जा चुका है' दिखाया जा रहा है, जिससे लोगों को बहुत कठिनाई हो रही है;

(च) नया कार्ड जारी करने सहित इन सभी प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(छ) शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय राशनकार्डों का विस्तृत विवरण;

(ज) शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र में गत एक वर्ष में रद्द किए गए राशनकार्डों का विवरण; और

(झ) इन्हें रद्द किए जाने के कारण क्या हैं?

माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री: माननीय अध्यक्ष महोदय प्रश्न संख्या 27 का उत्तर निम्न प्रकार से है:

(क) टी.पी.डी.एस खण्ड 3 (13) और खण्ड 4 (18) एवं 4 (19) एवं उपभोक्ता मामले एवं खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, एवं खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार पत्र संख्या एफ 23/5/2015 काम्प/पी.टी.(ई:329782) दिनांक 06.04.2018(संलग्न) के अनुसार यह कार्यवाही की जाती है यद्यपि पूर्ण रूप से सत्यापन के पश्चात ही यह कार्य किया जाता है।

(ख) ओ.एन.ओ.आर.सी और ई.पी.ओ.एस के कार्यान्वयन के बाद अन्तर्राज्य और राज्य में (inter and intra state) पोर्टेबिलिटी के परिणाम स्वरूप कहीं से भी लाभार्थी द्वारा राशन लिया जा सकता है।

(ग) जी नहीं, पुनः राशन कार्ड सक्रिय कराने हेतु डी.जी.आर.ओ के पास आवेदन करने की सुविधा दी गयी है और ऐसे व्यक्तियों जिनको डी.जी.आर.ओ से राहत आदेश मिलता है उन व्यक्तियों को पुनः राशन कार्ड जारी करने में एफ.आई.एफ.ओ. पहले आओ पहले पाओ की वरीयता 8म से उच्च श्रेणी में रखा जाता है।

(घ) दिनांक 28.12.2021 को यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे कार्डों में निहित आधार को मुक्त किया जाय जिससे पुनः आवेदन संभव किया जा सकें।

(ङ) उपरोक्तानुसार।

(च) नये राशन कार्ड बनाने की प्रक्रियाओं को सरल बनाने हेतु: ऑन-लाईन ई-डिस्ट्रिक्ट से स्वयं या मंडल कार्यालय की मदद से अपना आवेदन दर्ज करा सकते हैं। इसके पश्चात वह अपने आवेदन की वर्तमान स्थिति ऑनलाइन पता कर सकता है। इसके अतिरिक्त आवेदक ई-डिस्ट्रिक्ट पर आवेदन दर्ज कराने के लिए मोबाइल सहायक एप्प की सेवाएं ले सकता हैं।

(छ) 14030 राशन कार्ड हैं जिनमें 54690 हितग्राही हैं।

(ज) शून्य

(झ) उपरोक्तानुसार।

(q) words and expressions not defined in this Order but defined in the Act, or the Food Security Act, shall have the meaning respectively assigned to them in those Acts.

3. Identification of eligible households.—(1) The State-wise percentage coverage of eligible households under the Food Security Act in rural and urban areas respectively for receiving subsidised foodgrains under the Targeted Public Distribution System shall be as in column 4 of Annex-I.

(2) The State-wise ceiling on coverage of number of persons belonging to eligible households for receiving subsidised foodgrains under the Targeted Public Distribution System, indicated in column 5 of Annex-I, shall be under the following two categories—

- (i) existing Antyodaya households;
- (ii) remaining to be covered under priority households category to be identified by State Government as per criteria to be evolved by them subject to the other provisions of this Order.

(3) The State-wise number of Antyodaya households shall not exceed the accepted number of Antyodaya households in that State, as specified in column 6 of Annex-I:

Provided that when an Antyodaya household becomes ineligible on account of migration outside the State, improvement in social or economic status, death, etc., no new Antyodaya household shall be identified in that State and the total number of Antyodaya households shall be reduced to that extent.

(4) Upon a reduction in the number of Antyodaya households, the States may increase the coverage of the persons to that extent in the priority category, subject to the ceilings prescribed in sub-clause (2).

(5) The State Government shall prepare and notify the guidelines for identification of priority households in the rural and urban areas, with special focus on coverage of all the vulnerable or needy sections of the society, and display the guidelines in the public domain including on the State web portal.

(6) For the purpose of allocation of subsidised foodgrains under Targeted Public Distribution System by the Central Government, there shall be no increase in the State-

wise number of persons covered under Targeted Public Distribution System till the data from the next population Census, after the commencement of this Order, becomes available.

(7) The list of eligible households shall be drawn up by the designated authority in respect of area under their jurisdiction.

(8) The State Government shall get the provisional list of eligible households displayed in the public domain including the office of the local authority and on the State web portal, showing the category-wise lists of eligible households and their members.

(9) The State Government shall use the list of persons as compiled during Census of India by the Registrar General and Census Commissioner or voters list notified by Election Commission of India or Socio Economic and Caste Census data or any other authentic source of data to cross-check and verify the list of eligible households and their members.

(10) The State Government shall prescribe the detailed procedure for finalisation of the list of eligible households covering, *inter-alia*, aspects like the process of drawing up of draft list, putting the draft list in the public domain including reading out of the list in meetings of the Gram Sabha or equivalent body in urban areas, inviting objections, disposal of objections, appeals and so on.

(11) The head of the local authority and the designated authority shall jointly verify and certify the final list of eligible households and the local authority shall pass a resolution adopting the final list of the eligible households.

(12) The final list of the eligible households shall be displayed in the public domain including office of the local authority and on the State web portal, showing the category-wise names of eligible households and their members.

(13) The State Government shall regularly review the list of the eligible households for the purpose of deletion of ineligible households or inclusion of eligible households.

(14) During the review, the State Government shall take into account, *inter-alia*, the increase in the number of eligible households or their members due to migration in to the State, birth, marriage, change in social and economic status and the decrease in the number of eligible households or their members due to migration outside the State, death, marriage, change in social or economic status:

Provided that the total number of eligible households after the review shall not exceed the ceilings prescribed in sub-clause (2).

4. Ration Cards.—(1) The State Government shall issue ration cards to the eligible households as mentioned in the final list specified under sub-clause (12) of clause 3:

18

THE GAZETTE OF INDIA:EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

Provided that while issuing ration cards to the eligible households, the State Government shall ensure that the coverage of the number of eligible households is not merely done with a view to exhaust the State-wise ceiling of number of eligible households.

(2) The State Government shall issue a ration card only to a citizen of India who is resident of that State and who fulfills the conditions for getting a ration card as may be prescribed by the State Government:

Provided that the State Government may also issue a ration card to a household or a person residing in that State by virtue of the household or person being granted the status of a refugee and is allowed the entitlement of benefits on humanitarian grounds by the Central Government.

(3) The State Government shall ensure that a ration card, whether paper based or a smart card, is issued for use under the Targeted Public Distribution System or schemes mentioned in the Food Security Act or a specific scheme of the State Government for distribution of essential commodities.

(4) While issuing a smart card, the State Government shall ensure that a point of sale electronic device for reading the smart card is installed at the fair price shop.

(5) The State Government shall issue separate and distinct ration cards to the Antyodaya households and the priority households.

(6) Ration card shall not be used as a document of identity or proof of residence.

(7) The State Government shall prescribe a suitable form of application for new ration card and modification in the existing ration card.

(8) Any modification referred to in sub-clause (7) may be on account of shifting of residence, birth or death, change in category of beneficiary, corrections in the details mentioned in the card or any other such reason.

(9) The form referred to in sub-clause (7) may include requisite details including Aadhaar number, bank account details, and mobile telephone number.

- (10) The State Government shall retain all the information under this clause in the software prepared by National Informatics Centre or as per the fields and standards prescribed by the Central Government.
- (11) The State Government shall maintain the ration card data in the digitised database and ensure that issue of a new ration card and modification in the existing ration card is undertaken through the software programme so that the database is automatically updated.
- (12) The State Government shall designate the authority and office for receiving, registering, acknowledging and processing of application for issuance of ration card or modification in the ration card.
- (13) The State Government may also prescribe the procedure for receiving the application through online mechanism including the use of e-service centres, kiosks.
- (14) The designated authority shall issue a ration card to an eligible applicant within a reasonable time not exceeding one month of the date of receipt of the application after necessary checks and verification.
- (15) The State Government shall issue a ration card in replacement of existing ration card only when the existing ration card is lost or becomes unfit for use on account of being damaged or mutilated or is exhausted fully or where there are requests for modification in the ration cards.
- (16) The details of the services relating to the ration cards and timeframe for delivery of services shall be notified by the State Government and displayed in the public domain including on the State web portal.
- (17) The list of the ration card holders shall be displayed in the public domain including in the office of the local authority and on the State web portal, showing the category-wise names of the eligible households and their members.
- (18) The State Government shall make all endeavours to eliminate bogus or ineligible ration cards as a continuous exercise.
- (19) The State Government shall organise an annual special drive before the end of every financial year for the elimination of bogus or ineligible ration cards.
- (20) The State Government shall submit a report of ration cards deleted or cancelled on quarterly basis to the Central Government in the format at Annex-II.

5. Scale of issue and issue price.—The Central Government shall make available foodgrains from the Central Pool to the State Governments for distribution under the Targeted Public Distribution System to eligible households at such scales and prices as specified under Food Security Act.

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर

115

14 पौष, 1943 (शक)

File No.2

1p/Pl)

86/1590

F.No.23/5/2015-Comp.(PL)(E:329782)
Government of India
Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution
Department of Food and Public Distribution

Krishi Bhawan, New Delhi
Dated: 06/04/2018

To

Principal Secretary/Secretary,
Deptt. of Food and Civil Supplies,
State Governments of - Andhra Pradesh, Bihar, Chhattisgarh, Delhi, Gujarat, Goa,
Haryana, Himachal Pradesh, Jharkhand, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh,
Maharashtra, Orissa, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu, Telangana, Uttar Pradesh
& West Bengal.

Subject:- Minutes of the Video Conference for review of the scheme on "End-to-End Computerization of TPDS Operations" held on 19th March, 2018 at Krishi Bhawan, New Delhi-reg.

Sir/Madam,

I am directed to forward herewith a copy of minutes of the Video Conference held on 19th March, 2018 under the Chairmanship of Joint Secretary (BPPD) in Room No.167, Krishi Bhawan, New Delhi for review of implementation of the scheme on "End-to-End Computerization of TPDS Operations" for kind information and necessary action, please.

Yours Faithfully,

Signature valid
Date: 06/04/2018
Place: New Delhi

Encl: As above.

(B.K. Hembrom)
Under Secretary to the Govt. of India
Tele: 011-23383941

Copy for information:

1. PS to JS (BP, PD), Department of Food & PD, Krishi Bhawan, New Delhi.
2. DDG, NIC, CGO Complex, New Delhi.

5/5/27
19/4/18

प्राप्ति व निर्गम शाखा
सं. 1253
दिनांक 18/4/18

Sup

17/4

86/1590/27

Pe Rv. Arjun
Points by de/

We will discuss
at 3 PM on Sat. day
M. T.

Minutes of the Video Conference held under the Chairmanship of Joint Secretary (BPPD), Department of Food & Public Distribution with 22 States/UTs on 19th March 2018 at Room No. 167, Krishi Bhawan, New Delhi.

A Video Conference was held under the Chairmanship of Joint Secretary (BP,PD), Department of Food & Public Distribution on 19th March 2018 at Room No. 167, Krishi Bhawan, New Delhi.

2. List of participants is annexed.

3. Welcoming the participating representatives of States/UTs, Joint Secretary (BP,PD) highlighted that D/oFPD with help of NIC-HQ has developed Annavitran Portal and NFSA Dashboard, but regular updating and accuracy of data continue to pose challenges. He referred to the reports highlighting such inconsistencies and said that the purpose of the VC is to understand the reasons for inconsistencies in the data and efforts made by States/UTs to address them. He also invited the attention of the participants to the unfinished task of aadhaar seeding in some of the states and validation of seeded Aadhaar numbers in several states and the sense of urgency with which these tasks needed to be attended to in view of the latest directions of Hon'ble Supreme Court on extending the deadline for the use of Aadhaar in welfare schemes.

3. Following agreements were arrived at after detailed discussion:

- i. States/UTs have to plan special drives for seeding/enrollment during distribution of foodgrains in the months of April and May, 2018.
- ii. The special drive will cover detailed verification of the beneficiaries having not lifted foodgrains for at least for three consecutive months to ensure further cleaning of the beneficiary database.
- iii. Since one-time bulk validation of the seeded Aadhaar numbers is necessary for the e-KYC features to work effectively, states/UTs should take up concurrent validation exercise to ensure that entire ration card database is validated and instances of mismatches corrected by June 2018.
- iv. States/UTs must complete online allocation and supply chain automation in all aspects, by 30th April 2018 and ensure that the associated details are available on National NFSA dashboard. It would be difficult for the central government to continue financial support to the States/UTs under the ongoing scheme and the new scheme of IM-PDS if these systems are not put in place at the earliest. Details are enclosed at Annexure-II, Annexure-III and Annexure-IV respectively.

- v. Each state/UT should nominate a Nodal Officer at the state level to check the accuracy of data being reported on the Annavitaran Portal and NFSA Dashboard. The Nodal Officer should also be asked to ensure that all the districts upload the necessary information in respect of unautomated Fair price Shops in the prescribed format by the 7th of every month for the preceding month.
- vi. It was decided that all the states/UTs would upload their information for the months of January, February and March 2018 by 7th of March 2018 without fail.
- vii. Only 6 states/UTs have shared the details of Nodal Officers to create user credentials for the Online Central Allocation system. These details would be shared by all the remaining states/UTs immediately.
- viii. States would ensure that all the District Food and Supply Officers attend the two-day training being organised by the central govt. and states which have been requested to identify the venue for the training would share the details of the venue along with estimated expenditure statement 15th April 2018 positively.
- ix. A one-day workshop for the nodal officers of States/UTs and institutions selected for concurrent evaluation would be held on 6th April 2018 at New Delhi to discuss the scope and strategy for the concurrent evaluation. States/UTs should ensure that Nodal Officers attend the workshop.
- x. Andhra Pradesh, Karnataka, West Bengal, Meghalay, Manipur, Mizoram, Arunachal Pradesh and Nagaland would send the recommendation regarding institutions to be assigned the evaluation work without any further delay.

ANNEXURE-I: SUMMARY OF DISCUSSION, AGREED TIME LINES AND ACTION ITEMS BY STATES/UTs

Sl.	State/ UT	Aadhaar Validation	FPS Auto- mation	Integr- ation Annavi- tran portal	Integr- ation with NFSA Dash- board	Online Allocation	Supply Chain Auto- mation	Anna- vitran manual FPS data

माननीय अध्यक्ष: सप्लीमेंट्री।

श्रीमती बंदना कुमारी: अध्यक्ष जी जिन लोगों के राशन कार्ड किसी कारण कैंसल हो गए हैं उनकी फाइल डीजीआरओ ऑफिस में लगभग 2019 से पेंडिंग बनी हुई है। एफएसओ साहब ने, 2019 में साढ़े चार सौ फाइल गई थी अभी तक मात्र 25 क्लीयर होकर आई हैं। इसमें से लगभग दो ढाई सौ लोगों को मैं जानती हूँ जो जरूरतमंद साथी हैं। अभी गाड़ी की बात आई, गाड़ी तो किसी की भी, दिल्ली के अंदर तो मेरे घर के सामने ही न जाने किस किस की गाड़ी की पार्किंग लगी होगी। वो पार्किंग में किसी की भी गाड़ी किसी के भी घर के सामने लगी होती है। उसके आधार पर जो लाभार्थी हैं उनके कार्ड को कैंसल कर देना, ये मुझे लगता है जायज नहीं है। दूसरा एक इसी से सम्बन्धित ...

माननीय अध्यक्ष: क्वेश्चन क्या है बंदना जी, क्वेश्चन क्या है।

श्रीमती बंदना कुमारी: क्वेश्चन ये ही है कि डीजीआरओ ऑफिस में जो हमारी साढ़े चार सौ फाइल 2019 से पेंडिंग में पड़ी हुई है वो फाइल कब तक क्लीयर होकर आ जाएगी।

खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री: अध्यक्ष महोदय, समय-समय पर डीजीआरओ से मिटिंग लेते रहते हैं क्योंकि डीजीआरओ जो है वो एडीएम को एप्वाइंट किया गया है। एनएफएस एक्ट के अंदर ये प्रावधान है कि हम विभाग के किसी भी अधिकारी से नहीं करा सकते हैं। तो उसके लिए हमें एडीएम को ही, क्योंकि एपीलेट ऑथोरिटी एडीएम है, उसके लिए पिछले दो साल में क्योंकि कोरोना काल भी चल रहा था, लॉक डाउन भी था तो मुझे लगता है उनके यहां हियरिंग कम हुई है। जो सम्बन्धित डीजीआरओ है मैं उनसे बात करके इसको जल्द से जल्द निवारण के लिए बोलूंगा।

माननीय अध्यक्ष: बंदना जी बस इसमें कोई और नहीं।

श्रीमती बंदना कुमारी: सर ये जो पूरी दिल्ली की 72 लाख की बाऊंडिंग है ये शायद 2010 से ही है, जैसा मेरी जानकारी है तो इसकी सीमा कब बढ़ाई जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लाभार्थी हैं जिनको हम सब जानते हैं, जो बहुत ही जरूरतमंद है, उनको चाहिए और उनको हम कैसे ये सुविधा दिला पाएंगे?

खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री: दिल्ली के अंदर एनएफएसए एक्ट के अंदर 72,77,995 लाभार्थियों को ही हम लोग राशन दे सकते हैं जो हमें केन्द्र सरकार ने लिमिट दी हुई है। पिछले दो-तीन साल में मैं दो तीन बार केन्द्र सरकार को चिट्ठी भी लिख चुका हूँ कि हमारी लिमिट बढ़ाई जाए। जिस वक्त रामविलास पासवान जी मंत्री थे उस वक्त उनसे दो-तीन मिटिंग भी हुई। हमने उन्हें रिक्वीजिशन भेजी थी कि वो अब जनसंख्या के हिसाब से हमारा बढ़ाकर इसको 80 लाख कर दें लेकिन वहां से अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। दो-तीन बार वहां बात हो चुकी है और दोबारा एक बार फिर हम केन्द्र सरकार को लिखेंगे कि हमारी लिमिट बढ़ाई जाए।

श्रीमती प्रमिला धीरज टोकस: सर मेरा एक क्वेश्चन है।

माननीय अध्यक्ष: बोलिए।

श्रीमती प्रमिला धीरज टोकस: सर मेरी विधान सभा में जो हमारा एफएसओ है वो बोलता है उनके पास ना स्टाफ है, ना नेट आता है तो काम कैसे करें।

माननीय अध्यक्ष: नहीं अब इस क्वेश्चन में से कैसे उत्तर देंगे। इस क्वेश्चन से रिलेडिट कोई....

श्रीमती प्रमिला धीरज टोकस: मंत्री तो है सर वो जवाब तो दे सकते हैं ना।

माननीय अध्यक्ष: नहीं ऐसे नहीं प्लीज। हॉ जी।

श्री मोहन सिंह बिष्ट: आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूँ कि जो राशन कार्ड रद्द किये गए एपीएल, बीपीएल, जीआरसी कितने राशन कार्ड रद्द किये गए और कब से ये राशन कार्ड बनाए गए है उसकी डेट सीमा बताई जाए।

माननीय अध्यक्ष: रद्द किये गए और....

श्री मोहन सिंह बिष्ट: जैसे 2014-15 के बाद इनको रद्द कर दिया गया। इनकी संख्या क्या है? एपीएल की क्या है, बीपीएल की क्या है, जीआरसी की क्या है और 2014 और 2015 से कितने राशन कार्ड आज तक बनाए गए?

माननीय अध्यक्ष: मोहन सिंह जी इस क्वेश्चन में से..

श्री मोहन सिंह बिष्ट: सर इसी का है पार्ट 'क'

माननीय अध्यक्ष: बताईए मंत्री जी जवाब दे सकते हैं, बताईए।

श्री मोहन सिंह बिष्ट: सर दे सकते हैं 'क' में है।

माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री: मैं माननीय विधायक जी को अवगत कराना चाहता हूँ कि एनएफएसए एक्ट जो है 2013 के अंदर बना था जो केन्द्र सरकार ने बनाया था। उस दौरान सारे ही राशन कार्ड जो पहले थे वो सारे के सारे रद्द हुए और उसके बाद ये दोबारा बनाए गए 2013 में जो प्रक्रिया एनएफएसए एक्ट बना। तो मुझे लगता है माननीय विधायक जी तो काफी पुराने विधायक हैं, कई बार के जीते हुए हैं, इन्हें तो सारा पता ही होगा। बीपीएल वगैरह जो है सब उस वक्त खत्म कर दिया गया था और उसमें पी.आर., पी.आर.एस. और ए.ए.वाई.

बनाया गया था जिसकी पूरी जानकारी माननीय विधायक जी को भिजवा दी जाएगी।

माननीय अध्यक्ष: चलिए प्रश्न संख्या 28 सौरभ भारद्वाज जी।

श्री सौरभ भारद्वाज: जी सर, मंत्री जी प्रश्न संख्या 28 का उत्तर देने की कृपा करें।

क्या माननीय **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में प्रवेश स्थलों पर टोल टेक्स व ईसीसी वसूल किए जाने की नीति का संपूर्ण विवरण क्या है;

(ख) दिनांक 1 अप्रैल 2013 से 31 अगस्त, 2021 तक की अवधि के लिए टोलटेक्स व ईसीसी के रूप में वसूल किए गए राजस्व का विवरण जिसमें इसे एकत्रित करने वाली एजेंसी या वेंडर का नाम, अब तक वसूल न पाने वाली या वेंडर के पास लंबित राशि, कोर्ट केस या पंचनिर्णय के मामलों की जानकारी भी हो;

(ग) विभिन्न टोल प्रवेश स्थलों का विस्तृत विवरण तथा क्या वे किसी वेंडर/एजेंसी को आवंटित कर दिए गए हैं या नहीं, यदि कर दिए गए हैं तो एजेंसी का नाम व संपर्क विवरण और यदि नहीं किए गए हैं, तो क्यों नहीं किए गए;

(घ) दिनांक 1 अप्रैल 2013 से 31 अगस्त, 2021 तक की अवधि के दौरान उत्पन्न राजस्व का विवरण जिसके साथ लाइसेंस, टोल/ईसीसी प्रदान किए जाने की अवधि, लाइसेंसधारी वेंडर या एजेंसी का नाम, कुल उत्पन्न राजस्व,

एजेसी/वेंडर के पास लंबित धनराशि, एजेसी/वेंडर को दी गई कटौती या छूट, विवाद या कोर्ट केस के विवरण की जानकारी भी हो;

(ड) दिनांक 1 अप्रैल 2013 से 31 अगस्त, 2021 तक की अवधि के लिए टोलटेक्स और ईसीसी के रूप में अनुमानित और वसूल की गई वास्तविक राजस्व राशि का विवरण जिसमें अनुबंध की अवधि, वेंडर/एजेसी का नाम व पता, व लंबित राशि, यदि कोई हो, की जानकारी भी दी गई हो;

(च) टोलटेक्स और ईसीसी एकत्रित किए जाने हेतु मैसर्स एमईपी इनफ्रास्ट्रक्चर के साथ किए गए अनुबंध का विवरण जिसमें संपर्क का पता, अनुबंध की अवधि, अनुबंध के अनुसार अनुमानित राजस्व और वास्तव में वसूल किया गया राजस्व, दिल्ली सरकार को हस्तांतरित ईसीसी राशि तथा यदि कोई लंबित राशि हो तो उस सबका विवरण भी हो;

(छ) टोलटेक्स और ईसीसी एकत्रित किए जाने हेतु मैसर्स सहकार ग्लोबल लि0-जेवी के साथ किए गए अनुबंध का विवरण जिसमें संपर्क का पता, अनुबंध की अवधि, अनुबंध के अनुसार अनुमानित राजस्व और वास्तव में वसूल किया गया राजस्व, दिल्ली सरकार को हस्तांतरित ईसीसी राशि तथा यदि कोई लंबित राशि हो तो उस सबका विवरण भी हो; और

(ज) 1 जनवरी 2011 से 30 नवंबर 2021 की अवधि के दौरान विभिन्न श्रेणियों के वाहनों के दिल्ली में प्रवेश करने संबंधी आँकड़े/जानकारी, चाहे वह जानकारी एमसीडी/परिवहन विभाग/वेंडर/एजेसी या किसी अन्य पार्टी द्वारा एकत्रित की गई हो?

शहरी विकास मंत्री: प्रश्न संख्या 28 का उत्तर निम्न प्रकार है:

(क) दिल्ली में प्रवेश करने वाले निर्दिष्ट वाणिज्य वाहनों से पथकर शहरी विकास विभाग के द्वारा जारी की गयी अधिसूचना दिनांक 31.10.2007 तथा दिल्ली नगर निगम की धारा 113(2) (जी) के अनुसार वसूला जाता है। अनुलग्नक 'क' संलग्न हैं।² ईसीसी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 09.10.2015 के अनुपालन में पर्यावरण विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 20.10.2015 के अनुसार वसूली जाती है। अनुलग्नक 'ख' संलग्न हैं।³

(ख) दिनांक 01.04.2013 से 31.08.2021 तक की अवधि में पथकर के रूप में एकत्रित किए गये राजस्व की विवरण एजेंसी तथा एजेंसी के पास लंबित राशि तथा कोर्ट केस का विवरण अनुलग्नक 'ग'⁴ पर दिया गया है तथा दिनांक 6 नवम्बर 2015 से 31 अगस्त 2021 तक की अवधि में ई.सी.सी. के रूप में एकत्रित किए गए राजस्व का विवरण एजेंसी तथा एजेंसी के पास लंबित राशि तथा कोर्ट केस का विवरण अनुलग्नक-घ⁵ में दिया गया है।

(ग) पथकर एवं ई.सी.सी. एकत्रित करने के लिए निर्धारित प्रवेश स्थलों का विवरण, वर्तमान एजेंसी का नाम तथा सम्पर्क विवरण अनुलग्नक-ड⁶ में दिया गया है।

(घ) दिनांक 1 अप्रैल 2013 से 31 अगस्त 2021 तक की अवधि के दौरान उत्पन्न राजस्व का विवरण जिसके साथ लाईसेंस टोल ई.सी.सी. प्रदान किये जाने की अवधि लाईसेंस धारी वेंडर या एजेंसी का नाम, कुल उत्पन्न राजस्व,

2. <http://delhiassembly.delhi.gov.in> पर उपलब्ध।

3. <http://delhiassembly.delhi.gov.in> पर उपलब्ध।

4. <http://delhiassembly.delhi.gov.in> पर उपलब्ध।

5. <http://delhiassembly.delhi.gov.in> पर उपलब्ध।

6. <http://delhiassembly.delhi.gov.in> पर उपलब्ध।

एजेन्सी/वेडर के पास लंबित धनराशि, एजेन्सी/ वेडर को दी गयी कटौती या छूट, विवाद या कोर्ट केस के विवरण अनुलग्नक 'ग' और 'घ' के अनुसार है।

(ङ) दिनांक 1 अप्रैल 2013 से 31 अगस्त 2021 तक की अवधि के लिए टोल टैक्स और ई.सी.सी के रूप में अनुमानित और वसूल की गयी वास्तविक राजस्व राशि का विवरण जिसमें अनुबंध की अवधि, वेडर/एजेन्सी का नाम व पता व लंबित राशि का विवरण अनुलग्नक 'च' में दिये गये हैं।

(च) टोल टैक्स या ई.सी.सी एकत्रित किये जाने हेतु मैसर्स एम.ई.पी. इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ किये गये अनुबंध का विवरण जिसमें संपर्क का पता, अनुबंध की अवधि, अनुबंध के अनुसार अनुमानित राजस्व और वास्तव में वसूल किया गया राजस्व, दिल्ली सरकार को हस्तांतरित ई.सी.सी राशि तथा यदि कोई लंबित राशि के विवरण अनुलग्नक 'छ'⁸ में दिये गये हैं।

(छ) टोल टैक्स और ई.सी.सी एकत्रित किये जाने हेतु मैसर्स सलाहाकार ग्लोबल लिमिटेड- जे.वी. के साथ किये गये अनुबंध का विवरण जिसमें संपर्क का पता, अनुबंध की अवधि, अनुबंध के अनुसार अनुमानित राजस्व और वास्तव में वसूल किया गया राजस्व, दिल्ली सरकार को हस्तांतरित ई.सी.सी राशि तथा यदि कोई लंबित राशि के विवरण अनुलग्नक 'ज'⁹ में दिये गये हैं।

(ज) दिनांक 1 जनवरी 2011 से 30 नवम्बर 2021 की इस अवधि के दौरान विभिन्न श्रेणियों के वाहनों के दिल्ली में प्रवेश करने संबंधी आंकड़े, कुछ अवधि को छोड़कर, अनुलग्नक 'झ'¹⁰ के रूप में संलग्न है।

0:56:36

M 56-1.24/04.01.2022/PB/

7. <http://delhiassembly.delhi.gov.in> पर उपलब्ध।

8. <http://delhiassembly.delhi.gov.in> पर उपलब्ध।

9. <http://delhiassembly.delhi.gov.in> पर उपलब्ध।

10. <http://delhiassembly.delhi.gov.in> पर उपलब्ध।

जारी...55.28

माननीय अध्यक्ष: सप्लीमेंटरी सौरभ जी। चलिए थैंक्यू। प्रश्न संख्या 29 श्री रघुविंदर सिंह शौकीन जी।

श्री रघुविंदर शौकीन: आदरणीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री प्रश्न संख्या 29 का उत्तर दें।

क्या माननीय **खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नांगलोई विधानसभा क्षेत्र में जारी कुल राशनकार्डों का विवरण व कुल लाभार्थियों की संख्या;

(ख) अपात्र कार्ड धारकों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का विवरण; और

(ग) राशनकार्ड धारकों के सत्यापन के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री (श्री इमरान हुसैन): अध्यक्ष महोदय प्रश्न नंबर 29 का उत्तर इस प्रकार है:

(क) राशन कार्ड की कुल संख्या	लाभार्थियों की कुल संख्या
32,339	1,32,183

01.09.2013 से आज तक

(ख) रद्द किये गये राशन कार्ड का विवरण सी.डी में दिया गया है।¹¹

(ग) आवेदक द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़ों जैसे बिजली कनेक्शन, सम्पत्ति के स्वामित्व, वाहन के स्वामित्व, सरकारी रोजगार, गृहकर/आयकर दाता के अनुसार आवेदनों की जांच की जाती है। खाद्य और आपूर्ति विभाग द्वारा जारी किये गये मानदंडों और दिशानिर्देशों के अनुसार सर्कल एफ.एस आई द्वारा आयोजित विधिवत

11. <http://delhiassembly.delhi.gov.in> पर उपलब्ध।

भौतिक सत्यापन/स्थानीय पूछताछ, और यदि योग्य पाये जाते हैं, तो आगे की आवश्यक कार्यवाही के लिए प्रेषित कर दिया जाता है।

माननीय अध्यक्ष: सप्लीमेंटरी शौकीन जी।

श्री रघुविंदर शौकीन: मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा क्या सरकार, जैसे हरियाणा और राजस्थान में कार्डधारी के घर के बाहर ये बीपीएल परिवार है ऐसा लिखा होता है, क्योंकि अभी दिल्ली में बहुत सारे ऐसे कार्डधारी हैं जो बीपीएल परिवार से ना होते हुए भी राशन ले रहे हैं, क्या सरकार का कार्डधारियों के घर के बाहर राजस्थान की तरह कि ये परिवार बीपीएल कार्डधारी हैं, लिखवाने का कोई प्रावधान है?

माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री: अभी तक ऐसा कोई प्रावधान नहीं है लेकिन आप जो कह रहे हैं उस पर संज्ञान लिया जाएगा। यदि कोई ऐसा कर रहा है तो उसे खुद सोचना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, अगर वो बीपीएल में नहीं आता है तो उसे खुद छोड़ देना चाहिए। ये मेरी आपके माध्यम से भी अपील है।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या -30 श्रीमान बिधूड़ी जी।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी (माननीय नेता, प्रतिपक्ष): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से प्रश्न संख्या 30 प्रस्तुत है:

क्या माननीय **उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई आबकारी नीति के अंतर्गत दिल्ली में खोली गई शराब की दुकानों की संख्या क्या है;

(ख) जहाँ ये दुकानें खोली गई हैं या जहाँ इन्हें खोले जाना प्रस्तावित है, उन स्थानों का विवरण;

(ग) क्या यह सत्य है कि नई आबकारी नीति के अंतर्गत शराब की दुकानों को नॉन कनफर्मिंग क्षेत्रों, मिक्स्ड लैंडयूज क्षेत्रों और आवासीय क्षेत्रों में भी खोलने की अनुमति है; और

(घ) क्या यह भी सत्य है कि मास्टर प्लान के अनुसार शराब की दुकानें केवल वाणिज्यिक संपत्तियों में ही खोली जा सकती हैं?

उप-मुख्यमंत्री (श्री मनीष सिसोदिया): अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 30 का के संदर्भ में मुझे बताना है:

(क) नई आबकारी नीति 2021-22 के तहत दिनांक 27 दिसंबर 2021 तक दिल्ली में खोली गई दुकानों की संख्या 501 है।

(ख) जहां यह दुकानें खोली गई हैं उन स्थानों का विवरण अनुलंङ्गक-अ पर संलग्न है।

(ग) आबकारी नीति 2021-22 के अनुसार किसी भी मॉल, अधिसूचित वाणिज्यिक सडकों/गलियों लोकल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, कम्युनिटी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में दुकान खोलने का प्रावधान है।

नॉन कनफर्मिंग क्षेत्रों में शराब की दुकान खोलने से संबंधित प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है। विगत आबकारी नीति में भी कंपीटेंट अथॉरिटी से इजाजत लेकर नॉन कनफर्मिंग क्षेत्रों में दुकानें खोलने की अनुमति दी जाती रही है।

(घ) जी हाँ, मास्टर प्लान के अनुसार किसी भी मॉल, अधिसूचित वाणिज्यिक सडकों/गलियों, लोकल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, कम्युनिटी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में शराब की दुकान खोलने का प्रावधान है।

हालांकि विगत वर्षों में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पश्चात नॉन कनफर्मिंग क्षेत्रों में दुकानें चलाने की अनुमति दी गयी थी।

अनुलग्नक-अ

#	Zone Name	Ward No.	Ward Name	Address Line 1	Address Line 2
1	2	3	3	4	5
1	Zone-1	067-S	Lado Sarai	28, Ground and Basement	Community Centre, Saket
2	Zone-1	067-S	Lado Sarai	Dsc-121, 122, 123 & 124, Ground Floor,	DLF South Court, Saket
3	Zone-1	067-S	Lado Sarai	Dsc-131, 132 And 133, GF, DLF South Court,	Saket, New Delhi
4	Zone-1	022-N	Bhalswa	Plot No. 656, Ground Floor, CSC Mig Housing,	Pocket-C, Jahangirpuri
5	Zone-1	067-S	Lado Sarai	Shop No-10 & 11, Ground Floor, Square One Mall,	District Centre, Saket
6	Zone-1	103-S	Madanpur Khadar East	Shop No. 10, LSC, Pocket-D & E,	Sarita Vihar
7	Zone-1	067-S	Lado Sarai	Shop No. 11, Ground Floor, First Floor & Second Floor,	CSC DDA Market, Lado Sarai
8	Zone-1	080-S	Pushp Vihar	Shop No. 12 & 13, Sector-V,	Pushp Vihar, New Delhi
9	Zone-1	040-E	Maujpur	Shop No. 190/5, Main Road,	Maoujpur
10	Zone-1	039-E	Welcome Colony	Shop No. 2/724, Old No. 9008-E,	West Rohtash Nagar, Shahdara
11	Zone-1	080-S	Pushp Vihar	Shop No. 4, 5 & 6, Ground Floor,	Sector-3, Pushp Vihar, M.B. Road

12	Zone-1	0052-N	Lakshmi Park	Shop No. 60/2/2, Village Nangloi Jat,	New Delhi
13	Zone-1	067-S	Lado Sarai	Shop No. 8, Ground Floor,	CSC DDA Market, Lado Sarai
14	Zone-1	021-N	Jahangirpuri	Shop No. C-1903, 1998 & 1999,	Ground Floor, Jahangirpuri
15	Zone-1	039-E	Welcome Colony	Shop No. G-39, Plot No. 813/1,	G.T. Road Shahdara
16	Zone-1	039-E	Welcome Colony	Shop No. G-7 & G-8, Plot No. 813/1	G.T. Road, Shahdara
17	Zone-1	067-S	Lado Sarai	Shop No. GF-06, Mgf Metropolitan Mall,	Saket
18	Zone-2	018-E	Anand Vihar	G2,G3,G5, Neelkanth Chamber-3 & G2,G3 Ajnara Complex	Lsc, Savita Vihar
19	Zone-2	015-E	Shakarpur	Ground & 1st Floor of DA-1	Vikas Marg, Shakarpur
20	Zone-2	007-S	Vishnu Garden	Plot No. B-1/83/84, Khasra No. 23/2	Khyala Village, Vishnu Garden
21	Zone-2	015-E	Shakarpur	Property No. C 46A, Ground Floor	South Ganesh Nagar
22	Zone-2	015-E	Shakarpur	RR-19	Vikas Marg, Shakarpur
23	Zone-2	018-E	Anand Vihar	Shop No. 1,2,3,4,5, Parmesh Complex 1, Plot No. 5	Karkardooma Community Centre
24	Zone-2	101-S	Sarita Vihar	Shop No. 31, 32,41, 42, Lsc	New Friends Colony
25	Zone-2	074-S	Dakshin Puri	Shop No. 6, 8, 10, 11, Lsc	Madangir
26	Zone-2	015-E	Shakarpur	U 60 Upadhayay Block	Shakarpur
27	Zone-2	015-E	Shakarpur	U-68, Upadhayay Block	Shakarpur

1	2	3	3	4	5
28	Zone-2	101-S	Sarita Vihar	Unit No. 17, 18, Ground Floor, Living Style Mall	Pocket 6, Jasola Vihar
29	Zone-2	101-S	Sarita Vihar	Unit No. 3, 4, 5, 6, Pocket 6,	Jasola
30	Zone-2	018-E	Anand Vihar	Unit No. G-7, G-8, Ground Floor, Sagar Chamber, Plot No	LSC Saini Enclave, Vikas Marg
31	Zone-3	076-N	Sangam Park	DD 2, Ground Floor, Rana Pratap Bagh	Sangam Park
32	Zone-3	076-N	Sangam Park	66-31, 33, 34, 60, Vardhman Fortune Mall	GGT Karnal Road
33	Zone-3	012-S	Keshopur	Ground Floor & Basement, G19, 20	Community Centre, Vikaspuri
34	Zone-3	006-S	Tagore Garden	Plot No. 183, 184	Shyama Prasad Mukherjee Park
35	Zone-3	020-S	Vikaspuri	Property No. 43, 44, New Municipal No. WZ-198-B	Uttam Nagar Block B, Main Najafgarh Road
36	Zone-3	020-S	Vikaspuri	Shop No. 1,2,3, Plot No. 6, Lsc	Bodella Phase 2, Vikaspuri
37	Zone-3	103-N	Inderpuri	Shop No. 106, 107, Ground Floor	New Rajinder Nagar
38	Zone-3	103-N	Inder Puri	Shop No. 136, Shankar Road	New Rajinder Nagar
39	Zone-3	002-E	Trilokpuri-East	Shop No. 4/127, 4/163, 4/164, 4/165, 4/166	Trilokpuri
40	Zone-4	009-S	Subhash Nagar	22/347 G/F Shop	Subhash Nagar
41	Zone-4	086-S	Greater Kailash	37, Ground Floor, Community Center	East of Kailash
42	Zone-4	013-N	Malka Ganj	33972, Ground Floor	Roshanara Road
43	Zone-4	013-N	Malka Ganj	5149/15, Harphool Singh Building	Clock Tower

44	Zone-4	075-S	Tigri	Basement and Ground Floor, Plot No. 89-A, Khasra No. 6	A-Block, Devli Extension
45	Zone-4	086-S	Greater Kailash	Building No 17, Ground Floor and Basement	Panchsheel Shopping Centre
46	Zone-4	086-S	Greater Kailash	First Floor 17, Sant Nagar	Near East of Kailash
47	Zone-4	086-S	Greater Kailash	HS-36	Kailash Colony Market
48	Zone-4	054-E	Saboli	Khasra No. 11,10/2, New Mandoli Industrial Area	Mandoli Saboli
49	Zone-4	054-E	Saboli	Khasra No. 561/2, Plot No 3	Village Mandoli
50	Zone-4	066-N	Rani Bagh	Lg-3&4, Plot No. 18 & Plot No. 19, Community Centre	Road No. 44 Pitam Pura
51	Zone-4	075-S	Tigri	Property No A 388, Mangal Bazar Road, Village Tigri	Tehsil Mehrauli, Sangam Vihar
52	Zone-4	086-S	Greater Kailash	Property No.46, Basement & Ground Floor, DDA Shopping	Zamrudpur, Greater Kailash-1
53	Zone-4	009-S	Subhash Nagar	Shop No 1 Ground Floor and First Floor	Community Center, Mayapuri Phase-1
54	Zone-5	009-S	Subhash Nagar	Shop No 15, Community Centre	Mayapuri, Phase 1
55	Zone-4	009-S	Subhash Nagar	Shop No. 1,2,3 & Shop No. 101 First Floor, Situated at 288,	G-8 Area, Rajouri Garden
56	Zone-4	009-S	Subhash Nagar	Shop No. 1&2, No. C-101	Mayapuri Industrial Area, Phase II
57	Zone-4	013-N	Malka Ganj	Shop No. 16 & 17, Ground Floor	Malka Ganj

1	2	3	3	4	5
58	Zone-4	060-N	Rohini-I	Shop No. B-72, B-73, B-74, B-90, Ground Floor, North Ex Mal	Sector-9, Rohini
59	Zone-5	086-N	Ajmeri Gate	5274, GF, Mezzanine Floor,	GB Road
60	Zone-	091-N	Ram Nagar	Municipal No.10812 to 10816 Plot No.5&6, GF	Nabi Karim, Jhandewalan Road
61	Zone-5	016-E	Pandav Nagar	Plot No 53 on Ground Floor	Situated at Pandav Nagar
62	Zone-5	050-N	Peeragarhi,	S-1/1,S-1/2,S-1/3, PVC Market	Jwalapuri
63	Zone-5	065-S	R.K. Puram,	Shop No 2&3, CSC Vasant Palace Market	Malai Mandir, RK Puram, Sec 6
64	Zone-5	035-E	Dilshad Garden	Shop No 27,28,29 Csc Pocket F,	GTB Enclave, Nandnagri
65	Zone-5	091-N	Ram Nagar	Shop No 35, Arakashan Road,	Paharganj
66	Zone-5	065-S	R.K. Puram,	Shop No 6,7,8,9 GF, Sector 12 Market	RK Puram
67	Zone-5	050-N	Peeragarhi	Shop No 1-14 Ground Floor Dsidc Complex	Rohtak Road Near Udyog Nagar Metro Stat
68	Zone-5	016-E	Pandav Nagar	Shop No-145/62 Khasra No 867/868/869	Village Mandawali Fazilpur Ward No 16E
69	Zone-5	086-N	Ajmeri Gate,	Shop No-2/2A, Gf Universal Building	Asaf Ali Road
70	Zone-5	050-N	Peeragarhi	Shop No-26,27,28,29,32 GF CSC	Gh 5&7 ZN G-17 Paschim Vihar Site 1 Ward 50N
71	Zone-5	066-S	Munirka	Shop No-FA-1 and 2 Phase-II LSC DDA Market Ward No 66 S	Munirka New Delhi

72	Zone-5	035-E	Dilshad Garden	Shop No.1,2,3,4,5,6 CSC at CS4 Scheme No1011	Dilshad Garden
73	Zone-5	050-N	Peeragarhi	Shop No.15,15A,17,19	Dmall, Plot No D, Paschim Vihar
74	Zone-5	035-E	Dilshad Garden	Shop No.24,25 GF, F-Block, CSC Market, Gtb Enclave, Nandna	Dilshad Garden
75	Zone-5	091-N	Ram Nagar,	Shop.no.8178, GF, Part Portion of the Property, Street N	Arakasha Road, Qudam Sharif, Paharganj
76	Zone-5	050-N	Peeragarhi	Shops Bearing No 43 to 45	GF Atta Chakki Situated in CSC at GH-10/ G-17
77	Zone-5	066-S	Munirka	SU9, UGF, DDA Building	Bhikajicama Palace
78	Zone-5	066-S	Munirka	UG18 to 20, Plot No 5	Bhikaji Cama Palace
79	Zone-5	016-E	Pandav Nagar	Unit 9 LGF, Parsnath Mall	Akshardham Metro Station
80	Zone-6	025-N	Rohini-B	BG 05 & 06 Ground Floor	RG Metro Arcade Sec 11 Rohini
81	Zone-6	025-N	Rohini-B	Plot No 5 & 6 G F] Service Centre	Opp Sec 11 Ext Psv-iv, Rohini
82	Zone-6	025-N	Rohini-B	Portion of Ground Floor Plot No 10 Service Centre	Sector 5, Rohini
83	Zone-6	054-S	Palam	RZ-1/2 Khasra No. 68/11/2 Main Road	Raj Nagar-1, Palam Colony
84	Zone-6	033-S	Manglapuri	Shop No 1,2,3,4,5 & 6 Ground Floor	Pocket 6, Sector 6, CSC Nasirpur Dwarka
85	Zone-6	054-S	Palam	Shop No 1,2&3 Ground Floor, G-38 & G38A, Part of Khasra	Palam Extension, Sector 7, Dwarka

1	2	3	3	4	5
86	Zone-6 006-E	Gharoli	SHop Nos 11,12,13,20 Ground Floor	CSC No 3, Kondli, Gharoli. Sector B	
87	Zone-6 025-N	Rohini-B	Unit No G-1D, Ground Floor, City Centre	1B3, Twin District Centre, Sec 10, Rohini	
88	Zone-6 006-E	Gharoli	Unit No. 7,8,11&12, Ground Floor and Unit No F4 First Floor	Csc 4, Kondli Gharoli Complex, Sec-B DDA Market	
89	Zone-7 003-S	Raja Garden	A-4, Ground Floor	Vishal Enclave	
90	Zone-7 074-N	Nimri Colony	A-4, Lsc, Ground Floor	Nimri Colony, Ashok Vihar-IV	
91	Zone-7 021-E	Krishna Nagar	Basement & Ground Floor E-4/23, Krishna Nagar	Village Ghondli, Illaqa Shahdara	
92	Zone-7 023-N	Samaypur Badli	C-3, 47/10, Rohini Bawana Road	Sanjay Gandhi Transport Nagar, Samaipur Badli	
93	Zone-7 021-E	Krishna Nagar	C9/10 Ground Floor, Krishan Nagar	Village Ghoundli, Illaqa Shahdara	
94	Zone-7 013-E	Kishan Kunj	D-151-A, Khasra No. 275/85 Abadi Vikas Marg	Laxmi Nagar, Vill Khureji Khas Illaqa Shahdara	
95	Zone-7 003-S	Raja Garden	F-84 Ground Floor Industrial Pocket	District Centre Rajouri Garden	
96	Zone-7 003-S	Raja Garden	G-21 & G-22, Ground Floor Rattan Park	Main Najafgarh Road	

97	Zone-7	023-N	Samaypur Badli	G-6,7 & 8 Vardhaman Plaza Plot No Circular Block	GT Karnal Road Sanjay Transport Nagar
98	Zone-7	023-N	Samaypur Badli	Ground Floor Khasra No 573, Extended Part-1	Village Siraspur Near Mahadev Dharamkanta
99	Zone-7	003-S	Raja Garden	H-12	Bali Nagar
100	Zone-7	023-N	Samaypur Badli	Khasra No. 6/18, Railway Road	Main G Road, Samaipur
101	Zone-7	021-E	Krishna Nagar	Property No 18/2 GR FL & FF Radhey Puri Extension	Jagatpuri Chowk
102	Zone-8	038-S	Dwarka-B	G-8, G-9, G-10, G-23, G-24, Ground Floor, Vardhman Crow	Plot No. 2, Sector 19, Dwarka
103	Zone-8	038-S	Dwarka-B	G1,G2,F3,F4,F5,F6&F7 Manish Twin Plaza-II	Plot No-2 Sector 11, Dwarka
104	Zone-8	058-N	Rohini-G	Ground and Basement of Shop G-02 to G-05 & G-08, G-09	Plot No - 3 Lsc D Block Market Prashant Vihar
105	Zone-8	005-E	Dallupura	Ground Floor and First Floor of Shop No B-2	DDA Complex Gazipur Dairy Farm
106	Zone-8	008-N	Jharoda	Kh. No. 136/21/1, 137/24,25, 138/4/1, 5/1	Main Road, Burari
107	Zone-8	008-N	Jharoda	Khasra No 32/1/1/1 Main Road Burari	Opp Transport Authority Burari Road Jharoda
108	Zone-8	005-E	Dallupura	Plot No 11, Gf Service Centre No 11, Facility Centre No 26	Chilla Dallupura
109	Zone-8	038-S	Dwarka-B	Plot No. 139, Ground Floor, Service Centre,	Sector 20, Dwarka

1	2	3	4	5
110	Zone-8	038-S	Dwarka-B	Plot No. 15, Ground Floor, Service Center, Sector 20, Dwarka,
111	Zone-8	054-N	Mangolpuri-A	Portion Nos. 1,2 and 3, Part of Built-up Property No. 24, P
112	Zone-8	047-S	Dwarka-C	Property Bearing No. 230 Lower Ground/Basement
113	Zone-8	021-S	Hastsal	Shop No 06 and Approx Half Portion of Shop No 5
114	Zone-8	021-S	Hastsal	Shop No 101 First Floor
115	Zone-8	005-E	Dallupura	Shop No 127-128-129,
116	Zone-8	038-S	Dwarka-B	Shop No G-5 & G-7, F-2, F-3, F-4, F-5 & F-6
117	Zone-8	021-S	Hastsal	Shop No. 01,03 & 04 on Ground Floor and First Floor
118	Zone-8	054-N	Mangolpuri-A	Shop No. 14 to 25
119	Zone-8	058-N	Rohini-G	Shop No. 16, 17 & Half Back Side Portion of Shop No. 18, G
120	Zone-8	038-S	Dwarka-B	Shop No. G-1, 2, 3, 9, 10 & 11, Ground Floor
121	Zone-9	034-S	Nangli Sakrawati	114/2b, Khasra No 20, Village Nangli Sakrawati, Ranaji Enclave
122	Zone-9	012-N	Timarpur	21/31-M, Ground Floor Mall Road Near Timarpur

Village Mangol Pur Kalan,
Main KanjhawalaService Lane Sector - 09
DwarkaGround Floor Block C
Hastsal

Csc Market B Block Hastsal

Lsc No. 02, Chilla/Dallupura

Wadhwa Plaza Plot No 11
Dwarka Sec - 6Prem Nagar Plot No A-II
Block R, Uttam NagarDDA Mini Market Mangol
Puri, New DelhiDDA Market, Csc-09, Sec-13,
Rohini, DelhiAditya Complex, Plot No. 4,
Sector-10, DwarkaMain Najafgarh Road,
Najafgarh, New Delh

123	Zone-9	027-E	Raghubarpura	233-A And 11/233, Bearing Plot No 41 and 47, West Azad Nagar	Raghubarpura, Shahdara
124	Zone-9	055-N	Mangolpuri-B	A-27, Commercial Plot	Mangolpuri Industrial Area, Phase 1
125	Zone-9	027-E	Raghubarpura	A-96, Ground Floor, A Block	New Seelampur, Delhi
126	Zone-9	027-E	Raghubarpura	G-141	New Seelampur, Shahdara
127	Zone-9	035-S	Kakraula	Gahlan Plaza, Plot No 615, Ground and First Floor, Kakraula	Main Najafgarh Road, New Delhi
128	Zone-9	020-N	Swami Sharda Nand Colony	Khasra No 1/17, Village Sameyapur	Burari Road, Swaroop Nagar Extension
129	Zone-9	020-N	Swami Sharda Nand Colony	Khasra No 1/21, Gali No 5, Situated in the Area Swaroop	Main Burari Road
130	Zone-9	095-S	Badarpur	MCD No 67-V, First Floor, Khasra No 36/3,	Main Bazar, Badarpur
131	Zone-9	027-E	Raghubarpura	PD-12 R	At Seelampur Metro Station, Package 2
132	Zone-9	034-S	Nangli Sakrawati	Plot No 22 and 23, Khasra No. 38/1, Village Nangli Sakrawati	Ranaji Enclave, Najafgarh, New Delhi
133	Zone-9	055-N	Mangolpuri-B	Plot No 3, Block No T-4,	Mangolpuri Industrial Area Phase-I, New Delhi
134	Zone-9	012-N	Timarpur	Plot No. A-3 and A-4 Idle Truck Parking, Majnu Ka Tilla	Near Timarpur Police Station, Timarpur
135	Zone-9	0312-N	Timarpur	Plot No A-7, Idle Truck Parking,	Behind Police Station Timarpur

1	2	3	3	4	5
136	Zone-9	055-N	Mangolpuri-B	Pvt Shop No 2 and Pvt Shop No 3, Ground Floor at Property	Ground Floor, J.J. Colony, Mangolpuri, New Delhi
137	Zone-9	095-S	Badarpur	Seble Cinema, Lower Ground Floor, Khasra No 111/1,112	Village Tajpur, Badarpur, Mathura Road, New Delhi
138	Zone-9	012-N	Timarpur	Shop No 1 Ground Floor	Plot No 109, Banarsi Dass Estate Timarpur
139	Zone-9	095-S	Badarpur	Shop No 67/P, Bankey Lal Market,	Mathura Road, Badarpur, New Delhi
140	Zone-9	035-S	Kakraula	Unit No. 4,5,6,7,8,35 & 36 Ground Floor Eros Metro Mall	Plot No. 08, Sector-14, Dwarka
141	Zone-10	027-S	Nawada	A 1/51 and A 1/50 Sewak Park	Uttam Nagar, Main Dwarka Road
142	Zone-10	057-S	Lajpat Nagar	A-14, Mezzanine Floor	Lajpat Nagar II
143	Zone-10	027-S	Nawada	A-4 Mohan Garden	Main Najafgarh Road, Uttam Nagar
144	Zone-10	067-N	Paschim Vihar	A-6 Ground Floor, Shubham Enclave	Paschim Vihar
145	Zone-10	018-S	Milap Nagar	A-8 Milap Nagar	Uttam Nagar
146	Zone-10	057-S	Lajpat Nagar	B-23, Ground Floor	Lajpat Nagar II
147	Zone-10	034-E	New Seemapuri	D-51 Shop No. 2 and Mezzanine Floor	Dilshad Colony
148	Zone-10	057-S	Lajpat Nagar	K-96A Ground Floor and First Floor	Lajpat Nagar II

149	Zone-10	037-S	Matiala	Plot No. 1, Kh-17/9, Main Matiala Road	Matiala Extn. Matiala
150	Zone-10	027-S	Nawada	Plot No. 123 and 124	Sewak Park, Nawada
151	Zone-10	027-S	Nawada	Plot No. 274A, Village Nawada	Uttam Nagar
152	Zone-10	037-S	Matiala	Plot No. 30, Kh 18/15 New T Block	Matiala
153	Zone-10	064-N	Pitampura	Plot No. 5 Dp Block	Local Shopping Centre
154	Zone-10	027-S	Nawada	Plot No. 5-A Sham Park Block M	Uttam Nagar
155	Zone-10	028-N	Rithala	Plot No. 6, Service Center	Sector 5, Rohini
156	Zone-10	018-S	Milap Nagar	Plot No. C-17-18 Ground Floor	Jeevan Park Pankha Road Uttam Nagar
157	Zone-10	064-N	Pitampura	Plot No. 21, Block GD	Pitampura
158	Zone-10	067-N	Paschim Vihar	Private Shop No. 4, 84, Avtar Enclave	Paschim Vihar
159	Zone-10	034-E	Newseemapuri	Property No. A-51 Ground and First Floor A Block	Priyadarshni Vihar Tahirpur Shahdara
160	Zone-10	067-N	Paschim Vihar	Shop No. 1 and 101	Csc, A-6, Paschim Vihar
161	Zone-10	018-S	Milap Nagar	Shop No. 1, 2, 3 Ground Floor	PD Area Uttam Nagar East Metro Station
162	Zone-10	067-N	Paschim Vihar	Shop No. 16,17,18,19, 22, 25	Pocket BG-8, LSC Paschim Vihar
163	Zone-10	064-N	Pitampura	Shop No. 29, 30 and 31	Pacific North, Block KP, Pitampura
164	Zone-10	018-S	Milap Nagar	WZ-7B and B-3	Z Block Uttam Nagar
165	Zone-11	006-N	Kadipur	Kno. 22min, Phool Bagh,	Village Ibrahimpur

1	2	3	3	4	5
166	Zone-11	006-N	Kadipur	Khasra No. 5/22, Main 100 F.T. Road,	Nathupura Road, Kadipur
167	Zone-11	093-N	Pahar Ganj	Plot No. 2290-2291, Khasra No. 1416/615 & 616, Ground Floor	Naiwala, Karol Bagh
168	Zone-11	093-N	Pahar Ganj	Plot No. 3, Block No. 7	D.B. Gupta Road, Pahar Ganj
169	Zone-11	002-S	Punjabi Bagh	Plot No. 4 Vardhman C.H.B.S Ltd	Arihant Nagar
170	Zone-11	043-S	Najafgarh	Plot No. 729C & 729D, Khasra No. 53, Ground Floor, Old	Village Najafgarh
171	Zone-11	043-S	Najafgarh	RZ-17, New Roshanpura,	Najafgarh
172	Zone-11	0043-S	Najafgarh	Shop No. 1,2,3,4, KH No. 1625-E/1 Dhansa Bus Stand	Najafgarh
173	Zone-11	065-N	Sraswati Vihar	Shop No. 20, 21 Upper Ground Floor, Wedding Mall	Plot No. 1 Lsc, Sharda Niketan, Pitampura
174	Zone-11	002-S	Punjabi Bagh	Shop No. 35, Basement & Ground Floor	Central Market, Sector II, West Punjabi Bagh
175	Zone-11	085-N	Jama Masjid	Shop No. 3575-76/2, Netaji Subhash Marg	Darya Ganj
176	Zone-11	065-N	Saraswati Vihar	Shop No. G-16, Ground Floor, Arss Felix Mall, Plot No. 40	Community Centre, Block-A, Pashim Puri
177	Zone-11	065-N	Saraswati Vihar	Shop No. G48,G49,G50,G51,G52, Vardhman Fashion Mall	LSC, Road No. 43, Pitampura
178	Zone-11	002-S	Punjabi Bagh	Shop No.12,13,14,15,18,13,20,21 CSC Market	Punjabi Bagh Enclave

179	Zone-11	093-N	Pahar Ganj	Shop No. 29	Pahchkuian Road
180	Zone-12	001-S	Madipur	20 Lgf Paschim Vihar Extension	Main Roktak Road
181	Zone-12	071-N	Tri Nagar	473/1-A Lawrence Road	Main Rampura
182	Zone-12	058-S	Kasturba Nagar	B 42 Ground Floor	Defence Colony
183	Zone-12	096-N	Ranjit Nagar	Flat No 5 New Market Ground Floor and First Floor	West Patel Nagar
184	Zone-12	025-E	Shastri Park	Property No 9/1579 Part A and B	Main Road Gandhi Nagar
185	Zone-12	030-E	Jhilmil	Property No. 28/21/1 Part, Ground Floor	Village Chanrawali Jwala Nagar
186	Zone-12	071-N	Tri Nagar	Property No. 3906/15 Basement and Ground Floor	Kanhiya Nagar Tri Nagar
187	Zone-12	079-S	Madangir	Shop No 19/553 Ground Floor & First Floor	DDA Flats Madangir
188	Zone-12	004-N	Holambi Khurd	Shop No 23,24,25,28,29 & 30	DD Mall Sec-05 Bawana
189	Zone-12	096-N	Ranjit Nagar	Shop No 66 & 67	Ground Floor South Patel Nagar
190	Zone-12	096-N	Ranjit Nagar	Shop No G-3, G-4, G-5A, G-5B Samrat Bhawan	Ranjit Nagar
191	Zone-12	079-S	Madangir	Shop No. 13,14 & 19 Ground Floor Sec-4 Market	Push Vihar Saket MB Road
192	Zone-12	058-S	Kasturba Nagar	Shop No. 17 & 18 Ground Floor	Mehar Chand Market Lodhi Road

1	2	3	3	4	5
193	Zone-12	079-S	Madangir	Shop No. 4, 5 & 6 Cirat Cinema Commercial Complex	Dakshinpuri Madangir
194	Zone-12	058-S	Kasturba Nagar	Shop No. 5&6	Jangpura Extension Market
195	Zone-12	058-S	Kasturba Nagar	Shop No. C-107GF&MF	Lajpat Nagar Part-I
196	Zone-12	058-S	Kasturba Nagar	Shop No. O-8 Ground Floor	Lajpat Nagar-II
197	Zone-12	025-E	Shastri Park	Unit No 8 Upper Ground Floor	Csc Shastri Park TY-A DDA Market
198	Zone-13	101-N	Ramesh Nagar	2/69/1, W.H.S.	Kirti Nagar, New Delhi
199	Zone-13	092-N	Karol Bagh	9780-81-82-83, Gali No 7,	Multani Dhanda, Paharganj, New Delhi
200	Zone-13	104-N	Naraina	A-11 Ground Floor, Community Centre	Block - C, Naraina
201	Zone-13	104-N	Naraina	A-23, Ground Floor,	Naraina Industrial Area, Phase-I, New Delhi
202	Zone-13	088-N	Delhi Gate	A-3/15, Asaf Ali Road Ground Floor Showroom Premises	New Delhi
203	Zone-13	101-N	Ramesh Nagar	Block No B-10, Plot No 15,	Basement and Ground Floor, Rajouri Garden
204	Zone-13	045-E	Yamuna Vihar	C 670 Put of Khasra No 392 Village Ghonda	Gurjar Khadar Main Wazirabad Road Bhajanpura
205	Zone-13	045-E	Yamuna Vihar	C-670 Out of Khasra No 392, Village Ghonda Gujran Khada	Main Wazirabad Road Bhajanpura, Shahdara

206	Zone-13	101-N	Ramesh Nagar	C-9 Ground and First Floor	Mansarovar Garden
207	Zone-13	063-S	Malviya Nagar	D-73 GF Malviya Nagar	New Delhi
208	Zone-13	088-N	Delhi Gate	Ground Floor Premises Rear Portion of the Front Right	Opp. Ajmeri Gate Railway Side, Near Minto Bridge
209	Zone-13	092-N	Karol Bagh	Plot No 9, Upper Ground Floor, Block 21-B	New Rohtak Road, Karol Bagh, New Delhi
210	Zone-13	092-N	Karol Bagh	Shop No 02 and 07, LGF Part of Property Bearing Municipal	Plot No 12, Block No. 56, D B Gupta Road
211	Zone-13	088-N	Delhi Gate	Shop No. 1/5-B, Ground Floor, Asaf Ali Road	Facing Asaf Ali Road, New Delhi
212	Zone-13	088-N	Delhi Gate	Shop No 187 and 188	Kamla Market, New Delhi
213	Zone-13	104-N	Naraina	Shop No 30 Commercial Complex	Naraina Industrial Area Phase I
214	Zone-13	104-N	Naraina	Shop No. 44-A, B-45, Ground Floor, Block-A, Shop No 29, G	I.S.C. Naraina, New Delhi
215	Zone-13	063-S	Malviya Nagar	Shop No. 489/55/2, Ground Floor	M.D. Marg, Sheikh Sarai Village, Corner Malviya Nagar
216	Zone-13	092-N	Karol Bagh	Shop No. A-85, S.p. Mukherjee Market Old Junk Market	Jhandewalan, New Delhi
217	Zone-13	053-S	Malviya Nagar	Shop No. 489/55/1, Basement and Ground Floor, Corner	Malviya Nagar
218	Zone-13	092-N	Karol Bagh	Shop No. B-1 Prehlad Market	Karol Bagh, New Delhi

1	2	3	3	4	5
219	Zone-14	069-S	Vasant Kunj	Plot No. 1/1, Kh No. 478/396/87/1, GF, Opp. Community Center	Main Road Masoodpur Village
220	Zone-14	094-N	Dev Nagar	Plot No. 5410/70, Lower & Upper Ground Floor, Regarpura	Arya Samaj Road, Karol Bagh
221	Zone-14	069-S	Vasant Kunj	Plot No. 1, B-Block, GF,	Local Shopping Centre, Vasant Kunj
222	Zone-14	018-N	Dhirpur	Plot No.64, Khasra No. 63, GF,	Block-A, Kewal Park Extn., Azadpur
223	Zone-15	056-S	Sidharth Nagar	Property No. 101 & 101 C, Kh. No.230, GF,	Hari Nagar, Ashram
224	Zone-14	018-N	Dhirpur	Property No. 454/2, GF, Naniwala Bagh	Commercial Complex, Azadpur
225	Zone-14	094-N	Dev Nagar	Property No. 5727/81, Ground Floor & Basement, Gali No.	Regarpura, Karol Bagh
226	Zone-14	048-E	Subhash Mohalla	Property No. A-189, GF, Kh.No.166/3,	Main Yamuna Vihar Road, Near Ghond Chowk
227	Zone-14	094-N	Dev Nagar	Property No.5419 & 5421, GF & Basement, Gali No. 70,	Arya Samaj Road, Regarpura, Karol Bagh
228	Zone-14	069-S	Vasant Kunj	Shop No 17, 1st Floor, Sector-B ,	Pocket No-3, LSC, Vasant Kunj
229	Zone-14	015-N	Mukherjee Nagar	Shop No 4,5, & 6, Ground Floor, Plot No A-37,A-38 & A-39	Dr. Mukherjee Nagar Commercial Complex

230	Zone-14	056-S	Sidharth Nagar	Shop No 6-1, G-2 & G-3 Building No-1 Malhan One	Sunlight Colony Asharam New Delhi
231	Zone-14	024-N	Rohini-A	Shop No. 6 & 7, GF, LSC No-10	Sector-16, Rohini
232	Zone-14	024-N	Rohini-A	Shop No. 6 & 7, Kh No-33/24, 33/23, 33/26, & 55/2, GF	Samaypur Sec-17, Rohini
233	Zone-14	015-N	Mukherjee Nagar	Shop No. GF-2, GF-3, GF-4 & Mezz. Part of GF-4, Ground & M,	Comm. Centre. Dr. Mukharjee Nagar, Comm
234	Zone-14	048-E	Subhash Mohalla	V-439/1 Main Jafarabad Road	Maujpur Vijay Park
235	Zone-14	082-N	Anand Parbat	Plot No.2, Basement & Ground Floor Shahzada Bagh,	Industrial Area
236	Zone-15	053-N	Rohini-E	S-2/26,28,29 30, Ground Floor & F. Floor,	CSC-3, Pocket-5, Sector-2, Rohini
237	Zone-15	053-N	Rohini-E	Shop No. 1 & 2 Ground Floor W Mall	Mangalam Place, Sector-3, Rohini
238	Zone-15	082-N	Anand Parbat	Shop No. 2/121, New Rohtak Road	Anand Parbat
239	Zone-15	088-S	Chirag Delhi	Shop No. 3, 4, 5, CSC Market,	Sheikh Sarai, Phase-1
240	Zone-15	088-S	Chirag Delhi	Shop No. 33, 34, 35, LSC Sheikh Sarai	Phase - II
241	Zone-15	025-S	Mohan Garden- South	Shop No. 4, Khasra No. 189, Amar Shopping Complex, Bharat Nagar	Dwarka Mor, Main Najafgarh Road, Uttam Nagar
242	Zone-15	026-E	Kanti Nagar	Shop No. 6, Block 4	Kanti Nagar
243	Zone-15	062-N	Shalimar Bagh- North	Shop No. 6, CSC Market, Block U and V	Shalimar Bagh

1	2	3	3	4	5
244	Zone-15	063-N	Shalimar Bagh-South	Shop No. 7 Block-BC, Ground Floor CSC Scheme,	East Shalimar Bagh
245	Zone-15	026-E	Kanti Nagar	Shop No. A-2 And C-2 Ground Floor	Main Road Kanti Nagar
246	Zone-15	025-S	Mohan Garden-South	Shop No. B-8, Rama Park,	Najafgarh Road
247	Zone-15	063-N	Shalimar Bagh-South	Shop No. G-16, G16A, Ground Floor, Shop in Park Mall-2,	Community Centre, Block-B, Shalimar Bagh
248	Zone-15	063-N	Shalimar Bagh-South	Shop No. 6-27, Shop in Park,	Community Centre, Shalimar Bagh
249	Zone-15	053-N	Rohini-E	Shop No. G27, G28, G29, G30 Pearls W Mall, Mangalam Place	Sector-3, Rohini
250	Zone-15	088-S	Chirag Delhi	Shop No. G69, G70, G71, Shopping Cum Office Complex, Co	Triveni Seikh Sarai
251	Zone-15	062-N	Shalimar Bagh-North	Shop No. 1, Kh No. 902/290, Old No. 282	Front Right Portion Main Road, Village Shalimar Bagh
252	Zone-15	053-N	Rohini-E	Shop No. B-7/231, Sector-4	Rohini
253	Zone-16	001-N	Narela	Khasra No. 37/19, GF, Sanjay Colony	Arya Samaj Road, Safiabad More, Narela
254	Zone-16	029-S	Bindapur	Plot No 8 Block No DP Pocket -3	Bindapur Delhi
255	Zone-16	068-N	Kohat Enclave	Plot No. B-4, 6F, Pocket-E	LSC, Samrat Enclave, Pitampura

256	Zone-16	001-N	Narela	Plot No.3, GF, LSC, Pocket-5,	Sector A-10, Narela
257	Zone-16	050-E	Babarpur	Property No. 21/3 A Khasra No. 411	Main Babarpur Road
258	Zone-16	050-E	Babarpur	Property No. 1/5003, GF,	Loni Road, Balbir Nagar Extn., Shahdara
259	Zone-16	050-E	Babarpur	Property No. 18/97, GF, Kh No. 95, 100 Foota Road,	Munshi Market, Chajjupur, Babarpur, Shahdara
260	Zone-16	001-N	Narela	Property No. 2005/2, GF,	Railway Road, Narela
261	Zone-16	075-N	Ashok Vihar	Property No. C-1, Ground Floor & Lower Ground Floor,	LSC, 1-Block, Wazirpur, Ashok Vihar
262	Zone-16	050-E	Babarpur	Property No. C-424, GF, 100 Foota Road,	Main Chhajjupur, Babarpur Shahdara
263	Zone-16	068-N	Kohat Enclave	Property No.358, GF,	Kohat Enclave, Pitampura
264	Zone-16	029-S	Bindapur	Shop No 2,3,4 Ground Floor, CSC No 4	Bindapur, Pocket-4
265	Zone-16	003-N	Alipur	Shop No 36,37,38, 83,84, G F, MSP Mall, FC-1, DSIDC	Industrial Area, Narela
266	Zone-16	003-N	Alipur	Shop No 42,43,44 & 49, F.C-IV, DSIDC	Industrial Complex , Narela
267	Zone-16	071-S	Said-ul-Ajaib	Shop No 7 Ground Floor CSC	Saidulajaib Opp Saket
268	Zone-16	003-N	Alipur	Shop No G-10,G-11,G-12,G-29,G-30 & G-31 Ground Floor Va	F.C.V., Sector -1 Industrial Area Narela
269	Zone-16	003-N	Alipur	Shop No G-59, G-60, G-61, G -72, & G-73 Vardhman Mall, LSC	Sector-A-6, Narela
270	Zone-16	001-N	Narela	Shop No-1,2,5 & 6, GF, Plot No.5, LSC	Pocket-2, Sector A-9, Narela

1	2	3	3	4	5
271	Zone-16	075-N	Ashok Vihar	Shop No. G-11,G-17,G-18,G-19, G-20A & G-20B, GF, RG City Cen	Plot No. SU, LSC block-B, Lawrence Road
272	Zone-16	068-N	Kohat Enclave	WZ-3426-A,Ground Floor,	Mahindera Park, Rani Bagh
273	Zone-17	057-N	Rohini-F	25, Block M, Basement and Ground Floor	Badli Industrial Estate, Badli
274	Zone-17	081-N	Kishan Ganj	59, Gulabi Bagh	Delhi
275	Zone-17	017-N	Adarsh Nagar	A-19, Sarai Pipal Thala Extn.	Near Adarsh Nagar
276	Zone-17	017-N	Adarsh Nagar	A-5, Ground Floor,	Sarai Pipal Thala, G.T. Karnal Road
277	Zone-17	081-N	Kishan Ganj	A8, Ground and First Floor, Block-A, Plot No 8,	LSC, Padam Nagar, Sarai Rohilla
278	Zone-17	007-E	Kondli	B-1/155 and B-1/154, Ground Floor, New Kondli	Mayur Vihar, Phase-III
279	Zone-17	057-N	Rohini-F	C-7, Ground Floor,	Suraj Park Samaypur Badli
280	Zone-17	017-N	Adarsh Nagar	G Block - 1500 Sq Ft	Jahangirpuri
281	Zone-17	007-E	Kondli	G-10, G-11, G-12 and G-26 Ground Floor, Vardhman Mayur	Kondli, Gharoli
282	Zone-17	017-N	Adarsh Nagar	Khasra No 429/135, Ground Floor,	Sarai Pipal Thala Extn., G T Karnal Road Adarsh Nagar
283	Zone-17	017-N	Adarsh Nagar	Plot No 61, Basement and Ground Floor, Transport Center	Azadpur
284	Zone-17	051-S	Madhu Vihar	Plot No 8, Block K-1, Upper Ground Floor	Raja Puri, Uttam Nagar

285	Zone-17	017-N	Adarsh Nagar	Rajender Jaina Tower - III, Ground Floor, Plot No. 10,	New Sabji Mandi, Azadpur
286	Zone-17	081-N	Kishan Ganj	Shop No 41,42,43 and 44 Kishan Ganj Market	Old Rohtak Road
287	Zone-17	016-N	Sarai Pipal Thala	Shop No A1/1 and A1/2 Ground and First Floor	LSC Market Main Road Jahangir Puri
288	Zone-17	007-E	Kondli	Shop No G-1,G-2,G-3,G-4,G-5,G-6, and G-8 Ground Floor PIC	LSC, Block G Konli Gharoli Mayur Vihar Phase
289	Zone-17	016-N	Sarai Pipal Thala	Shop No. 1 & 2 Ground Floor, 656, C.S.C, Near Shopping Complex	LIG Houses Jahangirpuri
290	Zone-17	057-N	Rohini-F	Unit No G-2,G-4,G-5,G-6-G-7 and G-21, Ground Floor Plot 1	Aggarwal Shopping Square, Sector-19 Rohini
291	Zone-18	030-N	Bawana	G-16,17,18,19,20,21A,21B	Krishna Complex
292	Zone-18	030-N	Bawana	G-19,G-20,G-27,G-28, Vardhman Mall Cluster J	Sector-5, Bawana Industrial Area, Bawana
293	Zone-18	059-N	Rohini-H	G-4, Ground Floor, Aditya Complex, Plot No-4,	Community Centre, Sector-8, Rohini
294	Zone-18	064-S	Vasant Vihar	H.No-9, Satya Niketan Moti Bagh-2,	Chanakya Puri, South West, New Delhi
295	Zone-18	059-N	Rohini-H	No-11, Block-C, Pocket No-9,	Sector-7, Rohini
296	Zone-18	030-N	Bawana	Shop No GF-23,24,28,29,30,31, Shree om Plaza	Commercial Complex Cluster Pkt- E Sec-1 Bawana
297	Zone-18	064-S	Vasant Vihar	Shop No. 16A, Community Center	Basant Lok, Vasant Vihar, Muniraka Marg

1	2	3	3	4	5
298	Zone-18	030-N	Bawana	Shop No.-10 & 11,19,20,21,22,23	Block No 8, Sector 3
299	Zone-19	084-N	Chandni Chowk	1418-21/1424-27,	Kashmiri Gate
300	Zone-19	055-S	Daryaganj	26 Netaji Subhash Marg	Daryaganj
301	Zone-19	084-N	Chandni Chowk	3906-08, Hamilton Road,	Mori Gate
302	Zone-19	014-N	G.T.B. Nagar	77 79 Mall Road	Kingsway Camp
303	Zone-19	019-N	Sarup Nagar	D-428, Khasra No.32/3, Village Libaspur	Sarup Nagar
304	Zone-19	032-E	Nand Nagri	Gagan Theatre, Community Centre,	Nand Nagri
305	Zone-19	019-N	Sarup Nagar	Plot No. 63-B, Khasra No. 24/7	Ambe Garden Extn. Libaspur
306	Zone-19	055-S	Daryaganj	Shop No 3A to 4D, Ground Floor, Milap Niketan	Bahadur Shah Zafar Marg
307	Zone-19	087-S	Chitaranjan Park	Shop No-1,2 JMD Kohinoor Mall,	Greater Kailash Part-2
308	Zone-19	084-N	Chandni Chowk	Shop No. 2255, 2265, 2267, 2268, Kauria Pul	Dr. H.C. Sen Road, Chandni Chowk
309	Zone-19	087-S	Chitaranjan Park	Shop No. 6,17,18,19	Savitri Cinema Complex
310	Zone-19	084-N	Chandni Chowk	Shop No.1539-A and 1539-B Ground Floor and	Basement, Bhagirath Place
311	Zone-19	014-N	G.T.B. Nagar	Shop No.18, Ground Floor and Basement, Mall Road,	Kingsway Camp, G.T.B Nagar
312	Zone-19	084-N	Chandni Chowk	Shop No.243-244,	Main Chandni Chowk

313	Zone-19	055-S	Daryaganj	Shop No.25 Ground Floor	Jangpura-A
314	Zone-19	055-S	Daryaganj	Shop No.28,	Sunder Nagar Market
315	Zone-19	087-S	Chitaranjan Park	Shop No.3,4,6,7- Ground Floor and Shop No-4 in Basement	D-2, Abhishek Tower, Alaknanda Shopping Center
316	Zone-19	032-E	Nand Nagri	Shop No.5,6,7-8 Shopping Complex, Puniwas Bazar, Near G	Nand Nagri
317	Zone-20	073-N	Sawan Park	17, LSC II	Wazirpur, Phase 2, Delhi
318	Zone-20	078-N	Kamla Nagar	7656-57, Birla Lines, Kamla Nagar	Subzi Mandi, Delhi
319	Zone-20	077-N	Model Town	A-82, Gujranwala Town	Part-I Village Malikpur Delhi
320	Zone-20	005-S	Rajouri Garden	D-10, Ring Road, Rajouri Garden	New Delhi
321	Zone-20	005-S	Rajouri Garden	E-83 D Block Tagore Garden	Najafgarh Road New Delhi
322	Zone-20	100-N	Moti Nagar	G-19,20,22,23,24, Ground Floor, TDI Fun Republic	Moti Nagar, Najafgarh Road, New Delhi
323	Zone-20	078-N	Kamla Nagar	G-51,53,54,55 and 56 Ground Floor Vardhman City Centre,	Plot No.02, LSC, Gulabi Bagh, Shakti Nagar
324	Zone-20	005-S	Rajouri Garden	J-2/21 Rajouri Garden	New Delhi
325	Zone-20	102-N	Rajinder Nagar	Plot No-10174/1 Ward No XVI Basement and GF	Naivala Gurudwara Road Karol Bagh
326	Zone-20	102-N	Rajinder Nagar	Plot No.18/7-8	Arya Samaj Road Karol Bagh New Delhi
327	Zone-20	100-N	Moti Nagar	Property No.1/4-A, Kirti Nagar Industrial Area,	Najafgarh Road New Delhi

1	2	3	3	4	5
328	Zone-20	100-N	Moti Nagar	Property No. 1A Shop No.5 and 6	Property No.1A DLF Industrial Area Najafgarh
329	Zone-20	077-N	Model Town	Shop No.1, Ground Floor, Edward Line	Kingsway Camp, Delhi
330	Zone-20	077-N	Model Town	Shop No.114, Edward Lines	Kingsway Camp, Delhi
331	Zone-20	102-N	Rajinder Nagar	Shop No.2 and 3, Old Rajinder Nagar	New Delhi
332	Zone-20	077-N	Model Town	Shop No.3 and Shop No.4, Ground Floor H.No. 4/9	Model Town II, New Delhi
333	Zone-20	005-S	Rajouri Garden	Shop No.43,44,46,47,48, Portion of Ground Floor Ansal C	Rajouri Garden J Block New Delhi
334	Zone-20	077-N	Model Town	Shop No.56 Ground Floor North Gate Mall	Orbit Plaza Gujranwala Town New Delhi
335	Zone-21	093-S	Tughlakabad	DPT-015, DLF Prime Tower	Okhla, Phase-1
336	Zone-21	012-E	Patpar Ganj	G-22,G-23,G-26,G-27A,G27, DLF Galleria Mall	Plot No-01B, Mayur Vihar, Phase-1, Delhi
337	Zone-21	012-E	Patpar Ganj	G18,G19,G20,G21,G23,G24 Star City Mall	Mayur Vihar Phase-1
338	Zone-21	095-N	East Patel Nagar	GF 1A, 1/1-E	East Patel Nagar
339	Zone-21	095-N	East Patel Nagar	Shop No 41,42,46 Rajendra Bhavan	Rajendra Place, New Delhi
340	Zone-21	095-N	East Patel Nagar	Shop No.23/24, Plot No-24, Block-23	East Patel Nagar
341	Zone-21	012-E	Patpar Ganj	Shop No. 11, 39, 46, DLF Galleria Mall	Mayur Vihar Ph I District Centre

342	Zone-21	061-N	Haiderpur	Shop No.-26,27, Block B	Pocket-U, Pitampura
343	Zone-21	012-E	Patpar Ganj	Shop No.-33,34,19, Galleria DLF Mall	Mayur Vihar, Phase-1, District Center
344	Zone-22	079-N	Shastri Nagar	01-A	Parsavnath Metro Mall Inderlok
345	Zone-22	008-S	Khyala	78A, New No NW 78-A Area, Out of Khasra/Rect No. 4 Killa	Delhi Colony, Vishnu Garden Extension Nw
346	Zone-22	019-E	I.P. Extension	B 16 Out of Khasra No. 397 Situated at Abadi of Main Road	Village Gazipur
347	None-22	079-N	Shastri Nagar	E 83	Shastri Nagar
348	Zone-22	079-N	Shastri Nagar	E-2/235 A	Shastri Nagar
349	Zone-22	019-E	I.P. Extension	Ground Floor, Pankaj Corner Plaza LSC Plot No. 8,	Nandawali Fazalpur IP Extension
350	Zone-22	056-N	Mangolpuri-C	K 1069 & K 1070	JJ Colony Mangolpuri
351	Zone-22	052-E	Joharipur	Khasra No 8/3/1 Old Khasra No. 124 Plot No L-1	Jawahar Nagar Industrial Area Main Loni Road
352	Zone-22	056-N	Mangolpuri-C	L-1500, L-1244	Mangolpuri New Delhi
353	Zone-22	008-S	Khyala	N-1A, Out of Khasra, No. 20/1/2, Suitated in the Area of Vishnu Garden	Delhi Colony Known as Vishnu Garden
354	Zone-22	019-E	I.P. Extension	Plot No 329 Block No-4	Functional Industrial Estate Patparganj
355	Zone-22	008-S	Khyala	Shop No. 1,2,3 & 8 Ground Floor Shopping Cum Co-operate	672 Punarwas Flats Raghbir Nagar

1	2	3	3	4	5
356	Zone-22	034-N	Rohini-D	Shop No. 4,4A,28,33 & 33 GF, CSC Opposite Pocket 16	M M Shopping Plaza Sector 20, Rohini
357	Zone-22	019-E	I.P. Extension	Shop No. G9,10,29 & 30 RG Square Mall, Plot No 2 LSC A	Near Max Balaji Hospital
358	Zone-22	082-S	Tughlakabad Extension	TA8, TA9 & TA10	Tughlakabad Extension New Delhi
359	Zone-22	082-S	Tughlakabad Extension	TA 84/5 in Khasra No 475 Main Okhla Road	Tughlakabad Extension New Delhi
360	Zone-22	082-S	Tughlakabad Extension	TA-95/3 Ravidass Marg	Tughlakabad Extension New Delhi
361	Zone-22	034-N	Rohini-D	Unit No G 2, 28, 29, 37 RK Plaza, Plot No 5	CSC, Sec-21, Rohini
362	Zone-23	030-S	Dabri	1-A Khasra No. 14/13 First Floor & Second Floor	Village Dabri Colony Harijan Basti
363	Zone-23	017-E	Vishwas Nagar	28/3 Main 60 Feet Road	Vishwas Nagar
364	Zone-23	017-E	Vishwas Nagar	519/3-B, Gali No 2, Main 60Ft Road	Vishwas Nagar, Shahdara
365	Zone-23	030-S	Dabri	A-49-A,	Dashrath Puri
366	Zone-23	032-N	Rohini-C	Centre Hall Left Half Portion, Ground Floor SSG Magic	Plot No 04, CS/OCE, Sector 24, Phase III, Rohini
367	Zone-23	017-E	Vishwas Nagar	GF-1D & G-1E Cross River Mall at Plot No 9B and 9C	C.B.D, Shahdara

368	Zone-23	003-E	Trilokpuri-West	Ground Floor H.No. 68 Chilla Village	Mayur Vihar Phase-I
369	Zone-23	003-E	Trilokpuri-West	Ground Floor, 34/400, 34/401, 34/402	Trilokpuri West
370	Zone-23	001-E	Mayur Vihar Phase-I	Khasra No. 14-15, Main Road, Kotla Village	Mayur Vihar, Phase-I
371	Zone-23	028-S	Uttam Nagar	Plot No. 11&12	Gulab Bagh Uttam Nagar
372	Zone-23	092-S	Harkesh Nagar	Plot No. 3, Basement and Ground Floor	LSC, Okhla Industrial Area Phase II
373	Zone-23	032-N	Rohini-C	Plot No. B-414, Sahibabad	Dulatpur Dairy Colony
374	Zone-23	033-N	Begumpur	Plot No. 1, Kh.No. 10/9 Ground Floor BLK-B	Rajeev Nagar Village Begumpur
375	Zone-23	092-S	Harkesh Nagar	S-6, Okhla Industrial Area	Phase II
376	Zone-23	017-E	Vishwas Nagar	Shop Bearing No. SG-40,41,52 On Ground Floor, in Building	Built on Plot No. 9D, C.B.D. East Shahdara
377	Zone-23	028-S	Uttam Nagar	Shop No. A-66	Gulab Bagh Uttam Nagar
378	Zone-23	017-E	Vishwas Nagar	Shop No. SG-37, SG-53, SF-25, SG-36, SG-54, Plot No 9d Centre	Know as Aditya Mega Mall
379	Zone-23	097-S	Hari Nagar-B	Shop No. 5,6,7,8, Ground Floor, I-block, Gali No. 21, Main	Hari Nagar Extension-III
380	Zone-23	092-S	Harkesh Nagar	Shop No. 6, Ph-2 Okhla DSIDC Scheme-1	New Scheme III, Near Cantanier Depot
381	Zone-23	092-S	Harkesh Nagar	Shop A-1, Ground Floor, DDA Shed	Okhla Phase-I
382	Zone-24	059-S	Andrews Ganj	A-66, Dayanand Colony,	Lajpat Nagar IV New Delhi

1	2	3	3	4	5
383	Zone-24	059-S	Andrews Ganj	BG-01, Ansal Plaza, Hudco Place	Andrews Ganj, Khel Gaon Marg
384	Zone-24	059-S	Andrews Ganj	C/31, GF Amar Colony Market	Lajpat Nagar
385	Zone-24	069-N	Shakurpur	G-12A, G-14, G-15, Pearl Business Park, Plot No.-D7,	Netaji Subhash Place, Pitampura
386	Zone-24	069-N	Shakur Pur	G-14,G-15,G-16,G-17 KLI Tower North	Netaji Subkash Place
387	Zone-24	020-E	Preet Vihar	G1,G2,G3,G4,G5,G6,G7, Metroplex East Mall,	District Centre, Laxmi Nagar
388	Zone-24	020-E	Preet Vihar	G90 V3S Mall Laxmi Nagar	Laxmi Nagar Delhi
389	Zone-24	047-N	Sultanpuri-B	Plot No-A2, Part 1&2, Kh No.-571	Raj Park, Main Sultanpuri Road
390	Zone-24	020-E	Preet Vihar	Shop No. G1,3,4,5,6,9 Plot No. 15, G6,7,8,9,10,11,12 in Plot No	Community Centre Preet Vihar
391	Zone-24	069-N	Sakur Pur	Shop No. 2&2A, GF D-Mall, Plot No. A1, Netaji Subhash Palace	Wazirpur District Centre, Pitampura
392	Zone-24	020-E	Preet Vihar	Shop No-3,5,6,9,10,	Plot No-1, C.S.C.-II, Nirman Vihar
393	Zone-25	080-N	Sadar Bazar	39 Ground Floor Hathi Khana	Bhadur Garh Road Sadar Bazar
394	Zone-25	094-S	Pul Pehlادpur	A-38 Lower Ground Floor Mohan Cooperative Industrial	Mathura Road

395	Zone-25	014-E	Lakshmi Nagar	A-65, Main Road, Vikas Marg	Laxmi Nagar
396	Zone-25	014-E	Lakshmi Nagar	C 6 & C 7 Gurunanak Pura	Patparganj Road Laxmi Nagar
397	Zone-25	089-S	Sri Niwaspuri	C-14 & C-15 First Floor DDA LSC/CSC Market	C-Block East of Kailash
398	Zone-25	089-S	Sri Niwaspuri	House No 55 Road No 42 Unit No. 43 Ground Floor 8, Mezz	Tribhuwan Complex 10th Mile Stone Ishwar
399	Zone-25	011-E	Mayur Vihar Phase-III	House No. 5 Main Road	Village Khichripur
400	Zone-25	090-N	Ballimaran	MPL No. 5331/5334 & 5347 Plot No 50	Shardhanand Marg GIB Road
401	Zone-25	080-N	Sadar Bazar	Property No 8789 & 8790 Ground Floor	Roshanara Road Sabzi Mandi
402	Zone-25	090-N	Ballimaran	Property No MPL No. VII/5201 Basement & Ground Floor	GIB. Road
403	Zone-25	046-N	Mangolpuri-D	Property No. H-964, H-1004, H-1005	Mangolpuri
404	Zone-25	044-S	Roshanpura	RZ-4/1 Roshan Garden	Najafgarh
405	Zone-25	044-S	Roshanpura	RZ-9, S-Block, New Roshanpura	Najafgarh
406	Zone-25	080-N	Sadar Bazar	Shop No 1 & 2 Ground Floor	Phoota Road
407	Zone-25	008-E	Kalyan Puri	Shop No 16,17,18,19 & 20 Block 19	Nehru Market Kalyanpuri Shahdara
408	Zone-25	011-E	Mayur Vihar Phase-II	Shop No 2,3,5 and 6 Ground Floor Durga Complex	Plot No-2, Block-C, LSC Mayur Vihar Phase-2
409	Zone-25	089-S	Sri Niwas Puri	Shop No 7,8,9,10 India Mall Community Center	New Friends Colony

1	2	3	3	4	5
410	Zone-25	014-E	Lakshmi Nagar	Shop No E-54 Ground	Jawahar Park Laxmi Nagar
411	Zone-25	080-N	Sadar Bazar	Shop No. 67 Ground Floor and Mazzanine Floor	New Outab Road
412	Zone-26	104-S	Madanpur Khadar West	B-2, Khasra No-166,167	Aali Extension, Sarita Vihar
413	Zone-26	090-S	Kalkaji	CPD-51, Okhla NSIC,	Mrts Station
414	Zone-26	028-E	Dilshad Colony	Kh No- 1103/283, Shop No-1, Up Border	Near Shyam Parkash Petrol Pump, Dilshad Garden
415	Zone-26	031-E	Shahdara	Shop No-1/22 & 23 Ground Floor	Bhola Nath Nagar
416	Zone-26	090-S	Kalkaji	Shop No-15,16,17 & 18, Ground Floor, Chandlok,	Ryder Centre, Ground Floor, 70 Nehru P
417	Zone-26	090-S	Kalkaji	Shop No-6, Krishna Market,	Kalkaji
418	Zone-26	091-S	Govind Puri	Shop No. 1402-A/1, Ground Floor	Galli No-13, Main Govind Puri Police Station
419	Zone-27	037-N	Nangloi	7/3, Adarsh Nursery, Nangloi, Kirari,	Near Bhalla Factory
420	Zone-27	062-E	Sadatpur	Khasra No. 11, Ground Floor and Upper Ground Floor,	Sadatpur Extn., Main Karawal Nagar Road
421	Zone-27	013-S	Tilak Nagar	Plot 1 & 2, Chaukhandi Road,	Tilak Nagar
422	Zone-27	037-N	Nangloi	Plot No. 10, Khasra No. 36/19,	Rajendra Park, Nangloi Jat

423	Zone-27	014-S	Mahavir Nagar	Property No. B-12, Ground Floor, First Floor & Second F	Vill Nangli Jalib, Ganesh Nagar, Najafgarh
424	Zone-27	014-S	Mahavir Nagar	Property No. Wz-44/2, Ground Floor, Gali No. 16,	Krishnapuri, Tilak Nagar
425	Zone-27	013-S	Tilak Nagar	Shop No. 249-A, Khasra No. 13/7/1, Sant Garh,	M.B.S. Nagar, Tilak Nagar
426	Zone-27	013-S	Tilak Nagar	Shop No. 41 & 42, New Market,	Tilak Nagar
427	Zone-27	013-S	Tilak Nagar	Shop No. 6 & 7, Ground Floor, Ivory Tower,	Ajanta Cinema, Ajay Enclave
428	Zone-27	099-N	Karampura	Shop No. 6, 7, 8 & 9, Plot No. 13, Shivaji Marg,	Industrial Area, Najafgarh Road
429	Zone-27	037-E	Ram Nagar	Shop No. 603/11E, Moti Ram Road, Ram Nagar	G.T. Road, Shahdara
430	Zone-27	099-N	Karampura	Shop No. 6A, Shivaji Marg,	Najafgarh Road
431	Zone-27	099-N	Karampura	Shop No. 9, 69/3A, Patel Road,	Najafgarh Road Industrial Area Moti Nagar
432	Zone-27	037-E	Ram Nagar	Shop No. C-105, Khasra No. 912/219,	Mauza Chandrawali Alias, Shahdara
433	Zone-27	057-E	Karawal Nagar-East	Shop No. D-7/1, Khasra No. 304/1, D-Block Main Road,	Dayal Pur Shahdara
434	Zone-27	099-N	Karampura	Shop No. G-1, Ground Floor & Basement Floor, Rg House	Karampura Commercial Complex, Opp. Mila
435	Zone-27	013-S	Tilak Nagar	Shop No. WZ-97, Ground Floor,	Meenakshi Garden

1	2	3	4	5
436	Zone-28 044-E	Bhajan Pura	A-1/4, Ground Floor,	Main Wazirabad Road, Bhajanpura
437	Zone-28 049-E	Kardum Puri	A-1/8, Old No. A-6, Plot No. 1	Main 100 Ft. Road, Kabir Nagar
438	Zone-28 044-E	Bhajan Pura	A-1236, GF, Main Pusta Road,	A-Block, South Gamri
439	Zone-28 043-E	Gautam Puri	J-96, Kh No-60, GF,	J-Block, Main Road Brahampuri
440	Zone-28 089-N	Quraish Nagar	Plot No. 1, GF, Basti Tent Wali,	Motia Khan, Paharganj
441	Zone-28 089-N	Quraish Nagar	Plot No. 5316 & 5317, GF,	Old Plot No.8, West Ward XIV, Sadar Bazar
442	Zone-28 049-E	Kardam Puri	Property No. C-3/9, Kh No. 85, GF	Main 100 Ft. Road, Kabir Nagar
443	Zone-28 011-S	Pratap Nagar	Property No. GL-16C & GL-16D, GF & FF, G-Block Extn.,	Main Jail Road, Hari Nagar
444	Zone-28 047-E	Brahman Puri	Property No. J-25, Ground Floor & First Floor, 31/2 Pusta	Main Pusta Road, Kartar Nagar
445	Zone-28 011-S	Pratap Nagar	Property No.18A, Ground Floor,	Pocket-A, LIG Flat, Hari Nagar
446	Zone-28 011-S	Pratap Nagar	Shop No-24 & 25, GF, Block-B,	Community Centre, Janak Puri
447	Zone-28 036-S	Dwarka-A	Shop No. 11-D, 11-F, 11-G, 12-K, & 12-P, GF,	Plot No. 4, Dwarka City Centre, Sec-13, Dwarka

448	Zone-28	036-S	Dwarka-A	Shop No. 9, 10 & 11, GF, CSC, Pocket-1	Sector-17, Dwarka Phase-II, Dwarka
449	Zone-28	011-S	Pratap Nagar	Shop No. G-01, G-05, G-05A, & G-06, GF, Reube Mall,	Janak Puri East Metro Station, Janak Puri
450	Zone-28	036-S	Dwarka-A	Shop No. G-10, G-11, GF & Basement	Sunder Plaza, Plot No.12 Sec-12 Dwarka
451	Zone-28	036-S	Dwarka-A	Shop No. G-8, G-9 & G-10, GF & F-8, FF, Plot No.5	Malik Plaza, Sec-4, Dwarka
452	Zone-28	026-N	Vijay Vihar	Shop No. S-1/11, S-1/12, S-1/13 & S-2/7, GF,	Sec-1, CSC Avantika Shopping Complex No.2
453	Zone-28	089-N	Quraish Nagar	Shop No. 884/2 & 885, GF, Singapore Building,	Qutab Road, Sadar Bazar
454	Zone-28	047-E	Braham Puri	U-505, Main Pusta Road	2nd Pusta, New Usmanpur
455	Zone-29	060-S	Kotla Mubarakpur	135 Ground Floor, Arjun Nagar,	Kotla Mubarak Pur
456	Zone-29	038-E	Rohtash Nagar	1449/I-B Old Plot No. 1	Durga Puri, Shahdara
457	Zone-29	062-A	Hauz Khas	61/1, Manmohan Building	Yusuf Sarai
458	Zone-29	072-N	Wazir Pur	A-93, Ground Floor and Basement, Group	Wazir Pur Industrial Area
459	Zone-29	036-E	Ashok Nagar	B-415, Ground Floor and First Floor	Ashok Nagar, Main Mandoli Road
460	Zone-29	060-S	Kotla Mubarakpur	E-26, South Extension Market	Part-2
461	Zone-29	062-S	Hauz Khas	E-29 Hauz Khas	Main Market

1	2	3	3	4	5
462	Zone-29	060-S	Kotla Mubarakpur	N-13, South Extension	Part-1
463	Zone-29	038-E	Rohtash Nagar	New No.1/641, Old No. 493	Main Loni Road, Shahdara
464	Zone-29	061-S	Safdarjung Enclave	Plot No. AB-1, Kamal Cinema Building,	Safdarjung Enclave
465	Zone-29	036-E	Askok Nagar	Plot No. 245, Old Plot No. P-2	Durga Puri Extn, Shahdara
466	Zone-29	061-S	Safdarjung Enclave	Khasra No.771/523, 100 Feet	Green Park
467	Zone-29	072-N	Wazirpur	R-6, Ground Floor,	
468	Zone-29	062-S	Hauz Khas	Shop No-7 G.F and Shop No. 3,4	Plot No-39-A Deep Cinema
469	Zone-29	060-S	Kotla Mubarakpur	Basment,	Complex, Ashok Vihar
470	Zone-30	024-E	Geeta Colony	Shop No. 3, 4 and 5, CSC, DDA,	Hauz Khas
471	Zone-30	023-E	Ghondli	Market, Azad Apartment	
472	Zone-30	023-E	Ghondi	Shop No. 20,21,22,23,24 Ground Floor	Mohan Singh Market, INA
473	Zone-30	050-S	Mahipalpur	and Shop No. 21,22	
				Nov-51	Geeta Colony
				5 & 6, Bhagat Singh Road,	Satnam Park Chander Nagar
				53-A,54,55&61	
					Main Patparganj Road
					Khureji Khas
					Vasant Kunj Mahipalpur
					Road, New Delhi

474	Zone-30	023-E	Ghondli	A-26, Block A, Main Road Red Light Chowk,	Jagat Puri, Delhi-110051
475	Zone-30	023-E	Ghondli	B-1, East Baldev Park, Near Tikona Park,	Parwana Road
476	Zone-30	023-E	Ghondli	F-160, Jagat Puri, Comprising of F-159 Part	AND 65, Jagat Puri
477	Zone-30	016-S	Janakpuri South	Ground & Mezanine Floor, 28, C-Block,	Community Centre Janakpuri
478	Zone-30	070-N	Ram Pura	Ground Floor No. 10, Community Centre,	Lawrence Road Industrial Area
479	Zone-30	016-S	Janakpuri South	Ground Floor, Property No. 4, C-Block	Community Centre Janakpuri
480	Zone-30	070-N	Ram Pura	H.No.3536-A/5, Raja Park,	Shakur Basti
481	Zone-30	C50-S	Mahipalpur	Kh. No. 334/2, Mahipalpur	New Delhi-110037
482	Zone-30	015-S	Janakpuri West	Plot No. C-1 Block A-1, LSC,	Janakpuri, New Delhi
483	Zone-30	070-N	Ram Pura	Property Bearing No. 6, Main Road Side,	Situated at Ashoka Park Main, Rohtak Road
484	Zone-30	010-S	Hari Nagar-A	Shop No 93,94,97,98 & 99, Convenient Shopping Centre,	Lajwanti Garden, New Delhi
485	Zone-30	010-S	Hari Nagar-A	Shop No. G-1,G-2,G-3,G-4,G-5 & G-6, Plot No.8,	Facility Center, Maya Puri, Phase-II
486	Zone-30	015-S	Janakpuri West	Shop No. G-5,G-6,G-17 & G-18, West End Mall	District Centre, Janakpuri
487	Zone-30	010-S	Hari Nagar-A	Shop No.-13/3, 13/5,13/6,	Retail Business Centre, Nagal Raya

1	2	3	3	4	5
488	Zone-30	015-S	Janakpuri West	Shop No.25,26,27 & 28 C.S.C. Block-B	Janak Puri Shiv Nagar
489	Zone-31	NDMC+ Delhi Cantt	NDMC+ Delhi Cantt	20/48, Ground Floor & Mezzanine Floor,	Shopping Centre Malcha Marg, Chankyapuri
490	Zone-31	NDMC+ Delhi Cantt	NDMC+ Delhi Cantt	78/79 Scindia House	Delhi
491	Zone-31	NDMC+ Delhi Cantt	NDMC+ Delhi Cantt	D 27 Radial Road No-6	Connaught Place
492	Zone-31	NDMC+ Delhi Cantt	NDMC+ Delhi Cantt	GF Shop No-2, CPD-04R Palate of Delhi	Pod Dhaura Kuan Metro Station
493	Zone-31	NDMC+ Delhi Cantt	NDMC+ Delhi Cantt	M 45 Outer Circle	Connaught Place
494	Zone-31	NDMC+ Delhi Cantt	NDMC+ Delhi Cantt	P 10, Ground Floor	Connaught Circus
495	Zone-31	NDMC+ Delhi Cantt	NDMC+ Delhi Cantt	Shop No-102, Bangla Sahib Marg,	Gole Market, New Delhi

496	Zone-31	NDMC+ Delhi Cantt	NDMC+Delhi Cantt	Shop No-2/10, on Grond Floor in Chandra House	8 Lady Harding Road, Gole Market
497	Zone-31	NDMC+ Delhi Cantt	NDMC+Delhi Cantt	Shop No-39 Ground Floor at South Square	Sarojini Nagar
498	Zone-31	NDMC+ Delhi Cantt	NDMC+Delhi Cantt	Shop No-4 Regal Building	CP
499	Zone-31	NDMC+ Delhi Cantt	NDMC+Delhi Cantt	Shop No. A-25/2, A-25/3, Middle Circle	Connaught Place, New Delhi
500	Zone-31	NDMC+ Delhi Cantt	NDMC+Delhi Cantt	Shop No 20, 21 Khanna Market	Lodhi Road New Delhi
501	Zon-31	NDMC+ Delhi Cantt	NDMC+Delhi Cantt	Shop-125, 126	Bhagat Singh Market

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी: आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं दिल्ली के माननीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब से यह पूछना चाहूंगा कि उन्होंने मेरे प्रश्न के उत्तर में कहा है कि नॉन कन्फर्मिंग क्षेत्रों में शराब की दुकान खोलने से संबंधित प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है। विगत आबकारी नीति में भी कंपीटेंट अथॉरिटी से इजाजत लेकर नॉन कन्फर्मिंग क्षेत्रों में दुकानें खोलने की अनुमति दी जाती रही है। मेरी पहली सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री नंबर (1) आदरणीय उप-मुख्यमंत्री जी Master Plan MPD 2021 के लागू हो जाने के बाद क्या Non conforming areas या mixed land use वाली सड़कों पर सरकार ने शराब का ठेका खोलने की कहीं भी अनुमति दी है? यदि दी है तो किन किन स्थानों पर यह अनुमति दी है? सप्लीमेंट्री नंबर (2) होलसेलर्स और रिटेलर्स को नई आबकारी नीति के अनुसार शराब की बिक्री पर कितना कमीशन दिया जा रहा है, उसका ब्यौरा क्या है?

उप-मुख्यमंत्री: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य द्वारा पूछे गए मास्टर प्लान 2021 से संबंधित प्रश्न का पूरा विवेचन करके और कितनी दुकानों को अगर Competent Authority से अनुमोदन के पश्चात अनुमति दी गई थी, चलने दिया गया था तो उसकी जानकारी माननीय सदस्य को उपलब्ध करा दी जाएगी। होल सेलर और रिटेलर को शराब के उसमें कितना कमीशन दिया जा रहा है इसकी जानकारी पूरी हालांकि पूरी पॉलिसी में है। पूरी पॉलिसी की कापी माननीय विधायक को उपलब्ध करा दी जाएगी उसमें पूरा विवरण है, उसको अलग से उल्लेख भी कर दिया जाएगा।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी: अध्यक्ष महोदय, ये क्या मेरे प्रश्न का जवाब मिल गया है। यदि ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर अपने रिप्लाय में कह रहे हैं कि 'हाँ' नॉन कन्फर्मिंग एरियाज में शराब की दुकानें खोलने की अनुमति दी है

और इनके पास उसकी जानकारी नहीं है, इनके पास उसकी लिस्ट नहीं है और यदि नई शराब नीति बनाई गई है तो उस पर जो शराब के ठेकेदार हैं, चाहे वो होलसेलर हैं या रिटेलर्स हैं उनको कितना कमीशन दिया जा रहा है, उसकी जानकारी अगर ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पास नहीं है तो ये बहुत हैरानी की बात है। ये दोनों जानकारी तो आपके पास होनी चाहिए। जब आप मेरे प्रश्न का जवाब दे रहे हैं कि हां नॉन कन्फर्मिंग एरियाज में शराब के ठेके खोले गए हैं तो मैं पूछ रहा हूँ कि वो शराब के ठेके 2021 का जो मास्टर प्लान है उसके बाद कहां कहां खोले गए हैं और कमीशन कितना दिया जा रहा है। इतना ही मैंने पूछा है। ये दोनों जानकारी के लिए यदि मुझे इंतजार करना पड़ेगा तो अध्यक्ष जी ये तो फिर मेरा जो प्रश्न है उसको टालने वाली बात हो गई है, कम से कम मैं ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर से ये उम्मीद करता हूँ कि मेरे बहुत सिम्पल से क्वेश्चंस हैं उनको उनका रिप्लाई जरूर देना चाहिए। बचना नहीं चाहिए रिप्लाई देने से।

उप-मुख्यमंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैं भी माननीय नेता, विपक्ष से अपेक्षा रखता हूँ कि जैसा उनके प्रश्न में जितना स्पेसिफिक जानकारी मांगी गई थी वो तो पूरी उपलब्ध कराई गई है लेकिन supplementary question में जब वे ये जानना चाह रहे हैं कि किस होलसेलर के standard पर या रिटेलर के standard पर पॉलिसी में किस किस तरह के कमीशन का प्रावधान है तो निश्चित रूप से नेता, विपक्ष होने के नाते, इस सदन में नेता विपक्ष होने के नाते और सरकार के काम काज पर बहुत पैनी नजर रखने की जिम्मेदारी इनको जनता ने दी है उसके नाते, मुझे पूरी उम्मीद है कि इन्होंने नई Excise Policy को ठीक से पढ़ा होगा। ऐसा नहीं है कि उन्होंने पढ़ा नहीं होगा और उसमें लाइन बाय लाइन किस रिटेलर को किस शर्त पर किस कंडीशन पर किस स्टेज पर कितना कमीशन दिया जाना है

उसकी लिखित जानकारी उसमें भी है और उसकी पूरी जानकारी मैं माननीय सदस्य को उपलब्ध कराऊंगा। मैं जवाब से बच नहीं रहा हूँ।

माननीय अध्यक्ष: नहीं हो गया।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी: आदरणीय अध्यक्ष जी देखिए आप 1993 से इस हाऊस के मैम्बर हैं।

...(व्यवधान)

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी: ये कोई बात है क्या। नहीं कोई बाल की खाल नहीं उतार रहे हैं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप ये पूछ लीजिए कब तक जानकारी देंगे। उत्तर मिल गया। ये पूछ सकते हैं बस। नहीं ये नहीं।

...(व्यवधान)

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी: नहीं, नहीं उन्होंने अपने जवाब में कहा है कि अनुमति दी जाती रही है।

माननीय अध्यक्ष: हां दी जाती रही है ना।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी: दी जाती रही है तो किन किन दुकानों को अनुमति दी गई है और आप ये नहीं बता पा रहे हैं कि कमीशन...

...(व्यवधान)

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी: इन शराब के ठेकेदारों को कितना दिया जा रहा है, वो कह रहे हैं कि नई शराब नीति को पढ़ लीजिए। अरे जनाब मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष: बिधूड़ी जी ऐसे नहीं। साथ में एक ये भी कहा है मैं आपको जवाब भेज दूंगा।

...(व्यवधान)

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी: नहीं इसमें जवाब।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आपको भेज देंगे आप ये पूछ लीजिए बस।

...(व्यवधान)

उप-मुख्यमंत्री: अध्यक्ष महोदय, क्योंकि।

...(व्यवधान)

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी: अध्यक्ष जी, ये आपको ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर को डायरेक्शन देनी चाहिए कि उनको तैयारी के साथ हाऊस में आना चाहिए। वो तीसरी बार इस हाऊस के मैम्बर हैं और बहुत सीनियर लीडर हैं हमारे। वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं वो तैयारी के साथ नहीं आए हाऊस में, मुझे खेद है और वो लीडर आफ अपोजिशन को ब्लेम कर रहे हैं कि उनको मालूम होना चाहिए। पॉलिसी आपने बनाई है और आपको मालूम होना चाहिए पॉलिसी के बारे में।

...(व्यवधान)

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी: मैंने पॉलिसी नहीं बनाई है। नहीं, अध्यक्ष जी ये ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर तैयारी के साथ नहीं आए हैं। या वो छुपाना चाहते हैं या वो दिल्ली के लोगों से छुपाना चाहते हैं।

...(व्यवधान)

उप-मुख्यमंत्री: अध्यक्ष महोदय, एक मिनट अध्यक्ष महोदय। जवाब तो सुन लीजिए साहब।

...(व्यवधान)

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी: ये कोई बात नहीं है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी खड़े हैं वो माननीय मंत्री जी।

...(व्यवधान)

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी: नहीं अध्यक्ष जी, आप।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: बैठिए, बैठिए।

...(व्यवधान)

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी: आप जरूर कहिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: वो खड़े हो गए हैं भई वो खड़े हो गए हैं।

...(व्यवधान)

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी: ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर को कहिए कि वो हाऊस में तैयारी के साथ आएँ। तैयारी करके आएँ। ये स्टार्ड क्वेश्चन है। लीडर आफ अपोजिशन का जवाब दें जवाब। लीडर आफ अपोजिशन का जवाब दें।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: सुन लीजिए अब।

...(व्यवधान)

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी: लीडर ऑफ अपोजिशन का जवाब दें।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: सुन लीजिए।

...(व्यवधान)

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी: हां। आप जवाब देने से बच रहे हैं।

...(व्यवधान)

उप-मुख्यमंत्री: अध्यक्ष महोदय।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: भई बैठिए प्लीज। माननीय मंत्री जी खड़े हैं। मंत्री जी खड़े हैं। आप रूकोगे तभी तो जवाब देंगे। आप बैठ जाइए बिधूड़ी जी। आप दाल में काला बोल रहे हो वो बोल रहे हैं।

...(व्यवधान)

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी: अध्यक्ष जी 500 सरकारी ठेके इन्होंने प्राइवेट ठेकेदारों को बेच दिए, 500 सरकारी ठेके बेच दिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: ये शब्द आप गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। बैठिए आप।

...(व्यवधान)

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी: मैं बता रहा हूँ। बताएं सरकारी ठेके कितने थे।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: बैठिए।

...(व्यवधान)

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी: बताएं क्या अब कोई एक सरकारी ठेका बचा है। नगर निगम की बात करते हैं आप लोग।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: अभी आएगी चर्चा में आएगा। सारा चर्चा में आएगा।

...(व्यवधान)

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी: अध्यक्ष जी जवाब दिलवाइए ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब से।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: चिंता ना करिए।

...(व्यवधान)

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी: नहीं जवाब नहीं आया है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: हां माननीय मंत्री जी।

उप-मुख्यमंत्री: अध्यक्ष महोदय, वो कहीं फुल स्टॉप, कॉमा आएगा तो मैं जवाब देने का स्पेस दूँगा। फुल स्टॉप, कॉमा ही नहीं आएगा तो मैं जवाब कहाँ से दूँगा। तो अध्यक्ष महोदय, मुझे क्योंकि सप्लीमेंटरी क्वेश्चन पूछा गया और मूल प्रश्न में माननीय विधायक जी के द्वारा जो मूल जानकारी बहुत विशेष रूप से मांगी गई उसका पूरा विवरण दिया गया और यहां खड़े हुए मुझे लगा कि माननीय नेता, विपक्ष की दिलचस्पी इन प्रश्नों में है नहीं, एक्चुअल तो कमीशन में है। एक्चुअल तो कमीशन में है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: नहीं बिधूड़ी जी अब नहीं अब तो, आपने बहुत कुछ बोला है। पूरा जवाब होने दीजिए। नहीं पूरा, मैं एलाऊ नहीं कर रहा हूँ। नहीं, मैं नहीं बात करूँगा। आप ये भी बोल रहे हैं कि ठेके बेच दिए गए..

...(व्यवधान)

उप-मुख्यमंत्री: आपकी पूरी दिलचस्पी कमीशन में है।

...(व्यवधान)

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी: अरे कमीशन को क्यों छिपा रहे हो। कमीशन को क्यों छिपा रहे हो।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: बिधूड़ी जी बैठिए। वो जवाब दे रहे हैं आप सुन नहीं रहे हैं। आप सुन नहीं रहे, जवाब दे रहे हैं।

...(व्यवधान)

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी: नहीं नहीं क्या सुनूंगा मैं। ये कोई जवाब है क्या।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप उनको पूरा बोलने दीजिए।

...(व्यवधान)

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी: मेरी रुचि इसमें है कि आपने प्राइवेट शराब ठेकेदारों के हाथ में दिल्ली के लोगों को बेच दिया है। ये है मेरी रुचि। सरकारी ठेके बंद करके प्राइवेट शराब के ठेकेदारों को दिए हैं।

...(व्यवधान)

माननीय उप-मुख्यमंत्री: अध्यक्ष महोदय, इस पर भी चर्चा है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: चर्चा है इस पर चर्चा है। रूक जाइए बिधूड़ी जी।

...(व्यवधान)

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी: अध्यक्ष जी, जवाब दिलवाइए ना ।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप रूकेंगे तभी तो जवाब देंगे।

उप-मुख्यमंत्री: क्योंकि कमीशन का ही सारा खेल था अध्यक्ष महोदय। साढे तीन हजार करोड़ की चोरी हो रही थी, साढे तीन हजार करोड़ की चोरी रूकी है। जो कमीशन में जाता था वो अब सरकार की किटी में आ रहा है, अब इनको चिंता हो रही है कमीशन कहाँ गया। कितना कमीशन दे रहे हैं। साढे 3 हजार करोड़ की भागीदारी थी इन लोगों की। साढे 3 हजार का कमीशन।

...(व्यवधान)

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी: अध्यक्ष जी ये बात नहीं है कोई, ये जस्टिस नहीं हो रहा है।

...(व्यवधान)

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी: एक सीनियर मैबर से इस तरह नहीं करना चाहिए। आप डायरेक्शन दीजिए।

माननीय अध्यक्ष: जवाब ठीक दे रहे हैं।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी: ऑनरेबल डिप्टी सीएम को आप डायरेक्शन दीजिए। या तो वो ये कहें कि मैं तैयारी के साथ नहीं आया हूँ।

माननीय अध्यक्ष: मैं उनके उत्तर से सहमत हूँ।

...(व्यवधान)

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी: या वो उसके लिए माफी मांगें।

...(व्यवधान)

उप-मुख्यमंत्री: मैं कमीशन के इंटरस्ट के अलावा सारी तैयारी के साथ हूँ, बताएं क्या पूछना है।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी: बताएं, बताएं। चलो आप बताएं कि मास्टर प्लान 2021 इंप्लीमेंट होने के बाद नॉन कन्फर्मिंग एरियाज में सरकार ने कितने शराब के ठेके खोलने की अनुमति दी है, कहां कहां दी है, उन स्थानों का नाम क्या है, बताएं?

उप-मुख्यमंत्री: और कमीशन भी बताऊं?

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी: अरे बताओ।

उप-मुख्यमंत्री: और कमीशन भी बताऊं क्या?

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी: अरे बताओ न।

उप-मुख्यमंत्री: कमीशन में है न दिलचस्पी?

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी: अरे बताओ।

उप-मुख्यमंत्री: कमीशन में दिलचस्पी है न?

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी: अरे बताते क्यों नहीं हो। क्या छुपा रहे हो।

उप-मुख्यमंत्री: कमीशन में दिलचस्पी है न?

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी: क्या छुपा रहे हो?

उप-मुख्यमंत्री: सरकार को कितना कमीशन मिल रहा है अध्यक्ष महोदय, अब इनको चिंता इस बात की है। जब तक नई पॉलिसी नहीं आई थी भारतीय जनता पार्टी कमीशन लेती थी आराम से पुरानी पॉलिसी चलती थी। नई पॉलिसी

में बीजेपी का कमीशन बंद हो गया ये जानना चाहते हैं भई हमारे हिस्से का कमीशन कहाँ गया।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी: अध्यक्ष जी, आपकी आत्मा, क्या इसके लिए आपकी कांशियस अलाउ कर रही है कि क्या जवाब दिया जा रहा है इस ऑनरेबल हाउस को, क्या दिया जा रहा है।

उप-मुख्यमंत्री: ये माननीय नेता प्रतिपक्ष हैं या नेता कमीशन हैं पहले तो ये बता दें।

माननीय अध्यक्ष: अभी चर्चा में आने दें।

उप-मुख्यमंत्री: ये नेता कमीशन ज्यादा लग रहे हैं मुझको माननीय नेता प्रतिपक्ष कम लग रहे हैं।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी: मैं क्या चाहता हूँ, क्या नहीं चाहता हूँ किसी ने कहा अध्यक्ष जी। तू इधर उधर की न बात कर ये बता कि कारवां क्यों लुटा। मैं बताऊँ कि कारवां क्यों लुटा।

...(व्यवधान)

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी: मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी पर मलाल है। तेरी रहबरी पर मलाल है। आपकी लीडरशिप पर मुझे मलाल है कि कैसे दिल्ली लुटी आपके होते हुए डिप्टी चीफ मिनिस्टर आप हैं सिसोदिया जी, आपके रहते दिल्ली लुट गयी।

उप-मुख्यमंत्री: दिल्ली नहीं लुटी भारतीय जनता पार्टी का भविष्य लुट गया।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी: दिल्ली शराब की नगरी बन गयी।

उप-मुख्यमंत्री: बीजेपी के नेताओं का कमीशन लुट गया उसकी चिंता है इसलिए।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी: दिल्ली शराब की नगरी बन गयी।

उप-मुख्यमंत्री: इसीलिए दिल की बात कभी कभी जुबां पर आ जाती है।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी: दिल की बात न कर ये बता कि कारवां कैसे लुटा और क्यूं लुटा।

उप-मुख्यमंत्री: दिल की बात जुबान पर आ गयी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कमीशन लुट गया।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी: इधर उधर की बात मत करो। उसका जवाब दो अध्यक्ष जी, जवाब दिलवाइए। अध्यक्ष जी, जवाब दिलवाइए ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर से।

माननीय अध्यक्ष: क्वेश्चन ऑवर इज ओवर नाउ। लगभग सवा घंटे से ज्यादा हो गया क्वेश्चन ऑवर इज ओवर नाउ। प्लीज।

...(व्यवधान)

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी: ये आपकी इच्छा है अगर यही।

माननीय अध्यक्ष: बैठ जाइए, बैठ जाइए। आप बैठ जाइए प्लीज।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी: हमारे प्रश्न का जवाब।

माननीय अध्यक्ष: विधेयक पर विचार करना है।

...(व्यवधान)

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी: कह दो, आप कहो कि आप बोलो। अरे फिर कहो।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: बिधूड़ी जी, बैठ जाइए, प्लीज बैठिए आप।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी: अध्यक्ष जी, कोई बात है क्या ।

माननीय अध्यक्ष: नहीं बैठिए आप।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी: आप इसका जवाब दिलवाइए।

माननीय अध्यक्ष: आप क्वेश्चन ठीक नहीं कर रहे मैं क्या करूँ।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी: मेरा क्वेश्चन।

माननीय अध्यक्ष: उन्होंने कहा जवाब भेज दिया जाएगा। आप कह रहे हैं कब तक भेजा जाएगा।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी: ये कह रहे हैं कि नॉन कन्फर्मिंग एरियाज में ठेके खोलने की अनुमति दी है।

माननीय अध्यक्ष: कहां कहां है।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी: कहीं ये है? आंसर में ये देखिए।

माननीय अध्यक्ष: मैंने पढ़ लिया था।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी: ये देखिए।

माननीय अध्यक्ष: मैंने पढ़ लिया बैठ जाइए।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी: ये देखिए, सुनिए, माईक खुलवाइए।

उप-मुख्यमंत्री: अध्यक्ष महोदय, माननीय उप राज्यपाल महोदय की अनुमति से विगत में अनुमति दी जाती रही है।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी: नान कंफर्मिंग क्षेत्रों में शराब की दुकान खोलने से संबंधित प्रस्ताव विचाराधीन है।

उप-मुख्यमंत्री: नई आबकारी नीति, एक मिनट जो लिखा है पूरी जिम्मेदारी से लिखा है, आपकी तरह जुमले नहीं लिखता हूँ।

...(व्यवधान)

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी: विगत आबकारी नीति में भी कंपीटेंट अथारिटी से इजाजत लेकर नॉन कन्फर्मिंग एरियाज में दुकानें खोलने की अनुमति दी जाएगी। हां तो इसका।

माननीय अध्यक्ष: अनुमति दी नहीं है, कंपीटेंट अथारिटी से।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी: मैं कह रहा हूँ कि, ये कह रहे हैं दी।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप ये कह रहे हैं दुकानें बताइये।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी: मैं ये कहता हूँ दी जाती है ये कहा है।

माननीय अध्यक्ष: नहीं कहा है।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी: ये लिखा है दी जाती हैं।

उप-मुख्यमंत्री: मैं कह रहा हूँ दी जाती रही हैं। पहले भी दी जाती रही हैं।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी: आप पढ़िए।

उप-मुख्यमंत्री: 15 नवम्बर तक दिल्ली में नॉन कन्फर्मिंग एरियाज में शराब की दुकानें चलती रही हैं और परमीशन से चलती रही हैं। 15 नवंबर इसी साल, 2021 तक।

माननीय अध्यक्ष: तो ये जवाब दे तो दिया और क्या देंगे।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी: नॉन कन्फर्मिंग एरियाज में 2021 के बाद।

माननीय अध्यक्ष: भाई साहब, आपके उत्तर में क्लियर जवाब है। अब मुझे आगे सदन चलाने दें। आप नहीं मानते तो।

माननीय उप-मुख्यमंत्री: आपके पास पूरी लिस्ट, इनको चिंता है उससे कमीशन कैसे नहीं मिला।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: बैठिए। नहीं जवाब आया हुआ है।

उप-मुख्यमंत्री: मैं आपको लिस्ट भेज दूंगा। आप अपना गणित लगा लेना उनसे।

...(व्यवधान)

उप-मुख्यमंत्री: सर, भारतीय जनता पार्टी तो कम से कम इस तरह की बात करे न, कौन से स्तर पर आप लोग खड़े होते हो आप जरा बताओ। भारतीय

जनता पार्टी और स्तर दो शब्द कहीं मैच नहीं करते। क्या बात करते हो आप लोग।

माननीय अध्यक्ष: बैठिए। क्या कह रहे हैं शोएब जी।

...(व्यवधान)

उप-मुख्यमंत्री: भारतीय जनता पार्टी और स्तर की बात करे ये तो बात ही नहीं होती सर।

...(व्यवधान)

श्री शोएब इकबाल: अरे यार, बिधूड़ी जी, जब एक बार अध्यक्ष जी ने रूलिंग दे दी क्वेश्चन ऑवर समाप्त। उसके बाद तो एक सेकिंड भी आपको बोलने का नहीं है इस हाऊस के अंदर। खत्म तो खत्म। क्वेश्चन ऑवर। फर्स्ट टाईम मैं देख रहा हूँ अध्यक्ष महोदय, आपको तो मतलब ही नहीं एक सेकिंड भी हाऊस चलाने का, क्वेश्चन ऑवर खत्म तो फिर खत्म।

...(व्यवधान)

तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

26. श्री महेंद्र गोयल: क्या माननीय **समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विधवाओं के लिए विभाग द्वारा चलाई जा रही कल्याण योजनाओं का विवरण;

(ख) रिठाला विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2015 के बाद से विधवाओं की पुत्रियों के विवाह के लिए दी गई धनराशि का विवरण;

(ग) वर्ष 2015 के बाद से रिठाला विधानसभा क्षेत्र में दी गई विधवा पेंशन का वर्षवार विवरण;

(घ) क्या यह सत्य है कि आशा कार्यकर्ताओं को दिया जाने वाला मानदेय दिल्ली में दुगना कर दिया गया है; और

(ङ) रिठाला विधानसभा क्षेत्र में आंगनवाड़ी कर्ताकताओं/अध्यापिकाओं का विवरण दें?

समाज कल्याण मंत्री: (क) महिला एवं बाल विकास विभाग, दिल्ली सरकार के आर्थिक सहायता अनुभाग द्वारा गरीब विधवाओं जो कि पिछले 5 वर्षों से दिल्ली में रह रही हो तथा उनकी वार्षिक आय 1 लाख से कम हो के लिए दो योजनाएं क्रियान्वित की जाती है, जो निम्नलिखित हैं:-

(1) विधवा निराश्रित महिलाओं के लिए पेंशन योजना, जो धनराशि 2500/- रुपये मासिक दी जाती है।

(2) विधवा महिलाओं की दो पुत्रियों व अनाथ कन्या की शादी के लिए आर्थिक सहायता, धनराशि 30,000/- रुपये प्रति पुत्री।

महिला एवं बाल विकास विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा निर्मल छाया परिसर, जेल रोड के अंतर्गत एक विधवा गृह का संचालन किया जा रहा है जिसका उद्देश्य पात्र विधवा महिलाओं को आवास, भोजन, शैक्षिक एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं सुविधाएं उपलब्ध कराकर उनको सामाजिक-आर्थिक पुर्नवास के लिए कार्य करना है। विधवा गृह की स्वीकृत सहनिवासियों की संख्या 100 है। इसके अलावा वर्ष 2021-22 में विभाग द्वारा सहेली समन्वय केंद्र संचालित किये जा रहे हैं। जिनमें कमजोर वर्ग की महिलाओं, जिसमें विधवा

महिलायें भी शामिल हैं, को आर्थिक रूप से सशक्त और जागरूक किया जा रहा है।

(ख) रिठाला विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2015 के बाद से नवम्बर 2021 तक 280 विधवा की पुत्रियों के विवाह के प्रति प्रार्थी धनराशि 30,000/- दी गई है।

(ग) रिठाला विधानसभा में 2015 के बाद से दी गई विधवा पेंशन का वर्षवार विवरण निम्नलिखित है:

2015-16=304

2016-17=372

2017-18=713

2018-19=496

2019-20=420

2020-21=536

(घ) राज्य सरकार ने जुलाई 2018 से कैबिनेट मंजूरी द्वारा राज्य की सभी आशाओं की प्रोत्साहन राशि जो कि दिल्ली सरकार द्वारा वित्त पोषित है, वह दुगुनी कर दी गई है।

(ङ) रिठाला विधानसभा क्षेत्र में कुल 161 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के पद हैं जिसकी प्रतिलिप संलग्न है।

संलग्न

DETAILS OF ANGANWADI WORKERS UNDER AC 06

ICDS Rohini 1

Sl. No.	AWC No.	Name of the AWW	Contact No. of AWW	Address of AWC	AC
1	2	3	4	5	6
1	1	Mamta	9958125067	C-194, Rithala Rohini, Delhi-10085	6
2	2	Babita	9312861996	B 33, Gopal Vihar, Vijay Vihar, Phase 2, Rohini, Delhi-110085	6
3	3	Pooja Mehta	9210874871	MCD Flat 308, Sec-4, Rohini, Delhi-110085	6
4	4	Shubhlata	8750013978	D-57, Vijay Vihar, Phase-2, Rohini, Delhi-110085	6
5	6	Meenakshi	9560246269	KNo. 156, Rithala, Rohini, Delhi-110085	6
6	7	Sanno	9711858186	E-62, Vijay Vihar, Phase 11, Rohini, Delhi-110085	6
7	8	Shashi	9015861790	MCD HNo. 308, Sec-4, Rohini, Delhi-110085	6
8	9	Suman	8800366736	HNo. 17 L Block, Vijay Vihar-110085	6
9	41	Nisha	9555508205	B-57, Vijay Vihar, Ph-1	6
10	42	Manju	9350597118	G-57, Vijay Vihar-1, Rohini, Delhi-110085	6
11	43	Kanta	9268586774	C-47, Vijay Vihar, Phase-1, Rohini, Delhi-110085	6
12	44	Saroj	9650450234	D-43, Vijay Vihar, Phase-1, Rohini, Delhi-110085	6
13	45	Tripta	9968332194	E-166, Vijay Vihar, Phase-1, Rohini, Delhi-110085	6
14	46	Sunita	9990988875	E-3, Vijay Vihar, Phase-1, Rohini, Delhi-110085	6

1	2	3	4	5	6
15	47	Saroj	9299742005	F-225, Vijay Vihar Phase-1 Rohini Delhi-110085	6
16	48	Anita	8860141039	F-177, Vijay Vihar Rohini Delhi-110085	6
17	49	Priyanka	9711136293	H-12, Vijay Vihar, Rohini, Delhi-110085	6
18	50	Sangeeta	9650844512	A-27-28, Gali No.2. Vijay Vihar, Phase-1, Rohini, Delhi-110085	6
19	51	Mukesh	9213607395	A-225, Vijay Vihar, Phase-1, Rohini, Delhi-110085	6
20	52	Anju	9718870769	1 103, Vijay Vihar, Phase-1, Rohini, Delhi-110085	6
21	53	Chandni	9999701794	J-124, Vijay Vihar, Phase-1, Rohini, Delhi-110085	6
22	54	Suman	0383972967	HNo. 1-137, Vijay Vihar, Phase-1, Rohini, Delhi-110085	6
23	55	Rita	9313329128	K-79, Vijay Vihar, Phase-1, Rohini, Delhi-110085	6
24	56	Poonam	9313329128	A-118, Vijay Vihar, Phase-1, Rohini, Delhi-110085	6
25	57	Pooja	9268488261	B-67, Vijay Vihar, Phase-2, Rohini, Delhi-110085	6
26	58	Anjana	9999214090	B-124, Vijay Vihar, Phase-2, Rohini, Delhi-110085	6
27	59	Seema	9250134035	C-36, Vijay Vihar, Phase-2, Rohini, Delhi 10085	6
28	60	Parvati	9268462316	H-114, Vijay Vihar, Phase-2, Rohini, Delhi-110085	6
29	61	Pushplata	9289529097	C-74/2, Vijay Vihar, Phase-2, Rohini, Delhi-110085	6
30	62	Rekha	9971345888	C-100/7, Vijay Vihar Phase-2, Rohini, Delhi-110085	6
31	63	Babita	9899509529	C-174, Vijay Vihar, Phase-2, Rohini, Delhi-110085	6
32	64	Radha Sharma	9213210676	D-67, Vijay Vihar, Phase-2, Rohini, Delhi-110085	6

33	65	Rekha Sharma	9811624048	E-147/1, Vijay Vihar, Phase-2, Rohini, Delhi-110085	6
34	66	Megha	9213933609	G-21/2, Vijay Vihar, Phase-2, Rohini, Delhi-110085	6
35	67	Beena	9278024511	L-91, Vijay Vihar, Phase-2, Rohini, Delhi-110085	6
36	68	Sarla	7011087428	L-96, Vijay Vihar, Phase-2, Rohini, Delhi-110085	6
37	69	Savitri	9873861984	L-113, Vijay Vihar, Phase-2, Rohini, Delhi-110085	6
38	70	Asha	9873861984	J-47, Vijay Vihar, Phase-2, Rohini, Delhi-110085	6
39	71	Asha Chaudary	9999060474	F-149, Vijay Vihar, Phase-2, Rohini, Delhi-110085	6
40	72	Bimla	9811821590	K-61, Vijay Vihar, Phase-2, Rohini, Delhi-110085	6
41	73	Madhulika	9873608750	G-128, Vijay Vihar, Phase-2, Rohini, Delhi-110085	6
42	74	Samiksha	7065191362	F-61, Vijay Vihar, Phase-2, Rohini, Delhi-110085	6
43	75	Kusum Lata	9289991868	L-35, Vijay Vihar, Phase-2, Rohini, Delhi-110085	6
44	76	Anita	9643361211	G-3/1 Janta Flat, Lal Quarter, Vijay Vihar, Phase-2 Rohini Delhi	6
45	77	Chanderakala	9999313744	K-2/7 Janta Flat, Lal Quarter, Vijay Vihar, Phase-2 Rohini Delhi	6
46	78	Kusum Lata	9211874482	B-1, Janta Flat, Lal Quarter, Vijay Vihar, Phase-2 Rohini Delhi	6
47	79	Malti	8587882401	HNNo. 993, Lal Dora Rithala, Rohini, Delhi-110085	6
48	80	Gurmeet Kaur	9873891775	HNNo. 986, Lal Dora, Rithala, Rohini, Delhi-110085	6
49	81	Geeta	8743020403	Khasra No. 1001, Lal Dora Rithala, Rohini, Delhi-110085	6
50	82	Veerwati	9990908375	HNNo.105, Rithala, Rohini, Delhi-110085	6
51	83	Sunita	9211334976	HNNo.105, Rithala, Rohini, Delhi-110085	6
52	84	Shobhna	9311236660	HNNo.119, Rithala, Rohini, Delhi-110085	6

1	2	3	4	5	6
53	85	Anu	9818544371	HNo. 376, Rithala, Rohini, Delhi-110085	6
54	86	Poonam Hasija	9211321804	HNo.153, Rithala, Rohini, Delhi-110085	6
55	87	Vacant		HNo. 215, Rithala, Rohini, Delhi-110085	6
56	88	Priti	9811984047	HNo. 188, Rithala, Rohini, Delhi-110085	6
57	89	Sushila	9654901044	K-200, Vijay Vihar, Phase-2, Rohini, Delhi	6
58	90	Tulsi	9873405682	HNo.350, Rithala Village, Rohini, Delhi-110085	6
59	91	Hema Aggarwal	7838860424	HNo.152 Kh.No. 58/12 Pal Colony Rithala, Rohini, Delhi-110085	6
60	92	Shashi Yadav	8800515206	HNo.239, Pal Colony Rithala, Rohini, Delhi-110085	6
61	93	Suman Rawat	8860357627	HNo.51 KhNo.59/10/11 Pal Colony Rithala, Rohini, Delhi-110085	6
62	94	Meena	9213782692	Hno.36 Kh No.59/8 Pal Colony Rithala Rohini Delhi-110085	6
63	1	Anil Kumari	9213958044	X-42, Budh Vihar, Phase-1	6
64	2	Zeba Parveen	9811305919	B-1/55, Budh Vihar, Phase 1	6
65	3	Sunita	9711594772	H-1/59, Budh Vihar, Phase 1	6
66	4	Mukesh	9811075479	N-1/53, Vihar Phase, Phase 1	6
67	5	Madhu Bala	8700609773	K-1/44, Budh Vihar, Phase 1	6
68	6	Madhu Singh	9873245686	N-1/28, Budh Vihar, Phase 1	6
69	7	Manju Singh	9211214190	E-1/38, Budh Vihar, Phase 1	6
70	8	Indu	9582917069	C-1/45, Budh Vihar, Phase-1	6

71	9	Kalawati Gupta	9250388915	A-1/35, Budh Vihar, Phase 1	6
72	10	Savita Verma	9212925474	P-43, Budh Vihar, Phase 1	6
73	11	Anjali Thakur	7982226266	S-22, Budh Vihar, Phase 1	6
74	12	Chanderkanta	9210268962	1-1/25, Budh Vihar, Phase 1	6
75	13	Pinki Devi	9999314740	U-1/19, Budh Vihar, Phase 1	6
76	14	Pushplata	9318498880	Y-1/28, Budh Vihar, Phase 1	6
77	15	Vaccant		B-2/27, Budh Vihar, Phase 1	6
78	16	Balkiran Saini	9818435000	H-2/34, Budh Vihar, Phase 1	6
79	17	Kavita	9811306142	M-2/10A, Budh Vihar, Phase 1	6
80	18	Urmila	9013927474	J-2/13, Budh Vihar, Phase 1	6
81	19	Mamta Rani	8368241197	B-2/14, Budh Vihar, Phase 1	6
82	20	Rajbala	8368517029	P 2/6, Budh Vihar, Phase 1	6
83	21	Rajni Sharma	8800921054	1-2/7, Budh Vihar, Phase 1	6
84	22	Bimla	9013801674	A-2/7, Budh Vihar, Phase 1	6
85	23	Rashmi Tripathi	9654140236	U1/4, Budh Vihar, Phase 1	6
86	24	Smriti Devi	9971313150	P 1/4, Budh Vihar, Phase 1	6
87	25	Bhawna	9953781709	R-1/17D, Budh Vihar, Phase 1	6
88	26	Shyamwati	9811054974	H-1/1, Budh Vihar, Phase 1	6
89	27	Neelam	9811292804	B-1/4, Budh Vihar, Phase 1	6
90	28	Indu Prabha	9811089343	Y-4, Budh Vihar, Phase-1	6

1	2	3	4	5	6
91	29	Dimple	9599452217	N-24, Budh Vihar, Phase-I	6
92	30	Sumanlata	7827609700	O-6, Budh Vihar, Phase-I	6
93	31	Sudesh Sharma	92115447793	X1/47, Budh Vihar, Phase-I	6
94	32	Sudesh Kumari	9250135938	R1/67, Budh Vihar, Phase-I	6
95	33	Saroj	9210309555	V1/58, Budh Vihar, Phase-I	6
96	34	Manoj	9968520807	U-1/53, Budh Vihar, Phase-I	6
97	35	Juli	9999787703	B-2/45, Budh Vihar, Phase-I	6
98	36	Usha	8585942028	P1/42, Budh Vihar, Phase-I	6
99	37	Reeta	9716765426	T-1/57, Budh Vihar, Phase-I	6
100	38	Sarita	9971037499	B-23A, Harsh Dev Park, B.V., Ph 2	6
101	39	Asharani	8800246613	C-1, Harsh Dev Park, B.V., Ph-2	6
102	40	Saravwati Singh	9268341167	C-38, Harsh Dev Park, B.V., Ph-2	6
103	41	Kamla	9990284606	A-1/22, Harsh Dev Park, B.V., Ph-2	6
104	42	Manju Sharma	9910473900	C-1/59, Harsh Dev Park, B.V., Ph-2	6
105	43	Kanchan	8588009765	D- 88, Harsh Dev Park, B.V., Ph 2	6
106	44	Kavita	9266131399	C-49, Harsh Dev Park, B.V., Ph 2	6
107	45	Sangeeta	9873391103	B-51, Azad Colony, B.V., Ph 2	6
108	46	Seemasharma	9873393440	A-180, Shyam Colony, B.V., Ph 2	6

109	47	Kamlesh Parashar	9599434404	A-603, Shyam Colony, B.V., Ph 2	6
110	48	Laxmi Devi	8459762280	A-622, Shyam Colony, B.V. Ph 2	6
111	49	Anjali	9953813418	A-729-730, Shyam Colony, B.V. Ph 2	6
112	50	Tanuja Chauhan	9821288402	A-98, Shyam Cly, Budh Vihar, Ph 2	6
113	51	Kamya Chawla	9210775298	A-36, Kalu Colony, B.V., Ph 2	6
114	52	Asha Chauhan	9211464781	E-42, Budh Vihar, Phase 2	6
115	53	Jyoti Tomar	9899668781	A-25, Shyam Colony, B.V. Ph 2	6
116	54	Savita	9953756381	O-26, Sharma Cly, B.V., Ph 2	6
117	55	Manisha	9953937331	N-15, Sharma Colony, B.V., Ph 2	6
118	56	Saroj	9289984123	K-14, Sharma Cly, B.V., Ph 2	6
119	57	Renu	9268544584	A-4, Veer Singh Cly, B.V., Ph 2	6
120	58	Manorma	9210874516	A-74, Veer Singh Colony, B.V., Ph 2	6
121	59	Sunita	9891404955	H-18, Sharma Cly, B.V., Ph 2	6
122	60	Asha	7982473475	D-25, Sharma Colony, B.V., Ph 2	6
123	61	Sarita	9999903317	41B-Block, Sharma Colony, Budh Vihar, Phase 2	6
124	62	Poonam	7503153999	A-27, Shyam Colony, Budh Vihar, Ph 2	6
125	63	Reena Devi	8375847584	A-409, Shyam Colony, Budh Vihar, Ph 2	6
126	64	Madhu Malhotra	9990082727	A-334, Shyam Colony, Budh Vihar, Ph 2	6
127	65	Prabha	8447801003	A-310, Shyam Colony, Budh Vihar, Ph 2	6
128	66	Savita	9873396307	A-243, Shyam Colony, Budh Vihar, Ph 2	6

1	2	3	4	5	6
129	67	Seema	9873439764	A-1041, Sham Colony, Budh Vihar, Ph 2	6
130	68	Renu Dabas	9873435994	A-944, Shyam Colony, Budh Vihar, Ph 2	6
131	69	Sonia Aggarwal	9999292940	A-230, Jaswant Colony, Budh Vihar, Ph 2	6
132	70	Rita Sahni	9289908991	S-42, Sharma Colony, Budh Vihar, Ph 2	6
133	71	Gayatri	8587004256	S-4/4, Sharma Colony, Budh Vihar, Ph 2	6
134	72	Kusum	9717514088	Y-33, Sharma Colony, Budh Vihar, Ph 2	6
135	73	Sunita	8826680245	A-1 /32, Sharma Colony, Budh Vihar, Phase 2	6
136	74	Shubhanjali	838384599	H/No Y-1/41, Sharma Colony, Budh Vihar, Ph-2	6
137	75	Santosh Kumari	9953108013	3/5 & 4/5B, Khasra No.55/16, Chandu Lal Colony, Budh Vihar	6
138	76	Anju Rani	9716319949	B-25, Shiv Colony, Budh Vihar, Ph 2	6
139	77	Sushma Rani	9811055710	B-92, Mange Ram Park, (Hub Center)	6
140	78	Santosh Devi	9289501428	B-92, Mange Ram Park, (Hub Center)	6
141	79	Sunil.	9210007985	B-92, Mange Ram Park, (Hub Center)	6
142	80	Savitri Devi	9013362117	Block F, H No 10, Mange Ram Park	6
143	81	Pooja	9654107940	Block A, H No 162, Mange Ram Park	6
144	82	Tripti	9013497363	A-62, Mange Ram Park	6
145	83	Arti Garg	9818982494	Block B, H No. 210, Mange Ram Park	6
146	84	Poonam Solanki	8700659008	Block A. H No. 116, Mange Ram Park	6
147	85	Sunita Bhardwaj	9211499933	C81, Mange Ram Park	6

District North		Shahbad			
ICDS Project		Shahbad			
Sl. No.	AWC No.	AMM Name	Contact No.	Address of AWC	
148	91	Raniana	9560939834	B-6/2, Sec-17, Rohini	
149	92	Laxmi	7290008312	A-1/234, Sec-17, Rohini-89	
150	93	Babita	8010727457	A-93, Amar Jyoti Colony, Rohini-89	
151	94	Sarla	7065495991	B-81, Amar Jyoti Colony, Rohini-89	
152	95	Soma Devi	9899413144	H3/328, Rohini, Sector 16	
153	96	Jyoti Gupta	8287311352	H-3/97, Rohini-16	
154	82	Kavita	9555251172	C-53, Amar Jyoti Colony, Rohini	
155	1	Manjeet	9643729644	J-457/7, Sardar Colony, Sec 16, Rohini	
156	2	Pushpa Rani	9643729341	J-707/10, Sardar Colony Sec-16, Rohini	
157	3	Nirmala	8585971589	J-12/2, Sardar Colony, Sec 16, Rohini	
158	4	Sarita	9643729236	J-624/8, Sardar Colony, Sec-16, Rohini	
159	5	Rambatri	9266439899	J-110, Sardar Colony, Sec-16, Rohini	
160	6	Binla	7011712923	J-207/5, Sardar Colony Sec-16, Rohini	
161	7	Renu Rana	9643711434	J-409/8, Sardar Colony Sec-16, Rohini	

31. श्री सौरभ भारद्वाज: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि म्युनिसिपल चीफ ऑडिटर ने पैरा 10.1.6 में “नान-मैटेनेंस ऑफ डेटा बेस ऑफ ऑल दि म्युनिसिपल प्रोपर्टीज/म्युनिसिपल क्वार्टर्स” के अंतर्गत/अनेक कमियों को रेखांकित किया है;

(ख यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) दिनांक 1 जनवरी से 30 अक्टूबर 2021 के दौरान वसूल किए गए किराए (पूरे या आंशिक) का वर्षवार विवरण, जिसके साथ संपत्ति, वह आवासीय है या वाणिज्यिक, लंबित राशि (पूरी) तथा लंबित (आंशिक) राशि की जानकारी भी दी गई हो;

(घ) दिनांक 1 जनवरी से 30 अक्टूबर 2021 के दौरान म्युनिसिपल आवासों और वाणिज्यिक संपत्तियों से वसूल किए गए डेमेज चार्जेज, का विवरण, जिसके साथ डेमेज प्रॉपर्टी, आवासीय अथवा वाणिज्यिक है व वसूल एवं लंबित राशि की जानकारी भी हो;

(ङ) अनधिकृत रूप से रखी गई संपत्तियों का विवरण, जिसके साथ संपत्ति का प्रकार, वार्ड नंबर, नाम, उन्हें रखे जाने की अवधि व उनके विरुद्ध की गई कार्रवाई की जानकारी भी दी गई हो;

(च) अनधिकृत रूप से रखी गई संपत्ति पर नजर रखने के लिए उत्तरादायी अधिकारियों का विवरण;

(छ) एसडीएमसी/ईडीएमसी/नार्थडीएमसी के क्षेत्राधिकार में हुए अतिक्रमण का जोनवार विवरण जिसमें वार्ड का नाम और उनके विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा भी हो;

(ज) अतिक्रमण पर नजर रखने के लिए उत्तरदायी अधिकारियों का विवरण;

(झ) दिनांक 1 जनवरी से 30 अक्टूबर 2021 के दौरान वाणिज्यिक संपत्तियों से वसूल तथा लंबित लाइसेंस फीस का वर्षवार विवरण, जिसके साथ संपत्तियों का विवरण, वसूल राशि व लंबित राशि की जानकारी भी दी गई हो;

(ञ) लंबित राशि को वसूल न कर पाने के लिए उत्तरदायी अधिकारियों का विवरण; और

(ट) 1 जनवरी, 2015 से 31 अक्टूबर 2021 के दौरान म्युनिसिपल आवास/वाणिज्यिक संपत्तियों को आवंटित करने हेतु जारी की गई माँग का वर्षवार विवरण, जिसके साथ जारी की गई माँग का वर्षवार विवरण, जिसके साथ जारी की गई माँग वाले मामलों की संख्या, आवंटित संपत्तियों की संख्या व लंबित माँग-आवंटन की जानकारी भी हो?

शहरी विकास मंत्री: (क) जी हाँ, यह सत्य है।

(ख) लेख परिक्षा रिपोर्ट अवलोकन के लिए विभाग लेखा परिक्षा विभाग को उत्तर प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में है।

(ग) उत्तरी दिल्ली नगर निगम के प्राप्त जानकारी निम्नलिखित है:-

माह	निगम भू एवं स आय (रुपये में)	L&DO (Govt. of India से स्थानान्तरित मार्किटों से आय (रुपये में)	निगम आवासों से आय (रुपया में)	अम्बेडकर आवास योजना के अन्तर्गत आवंटित आवासों की किस्तों से प्राप्त आय (रुपये में)
जनवरी-21	8,04,508	33,62,992	74,596	3,33,282

फरवरी-21	2,79,175	23,82,537	4,11,580	5,26,822
मार्च-21	3,24,22,313	79,90,440	2,17,572	8,25,549
अप्रैल-21	15,65,324	19,97,151	34,979	4,47,058
मई-21	47,49,719	16,45,600	87,402	1,36,988
जून-21	26,72,489	16,73,217	9,69,561	12,29,280
जुलाई-21	12,55,075	33,56,614	12,90,151	1,16,245
अगस्त-21	25,92,543	86,72,582	1,72,172	9,12,154
सितम्बर-21	39,45,407	34,10,521	11,87,345	4,71,173
अक्टूबर-21	47,90,206	40,78,899	6,69,445	5,63,315

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के प्राप्त जानकारी के अनुसार आवासियों सम्पत्तियों का किराया संबंधित डी.डी.ओ. द्वारा प्रत्येक माह में आबंटि/कर्मचारी के वेतन से वसूल किया जाता जिसकी जानकारी निम्नलिखित है:-

माह	L&DO (Govt. of India से स्थानांतरित मार्किटों से आय (रुपये में)	निगम आवासों से आय (रुपये में)
जनवरी-2021	108846	4805
फरवरी-2021	50740	17823
मार्च-2021	449326	22025
अप्रैल-2021	84655	43534
मई-2021	600	28825

तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 197 14 पौष, 1943 (शक)

जून-2021	180329	39280
जुलाई-2021	22834	90
अगस्त-2021	143532	28349
सितम्बर-2021	177828	6210
अक्टूबर-2021	376695	7055

पूर्वी दिल्ली नगर निगम के प्राप्त जानकारी के अनुसार

1. दिनांक 1 जनवरी से 30 अक्टूबर 2021 के दौरान वाणिज्यिक संपत्ति से किराये का ब्यौरा इस प्रकार है:-
वसूल किये - रुपये 13279/-
लंबित - रुपये 2198/-
2. दिनांक 1 जनवरी से 30 अक्टूबर 2021 के दौरान आवासीय संपत्ति से किराये का ब्यौरा इस प्रकार है:-
वसूल किये - रुपये 447249/-
लंबित - रुपये NIL/-

(घ) उत्तरी दिल्ली नगर निगम के प्राप्त जानकारी के अनुसार 1 जनवरी से 30 अक्टूबर 2021 के दौरान म्युनिसिपल आवासों और वाणिज्यिक संपत्तियों से वसूल किए गए डेमेज चार्जेज, का विवरण निम्न प्रकार है:-

आवासीय सम्पत्तियों से वसूल किए गए डेमेज चार्जेज का विवरण	वाणिज्यिक सम्पत्तियों से वसूल किए गए डेमेज चार्जेज का विवरण
1554849/- रुपये	682828/- रुपये

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के प्राप्त जानकारी के अनुसार 1 जनवरी से 30 अक्टूबर 2021 के दौरान म्युनिसिपल आवासों और वाणिज्यिक संपत्तियों से वसूल किए गए डेमेज चार्जेज, का विवरण निम्न प्रकार है।

आवासीय संपत्तियों से वसूल किए गए डेमेज चार्जेज का विवरण	वाणिज्यिक संपत्तियों से वसूल किए गए डेमेज चार्जेज का विवरण
कुछ नहीं	1166474/-

पूर्वी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार

1. दिनांक 1 जनवरी से 30 अक्टूबर 2021 के दौरान वाणिज्यिक संपत्ति से डेमेज चार्ज से किराये का ब्यौरा उपरोक्तानुसार है।
2. दिनांक 1 जनवरी से 30 अक्टूबर 2021 के दौरान आवासीय संपत्ति से डेमेज चार्ज से किराया NIL है।

(ड) उत्तरी दिल्ली नगर निगम के प्राप्त जानकारी के अनुसार अनधिकृत रूप से रखी गई संपत्तियों का विवरण निम्न प्रकार है:-

संपत्ति का विवरण	संपत्ति का प्रकार	उनके विरुद्ध की गई कार्रवाई की जानकारी
हाल नं. 1 निगम मार्किट सरस्वती मार्ग	वाणिज्यिक	खाली करा लिया गया है।
ऐ-1, पंचवटी कॉलोनी, आजादपुर	रिहाईशी	खाली करा लिया गया है।

दूसरी मंजिल पर कार्यालय की जगह निगम मार्किट सरस्वती मार्ग	दूसरी मंजिल पर कार्यालय की जगह	खाली करा लिया गया है।
यूनियन क्लब, एस.पी. मुखर्जी मार्ग, दिल्ली-6	टेनिस ईत्यादी के लिए क्लब	खाली करा लिया गया है।
यंगमेन टेनिस क्लब, एस.पी. मुखर्जी मार्ग, दिल्ली-6	टेनिस ईत्यादी के लिए क्लब	खाली करा लिया गया है।
राधेगोविन्द क्लब एस.पी. मुखर्जी मार्ग, दिल्ली-6	टेनिस ईत्यादी के लिए क्लब	खाली करा लिया गया है।
सरवेंट क्वार्टर 10, राजपुर रोड़	सरवेंट क्वार्टर	केन्द्रीय जिला न्यायधीश द्वारा खाली कराने पर रोक लगा रखी है।
हाल नं. 2 निगम मार्किट सरस्वती मार्ग	वाणिज्यिक	केन्द्रीय जिला न्यायधीश द्वारा खाली कराने पर रोक लगा रखी है।
सम्पत्ति संख्या 1002, कुचा नटवा, चांदनी चौक, दिल्ली	पार्क	स्टेट आफिसर उत्तरी दिल्ली निगम के सक्षम खाली कराने हेतु दावा दाखिल किया हुआ है। जैसे ही

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के प्राप्त जानकारी के अनुसार आवासीय सम्पत्तियां 02 है जिनके विरुद्ध नियम अनुसार कार्यवाही विचाराधीन है।

Colony Name	Qtr. No.	Name of the Allottee	Degn.	Place of Posting	
Ashok Nagar	F-19	Hari Dass	SK	DEMS/WZ	Death Case 01/10/2017
Ashok Nagar	F-39	Sube Singh	SK	KBZ	Retirement 31/07/2015

वाणिज्यिक सम्पत्ति के संदर्भ में ऐसी 43 सम्पत्तियों को चिन्हित किया गया एवं उनके अलाटमेंट को निरस्त करने के उपरान्त विभाग सम्पत्तियों को खाली कराने हेतु PPE |बज के अनुसार स्टेट ऑफिसर के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। सूची अनुलग्नक “ए” पर संलग्न है।

पूर्वी दिल्ली नगर निगम के प्राप्त जानकारी के अनुसार अनधिकृत रूप से रखी गई आवासीय एवं वाणिज्यिक संपत्तियों का विवरण Nil है।

(च) उत्तरी दिल्ली नगर निगम के प्राप्त जानकारी के अनुसार भूमि एवं सम्पत्ति विभाग के संबंधित कर्मचारी द्वारा नजर रखी जाती है।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के प्राप्त जानकारी के अनुसार संबंधित भूमि एवं सम्पत्ति विभाग द्वारा नियमानुसार सुचारू रूप से कार्यवाही की जाती है।

पूर्वी दिल्ली नगर निगम के प्राप्त जानकारी के अनुसार अनाधिकृत रूप से रखी गई आवासीय संपत्तियों पर नगर रखने के लिए संबंधित अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारी उत्तरादायी है तथा वाणिज्यिक संपत्तियों पर नजर रखने के लिए भूमि एवं सम्पत्ति विभाग के संबंधित कर्मचारी द्वारा नजर रखी जाती है।

(छ) उत्तरी दिल्ली नगर निगम के प्राप्त जानकारी के अनुसार भूमि एवं सम्पत्ति विभाग को अंतर्गत आने वाली संपत्तियों में किसी प्रकार का अतिक्रमण की सूचना नहीं है।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के प्राप्त जानकारी के अनुसार अतिक्रमण एक अनवरत प्रक्रिया है एवं इसके विरुद्ध विभाग द्वारा समय-समय पर उचित कार्यवाही की जाती है।

पूर्वी दिल्ली नगर निगम के प्राप्त जानकारी के अनुसार पूर्वी दिल्ली नगर निगम के क्षेत्राधिकारी में हुए अतिक्रमण एक अनुवृत्त प्रक्रिया है एवं इसके विरुद्ध संबंधित विभागों समय-समय उचित कार्यवाही की जाती है। सूची अनुलग्नक 'अ' पर संलग्न है।

(ज) उत्तरी दिल्ली नगर निगम के प्राप्त जानकारी के अनुसार विभिन्न विभागों एवं उस विभाग के अन्य अधिकारियों का कर्मचारियों द्वारा उनके क्षेत्राधिकार में आने वाली संपत्तियों के अतिक्रमण पर नजर रखने तथा कार्यवाही करने का उत्तरदायित्व है।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के प्राप्त जानकारी के अनुसार अतिक्रमण हटाने हेतु क्षेत्रिय कार्यालयों के मेंटेनेंस विभाग एवं सामान्य शाखा के द्वारा उचित कार्यवाही की जाती है।

पूव्वी दिल्ली नगर निगम के प्राप्त जानकारी के अनुसार अतिक्रमण पर नजर रखने के लिए संबंधित विभागों जैसे-उद्यान, शिक्षा, स्वास्थ्य, अभियांत्रित आदि के अधिकारी उत्तरदायी है।

(झ) उत्तरी दिल्ली नगर निगम के प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2015 में भूमि एवं सम्पत्ति विभाग के अन्तर्गत आने वाली 29 मार्किटों की लाईसैंस फीस

सर्कल रेट के अनुसार बढ़ाई गई थी। 29 मार्किट के अलाटी ने विरोधनुसार बढ़ी हुई फीस जमा नहीं कराई व ज्ञापन इत्यादि दिये गए। ज्ञापनों का अवलोकन विभिन्न स्तरों पर करने के पश्चात बढ़ी हुई फीस संशोधन हेतु प्रस्ताव किया गया जो कि स्थाई समिति एवं सदन द्वारा वर्ष 2021 में अनुमोदित कर दिया। जो कि विचाराधीन है। जैसे ही कार्यालय आदेश जारी होंगे, लाइसेंस फीस की वसूली कर ली जायेगी।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के प्राप्त जानकारी के अनुसार 1 जनवरी से 30 अक्टूबर 2021 तक कुल 5646574 लाइसेंस फीस प्राप्त की एवं कुछ डिफाल्टरों को चिन्हित किया गया है जिनके विरुद्ध के अनुसार स्टेट ऑफिसर के सामने आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है। सूची अनुलग्नक “ए” पर संलग्न है।

पूर्वी दिल्ली नगर निगम के प्राप्त जानकारी के अनुसार संबंधित जानकारी का विवरण क्रम संख्या “ग” के अनुसार है।

(ज) उत्तरी दिल्ली नगर निगम के प्राप्त जानकारी के अनुसार लंबित राशि को वसूल करने का उत्तरदायी भूमि एवं सम्पत्ति विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का है।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के प्राप्त जानकारी के अनुसार लंबित राशि के उपार्जन हेतु विभाग में नियुक्त किराया संग्राहक के द्वारा की जाती है।

पूर्वी दिल्ली नगर निगम के प्राप्त जानकारी के अनुसार लंबित राशि को वसूल करने तथा न कर पाने के लिए भूमि एवं संपदा विभाग के अधिकारी उत्तरदायी है। (वर्तमान में लंबित राशि को वसूल करने के लिए विभाग प्रयासरत है जिसके लिए 4 इकाईयों को नोटिस जारी किये गये हैं।

(ट) उत्तरी दिल्ली नगर निगम के प्राप्त जानकारी के अनुसार।

वर्ष	म्यूनिसिपल आवास/ वाणिज्यिक संपत्तियों आवंटित करने हेतु जारी की गई माँग का वर्षवार विवरण	माँग वाले मामलों की संख्या	लंबित माँग-आवंटन की जानकारी
2015	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं
2016	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं
2017	69.65 करोड़	1	कोई नहीं
2018	10.65 करोड़	3	कोई नहीं
2019	10.99 करोड़	1	कोई नहीं
2020	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं
2021	7 करोड़ 78 लाख	2	कोई नहीं

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के प्राप्त जानकारी के अनुसार।

वर्ष	म्यूनिसिपल आवास/ वाणिज्यिक संपत्तियों आवंटित करने हेतु जारी की गई माँग का वर्षवार विवरण	माँग वाले मामलों की संख्या	लंबित माँग-आवंटन की जानकारी
2015	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
2016	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
2017	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
2018	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं

2019	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
2020	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
2021	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं

पूर्वी दिल्ली नगर निगम के प्राप्त जानकारी के अनुसार।

- 1 जनवरी 2015 से 31 अक्टूबर 2021 के दौरान म्युनिसिपल वाणिज्यिक संपत्तियों को आवंटित करने हेतु जारी की गई माँग का वर्षवार विवरण, जिसके साथ जारी की गई माँग वाले मामलों की संख्या, आवंटित संपत्तियों की संख्या व लंबित माँग-आवंटन NIL है।
- 1 जनवरी 2015 से 31 अक्टूबर 2021 के दौरान म्युनिसिपल आवासीय संपत्तियों को आवंटित करने हेतु जारी की गई माँग का वर्षवार विवरण, जिसके साथ जारी की गई माँग वाले मामलों की संख्या, आवंटित संपत्तियों की संख्या व लंबित माँग-आवंटन निम्नलिखित है:-

क्र.सं.	आवंटन हेतु माँग	आवास आवंटन सं.	लंबित माँग सं.	विवरण (वर्ष वार)
1.	239	83	156	01.01.15 से 31.12.2015
2.	223	74	149	01.01.16 से 31.12.2016
3.	195	42	153	01.01.17 से 31.12.2017
4.	165	23	142	01.01.18 से 31.12.2020
5.	142	-	142	01.01.20 से 31.10.2021

ANNEXURE - A

S.No.	Stall/Shop/OPF No.	Outstanding	Ward
1	2	3	4
1	Stall No15, LRC-I	1270704	57-S
2	Stall No 17, LRC-I	1484683	57-S
3	Stall No 7, LRC-I	903887	57-S
4	Stall No 4, LRC-I	1144367	57-S
5	Stall No 3 LRC-I	1978752	57-S
6	Stall No 5, LRC-I	1848917	57-S
7	OPF NO 8 LRC-I	1154423	57-S
8	Stall No 13, LRC-I	2923715	57-S
9	Stall No 7, LRC-I	903887	57-S
10	Stall No 1, LRC-I	3427112	57-S
11	Shop No 1 LRC-I	301974	57-S
12	OPF NO 5 LRC-II	496173	57-S
13	OPF NO 9 LRC-II	530226	57-S
14	OPF NO LRC-II	923288	57-S
15	Stall No 15 LRC-I	1270704	57-S
16	Shop No 3 LRC-II	8903339	57-S
17	Shop No 4 LRC-II	6301131	57-S
18	Shop No 5 LRC-II	9860654	57-S
19	OPF No 11 Sec-III	661744	80-S
20	OPF No 1 Sec-III	251883	80-S

1	2	3	4
21	OPF No 13 Sec-III	431561	80-S
22	OPF No 16 Sec-III	941024	80-S
23	CS No 41 Sec-III	1844663	80-S
24	CS No 37 Sec-III	1519617	80-S
25	CS No 30 Sec-III	3503795	80-S
26	Shop No 17 Sec-III	5706919	80-S
27	CS No 44 Sec-III	1914140	80-S
28	Shop No 19 Sec-III	9447848	80-S
29	CS No 34 Sec-III	1806037	80-S
30	CS No 46 Sec-III	2672625	80-S
31	OPF No 15 Sec-III	319477	80-S
32	Shop No 1 Sec-III	9154661	80-S
33	Shop No 4 Sec-III	6477652	80-S
34	OPF No 2 Sec-III	188542	80-S
35	CS No 43 Sec-III	4380965	80-S
36	OPF No 12 Sec-III	424110	80-S
37	CS No 39 Sec-III	2662034	80-S
38	CS No 29 Sec-III	3037516	80-S
39	Shop No 5 Sec-III	4623265	80-S
40	CS No 40 Sec-III	1313119	80-S
41	CS No 35 Sec-III	50785	80-S
42	CS No 36 Sec-III	38775	80-S
43	OPF No 05 Sec-III	748856	80-S

अनुलग्नक 'अ'

SHAHDARA NORTH ZONE

S. No.	Division	Ward No	Name of Ward	Area of encroachment removed in SQM	Name of JE
1	2	3	4	5	6
1	M-I	28E	DILSHAD COLONY	250	SH. GAURAV GARG
2		32E	NAND NAGRI	220	SH. PARVEEN KUMAR
3		33E	SUNDER NAGRI	160	SH. AJAY MITTAL
4		34E	NEW SEEMA PURI	80	SH. AJAY MITTAL
5		35E	DILSHAD GARDEN	200	SH. PARVEEN KUMAR
6		52E	JEEWAN PUR	240	SH. RAJESH MEENA
7		53E	GOKALPURI	240	SH. ABHISHEK PANDAY
8		54E	SABOLI	220	SH. RAVI PRAKASH
9		55E	HARSH VIHAR	255	SH. RAVI PRAKASH
10	M-II	44E	BHAJANPURA	200	SH. VIRESH KUMAR
11		45E	YAMUNA VIHAR	350	SH. VIRESH KUMAR
12		46E	GHONDA	300	SH. VIRESH KUMAR
13		47 E	BRAHM PURI	260	SH. SATENDER KR.
14		56E	SHIV VIHAR	80	SH. SATENDER KR.
15		57E	KARAWAL NAGAR (E)	60	SH. A P GAUTAM
16		58E	NEHRU VIHAR	-	SH. A P GAUTAM
17	M-III	59E	MUSTFABAD	-	SH. A P GAUTAM
18		36E	ASHOK NAGAR	190	SH. P K CHAUHAN
19		37E	RAM NAGAR	305	SH. RAVI GUPTA

1	2	3	4	5	6
20		38E	ROHTASH NAGAR	265	SH. RAVI GUPTA
21		39E	WELCOME COLONY	80	SH. GAURAV JESWAL
22		48E	SUBHASH MOHALLA	235	SH. ABHISHEK DHIMAN
23		49 E	KARDAMPURI	115	SH. SHRI NIWAS
24		50E	BABAR PUR	135	SH. OVISSABRI
25		51E	JANTA COLONY	215	SH. RAJENDER SINGH
26	M-IV	40E	MAUJ PUR	43	SH. SAGAR TANK
27		41E	CHAUHAN BANGAR	60	SH. PARDEEP KUMAR
28		42E	SEELAMPUR	90	SH. PARDEEP KUMAR
29		43E	GAUTAMPURI	0	SH. A K MANDAL
30		60E	SONIA VIHAR	22	SH. DEVENDER KUMAR
31		61E	KARAWAL NAGAR (W)	70	SH. DEVENDER KUMAR
32		62E	SADAT PUR	35	SH. PARVEEN PAL
33		63 E	KHAJURI KHAS	10	SH. PARVEEN PAL
34		64E	SRI RAM COLONY	0	SH. PESH NAWAJ
TOTAL AREA (SQM)				4985	

32. श्रीमती राजकुमारी ढिल्लो: क्या माननीय समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि विधवा पेंशन व अन्य पेंशन सुविधाओं का वितरण बैंक खातों के माध्यम से किया जा रहा है जो आधार से संबंध हैं;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि बैंक की औपचारिकताओं के पेंशन प्राप्त करने में काफी विलंब हो जाता है; और

(ग) यदि हाँ, तो पेंशन वितरण व्यवस्था को ठीक करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि लाभार्थियों तक पेंशन शीघ्रातिशीघ्र पहुँच सके?

समाज कल्याण मंत्री: (क) विधवा पेंशन का भुगतान आधार आधारित एन.पी.सी.आई. (NPCI) से मैप किये गए लाभार्थियों के बैंक खाते में किया जाता है।

(ख) महिला एवं बाल विकास विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा बैंक से संबंधित कोई भी औपचारिकता नहीं निभाई जाती है। विभाग द्वारा लाभार्थियों के एन.पी.सी.आई. (NPCI) से मैप आधार संख्या से जुड़े बैंक खाते में भुगतान किया जाता है। कई बार भुगतान के समय कुछ लाभार्थियों द्वारा बैंक में KYC पूर्ण न कराने की वजह से आधार संख्या बैंक खाते से हट जाता है और ऐसी परिस्थिति भुगतान में देरी होती है।

(ग) महिला एवं बाल विकास विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा अनेक तरह के सुधार कार्यक्रम समय-समय पर लागू किये जा रहे हैं जैसे कि मुख्यालय के साथ-साथ सभी जिला कार्यालयों में सहायता केंद्र (Help Desk) बनाये गए हैं और समय-समय पर जो भी सुझाव ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल (E-District Portal) के सुधार के लिए आते हैं उन्हें एन.आई.सी. (N.I.C.) के साथ मिलकर नियमित किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ पेंशन वितरण व्यवस्था को प्रारंभिक स्तर से लेकर अंतिम चरण तक की प्रक्रिया को ऑनलाइन करने का कार्य प्रक्रियाधीन है। जिसमें की भारत सरकार के एन.एस.ऐ.पी. पोर्टल (NSAP Portal) की सहायता से पूरी पेंशन प्रक्रिया को मानवरहित (Digitize) और समयबद्ध (Time Bound) बनाने का कार्य विभाग द्वारा जारी है।

33. श्री धर्मपाल लाकड़ा: क्या माननीय जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि नए कनेक्शनों पर 200 वर्गमीटर से अधिक के भूखंडों के लिए दिल्ली जलबोर्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर शुल्क वसूल करता है;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि मुंडका विधानसभा क्षेत्र में लोगों ने अपने घरों का निर्माण अपनी खुली कृषि भूमि पर किया है;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि खुली भूमि पर होने के कारण मकान छोटे होने के बावजूद उनसे इन्फ्रास्ट्रक्चर शुल्क देने के लिए कहा जा रहा है, जबकि वह भूमिक उनके खेत ही हैं, भू-खंड नहीं हैं;

(घ) क्या इस संबंध में सरकार अपनी इस नीति पर पुनर्विचार करने जा रही है, ताकि गाँव के व्यक्तियों को भारी भरकम इन्फ्रास्ट्रक्चर शुल्क न देना पड़े;

(ङ) यदि हाँ, तो उसका विवरण; और

(च) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं?

जल मंत्री: (क) जी हाँ, निदेशक (राजस्व) के परिपत्र संख्या No. DJB/DOR/Infra.Charges/2020/5053 dates 06.10-2020 अनुसार नए कनेक्शनों पर 200 वर्गमीटर से अधिक के भूखंडों के लिए दिल्ली जल बोर्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर शुल्क वसूल करता है।

(ख) इस बारे में कोई जानकारी नहीं है।

(ग) जितने क्षेत्र में घर बनाया गया है, उसी क्षेत्र पर नियमानुसार इन्फ्रास्ट्रक्चर शुल्क लगता है, खुली कृषि भूमि पर इन्फ्रास्ट्रक्चर शुल्क नहीं लगता।

(घ) इस मामले में अभी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ङ) लागू नहीं।

(च) लागू नहीं।

34. श्री पवन शर्मा: क्या माननीय राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जहाँगीर पुरी ए। मार्केट में खाली भूखण्ड पर किसी शॉपिंग कम्प्लैक्स के निर्माण का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो उसका विवरण दें;

(ग) क्या डीयूएसआईबी के खाली भूखण्ड के चारों ओर चार दीवारी बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हाँ, तो उसका विवरण दें;

(ङ) क्या यह सत्य है कि आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में डीयूएसआईबी की भूमि पर अतिक्रमण है;

(च) तो इस अतिक्रमण को रोकने व हटाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(छ) क्या कोई स्पेशल टास्क फोर्स बनायी गयी है? और इस अतिक्रमण को हटाने के लिए क्या कोई अभियान चलाने की योजना है; और

(ज) यदि हाँ, तो उसका विवरण दें?

राजस्व मंत्री: (क) जहाँगीर पुरी ए। मार्केट में खाली भूखण्ड पर किसी शॉपिंग कम्पलैक्स के निर्माण का कोई प्रस्ताव का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) उपरोक्तानुसार।

(ग) हाँ, डीयूएसआईबी के खाली भूखण्ड के चारों ओर चार दीवारी बनाने का प्रस्ताव है।

(घ) जहाँगीर पुरी ए। मार्केट में खाली भूखण्ड के चारों ओर 44,15,709 रुपये की अनुमानित लागत से चार दीवारी बनाने का एक प्रस्ताव है जिसकी निविदा स्वीकृति की प्रक्रिया में है, जिसे 01.01.2022 तक स्वीकार कर लिया जायेगा।

(ङ) हाँ, यह सत्य है कि आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में डीयूएसआईबी की भूमि पर अतिक्रमण है। (अनुलग्नक-ख)

(च) आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में डीयूएसआईबी की भूमि पर झुग्गी बस्तियों द्वारा हुए अतिक्रमण को दिल्ली स्लम पुर्नवास एवं विस्थापन नीति 2015 के तहत हटाया जायेगा। (अनुलग्नक-ख)

(छ) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार निर्मित स्पेशल टास्क फोर्स के पोर्टल पर सभी शिकायतों का निवारण किया जाता है। स्पेशल टास्क फोर्स की सभी नियमित मीटिंग जोकि उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में होती है। जिसमें विभाग के अधिकारियों द्वारा भाग लिया जाता है।

(ज) उपरोक्तानुसार।

अनुलग्नक-ख

**e-Tendering System Government of NCT of Delhi
Tender Details**

Date: 15-Sep-2021 04:57 PM

Basic Details

Organisation Chain	Delhi Urban Shelter Improvement Board Engineering Department SE-II DD-IV		
Tender Reference Number	NIT No. 03/EEC-11/DUSIB/2021-22		
Tender ID	2021_DUSIB_208358_1		
Tender Type	Open Tender	Form of contract	Percentage
Tender Category	Works	No. of Covers	2
General Technical Evaluation Allowed	No	Item Wise Technical Evaluation Allowed	No
Payment Mode	Offline	Is Multi Currency Allowed for BOQ	No
Is Multi Currency Allowed For Fee	No	Allow Two Stage Bidding	No

Payment Instruments**Cover Details, No. of Covers - 2**

Offline	S.No	Instrument Type	Cover No	Cover	Document Type	Description
	1	R-T-G-S				
	2	ECS	1	Fee/PreQual/Technical	.pdf	iii) Scanned copy of the certificate w.r.t.deposition of earnest money.
					.pdf	ii) Scanned copy of GST Number as issued by competent authority towards GST registration.
					.pdf	iii) Scanned copy of valid registration certificate of the department registered with.

					.pdf	iv) Scanned copy of PAN card issued by income tax department.
					.pdf	v) Scanned copy of two Undertaking contained in bid documents (As per applicability) separately for BOQ
	2	Finance			.xls	
Tender Fee Details, [Total Fee in ₹ * - 500] EMD Fee Details						
Tender Fee in ₹ 500	As per NIT	Fee Payable At	As per NIT	EMD Amount in ₹ 88,320	EMD through BG/ST or EMD Exemption Allowed	No
Tender Fee Exemption Allowed	No			EMD Fee Type fixed	EMD Percentage	NA
				EMD Payable To As per NIT	EMD Payable At	As per NIT
Work/Item(s)						
Title	GIA to DUSIB existing Infrastructure					
Work Description	Construction of Boundary wall for LSC at A-Block, JJR Colony Jahangirpuri					
Pre Qualification Details	Construction of Boundary wall for LSC at A-Block, JJR Colony Jahangirpuri					
Independent External Monitor/Remarks	NA					
Show Tender Value in Public Domain	Yes					
Tender Value in ₹	44,15,709	Product Category	Civil Works	Sub category	NA	
Contract Type	Tender	Bid Validity(Days)	60	Period of Work (Days)	270	
Location	LSC at A-Block, JJR Colony Jahangirpuri	Pincode	110033	Pre Bid Meeting Place	NA	
Pre Bid Meeting Address	NA	Pre Bid Meeting Date	NA	Bid Opening Place	Office of Executive Engineer C-11	
Should Allow NDA Tender	NO	Allow Preferential Bidder	NO			

Critical Dates

Publish Date	15-Sep-2021 06:00 PM	Bid Opening Date	28-Sep-2021 03:30 PM
Document Download/Sale Start Date	15-Sep-2021 06:00 PM	Document Download/Sale End Date	28-Sep-2021 03:00 PM
Clarification Start Date	NA	Clarification End Date	NA
Bid Submission Start Date	15-Sep-2021 06:00 PM	Bid Submission End Date	28-Sep-2021 03:00 PM

Tender Documents

NIT Document	S.No	Document Name	Description		Document Size (in KB)
	1	Tendernotice_1.pdf	NIT		296.21
Work Item Documents	S.No	Document Type	Document Name	Description	Document Size (in KB)
	1	BOQ	BOO_265934.xls	BOO	276.50
	2	Tender Documents	Work-Items.pdf	Work items	52.92
	3	Tender Documents	DNIT-2016.pdf	Tender document	1448.79

Bid Openers list

S.No	Bid Opener Login Id	Bid Opener Name	Certificate Name
1.	ksingh.delhishelter@gmail.com	Kanwar Singh	KANWAR SINGH
2.	anjuvivekrena@gmail.com	Anju Rana	Anju Rana
3.	rajinder.bansal80@gmail.com	Rajinder Bansal	RAJINDER BANSAL

Tender Properties

Auto Tendering Process allowed	No	Show Technical bid status	Yes
Show Finance bid status	Yes	Show Bids Details	Yes
BoQ Comparative Chart model	Normal	BoQ Compative chart decimal places	2
BoQ Comparative Chart Rank Type	L	Form Based BoQ	No

Tender Inviting Authority

Name	Executive Engineer C-II
Address	Rana Pratap Bagh, Delhi-110007

Tender Creator Details

Created By	Rajinder Bansal
Designation	EE
Created Date	15-Sep-2021 12:43 PM

DELHI URBAN SHELTER IMPROVEMENT BOARD
OFFICE OF THE ACCOUNTANT, C11

NO. AA&ES/C11/2019-20/PMS/D-7278

Dated: 11-12-2019

Name of Scheme: GIA to DUSIB for Existing Infrastructure

Sub Head: Name of work, GIA to DUSIB for Existing Infrastructure
Sub Head: Construction of Boundary wall for LSC at
A-Block JJR Colony Jahangirpuri (Project ID 000012728)

Head of Account

Chief Engineer, DUSIB vide his orders dated 04-12-2019 at page - 15/N of the file has been pleased to accord AA & ES for execution of the above said work at estimated cost of Rs 46,85,500/- (Fourty Six Lakh Eighty Five Thousand Five Hundred Only) under the plan scheme mentioned above with the financial concurrence of finance.

Accountant C11

Distribution

- 1 Chief Engineer II, DUSIB
- 2 Director (P & M)
- 3 SE, Circle4
- 4 EE C11
- 5 ACA
- 6 Concerned AE
- 7 Office Copy

अनुलग्नक-ख

DUSIB Land Pockets in Assembly constituency on which encroachment exist

S. No.	Code	AC No.	Divi-sion	Location	House Holds	Land Owning Agency	Land Area in Sqm	Parliamentary Constituency	Ward No.	Revenue Distt.
192	195	4	C-11	Block-G, Jahangir Puri Site-1	1775	DUSIB	25735	Chandni Chowk (1)	16	North
193	196	4	C-11	H-2 Block, Gujrati School-I Jhangir Puri.	77	DUSIB	11484	Chandni Chowk (1)	16	North
194	197	4	C-11	H-2 Block Gujrati School Part-II, Jahangir Puri	783	DUSIB	11752	Chandni Chowk (1)	16	North
195	198	4	C-11	H-Block Jhangir Puri	1488	DUSIB	19052	Chandni Chowk (1)	16	North
196	199	4	C-11	H-4 Block, Gujrati School Jhangir Puri.	44	DUSIB	1576	Chandni Chowk (1)	16	North
199	202	4	C-11	A-Block Jhangir Puri	205	DUSIB	8348	Chandni Chowk (1)	16	North

अनुलग्नक-ख

Government of NCT of Delhi
Department of Urban Development
9th Level, C-Wing, Delhi Secretariat
I.P. Estate, New Delhi-110002

F.No.730(7)/UD/BSUP/2016/ CD No.021366111/3014-22

Dated:// /12/2017

ORDER

In pursuance of the provision of sub-section (1) of Section 10 of the Delhi Urban Shelter Improvement Board (DUSIB) Act, 2010 (The Delhi Act 07 of 2010), the Delhi Urban Shelter Improvement Board in its 16th Meeting on 11.04.2016 approved the Delhi Slum Rehabilitation and Relocation Policy-2015. The Council of Ministers, Government of National Capital Territory of Delhi, vide Cabinet Decision No.2384 dated 08.07.2016 has approved the Delhi Slum and Jhuggi Jhopri Relocation and Rehabilitation Policy, 2015 and subsequently modified the same vide Cabinet Decision No.2482 dated 20.06.2017.

The Hon'ble Lt. Governor, Government of National Capital Territory of Delhi, has approved the said Delhi Slum and Jhuggi Jhopri Relocation and Rehabilitation Policy, 2015, which will supersede all previous guidelines of this Government in this matter and modifications thereof. It will also be applicable in all such cases where relocation of slum and Jhuggi Jhopri dwellers has already been done as per this policy.

This Order is issued in supersession of Order F.No.730(7)/UD/BSUP/2016/ CD No.021366111 /3002-10 dated 07.12.2017.

Delhi Slum and Jhuggi Jhopri Rehabilitation and Relocation Policy, 2015 (PART-A)

1. This policy is based on the following principles:

- (i) The people living in jhuggis perform critical economic activities in Delhi like drivers, vegetable vendors, maid servants, auto and taxi drivers, etc.
- (ii) In the past, adequate housing was not planned for these people in middle or upper class areas, to which they provide services. As a result, a number of jhuggi bastis mushroomed all over Delhi close to the areas, where they provide services.

- (iii) They have encroached upon the lands on which they live.
- (iv) The decisions of the Hon'ble Supreme Court of India in *Chameli Singh Vs. State of UP* [1996 (2) SCC 549] and in *Shantistar Builders Vs. N.K. Toitame*, [1990 (1) SCC 520] and numerous other judgments have laid down that the right to life is not a right to mere animal existence and that the right to housing is a Fundamental Right. Going further, in *Ahmedabad Municipal Corporation Vs. Nawab Khan Gulab Khan*, [1997 (11) SCC 123], the Supreme Court held that even poverty stricken persons on public lands have a Fundamental Right to housing. The Court laid down that when slum dwellers have been at a place for some time, it is the duty of the Government to make schemes for housing the jhuggi dwellers. In the most recent decision of the Chief Justice's Bench in the Delhi High Court in *Sudama Singh Vs. Government of Delhi* [168 (2010) DLT 218], the Court referred to the provisions of the Delhi Master Plan and emphasised in-situ rehabilitation. It is only in the extra ordinary situation, when in-situ rehabilitation is not possible, then only, rehabilitation by relocation is to be done. The normal rule is in-situ up-gradation and re-development.
- (v) The recent Supreme Court decision in *Gainda Ram Vs. Municipal Corporation of Delhi*, [2010(10) SCC 715] reiterates that hawkers have a fundamental right to hawk. It is, therefore, clear that the poor, who come to the city for work, must reside reasonably close to their place of work. Even apart from the legal aspect, studies have shown that resettlement at far way places invariably force the poor to return to their informal housing arrangements close to their place of work.
- (vi) Government of National Capital Territory of Delhi recognizes that the habitat and environment in which Jhuggi Jhopri Bastis exist is often dirty, unfit for human habitation and unhygienic both for the inhabitants living in that area as well as for the people living in surrounding areas.
- (vii) Government of National Capital Territory of Delhi, therefore, wishes to put in place and Implement this policy to house the poor in a permanent and humane manner; at the same time, clear lands for specific public projects and roads etc.

2. Keeping the above principles in mind, Government of National Capital Territory of Delhi announces the following policy for rehabilitation and relocation of Jhuggi Jhopri basti.

(a) Nodal Agency

The Delhi Urban Shelter Improvement Board (DUSIB) will be the Nodal Agency for relocation/rehabilitation of Jhuggi Jhopri bastis in respect of the lands belonging to MCD and Delhi Government and its Department/Agencies, in case of Jhuggi Jhopri colonies existing in lands belonging to Central Government/Agencies like Railways, Delhi Development Authority, Land & Development Office, Delhi Cantonment Board, New Delhi Municipal Council, etc. the respective agency may either carry out the relocation/rehabilitation themselves as per the policy of the Delhi Government or may entrust the job to the DUSIB:

Provided that, the Agencies while doing relocation rehabilitation/in-situ redevelopment of the dwellers of Jhuggi Jhopri Bastis must ensure that the methodology, benefits and provisions adopted in such tasks are in conformity with the guidelines of Pradhan Mantri Awas Yojna and provisions which have been notified by the Central Government from time to time

(0) Who is eligible for rehabilitation or relocation

Jhuggi Jhopri Bastis which have come up before 01.01.2006 shall not be removed (as per National Capital Territory of Delhi Laws (Special Provisions) Second Act, 2011) without providing them alternate housing. Jhuggis which have come up in such Jhuggi Jhopri Bastis before 01.01.2015 shall not be demolished without providing alternate housing; (this is in supersession of the earlier cut-off date of 04.06.2009 as notified in the guidelines of 2013)

(ii) No new jhuggis to be allowed in Delhi

Government of National Capital Territory of Delhi shall ensure that no new Jhuggi comes up after 01.01.2015. If any Jhuggi comes up after this date, the same shall immediately be removed without providing them any alternate housing. Government of National Capital Territory of Delhi will use the following methods to ensure that no new Jhuggis come up:

- a. Government of National Capital Territory of Delhi has started procuring satellite maps every three months to keep an eye on any new constructions. New illegal constructions would be removed immediately.
- b. Government of National Capital Territory of Delhi is willing to do joint inspections with land owning agencies at regular intervals and any fresh jhuggis would be removed immediately.
- c. Government of National Capital Territory of Delhi would enroll volunteers from Jhuggi Jhopri Bastis, who will act for the Government and would inform Government if any fresh jhuggi comes up in any area.

(iii) In-situ rehabilitation

Delhi Urban Shelter Improvement Board shall provide alternate accommodation to those living in Jhuggi Jhopri Bastis, either on the same land or in the vicinity within a radius of five kilometers. In case of exceptional circumstances, it can even go beyond five kilometers with prior approval of the Board. The terms and conditions at which alternate accommodation will be provided and the eligibility conditions are being separately notified.

(iv) In-situ Rehabilitation of Jhuggi Jhopri Bastis on lands belonging to other Land Owning Agencies

i. Delhi Urban Shelter Improvement Board is willing to take over any Jhuggi Jhopri Basti on the model of Kathputli Colony from any land owning agency in Delhi for In-situ re-developments on the same terms and conditions on which Delhi Development Authority has given Kathputli Colony slum rehabilitation project to a private builder. Therefore, each land owning agency may make a list of all such bastis which they are willing to hand over to Delhi Urban Shelter Improvement Board on these terms.

ii. For the balance bastis:-

Master Plan of Delhi 2021 envisages that for in-situ rehabilitation of Jhuggi Jhopri Bastis, a maximum of 40% land can be used as a

resource and minimum of 60% of land has to be used for in-situ redevelopment to rehabilitate Jhuggi Jhopri dwellers. Delhi Urban Shelter Improvement Board will prepare a scheme of rehabilitation of any Jhuggi Jhopri Basti and use such portion of land which is required for rehabilitation of Jhuggi Jhopri Dwellers depending upon density of the said Basti and pass on the remaining portion of land to the Land Owning Agency, which will have to bear the cost of rehabilitation. The cost of rehabilitation would include the cost of construction of dwelling units and cost of land in case, additional land belonging to Delhi Urban Shelter Improvement Board is used for rehabilitation.

(v) Relocation in rare cases

Any Land Owning Agency will not demolish any Jhuggi Jhopri Basti which is eligible as per para 2(i) above unless:

1. there is any Court order
2. that basti has encroached a street, road, footpath, Railway safety zone, or a park
3. the encroached land is required by the land owning agency for specific public project as envisaged In The National Capital Territory of Delhi Laws (Special Provisions) Second Act, 2011, which is extremely urgent and can't wait.

In the circumstances where the land owning agency brings the proposal before Delhi Urban Shelter Improvement Board (DUSIB), and Delhi Urban Shelter Improvement Board is satisfied and undertakes the demolition, the Delhi Urban Shelter Improvement Board (DUSIB) shall make all efforts to relocate the jhuggis in that Jhuggi Jhopri Basti, clear the land and hand It over to land owning agencies within next six months after the date of DUSIB resolution. In such circumstances, the land owning agency shall pay such amounts to Delhi Urban Shelter Improvement Board in advance, which meet6: (i) Cost of construction of alternative dwelling units, (ii) Cost of the land which will be on 'Institutional Rate' at which Delhi Urban Shelter Improvement Board has purchased the land, (iii) Cost of relocation. However, the beneficiary contribution as well as the contribution made by the Government of India, if any, towards the cost of construction of dwelling units, will be deducted from the aforementioned cost of rehabilitation.

This provision will come into effect only when Central Government approaches Delhi Urban Shelter Improvement Board (DUSIB) for rehabilitation, removal and relocation of jhuggi jhopri Basti. However, in this case also, the provisions which have been notified by Central Government will prevail.

Rehabilitation work to be completed in five years -

Delhi Urban Shelter Improvement Board (DUSIB) hopes to complete this task of rehabilitating all Jhuggi Jhopri Bastis in Delhi in the next five years, if it receives cooperation from all land owning agencies.

Delhi Slum and Jhuggi Jhopri Rehabilitation and Relocation Policy, 2015 (PART-B)

1. The eligibility criteria for allotment of alternative dwelling units to rehabilitate and relocate Jhuggi Jhopri dwellers would be as under:
 - (i) The Jhuggi Jhopri dweller must be a citizen of India and not less than 18 years of age;
 - (ii) The Jhuggi Jhopri basti in which the Jhuggi Jhopri dwellers are residing must be in existence prior to 01.01.2006. However, the cut-off date of residing in the Jhuggi for becoming eligible for rehabilitation shall be 01.01.2015 (this is in supersession of the earlier cut-off date of 04.06.2009, as notified in the guidelines of 2013);
 - (iii) The name of Jhuggi Jhopri dweller must appear in at least one of the voter lists of the years 2012, 2013, 2014 and 2015 (prior to 01.01.2015) and also in the year of survey, for the purpose of rehabilitation;
 - (iv) The name of the Jhuggi Jhopri dweller must appear in the joint survey conducted by the DUSIB and the Land Owning Agency;
 - (v) The Jhuggi Jhopri dweller(s) will be subjected to bio-metric authentication by Aadhar Card or bio-metric identification by other mechanism;
 - (vi) Jhuggi Jhopri dweller must possess any one of the 12 documents issued before 01.01.2015 as prescribed in the subsequent para;
 - (vii) The beneficiary family should not own a pucca house (an all-weather dwelling unit) either in his/her name or in the name of any member of his/her family in any part of India as per the guidelines of Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban) PMAY(U).

- (viii) No dwelling unit shall be allotted if the Jhuggi is used solely for commercial purpose;
 - (ix) In case, the Jhuggi is being used for both residential and commercial purpose, the Jhuggi Jhopri dweller can be considered for allotment of one dwelling unit. In case, the ground floor of the Jhuggi is being used for commercial purpose and other floors for residential purpose that will entitle the Jhuggi Jhopri dweller for one dwelling unit only;
 - (x) If a different family, having separate Ration card issued prior to 01.01.2015, which fulfils all the other eligibility criteria is living on upper floor, the same will also be considered for allotment of a separate dwelling unit, (this is in supersession of the earlier notified guidelines of 2013;.
 - (xi) The Ineligible Jhuggi Jhopri dwellers will be removed from the Jhuggi Jhopri Basti at the time of its rehabilitation/relocation/clearance of Jhuggi Jhopri Basti.
2. As envisaged in Para 1 (vi) above, the Jhuggi Jhopri dweller must possess any one of the following documents issued before 01.01.2015 to become eligible for the purpose of allotment of Dwelling Unit:
- (i) Passport;
 - (ii) Ration Card with photograph;
 - (iii) Electricity bill;
 - (iv) Driving License;
 - (v) Identity Card/Smart Card with photograph issued by State/Central Government and/or its Autonomous Bodies/Agencies like PSU/Local Bodies (except EPIC);
 - (vi) Pass book issued by Public Sector Banks/ Post Office with photograph;
 - (vii) SC/ST/OBC Certificate issued by the Competent Authority;
 - (viii) Pension document with photograph such as Ex-serviceman's Pension Book, Pension Payment Order, Ex-serviceman widow/dependent certificate, old age pension order or widow pension order;

- (ix) Freedom Fighter Identity Card with photograph;
- (x) Certificate of physically handicapped with photograph issued by the Competent Authority;
- (xi) Health Insurance Scheme Smart card with photograph (Ministry of Labour scheme);
- (xii) Identity card with photograph issued in the name of the descendant(s) of the slum dweller from a Government school or Certificate with photograph issued by the Principal of a Government School mentioning therein that the descendant(s) of the JJ dweller Is/was the student of the school.

3. Appellate Authority

- (i) Delhi Urban Shelter Improvement Board will constitute an Appellate Authority for redressal of the grievances related to determination of eligibility for allotment of alternate dwelling unit for rehabilitation and relocation of JJ dwellers. The Appellate Authority will consist of the following:
 - (a) Retired Judge of the level of Additional District Judge;
 - (b) Retired civil servant of the level of Joint Secretary to Government of India;
 - (c) An expert member to be nominated by the Chairperson of Delhi Urban Shelter Improvement Board;
 - (d) Deputy Director of Delhi Urban Shelter Improvement Board to be nominated by the Chief Executive Officer (DUSIB) - as Convener.
- (ii) The terms and conditions of the Appellate Authority will be decided by the Board separately.
- (iii) Any Jhuggi Jhopri dweller feeling aggrieved by any order passed by an officer/ committee, authorized to determine eligibility of the Jhuggi Jhopri dweller shall be entitled to file an appeal before the Appellate Authority within a period of thirty days from the date of communication of the impugned order.

- (iv) The Appellate Authority may for good and sufficient reasons, entertain an appeal filed beyond the period of limitation provided under clause (III) above.
- (v) The Appellate Authority may confirm, revoke or reverse the order appealed against and may pass such orders as it deems fit.
- (vi) Order passed in appeal by the Appellate Authority, duly accepted by the Chief Executive Officer, Delhi Urban Shelter Improvement Board shall be final.

4. Terms and conditions of Allotment of alternative Dwelling Unit

- (i) The contribution of the beneficiary will be Rs.1,12,000/- (Rs. One Lakh Twelve Thousand) per dwelling unit having the carpet area of 25 sq.mtr (The contribution may slightly vary on case to case basis depending upon the actual carpet area of the dwelling unit). In addition, the beneficiary will be required to pay an amount of Rs.30,000/- (Rs. Thirty Thousand) at the time of the allotment of the dwelling unit, towards the cost of maintenance for a period of five years.
- (ii) The dwelling unit shall be allotted to the eligible Jhuggi Jhopri dweller for a period of ten years on lease hold basis after which it will be converted into free-hold as per the prevalent policy (this is in supersession of the earlier leasehold period of fifteen years as notified in the guidelines of 2013).
- (iii) Allotment will be made in the name of person(s) as provided under PMAY (U) Scheme guidelines.
- (iv) The allottee shall not sublet or part with possession of the dwelling unit, by way of General Power of Attorney or any other document. The Delhi Urban Shelter Improvement Board will have the right to verify the veracity of the original allottee through Bio-metric survey using Aadhar data-base or otherwise. In case a different person (s)/family is found living at the time of survey in the dwelling unit, the allotment/lease is liable to be cancelled and Delhi Urban Shelter Improvement Board will have the right to re-enter the dwelling unit.

- (v) Delhi Urban Shelter Improvement Board may assist those beneficiaries who are not able to arrange the contribution to avail loans from banks/ financial institutions including co-operative banks.

5. Maintenance of dwelling units after allotment

- (i) It has been observed that after allotment of dwelling units to Jhuggi Jhopri dwellers for rehabilitation, the maintenance of the common services in these colonies is not done properly by the occupants due to ignorance, lack of knowledge to form associations and/or lack of funds etc.
- (ii) Therefore, the Delhi Urban Shelter Improvement Board will maintain the common services in these colonies for a period of five years after allotment.
- (iii) For this purpose, a Corpus in the form of “DUSIB Estate Management Fund” will be created in Delhi Urban Shelter Improvement Board.
- (iv) The allottees will have to contribute Rupees thirty thousand per dwelling unit as maintenance charges which will be deposited in the above said fund.
- (v) The maintenance will include common areas like staircase, open ground, water supply and electric supply systems up to the dwelling units; external services e.g. sewer lines, roads, street lights, drainage and parks etc.
- (vi) Depending upon the requirement, Delhi Urban Shelter Improvement Board may contribute in this fund from its own resources and attempt will be made as far as possible to carry on the maintenance from the Interest earned from this fund.
- (vii) In order to ensure that there are sufficient resources for maintenance of these colonies, Delhi Urban Shelter Improvement Board will also request the Government of National Capital Territory of Delhi to give Grant-in-aid for this fund.
- (viii) After five years, the maintenance will be transferred to the Residents Welfare Associations which will be required to get registered as Societies and work out their own mechanism for maintenance.

- (ix) Delhi Urban Shelter Improvement Board may give grant in aid to the Residents Welfare Associations/ Registered Societies of these colonies depending upon the requirement of the works to be done.
6. Chief Executive Officer, Delhi Urban Shelter Improvement Board is authorized to approve the operational guidelines keeping in view the overall spirit of the policy.

This issues with the approval of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi.

(Rajesh Ranjan)
Deputy Secretary (UD)

F.No.730(7)/UD/BSUP/2016/CD No.021366111/3014-22

Dated:///12/2017

Copy for information & necessary action to:

1. CEO (DUSIB), Punarwas Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.

Copy for information to:

1. Pr. Secretary to Hon'ble Lt. Governor, Raj Niwas Marg, Delhi-54.
2. Advisor to Hon'ble Chief Minister Delhi.
3. Secretary to Hon'ble Minister for Urban Development, GNCTD.
4. Secretary, Ministry of Housing and Urban Affairs, Govt, of India, Nirman Bhawan, New Delhi.
5. Vice-Chairman, DDA, Vikas Sadan, INA, New Delhi.
6. All Pr. Secretaries/Secretaries/HODs of GNCTD/Local Bodies/Autonomous Bodies.
7. SO to Chief Secretary, Delhi.
8. PA to Pr. Secretary (UD)

(Rajesh Ranjan)
Deputy Secretary (UD)

35. श्री अभय वर्मा: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लक्ष्मीनगर विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत सड़क निर्माण हेतु प्राप्त आवेदनों का विवरण दें;

(ख) इन आवेदनों पर की गई कार्रवाई की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) इन परियोजनाओं के संबंधित विभागों को धनराशि कब तक जारी कर दी जाएगी;

(घ) अब तक यह धनराशि जारी न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ङ) मुख्यमंत्री सड़क योजना के लिए कुल कितना बजट आवंटित हुआ है;

(च) इस योजना के अंतर्गत खर्च की गई राशि का परियोजनावार विवरण क्या है; और

(छ) इस योजना के अंतर्गत धनराशि चिह्नित किए जाने की पूरी प्रक्रिया क्या है?

शहरी विकास मंत्री: (क) लक्ष्मी नगर विधानसभा क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2021-22 में 13.09 करोड़ के 20 आवेदन प्राप्त हुए हैं। जिसका विवरण अनुलग्नक 'क' संलग्न है।

(ख) प्राप्त आवेदन लम्बित है।

(ग) प्राप्त आवेदन माननीय मंत्री जी की स्वीकृति के बाद स्वीकृति पत्र जारी कर दिया जाएगा।

(घ) उपरोक्तानुसार।

(ड) बजट अनुमान 2021-22 के अनुसार रुपये 370 करोड़ का प्रावधान रखा गया था। संशोधित बजट अनुमान अभी 2021-22 वित्त विभाग द्वारा जारी नहीं किया गया है।

(च) परियोजनावार विवरण अनुलग्नक 'ख' संलग्न है।

(छ) इस योजना के अंतर्गत धनराशि चिह्नित किए जाने की पूरी प्रक्रिया की एस.ओ.पी. अनुलग्नक 'ग' संलग्न है।

अनुलग्नक-‘क’

List of Works in respect of Laxmi Nagar Assembly Constituency received under MSPY Scheme during Current Financial Year 2021-22

S. No.	Name of work	Executing Agency	Estimated Cost (in lakh)	50% of estimate (in lakh)
1	2	3	4	5
1	Imp.dev of lanes in D-Block Laxmi Nagar by pdg. RMC along H No.-DI, D31,D51, D74 JD85, D116, D138, D174, D235, D197, D207, D240, D290, D288, D329, D352, D373, D374, D385, D323, D255, D151, D132, D105, D68, D25, D5, D8, and links in W.No-13, AC-58 Sh. S.Zone.	East DMC	188.55	94.77
2	Imp.Dev of Gali No-11,10,9,8,7,5,4,3,2,1 and links in Lalita Park Ward No.-13 E / AC-58 Sh. S. Zone.	East DMC	181.39	91.19
3	Imp. Development of road from Pataprganj road to Sonia Vihar Ward Office and along Urja Vihar Flats by pdg. RMC and drainage in W.No. 16/E/ AC-58 SSZ in Pandav Nagar.	East DMX	156.09	78.04
4	Imp. Dev of lanes adjoining to H.No. S-94, S-78 & S-51 and side links by pdg. RMC & drainage in Ward No. 15/E/SSZ/ AC-58, Shakarpur.	East DMC	28.09	14.04
5	Imp. Dev of lanes of Pandav Nagar by pdg. RMC for lanes from SP-12 to H.No. D-64 A, D-92, D-100	East DMC	36.1	18.05

1	2	3	4	5
	and lanes from H.No. D-8 to D-26, D-25 to D-21 and link near H.No. E-108, 109 in W.No. 16/E/ AC-58/SSZ in Pandav Nagar.			
6	Imp. Dev. of lands of Pandav Nagar by pdg. RMC and drain for lane from house no. C-193 to C-215 and from C-253 to C-268 in ward no. 16E AC-58 Shadara South Zone	East DMC	28.13	14.06
7	Imp. Dev. of land in U Block by pdg. RMC in drainage in lane from house no.U-100 to Vikas Marg and links near house no.20, 15 and 14 ward no.15E Shadara South Zone	East DMC	26.11	13.05
8	Imp. Dev. Of lane by pdg. RMC and drainage in gali no.2 in house no.MB-32 to MB-8 and MB-122 to MB-190, side link near Hanuman Mandir, kali Mandir in ward no. 15E/AC-58SSZ Shakarpur	East DMC	73.18	36.59
9	Imp.dev and Strengthening with dense carpenting of Bank Enclave road from H.No-151 to MB road in AC-58 Laxmi Nagar Sh.S.Zone.	East DMC	89.86	44.93
10	Imp Dev og Lane HNo. F-171 to HNo. 21/A, HNo. 81 to HNo. 61, HNo.01 to HNo.20, HNo. 41 HNo.54, HNo. 67 to HNo. 14, HNo. 76 to HNo. 06, HNo. F-180 to HNo. F177 and HNo. 171 to HNo. 172/2 in Guru Angad Nagar Exten, Laxmi Nagar in ward No 14E/AC-58 in Shah South Zone.	East DMC	154.71	77.35
11	Imp Dev of Paliwal Road in Laxmi Nagar in ward No. 14E/AC-58 in Shah South Zone.	East DMC	81.06	40.53
12	Strengthening of Gurudrawa road by providing dense carpenrtng and improvement of drainage system from Community centre Ramesh Park to H.No-145 J&K in Laxmi Nagar AC-58 W.No-13 E Sh.S.Zone.	East DMC	91.59	45.79

1	2	3	4	5
13	Imp. Dev. of Lanes of Mandawali by Pdg. RMC and drain in lanes from H.No. 382/1 to H.No. 262, H.No. 380 to 280/1 H.No. 372A to 388 A and side links in ward No. 16-E/AC-58 Shah (S) Zone in Pandav Nagar	East DMC	11.99	5.99
14	Imp. Dev. of Lanes of Ganesh Nagar Extension by Pdg. RMC and Drain in ward No. 15-E/AC-58, Shah (S) Zone in Shakarpur	East DMC	42.80	21.40
15	Imp. Dev. of Lanes of School Block Shakarpur by Pdg. RMC and Drain in lanes adjoining to H.Nos. S-53 and S-63 and side links in ward No. 15-E/AC-58, Shah (S) Zone in Shakarpur	East DMC	24.85	12.42
16	Imp. Dev. of lanes of Ganesh Nagar-II by Pdg. RMC and Drain in lane from H.No. F-746 to F-1/751 and links near H.No. F-742 and F-13/752 in ward No. 15-E/AC-58, Shah (S) Zone.	East DMC	13.82	6.91
17	Imp. Dev. of Gali No. 2, H-Block, Shakarpur by Pdg. RMC and Drain from H.No. H-19 to H-35 in ward No. 15-E/AC-58, Shah (S) Zone.	East DMC	7.30	3.65
18	Imp. Dev. of lanes by Pdg. RMC & Drainage in lane adjoining to H.No. U-70 to U-60, U-57, U-53A, U-52, U-42, U-47 & H.No. U-97 to U-87 in ward No. 15-E/SSZ/AC-58, Shakarpur.	East DMC	26.48	13.24
19	Imp. Dev. of lanes of Sarpanch Wara, Mandawali from H.No. 417 to 58A and 342/4 to 60A in ward No. 16-E/AC-58, Shah (S) Zone.	East DMC	25.14	12.57
20	Imp. Dev. of Lanes of Saket Block, Mandawali by Pdg. RMC and Drain from H.No. 55 to 60 and links, H.No. 46 to 86, Gali no. 10, 14, 15, 16 and 17 in ward No. 16-E/AC-58, Shah (S) Zone.	East DMC	22.49	11.24
Total			1309.73	655.81

अनुलग्नक-‘ख’

Details of Expenditure During CFY 2021-22 under MSPY Scheme

S. No.	Name of work	Executing agency	Estimate Cost (in lakh)	50% of the Estimate to be Released as 1st Installment (in lakh)	Assembly Constituency
1	2	3	4	5	6
1	Improvement of inner roads of Sunshine Appartment, Kewal krishna marg, Paschim Vihar, delhi under MSPY.	PWD	61.58	30.79	15
2	Construction/ Improvement of road and drains by providing RMC from Rajkiya badhir Vidyalaya to outer Ring road, Nehru vihar in C-15/N/CLZ in Timarpur Constituency (AC-03)	North DMC	132.83	66.41	3
3	Imp.& Dev of lane and squares by pdg. RMC from A1 to 259 in new A Block Shahbad dairy in ward no. 32N Narela Zone.	North DMC	89.78	44.89	7
4	Imp.& Dev of lane and squares by pdg. RMC from B-1 to B-8 in new B Block Shahbad dairy in ward no. 32N Narela.	North DMC	99.6	49.8	7
5	Imp. Dev. of lane and squares by pdg. RMC from C-1 to C14 in new D Block Shahbad dairy in ward no. 32N Narela	North DMC	99.94	49.97	7
6	Imp. Dev. of lane and squares by pdg RMC from D-1 to D-17 in new D Block Shahbad Dairy in ward no. 32N Narela	North DMC	99.62	49.81	7

1	2	3	4	5	6
7	Imp. Dev. of lane and squares by pdg RMC from E-1 to E-2, E-3, E-12 to E-18 in new E Block Shahbad dairy in ward no. 32N Narela	North DMC	99.05	49.52	7
8	Imp. Dev. of lane and squares by pdg. RMC from A-415 to 452, 260 to Temple in ward no. 32N Narela Zone.	North DMC	95.91	47.95	7
9	Imp. Dev. of lane and squares by pdg. RMC from B-9 to B-17 in new B block Shahbad Dairy in ward No. 32N narela zone	North DMC	98.38	49.19	7
10	Imp. Dev. of lane and squares by pdg. RMC from C-15 to C-29 un new C block Shahbad Dairy in ward No. 32N Narela zone	North DMC	99.97	49.98	7
11	Imp. Dev of lane and squares by pdg. RMC from D-18 to D-30 in new D block Shahbad Dairy in ward No. 32N Narela zone	North DMC	99.23	49.61	7
12	Imp. Dev. of lane and squares by pdg. RMC from E-4 to E-11, E-19, E-20 in new E Block Shahbad Dairy in ward No. 32N Narela zone	North DMC	100	50	7
13	Imp. Dev. of lane and squares by pdg. RMC in New F block Shahbad Dairy in ward No. 32N Narela zone	North DMC	99.66	49.83	7
14	Imp. Dev. of lane and squares by pdg. RMC in Pkt. 1 and 2 in Sec-22 in ward no. 34N in Narela Zone	North DMC	78.82	39.41	7
15	Imp. Dev. of lane and squares by pdg. RMC in pkt.3 and 11 in Sec-22 in ward no. 34N in Narela Zone.	North DMC	86.33	43.16	7

1	2	3	4	5	6
16	Imp. Dev. of lane and squares by pdg. RMC in Pkt. 4 and 10 in Sec 22 in ward no. 34N Narela Zone	North DMC	84.11	42.05	7
17	Imp. Dev. of lane and squares by pdg. RMC in Pkt.5 in Sec -22 in ward no 32N in Narela zone.	North DMC	79.53	39.76	7
18	Imp. Dev. of lane and squares by pdg. RMC in Pkt.6 and 7 in Sec-22 in Ward no 34N Narela zone.	North DMC	87.6	43.8	7
19	Imp. Dev. of lane and squares by pdg. RMC in Pkt. 8 and 9 in Sec-22 in ward no. 34N Narela Zone	North DMC	75.31	37.65	7
20	Imp. of lane and drain by pdg. RMC from Delhi Police post (863 Bus Stop) to Anuj Tyagi House at JJ Colony Shiv Vihar in Ward no. 21/S Hastsal.	South DMC	47	23.5	31
21	Imp. Dev of gaushami Marg by pdg. RMC from h No. 232 to Dhalo in Khichripur Village ward 11 E In AC-57 Sh. South Zone.	East DMC	43.9	21.95	57
22	Imp. and development of passage and side berm in pocket B Near Flat No. 16,19,26,61,58,79 and 169 in mayur Vihar Phase-II ward no. 11/E AC-57 Shah. South Zone	East DMC	52.62	26.31	57
23	Imp & Strengthening of road by providing tack coat elumsion Bituminous macadam and bituminous concrete from sewa marg DDA maket to sanatna Dharam mandir at lajwanti Garden,	South DMC	49.61	24.8	28

1	2	3	4	5	6
	WZ 312 to WZ 311 a, Wz 310 C to WZ- 238/4, quality fast food corner to WZ- 899 at nagal Raya, Gate No. 1 to Fl- 20 A, F-48A to F-45A, Fl-15 A to Fl-6A, F-16A to F-13A, Fl-1A to Fl-10 A, to gate No.2 Mother dairy Booth to F-61A at hari kunj Society Block F and Fl, In Hari Nagar ward No. 10-S AC-28 in west Zone				
24	Imp & Stg of road by providing tack coat emulsion. Bituminous macadam concrete from B-E359 to EXB-25 at Block BE, B-1 to B-361 at Nanakpura, MCD Park Block & Gol chakkar to BSES office at subhas nagar MCD School to A- 27, A 27 To Gogia Furniture's Shaheed Bhagat Singh marg and VI store Shaheed bhagat Singh Marg to A-98 at Fateh nagar in hari nagar ward No. 10S, AC-28 in West Zone.	South DMC	78.51	39.25	28
25	Imp.Dev of kane and Drainage system from B-30 to B-38, B-94 to B-120 in Fateh nagar, 17/1 to 17/4 and chwk near 21a/1 in Prem nagar, WZ 313 to WZ 331 in G block hari nagar A-1 to A-8 back alne in Asha park and WZ-9 to WZ-7 in Partap nagar by pdg. RMC, B/agg, Np2 Pipes, Gt etc. in ward No. 011-S/WZ Partan nagar	South DMC	34.72	17.36	28
26	Imp. To lane from H. No. B 302 to 307, bl21 to B 126, B 350 To B 355, B73 To B 78, B 43 To B48, B85 to B 90 B 320 To B 325, B 175 to B180, B 199 To B 104.B24I to	South DMC	97.44	48.72	28

1	2	3	4	5	6
	B 246, B 217 To B 222, B 97 to B 308 To B 313, B 31 To B 36, B 337 To B 332 C 142 To CB 8 (in Front of Gurudwara) Axis bank to C 153 , C127 To C 150, CB 11 to C 128, CB 12 To C 104, M 75 to M 108 in Hari nagar 10/S/WZ/SDMC.				
27	Imp to lane from H.no D61 to D72 BE 122 to Aggarwal sweets, A 72 to Gandhi market Road 10A to BSES office in D2A block janak Puri, A 206 to A 222, JB 5A to JD 33 in Hari Nagar 10S/WZ/SDMC.	South DMC	95.68	47.84	28
28	Imp. Dev of road by pdg. RMC in Sector 23 Pkt-1,6 and 7 in ward no 34N, M II Nareia Zone	North DMC	91.64	45.82	7
29	Imp. Dev of road by pdg.RMC in Sector-23 Pkt-2 and 3 in ward no 34N, M II Nareia Zone	North DMC	82.3	41.15	7
30	Imp. Dev of road by pdg. RMC in Pkt -11 B, sec-23 in ward no 34N, M II Narela Zone	North DMC	50.72	25.36	7
31	Imp. Dev of road by pdg.RMC in Pkt-14 Sector-22 in ward no 34N, M II Narela Zone	North DMC	63.8	31.9	7
32	Imp. Dev of road by pdg.RMC in Pkt-16 A Sector-22 in ward no 34N, M II Narela Zone.	North DMC	64.34	32.17	7
33	Imp. Dev of road by pdg.RMC in pkt-16 Sector-22 in ward no 34N, M II Narela Zone	North DMC	70.86	35.43	7

1	2	3	4	5	6
34	Imp.Dev of side berm by pdg. RMC from h . No. 136 Pkt-16A Sector-22 to DJB Pump House in ward no 34 N M-II Narela Zone.	North DMC	66.29	33.13	7
35	Imp. Dev. of abck lane by pdg. RMC in Pkt-8 , Pkt-2 and Pkt-3 sec-21 in ward no.34N, M-II, Narela Zone.	North DMC	78.86	39.43	7
36	Imp. Dev of back lane by pdg RMC in Pkt. RMC in Pkt-5 Pkt-6 and Pkt-10, Sec-21 in ward no. 34n, M-II Narela Zone.	North DMC	70.27	35.13	7
37	Imp dev of lane from house No 94 to 99 (Valmiki Mohalla) and Papsi wali gali From House no 22 to 105 and linki near 105 to 103 and lane From ram krishna School ajay nagar House Khichripur village and road between Block-6 and 8 in Khichripur ward no. 1 1/E AC-57 Shah.	East DMC	43.99	21.99	57
38	Imp. Dev of gali from House No E-127 to E-201 and link 127 to 124 and from 315 to 308 and gali no 11 from E 141 to 139 and Gali no 10 from house no E-219 to E 118 and link E-157 to 31A and link gali No 8 near E-407 and gali no 6 from E-195 to E-164 by Pd. RMC in East Vinod nagar ward no. 11/ E/ Ac/57 Mayur Vihar Ph-11 Shah south Zone.	East DMC	42.05	21.02	57
39	Imp Dev of lane of west vinod nagar by pdg. RMC in gali no 8A and side links of main manglam road in west Vinod nagar ward no. 10/E/AC-57 shah South Zone.	East DMC	34.51	17.25	57

अनुलग्नक-‘ग’

**URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT
PLANNING BRANCH**

F.13(524)/A/UD/Plg./2018-19/5889-5618-5645

Date:- 09/10/2018

Sub: SOP/Guidelines for implementation of scheme “Financial Assistance to Local Bodies” (Mukhyamantri Sadak Punarnirman Yojna)

Utilization of above fund should be carried out through the scheme-Mukhyamantri Sadak Punarnirman Yojna. This scheme will cover the following works for construction, repair and maintenance of :-

- i. Roads/Streets under any Urban Local Body
- ii. Roads/Streets in Group Housing Societies
- iii. Roads/Streets of Housing Building Societies
- iv. Roads/Streets in unauthorized regularized colonies.

Proposal/estimate for the above works under the Scheme will be submitted to the UD Department on recommendation of local MLA Minister (UD) through respective Urban Local Body (ULB)/Executive Agency of Govt, of NCT of Delhi.

Proposal will be processed by UD Department as per Govt rules (PWD/GFR etc.) Scheme/proposal will be approved by Minister of Urban Development.

Outline of Scheme is as under:

I. Introduction

In the Budget Speech 2018-19, vide para 23, Hon’ble Dy Chief Minister announced that “the Govt. has earmarked Rs. 1000.00 Crore for improving dilapidated roads and lanes, which is responsibility of Delhi Municipal Corporations. All such small lanes and roads of Delhi will be repaired by using this fund. It is expected that the Hon’ble Lt. Governor will arrange NOC from DMCs.”

In this regard, it is submitted that the GNCTD has earmarked Rs 1000.00 Crore under the scheme “Financial Assistance to Local Bodies” for improving dilapidated roads and lanes for the year 2018-19. The main aim/objective of the scheme is to improve the condition of roads and lanes of Delhi for better living conditions of citizen of Delhi.

II. Legal Position

The Delhi Municipal Corporation Act, 1957 governs the functioning of all the 03 Municipal Corporations i.e. East Delhi Municipal Corporation, North Delhi Municipal Corporation and South Delhi Municipal Corporation. The New Delhi Municipal Council is governed by New Delhi Municipal Council Act, 1994 and Delhi Cantonment Board is governed by the provisions of The Cantonments Act, 2006.

III. Permissible work

In light of the above provisions to governs speech the funds will be allotted/ disbursed to the Urban Local Bodies/executive the PWD are for reconstruction, repair maintenance eat for the streets/roads. The funds can be used for following works relating to improvement of gradual streets/roads as the streets/roads may fail to the following sub-entegates.

- i. Roads/Streets under any Urban Local Body
- ii. Roads/Streets in Group Housing Societies
- iii. Roads/Streets of Housing Building Societies
- iv. Roads/Streets in unauthorized regularized colonies.

IV. Procedure for proposals and allotment/release of funds

1. The work recommended under “Mukhyamantri Sadak Punarniman Yojna” scheme shoule be confirm to the general pattern of programmes being implemented by the Local Bodies/executive agencies/Govt. of NCT of Delhi. These works will be sanctioned and implemented in the same manner, as the other works of these bodies are being sanctioned and implemented.
2. Delhi Govt. has already provided separate budget for the cnstructions of new roads/streets & drains in unauthorized colonies implementing agencies have already been identified & necessary orders have been issued by UD Cali Urban Development Deptt. Therefore be funds shall be released for construction of roads/streets to unauthorized colonies under the scheme.
3. Funds under the schemes/programmes will be released on recommendation of local MLA to the respective Local bodies/Govt. executive agencies for taking up works/projects as per the approval of Hon’ble Minister, Urban Development, GNCT of Delhi.

4. The MLAs would submit written request to Pr. Secy. Urban Development Department for release of the funds under this scheme/project and would also mention the name of the ULB/executive agency from whom they propose to have the work to be executed.
5. All estimates should be prepared by agency, who is technically qualified and responsible for completion of all extramolites in accordance with prescribed guidelines norms, CPWD specifications 2009 Vol. I & II, ITC specifications, CPWD work manual, GFR and instructions issued from time to time for work and with the approval of the Competent Authority of the ULB/executive agency as the UD Department has no in-house expertise in terms of technical and financial aspects to examine such proposals so as to ensure that they adhere to the laid-down guidelines of finance and technical aspect of civil works relating to construction, repair and maintenance of Roads/streets. On the other hand the Urban Local Bodies/executive agencies have executive agencies/technical experts and also qualified planning & financial/accounts functionary who have the adequate experience of working of all such type of works/projects. They also have details of the previous records relating to repair, maintenance and construction of all such streets. Therefore, the concerned urban local bodies/executive agency shall submit their proposals to the Urban Development Department after proper examination with regard to adherence to all technical and financial guidelines applicable for the proposal/project with the approval of the Competent Authority. ULB/executive agency will ensure that proposal is in consonance with the extant guidelines relating to technical and financial aspects. The executing agency/ULB will be entirely responsible for adherence to all financial/technical guidelines.
6. Executing agencies/ULBs shall submit their proposal of requirement of funds to Urban Development Department for carrying out the works and Urban Development Department will release the funds to the concerned executive agency after the approval of the Competent Authority. The proposal will be initiated by Accounts Branch of U.D. Department along with recommendation; for release of funds and then examined by the Planning Branch as well as budgetary provision C except those relates to unauthorized colonies). Thereafter the proposal will be submitted to the Competent Authority for approval of the Hon'ble Minister (UD). It shall be responsibility of the executive agencies ULB

to further monitor the Physical and Financial progress of the work till its completion.

7. The Urban Local Bodies/Executive agencies as mentioned above shall submit the proposal/estimate for the work to be executed with, details of the work., its locations, detailed cost estimate and layout plan etc (for keeping in record). The estimate will be prepared as per the DSR.-2016 as adopted by GNCTD vide Pr. Secretary (Finance) Order No. 8/2/2007-A/CD-01295543/JS (fin.)/1316-1499 dated 14th May, 2018 (Copy as Annexure-A). On the basis of aforesaid information, funds will be released and placed at the disposal of the ULB/ executing agency. The Urban Local Bodies/Executive agencies shall utilize the funds in accordance with CPWD Manual, GFRs and instructions issued from time to time for the work. The Urban Local Bodies/Executive agencies shall be required to open separate bank accounts for the scheme/programme and the completion certificate (as per CPWD work manual) of the work along with the utilization certificates (as per GFR) shall also be required to be furnished after the execution of works or by the end of financial year whichever is earlier to UD department, GNCTD.
8. The proposals/estimates for the above works under the Scheme will be submitted by urban local bodies/executive agencies viz. 03 DMCs, New Delhi Municipal Council, Delhi Cantonment Board, PWD, I&FC Department. DUSIB and DSIIDC of Govt. of NCT of Delhi to the UD Department on recommendation of the local MLA Minister and approval of Hon'ble Minister, UD. Either works could be carried out by the concerned ULB for other agencies/departments as the case may be NOC is required from concerned landowning agency as and where applicable. The ULB/executive agency will process the case as per extant law/Rule applicable.
9. The limit of this scheme unsanction or one work is only upto Rs.2,00 cr. (Rupees two crore only) for scheme/projects other than works as per financial powers delegated to Administrative Secretary vide OM dated 28-03-2017 (Copy as Annexure-B).
10. All statutory dues/payments will be made as per rules/norms issued by the Govt, from time to time Contingent, third party quality control and labour CESS shall be discharged at prescribed rates as per norms. Departmental charges shall not

be charged in the estimate

11. The executive agencies shall ensure that the work is not repeated in any case in other scheme, it will also be ensured by them that no other fund is utilized or is being utilized or has been utilized for the said project/proposal so as to ensure that there is no overlapping or duplication.
12. Funds will be released in two installments 1st installment of 50% of estimated cost will be released at the time of sanction of project/scheme Balance amount will be released after the completion of work.
13. All payments to the Contractors by executive agencies/ULBs and other Institutions etc. above Rs. 5000/- may be made through electronic mode i.e RTGS, NEFT, and ECS.
14. The unspent amount will be refunded to the UP Deptt. along with interest if any after completion of work. Separate cheque is required in respect of refund of unspent balance and interest thereon in the name of PAO-VI.
15. The warranty of maintenance period of roads/streets should be atleast 5 years from the date of completion of work, for which ULBs/executive agencies will be responsible.
16. The implementing agencies/departments will ensure that all preparatory steps are taken as per the established procedure and work order is issued within a period of maximum 60 (sixty) days after the funds are released by Urban Development Departments to them.
17. In order to comply with the orders of Central Information Commission (CIC), to fulfill the obligations as required under Rule-4(1) of the Right to Information Act. 2005 and for the sake of transparency, ULBs/executive agencies will upload on their websites full details of sanctioned works, specifications, date of start and completion of the works, name of contractor and total amount of contract relating to the said scheme separately for Mandatory Funds released from time to time.
18. Wherever such constructions are taken up under the scheme, information boards displaying the name of scheme & other details of the work, shall be erected as specified by the UD department One board be erected for cost of Rs.20 lacs

For every additional cost of Rs.20 lacs one board be added, if the project cost is Rs.2 crore, then 10 boards be erected.

This issues with the aproval of the Hon'ble Dy. Chief Minister, Govt, of NCT of Delhi.

(ASHOK KUMAR)
Joint (Director (Plg.), UD

F.18(524)/A/UD/Plg./2018-19/5589-5618

Date: 09/10/2018

1. All Hon'ble MLAs, NCT of Delhi.
2. Secretary to Hon'ble CM, Delhi.
3. Secretary to Hon'ble Dy. CM, Delhi.
4. Secretary to Hon'ble Speaker, Vidhan Sabha, Delhi with the request to inform all the Hon'ble Members of Legislative Assembly.
5. Secretary to Hon'ble Minister (Development, Labour, GAD), Delhi.
6. Secretary to Hon'ble Minister (Revenue, Transport, IT, AR & Law), Delhi.
7. Secretary to Hon'ble Minister (Tourism, Education, Finance, Planning & others), Delhi.
8. Secretary to Hon'ble Minister (Food & Supply, Environment & Forest), Delhi.
9. Secretary to Hon'ble Minister (Social Welfare, SC & ST), Delhi.
10. Secretary to Minister (UD), UD Department, GNCTD, Delhi Sectt, Delhi.
11. OSD to Chief Secretary, GNCTD, Delhi Sectt., New Delhi.
12. Pr. Secretary (Finance), GNCTD, Delhi Sectt., New Delhi.
13. Pr. Secretary (Planning), GNCTD, Delhi Sectt, New Delhi.
14. Secretary, (I&FC),GNCTD, L.M Bund Office Complex, Shastri Nagar, Delhi.
15. Pr. Secretary, Public Works Department, 5th Level, B Wing, Delhi Secretariat, I.P. Estate, New Delhi-002.

16. Secretary, New Delhi Municipal Council, Palika Kendra, Parliament Street, New Delhi-110001.
17. Secretary, Power Department, GNCTD, 8th Level, B-Wing, Delhi Secretariat, New Delhi.
18. Vice Chairman, DDA, Vikas Sadan, INA, New Delhi.
19. Commissioner, North DMC, Dr. SPM Civic Centre, JLN Marg, New Delhi..
20. Commissioner, South DMC, Dr. SPM Civic Centre, JLN Marg, New Delhi.
21. Commissioner, East DMC, Plot Mo 419. Udyog Sadan, Patparganj Industrial Area, Delhi-110092.
22. Chief Executive Officer (Delhi Cantt. Board DCB), Office of Cantonment Board, Sadar Bazar, Delhi Cantt., Delhi-110010.
23. Managing Director (DSIIDC), Delhi State Industrial and Infrastructure Development, Bombay Life Building, Connaught Place, New Delhi-110001.
24. Chief Executive Officer (DUSIB), GNCTD, Punarwas Bhawan, I.P. Estate, New Delhi, Delhi-02.
25. Chief Executive Officer, Delhi Jal Board, Jhandewalan, Karol Bagh, New Delhi-110005.
26. Managing Director, ICSIL. Administrative Building, Above Post Office, Okhla Industrial Estate, Phase-3 New Delhi, Delhi 110020.
27. Managing Director (DTTDC), Delhi Tourism and Transport Development Corporation, 18-A, D.D.A SCO Complex, Defence Colony, New Delhi-110024.
28. Special Director General (HQ) (CPWD), Central Public Works Department, A-Wing, Nirman Bhawan, New Delhi-110008
29. Assistant Programmer, Urban Development Department, GNCTD, 9th Level, Delhi Secretariat, New Delhi, with the request to upload on the departmental website.

Copy for Information to:

1. PS to Pr Secretary (UD), GNCTD, UD Department, 9th Level, Delhi Secretariat, New Delhi-110002.

(ASHOK KUMAR)
Joint (Director (Plg.), UD

36. श्री हाजी यूनस: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एसडीएमसी/एनडीएमसी/ईडीएमसी की 2017-2018 की ऑडिट रिपोर्ट में उल्लिखित के अनुसार 2017-18 के बाद से काम को बाहरी एजेंसियों को आउटसोर्स किए जाने के संबंध में प्रगति-रिपोर्ट उपलब्ध कराएँ;

(ख) म्युनिसिपल फंड की दिनांक 31.10.2021 तक की स्थिति क्या है;

(ग) क्या डीएमसी (मेंटेनेंस ऑफ एकाउंट्स) रेगुलेशन 1959 के रेगुलेशंस 6 व 16 के अनुसार लेखा शाखा द्वारा मासिक लेखा-खाते तैयार करके चीफ ऑडिटर को प्रस्तुत किए जा रहे हैं;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ङ) मैसर्स दास गुप्ता एसोशिएट्स को अनुबंधित किए जाने का क्या कारण है;

(च) वे कौन-सी योजनाएँ हैं जिनके अंतर्गत ऑडिट रिपोर्ट 2017-18 के अनुसार धनराशियों के उपयोग को निर्धारित नहीं किया जा सकता;

(छ) माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के बावजूद वर्ष 2017-18 के बाद से एकाउंटिंग के डबल एंट्री सिस्टम को लागू न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ज) क्या पेंशन सेल नियमित रूप से पेंशन वितरण स्क्रोल की जाँच कर रहा है;

(झ) पेंशन के कम या ज्यादा वितरित कर दिए जाने की समस्या से निपटने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया क्या है;

(ञ) वर्ष 2013-14 के बाद से पेंशन वितरण का मिलान न होने के क्या कारण हैं;

(ट) एसडीएमसी/ईडीएमसी/नार्थडीएमसी के निलंब लेखाओं की सूची व उनका विवरण; और

(ठ) दिनांक 31 अक्टूबर, 2021 को समग्र वित्तीय विवरण की मौजूदा स्थिति का ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्री: (क) पूर्वी दिल्ली नगर निगम के द्वारा दी गई जानकारी के वर्ष 2015-16 से पूर्वी दिल्ली नगर निगम के वित्तीय लेखाओं को डबल एंट्री सिस्टम में परिवर्तित करने के लिए कार्य प्रगति पर है।

उत्तरी दिल्ली नगर निगम के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 2015-16 से लेखों को डबल एंट्री में परिवर्तित करने का कार्य प्रगति पर है।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 2017-18 के पश्चात दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के लेखाओं को डबल एंट्री सिस्टम में परिवर्तित करने का कार्य आउटसोर्स किया गया है। यह वित्त वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 के लिए था। वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20 का कार्य पूरा हो चुका है तथा वर्ष 2021-21 का कार्य प्रगति पर है।

(ख) पूर्वी दिल्ली नगर निगम के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पूर्वी निगम के कोष में दिनांक 31.10.2021 को लगभग रुपये 14.29 करोड़ शेष

है तथा 340 करोड़ रुपये केवल वेतन और पेंशन का 31.10.2021 तक बकाया है।

उत्तरी दिल्ली नगर निगम के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार वित्तीय स्थिति काफी दयनीय है तथा अनुमानित 24 करोड़ रुपये ही शेष है। जबकि लगभग 510 करोड़ रुपये केवल वेतन और पेंशन के ही बकाया हैं।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के म्युनिसिपल फंड की दिनांक 31.10.2021 तक की स्थिति अनुलग्नक 'अ' पर संलग्न है।

(ग) पूर्वी दिल्ली नगर निगम, हाँ।

उत्तरी दिल्ली नगर निगम, हाँ।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार जी हाँ, डीएमसी (मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स) रेगुलेशन 1959 के रेगुलेशन 6 व 16 के अनुसार लेखा शाखा द्वारा मासिक लेखा-खाते तैयार करे चीफ ऑडिटर को प्रस्तुत किए जा रहे हैं। अक्टूबर 2021 तक के मासिक लेखा खाते चीफ ऑडिटर कार्यालय में प्रस्तुत किए जा चुके हैं।

(घ) उत्तरी और पूर्वी नगर निगम के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार उपरोक्त 'ग' में प्रस्तुत उत्तर के कारण लागू नहीं। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के द्वारा दी गई जानकारी के उपरोक्त 'ग' में प्रस्तुत उत्तर के कारण लागू नहीं।

(ङ) पूर्वी दिल्ली नगर निगम के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार पूर्वी दिल्ली नगर निगम में अपने खाते एकल सिस्टम से डबल एंट्री सिस्टम परिवर्तित करने के लिए मेसर्स दास गुप्ता एसोसिएट्स को अनुबंधित किया गया है।

उत्तरी दिल्ली नगर निगम के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार चार्टर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा म्युनिसिपल एकाउंट्स को प्रमाणित कराये जाने के लिए ही अनुबोधित किया गया है।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार सभी स्थानीय निकायों को अपने खाते डबल एंट्री सिस्टम में बनाने हैं। मेसर्स दास गुप्ता एसोसिएट्स को दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के लेखाओं को डबल एंट्री सिस्टम में परिवर्तित करने के लिए अनुबोधित किया गया है।

(च) किसी भी वर्ष के बजट अनुमान तैयार करते समय उस वर्ष में होने वाली अनुमानित आय और सरकार से प्राप्त होने वाले अनुदान के आधार पर खर्चों का अनुमान लगाया जाता है। वित्त वर्ष के मध्य में प्रथम 6 माह के आय और व्यय के वास्तविक गणना को ध्यान में रख कर उस वर्ष के संशोधित बजट अनुमान तैयार किए जाते हैं। कई बार नगर निगम की स्वयं की आय में कमी आ जाती और कभी-कभी दिल्ली सरकार से प्राप्त होने वाले अनुदान में भी कटौती हो जाती है। किसी भी मद में किसी भी प्रकार का व्यय करने से पहले निगम कोष में उपलब्ध राशि का भी ध्यान रखा जाता है। इसी कारण से कुछ मदों में उपलब्ध बजट का उपयोग नहीं हो पाता।

(छ) पूर्वी दिल्ली नगर निगम के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार वर्ष 2015-16 से पूर्वी दिल्ली नगर निगम के वित्तीय लेखाओं को डबल एंट्री सिस्टम में परिवर्तित करने के लिए प्रगति पर है।

उत्तरी दिल्ली नगर निगम के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 2015-16 से लेखों को डबल एंट्री में परिवर्तित करने का कार्य प्रगति पर है।

दक्षिणी दिल्ली नगर के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार लागू नहीं। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के लेखाओं को डबल एंट्री सिस्टम में परिवर्तित किया जा रहा है।

(ज) पूर्वी दिल्ली नगर निगम के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पेंशन सेल नियमित रूप से सीमित संख्या में वितरण स्करोल की जांच करता है।

उत्तरी दिल्ली नगर निगम के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पेंशन सेल नियमित रूप से सीमित संख्या में वितरण स्करोल की जांच करता है।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पेंशन सेल नियमित रूप से पेंशन वितरण स्करोल की जांच कर रहा है।

(झ) सामान्यतः पेंशन भुगतान में विशेष सावधानी बरती जाती है। यदि किसी त्रुटी के कारण किसी की पेंशन कम निर्धारित हो जाती है तो उसे पुर्ननिर्धारित कर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त यदि किसी कारणवश किसी की पेंशन का अधिक भुगतान हो गया है तो उसे भी पुर्ननिर्धारित करके अतिरिक्त राशि की वसूली कर ली जाती है। सामान्यतः इस प्रकार की गलती नहीं होती परन्तु मानवीय भूल से इन्कार नहीं किया जा सकता। जैसे ही किसी गलती का संज्ञान होता है, उसे तुरंत सुधार लिया जाता है।

(ञ) पूर्वी दिल्ली नगर निगम के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पेंशन बैंक एकाउंट का नियमित रूप से मिलान 2019-20 तक किया जा चुका है तथा 2020-2021 का मिलान किया जा रहा है।

उत्तरी दिल्ली नगर निगम के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पेंशन एकाउंट संख्या 0113002107358601 का नियमित रूप से मिलान किया जा रहा है तथा

मार्च 2021 तक की रिपोर्ट ऑडिट पार्टी को ऑडिट करते समय प्रस्तुत की जाती है।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार वर्ष 2012 में दिल्ली निगम को तीन भागों में बांट दिया गया था। उसके पश्चात् निगम के पेंशनभोगियों को भी तीनों निगमों के अनुसार बांटने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। यह प्रक्रिया 2015-16 में पूरी हुई थी। उसके पश्चात से पेंशन वितरण के मिलान का कार्य शुरू किया गया और यह निरंतर जारी है।

(ट) पूर्वी दिल्ली नगर निगम के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार निगम के ESCROW लेखा संख्या 32345004879 है जिसमें 1.97 करोड़ शेष है।

उत्तरी दिल्ली नगर निगम का केवल एक ही निलम्ब लेखा है, जिसका खाता संख्या 323338943467 है और इसमें 4.69 करोड़ शेष है।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के निलंब लेखाओं की सूची व उनका विवरण अनुलग्नक 'ब' पर संलग्न है।

(ठ) पूर्वी दिल्ली नगर निगम की समग्र वार्षिक वित्तीय ब्यौरा दिनांक 31/03/2015 तक कार्य पूरा हो चुका है और आगे का कार्य प्रगति पर है।

उत्तरी दिल्ली नगर निगम की समग्र वार्षिक वित्तीय ब्यौरा दिनांक 31/03/2015 तक कार्य पूरा हो चुका है और आगे का कार्य प्रगति पर है।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम दिनांक 31 अक्टूबर, 2021 को समग्र वित्तीय विवरण की मौजूदा स्थिति का ब्यौरा अनुलग्नक 'स' पर संलग्न है।

पूरक सामग्री

माननीय विधायक श्री हाजी यूनुस द्वारा विधानसभा द्वारा तारांकित प्र.सं. 36 दिनांक 04.01.2022 के लिए।

विषय: म्यूनिसिनल फण्ड से संबंधित दिनांक 31.10.2021 को स्थिति।

बजट अनुमान वर्ष में प्राप्त आंतरिक अनुमानित आय व प्राप्त अनुदान के अनुसार किया जाता है। चूंकि अनुमानित आय आशा अनुरूप प्राप्त नहीं होता है व अनुदान की राशि में भी कटौती हो जाती है, अतः किसी भी योजना में किसी भी का व्यय निगम कोष में उपलब्ध धनराशि के अनुसार ही किया जाता है। फण्ड की कमी के कारण समस्त कार्य पूरे नहीं हो पा रहे हैं। दिनांक 31.10.2021 को निगम द्वारा प्लान व नॉन प्लान मद में कुल देयतायें रुपये 2132.26 करोड़ है।

उप-लेखा नियंत्रक/एमएमबी

VIDHAN SABHA QUESTION**VS Q-36**

Shri Hazi Yunus,

Will the Hon'ble Minister of Urban Development be pleased to stated:

अनुपपूरक उत्तर

1. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 13/12/2001 में देश की सभी स्थानीय निकायों के लिए यह आदेश जारी किए थे वे अपने लेखा खातों

को डबल एंट्री सिस्टम में परिवर्तित करेंगे। तत्पश्चात दिल्ली नगर निगम के प्रस्ताव संख्या 248 दिनांक 08/05/2002 के द्वारा इसे लागू किया गया। शुरू में दिल्ली नगर निगम के डबल एंट्री सिस्टम में खाते भारतीय सनदी लेखा संस्थान (आई.सी.ए.आई.) के माध्यम से बनाए गए। इसके बाद निगम में यह प्रक्रिया सी.ए.जी. में रजिस्टर्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म के बीच सीमित निविदा प्रक्रिया के द्वारा इस काम को किया जाता रहा है। दक्षिण दिल्ली नगर निगम इस काम को स्वयं से करने का भी प्रयास कर रही है।

2. दिल्ली नगर निगम के विभाजन के पश्चात दक्षिण दिल्ली नगर निगम ने अपने खातों को नए सिरे से शुरू किया था। विभाजन के पश्चात मिली राशि को आरम्भिक शेष के रूप में लिया था। 31 अक्टूबर 2021 को निगम के खाते में 143.52 करोड़ रुपये शेष थे। प्रत्येक माह दक्षिण दिल्ली नगर निगम को 240 करोड़ रुपये वेतन एवं पेंशन पर व्यय करने पड़ते हैं। इसके अतिरिक्त निगम के ऊपर 1139 करोड़ रुपये की देनदारी जो कि कर्मचारियों के वेतन भत्ते का बकाया, सांतवें वेतन आयोग के पेंशन का बकाया तथा ठेकेदारों का शेष है जिसे अभी निगम की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण भुगतान नहीं हो पा रहा है। जैसे ही निगम की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा यह भुगतान किए जाएंगे।

यह अतिरिक्त आयुक्त (वित्त) की स्वीकृति से जारी किया गया है।

उप लेखा नियंत्रक

SDMC

अनुलग्नक-‘अ’

Plan Summary of South Delhi Municipal Corporation

Nomenclature	Actual 2021-22 up to October 2021 (Rs in in lakh)
Opening Balance	60404.17
Income	160973.19
Expenditure	207025.12
Closing Balance	14352.25

अनुलग्नक-‘ब’

South Delhi Mpl Corporation

Detailed Head (Account Code)	NOMENCLATURE	Progressive 2021-22 (up to 31-10-21)
1	2	3
SUSPENSE ACCOUNT		
Deposits		
Securities		
2514	CL - Earnest Money Deposits (Non Plan)	18092340.00
2515	CL - Security Deposits (Tresury)	7400.00
2515	SECURITY (Non Plan (BA))	108710.00
2534	SECURITY (PLAN)	22401212.00
	Total Securities	149959503.00
Payment Securities		
2521	SECURITY (NON PLAN)	80507345.00
2523	SECURITY (PLAN)	33220971.00

1	2	3
2522	EARNEST MONEY (PLAN)	1565190.00
2520	EARNEST MONEY (NON PLAN)	55532598.00
	Total payment securities	170826104.00
Net Securities		-20866601.00
Provident Fund		
2752	GPF+GPFL	775003301.00
2852	Payment - GPF Payable	597620014.00
Net provident fund		177383287.00
Deposit Works		
2582	CL-Deposit work Misc (20-A-3)	75242127.00
2882	EXP-Deposit work Misc (20-A-3)	4953114.00
Net Deposit Work		70289013.00
Other Deposits		
2762	INCOME TAX (SALARY)	326158446.00
2763	INCOME TAX (CONTRACTOR)	108226600.00
2518	VAT	189846.00
2535	LABOUR CESS	24111262.00
2754	CESS ON CONSTRUCTION	696268.00
2761	SERVICE TAX	0.00
	Total Other Deposits	459382422.00
Payment Other Deposits		
2802	INCOME TAX (SALARY)	315450567.00
2863	INCOME TAX (CONTRACTOR)	108543883.00
2818	VAT	480341.00

1	2	3
2835	LABOUR CESS	23932169.00
2854	CESS ON CONSTRUCTION	0.00
2861	SERVICE TAX	2225520.00
Total Payments Other Deposits		450632480.00
Net Other Deposits		8749942.00
Goods & services Tax		
2504	CL - Goods & services Tax	60070391.00
2704	GST (submitted in mpl treasury)	159779.00
2804	Payment- Goods & Services Tax	59043087.00
NET Goods & Service TAX		1187083.00
Employees Group Insurance Scheme,1980		
2751	CL-GIS	6949061.00
2851	Payment - GIS Payable	6645170.00
Net GIS		303891.00
Prime Minister Relief Fund		
2767	CL-PMRF	19696.00
2867	Payment-PMRF	0.00
Net Prime Minister Relief Fund		19696.00
Widow Welfare Fund		
2516	CL-WIDOW WEL. FUND	1457805.00
2816	Payment-WIDOW WEL. FUND	1307205.00
Met Widow Welfare Fund		150600.00
Employees Contribution to New Pension Scheme		
2749	CL-Employee Contribution to New Pension Scheme	338093569.00

1	2	3
2849	Payment- Employee Contribution to New Pension Scheme	460713250.00
	Net New Pension Scheme	-122619681.00
	Employee Provident Fund (EPF) & Employee State Insurance (ESI)	
2505	CL-EPF& ESI	40294959.00
2805	Payment- EPF& ESI	37001607.00
	Net EPF& ESI	3293352.00
	Lok Sabha Election	
2584	CL- Deposit work-Lok Sabha Election	0.00
2884	Payment-Lok Sabha Election	63324.00
	Net Lok Sabha Election	-63324.00
	Assembly Election	
2585	CL- Deposit work- Assembly Election	
2885	Payment- Deposite work- Assembly Election	41812212.00
	Net Assembly Election	-41812212.00
	Gurudwara Prabandhak committee	
2586	CL- Deposit work- Gurudwara Election	2107000.00
2886	Payment- Deposite work- Gurudwara Election	0.00
	Net Gurudwara Prabandhak Committee	2107000.00
	Total Deposits	1908739613.00
	Total Deduct	1830617567.00
	Net Suspense Account	78122046.00

अनुलग्नक-‘स’

Liabilities of SDMC as on 27/12/2021

Sr. No.	Particulars	Amount	Amount	Amt. (in crores)
Serving Employees				
1	Tuition Fee Reimbursement of employees	21,57,32,059		
2	Medical Reimbursement of employees	25,43,02,232		
3	Pay and allowances arrear of employees	84,60,39,103		
4	Other Misc.	11,19,34,217	1,42,80,07,611	142.80
Retired Employees				
1	Retirement Benefits	1,74,18,70,212		
2	Pension Arrears Etc.(7th CPC)	2,83,82,80,170	4,58,01,50,382	458.02
Contractor Payments				
1	Medicine bills	3,04,24,679		
2	Contractors Payment	2,92,53,69,343	2,95,57,94,022	295.58
Misc Payments				
1	Misc Demand	2,85,57,279	2,85,57,279	2.86
		Total	8,99,25,09,294	899.25
Liability in Process reported by Engg. Deptt				239.75
Total Liability				1139.00

1. Salary and pension paid upto November 2021 payable in the month of December 2021 of all categories of staff and pensioners.
2. Balance funds available as on 27/12/2021 Rs. 20.00 Crores.
3. Funds required for the payment of salary and pension upto March 2021 Rs.960.00 Crores.

37. श्री रोहित कुमार: क्या माननीय जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि तीन मुख्य ड्रेन अर्थात् शाहदरा ड्रेन, गाजीपुर ड्रेन और कोंडली ट्रीटेड वॉटर ड्रेन कोंडली विधानसभा क्षेत्र से गुजरते हैं;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि कोंडली सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट द्वारा शोधन किए जाने के बावजूद इन ड्रेन्स में हाइड्रोजन सल्फाइड अनुमत मात्रा से अधिक है;

(ग) क्या कोंडली सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट निर्धारक मानकों को पूरा करता है;

(घ) क्या यह सत्य है कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अनुसार अधिक प्रदूषण वाले ऐसे ड्रेन आसपास के निवासियों के लिए घातक हैं; और

(ङ) सरकार की ओर से इस संबंध में क्या कदम प्रस्तावित हैं ताकि जनता को इस समस्या से बचाया जा सके?

जल मंत्री: (क) शाहदरा ड्रेन और गाजीपुर ड्रेन एक ही ड्रेन है जो सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के अंतर्गत आता है। कोंडली ट्रीटमेंट वाटर ड्रेन जल बोर्ड से संबंधित है।

(ख) कोंडली सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट द्वारा गंदे पानी का शोधन किए जाने के बाद उसे कोंडली एक्लुएंट चैनल में डाला जाता। इस चैनल का ऑउटफॉल चिल्ला रेगुलेटर के पास है।

ड्रेन में हाइड्रोजन सल्फाइड की अनुमत मात्रा का निर्धारण डी.पी.सी.सी. द्वारा नहीं किया गया और न ही कोई दिशानिर्देश प्रेषित की गई है।

(ग) कोंडली सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पर मुख्यतः चार प्लांट हैं।

10 MGD STP फेज-I.

25 MGD STP फेज-II.

10 MGD STP फेज-III.

45 MGD STP फेज-IV.

फेज I & II सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट अभी बंद है और पुर्नविकास और उन्नयन का कार्य चल रहा है तथा उक्त कार्य जनवरी 2022 तक पूरा होने की संभावना है।

फेज-II अंतरिम संचालन और रखरखाव पर है और निर्धारक मानकों को पूरा कर रहा है। फेज-II के पुर्नविकास और उन्नयन का कार्य दिसंबर 2022 तक पूरा होने की संभावना है।

फेज-IV अभी निर्धारक मानकों को पूरा नहीं करता है।

(घ) और (ङ) इस विषय में सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

38. श्री सोमनाथ भारती: क्या उपमुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2014 के बाद से विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए खर्च की गयी धनराशि का विवरण विधानसभा क्षेत्रवार तथा वर्षवार उपलब्ध करायें, जिसके साथ इन कार्यक्रमों का नाम, कलाकारों

का नाम, पहले अनुमानित राशि और खर्च हुई वास्तविक राशि का विवरण भी दें;

(ख) इस समय दिल्ली सरकार के अंतर्गत कितनी अकादमियां काम कर रही हैं, वे किस वर्ष में स्थापित हुई, उनकी स्थापना किस प्राधिकार के अंतर्गत की गयी; और

(ग) इन अकादमियों के सदस्यों/पदाधिकारियों/कार्यकारिणी के सदस्यों के नाम व संपर्क संख्या, उनका बायोडाटा व उन्हें कार्यकारिणी में कम लिया गया, यह समस्त जानकारी उपलब्ध कराएँ?

उपमुख्यमंत्री: (क) निम्नलिखित विवरण अनुलग्नक 'क' में संलग्न है:

हिंदी अकादमी: सूची संलग्न है।

पंजाबी अकादमी: सूची संलग्न है।

उर्दू अकादमी: सूची संलग्न है।

दिल्ली संस्कृत अकादमी: वर्ष 2014 के बाद से विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किया है।

मैथिली भोजपुरी अकादमी: सूची संलग्न है।

सिंधी अकादमी: वर्ष 2014 के बाद से विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किया है।

गढ़वाली, कुमाउनी एवं जौनसारी अकादमी: वर्ष 2014 के बाद से विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किया है।

साहित्य कला परिषद्: सूची संलग्न है।

डॉ. गौस्वामी गिरधारी लाल शास्त्री प्राच्य विद्या प्रतिष्ठानम् वर्ष 2014 के बाद से विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किया है।

(ख) विवरण अनुलग्नक 'ख' में संलग्न है।

(ग) निम्नलिखित अकादमियों/संस्थानों का विवरण अनुलग्नक 'ग' में संलग्न है:

1. हिंदी अकादमी
2. पंजाबी अकादमी
3. उर्दू अकादमी
4. दिल्ली संस्कृत अकादमी
5. मैथिली भोजपुरी अकादमी
6. सिंधी अकादमी
7. गढ़वाली, कुमाउनी एवं जौनसारी अकादमी
8. साहित्य कला परिषद्

9. तमिल अकादमी

10. बंगाली अकादमी

11. कोंकणी अकादमी

39. श्री प्रकाश जारवाल: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एसडीएमसी, साउथ जोन के चिराग दिल्ली में मकान नंबर 470 व 546 स्वीकृत भवन योजना के अनुसार बनाए गए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो उनका विवरण दें;

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या इन भवनों में कोई व्यावसायिक गतिविधि चलाई जा रही है;

(ङ) यदि हाँ, तो क्या इसकी अनुमति है;

(च) वर्ष 2012 के बाद से इन संपत्तियों के लिए दिए गए संपत्ति कर का विवरण दें;

(छ) क्या इन भवनों ने किसी सार्वजनिक भूमि का अतिक्रमण किया है;

(ज) इन संपत्तियों के सीमांकन का विवरण;

(झ) क्या मकान नंबर 699 की खतरनाक भवन होने के संबंध में कोई जाँच हुई थी; और

(ज) इस भवन के मालिक, बिल्डर व आर्किटेक्ट के विरुद्ध अनधिकृत निर्माण और घटिया सामग्री आदि के प्रयोग के लिए की गई कार्रवाई का विवरण प्रदान करें?

शहरी विकास मंत्री: (क) और (ख) दक्षिणी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार भवन निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है।

(ग) 1. संपत्ति संख्या 470 चिराग दिल्ली के विरुद्ध विधि अनुरूप यथा डीएमसी एक्ट, 1957 की धारा 343/344 व 345-ए के अनुसार कार्यवाही किए जाने हेतु मिसिल संख्या 251/UC/B-I/SZ/2020 dated 09/10/2020 से कार्यवाही प्रविष्ट अथवा दर्ज है। वर्तमान में किसी किस्म की निर्माण संबंधी गतिविधि नहीं चल रही है।

2. जबकि संपत्ति संख्या 546, चिराग दिल्ली बेसमेंट से चतुर्थ तल तक बनी हुई यह एक पुरानी निर्मित संपत्ति (old & occupied) है।

(घ) 1. संपत्ति संख्या 470, चिराग दिल्ली रिहायशी रूप से उपयोग में लाई जा रही है।

2. जबकि संपत्ति संख्या 546, चिराग दिल्ली की बेसमेंट व भूतल पर व्यावसायिक गतिविधियां चलाई जा रही है।

(ङ) संपत्ति संख्या 546, चिराग दिल्ली के बेसमेंट व भूतल पर व्यावसायिक गतिविधियां चलाए जाने हेतु कोई अनुमति/स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है।

(च) एसडीएमसी के सम्पत्ति कर विभाग, दक्षिणी क्षेत्र से उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार सम्पत्ति सं. 470 व 546, चिराग दिल्ली के सन्दर्भ में सम्पत्ति कर भुगतान की स्थिति इस प्रकार है:-

सम्पत्ति सं. 470, चिराग दिल्ली:

1. वर्ष 2004-05 से वर्ष 2020-21 तक आम-माफी योजना के तहत राशि रु. 43848/- सम्पत्ति कर जमा हुआ है।

सम्पत्ति सं. 546, चिराग दिल्ली:

2. वर्ष 2012-13 से 2018-19 एवं 20-21 का टैक्स जमा किया हुआ है तथा जिस वर्ष का टैक्स जमा नहीं किया है उसका नोटिस जारी किया हुआ है।

वित्तीय वर्ष	रसीद संख्या	दिनांक	जमा किया गया कर करोड़ रु.
2012-13	बी पी-001660	13.07.2012	4571
2014-15	बी ओ-034744	17.06.2014	8055
2015-16	बी ओ-048327	01.05.2015	2442
2017-18	डी ए-23532	30.06.2018	2442
2013-14	डी एन-5630	30.03.2019	9760
2016-17			
2018-19			
2020-21	डी डब्ल्यू-39575	31.08.2020	11224

(छ) और (ज) चिराग दिल्ली गांव वर्ष 1987 में (जैसा है जहां है) के आधार पर दिल्ली विकास प्राधिकरण से दिल्ली नगर निगम को हस्तांतरित हुआ था। अभिन्यास योजना (Layout Plan) उपलब्ध ना होने के कारण यह बता

पाना मुश्किल है कि इन भवनों ने अतिक्रमण किया है या नहीं, क्योंकि म.न. 470 व 546 चिराग दिल्ली अन्य मकानों के साथ एक लाइन में बने हुए हैं।

(झ) और (ञ) संपत्ति संख्या 699 चिराग दिल्ली के विरुद्ध विधि अनुरूप यथा डीएमसी एक्ट, 1957 की धारा 343/344 व 345-ए के अनुसार कार्यवाही किए जाने हेतु मिसल संख्या 100/UC/B-I/SZ/2021 dated 08/06/2021 व 110/UC/B-I/SZ/2021 dated 24/06/2021 से कार्यवाही दर्ज की गई व तदनुसार पूरे ढांचे अथवा निम्न संपत्ति को ढहा अथवा तोड़ दिया गया। वर्तमान में वहां पर कोई ढांचा खड़ा/निर्मित नहीं है।

40. श्री अनिल कुमार बाजपेयी: क्या माननीय उपमुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई आबकारी नीति 2021-22 के अनुसार आज तक खोली गई शराब की दुकानों का विवरण;

(ख) नई नीति के अनुसार शराब की दुकान खोलने के लिए क्या मानदंड नियम व शर्तें हैं;

(ग) इन दुकानों के स्वामित्व के संबंध में विवरण उपलब्ध कराएँ;

(घ) उन दुकानों का विवरण दें जो स्कूलों या धार्मिक स्थलों के समीप खोली गई हैं;

(ङ) ईस्ट आजाद नगर, गांधी नगर विधानसभा क्षेत्र में हाल में खोली गई हैं दुकानों का विवरण क्या है; और

(च) ये दुकानें स्कूलों व धार्मिक स्थलों से कितनी दूरी पर हैं?

उपमुख्यमंत्री: (क) नई आबकारी नीति 2021-22 के तहत दिनांक 27 दिसंबर 2021 तक दिल्ली में खोली गई दुकानों की संख्या 501 है, इनका विवरण अनुलग्नक 'अ' पर संलग्न है।

(ख) शराब की दुकान खोलने के लिए मानदंड नियम एवं शर्तें, एक्साइज नीति 2021-22 में वर्णित हैं। एक्साइज नीति 2021-22 की प्रति अनुलग्नक 'ब' पर संलग्न है।

(ग) वांछित जानकारी अनुलग्नक 'स' पर संलग्न है।

(घ) दिल्ली आबकारी नियम 2010 के नियम 51(1) के अंतर्गत कोई भी दुकान निम्नलिखित स्थानों से सौ मीटर की दूरी पर नहीं खोली जा सकती—

(अ) प्रमुख शैक्षणिक संस्थान (सरकारी मान्यता प्राप्त उच्च माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, महाविद्यालय एवं उच्च शिक्षण संस्थान)

(ब) धार्मिक स्थान (पक्का ढांचा जिसका क्षेत्रफल 400 वर्गफीट से ज्यादा हो)

(स) पचास बिस्तर और उससे अधिक बिस्तर वाले अस्पताल; कोई भी दुकान इन नियमों के विरुद्ध नहीं खोली गई है।

(ड) ईस्ट आजाद नगर, गांधी नगर विधानसभा क्षेत्र में कोई दुकान नहीं खोली गई है, जबकि एक दुकान जो कि वेस्ट आजाद नगर, रघुवरपुरा में

233-A&11/233, प्लॉट नंबर 41 और 47 वेस्ट आजाद नगर रघुवरपुरा शाहदरा, दिल्ली में खोली गई है।

(च) दिल्ली आबकारी नियम 2010 के नियम 51(1) के अंतर्गत, इस दुकान के सौ मीटर के दायरे में कोई भी मंदिर नहीं पाया गया है (जिसका क्षेत्रफल 400 वर्ग फीट या इससे ज्यादा हो) तथा ना ही कोई भी प्रमुख शैक्षणिक संस्थान (सरकारी मान्यता प्राप्त) पाया गया।

इस दुकान के सौ मीटर के दायरे में कोई भी प्रमुख शैक्षणिक संस्थान (सरकारी मान्यता प्राप्त) भी नहीं पाया गया है।

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

83. श्री प्रकाश जारवाल: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीनों नगर निगमों के राजस्व स्रोतों की जानकारी व वर्ष 2012 से 2021 के बीच उनकी वर्षवार वास्तविक वसूली का विवरण उपलब्ध कराएँ;

(ख) वर्ष 2012 से 2021 के बीच केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, दि.वि.प्रा. से प्राप्त धनराशि का वर्षवार व हेड अनुसार विवरण प्रदान करें इस संबंध में हुए पत्राचार की प्रतिलिपियाँ भी उपलब्ध कराएँ;

(ग) तीनों नगर निगमों के एकीकरण के संबंध में यदि कोई प्रक्रिया है, तो उसका विवरण और उससे संबंधित फाइल की प्रतिलिपि उपलब्ध कराएँ;

(घ) क्या यह सत्य है कि होर्डिंग्स, टॉयलेट, स्ट्रीट फर्नीचर आदि के गैर-आवृत्त स्थलों का उपयोग एक पार्टी के नेताओं, काउंसलरों व मेयरों द्वारा किया जा रहा है; और

(ड) यदि हाँ, तो क्या इस संबंध में एमसीडी द्वारा कोई प्राथमिकी दर्ज कराई गई है; व इन स्थलों से राजस्व की उगाही के लिए 2017 से 2021 के दौरान क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है?

शहरी विकास मंत्री: (क) उत्तरी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार आंतरिक स्रोतों से राजस्व की जानकारी 2012 से 2021 तक अनुलग्नक 'अ' पर संलग्न है।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगमों प्राप्त जानकारी के अनुसार राजस्व स्रोतों और 2012 से 2021 के बीच उनकी वर्षवार वास्तविक वसूली की सूची अनुलग्नक 'अ' पर संलग्न है।

पूर्वी दिल्ली नगर निगम: अनुसूची 'क' संलग्न है।

(ख) उत्तरी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार जानकारी अनुलग्नक 'ख' पर संलग्न है व योजना मद एवं गैर योजना मद में अलग-अलग संलग्न है।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगमों प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2012 से 2021 के बीच केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, दि.वि.प्रा. से प्राप्त धनराशि का वर्षवार व हेड अनुसार विवरण एवं पत्राचार अनुलग्नक 'ब' पर संलग्न है।

पूर्वी दिल्ली नगर निगम: अनुसूची 'ख' संलग्न।

(ग) उत्तरी दिल्ली नगर निगम से संबंधित नहीं है। यह प्रश्न दक्षिणी दिल्ली नगर निगम से संबंधित नहीं है।

पूर्वी दिल्ली नगर निगम: इस प्रकार का कोई प्रस्ताव संज्ञान में नहीं है।

(घ) उत्तरी दिल्ली नगर निगम गैर आवंटित स्थलों के उपयोग के बारे में ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

पूर्वी दिल्ली नगर निगम: जी नहीं।

(ङ) उत्तरी दिल्ली नगर निगम गैर आवंटित स्थलों के उपयोग के बारे में ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

पूर्वी दिल्ली नगर निगम: जी नहीं।

84. श्री प्रकाश जारवाल: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिनांक 1 जनवरी 2021 से 30 नवंबर, 2021 तक की अवधि के दौरान पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा एसडीएमसी को निर्माण-गतिविधियों से संबंधित अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं, यदि हाँ तो ऐसी सभी शिकायतों का संपूर्ण ब्यौरा उपलब्ध कराएँ;

(ख) क्या यह सत्य है कि दिनांक 1 जनवरी 2021 से 30 नवंबर, 2021 तक की अवधि के दौरान पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा एसडीएमसी को निर्माण-गतिविधियों से संबंधित अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं, यदि हाँ तो ऐसी सभी शिकायतों का संपूर्ण ब्यौरा उपलब्ध कराएँ;

(ग) क्या यह सत्य है कि खसरा नंबर 12 और खसरा नंबर 253, जिसे राजस्व रिकॉर्ड में डीडीए की भूमि बताया गया है, उस पर निजी इमारतें बन गई हैं;

(घ) एमसी के साउथ जोन के अंतर्गत चिराग दिल्ली में 300 वर्गगज के भूखंड पर अनधिकृत निर्माण के गिराने संबंधी विवरण उपलब्ध कराएँ साथ ही म. नं. 509 के सीमांकन की भी जानकारी देते हुए बताएँ कि क्या इसमें सरकारी भूमि पर अतिक्रमण भी हुआ है;

(ङ) ऐसा ही विवरण मकान नंबर 664 के बारे में भी प्रदान करें जिसका निर्माण कुछ महीने पूर्व कोरोना लॉकडाउन की अवधि में हुआ था; और

(च) खतरनाक ढाँचों को गिराने और नई इमारतों के निर्माण के संबंध में संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएँ?

शहरी विकास मंत्री: (क) दक्षिणी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा समय-समय पर ऐसी शिकायतें भेजी जाती हैं। ऐसी शिकायतों पर विधि अनुरूप कार्यवाही की जाती है। इन शिकायतों का ब्यौरा विभागीय अभिलेखों में एकत्र रूप में व्यवस्थित नहीं है।

(ख) दक्षिणी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार खिड़की एक्सटेंशन एक अनाधिकृत कॉलोनी है, जिसमें संपत्तियों का कोई निश्चित नंबर नहीं है एवं संपत्ति मालिक स्वयं से इसका निर्धारण कर देते हैं।

क्षेत्र के निरीक्षण के दौरान एस-36 खिड़की एक्सटेंशन एक पुरानी इमारत ज्ञात हुई है। जोकि केवल एक मंजिल बना हुआ है।

(ग) **दिल्ली विकास प्राधिकरण:** दिल्ली विकास प्राधिकरण को प्रश्न भेजा गया था, परन्तु दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अपने पत्र सं. एफ.5 (3)/मिस. /2015/पी एंड सी/वीएस/769 दिनांक 2 अगस्त, 2018, को सूचित किया है कि-दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 29 के साथ पठित अनुच्छेद 239ए ए (3) और (4) में निहित प्रावधानों को देखते हुए विधानसभा के स्पीकर वैधानिक रूप से किसी आरक्षित विषय पर कोई प्रश्न स्वीकार नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त यह भी बताया जाता है कि यदि दि.वि.प्रा. के संबंध में सभा द्वारा उठाये गये प्रश्नों के उत्तर अपेक्षित हैं, तो उन्हें आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से भेजा जाना चाहिए, क्योंकि दिल्ली विकास प्राधिकरण केन्द्र सरकार के नियंत्रण में कार्य करता है। (प्रतिलिपि संलग्न है)

(घ) दक्षिणी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार संपत्ति संख्या 509 चिराग दिल्ली एक पुरानी इमारत है जोकि वर्तमान में संपत्तिधारक द्वारा स्वयं गिराई जा रही है।

(ङ) दक्षिणी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार समयानुसार यह संपत्ति जीर्ण-शीर्ण हो चुकी थी जिसे विभाग व संपत्तिधारक द्वारा पूर्णतः गिरा दिया गया था। तदुपरांत संपत्तिधारक द्वारा विभाग की पूर्वानुमति के बिना भूतल का पुनः निर्माण किया गया जिसे की डीएमसी एक्ट, 1957 में किए गए प्रवाधनों के अनुरूप कार्यवाही हेतु बुक किया गया है।

(च) दक्षिणी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार खतरनाक ढांचों को गिराने संबंधी कार्यवाही डीएमसी एक्ट की धारा 348 के अनुरूप की जाती है तथा नए भवन के निर्माण संबंधी व्यवस्था Unified Building Bye Laws-2016 में दी गई है।

प्रतिलिपि

दिल्ली विकास प्राधिकरण
(आयुक्त एवं सचिव कार्यालय)
ब्लॉक-बी, विकास सदन, आई.एन.ए., नई दिल्ली-110023

सं. एफ 5(3)/मिस./2015/पी एंड सी/वीएस/769 दिनांक: 2 अगस्त, 2018

श्री संदीप मिश्रा,
विशेष सचिव (संसद अनुभाग),
शहरी विकास विभाग, रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार,
9वां तल, सी. विंग, दिल्ली सचिवालय,
आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002

विषय: छठी दिल्ली विधानसभा के 7वें सत्र के दूसरे भाग में दिनांक 07/06/2018 को उठाए गए अतारांकित प्रश्न के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में दिनांक 09/07/2018 के अपने पत्र सं. एफ. 52 (यू.एस.क्यू.)/बजट रोशन-सैकंड-जून-2008/दिल्ली असेंबली/यू.डी./डी 7175, 7176 का अवलोकन करे, जिसकी संदर्भ से एफ.यू.एस.क्यू/बजट रोशन II जून 2018/दिल्ली असेंबली/यू.डी./डी. 6983-43(यू.एस.क्यू-80), 6925 34 (क्यू.एस.क्यू. 78), 6977 80(यू.एस.क्यू. 89) तथा 6901 6904 (यू.एस.क्यू. 70) दिनांक 29/05/2018 तथा अनुपूरक फर्स्ट डी 7066 से 7068 दिनांक 13/06/2018 है, जिसके द्वारा संदर्भित विषय पर उत्तर तैयार करने के लिए विभाग की उपयुक्त सामग्री प्रेषित करने के लिए कहा गया था।

इस संबंध में यह बताया जाता है कि संविधान के अनुच्छेद 239ए ए(3) (क) के अनुसार विधानसभा के पास राज्य सूची अथवा समवर्ती सूची में आने

वाले किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है, केवल उन मामलों को छोड़कर जो राज्य सूची की प्रविष्टि 1, 2 तथा 18 संबंधित हैं तथा सूची की प्रविष्टि 64, 65 तथा 66 से कुछ हद तक संबंधित है क्योंकि ये उक्त प्रविष्टि 1, 2 तथा 18 से संबंधित हैं। अतः आरक्षित विषयों अर्थात् प्रविष्टि 1, 2 तथा 18 में उल्लिखित विषयों पर राज्य सरकार के पास न तो कानून बनाने की शक्तियां हैं और न ही कार्यकारी कार्रवाई करने की शक्तियां। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 29 में यह वर्णित है कि प्रश्नों की विषय सामग्री प्रशासन के मामलों से संबंधित होनी चाहिए, जिसके लिए सरकार उत्तरदायी है।

अतः दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 29 के साथ पठित अनुच्छेद 239ए ए(3) और (4) में निहित प्रावधानों को देखते हुए विधानसभा के स्पीकर वैधानिक रूप से किसी आरक्षित विषय पर कोई प्रश्न स्वीकार नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त यह भी बताया जाता है कि यदि दि.वि.प्रा. के संबंध में सभा द्वारा उठाए गए प्रश्नों के उत्तर अपेक्षित हैं, तो उन्हें आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से भेजा जाना चाहिए क्योंकि दि.वि.प्रा. केन्द्र सरकार के नियंत्रण में कार्य करता है।

तथापि, रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार के विकास कार्य और सार्वजनिक कल्याण में दि.वि.प्रा. की भूमिका से संबंधित मामलों के संबंध में दि.वि.प्रा. रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार से प्राप्त पत्राधार के उत्तर देना जारी रखेगा।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(डी. सरकार)
आयुक्त एवं सचिव

85: श्री प्रकाश जारवाल: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 1 जनवरी 2012 से 30 नवंबर, 2021 तक की अवधि में सार्वजनिक/निजी स्थानों से कितने पशुओं को उठाया गया, उन्हें किस गौशाला में जमा कराया गया, कितना चालान एकत्रित किया गया व कितने लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की गई, वर्षवार एवं वार्ड अनुसार विवरण उपलब्ध कराएं;

(ख) दिनांक 1 जनवरी 2012 से 30 नवंबर, 2021 तक की अवधि में सार्वजनिक/निजी स्थानों से कितने पशुओं को उठाया गया, उन्हें किस गौशाला में जमा कराया गया, कितना चालान एकत्रित किया गया व कितने लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की गई, वर्षवार एवं वार्ड अनुसार विवरण उपलब्ध कराएं;

(ग) दिनांक 1 जनवरी 2012 से 30 नवंबर, 2021 की अवधि के लिए एसी-50 ग्रेटर कैलाश विधानसभा क्षेत्र से क्या कोई आवारा पशुओं की शिकायत प्राप्त हुई है, यदि हाँ तो उसका विवरण व इस संबंध में की गई कार्रवाई का ब्यौरा प्रदान करें;

(घ) दिनांक 1 जनवरी 2012 से 30 नवंबर, 2021 की अवधि के दौरान तीनों नगर निगमों ने कितने कुत्तों की नसबंदी की, पूरा विवरण व इस कार्य के लिए खर्च की गई धनराशि का विवरण दें;

(ङ) वर्ष 2012 से 2021 की अवधि के दौरान के दिल्ली के सभी निजी व सरकारी (एमसीडी, दिल्ली सरकार व केंद्र सरकार) अस्पतालों से कुत्तों के काटने के कितने मामले सामने आए हैं, वर्षवार विवरण दें; और

(च) आवारा कुत्तों के काटने के मामलों में कमी लाने के लिए तीनों नगर निगमों की क्या नीति है, विवरण उपलब्ध कराएँ?

शहरी विकास मंत्री: (क) पूर्वी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार पूर्वी दिल्ली नगर निगम की स्थापना मई, 2012 में हुई थी तदपश्चात् पूर्वी दिल्ली नगर निगम के पशु चिकित्सा सेवाएं विभाग ने मई 2013 से 30 नवंबर, 2021 से वर्षवार आवारा पशुओं को पकड़कर डाबर हरे कृष्णा गौशाला भेजा।

वर्ष	आवारा जानवर
मई, 2013 से दिसम्बर, 2013	450
जनवरी, 2014 से दिसम्बर, 2014	707
जनवरी, 2015 से दिसम्बर, 2015	683
जनवरी, 2016 से दिसम्बर, 2016	736
जनवरी, 2017 से दिसम्बर, 2017	448
जनवरी, 2018 से दिसम्बर, 2018	1105
जनवरी, 2019 से दिसम्बर, 2019	1155
जनवरी, 2020 से दिसम्बर, 2020	624
जनवरी, 2021 से दिसम्बर, 2021	547

विभाग ने जनवरी, 2012 से नवंबर 2021 तक 2174 चालान किये गये और चालानों को भुगतने हेतु संबंधित व्यक्ति को माननीय न्यायालय द्वारा ही जर्माना निर्धारित किया जाता व माननीय न्यायालय में ही जमा किया जाता है। जिसका विवरण माननीय न्यायालय में उपलब्ध होता है।

उत्तरी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2012 से 30 नवंबर 2021 तक की अवधि में उत्तरी दिल्ली नगर निगम क्षेत्र के सार्वजनिक/निजी

स्थानों से पकड़े गए पशुओं का विवरण, किए गए चालान व की गई कारवाइयों का विवरण निम्न प्रकार हैं:-

2012-November 2021			
North DMC			
Year	Total Stray Cattle	Total Challaned	Total Dairy Sealed/removed
2012-13	4392	—	19
2013-14	3728	108	01
2014-15	3389	141	—
2015-16	3409	553	—
2016-17	4382	109	—
2017-18	1562	294	—
2018-19	1966	659	93
2019-20	3672	479	172
2020-21	3649	304	41
2021-22	2328	76	37
(30.11.21 तक)			

गाय व गोवंश को पकड़ने के बाद समय-समय पर दिल्ली सरकार द्वारा आदेशानुसार गोपाल गौसदन हरेवली, श्री कृष्ण गौशाला बवाना, डाबर हरे कृष्ण गौशाला सुरहेड़ा और मानव गौसदन रेवला खानपुर में भेजा गया है। चालानों को भुगतने हेतु संबंधित व्यक्ति को माननीय न्यायालय द्वारा ही जर्माना निर्धारित किया

जाता व माननीय न्यायालय में ही जमा किया जाता है। जिसका विवरण माननीय न्यायालय में उपलब्ध होता है।

उपरोक्त कार्रवाही के अतिरिक्त अवैध डेरी स्वामियों के नाम की सूची दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति को उचित कार्रवाही हेतु तथा संबंधित थानों को प्राथमिकी (FIR) दर्ज करने के लिए तथा BSES व दिल्ली जल बोर्ड को अवैध डेरी स्वामियों का बिजली व पानी का कनेक्शन काटने हेतु वर्ष 2019, 2020 तथा 2021 में भी नाम भेजे गए हैं तथा 155 बिजली एवं 178 पानी के कनेक्शन कटवा दिए गए हैं।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2012 से 30 नवंबर 2021 तक की अवधि में दक्षिणी दिल्ली नगर निगम क्षेत्र के सार्वजनिक निजी स्थानों से पकड़े गए पशुओं का विवरण किए गए चालान की गई कार्यवाहियों का विवरण निम्न प्रकार है:-

2012-November 2021				
SDMC				
Year	Total Challaned	Total Stray Cattle Removed	Total Diary Sealed	Total Dairy Removed
2012-13	—	3673	—	—
2013-14	—	3213	—	—
2014-15	—	2974	—	—
2015-16	—	3398	—	—

2016-17	—	2564	—	—
2017-18	311	3655	19	18
2018-19	469	4403	12	13
2019-20	574	5796	15	32
2020-21	271	4183	22	22
2021-22	135	3182	19	15
till Nov. 2021)				
Total	1760	37040	87	100

गाय व गोवंश को पकड़ने के बाद समय-समय पर दिल्ली सरकार द्वारा आदेशानुसार आचार्य सुशील मुनी गौशाला घुम्नहेड़ा, मानव गौसदन रेवला खानपुर तथा डाबर हरे कृष्णा गौशाला सुरहेड़ा में भेजा गया है। चालानों को भुगतने हेतु संबंधित व्यक्ति को माननीय न्यायालय द्वारा ही जर्माना निर्धारित किया जाता व माननीय न्यायालय में ही जाना किया जाता है। जिसका विवरण माननीय न्यायालय में उपलब्ध होता है। चालानों को भुगतने हेतु संबंधित व्यक्ति को माननीय न्यायालय द्वारा ही जर्माना निर्धारित किया जाता व माननीय न्यायालय में ही जमा किया जाता है। जिसका विवरण माननीय न्यायालय में उपलब्ध होता है।

उपरोक्त कार्यवाही के अतिरिक्त अवैध डेरी स्वामियों के नाम की सूची दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति को उचित कार्यवाही हेतु तथा संबंधित थानों को प्राथमिकी (FIR) दर्ज करने के लिए तथा BSES व दिल्ली जल बोर्ड को अवैध डेरी स्वामियों का बिजली व पानी का कनेक्शन काटने हेतु वर्ष 2019, 2020 तथा 2021 में भी नाम भेजे गए हैं।

(ख) पूर्वी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार पूर्वी दिल्ली नगर निगम की स्थापना मई, 2012 में हुई थी। तदपश्चात् पूर्वी दिल्ली नगर निगम के पशु चिकित्सा सेवाएं विभाग ने मई 2013 से 30 नवंबर, 2021 तक 6455 आवारा पशुओं को पकड़कर डाबर हरे कृष्णा गौशाला भेजा। गौशालाओं की समय-समय पर जांच व निरीक्षण पूर्वी दिल्ली नगर निगम के पशु चिकित्सा सेवाएं विभाग एवं दिल्ली सरकार का पशुपालन विभाग करता रहता है।

उत्तरी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार अप्रैल 2012 से नवंबर 2021 तक गोशाला अनुसार उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा भेजे गए गोवंश का विवरण निम्न प्रकार है:-

गौशाला	भेजे गये पशुओं की संख्या	मृत पशुओं की संख्या	30 नवंबर, 2021 को वहाँ मौजूद पशुओं की संख्या
गोपाल गौसदन हरेवली	3372	11009	3291
श्री कृष्ण गौशाला बवाना	11665	24404	8567
डाबर हरे कृष्णा गौशाला सुरहेड़ा	13149	11145	1357
मानव गौसदन रेवला खानपुर	1075	370	676

गौशालाओं में उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अलावा अन्य स्रोत से भी गोवंश जमा किया जाता है जिससे उपरोक्त तालिका में उल्लेखित उत्तरी दिल्ली नगर

निगम द्वारा भेजे गए पशुओं की संख्या तथा मृत पशुओं की संख्या में अंतर दिखाई दे रहा है।

उपरोक्त सभी गौशालाएँ पशुपालन विभाग, दिल्ली सरकार के अधीन कार्यरत हैं वहाँ पर पशुओं को देखभाल, इलाज इत्यादि का कार्य पशुपालन विभाग, दिल्ली सरकार की देखरेख में किया जाता है।

Delhi Agricultural Preservation Act 1994 के तहत गौशालाओं की स्थापना पशुपालन विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा की गयी है जिन पर प्रशासनिक नियंत्रण भी पशुपालन विभाग दिल्ली सरकार का है।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार अप्रैल 2012 से नवंबर 2021 तक गौशाला वाइज दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा भेजे गए गाय व गोवंश का विवरण निम्न प्रकार है:-

Name of Gaushala	Total No. of cattle deported	Total mortality	No. of cattle present on 30 Nov. 2021
Acharya Sushil Muni Gaushala, Ghummanhera	9267	9036	Lease deed cancelled by Delhi Govt. on 09.05.2019
Dabar Hare Krishna Gaushala, Surehra	17402	15697	2099
Manav Gausadan, Rewla Khanpur	9218	9064	0878

उपरोक्त सभी गौशालाएं Animal Husbandry/दिल्ली सरकार के अधीन कार्यरत हैं। वहां पर पशुओं को देखभाल, इलाज इत्यादि का कार्य दिल्ली सरकार की देखरेख में किया जाता है।

दिल्ली में गौशालाओं का आबंटन व प्रशासनिक अधिकार Animal Husbandry Deptt., दिल्ली सरकार द्वारा किया जाता है।

(ग) दक्षिणी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार उपरोक्त अवधि में AC-50 ग्रेटर कैलाश विधानसभा क्षेत्र से आवारा पशुओं की समस्या से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई जिस पर विभाग द्वारा समय-समय पर कार्यवाही की गयी है। अप्रैल, 2021-नवंबर, 2021 तक आवारा पशुओं से संबंधित 07 शिकायतें प्राप्त हुई जिन पर विभाग द्वारा 20.07.2021, 23.07.2021, 26.07.2021, 03.12.2021, 06.12.2021, 11.12.2021, 14.12.2021, 17.12.2021, 20.12.2021, 22.12.2021 तथा 24.12.2021 को कार्यवाही की गई जिसमें 72 पशुओं को पकड़कर गौशाला भेजा गया है तथा 07 NG नोटिस, 36 कोर्ट चालान किये गए हैं, 05 डेरी स्वामियों के नाम दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति को उचित कार्यवाही हेतु भेजे गए हैं। संबंधित पुलिस स्टेशन को 05 डेरी स्वामियों के नाम FIR हेतु दिनांक 09.03.2021, 16.06.2021, 23.06.2021 एवं 16.12.2021 के द्वारा भेजे गए हैं।

BSES व दिल्ली जल बोर्ड को बिजली व पानी का कनेक्शन काटने हेतु भी दिनांक 18.09.2019, 29.01.2021, 18.06.2021, 23.06.2021, 09.09.2021 एवं 16.12.2021 के द्वारा उपरोक्त 05 डेरी स्वामियों के नाम भेजे गए हैं।

(घ) पूर्वी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार पशु चिकित्सा सेवाएं विभाग ने जुलाई 2021 से अक्टूबर 2021 तक विवरण निम्न प्रकार है।

वर्ष	आवारा कुत्तों की नसबंदी	आवारा कुत्तों की नसबंदी एवं संसाधन पर किया गया व्यय
2012 जुलाई	3061	17,10,946/-
2013	5963	48,24,927/-

उत्तरी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार अप्रैल 2012 से अक्टूबर 2021 तक 145333 आवारा कुत्तों की नसबंदी व रेबीज टीकाकरण के लिए रुपए 10,58,73,227/- रुपए खर्च किए गए।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार अप्रैल 2012 से अक्टूबर 2021 तक दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा 3,06,162 आवारा कुत्तों की नसबंदी व रेबीज के टीकाकरण के लिए रुपए 25,87,88,102/- रुपए खर्च किये गए।

(ड) महादेशालय स्वास्थ्य सेवाएं से प्राप्त जानकारी के अनुसार कुत्ते काटने के मामले निम्नलिखित हैं:-

2019-28052

2020-39096

अप टू 30.11.2021-89972

उत्तरी दिल्ली नगर निगम-वर्ष 2012 से 2021 की अवधि के दौरान उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत कुत्तों के काटने के आये मामले इस प्रकार हैं:

Dog bite case	Hindu Rao Hospital	Institution M.V.I.D. Hospital	07 Polyclinic (ARV Centre)
2012	18034	6916	3233
2013	22262	8064	8670
2014	26614	8911	9161
2015	20321	9753	9797
2016	14663	7924	8871
2017	15619	9532	6259
2018	9608	9532	943
2019	4618	2565	1766
2020	3621	3461	75
2021	1700	1826	1229

उत्तरी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार आवारा कुत्तों की आबादी को नियंत्रित करने के लिए उत्तरी दिल्ली नगर निगम ABC (Dogs) Rules 2001 के अनुपालन में कुत्तों के बन्धीयकरण व रेबीज टीकाकरण का कार्यक्रम वर्तमान में 07 बन्धीयकरण केन्द्रों को NGO व निजी पशुचिकित्सकों के द्वारा चला रही है।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में 13 एंटी रेबीज वैक्सीन के सेंटर कार्यरत हैं। वर्ष 2012 से 2021 की अवधि के दौरान कुल कुत्तों के काटने के जो मामले इन सेंटर्स पर रिपोर्ट हुए उनका वर्षवार विवरण अनुलग्नक 'क' पर संलग्न है।

अनुलग्नक 'क'

विधानसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 85

S. No.	Name of ARV Centre	Dog Bite Cases										Total Dog Bite cases
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	PSMS Hospital Kalkaji	125	114	113	110	81	—	210	721	1292	869	3635
2	Lajpat Nagar Colony Hospital	90	523	870	523	523	—	1289	1203	798	542	6361
3	Badarpur Polyclinic	—	—	—	—	—	2	47	60	77	216	352
4	UPHC Jungpura	—	—	—	193	84	50	952	1187	509	728	3703
5	Tughlakabad PUHC,	—	—	—	—	—	—	76	811	750	524	2161
6	Bijwasan Disp.	—	—	—	169	—	29	597	735	251	94	1875
7	polyclinic Masjid moth	—	—	—	—	—	—	—	327	122	80	529
8	Munirka polyclinic	—	—	—	1	14	198	196	701	641	335	2086
9	Mehrauli PHC	336	566	2335	2264	311	1489	—	2174	2656	3685	15816
10	Fatehpurberi Polyclinic	—	609	3602	650	1385	—	3930	878	215	1000	12269
11	Tilak Nagar Colony Hospital	—	735	2208	825	612	476	509	1016	1745	1689	9815
12	Subash Nagar UPHC	—	—	—	—	—	—	—	35	92	104	231
13	Uttam Nagar MAPC	—	—	—	—	431	1252	—	1464	1285	1253	5685
Total		551	2547	9128	4735	3441	3496	7806	11312	10383	11119	64518

86. श्री प्रकाश जारवाल: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि ग्रेटर कैलाश-1 में अतिक्रमण का समाचार दिनांक 4 जुलाई 2020 को समाचारपत्रों में व्यापक रूप से प्रकाशित हुआ था और उपायुक्त दक्षिणी जोन ने उक्त स्थल का निरीक्षण भी किया था;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि स्थानीय विधायक ने इस अतिक्रमण के बारे में समाचार में प्रकाशित होने से बहुत पहले सूचित किया था, परंतु लाइसेंसिंग इंस्पेक्टर ने इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की थी, यदि हाँ तो उसके कारण बताएँ व एतद्वसंधी संपूर्ण जानकारी प्रदान करें;

(ग) क्या यह सत्य है कि एसडीएमसी के आयुक्त को स्थानीय विधायक द्वारा पत्रों और ईमेल के द्वारा सचेतकों को एसडीएमसी के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा परेशान किए जाने की शिकायत की थी, जो कि शॉप संख्या एम/29, जीके-1 को और जी-197 स्थित उसकी रसोई को विशेषरूप से निशाना बना रहे थे;

(घ) अतिक्रमण के संबंध में सचेतकों के विरुद्ध मनमाने ढंग से कार्रवाई करने के लिए क्या किसी के विरुद्ध कोई जाँच की गई, यदि नहीं तो क्यों नहीं और यदि हाँ, तो दस्तावेज उपलब्ध कराएँ;

(ङ) संबंधित लाइसेंसिंग इंस्पेक्टर की तैनाती, उनके विरुद्ध की गई शिकायतों व जाँच के संबंध में संपूर्ण विवरण उपलब्ध कराएँ;

(च) जीके-1 वार्ड के काउंसलर के विरुद्ध होने वाली जाँच का विवरण उपलब्ध कराएँ जिसके विरुद्ध स्थानीय विधायक द्वारा वीडियो प्रमाण उपलब्ध कराए गए थे; और

(छ) यदि इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई है, तो क्यों?

शहरी विकास मंत्री: (क) समाचार पत्र में प्रकाशित खबर के पहले ही दिनांक 03.07.2020 को संयुक्त कार्यवाही JE और सामान्य शाखा द्वारा की गयी थी। जिसके दौरान M Block Market से स्थाई तथा अस्थायी अतिक्रमण हटाया गया। तत्पश्चात 04.07.2020 तथा 06.07.2020 को लगातार अस्थायी अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गयी तथा संबंधित पुलिस उपायुक्त तथा थाना अध्यक्ष को दोबारा अतिक्रमण होने से रोकने के लिए दिनांक 06.07.2020 को पत्र लिखा गया। (कॉपी अनुलग्नक 'क' पर संलग्न है।)

(ख) माननीय विधायक द्वारा सूचित करने के बाद दिनांक 03.07.2020, 04.07.2020 तथा 06.07.2020 को अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गयी।

(ग) एम-29 ग्रेटर कैलाश 1 में किसी का चालान नहीं किया गया था व सी-197 सेकेंड फ्लोर ग्रेटर कैलाश 1 रिहायशी इलाके में एक अवैध किचन चल रहा था जिसका चालान, संख्या 110742, दिनांक 28.10.2020 को किया गया था।

(घ) विभाग द्वारा समय-समय पर सभी अस्थायी अतिक्रमण के खिलाफ निष्पक्ष रूप से कार्यवाही की जाती है।

(ङ) संबंधित लाइसेंसिंग इंस्पेक्टर को प्रशासनिक कारणों से 13 सितम्बर 2021 को GK-1 से स्थानांतरित कर दिया गया है।

(च) और (छ) निगम पार्षद के विरुद्ध जांच करने का कार्य दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के कार्य क्षेत्र में नहीं आता।

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 288

04 जनवरी, 2022

अनुलग्नक 'क'

South Delhi Municipal Corporation
Office of the Assistant Commissioner
(South Zone, Green Park)

No. 2927/AC/SZ/2020

Dated: 06.07.2020

To,

The Deputy Commissioner of Police,
South District - Hauz Khas,
New Delhi.

Sub.: Prevention of re-encroachments.

Sir,

The enforcement staff of General Branch/South Zone carried out a temporary encroachment removal action at Near Hansraj Gupta Marg, Kailash Colony Market Road, M-Block Market and surrounding area, Ward No. 086-S (GK-I) on 04.07.2020. The photographs captured during the action are placed opposite for kind perusal.

Therefore, you are requested to direct Police personnel concerned to keep strict vigil in the area, where temporary encroachments have been removed, are not re-occupied by the encroachers as per orders of Hon'ble Supreme Court of India in IA No. 394 in WP(C) No. 1699/1987.

Yours faithfully,

End. As above.

Administrative Officer
South Zone

Copy for information:-

1. Sstation House Officer/Police Station - Greater Kailash, New Delhi.

Administrative Officer
South Zone

87. श्रीमती राजकुमारी ढिल्लों: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि हरिनगर विधानसभा क्षेत्र में पीडब्ल्यूडी की 29 सड़कें आती हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या विभाग को इस बात की जानकारी है कि इन 29 सड़कों में से काफी पीडब्ल्यूडी रोड़ का नामकरण नहीं किया गया है;

(ग) क्या यह सत्य है कि पीडब्ल्यूडी की सड़कों का नामकरण स्टेट नेम अथार्टी (एस.एन.ए.) द्वारा किया जाता है;

(घ) यदि हाँ, तो हरिनगर विधान सभा की काफी सड़कों का नामकरण नहीं होने के कारण लोगों को होने वाली समस्याओं के निवारण हेतु विभाग द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(ङ) गत वर्षों में हुई स्टेट नेम अथार्टी (एस.एन.ए.) की मीटिंग का विवरण प्रदान करें; और

(च) हरिनगर विधानसभा की पीडब्ल्यूडी की सड़कों का नामकरण कब तक किया जाएगा एवं मेटल फॉर्जिंग चौक (फाइल नम्बर-एमएलए/एसी-28/21-22/106) का नाम कब तक बदला जायेगा?

शहरी विकास मंत्री: (क) जी हाँ, यह सत्य है।

(ख) शहरी विकास विभाग में केवल प्रस्ताव आने पर राज्य नामकरण प्राधिकरण (एसएनए) दिशा-निर्देशों के अनुसार सड़क के नामकरण हेतु कार्रवाई की जाती है।

(ग) जी हाँ, यह सत्य है।

(घ) शहरी विकास विभाग में केवल प्रस्ताव आने पर राज्य नामकरण प्राधिकरण (एसएनए) दिशा-निर्देशों के अनुसार सड़क के नामकरण हेतु कार्रवाई की जाती है।

(ङ) राज्य नामकरण प्राधिकरण (एसएनए) की बैठक के कार्यवृत्त की प्रति अनुलग्नक 'क' पर संलग्न है।

(च) शहरी विकास विभाग में प्रस्ताव आने पर राज्य नामकरण प्राधिकरण (एसएनए) दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जाती है मेटल फॉर्जिंग चौक के नामकरण हेतु शहरी विकास विभाग में कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।

अनुलग्नक 'क'

MINUTES OF THE 60th MEETING OF STATE NAMES AUTHORITY (SNA) HELD ON 31st December, 2019 AT 11.30 A.M. IN THE CONFERENCE ROOM NO. 3, 2nd LEVEL, DELHI SECRETARIAT, DELHI-110002.

The 60th meeting of State Names Authority (SNA) was held under the chairmanship of Hon'ble Dy. Chief minister, Delhi on 31st December, 2019 at 11.30 AM in the Conference Room No. 3, 2nd level, Delhi Secretariat, Delhi-110002. At the outset, the Chairman, SNA/Dy. Chief Minister welcomed all the members present in the meeting. The list of participants is attached herewith.

The following Agenda Items which were considered by the SNA Sub-Committee in its meeting held on 30.12.2019 were placed for consideration before the SNA Committee:

Agenda Item No. 1:

Proposal for naming/renaming of Delhi Metro Station

A proposal has been received from Deputy Registrar (AG), Supreme Court of India for renaming of Pragati Maidan Metro Station to Supreme Court Metro Station or alternatively as Supreme Court / Pragati Maidan Metro Station. The proposal is discussed and it has been felt appropriate to rename the Pragati Maidan

Metro Station to Supreme Court Metro Station. Accordingly, the following has been approved:

Present Name of Metro Station	Line	Name of Metro Station as approved in the SNA Committee Meeting on 31.12.2019
Pragati Maidan	Blue Line	Supreme Court

Agenda No. 2:

Proposals for approval by State Names Authority (SNA) for Naming a stretch of Roads, Streets, Square (Chowk) etc.

- (i) A proposal forwarded by Sh. Madan Lal, MLA regarding naming of Lajpat Nagar flyover as Sri Jhoole Lal Setu has been considered by the SNA Committee and it has been found appropriate and approved by SNA Committee.
- (ii) A proposal has been received from Arya Samaj Mandir, Main Bazar, Rani Bagh for Installation of Board and stone signage at Maharshi Dayanand Chowk in place of Rani Bagh market Golchakkar connecting the Gum Virjanand and Mahatma Hansraj Marg which was renamed as Maharshi Dayanand Chowk in the year 2012 with the request to mention Maharshi Dayanand Chowk in place of Rani Bagh market Golchakkar by the Govt. Offices situated on this road in the correspondence made by them. The proposal is discussed and it has been unanimously decided and approved by SNA Committee.
- (iii) A proposal has been received from Sh Sampatmal Nahata, Managing Trustee, Akhil Bhartiya Anubrat Nyas for Re-installatipn of sign boards of Acharya Tulsi Marg at different places from Andheria Mod to Gurugram, which have been removed at the time of renovation. The proposal has been found appropriate and approved by SNA Committee.
- (iv) A proposal has been received from Indian Ex-Services League H.P., Palampur & Parvirtan (NGO) regarding naming of any new prominent road/ chowk in the name of Capt. Vikram Batra who is a Kargil War hero and recipient of Paramveer Chakra. The proposal is discussed and it has been decided and approved to rename the Mukarba Chowk and Flyover as Shaheed Captain Vikram Batra Chowk and Flyover respectively by SNA Committee.

- (v) A proposal has been received from Shri S S Jain Sabha, Veer Nagar(Regd), Jain Colony, Delhi-110007 regarding renaming of Shakti Nagar Chowk as Bhagwan Mahaveer Chowk. The proposal has been found appropriate and approved by SNA Committee.
- (vi) Another proposal has been received from Managing Trustee, Akhil Bhartiya Anuvrat Nyas, DDU Marg, New Delhi regarding naming of road from Mehrauli to Badarpur as Acharya Shri Mahapragya Marg and it has been approved by SNA Committee.

The meeting thereafter ended with vote of thanks to the chair.

(KULDEEP PAKAD), IAS
SPL. SECRETARY, UD-III
MEMBER-SECRETARY, SNA

**61st MEETING OF STATE NAMING AUTHORITY (SNA) TO BE
HELD ON 31st AUGUST, 2020 AT 2.30 P.M. THROUGH VIDEO
CONFERENCE UNDER THE CHAIRMANSHIP OF HON'BLE
DEPUTY CHIEF MINISTER, DELHI**

The 61st meeting of SNA is scheduled to be held under the chairmanship of Honhble Dy. Chief minister, Delhi on 31st August, 2020 at 2.30 P.M. through Video Conference.

The following Agenda Item is to be considered in the meeting:

Agenda No. 1:

Naming of DDA park at Siri Fort Road in the name of Late Shri Arun Jaitley and installation of statue of Shri Arun Jaitley in the Park.

A proposal from Commissioner (Public Relations), DDA has been received regarding naming of DDA park at Siri Fort Road i.e. "M.P. Green Area Siri Fort" as "DDA Arun Jaitley Park" and for installation of a bust/statue of Shri Arun Jaitley in this park.

The aforementioned proposal is placed before the SNA Committee for consideration and approval.

88: श्रीमती राजकुमारी ढिल्लों: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सीएम स्ट्रीट लाइट परियोजना के तहत प्रत्येक विधानसभा को 3000 लाइट देने का प्रावधान है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या विभाग इस बात से अवगत है कि हरि नगर विधानसभा क्षेत्र में केवल 850 लाइट प्रदान की गई है और LED लाइट्स का कार्य रुक गया है;

(ग) सीएम स्ट्रीट परियोजना का कार्य पुनः कब प्रारंभ होगा; और

(घ) 2150 शेष बची हुई लाइटें कब तक प्रदान की जाएंगी?

शहरी विकास मंत्री: (क) मुख्यमंत्री सड़क पुर्णनिर्माण योजना की एस.ओ. पी. दिनांक 26.09.2019 के अनुसार प्रत्येक विधानसभा में 3000 स्ट्रीट लाईट लगाने का प्रावधान है।

(ख) मुख्यमंत्री सड़क पुर्णनिर्माण योजना के अंतर्गत हरिनगर विधानसभा में अपनी तक 1020 स्ट्रीट लाईट लगाई गई है एवं वर्तमान में बिजली कम्पनियों द्वारा हर विधानसभा में 3000 स्ट्रीट लाईट लगाने का कार्य किया जा रहा है।

(ग) मुख्यमंत्री सड़क पुर्णनिर्माण योजना के अंतर्गत यह कार्य निकट भविष्य कर दिया जाएगा।

89. श्री विशेष रवि: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरी दिल्ली नगर निगम की, बैंक स्ट्रीट (भगवती मार्केट के पीछे) शैक्षणिक भूमि पर पार्किंग परियोजना आरंभ करने की कोई योजना है, जहाँ पहले से ही दो स्कूल हैं, जो कुछ समय से बंद हैं;

(ख) क्या उत्तरी दिल्ली नगर निगम 'लैंडयूज' बदलने के लिए अधिकृत है अथवा उसके पास ऐसा करने की अनुमति एवं अधिकार है; यदि हाँ तो एतद्संबंधी दस्तावेज की प्रति उपलब्ध कराएँ; और

(ग) यदि उत्तरी दिल्ली नगर निगम इसके लिए अधिकृत नहीं है और उसने दि.वि.प्रा. से इसकी अनुमति ली है तो उस संबंध में संपूर्ण दस्तावेज उपलब्ध कराएँ?

शहरी विकास मंत्री: (क) उत्तरी दिल्ली नगर निगम:-

बैंक स्ट्रीट और सरस्वती मार्ग से सटे स्थल के संबंध में मौजूदा दो एससी प्राइमरी स्कूलों को ध्वस्त करके और दोनों साइड प्लेटों को मर्ज करने के बाद मल्टीलेवल पार्किंग के निर्माण का प्रस्ताव सी.ई.-111/ केबीजेडी से नगर नियोजन विभाग को प्राप्त हुआ था। तदनुसार, प्रस्ताव को विभाग द्वारा संसाधित किया गया था और वर्ष 2019 में उत्तरी दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था।

(ख) उत्तरी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त स्थल करोलबाग के ले-आउट प्लान के अनुसार आवासीय एवं सार्वजनिक सुविधा में आता है। एमपीडी-2021 के खंड संख्या 12.14.1 के अनुसार पार्किंग सभी उपयोग क्षेत्रों में अनुमत उपयोगिताओं में से एक है इसलिए उक्त भूमि पर मल्टीलेवल पार्किंग का निर्माण अनुमत है। यह लेआउट योजना में एक संशोधन है जिसे स्थायी समिति उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा अनुमोदित किया गया है जो डीएमसी अधिनियम, 1957 के तहत सक्षम प्राधिकारी है।

(ग) उपरोक्तानुसार।

90. सुश्री भावना गौड: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि पालम विधानसभा के अंतर्गत पड़ने वाले चार वार्ड (साधनगर, पालम, महावीर एंकलेव एवं मधु विहार) में लगातार नई बिल्डिंगों का निर्माण हो रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या ये सभी बिल्डिंगें विभाग के नियमों एवं उप नियमों के तहत बनाई जा रही है;

(ग) क्या बेसमेंट का निर्माण बिल्डिंग बायलॉज के अंतर्गत कर सकते हैं;

(घ) 2015 से अब तक पालम विधानसभा के चारों बाड़ों में कितने बेसमेंट बने हैं, पूर्ण विवरण दें;

(ङ) 2015 से अब तक कितने मकान ऐसे बने हैं जो अपनी निर्धारित लम्बाई से ज्यादा है, पूर्ण विवरण दें;

(च) पालम विधानसभा में अब तक एमसीडी द्वारा कितनी बिल्डिंग सील व बुक की गई है, वार्ड वाइज ब्यौरा दें; और

(छ) क्या यह सत्य है कि विभाग द्वारा बुकड व सील्ड बिल्डिंगों में अभी भी गतिविधियां चल रही हैं, यदि हां, तो विभाग इसमें क्या कार्यवाही कर रहा है?

शहरी विकास मंत्री: (क) और (ख) दक्षिणी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस विषय में यह सूचित किया जाता है कि जब भी कोई

अवैध निर्माण विभाग के संज्ञान में आता है तो डीएमसी एक्ट के अनुसार उस अवैध निर्माण पर कार्यवाही की जाती है।

(ग) दक्षिणी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार एमपीडी 2021-यूनिफाईड बिल्डिंग बायलॉज के अनुसार कर सकते हैं।

(घ) दक्षिणी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार नए परिसीमन के अनुसार जून 2017 से 31.10.2021 तक पालक विधानसभा के 04 वार्डों में उपलब्ध रिकॉर्ड में 92 बेसमेंट विभाग द्वारा बुक किये गए हैं, जिसकी सूची अनुलग्नक 'क' पर संलग्न है।

(ङ) इस तरह का विवरण विभाग के रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है।

(च) जून 2017 से 30.11.2021

वार्ड	बुकिंग	सीलिंग
51	217	18
52	234	30
53	118	6
54	229	14

(छ) इस विषय में जब भी कुछ ऐसा संज्ञान में आता है तो सील टेपरिंग की एफआईआर कराई जाती है और 2017 से अब तक 297 पत्र संबंधित थाने में एफआईआर बुक करने के लिए भेजे गए हैं।

अनुलग्नक 'क'

LIST OF PROEPTIES HAVING BASEMENT AND BOOKED BY BUILD

FROM June 2017 (as per new de-limitation of war)

Sr. No.	U.C. Booking File No. & Dt.	Owner/ builder	Address of Property	Ward No.
1	2	3	4	5
1	F.No.208/B/UC/NG/17 Dated 12/6/2017	Owner/ builder	Prop. adjacent to RZ-A-6, Old Som Bazar Road, Mahavir Enclave	52
2	F.No.229/B/UC/NG/17 Dated 19/6/2017	Owner/ builder	P.No.G-249, Gali No.8, Vishwas Park	51
3	F.No.233/B/UC/NG/17 Dated 19/6/2017	Owner/ builder	P.No.K-15, Som Bazar Road, Vishwas Park, Rajapuri	51
4	F.No.259/B/UC/NG/17 Dated 23/6/2017	Lucky Jain	P.No.E-551, Palam Extn., Sec-7, Dwarka	54
5	F.No.295/B/UC/NG/17 Dated 17/7/2017	Bodh Raj	P.No.WZ-454-C, Raj Nagar-I, Main Road, Palam	54
6	F.No.307/B/UC/NG/17 Dated 17/7/2017	Chander Mohan Lamba	P.No.D-122, Madhu Vihar, Solanki Market	51
7	F.No.308/B/UC/NG/17 Dated 19/7/2017	Mukesh Solanki	P.No.B-11-12. Palam-Dabri Road, Mahavir Enclave	52
8	F.No.346/B/UC/NG/17 Dated 9/8/2017	Owner/ builder	Prop. opp. near to My Mart and Bikaner Sweets, Gurudwara road, Main Palam-Dabri Road, Mahavir Encl.	52
9	F.No.347/B/UC/NG/17 Dated 9/8/2017	Owner/ builder	P.No.B-8, Main Palam-Dabri Road, Mahavir Encl.	52

1	2	3	4	5
10	F.No.431/B/UC/NG/17 Dated 11/9/2017	Rajesh Aggarwal	P.No.B-2/38, Vijay Enclave, Mahavir Enclave	52
11	F.No.451/B/UC/NG/17 Dated 19/9/2017	Owner/ builder	Prop. opp. RZ-D-3/2-A, Vinodpuri, Vijay Enclave	52
12	F.No.502/B/UC/NG/17 Dated 23/10/2017	Owner/ builder	P.No.F-3, Vijay Enclave, Near Easy Day, Old Palam-Dabri Road, Mahavir Enclave	52
13	F.No.505/B/UC/NG/17 Dated 27/10/2017	Owner/ builder	P.No.C-353-354-355. Palam Kunj, Sec-7, Dwarka, Near Ramphal Chowk	54
14	F.No.530/B/UC/NG/17 Dated 2/11/2017	Owner/ builder	Prop, adjacent to RZ-B-91, Mahavir Enclave	52
15	F.No.569/B/UC/NG/17 Dated 2/11/2017	Satish Kumar	P.No.G-249, Gali No.8, Vishwas Park	51
16	F.No.570/B/UC/NG/17 Dated 2/11/2017	Owner/ builder	P.No.F-638, Palam Extn., Sec-7, Dwarka	54
17	F.No.575/B/UC/NG/17 Dated 3/11/2017	Ankit	P.No.C-11, Palam Extn., Sector-7, Dwarka	54
18	F.No.589/B/UC/NG/17 Dated 6/11/2017	Ghan Shyam Aggarwal	P.No.F-169/2, LHS Bharat Gas Agency, Pradhan Chowk, Sadh Nagar	53
19	F.No.591/B/UC/NG/17 Dated 6/11/2017	Owner/ builder	Prop. opp. WZ-456 and WZ-443-C, Main 60 ft. Road, Sadh Nagar, Palam (Opp. Gali No.2)	53
20	F.No.719/B/UC/NG/17 Dated 13/12/2017	Owner/ builder	Prop, adjacent to RZ-478/10, Gali No.45, Sadh Nagar-II	53

1	2	3	4	5
21	F.No.721/B/UC/NG/17 Dated 13/12/2017	Owner/ builder	P.No.C-353-354-355, Palam Kunj, Sec-7, Dwarka, Near Ramphal Chowk	54
22	F.No.728/B/UC/NG/17 Dated 20/12/2017	Owner/ builder	P.No.A-6, Mahavir Enclave, Mandir Marg	52
23	F.No.740/B/UC/NG/17 Dated 20/12/2017	Mr. Singhla	Prop, adjacent to D-14 (Jain Tiles), Main Kala Road, Rajapuri	51
24	F.No.741/B/UC/NG/17 Dated 20/12/2017	K.K. Saini	P.No.C-391, Palam Extn., Dwarka	54
25	F.NO.30/B/UC/NG/18 Dated 15/1/2018	Rameshwar, Mulchand, Suresh	P.No.4, Near Surya Garden, Data Ram Road, Palam, Sec-7, Dwarka	54
26	F.No.31/B/UC/NG/18 Dated 15/1/2018	Owner/ builder	P.No. 1, Data Ram Road, Palam, Sec-7, Dwarka	54
27	F.No.34/B/UC/NG/18 Dated 17/1/2018	Owner/ builder	Prop. opp. to Sidhant Hospital, Palam-Dabri Road, Mahavir Enclave	52
28	F.No.35/B/UC/NG/18 Dated 17/1/2018	Owner/ builder	Prop. adjacent to My Mart Mall, Palam-Dabri Road, Mahavir Enclave	52
29	F.No.50/B/UC/NG/18 Dated 17/1/2018	Owner/ builder	P.No.D-14, Main Road, Vishwas Park, Rajapuri	51
30	F.No.51/B/UC/NG/18 Dated 17/1/2018	Owner/ builder	P.No.G-255, Behind Petrol Pump, Main Road, Vishwas Park	51
31	F.No.52/B/UC/NG/18 Dated 17/1/2018	Owner/ builder	Prop, adjacent to D-14 (Jain Tiles), Main Kala Road, Rajapuri	51
32	F.No.75/B/UC/NG/18 Dated 2/2/2018	Owner/ guilder	P.No.E-7, Kali Badi Road, Bengali Colony, Mahavir Enclave	52
33	F.No.85/B/UC/NG/18 Dated 1/3/2018	Owner/ builder	P.No.C-357, Palam Extn., Ramphal Chowk	54

1	2	3	4	5
34	F.No.88/B/UC/NG/18 Dated 1/3/2018	Owner/ builder	P.No.B-53, adjacent to Tara Devi Medical Store, Dwarkapuri, Vijay Enclave	52
35	F.No.89/B/UC/NG/18 Dated 1/3/2018	Owner/ builder	P.No.E-11, Dwarkapuri, Vijay Enclave	52
36	F.No.90/B/UC/NG/18 Dated 1/3/2018	Owner/ builder	P.No.B-5, Palam-Dabri Road, Mahavir Enclave	52
37	F.No.130/B/UC/NG/18 Dated 19/3/2018	Harish Vats	Plot No.611, Palam Colony Road, Near SBI Bank	54
38	F.No.139/B/UC/NG/18 Dated 30/3/2018	Owner/ builder	P.No.D-225, Madhu Vihar, Rajapuri, Madhu Vihar	51
39	F.No.216/B/UC/NG/18 Dated 5/6/2018	Vikas	P.No.K-78, Main Rajapuri Red Light, Madhu Vihar	51
40	F.No.228/B/UC/NG/18 Dated 8/6/2018	Praveen Jain	P.No.RZ-153, Gali No.2, Sadh Nagar	53
41	F.No.258/B/UC/NG/18 Dated 11/6/2018	Owner/ builder	P.No.E-59, Vijay End., Dwarka, Mahavir Enclave	52
42	F.No.260/B/UC/NG/18 Dated 11/6/2018	Owner/ builder	P.No.M-49, Vijay End., Mahavir Enclave	52
43	F.No.261/B/UC/NG/18 Dated 11/6/2018	Owner/ builder	P.No.L-208-209, Vijay End., Mahavir Enclave	52
44	F.No.354/B/UC/NG/18 Dated 17/7/2018	Owner/ builder	Prop, adjacent to TVS Showroom, Main Road, Rajapuri	51
45	F.No.401/B/UC/NG/18 Dated 19/7/2018	Owner/ builder	P.No.B-160, Palam Extn., Sec-7, Dwarka	54
46	F.No.407/B/UC/NG/18 Dated 19/7/2018	Owner/ builder	P.No.A-79, Palam, Sec-7, Dwarka	54

1	2	3	4	5
47	F.No.415/B/UC/NG/18 Dated 19/7/2018	Owner/ builder	Plot No.93. Harijan Basti, Ramphal Chowk, Palam	54
48	F.No.417/B/UC/NG/18 Dated 19/7/2018	Ishwar Singh	P.No.WZ-289, Chautial Mohalla, Palam Village	54
49	F.No.419/B/UC/NG/18 Dated 19/7/2018	Naresh Aggarwal	Prop, adjacent to WZ-8, Palam Thana Road, Palam	54
50	F.No.494/B/UC/NG/18 Dated 7/8/2018	Rameshwar, Mulchand	P.No.4, Near Surya Garden, Data Ram Road, Palam, Sec-7, Dwarka	54
51	F.No.495/B/UC/NG/18 Dated 7/8/2018	Owner/ builder	P.No.I, Data Ram Road, Palam, Sec-7, Dwarka	54
52	F.No.564/B/UC/NG/18 Dated 8/8/2018	Owner/ builder	P.No.RZ-1/11, Vijay Enclave, Mahavir Enclave	52
53	F.No.604/B/UC/NG/18 Dated 20/8/2018	Owner/ builder	P.No.A-160 (adjacent to A-161), Palam Extn., Near Ramphal Chowk, Sec-7, Dwarka	54
54	F.No.605/B/UC/NG/18 Dated 20/8/2018	Owner/ builder	Prop, adjacent to E-1/29, Ramphal Chowk, Palam Extn., Sec-7, Dwarka	54
55	F.No.617/B/UC/NG/18 Dated 20/8/2018	Owner/ builder	Prop, adjacent to WZ-8, Palam Thana Road, Palam	54
56	F.No.636/B/UC/NG/18 Dated 20/8/2018	Owner/ builder	Prop, adjacent to G-40-A, Palam Extn., Sec-7, Dwarka	54
57	F.No.728/B/UC/NG/18 Dated 21/8/2018	Owner/ builder	Prop. opp. WZ-57, Palam Village, Near Gaur Chowk, Thana Road	53
58	F.No.944/B/UC/NG/18 Dated 1/10/2018	Lala Lekh	Prop, adjacent to 11-G, Palam Thana Road, Palam	54

1	2	3	4	5
59	F.NO.1002/B/UC/NG/18 Dated 26/11/2018	Owner/ builder	P.No.E-1079 & E-1080 (Kali Ghata), Ramphal Chowk, Palam	54
60	F.NO.1047/B/UC/NG/18 Dated 6/12/2018	Owner/ builder	P.No.A-50-51, Gali No.4, Main Rajapuri Road (Opp. Sunil Dairy), Uttam Nagar	51
61	F.NO.1072/B/UC/NG/18 Dated 14/12/2018	Owner/ builder	P.No.B-53, adjacent to Tara Devi Medical Store, Dwarkapuri, Vijay Enclave	52
62	F.No.52/B/UC/NG/19 Dated 28/1/2019	Owner/ builder	Prop, adjacent to IDBI Bank, Main Dabri-Palam Road	52
63	F.No.284/B/UC/NG/19 Dated 6/5/2019	Owner/ builder	Prop, adjacent to RZ-2-A/3, Puran Nagar, Palam	54
64	F.No.416/B/UC/NG/19 Dated 12/7/2019	Owner/ builder	P.No.D-408, Main Road (Ramphal Chowk), Opp. Vishal Mega Marg, Palam Extn.	54
65	F.No.599/B/UC/NG/19 Dated 14/10/2019	Rajeev Verma	P.No.G-251-252, Rajapuri Market, Behind Sec-3, Dwarka	51
66	F.No.613/B/UC/NG/19 Dated 19/10/2019	Owner/ builder	P.No.G-256 (oldNo.20), Rajapuri, Uttam Nagar	51
67	F.No.614/B/UC/NG/19 Dated 19/10/2019	Owner/ builder	P.N0.D-6, Main Rajapuri (adjacent RHS to Rao Glass House & Alluminium), Rajapuri	51
68	F.NO.630/B/UC/NG/19 Dated 22/11/2019	Owner/ builder	P.No.WZ-193, Main Palam Road, Ram Chowk, Sadh Nagar	53
69	F.No.694/B/UC/NG/19 Dated 16/12/2019	Owner/ builder	Prop. opp. J-81 (Yadav Steel), Main Rajapuri Road, Uttam Nagar	51

1	2	3	4	5
70	F.No.719/B/UC/NG/19 Dated 26/12/2019	Owner/ builder	Prop, at Old Dada Dev Dharmkanta, Opp. SBI, Rajapuri, Sec-3, Dwarka	51
71	F.No.84/B/UC/NG/20 Dated 27/1/2020	Owner/ builder	Prop, near Kidney Hospital & Stone Centre, Palam-Dabri Road, Mahavir Enclave	52
72	F.No.86/B/UC/NG/20 Dated 27/1/2020	Owner/ builder	Prop, adjacent to Gagan Handloom, Palam-Dabri Road, Mahavir Enclave	52
73	F.No.120/B/UC/NG/20 Dated 17/2/2020	Owner/ builder	Plot No.8, Khasra No.107/17/2, Block-K-1, Rajapuri, Uttam Nagar	51
74	F.No.121/B/UC/NG/20 Dated 17/2/2020	Rajeev Verma	P.No.G-251-252. Raiapuri Market, Behind Sec-3, Dwarka	51
75	F.No.156/B/UC/NG/20 Dated 7/3/2020	Dr. Dinesh Chandra Upadhyay	P.No.F-82-A/83, Gali No.2, Vishwash Park, Uttam Nagar	51
76	F.No.205/B/UC/NG/20 Dated 22/5/2020	Owner/ builder	Prop. Adjacent to RZ-B-16, Mahavir Enclave	52
77	F.No.246/B/UC/NG/20 Dated 15/6/2020	Owner/ builder	P.No.RZ-1/2 _T Main Road, Palam Colony, Opp. Flyover Pillar No. 40, Raj Nagar-I	54
78	F.No.312/B/UC/NG/20 Dated 3/7/2020	Owner/ builder	H.No.27, Khasra No.70/7/1, 14/1, 14/2, Adil Bagh, Palam	54
79	F.No.386/B/UC/NG/20 Dated 1/9/2020	Owner/ builder	Property Opp. Vijay Sales, Palam Extn., Sec-7, Dwarka	54
80	F.No.4/B/UC/NG/21 Dated 4/1/2021	Owner/ builder	Prop. adj. to K-1, Gali No. 15, Rajapuri	51
81	F.No.Io/B/UC/NG/21 Dated 4/1/2021	Owner/ builder	P.No.H-3/24 (backside), Bengali Colony, Mahavir Enclave	52

1	2	3	4	5
82	F.No.14/B/UC/NG/21 Dated 8/1/2021	Owner/ builder	Property adi. to RZ-I/1 (Shankar Cloth & Garments, Ashu Electrical, Saraswati Library), Main Road, Palam Colony	54
83	F.No.63/B/UC/NG/21 Dated 11/2/2021	S.K. Sharma	Prop. No.A-1/7, Vijay Enclave, Palam-Dabri Road	52
84	F.No.94/B/UC/NG/21 Dated 26/2/2021	Owner/ builder	P.No.B-18, Mahavir Enclave, Palam-Dabri Road, Near Dashrathpuri Metro Station's Gate No.3	52
85	F.No.188/B/UC/NG/21 Dated 10/6/2021	Owner/ builder	Property adj. to Plot No. 150, Palam Extn., Sector-7, Ramphal Chowk Road	54
86	F.No.195/B/UC/NG/21 Dated 10/6/2021	Owner/ builder	Property adj. to BR Hardware & Sanitary Shop, Rajapuri Market, Main Road	51
87	F.No.209/B/UC/NG/21 Dated 18/6/2021	Owner/ builder	Property adi. to RZ-T/1 (Shankar Cloth & Garments, Ashu Electrical, Saraswati Library), Main Road, Palam Colony	54
88	F.No.297/B/UC/NG/21 Dated 23/7/2021	Owner/ builder	P.No.RZ-F-140/22, Opp. F-170, GaliNo.38, SadhNagar	53
89	F.No.313/B/UC/NG/21 Dated 30/7/2021	Owner/ builder	P.No.H-3/24 (backside), Bengali Colony, Mahavir Enclave	52
90	F.No.314/B/UC/NG/21 Dated 30/7/2021	Rahul Gupta	P.No.FT-3/24-A. Bengali Colony, Mahavir Enclave	52
91	F.No.350/B/UC/NG/21 Dated 16/8/2021	Owner/ builder	Property adj. to RZ-11-G (opp. PS Palam), Puran Nagar	54
92	F.No.463/B/UC/NG/21 Dated 14/10/2021	Owner/ builder	P.No.H-1/54, Bengali Colony, Mahavir Enclave	52

ING DEPARTMENT, NAJAFGARH ZONE ds) to 31/10/2021

Ms. Bhawna Gaur

Details of Booking [Extent of U.C. (Unauthorized construction)]	Remarks
1	2
U.C. in the shape of Basement, GF, FF	Basement
U.C. at Basement, GF	Basement
U.C. in the shape of Basement, GF, FF, SF	Basement
U.C. at GF, FF, SF, 3rd floor and 4th floor (Basement floor already booked vide F.No.46 dt. 17/2/17)	Basement
U.C. at Basement	Basement
U.C. at FF (Basement, GF old & occupied)	Basement
U.C. at GF, FF, SF, 3rd floor (Basement already booked vide U.C. F.No.80 dt. 27/2/17)	Basement
U.C. in the shape of Basement, GF, FF, SF, 3rd floor, as per sketch	Basement
U.C. in the shape of Basement, GF, FF, SF, 3rd floor	Basement
U.C. in the shape of Basement, GF	Basement
U.C. in the shape of Basement, GF, FF, SF	Basement
U.C. in the shape of Basement	Basement
U.C. in the shape of Basement raising columns	Basement
U.C. in the shape of Basement	Basement
U.C. of FF, SF, 3rd floor, 4th floor (Basement, GF already booked vide F.No.229 dt. 19/6/17)	Basement
U.C. in the shape of Lift and Staircase at Basement, Stilt, GF, FF in old constructed building	Basement

1	2
U.C. at Basement	Basement
U.C. at Basement	Basement
U.C. by raising of columns at Basement	Basement
U.C. in the shape of Basement, Stilt, GF, FF, SF, 3rd -floor occupied (already booked vide F.No.505 dt. 12/8/15)	Basement
U.C. in the shape of Basement, GF, FF, SF and raising columns at 3rd floor	Basement
U.C. in the shape of Basement, GF	Basement
U.C. in the shape of Basement	Basement
U.C. at Basement	Basement
U.C. at Basement	Basement
U.C. at Basement	Basement
U.C. in the shape of Basement, GF, FF	Basement
U.C. in the shape of Basement, GF, FF	Basement
U.C. at Basement	Basement
U.C. at Basement	Basement
U.C. at GF and raising of columns at FF (Basement already booked vide U.C. F.No.740 dt. 20/12/17)	Basement
U.C. in the shape of Basement, GF, FF, SF, 3rd floor	Basement
U.C. in the shape of Basement, GF, FF, SF, 3rd floor	Basement
U.C. in the shape of Basement, GF	Basement
U.C. in the shape of Basement, GF	Basement
U.C. in the shape of Basement, GF	Basement
U.C. in the shape of Basement, GF, FF	Basement

1	2
U.C. in the shape of Basement, GF, FF	Basement
U.C. at Basement (slab of 15'x10") and U.C. at backside in shape of tin shed	Basement
U.C. in the shape of Basement, GF, FF, SF, 3rd floor	Basement
U.C. in the shape of Basement, GF, FF, SF	Basement
U.C. in the shape of Basement, GF, FF, SF	Basement
U.C. in the shape of Basement, GF, FF	Basement
U.C. in the shape of Basement, GF, FF	Basement
U.C. in the shape of Basement, GF, FF, SF	Basement
U.C. in the shape of Basement, GF, FF, SF, 3rd floor, 4th floor	Basement
U.C. in the shape of Basement	Basement
U.C. in the shape of Basement, GF	Basement
U.C. in the shape of digging Basement	Basement
U.C. in the shape of GF, FF, SF, 3rd floor (Basement has been already booked vide F.No.30 dt. 15/1/18)	Basement
U.C. in the shape of GF, FF, SF, 3rd floor (Basement has been already booked vide F.No.31 dt. 15/1/18)	Basement
U.C. in the shape of Basement, GF, FF, SF, 3rd floor, 4th floor	Basement
U.C. in the shape of Basement, GF, FF, SF, 3rd floor, 4th floor	Basement
U.C. in the shape of Basement, GF, FF, SF, 3rd floor entire	Basement
U.C. in the shape of Basement and columns & brick wall at GF (booked in continuous of F.No.419dt. 19/7/18)	Basement
U.C. in the shape of Basement, GF, FF, SF, 3rd floor, 4th floor	Basement
U.C. in the shape of Basement, GF, FF	Basement

1	2
U.C. in the shape of Basement, GF, FF, SF, 3rd floor	Basement
U.C. in the shape of Basement, GF, FF, SF, 3rd floor, 4th floor	Basement
U.C. in the shape of Basement, GF, FF, SF, 3rd floor	Basement
U.C. in the shape of FF (Basement, GF already booked vide F.No.88 dt. 1/3/18)	Basement
U.C. in the shape of Basement, GF	Basement
U.C. in the shape of Basement	Basement
U.C. at 3rd floor (Basement, GF, FF, SF old & occupied)	Basement
U.Q. in the shape of FF (Basement, GF old & occupied)	Basement
U.C. in the shape of only basement floor	Basement
U.C. in the shape of Basement, GF, FF, SF	Basement
U.C. in the shape of Basement, GF, FF	Basement
U.C. in the shape of Basement, GF, FF, SF	Basement
U.Cf. in the shape of Basement, GF, FF, SF	Basement
U.C. in the shape of Basement	Basement
U.C. in the shape of Basement, GF, FF, SF	Basement
U.C. in the shape of Basement, GF, FF, SF, 3rd floor	Basement
U.C. in the shape of SF, 3rd floor (booked in continuation of F.No.599 dt. 14/10/19) Basement, GF old & occupied	Basement
U.C. in the shape of 4th floor (Basement, GF, FF, SF, 3rd floor old & occupied)	Basement
U.C. in the shape of Basement, GF, FF, SF	Basement
U.C. in the shape of raising of columns at Basement floor	Basement

1	2
U.C. in the shape of Basement, GF, FF	Basement
U.C. in the shape of Basement, GF, FF (old & occupied), SF, 3rd floor (new)	Basement
U.C. in the shape of Basement, GF, FF, SF	Basement
U.C. in the shape of Basement and raising columns & shuttering for stilt floor	Basement
U.C. in the shape of Basement, GF. Booked in continuation of File No.485 dt. 18/11/20	Basement
U.C. in the shape of Basement and raising of walls & columns for GF	Basement
U.C. in the shape of Basement, GF	Basement
U.C. in the shape of FF (Basement, GF old & occupied)	Basement
U.C. in the shape of Basement, GF, FF, SF	Basement
U.C. in the shape of Basement, GF, FF, SF. Booked in continuation of booking No.485 dt. 18.11.20 & 14 dt. 8.1.21	Basement
U.C. in the shape of Basement (half), GF, FF, SF, 3rd floor	Basement
U.C. in the shape of Stilt, GF, FF (Basement already booked vide F.No. 10/21)	Basement
Deviation/excess coverage against sanction bldg. plan ID No. 10076937 at Stilt, GF, FF (Basement already booked vide F.No. 11/21)	Basement
U.C. in the shape of Basement, GF	Basement
U.C. in the shape of entire SF, 3rd floor and 04 rooms & toilet on terrace. U.C. at Basement, Stilt, GF, FF already booked vide U.C. File No.09 dated 9/1/2017	Basement

91. सुश्री भावना गौड: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि पालम विधानसभा के अंतर्गत पड़ने वाली दो सड़कें जो एमसीडी के अंतर्गत आती हैं उन सड़कों के फुटपाथ पर स्थाई अथवा अस्थाई ढाँचे बनाये गये हैं;

(ख) इनमें कितने स्थाई हैं तथा कितने अस्थाई, पूर्ण विवरण दें;

(ग) क्या फुटपाथ पर स्थाई अथवा अस्थाई ढाँचे लग सकते हैं;

(घ) यदि नहीं, तो यह किसकी अनुमति से लगे हैं;

(ङ) क्या यह फुटपाथ पर पैदल पथिकों के मौलिक अधिकार का हनन नहीं है; और

(च) यदि हाँ, तो इन्हें हटाने की सरकार की क्या योजना है और यह कितने निश्चित समय सीमा के अंतर्गत हटा दिये जाएंगे?

शहरी विकास मंत्री: (क) दक्षिणी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार पालम विधानसभा के अंतर्गत आने वाली जो सड़कें दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत आती हैं उन सड़कों के फुटपाथों पर यदि स्थाई/अस्थाई अतिक्रमण संज्ञान में आता है तो उस पर डीएमसी एक्ट, 1957 के प्रावधानों अनुसार उचित कार्यवाही की जाती है।

(ख) इस तरह का कोई विवरण उपलब्ध नहीं है।

(ग) से (च) डीएमसी अधिनियम 1957 के खण्ड 317 के अनुसार सार्वजनिक जगह पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण निषेध है।

92. सुश्री भावना गौड: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि पालम विधानसभा के अंतर्गत पड़ने वाले पालम गांव व इसके आसपास की समस्त ग्रामसभा एक नोटिफिकेशन के द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण को हस्तांतरित की जा चुकी है;

(ख) यदि हाँ, तो इनका पूर्ण विवरण दें;

(ग) क्या इन सभी भूमि पर डीडीए द्वारा अपनी चारदीवारी की गई है;

(घ) क्या यह सत्य है कि पालम मेट्रो के निर्माण के समय मेट्रो विभाग ने कुछ भूमि डीडीए से अपना रखने हेतु किराये पर ली थी, यदि हाँ, तो इससे संबंधित संपूर्ण विवरण उपलब्ध कराये;

(ङ) क्या यह भूमि मेट्रो ने डीडीए को वापस कर दी है, यदि हाँ, तो कब; और

(च) डीडीए द्वारा कितना किराया मेट्रो से लिया गया, और अभी इस भूमि की क्या स्थिति है?

शहरी विकास मंत्री: (क) उप-मंडलीय (राजस्व)-नोटिफिकेशन दिनांक 24-10-1994 के तहत पालम विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सभी गांव शहरीकृत घोषित किए जा चुके हैं तथा नोटिफिकेशन दिनांक 20-08-2002 u/s 22(1) दिल्ली विकास प्राधिकरण अधिनियम के तहत समस्त ग्राम सभा भूमि का कब्जा

दिल्ली विकास प्राधिकरण को दे दिया गया है (प्रतिलिपि संलग्न)। अतः जानकारी दिल्ली विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित है।

(ख) और (ग) उप-मंडलीय (राजस्व)-जानकारी दिल्ली विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण: दिल्ली विकास प्राधिकरण को प्रश्न भेजा था, परन्तु दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अपने पत्र सं. एफ.5 (3)/मिस./2015/पी एंड सी/वीएस/769 दिनांक 2 अगस्त, 2018, को सूचित किया है कि-दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 29 के साथ पठित अनुच्छेद 239ए ए(3) और (4) में निहित प्रावधानों को देखते हुए विधानसभा के स्पीकर वैधानिक रूप से किसी आरक्षित विषय पर कोई प्रश्न स्वीकार नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त यह भी बताया जाता है कि यदि दि.वि.प्रा. के सम्बन्ध में सभा द्वारा उठाये गये प्रश्नों के उत्तर अपेक्षित हैं, तो उन्हें आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से भेजा जाना चाहिए, क्योंकि दिल्ली विकास प्राधिकरण केन्द्र सरकार के नियंत्रण में कार्य करता है। (प्रतिलिपि संलग्न है)

(घ) दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि. से प्राप्त जानकारी के अनुसार 10294.53 वर्ग मीटर भूमि पर डीडीए के पत्र दिनांक 13.08.2012 द्वारा अस्थायी आधार पर डीएमआरसी को कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई।

(ङ) दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि. जी नहीं।

(च) दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि. से प्राप्त जानकारी के अनुसार डीडीए द्वारा अस्थायी भूमि का औपचारिक आवंटन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए

डीएमआरसी द्वारा डीडीए को अभी तक कोई भी पट्टा किराया का भुगतान नहीं किया गया है। भूमि की वर्तमान स्थिति का विवरण इस प्रकार है:-

भूमि का क्षेत्रफल	भूमि की वर्तमान स्थिति
777.35	इस भूमि पर डीडीए द्वारा चारदीवारी का निर्माण किया जा चुका है तथा अभी यह भूमि डीडीए के कब्जे में है।
3248.23 वर्ग मीटर	डीएमआरसी के कार्य निष्पादन के दौरान इस भूमि का तथाकथित मालिक कोर्ट में केस जीत गया है और इस भूमि पर कब्जा कर लिया है। डीएमआरसी ने डीडीए को इस विषय में सूचित कर दिया है डीएमआरसी ने इस संबंध में पुलिस को सूचना दे दी है।
6268.95 वर्ग मीटर	• 3542.13 वर्ग मीटर भूमि स्थायी तौर पर डीडीए से कार पार्किंग के निर्माण के लिए मांगी गयी है, जिसका स्थायी आवंटन डीडीए से किया जाना है। • 2726.82 वर्ग मीटर भूमि, जिस पर एमएआई मॉडल का निर्माण किया जा चुका है, तथानुसार डीडीए को सूचित कर दिया है।

(TO BE PUBLISHED IN PART-IV OF DELHI EXTRA ORDINARY GAZETTE
GOVERNMENT OF NCT OF DELHI : LAND & BUILDING DEPARTMENT
Notification

Dated: 19.11.2021

No. F.1(172/LM/2001/L&B: Whereas the Municipal Corporation of Delhi vide the notification No. F.33/Engg. IP (DP) 11424/94, dated 24th October, 1994 have declared the villa as mentioned under column No. 3 of the schedule annexed below as urban.

And whereas by virtue of the operation of section 150(3) of the Delhi Land Refer Act, the Gaon Sabha land of the said villages have been vested in the Central Government.

And whereas the Central Governments powers under sub-section (1) of Section 22 of Delhi Development Act, 1957 have been vested in the LL Governor Delhi vide the Ministry Works & Housing's Notification No. K11011/15/71AIDI dated the 5th February, 1972.

And whereas the terms and conditions upon which land is being placed at the disposal DDA have been agreed upon by the said Authority vide as Resolution No. 114 dated the 10th 1961, the LL Governor, Delhi is pleased to place the Gaon Sabha land of the villages at under column No. 3 of the Schedule annexed below at the disposal of Delhi Development Authority for the purpose of development in accordance with the provision of the said Act.

SCHEDULE

Sl.No.	Name of the zone	Name of the Revenue Estate
1	2	3
1.	Najafgarh	1. Palam 2. Mirzapur 3. Dabari 4. Nasirpur 5. Sagarpur 6. Bagdola 7. Sahupura 8. Matiala 9. Bindapur 10. Kakrola 11. Loharhari 12. Toganpur 13. Amberhal 14. Shahbad Mohammadpur 15. EBharthal 16. Nawada 17. Pochanpur 18. Bannoll 19. Dhulsrss 20. Bijwasan
		By order and in the name of Lt. Governor National Capital Territory of Delhi. (Z.U. SIDDIQUI)

Copy forwarded for information and necessary action to:

1. The Commissioner LM-I Delhi Development Authority Vikas Sadan, New Delhi.
2. The Secretary to L.G. with reference to the directions of the Hon'ble LT-Governor in this meeting on 19/8.02.

(Z.U. SIDDIQUI)
JOINT SECRETARY
LAND & BUILDING DEPT.
GOVT. OF NCT OF DELHI

कब्जा कार्यवाही गाँव सभा भूमि गाँव पालम

आज दिनांक 03.10.08 को मुताबिक आदेश खण्ड विकास अधिकारी नजफगढ़ दिनांक 25.09.08 के अनुसार मौका गाँव पालम वाबत देने कब्जा गाँव सभा भूमिक का मौका दर पहुँचा। मौका पर दिल्ली प्रशासन की ओर से श्री प्रवीण कुमार पटवारी व दिल्ली विकास प्राधिकरण की ओर से श्री वेदप्रकाश तहसीदार व श्री हर्षवर्धन पटवारी नया पट्टा पश्चिम क्षेत्र हाजिर मिले।

दिल्ली प्रशासन के राजस्व विभाग के पटवारी की इमदाद से गाँव सभा भूमि का मौका देखा गया। मौका पर नक्बरीज खसरा 32/7/1 (0.15), 7/2 (2-04), 7/3 (0-08), 8/1 (0-16), 32/9mm 1.0, 154(3-03), 33/2/2mm (3-02), 9/2mm (3-00), 8/1(3-02), 12/1(3-18), 33/13/1 (2-15), 14(3-15), 123(12-00), 122(10-12) कुल रकबा (50-10) जो कि मौका पर खाली पाया गया। का कब्जा श्री वेदप्रकाश दिल्ली विकास प्राधिकरण के हवाले किया गया।

इसके अलावा नम्बरान खसरा 70/3/3 (0-10), 87/19(4-11), 87/23/1(2-16), 87/23/2(1-0) कुल रकबा (8-17) मुताबिक रिकार्ड माल रपट रोजनामचा न. 218/3.5.03 ग्राम पालम आपदा आदेश तहसीदार पालम व फैसला दिल्ली हाई कोर्ट केस नं. 12/97 दिनांक 14/5/2002 दीवान चद्र बनाम U.O.I. आदि status Quo दर्ज करने के आदेश हुए हैं। इसका कब्जा बाद में कोर्ट के आदेश के आने के बाद दिया जाएगा।

Ved Parkash

Teh. (DDA)

3-10-03

**दिल्ली विकास प्राधिकरण
(आयुक्त एवं सचिव कार्यालय)
ब्लॉक-बी, विकास सदन, आई.एन.ए., नई दिल्ली-110023**

सं. एफ 5(3)/मिस./2015/पी एंड सी/वीएस/760 दिनांक: 2 अगस्त, 2018
सेवा में,

श्री संदीप मिश्रा,
विशेष सचिव (संसद अनुभाग),
शहरी विकास विभाग, रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार,
9वां तल, सी.विंग, दिल्ली सचिवालय,
आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002

विषय: छोटी दिल्ली विधानसभा के 7वें सत्र के दूसरे भाग में दिनांक
07/06/2018 को उठाए गए अतारांकित प्रश्न के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में दिनांक 09/07/2018 के अपने पत्र सं. 52 (यू.एस.क्यू.)/बजट रोशन-सैकंड-जून-2018/दिल्ली असेंबली/यू.डी./डी 7175, 7176 का अवलोकन करें, जिसकी संदर्भ से एफ.यू.एस.क्यू./बजट रोशन II जून 2018/दिल्ली असेंबली/यू.डी./डी.-6983-43 (यू.एस.क्यू.-80), 6925 34 (क्यू.एस.क्यू. 78), 6977 80(यू.एस.क्यू. 89) तथा 6901 6904 (यू.एस.क्यू. 70) दिनांक 29/05/2018 तथा अनुपूरक फर्स्ट डी 7066 से 7068 दिनांक 13/06/2018 है, जिसके द्वारा संदर्भित विषय पर उत्तर तैयार करने के लिए विभाग की उपयुक्त सामग्री प्रेषित करने के लिए कहा गया था।

इस संबंध में, यह बताया जाता है कि संविधान के अनुच्छेद 239ए ए(3) (क) के अनुसार विधानसभा के पास राज्य सूची अथवा समवर्ती सूची में आने

वाले किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है, केवल उन मामलों को छोड़कर जो राज्य सूची की प्रविष्टि 1, 2 तथा 18 से संबंधित हैं तथा सूची की प्रविष्टि 64, 65 तथा 66 से कुछ हद तक संबंधित हैं क्योंकि ये उक्त प्रविष्टि 1, 2 तथा 18 से संबंधित हैं। अतः आरक्षित विषयों अर्थात् प्रविष्टि 1, 2 तथा 18 में उल्लिखित विषयों पर राज्य सरकार के पास न तो कानून बनाने की शक्तियां हैं और न ही कार्यकारी कार्रवाई करने की शक्तियां। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 29 में यह वर्णित है कि प्रश्नों की विषय सामग्री प्रशासन के मामलों से संबंधित होनी चाहिए, जिसके लिए सरकार उत्तरदायी है।

अतः दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 29 के साथ पठित अनुच्छेद 239ए ए(3) और (4) में निहित प्रावधानों को देखते हुए, विधानसभा के स्पीकर वैधानिक रूप से किसी आरक्षित विषय पर कोई प्रश्न स्वीकार नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त यह भी बताया जाता है कि यदि दि.वि.प्रा. के संबंध में सभा द्वारा उठाए गए प्रश्नों के उत्तर अपेक्षित हैं, तो उन्हें आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से भेजा जाना चाहिए क्योंकि दि.वि.प्रा. केन्द्र सरकार के नियंत्रण में कार्य करता है।

तथापि, रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार के विकास कार्य और सार्वजनिक कल्याण में दि.वि.प्रा. की भूमिका से संबंधित मामलों के संबंध में दि.वि.प्रा. रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार से प्राप्त पत्राचार के उत्तर देना जारी रखेगा।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(डी. सरकार)

आयुक्त एवं सचिव

93. श्री पवन शर्मा: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि धीरपुर प्रोजेक्ट के अन्तर्गत धीरपुर में 25.38 हैक्टेयर भूमि पर वॉटर लैंड पार्क का निर्माण/पुनरूद्धार कार्य डीडीए एवं सेंटर फॉर अर्बन इकोलॉजी एंड संस्टेनोबिलिटी के संयुक्त प्रयास से होना था;

(ख) यदि हाँ, तो इस प्रोजेक्ट को कब तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है, पूर्ण विवरण दें;

(ग) अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफार्मेशन योजना (अमृत) के अन्तर्गत जल नेटवर्क तक घरों की पहुँच बढ़ाने के लिए स्वीकृत परियोजनाओं की विधानसभा वाइज स्थिति क्या है;

(घ) कार्यादेश में उल्लिखित समय सीमा के अंदर कितने प्रतिशत परियोजनाएं पूर्ण हुई; और

(ङ) उपरोक्त योजना के अन्तर्गत आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में भी कोई परियोजना चल रही है, यदि हाँ, तो उक्त परियोजना की स्थिति क्या है?

शहरी विकास मंत्री: (क) और ख) **दिल्ली विकास प्राधिकरण:** दिल्ली विकास प्राधिकरण को प्रश्न भेजा गया था, परन्तु दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अपने पत्र सं. एफ.5 (3)/मिस./2015/पी एंड सी/वीएस/769 दिनांक 2 अगस्त, 2018, को सूचित किया है कि-दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 29 के साथ पठित अनुच्छेद 239ए ए(3) और (4) में निहित प्रावधानों को देखते हुए विधानसभा के स्पीकर वैधानिक रूप से किसी आरक्षित विषय पर कोई प्रश्न स्वीकार नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त

यह भी बताया जाता है कि यदि दि.वि.प्रा. के सम्बन्ध में सभी द्वारा उठाये गये प्रश्नों के उत्तर अपेक्षित हैं, तो उन्हें आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से भेजा जाना चाहिए, क्योंकि दिल्ली विकास प्राधिकरण केन्द्र सरकार के नियंत्रण में कार्य करता है। (प्रतिलिपि संलग्न है)

(ग) अटल मिशन फॉर रेजुवेनशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन (अमृत) के अंतर्गत अब तक 27 परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं जिसमें से 10 परियोजनाएं घरों तक जल नेटवर्क की पहुंच बढ़ाने के लिए स्वीकृति की गई है, इन 10 परियोजनाओं की विधानसभा वाइज स्थिति इस प्रकार है:-

क्र. सं.	परियोजना का नाम	विधानसभा क्षेत्र	परियोजना की भौतिक प्रगति (%)
1	Replacement of old 900 mm dia PSC duplicate main from Majnoo ka Teela (Pontoon Pul) to Rajghat, old Fort to GK UGR and 800 mm dia Okhla main from Barapullah nallah to Okhla WTP.	AC-54 (ओखला)	93%
2	P/L/J water supply distribution network in B to G Block Sonia Vihar Karawal Nagar.	AC-70 (करावल नगर)	100%
3	P/L/J water supply distribution network in village Sabhapur Extended Abadi under, Karawal Nagar.	AC-70 (करावल नगर)	100%

4	P/L/J water supply distribution network in Shri Ram Colony, Rajiv Nagar under Karawal Nagar.	AC-70 (करावल नगर)	100%
5	P/L/J feeder and peripheral water mains in the command of 26.80 ML UGR/BPS, Sonia Vihar	AC-70 (करावल नगर)	100%
6	Construction of 5.90 MG (26.80 ML) UGR/BPS at Sonia Vihar.	AC-70 (करावल नगर)	100%
7	P/L/J Feeder main for 8.17 MG capacity MBR at Palla emanating from Ranney wells and Tube wells.	AC-01 (नरेला)	100%
8	Rejuvenation of Shahadra Jheel	AC-64 (जितेंद्र महाजन)	83%
9	Construction of 37.10 ML (8.17 MG) capacity MBR and BPS at Palla. Nagar.	AC-01 (नरेला)	31%
10	Providing and fixing of AMR Meter	New Delhi Municipal Council's area (NDMC area)	0%

(घ) उपरोक्त 10 परियोजनाओं में से 6 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं परन्तु इन 6 पूर्ण परियोजनाओं में से कोई भी अपने कार्यादेश में उल्लेखित समय सीमा के अंदर नहीं हुए।

(ङ) जी नहीं।

दिल्ली विकास प्राधिकरण
(आयुक्त एवं सचिव कार्यालय)
ब्लॉक-बी, विकास सदन, आई.एन.ए., नई दिल्ली-110023

सं. एफ 5(3)/मिस./2015/पी एंड सी/वीएस/760 दिनांक: 2 अगस्त, 2018
सेवा में,

श्री संदीप मिश्रा,
विशेष सचिव (संसद अनुभाग),
शहरी विकास विभाग, रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार,
9वां तल, सी.विंग, दिल्ली सचिवालय,
आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002

विषय: छोटी दिल्ली विधानसभा के 7वें सत्र के दूसरे भाग में दिनांक
07/06/2018 को उठाए गए अतारांकित प्रश्न के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में दिनांक 09/07/2018 के अपने पत्र सं. 52 (यू.एस.क्यू.)/बजट रोशन-सैकंड-जून-2018/दिल्ली असेंबली/यू.डी./डी 7175, 7176 का अवलोकन करें, जिसकी संदर्भ से एफ.यू.एस.क्यू./बजट रोशन II जून 2018/दिल्ली असेंबली/यू.डी./डी.-6983-43 (यू.एस.क्यू.-80), 6925 34 (क्यू.एस.क्यू. 78), 6977 80(यू.एस.क्यू. 89) तथा 6901 6904 (यू.एस.क्यू. 70) दिनांक 29/05/2018 तथा अनुपूरक फर्स्ट डी 7066 से 7068 दिनांक 13/06/2018 है, जिसके द्वारा संदर्भित विषय पर उत्तर तैयार करने के लिए विभाग की उपयुक्त सामग्री प्रेषित करने के लिए कहा गया था।

इस संबंध में, यह बताया जाता है कि संविधान के अनुच्छेद 239ए ए(3) (क) के अनुसार विधानसभा के पास राज्य सूची अथवा समवर्ती सूची में आने

वाले किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है, केवल उन मामलों को छोड़कर जो राज्य सूची की प्रविष्टि 1, 2 तथा 18 से संबंधित हैं तथा सूची की प्रविष्टि 64, 65 तथा 66 से कुछ हद तक संबंधित हैं क्योंकि ये उक्त प्रविष्टि 1, 2 तथा 18 से संबंधित हैं। अतः आरक्षित विषयों अर्थात् प्रविष्टि 1, 2 तथा 18 में उल्लिखित विषयों पर राज्य सरकार के पास न तो कानून बनाने की शक्तियां हैं और न ही कार्यकारी कार्रवाई करने की शक्तियां। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 29 में यह वर्णित है कि प्रश्नों की विषय सामग्री प्रशासन के मामलों से संबंधित होनी चाहिए, जिसके लिए सरकार उत्तरदायी है।

अतः दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 29 के साथ पठित अनुच्छेद 239ए ए(3) और (4) में निहित प्रावधानों को देखते हुए, विधानसभा के स्पीकर वैधानिक रूप से किसी आरक्षित विषय पर कोई प्रश्न स्वीकार नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त यह भी बताया जाता है कि यदि दि.वि.प्रा. के संबंध में सभा द्वारा उठाए गए प्रश्नों के उत्तर अपेक्षित हैं, तो उन्हें आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से भेजा जाना चाहिए क्योंकि दि.वि.प्रा. केन्द्र सरकार के नियंत्रण में कार्य करता है।

तथापि, रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार के विकास कार्य और सार्वजनिक कल्याण में दि.वि.प्रा. की भूमिका से संबंधित मामलों के संबंध में दि.वि.प्रा. रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार से प्राप्त पत्राचार के उत्तर देना जारी रखेगा।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(डी. सरकार)
आयुक्त एवं सचिव

94. श्री विनय मिश्रा: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एमसीडी प्रापर्टी पर मोबाइल टावर लगाने की संपूर्ण प्रक्रिया क्या है; और

(ख) सभी मोबाइल टावरों की सूची उनके स्थान, परिचालक के नाम तथा एमसीडी वार्ड संख्या सहित उपलब्ध कराएँ?

शहरी विकास मंत्री: (क) उत्तरी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रापर्टी पर उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा मोबाइल टावर लगाने की सम्पूर्ण प्रक्रिया की पॉलिसी अनुलग्नक 'क' पर संलग्न है।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार एमसीडी प्रापर्टी पर मोबाइल टावर लगाने की पॉलिसी अनुलग्नक 'क' पर संलग्न है और मोबाइल टावर की पॉलिसी एमसीडी की वेबसाइट www.mcdonline.nic.in पर भी उपलब्ध है।

पूर्वी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रापर्टी पर मोबाइल टावर लगाने के लिए पूर्वी दिल्ली नगर निगम निविदा आमंत्रित करता है और निविदा के अन्तर्गत सफल सम्पनियों में से सबसे अधिक किराया देने वाली कम्पनी को भूमि आवंटित की जाती है।

(ख) उत्तरी दिल्ली नगर से प्राप्त जानकारी के अनुसार मोबाइल टावर लगाने की प्रक्रिया चल रही है।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार मोबाइल टावरों की सूची उनके स्थान, परिचालन के नाम तथा एमसीडी वार्ड संख्या सहित अनुलग्नक 'ख' पर संलग्न है।

पूर्वी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त जानकारी निम्नलिखित है:-

क्र.सं.	परिचालक के नाम	स्थान
1.	M/s Indus Tower Limited	Park Near No. G-13, Preet Vihar, Delhi-110092
2.	-do-	G.T. Road Green Belt, Pocket-2 Shahdara, Delhi-110032
3.	-do-	Near C-12, Pocket and Masjid, Yamuna Vihar, Delhi-110053
4.	-do-	Opp. Dallupura Village, Vasundhara Enclave, Delhi- 110096
5.	-do-	G.T. Road Police Station Green Belt, Shahdara, Delhi-110032
6.	-do-	Park Near H.No. 12/241 Trilokpuri, Delhi-110091
7.	-do-	Janta Flat, Mayur Vihar-III, Delhi-110096
8.	-do-	Park Near Pkt. A-3/134, Mayur Vihar-III, Delhi-110091
क्र.सं.	परिचालक के नाम	स्थान
1.	Reliance Jio Infocomm Ltd.	Plot No. 810, Near Rehman Building, Shahdara
2.	-do-	Open Land, near cattle pond, on Patparganj Road, Khureji Khas

3.	-do-	Dhobi Ghat R/o Khicri Pur, Shahdara
4.	-do-	Near Jhilmil Metro Station
5.	-do-	Saini Enclave
6.	-do-	Phase-I, Mayur Vihar, H.No. 36
7.	-do-	Mansarover Park
8.	-do-	Chander Nagar
9.	-do-	MCD Store, EEM/IV & M-III, School Block, Shakarpur
10.	-do-	Cement Store, Nanad Nagari

95. श्री विनय मिश्रा: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एसडीएमसी/एनडीएमसी/ईडीएमसी द्वारा भोजन प्रतिष्ठान, भोजन व आवासीय प्रतिष्ठान, निर्माण इकायों, भंडारण व बिक्री, मनोरंजन व मनबहलाव इकाइयों के लिए 'हेल्थ ट्रेड लाइसेंस' जारी किए जाने की विस्तृत प्रक्रिया क्या है, संबंधित आदेशों, नियमों और उपनियमों की प्रतियाँ उपलब्ध कराएँ;

(ख) तीनों नगर निगमों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत हेल्थ ट्रेड लाइसेंस के संबंध में 1 जनवरी 2015 से 30 अक्टूबर, 2021 तक की अवधि के लिए विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत आवेदकों की संख्या, प्रदत्त लाइसेंसों की संख्या, निरस्त किए गए आवेदनों की संख्या, लंबित आवेदनों की संख्या व लंबित रहने के प्रमुख कारण व आवेदनों को निरस्त किए जाने के मुख्य कारणों की जानकारी सहित संपूर्ण विवरण उपलब्ध कराएँ;

(ग) उक्त प्रतिष्ठानों के निरीक्षण के लिए डीएमसी अधिनियम, 1957 की धारा 417/420/421/423 के अंतर्गत कौन से कर्मचारी अधिकृत हैं, उनका संपूर्ण विवरण उपलब्ध कराएँ;

(घ) उक्त धाराओं के अंतर्गत हेल्थ ट्रेड लाइसेंसें की जाँच के लिए 1 जनवरी 2015 से 30 अक्टूबर 2021 की अवधि के दौरान किए गए निरीक्षणों का वर्षवार विवरण प्रदान करें;

(ङ) बिना हेल्थ ट्रेड लाइसेंस के काम करने वाले प्रतिष्ठानों के विरुद्ध की जाने वाली कार्रवाई का विवरण देते हुए संबंधित आदेशों, नियमों व उपनियमों की प्रतिलिपियाँ उपलब्ध कराएँ;

(च) तीनों नगर निगमों के अंतर्गत आने वाले अस्पतालों में मानव संसाधनों की सभी श्रेणियों की स्वीकृत क्षमता तथा वास्तविक क्षमता का पूर्ण विवरण क्या है; रिक्त पदों का विवरण देते हुए विगम पाँच वर्षों में नगर निगमों ने इन्हें भरने के लिए जो कदम उठाए हैं, उनकी जानकारी दें; और

(छ) क्या एसडीएमसी के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कार्यरत स्वास्थ्य संस्थानों में पर्याप्त स्वास्थ्य उपकरण/सुविधाएँ, जैसे एमआरआई मशीन, एक्स-रे मशीन, पैथोलॉजी सेवाएँ, ईसीजी मशीन, आईसीयू आदि, उपलब्ध हैं, इनका अस्पतालों के अनुसार ब्यौरा उपलब्ध कराएँ?

शहरी विकास मंत्री: (क) उत्तरी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार भोजन प्रतिष्ठान, भोजन व आवासीय प्रतिष्ठान हेतु आवेदक वर्तमान में लाइसेंस की प्रक्रिया पूर्ण रूप से ऑन लाइन माध्यम से की जाती है। आवेदन गृह मंत्रालय के पोर्टल पर ऑन लाइन प्राप्त किए जाते हैं। आवेदन का निस्तारण

उत्तरी दिल्ली नगर निगम कार्यालयों से किया जाता है। निर्माण ईकाइयों, मनोरंजन व मनबहलाव ईकाइयों के लिए आवेदन वर्तमान में क्षेत्रीय कार्यालयों में स्थित, नागरिक सुविधा केन्द्र के माध्यम से किया जाता है। लाइसेंस हेतु आवेदन की विस्तृत प्रक्रिया का ब्यौरा अनुलग्नक 'क' पर संलग्न है।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम से सम्बंधित आदेशों, नियमों और उपनियमों की प्रतियाँ अनुलग्नक-क पर संलग्न है।

पूर्वी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार भोजन प्रतिष्ठान, भोजन व भंडारण व बिक्री, मनोरंजन व मनबहलाव इकाइयों के लिए हैल्थ ट्रेड लाइसेंस जारी किए जाने की विस्तृत प्रक्रिया तथा सम्बंधित आदेशों, नियमों और उपनियमों के प्रतियाँ अनुलग्नक-क पर संलग्न है।

(ख) उत्तरी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार क्षेत्राधिकार के अंतर्गत हैल्थ ट्रेड लाइसेंस के संबंध में 1 जनवरी 2015 से 30 अक्टूबर, 2021 तक की अवधि की सूचना:-

क्र.सं.	विवरण	संख्या
1	कुल आवेदन	6782
2	लाइसेंस जारी	3171
3	आवेदन निरस्त	3611
4	लंबित	0

उक्त लाइसेंसों के आवेदनों को निरस्त करने के कारणों में आवेदक के द्वारा जरूरी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराना एवं सम्बंधित प्रतिष्ठानों का तकनीकी मानदण्डों पर खरा नहीं उतरना है।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त जानकारी निम्न है:-

01 जनवरी 2015 से 30 अक्टूबर 21 तक विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत एसडीएमसी में कुल आवेदनों की संख्या-13960 है।

01 जनवरी 2015 से 30 अक्टूबर 21 तक कुल जारी किये गये हेल्थ ट्रेड लाईसेंस की संख्या 6470 है।

01 जनवरी 2015 से 30 अक्टूबर 21 तक कुल निरस्त किये गये हेल्थ ट्रेड लाईसेंस की संख्या 6353 है।

01 जनवरी 2015 से 30 अक्टूबर 21 तक कुल लम्बित मामलों की संख्या-836 है।

लम्बित एवं निरस्त रहने के कारण-फायर एनओसी उपलब्ध नहीं होना, एरिया कामर्सियल नहीं होना, उपयुक्त दस्तावेजों का उपलब्ध नहीं होना, साईट का साईज कम होना, एक से अधिक बार आवेदन करना, ट्रेड का नहीं चलना, तकनीकी शर्तों का पूरा नहीं होना व माटर प्लान 2021 के अनुसार व्यवसाय चलाने की अनुमति नहीं होना।

पूर्वी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार क्षेत्राधिकार के अंतर्गत हेल्थट्रेड लाईसेंस के सम्बन्ध से 1 जनवरी 2015 से 30 अक्टूबर 2021 तक की अवधि के लिए विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत की संख्या, प्रदत्त लाईसेंसों की संख्या, निरस्त किए गए आवेदनों की संख्या, लंबित आवेदनों की संख्या व लंबित रहने के प्रमुख कारण व आवेदनों को निरस्त किए जाने के मुख्य कारणों की जानकारी सहित सम्पूर्ण विवरण अनुलग्नक 'ख' पर संलग्नक है।

(ग) उत्तरी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार उत्तरी दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 की धारा 417/420/421 हेतु सम्बंधित अधिकारी है:-

जन स्वास्थ्य निरीक्षक
सह-जन स्वास्थ्य निरीक्षक
उप-स्वास्थ्य अधिकारी
अति. निगम स्वास्थ्य अधिकारी
निगम स्वास्थ्य अधिकारी
धारा 423 सहायक जन स्वास्थ्य अधिकारी
जन स्वास्थ्य अधिकारी
उप-स्वास्थ्य अधिकारी व
क्षेत्रीय उपायुक्त

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त जानकारी से अनुसार इन धाराओं के अंतर्गत MHO, Addl. MHO, DHO, PHI & A PHI अधिकृत है।

पूर्वी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त प्रतिष्ठानों के निरीक्षण के लिए डीएमसी अधिनियम, 1957 की धारा 417/420/421/423 के अंतर्गत कर्मचारी अधिकृत तथा उनका सम्पूर्ण विवरण अनुलग्न 'ग' पर संलग्न है।

(घ) उत्तरी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार उत्तरी दिल्ली नगर निगम समय-समय पर प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया जाता है व बिना लाईसेंस के व्यवसायों के विरुद्ध डीएमसी एक्ट के अनुसार कार्यवाही की जाती है। 1 जनवरी 2015 से 20 अक्टूबर 2021 की अवधि के दौरान किए निरीक्षण वर्षवार विवरण:-

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
862	1084	1024	1948	1438	1045	1083

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त जानकारी निम्न है:-

वर्ष 2015 में निरीक्षण-1273

वर्ष 2016 में निरीक्षण-1739

वर्ष 2017 में निरीक्षण-2530

वर्ष 2018 में निरीक्षण-2999

वर्ष 2019 में निरीक्षण-2781

वर्ष 2020 में निरीक्षण-1376

वर्ष 2021 में निरीक्षण-2799

पूर्व दिल्ली नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुकार हैल्थट्रेड लाइसेंसों की जांच के लिए 1 जनवरी 2015 से 30 अक्टूबर 2021 की अवधि के दौरान किए गए निरीक्षणों का वर्षवार विवरण अनुलग्नक 'घ' पर संलग्न है।

(ङ) उत्तरी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार हेल्थ ट्रेड लाइसेंस के काम करने वाले प्रतिष्ठानों के विरुद्ध दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 के प्रावधानों के अनुसार चालान करने एवं स्थाई रूप से व्यवसाय को सी करने की व्यवस्था है।

डीएसी एक्ट के अनुसार चालान-13984

कारण बताओ नोटिस-1094 तथा

व्यवसाय बन्द करने हेतु सूचना-255 व
सीलिंग कार्यवाही सम्मिलित है।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार बिना हेल्थ ट्रेड लाईसेंस के चलने वाली व्यवसायों के विरुद्ध विभाग द्वारा समय-समय पर चालान, कारण बताओ नोटिस, क्लोजर नोटिस व सीलिंग की कार्यवाही की जाती है। प्रश्न के उत्तर में आदेशों, नियमों और उपनियमों की प्रतियों अनुलग्नक-ख पर संलग्न है।

पूर्वी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार हेल्थट्रेड लाईसेंस के काम करने वाले प्रतिष्ठानों के विरुद्ध डीएसी अधिनियम, 1957 के उल्लंघन 417, 423 के तहत की जाने वाली कार्यवाही का विवरण क्रमशः निम्नलिखित है:-

1. व्यापार परिसर का चालान
2. व्यापारी को कारण बताओ नोटिस
3. कारण बताओ नोटिस का जवाब न मिलने पर व्यापार बंद करने की सूचना
4. व्यापार बंद करने की सूचना के उपरांत भी व्यापार चलाये रखने पर व्यापार परिसर की सीलबंदी

(च) उत्तरी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत आने वाले अस्पतालों में मानव संसाधनों की सभी श्रेणियों की स्वीकृत क्षमता, वास्तविक क्षमता तथा रिक्त पदों का विवरण अनुलग्नक 'ख' पर संलग्न है।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार मानव संसाधनों की सभी श्रेणियों की स्वीकृत क्षमता तथा वास्तविक क्षमता एवं रिक्त पदों का विवरण सूची अनुलग्नक 'ग' पर संलग्न है।

जिन रिक्त पदों को भरने के लिए कैठ से अनुरोध किया गया वह भी अनुलग्नक 'घ' पर संलग्न हैं।

पूर्वी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार अस्पताल प्रशासन विभाग में लगभग 1637 स्वीकृत क्षमता है जिसमें से अस्पताल प्रशासन विभाग में लगभग 503 पद रिक्त हैं। अतः लगभग 768 रेगुलर पोस्ट एवं 366 विभिन्न पदों का संविदा के माध्यम से 6 माह या 1 वर्ष, जैसा भी मामला हो, के बाद नवीकरणीय रूप से भरा गया था।

पूर्वी दिल्ली नगर निगम के अस्पताल प्रशासन विभाग में रेगुलर पोस्ट जैसे ग्रुप (ए) की पोस्ट को नोडल कोर्पोरेशन, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा यूपीएससी बोर्ड के माध्यम के लिए जाने की प्रक्रिया जारी है एवं ग्रुप (बी) एवं (सी) के लिए डीएसएसएसबी बोर्ड द्वारा लिए जाने की प्रक्रिया जारी है।

(छ) दक्षिणी दिल्ली नगर निगम स्वास्थ्य संस्थानों में स्वास्थ्य उपकरण/सुविधाएँ का ब्यौरा निम्न है:-

क्र.सं.	सेवाएँ	सं. उपलब्ध है	स्वास्थ्य केंद्र का नाम
1	एमआरआई मशीन	0	
2.	एक्स-रे मशीन	6	पूर्णमा सेठी कालकाजी अस्पताल, लाजपत नगर कॉलोनी अस्पताल, माता गुजरी अस्पताल, तुगलकाबाद पालीक्लीनिक, बिजवासन एवं नेहरू नगर चेस्ट क्लीनिक/अस्पताल

3	पैथालों जी सेवाएं	33	सूची अनुलग्नक ड पर संलग्न है।
4	ईसीजी मशीन	8	पूर्णमा सेठी कालकाजी अस्पताल, लाजपत नगर कॉलोनी अस्पताल, माता गुजरी अस्पताल, तुगलकाबाद पालीक्लीनिक, बिजवासन एवं नेहरू नगर वेस्ट क्लीनिक/अस्पताल, नेहरू नगर चेस्ट क्लीनिक/अस्पताल, पॉलिक्लीनिक महारौली।
5	आईसीयू	1	माता गुजरी अस्पताल में 10 बिस्तर वाला आईसीयू उपलब्ध है।

96. श्री ओम प्रकाश शर्मा: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों के विकास के लिए कितनी-कितनी धनराशि का आबंटन किया गया; और

(ख) दिल्ली सरकार द्वारा किन-किन अनधिकृत कॉलोनियों में कितनी-कितनी धनराशि के कार्यों की मंजूरी दे दी गई है, विधानसभा क्षेत्र अनुसार विवरण दें?

शहरी विकास मंत्री: (क) सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के अनुसार दिल्ली सरकार द्वारा सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग को दिल्ली की अनाधिकृत कॉलोनियों के विकास के लिए आबंटित की गई धनराशि निम्न है:-

वर्ष 202-2021-रु. 700 करोड़

वर्ष 2021-2022-रु. 540 करोड़

दिनांक 27.12.2021 तक)

डीएसआईआईडीसी के अनुसार वर्ष 2020-21 रुपये 289.19 करोड़ का फण्ड अनाधिकृत कॉलोनियों (सिविल) कार्य के विकास के लिए प्राप्त हुआ।

वर्ष 2021-22 में डीएसआईआईडीसी को किसी भी कार्य के लिए अभी तक कोई फण्ड प्राप्त नहीं हुआ।

(ख) सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के अनुसार अनाधिकृत कॉलोनियों के कार्यों में मंजूरी की गई धनराशि का विधानसभा क्षेत्र अनुसार विवरण (संलग्न सूची 'क') में दर्शाया गया है।

डीएसआईआईआईडीसी के अनुसार वर्ष 2020-21 के विकास कार्यों के लिए आवंटित 289.19 करोड़ का फण्ड शहरी विकास विभाग द्वारा निम्नलिखित विधानसभा क्षेत्रों की विभिन्न कॉलोनियों में प्रस्ताविक है:-

क्र.सं.	विधानसभा का नाम	वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्राप्त रु. 29.19 करोड़ का आवंटन
1	किराड़ी (वि.स.-9)	87.28
2	बिजवासन (वि.स.-36)	24.37
3	देवली (वि.सं-47)	13.50
4	छत्तरपुर (वि.स.-46)	41.54
5	पालम (वि.स.-37)	67.00
6	द्वारका (वि.स.-33)	45.00
7	विकासपुरी (वि.स.-41)	10.50
	कुल योग	289.19

सूची-क'

FINANCIAL YEAR 2020-21

Sl. No.	AC No.	AC Name	Name of the UC	Regn. No. of UC	Amount of A/A & E/S Sanctioned (Rs. in lacs)	Remarks
1	2	Burari	Som Bazar road (25ft Road) from Balaji Chowk to Transport Authority, Veer Bazaar road (20ft road) and main road from DDA land to Janta Vihar Chowk in Mukundpur Vistar Delhi-42 (Regn. No.772-A)	772 A	489.17	
2			A-Block, West Kamal Vihar Mukundpur Vistar Delhi-42 (Regn. No.772B) District Central Delhi (Part-I New Sanjeev General Store)	772 B	339.59	
3			Burari Nathupura Road of Burari Creek Drain in Amrit Vihar (Regn No.448) (Part-IV Near Amrit Vihar Bus Stand)	448	204.94	
Total					3Nos. 1033.70	

FINANCIAL YEAR 2021-22

Upto 27.12.2021

Sl. No.	AC No.	AC Name	Name of the UC	Regn. No. of UC	Amount of A/A & E/S Sanctioned (Rs. in lacs)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
1	1	Narela	Hazari Park	442	82.27	
2			Vishal Enclave, B-Block	1194	383.25	
3			Vishal Enclave, A & C-Block	1194	297.27	
4			Prem Colony, Part-I	50	265.68	
5			Prem Colony, Part-II	50	285.65	
6			Shiv Colony	574	243.17	
7			Rajiv Colony	743	289.65	
8			Khera Khurd Extension	1383	194.89	
9			Swatantra Nagar, Part-I	197	496.69	
10			Swatantra Nagar, Part-II	197	478.37	
Total				10 Nos.	3016.89	
1	2	Burari	Kapil Vihar, Mukand Pur Vistar Delhi-42 (Regn. No.772A) District Central, Delhi (Near Mukandpur Cremation Ground)	772-A	349.71	

2	Samta Vihar, Mukand Pur Vistar Delhi-42 (Regn.No.772-A) in District Central, Delhi (Near Harit Vihar Samta Vihar Culvert) (Balance Work).	772-A	435.82
3	Kaushik Enclave B-Block, Burari in Distt. Central. Part-I	725	474.91
4	Kaushik Enclave B-Block, Burari in Distt. Central. Part-II	725	483.52
5	Kaushik Enclave B-Block, Burari in Distt. Central. Part-III	725	206.31
6	Kaushik Enclave B-Block Nalapar, Burari in Distt. Central. (Rgn. 696)	696	498.65
7	A & Al Extn. Block of Pradhan Enclave with RCC outfall drain in Burari AC-02 (Regn. No. 307)	307	496.70
Total			2945.62
1	5 Badli	72 ELD	499.72
2	Extended Lal Dora, Part-1	72 ELD	465.27
3	Extended Lal Dora, Part-2	72 ELD	440.21
4	Extended Lal Dora, Part-3	72 ELD	303.6S
5	Extended Lal Dora, Part-4	72 ELD	233.78
6	Extended Lal Dora, Part-5	758	450.55
7	Jeevan Park, Part-1	758	360.35
	Jeevan ParkPart-2		

1	2	3	4	5	6	7
8			Jeevan Park, Part-III	758	287.38	
9			Shyam Kunj Colony	856	37.78	
Total				9 Nos.	3078.69	
1	6	Rithala	Vijay Vihar, Phase-II, Rithala AC-06. (Regn. No. 372 Part-I)	372, Part-I	498.85	Work in progress
2			Vijay Vihar, Phase-II, Rithala AC-06. (Regn. No. 372 Part-II)	372, Part-II	491.27	Estimate for technical sanction under preparation.
3			Vijay Vihar, Phase-H, Rithala AC-06. (Regn. No. 372 Part-III)	372, Part-III	401.11	Estimate for technical sanction under preparation.
4			Budh Vihar, Phase-II Rithala. (Regn. No. 1402)	1402	342.97	Estimate for technical sanction under preparation.
5			Budh Vihar Extn. PH-II, Veer Singh Colony in Rithala AC-06. (Regn. No. 1051(A))	1051 (A)	21.39	Work in progress
6			Between Telephone Road to Main Market Road in Budh Vihar Colony, Phase-1 & U Rithala, Rithala AC-06. (Regn. No. 267) (Part-D I).	267 (Part D-I)	393.66	Work in progress
7			Between Telephone Road to Main Market Road in Budh Vihar Colony,	267 (Part D-II)	336.50	Work in progress

8	Phase-1 & H Rithala, Rithala AC-06. (Regn. No. 267) (Part-D II). between Main Market Road to Khatu Shtam Mandir Budh Vihar Colony, Phase-I & II Rithala Village, Rithala AC-06. (Regn. No. 267) (Part-E).	267 (Part-E)	433.96	Work in progress
9	Between Khatu Shyam Mandir to 40 futa Road in Budh Vihar Colony, Phase-1 & II Rithala, Rithala AC-06. (Regn. No. 267) (Part-F).	267 (Part-F)	499.71	Work in progress
10	Between 40 futa Road to Braham Singh Hospital in Budh Vihar Colony, Phase-1 & II Rithala, Rithala AC-06. (Regn. No. 267) (Part-G).	267 (Part-G)	487.59	Work in progress
11	Kanjhawala Road Vijay Vihar Rithala. (Regn. No. 267) (Part-H)	267 (Part-H)	440.86	Tender floated
12	Budh Vihar Extn. Near Sec-23 Rohini, Rithala AC-06. (Regn. No. 1399 Part-I)A.	1399 (Part-I)A	399.37	Work in progress
13	Budh Vihar Extn. Near Sec-23 Rohini, Rithala AC-06. (Regn. No. 1399 Part-I)B.	1399 (Part-I)B	424.82	Estimate for technical sanction under preparation
14	Budh Vihar Extn. Near Sec-23 Rohini, Rithala AC-06. (Regn. No. 1399 Part-II) A.	1399 (Part-II)A	269.24	Tender floated

1	2	3	4	5	6	7
15			Budh Vihar Extn. Near Sec-23 Rohini, Rithala AC-06. (Regn. No. 1399 Part-II) B.	1399 (Part-II)B	473.77	Tender floated
16			Budh Vihar Extn. Near Sec-23 Rohini, Rithala AC-06. (Regn. No. 1399 Part-III) B.	1399 (Part-III)B	406.62	Tender floated
17			Vijay Vihar, Rithala AC-06. (Regn. No. 347) (Part-I).	347, Part-I	422.78	Tender floated
18			Vijay Vihar, Rithala AC-06. (Regn. No. 347) (Part-II).	347, Part-II	354.68	Tender floated
19			Vijay Vihar, Rithala AC-06. (Regn. No. 347) (Part-III).	347, Part-III	365.58	Tender floated
20			Vijay Vihar, Rithala AC-06. (Regn. No. 347) (Part-IV).	347, Part-IV	376.26	Estimate for technical sanction under preparation.
21			Budh Vihar, PH-II Extn. Delhi, Rithala AC-06. (Regn. No. 889)	889	38.42	Work in progress
22			Mange Ram Park Pooth Kalan Sec-23 Rohini Delhi, Rithala AC-06. (Regn. No. 872)	872	36.92	Work in progress
23			Harsh Dev Park Budh Vihar Phase-II in, Rithala AC-06, Delhi. (Regn. No. 1398)	1398	468.74	Tender floated

24	Budh Vihar Colony, Phase-I & II Rithala, Rithala AC-06. (Regn. No. 267) (Part-A).	267 (Part A)	490.86	Estimate for technical sanction under preparation.
25	Budh Vihar Colony, Phase-I & II Rithala, Rithala AC-06. (Regn. No. 267) (Part-B).	267 (Part B)	499.89	Estimate for technical sanction under preparation.
26	Budh Vihar Colony, Phase-I & II Rithala, Rithala AC-06. (Regn. No. 267) (Part-C).	267 (Part C)	497.60	Estimate for technical sanction under preparation.
27	Between Main Market Road to Khatu Shtam Mandir in Budh Vihar Colony, Phase-I & II Rithala Village, Rithala AC-06. (Regn. No. 267) (Part-E-I)	267 (Part-E-I)	495.61	Estimate for technical sanction under preparation.
28	Mange Ram Park, Pooth Kalan, Sector-23, Rohini, Rithala AC 06. (Regn. No. 27).	27	493.28	Tender floated
Total			28 Nos. 10862.31	
1	7 Bawana			
1	Prahlad Vihar	1116	174.82	
2	Indraj colony	658	329.24	Tender is being called
3	Ishwar Colony Extn. 2	595	173.06	Tender is being called
4	Krishna Vihar colony Pooth Kalan	385	1312.74	3 nos. AA/ & E/S Received. Tender is being called
5	Sultanpur Dabas Extension Colony	88-ELD	64.44	Tender is being called

1	2	3	4	5	6	7
6			Krishna Vihar colony in Bawana	156	460.49	Tender is being called
7			Hasthal colony	477	117.37	Tender is being called
8			Pooth Kalan Abadi Extn. Colony	1294	134.36	Tender is being called
Total				8Nos.	2591.70	
1	08	Mundka	Bhagya Vihar	439	1234.26	3 nos. AA/ & E/S Received. Tender is being called
2			Trithankar Nagar Jain. Colony Karala	1064	3788.36	10 nos. AA/ & E/S Received. Tender is being called
3			Nangloi Extension D Block	361	382.52	Tendering Process in Progress
4			Nangloi Extension -IV	496	134.52	Tendering Process in Progress
5			Kamruddin Nagar Extn	1469	136.43	Tendering Process in Progress
6			A Block Amar Colony	392	133.41	Tendering Process in Progress
7			Nangloi Extension II-C	405	472.21	Tendering Process in Progress
8			Rajendera Park Extn.	188	155.44	Tendering Process in Progress

9		Rajendera Park Extn. 5 & 6	457	113.34	Tendering Process in Progress
10		Rajendera Park Block A-I	65	125.17	Tendering Process in Progress
11		Nangloi Extension I-C	408	74.53	Tendering Process in Progress
12		C Block Yadav Park	99	68.54	Tendering Process in Progress
Total			12 Nos.	6818.73	
1	09	Kirari	1271	499.7	Work in progress
2		Agar Nagar C-Block	616	481.83	Work in progress
3		Hari Enclave	57	124.3	Work in progress
4		Raguvir Vihar	222	137.98	Tender is being called
Total			4 Nos.	1243.81	
1	10	Sultanpur Majra	299-B	110.6	Work in progress
			Sultanpur Majra AC-10 (3rd Call)		
Total			1 No.	110.6	
1	24	Patel Nagar	1094	209.81	Estimate under process of Technical Sanction
			Anand Parbat Delhi (Regn No. 1094) in Patel Nagar AC-24		

1	2	3	4	5	6	7
2			Ranjeet Nagar in Patel Nagar AC-24, (Reg No. 1394)	1394	124.03	Estimate sanctioned tender to be floated after recommendation of area MLA
Total				2 Nos.	333.84	
1	31	Vikaspuri	Kunwar Singh Nagar	1378	4016.12	Tendering Process in Progress
2			Vikas Vihar (West), Vikas Nagar in Vikaspuri Constituency AC-31 (Regd.No.1530).	1530	98.10	A/A & E/S received on dated 29.06.2021 and NIT approved and Tender will be called shortly.
3			R-Block, Ph-II, Vikas Nagar in Vikaspuri Constituency AC-31 (Regd. No. 1001).	1001	60.22	PG letter issued on 07.12.2021
4			Raj Hans vihar in Vikaspuri Constituency AC-31 (Regd. No-1234-A)	1234-A	63.93	A/A & E/S received on dated 15.07.2021 and NTT approved and Tender will be called shortly.
5			Defence Enclave, Pait-II, Mohan Garden (Regd. No. 903/1642).	903	33.54	
6			Vikas Nagar Exten. Pocket -P, Gurdwara Road in Vikaspuri Constituency AC-31 (Regd. No-342).	342	44.22	
Total				6 Nos.	4316.13	

1	35	Najafgarh	Prem Nagar, D-Block Extn. Old Khaira Road Najafgarh, New Delhi-43	1611	78.51	Tender is being invited.
2			New Roshanpura Ext.-Z-Block Paprawat Road Najafgarh, New Delhi-44	1019	74.66	Tender is being invited.
3			Gupta Park, Najafgarh, New Delhi-45	1291	63.67	Tender is being invited.
4			Vardhman Vihar U & F Block New Roshanpura Extn Najafgarh, New Delhi-46	812	330.8	Estimate under scrutiny.
5			Prem Nagar-III, Najafgarh, New Delhi-47	1490	134.22	Estimate under scrutiny.
Total				5 Nos.	681.86	
1	AC-43	Malviya Nagar	Jahanpanha Unauthorised colony (Regn. 1347) in Malviya Nagar Assembly Constituency AC-43.	1347	151.16	A/A & E/S Received on dt. 07.12.2021
Total				1 No.	151.16	
1	AC-48	Ambedkar Nagar	Shiv Park (Part-1) Khanpur in Ambedkar Nagar Constituency AC-48. (Regn.No. 832)	832	327.19	A/A & E/S Received on dt. 13.12.2021
Total				1 No.	327.19	
1	AC-50	Greater Kailash	Kirki Extension Colony (Part-1) at Greater Kailash Constituency AC 50 (Regd. No. 897).	897-P-I	433.85	A/A & E/S Received on dt. 13.12.2021

1	2	3	4	5	6	7
2			Kirki Extension Colony (Part-2) at Greater Kailash Constituency AC 50 (Regd. No. 897).	897-P-2	487.63	A/A & E/S Received on dt. 13.12.2021
Total				2 Nos.	921.48	
1	AC- Tuglakabad 52		Pul Pehlampur Colony (Part-1) in Tuglakabad Constituency AC-52 (Regn. No. 908)	908 P-1	374.55	A/A & E/S Received on dt. 07.12.2021
2			Pul Pehlampur Colony Block (GC.EB & ARZ) (Part-2) in Tuglakabad Constituency AC-52 (Regn. No. 908)	908 P-2	434.81	A/A & E/S Received on dt. 13.12.2021
3			Pul Pehlampur Colony (Part-3) in Tuglakabad Constituency AC-52 (Regn. No. 908)	908-P-3	496.43	A/A & E/S Received on dt. 13.12.2021
4			Tehkhand village in Tuglakabad Constituency AC-52 (Regn. No. 58 ELD)	58-ELD	172.26	A/A & E/S Received on dt. 07.12.2021
5			Vishwakarma colony (Part-3) in Tuglakabad Constituency AC-52 (Regn. No. 1246 A)	1246-AP3	382.5	A/A & E/S Received on dt. 13.12.2021
6			Vishwakarma colony (Part-2) in Tuglakabad Constituency AC-52 (Regn. No. 1246 A)	1246-AP2	411.01	A/A & E/S Received on dt. 13.12.2021
Total				6 Nos.	2271.56	

1	AC-53	Badarpur	Sudershan Park Mithapur Extension in Badarpur Constituency AC-53 (Regd. No. 327)	327	57.69	A/A & E/S Received on dt. 07.12.2021
		Total		1 No.	57.69	
1	AC-54	Okhla	Zakir Nagar Colony West Jamia Nagar Okhla in Okhla Constituency AC -54 (Regn. No. 1527)	1527	152.08	A/A & E/S Received on dt. 07.12.2021
2			Zakir Nagar U. C. in Okhla Constituency AC -54 (Regn. No. 1014).	1014	299.92	A/A & E/S Received on dt. 07.12.2021
3			Batla House, Block- L, Q, & Q Unauthorized Colony Okhla in Okhla Constituency AC -54 (Regn. No. 1424)	1424	256.3	A/A & E/S Received on dt. 07.12.2021
4			Batla House Block -G,H,I,J & K Unauthorized Colony Okhla in Okhla Constituency AC-54 (Regn. No. 1424)	1424	446.52	A/A & E/S Received on dt. 07.12.2021
5			Batla House Block - F & R Unauthorized Colony Okhla in Okhla Constituency AC-54 (Regn. No. 1424)	1424	338.59	A/A & E/S Received on dt. 07.12.2021
6			Batla House Block - S,M,N & P Unauthorized Colony Okhla in Okhla Constituency AC-54 (Regn. No. 1424)	1424	469.17	A/A & E/S Received on dt. 07.12.2021
7			Noor Nagar Extension Phase-I, Jamia Nagar in Okhla Constituency AC -54 (Regn. No. 479)	479	238.47	A/A & E/S Received on dt. 07.12.2021

1	2	3	4	5	6	7
8			Old Jasola Village in Okhla Constituency AC -54 (Regn. No. 910)	910	207.42	A/A & E/S Received on dt. 07.12.2021
9			Old Village Jasola Extension Near LIG DDA flats Okhla Constituency AC -54 (Regn. No. 28)	28	49.86	A/A & E/S Received on dt. 07.12.2021
10			Gaffar Manzil, Extension - II Jamia Nagar, in Okhla Constituency AC -54 (Regn. No. 265)	265	183.6	A/A & E/S Received on dt. 07.12.2021
11			Okhla Vihar in Okhla Constituency AC-54 (Regn. No. 155)	155	453.42	A/A & E/S Received on dt. 13.12.2021
12			Zakir Nagar H-Block Unauthorized Colony Okhla in Okhla Constituency AC-54 (Regn. No. 1601)	1601	363.11	A/A & E/S Received on dt. 13.12.2021
Total				12 Nos.	3458.46	

97. श्री रोहित कुमार: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2021-2022 में तीनों एमसीडी के द्वारा कितनी चूने की खरीद हुई है;

(ख) क्या इस चूने के द्वारा किसी तरह का जल प्रदूषण या वायु प्रदूषण होता है;

(ग) यदि वायु प्रदूषण होता है तो हवा में पीएम 2.5 और पीएम 10 कितना बढ़ा है; और

(घ) जिस हवा में चूना धुला होता है उसमें श्वास लेने पर लोगों के स्वास्थ्य को कितना नुकसान पहुंचता है?

शहरी विकास मंत्री: (क) उत्तरी दिल्ली नगर से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2021-2022 में उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा 24800 किलो चूना खरीदा गया है।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2021-2022 में दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के द्वारा 1.50 लाख किलो चूने की खरीद हुई है जिसकी लागत 12 लाख रुपये है।

पूर्वी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार चूने की खरीद व जल और वायु प्रदूषण के बारे में है। वर्ष 2021-22 में पूर्वी दिल्ली नगर निगम के द्वारा 3625 क्विंटल चूने की खरीद हुई है।

(ख) उत्तरी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार ऐसी कोई स्टडी की जानकारी उपलब्ध नहीं है।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार चूने के द्वारा जल तथा वायु प्रदूषण होने की कोई जानकारी नहीं है।

पर्यावरण विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार सम्भवतः होता है।

(ग) पर्यावरण विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार चूना द्वारा वायु प्रदूषण बढ़ने के संदर्भ में इस विभाग द्वारा कोई अध्ययन नहीं हुआ है।

(घ) पर्यावरण विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस संदर्भ में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

98. श्री विजेन्द्र गुप्ता: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यमुना पार विकास बोर्ड का गठन कब किया गया और इसकी पहली बैठक कब बुलाई गई तथा यमुना पार स्थित विधान सभाओं में विकास कार्य करवाने के लिए इसमें कुल कितने बजट का प्रावधान किया गया;

(ख) यदि अभी तक यमुना पार विकास बोर्ड का गठन नहीं किया गया है तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसका गठन कब तक कर दिया जाएगा?

शहरी विकास मंत्री: (क) यमुना पार विकास बोर्ड का गठन मार्च, 1994 में किया गया था और पहली बैठक 21.04.1994 को बुलाई गई थी। चालू वित्तीय वर्ष 2021-2022 के दौरान यमुना पार विकास बोर्ड योजना के तहत रुपये 100 करोड़ आवंटित किए गये हैं।

(ख) और (ग) ट्रांस यमुना क्षेत्र विकास बोर्ड के पुनर्गठन का प्रस्ताव फाइल सीडी संख्या 021266832 दिनांक 12.04.2021 से विचाराधीन है।

99. श्री भूपिंदर सिंह जून: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा जिन व्यक्तियों की भूमि का अधिग्रहण किया गया था ऐसे पात्र व्यक्तियों को वैकल्पिक भूखंड आवंटित करने संबंधी आवेदन दिल्ली विकास प्राधिकरण को अग्रेषित करने का कोई प्रस्ताव क्या शहरी विकास विभाग के पास लंबित है;

(ख) यदि नहीं, तो ऐसे आवेदनों को अग्रेषित न करने का क्या कारण है; और

(ग) क्या वैकल्पिक भूखंड आवंटित न किए जाने के संबंध में शहरी विकास विभाग माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय 'डीडीए बनाम जय सिंह कँवर व अन्य' (सिविल अपील संख्या 8290/2010) की गलत व्याख्या कर रही है?

शहरी विकास मंत्री: (क) से (ग) यह प्रश्न डीडीए से संबंधित है। दिल्ली विकास प्राधिकरण को प्रश्न भेजा गया था, परन्तु दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अपने पत्र सं. एफ.5 (3)/मिस./2015/पी एंड सी/वीएस/769 दिनांक 2 अगस्त, 2018, को सूचित किया है कि-दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 29 के साथ पठित अनुच्छेद 239ए ए(3) और (4) में निहित प्रावधानों को देखते हुए विधानसभा के स्पीकर वैधानिक रूप से किसी आरक्षित विषय पर कोई प्रश्न स्वीकार नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त यह भी बताया जाता है कि यदि दि.वि.प्रा. के सम्बन्ध में सभा द्वारा उठाये गये प्रश्नों के उत्तर अपेक्षित हैं, तो उन्हें आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से भेजा जाना चाहिए, क्योंकि दिल्ली विकास प्राधिकरण केन्द्र सरकार के नियंत्रण में कार्य करता है। (प्रतिलिपि संलग्न है)

भूमि एवं सम्पदा से प्राप्त जानकारी का विवरण अनुलग्नक 'क' पर संलग्न है।

अनुलग्नक 'क'

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
(DEPARTMENT OF LAW JUSTICE & LEGISLATIVE AFFAIRS)
8TH LEVEL C-WING, DELHI SECRETARIAT, NEW DELHI

F.No. 18(11)/LA-2018/1720-1769

Dated: 19.03.2018

To

The Secretary,
Delhi Legislative Assembly,
Govt. of NCT of Delhi,
Old Secretariat, Delhi.

Sub: VO No. 2b 17-RN/379/A-1990 dated 19.03.2018 received from Joint Secretary Hon'able Lt. Governor.

Sir,

Please find enclosed herewith the copy of above mentioned UO received from joint Secretary to Hon'ble Lt. Governor informing that on the issue of questions being raised in Legislative Assembly of Delhi on matters related to 'Reserved Subjects', the following advice of Department of Legal Affairs, Government of India has been received through the Ministry of Home Affairs, Government of India.

As per Article 239AA(3)(a) of the constitution, the Legislative Assembly shall have power to make laws with respect of any of the matters enumerated in the State List, on in the Concurrent List except matters with respect to Entries 1, 2 and 18 of the State List and Entries 64, 65 and 68 of that List in so far as they related to the sold Entries 1, 2 and 18.

Further as per Article 239A(4), the responsibility of Council of Ministers of NCT of Delhi to aid and advice to Lt. Governor is restricted to matter only on which the Legislative Assembly has power to make rule. Thus on reserved subject i.e. subject mentioned in Entry 1, 2 and 18, the State Government has no power either to make law or take an executive action.

Rule 29 of Procedure and Conduct of Business of the Legislative Assembly of National Capital Territory of Delhi states that the subject matter of Question

must relate to a matter of administration for which the Government is responsible. Its purpose shall be to elicit information or to give suggestion of action on a matter of public importance.

In view of the provision contained in Article 239AA(3) and (4) read with Rule 29 of the Procedure and Conduct of Business of Legislative Assembly of National Capital Territory of Delhi, legally the Speaker of the Legislative Assembly cannot admit any Question on any Reserved Subject.

The above legal position may kindly be brought to the notice of Hon'ble Speaker, Legislative Assembly, Delhi for kind information to requested in the aforesaid UO.

A copy of the same is also being enclosed to all the Hon'ble Ministers and Departments for information and further necessary action.

(Anoop Kumar Mendiratta)
Pr. Secretary (Law, Justice & LA)
Government of National Capital Territory of Delhi

Encl. As Above.

F.No. 18(11)/LA-2018 Dated: 19.03.2018

Copy forwarded to the following for information and further necessary action.

1. Joint Secretary to Hon'ble Lt. Governor for information.
2. Pr. Secretary to Hon'ble Chief Minister, Delhi.
3. Secretaries all the Hon'ble Ministers of Government of NCT of Delhi.
4. Staff Officer to Chief Secretary for information.
5. All the Pr. Secretaries/ Secretaries/Heads of Departments of GNCTD.
6. Website of Law Justice & La Department.

(Anoop Kumar Mendiratta)
Pr. Secretary (Law, Justice & LA)
Government of National Capital Territory of Delhi

राज निवास
दिल्ली-110054
Raj Niwas
Delhi-110054

On the issue of questions being raised in Legislative Assembly of Delhi on matters related to 'Reserved Subjects', the following advice of Department of Legal Affairs, Government of India has been received through the Ministry of Home Affairs, Government of India.

As per Article 239AA(3)(a) of the constitution, the Legislative Assembly shall have power to make laws with respect of any of the matters enumerated in the State List, on in the Concurrent List except matters with respect to Entries 1, 2 and 18 of the State List and Entries 64, 65 and 68 of that List in so far as they related to the sold Entries 1, 2 and 18.

Further as per Article 239AA(4), the responsibility of Council of Ministers of NCT of Delhi to aid and advice to Lt. Governor is restricted to matter only on which the Legislative Assembly has power to make rule. Thus on reserved subject i.e. subject mentioned in Entry 1, 2 and 18, the State Government has no power either to make law or take an executive action.

Rule 29 of Procedure and Conduct of Business of the Legislative Assembly of National Capital Territory of Delhi states that the subject matter of Question must relate to a matter of administration for which the Government is responsible. Its purpose shall be to elicit information or to give suggestion of action on a matter of public importance.

In view of the provision contained in Article 239AA(3) and (4) read with Rule 29 of the Procedure and Conduct of Business of Legislative Assembly of National Capital Territory of Delhi, legally the Speaker of the Legislative Assembly cannot admit any Question on any Reserved Subject.

The above legal position may kindly be brought to the notice of Secretary of Legislative Assembly, Delhi for kind information of Hon'ble Speaker Legislative Assembly, Delhi and departments concerned for necessary action.

(Ravi Dhawan)
Jt. Secretary to Lt. Governor

Pr. Secretar (Law, Justice & Legislative Affairs), GNCTD.

U.O. No. 2(3)/17-km/s-14) H-1470

Date: 19.03.2018

Copy for kind information and necessary action to:

1. Chief Secretary, Delhi.
2. Secretary to Minister (Law Justice & Legislative Affairs), GNCD.

(Ravi Dhawan)
Jt. Secretary to Lt. Governor

**दिल्ली विकास प्राधिकरण
(आयुक्त एवं सचिव कार्यालय)
ब्लॉक-बी, विकास सदन, आई.एन.ए., नई दिल्ली-110023**

सं. एफ 5(3)/मिस./2015/पी एंड सी/वीएस/760 दिनांक: 2 अगस्त, 2018
सेवा में,

श्री संदीप मिश्रा,
विशेष सचिव (संसद अनुभाग),
शहरी विकास विभाग, रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार,
9वां तल, सी.विंग, दिल्ली सचिवालय,
आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002

विषय: छठी दिल्ली विधानसभा के 7वें सत्र के दूसरे भाग में दिनांक
07/06/2018 को उठाए गए अतारांकित प्रश्न के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में दिनांक 09/07/2018 के अपने पत्र सं. 52 (यू.एस.क्यू.)/बजट रोशन-सैकंड-जून-2018/दिल्ली असेंबली/यू.डी./डी 7175, 7176 का अवलोकन करें, जिसकी संदर्भ से एफ.यू.एस.क्यू./बजट रोशन II जून 2018/दिल्ली असेंबली/यू.डी./डी.-6983-43 (यू.एस.क्यू.-80), 6925 34 (क्यू.एस.क्यू. 78), 6977 80(यू.एस.क्यू. 89) तथा 6901 6904 (यू.एस.क्यू. 70) दिनांक 29/05/2018 तथा अनुपूरक फर्स्ट डी 7066 से 7068 दिनांक 13/06/2018 है, जिसके द्वारा संदर्भित विषय पर उत्तर तैयार करने के लिए विभाग की उपयुक्त सामग्री प्रेषित करने के लिए कहा गया था।

इस संबंध में, यह बताया जाता है कि संविधान के अनुच्छेद 239ए ए(3) (क) के अनुसार विधानसभा के पास राज्य सूची अथवा समवर्ती सूची में आने

वाले किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है, केवल उन मामलों को छोड़कर जो राज्य सूची की प्रविष्टि 1, 2 तथा 18 से संबंधित हैं तथा सूची की प्रविष्टि 64, 65 तथा 66 से कुछ हद तक संबंधित हैं क्योंकि ये उक्त प्रविष्टि 1, 2 तथा 18 से संबंधित हैं। अतः आरक्षित विषयों अर्थात् प्रविष्टि 1, 2 तथा 18 में उल्लिखित विषयों पर राज्य सरकार के पास न तो कानून बनाने की शक्तियां हैं और न ही कार्यकारी कार्रवाई करने की शक्तियां। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 29 में यह वर्णित है कि प्रश्नों की विषय सामग्री प्रशासन के मामलों से संबंधित होनी चाहिए, जिसके लिए सरकार उत्तरदायी है।

अतः दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 29 के साथ पठित अनुच्छेद 239ए ए(3) और (4) में निहित प्रावधानों को देखते हुए, विधानसभा के स्पीकर वैधानिक रूप से किसी आरक्षित विषय पर कोई प्रश्न स्वीकार नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त यह भी बताया जाता है कि यदि दि.वि.प्रा. के संबंध में सभा द्वारा उठाए गए प्रश्नों के उत्तर अपेक्षित हैं, तो उन्हें आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से भेजा जाना चाहिए क्योंकि दि.वि.प्रा. केन्द्र सरकार के नियंत्रण में कार्य करता है।

तथापि, रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार के विकास कार्य और सार्वजनिक कल्याण में दि.वि.प्रा. की भूमिका से संबंधित मामलों के संबंध में दि.वि.प्रा. रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार से प्राप्त पत्राचार के उत्तर देना जारी रखेगा।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(डी. सरकार)

आयुक्त एवं सचिव

100. श्री हाजी यूनस: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एमसीडी के कम्युनिटी सर्विस डिपार्टमेंट द्वारा विभिन्न श्रेणियों के व्यक्तियों को पेंशन/वित्तीय सहायता प्रदान करने संबंधी सभी योजनाओं की सूची तथा उससे संबंधित पॉलिसी डॉक्यूमेंट दिनांक 1 जनवरी, 2015 से 31 अक्टूबर, 2021 के बीच की अवधि के लिए उपलब्ध कराएं;

(ख) उक्त योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों की सूची व उन्हें दी गई धनराशि का विस्तृत विवरण दें;

(ग) एमसीडी द्वारा संचालित सामुदायिक भवनों की जानकारी उनके नाम, पते व संपर्क संख्या सहित प्रदान करें;

(घ) क्या यह सत्य है कि कम्युनिटी सर्विस डिपार्टमेंट में स्टाफ की बहुत कमी है;

(ङ) यदि हाँ, तो कुल स्वीकृत पदों व रिक्त पदों की सूची देते हुए बताएं कि इन रिक्तियों को भरने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(च) क्या यह सत्य है कि सीएसडी प्रतिभा विकास केंद्र और नर्सरी कक्षाएं भी चलती हैं, यदि हां, तो संबंधित कानूनों/नियमों/नीतियों से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराएं तथा इन केन्द्रों का संपूर्ण विवरण उपलब्ध कराएं?

शहरी विकास मंत्री: (क) दक्षिणी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा विभिन्न श्रेणियों के व्यक्तियों का पेंशन/वित्तीय सहायता प्रदान करने से संबंधित पॉलिसी डॉक्यूमेंट की प्रति अनुलग्नक 'क' पर संलग्न है।

उत्तरी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार निगम द्वारा पत्र संख्या 600/CSD/HQ/NDMC/216 दिनांक 23.02.2016 के माध्यम से वृद्धावस्था पेंशन सम्बन्धित सभी दस्तावेज दिल्ली सरकार को हस्तारित कर दिए गए हैं।

पूर्वी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2013 के बाद पूर्वी दिल्ली नगर निगम द्वारा दी जाने वाली विभिन्न श्रेणियों के व्यक्तियों का पेंशन/वित्तीय सहायता नहीं दी गई। माननीय न्यायालय के आदेशानुसार पेंशन वितरण का कार्य समाज कल्याण विभाग, दिल्ली सरकार के द्वारा किया जा रहा है।

(ख) दक्षिणी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार लाभार्थियों की सूची व धनराशि का विस्तृत विवरण सम्बन्धित सूचना बड़ी संख्या में है अतः क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त सूचना लाभार्थियों की संख्या व धनराशि का विवरण अनुलग्नक 'ख' पर संलग्न है।

उत्तरी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार उपरोक्तानुसार।

पूर्वी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार उपरोक्तानुसार।

(ग) दक्षिणी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार सामुदायिक भवनों की सूची अनुलग्नक 'ग' पर संलग्न है।

उत्तरी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार सूची संलग्न है।

पूर्वी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार पूर्वी दिल्ली नगर निगम के समुदाय भवनों की सूची mcdonline.go.in पर उपलब्ध है एवं सूची संलग्न है।

(घ) जी हाँ, यह सत्य है।

(ङ) दक्षिणी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार स्वीकृत पद व रिक्त पदों की सूची अनुलग्नक 'घ' पर संलग्न है। इन रिक्त पदों को भरने के लिए डीएसएसएसबी के साथ पत्राचार कर भरने हेतु कदम उठाए गए हैं।

उत्तरी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार सूची संलग्न है।

पूर्वी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार सूची संलग्न है। विभाग द्वारा की गई कार्यवाही की प्रतिलिपि संलग्न है।

(च) दक्षिणी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्तमान में दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के समुदाय सेवा विभाग द्वारा इस प्रकार की गतिविधियाँ/कक्षाएँ नहीं चलाई जा रही हैं।

उत्तरी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार उत्तरी दिल्ली नगर निगम के सामुदायिक सेवा विभाग द्वारा प्रतिभा विकास केन्द्र और नर्सरी कक्षाएँ नहीं चलाई जाती हैं।

पूर्वी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्तमान में सी.एस.डी/EDMC द्वारा इस प्रकार की कोई गतिविधियाँ/कक्षाएँ नहीं चलाई जा रही हैं।

101. श्री हाजी यूनस: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एसडीएमसी, नॉर्थ डीएमसी, ईडीएमसी के अंतर्गत पार्कों के रख-रखाव तथा विभाग के मालियों को कार्य-आवंटन के संबंध में क्या नीति है;

(ख) उद्यान विभाग के लिए विभिन्न योजनाओं/गतिविधियों के लिए प्राप्त होने वाली निधियों और उनके खर्च का वर्षवार विवरण व उनका 'यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट' उपलब्ध कराएँ;

(ग) तीनों नगर निगमों के अंतर्गत स्थाई या अनुबंध के आधार पर नियुक्त स्टाफ (अधिकारी, माली आदि) का पूर्ण विवरण, उनके पदनाम व उत्तरदायित्वों सहित, उपलब्ध कराएँ;

(घ) 2019-20 में डीपीजीएस योजना के अंतर्गत दिल्ली सरकार कितने पार्कों का रख-रखाव करती है, पार्क का नाम, संबंधित वार्ड पार्क का क्षेत्रफल व स्वीकृत राशि सहित विवरण प्रदान करें;

(ङ) 2019-20 में एमसीडी की आंतरिक पीपीई योजना के अंतर्गत कितने पार्कों का रख-रखाव किया जा रहा है, पार्क का नाम, संबंधित वार्ड पार्क का क्षेत्रफल व स्वीकृत राशि सहित विवरण प्रदान करें;

(च) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा नॉर्थडीएमसी को कितने पार्क हस्तांतरित किए गए हैं और दिल्ली विकास प्राधिकरण की ओर से एसडीएमसी/नॉर्थडीएमसी/ईडीएमसी को रख-रखाव हेतु 1 जनवरी 2010 से 30 अक्टूबर, 2021 के बीच कितनी राशि प्राप्त हुई है;

(छ) क्या यह सत्य है कि पार्कों को बुक करने के लिए जो लोग डिमांड ड्राफ्ट जमा कराते हैं, उनमें से कई लोग सिव्योरिटी डिपोजिट का रिफंड नहीं लेते हैं;

(ज) यदि हाँ, तो 1.1.15 से 30.10.21 की अवधि के दौरान ऐसी राशि का विस्तृत विवरण प्रदान करें; और

(झ) वित्तीय वर्ष 2019-2020 के दौरान तीनों नगर निगमों में की गई पौधारोपण गतिविधियों का विस्तृत विवरण उपलब्ध कराएँ?

शहरी विकास मंत्री: (क) पूर्वी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार ई.डी.एम.सी. के अन्तर्गत पार्कों के रखरखाव हेतु डी.पी.जी.एस., पी.पी.पी. एवं एम.ओ.यू. स्कीम के तहत किया जाता है। मालियों का कार्य क्षेत्रीय चौधरी के द्वारा जैसे: पार्कों की निराई-गुनाई, हैज कटींग, ग्रास कटींग, सिंचाई एवं पेड़ों की कटाई-छटाई इत्यादि कार्य कराये जाते हैं।

उत्तरी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार उत्तरी दिल्ली नगर निगम, उद्यान विभाग से संबंधित मांगी गई जानकारी अनुलग्नक-‘क’ पर संलग्न है।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के उद्यान विभाग द्वारा पार्कों के रख-रखाव के लिए मालियों को घास, हैज, खरपतवार काटने व वृक्षारोपण, सिंचाई, वृक्षों की हल्की छँटाई आदि कार्य आवंटन किए हुए हैं जिसके तहत प्रति एकड़ पार्क पर 1 माली का आवंटन करने की नीति है।

(ख) पूर्वी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के अन्तर्गत यू.डी.एफ.फण्ड भारत सरकार द्वारा 3.13 करोड़ रुपये की स्वीकृति निगम को प्राप्त हुई, जिसमें 61 लाख के कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं। परन्तु अभी तक फण्ड विभाग को भुगतान हेतु प्राप्त नहीं हुआ है। ताकि यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दिया जा सके।

उत्तरी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार उत्तरी दिल्ली नगर निगम, उद्यान विभाग से संबंधित मांगी गई जानकारी अनुलग्नक-‘ख’ पर संलग्न है।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार 1. योजना मद जिसका फण्ड दिल्ली सरकार द्वारा दिया जाता है उसका वर्ष अनुसार प्राप्त निधियाँ, खर्च एवं यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट 2015-2016, 2020-2021 साथ संलग्न है। (अनुलग्नक-ए)

(ग) पूर्वी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार सूची संलग्न है।

उत्तरी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार उद्यान विभाग, उत्तरी दिल्ली नगर निगम से मांगी गई जानकारी इस प्रकार है:-

पद	रेगूलर	एडहॉक	एल.ए.सी.	अनुबंध
निदेशक	-	01	-	-
उप. निदेशक	-	04	02	-
सहा. निदेशक	-	-	-	-
अनुभाग अधिकारी	02	-	12	14
चौधरी	35	-	45	-
माली	1515	-	-	449

बाकि सूचना अनुलग्नक-क पर संलग्न है।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार उद्यान विभाग दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के अन्तर्गत स्थाई या अनुबंध के आधार पर नियुक्त

स्टाफ (अधिकारी, माली आदि) का पूर्ण विवरण, उनके पदनाम व उत्तरदायित्वों की सूची साथ संलग्न है। (अनुलग्नक-बी)

(घ) पूर्वी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार सूची संलग्न है।

उत्तरी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार उत्तरी दिल्ली नगर निगम, उद्यान विभाग से संबंधित मांगी गई जानकारी अनुलग्नक-‘ग’ पर संलग्न है।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार यह प्रश्न दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के उद्यान विभाग से संबंधित नहीं है।

(ङ) पूर्वी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार पू.दि.न.नि. द्वारा वर्ष 2019-20 में पी.पी.पी. स्कीम के तहत कोई पार्क रखरखाव हेतु किसी संस्था को आवंटित नहीं किया गया।

उत्तरी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार उत्तरी दिल्ली नगर निगम, उद्यान विभाग से संबंधित मांगी गई जानकारी अनुलग्नक-‘घ’ पर संलग्न है।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार 2019-20 में एमसीडी की आंतरिक पीपीपी योजना के अंतर्गत कितने पार्कों का रख-रखाव किया जा रहा है, पार्क का नाम, संबंधित वार्ड पार्क का क्षेत्रफल की सूची साथ संलग्न है (अनुलग्नक-सी) व प्रति एकड़ 13500 रु० की राशि इस योजना के तहत रख-रखाव हेतु दी जाती है।

(च) पूर्वी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार डी.डी.ए. द्वारा पू.दि.न.नि. को 132 पार्कों को हस्तांतरित किया गया, जिसके लिए निगम को

अभी तक कोई धन राशि डी.डी.ए. से प्राप्त नहीं हुई है। धन राशि लेने के लिए निगम द्वारा पत्राचार जारी है।

उत्तरी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा नॉर्थ डीएमसी को 683 पार्क हस्तांतरित किए गए हैं और दिल्ली विकास प्राधिकरण की ओर से नॉर्थ डीएमसी को रख-रखाव हेतु 01 जनवरी 2010 से 30 अक्टूबर, 2021 के बीच रुपये 10,42,69,183/- राशि प्राप्त हुई है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम, उद्यान विभाग से संबंधित मांगी गई जानकारी अनुलग्नक- 'क' पर संलग्न है।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 1.1.2010 से 12.5.2012 तक की समय अवधि दिल्ली नगर निगम से सम्बन्धित है तथा इस अवधि का उत्तर उत्तरी दिल्ली नगर निगम से सम्बन्धित है दिनांक 13.05.2012 से अक्टूबर 2021 के बीच की राशि जो दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा एसडीएमसी को रुपये 72839823 राशि प्राप्त हुई है।

(छ) पूर्वी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार हाँ, यह सत्य है कि कुछ लोग सिक्योरिटी डिपोजिट नहीं लेने आते हैं।

उत्तरी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार हाँ, यह सत्य है।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार उद्यान विभाग द्वारा पार्क बुकिंग के डिमांड ड्राफ्ट सम्बंधित व्यक्तियों के अनुरोध पर प्रदान कर दिए जाते हैं। हालांकि कुछ व्यक्ति सिक्योरिटी रिफंड हेतु अनुरोध भी नहीं करते हैं।

(ज) पूर्वी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस अवधि के दौरान 35 नं. डिमांड ड्राफ्ट जमा है, जिसके लिए संबंधितों को पत्राचार जारी है।

उत्तरी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार सूची अनुलग्नक-‘ड’ पर संलग्न है।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार जो लोग डिमांड ड्राफ्ट जमा कराते हैं, उनमें से कई लोग सिव्क्योरिटी डिपोजिट का रिफंड नहीं लेते हैं। अवधि 01.01.2015 से 30.10.2021 का विवरण साथ में संलग्न है। (अनुलग्नक-डी)

(झ) पूर्वी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के दौरान पू.दि.न.नि. द्वारा लगभग 71214 पेड एवं झाड़ियाँ लगाई गयीं।

उत्तरी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के दौरान उत्तरी दिल्ली नगर निगम, उद्यान विभाग द्वारा की गई पौधारोपण की सूची अनुलग्नक-‘च’ पर संलग्न है।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-2020 के दौरान उद्यान विभाग, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा 69955 वृक्ष व 184708 झाड़ियाँ लगाई गईं।

102. श्री हाजी यूनस: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एमसीडी स्कूलों की सूची उनके पते, कक्षाओं की संख्या, प्रिंसिपल सहित अध्यापकों की संख्या, सफाई स्टाफ की संख्या सहित उपलब्ध कराएँ;

(ख) क्या उक्त स्कूलों में पुस्तकालय, कंप्यूटर/साइंस लैब व ऑडीटोरियम चालू हालत में हैं;

(ग) 1 जनवरी, 2015 से 31 अक्टूबर, 2020 तक एमसीडी स्कूलों के कितने नए भवन बनाए गए व उनके नाम, पते, उनमें बने नए कमरों व शौचालयों की संख्या, ऑडिटोरियम की जानकारी सहित उपलब्ध कराएँ;

(घ) इस निर्माण पर आने वाली कुल लागत क्या है;

(ङ) एमसीडी द्वारा घर-घर जाकर किए जाने वाले अद्यतन सर्वेक्षण की रिपोर्ट उपलब्ध कराएँ, जिसमें स्कूल न जाने वाले बच्चों की जानकारी ली जाती है;

(च) 1 जनवरी, 2015 से 31 अक्टूबर, 2021 के बीच पंजीकृत छात्रों और बीच में ही पढ़ाई छोड़ देने वाले छात्रों का, लड़कों और लड़कियों का अलग-अलग, वर्षवार विवरण उपलब्ध कराएँ; और

(छ) एमसीडी द्वारा कल्याण योजनाओं के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सुविधाओं, जैसे निःशुल्क पुस्तकें, वर्दी, छात्रवृत्ति आदि का पूरा विवरण वर्ष 2018-19 व 2019-20 के लिए उपलब्ध कराएँ?

शहरी विकास मंत्री: (क) दक्षिणी दिल्ली नगर निगम: दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के विद्यालयों की सूची संबंधित विवरणों सहित अनुलग्नक 'क' पर संलग्न है।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के विद्यालय में प्रत्येक विद्यालय में एक सफाई कर्मी कार्यरत है तथा कुल 577 सफाई कर्मचारी कार्यरत है।

पूर्वी दिल्ली नगर निगम: सूची संलग्न है। (संलग्नक 'क')

उत्तरी दिल्ली नगर निगम: शिक्षा विभाग के 692 निगम विद्यालयों में 658 सफाई कर्मचारी कार्यरत हैं तथा रिक्त पदों पर Leave substitute कर्मचारियों से कार्य लिया जाता है।

(ख) **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम:** दक्षिण दिल्ली नगर निगम के सभी विद्यालयों में पुस्तकालय की व्यवस्था है।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के 468 विद्यालयों में स्मार्ट क्लास/कम्प्यूटर/साइंस लैब की व्यवस्था है।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के सभी विद्यालयों में हॉल की व्यवस्था है, ऑडीटोरियम नहीं है।

पूर्वी दिल्ली नगर निगम:

1. पूर्वी दिल्ली नगर निगम के सभी विद्यालयों में छात्रों हेतु पुस्तकालय की सुविधा उपलब्ध है।
2. पूर्वी दिल्ली नगर निगम के 232 विद्यालय में से 200 भवनों में कम्प्यूटर लैब उपलब्ध है।
3. किसी भी विद्यालय में साइंस लैब नहीं है परन्तु प्रत्येक विद्यालय में साइंस किट उपलब्ध है।
4. सभी विद्यालयों में बहुउद्देशीय हॉल उपलब्ध है।

उत्तरी दिल्ली नगर निगम: उत्तरी दिल्ली नगर निगम के सभी स्कूलों में कम्प्यूटर चालू हालत में तथा सभी कम्प्यूटर की AMC की हुई है। सभी स्कूलों में पुस्तकालय की सुविधा उपलब्ध है।

(ग) **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम:** 1 जनवरी, 2015 से 31 अक्टूबर, 2020 तक दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में बनाये गये नये भवनों की सूची अनुलग्नक 'ख' पर संलग्न है।

पूर्वी दिल्ली नगर निगम: पूर्वी दिल्ली नगर निगम में 1 जनवरी, 2015 से 31 अक्टूबर 2020 तक 34 विद्यालयों में भवनों/कमरों का निर्माण हुआ है। जिनमें 384 कमरों, 51 शौचालयों व 26 बहुदेशीय हॉल का निर्माण हुआ है।

उत्तरी दिल्ली नगर निगम: 1 जनवरी 2015 से 31 अक्टूबर, 2020 तक एमसीडी स्कूलों के नवनिर्मित निगम विद्यालयों की सूची 'ग' संलग्न है।

(घ) **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम:** निर्माण पर आने वाली वार्षिक लागत का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	वर्ष	लागत लाख में
1.	1 जनवरी 15 से मार्च 2015 तक	3458.44
2.	2015-16	5429.03
3.	2016-17	5408.51
4.	2017-18	7615.96
5.	2018-19	9760.60
6.	2019-20	4210.62
7.	अक्टूबर-2020 तक	7488

पूर्वी दिल्ली नगर निगम: इस निर्माण पर कुल लागत रुपये 8,625.37 लाख आई है।

उत्तरी दिल्ली नगर निगम: इस निर्माण पर आने वाली कुल लागत का विवरण संलग्न 'घ' है।

(ङ) **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम:** दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के द्वारा विशेष दाखिला अभियान के तहत क्षेत्र में घर-घर जाकर प्रवेश किए गए हैं ये कोशिश की गई है कि कोई भी बच्चा छूट न जाए। वर्ष 2020-21 में 93969 (upto 31.08.2021) नये दाखिले किये गये।

पूर्वी दिल्ली नगर निगम: पूर्वी दिल्ली नगर निगम शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिवर्ष न पढ़ने वाले बच्चों के संबंध में सर्वे किया जाता है। वर्तमान सत्र में सर्वे के दौरान आयु वर्ग 3-11 वर्ष के लगभग 2065 ऐसे बच्चे मिले जो किसी भी विद्यालय में नामांकित नहीं थे। इनका नामांकन उनके निवास के नजदीक के निगम विद्यालयों में करा दिया गया है।

उत्तरी दिल्ली नगर निगम: शिक्षा विभाग उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा प्रति वर्ष किए जाने वाले सर्वेक्षण में स्कूल न जाने वाले बच्चों को उनकी आयु अनुसार घर के समीप वाले निगम विद्यालयों में प्रवेश करवा दिया जाता है।

(च) **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम:** दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के विद्यालयों में 1 जनवरी, 2015 से 31 अक्टूबर 2021 के बीच पंजीकृत एवं विद्यालय छोड़ने वाले बच्चों की संख्या निम्नलिखित है:-

क्र.सं.	वर्ष	पंजीकृत विद्यार्थियों की संख्या	विद्यालय छोड़कर गये छात्र की संख्या	विद्यालय छोड़कर गई छात्रा की संख्या
1.	2015	140007	10952	8802
2.	2016	146551	11989	9320

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

370

04 जनवरी, 2022

3.	2017	145896	9825	7492
4.	2018	141886	9638	7385
5.	2019	144680	8574	6900
6.	2020	162686	6396	3857
7.	2021	192151	5871	3267
अक्टूबर				

पूर्वी दिल्ली नगर निगम:

वर्ष	नामांकन		ड्राफ़्टआउट	
	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा
2015	108694	114909	0	0
2016	101879	110355	0	0
2017	90021	97735	0	0
2018	84640	93871	0	0
2019	84230	93814	0	0
2020	86087	94582	0	0
2021	106489	111140	0	0

उत्तरी दिल्ली निगम निगम:

Year	Students (In Lacs Including Primary & Nursery)
2015-16	3.60
2016-17	3.40
2017-18	3.28
2018-19	3.28
2019-20	3.28
2020-21	2.67
2021-22	3.21

छात्रों के निगम विद्यालयों में प्रवेश लेने के पश्चात् कक्षा पांचवीं तक पढ़ाने के बाद इनका प्रवेश दिल्ली सरकार की विद्यालयों में कक्षा छठी में करवा दिया जाता है। इसके आलावा यदि छठी कुछ कारणों से किसी अन्य विद्यालय में प्रवेश लेना चाहते हैं तो उनको SLC प्रदान कर दिया जाता है।

(छ) **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम:** दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा कल्याण योजनाओं के अन्तर्गत प्रदान की जाने वाली सुविधाओं का ब्यौरा निम्न प्रकार है:-

क्र. सं.	वर्ष	छात्रों की संख्या	निःशुल्क पुस्तकें	वर्दी	छात्रवृत्ति
1.	2018-19	238861	रुपये 46551862/-	500/- रुपये प्रति बच्चा की दर से 238861 x 500=119430500/- 500/- रुपये प्रति बच्चा (नर्सरी) 20000 x 500=10000000/-	रुपये 1000/- छात्र (एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी./मायनोरटी)= 67628000/-
2.	2019-20	256331	रुपये 36705788/-	1000/- रुपये प्रति बच्चा ही दर से 256331 x 1000= 281964100/- 1100/- रुपये प्रति बच्चा (नर्सरी) x 22005 1100=2,42,05,500/-	रुपये 1500/- प्रति छात्र (एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी./मायनोरटी)= 255954500/-

पूर्वी दिल्ली नगर निगम:

मद	वर्ष	
	2018-19	2019-20
निःशुल्क पुस्तक	1 सेट प्रत्येक छात्र	1 सेट प्रत्येक छात्र
वर्दी अनुदान	रु. 1100/- प्रति छात्र	रु. 1100/- प्रति छात्र
मेधावी छात्रवृत्ति	कक्षा 4 रु. 1000/- प्रति मेधावी छात्र कक्षा 5 रु. 1200/- प्रति मेधावी छात्र	कक्षा 4 रु. 1000/- प्रति मेधावी छात्र कक्षा 5 रु. 1200/- प्रति मेधावी छात्र
लेखन सामग्री	02 स्केल, 20 पेंसिल, 01 रंग की डिब्बी आदि प्रति छात्र दिया गया।	300 प्रति छात्र नगद राशि उनके बैंक खाते में दी गई।
कन्या प्रोत्साहन राशि	रु. 500/- प्रति छात्रा प्रति वर्ष	रु. 500/- प्रति छात्रा प्रति वर्ष

उत्तरी दिल्ली नगर निगम: 2018-19 में मेधावी छात्रवृत्ति की परीक्षा की राशि कक्षा-IV व V के छात्रों को कुल 39,28,000/- रुपये वितरित किए गए।

2019-20 में मेधावी छात्रवृत्ति परीक्षा आयोजित नहीं की गई।

शिक्षा विभाग, उ.दि.न.नि. द्वारा सत्र 2018-19 व सत्र 2019-20 में कल्याणकारी योजनाओं के अन्तर्गत दी गई सुविधाओं का विवरण निम्न प्रकार है:-

	सत्र 2018-19	सत्र 2019-20
पाठ्य पुस्तकें	2,98,672	2,87,274 छात्रों को निःशुल्क वितरित की गई।
वर्दी	2,98,672 छात्रों को वर्दी खरीदने के लिये प्रति छात्र 1100/- रुपये की सहायता राशि प्रदान की गई।	2,87,274 छात्रों को वर्दी खरीदने के लिये प्रति छात्र 1100/- रुपये की सहायता राशि प्रदान की गई।
स्कूल बैग	2,98,672 छात्रों को स्कूल बैग खरीदने के लिये प्रति छात्र 120/- रुपये की सहायता राशि प्रदान की गई।	2,98,274 छात्रों को स्कूल बैग खरीदने के लिये प्रति छात्र 120/- रुपये की सहायता राशि प्रदान की गई।
नोटबुक व डायरी	2,98,672 छात्रों को निःशुल्क वितरित की गई।	2,98,274 छात्रों को निःशुल्क वितरित की गई।

103. श्री हाजी यूनस: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एसडीएमसी/नॉर्थडीएमसी/ईडीएमसी के अंतर्गत लीजहोल्ड वाली दुकानों का वितरण उनके क्षेत्रफल और वार्ड संख्या सहित उपलब्ध कराएँ?

शहरी विकास मंत्री: (क) दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत आने वाली लीजहोल्ड दुकानों/प्रॉपर्टी के संदर्भ में बताया जाता है कि L&DO भारत सरकार द्वारा दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को वर्ष 2006 में 38 मार्किट जिसमें कि 1168 दुकानें हैं, स्थानान्तरित की गई थी जिनका विवरण अनुलग्नक 'क' पर संलग्न है।

उत्तरी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त जानकारी का विवरण अनुलग्नक 'क' पर संलग्न है।

पूर्वी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार लीजहोल्ड दुकान/प्रॉपर्टी नहीं देती है।

104. श्री सुरेंद्र कुमार: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि ऑडिट रिपोर्ट 2017-18 के अनुसार विभाग के पास खाली भूमि तथा संपत्तिकार से छूट प्राप्त भवनों का कोई रजिस्टर/रिकॉर्ड/विवरण नहीं है, जबकि डीएमसी अधिनियम की धारा 115(2) के अंतर्गत ऐसा होना आवश्यक है, 1 जनवरी 2015 से 31 अक्टूबर 2021 तक का पूर्ण विवरण उपलब्ध कराएं;

(ख) दिनांक 1 जनवरी 2015 से 31 अक्टूबर 2021 के बीच किए गए सर्वेक्षणों का विवरण प्रदान करें, इस अवधि में कितने भवनों का सर्वेक्षण किया गया;

(ग) 1 जनवरी 2015 से 31 अक्टूबर 2021 की अवधि के दौरान संपत्ति कर संबंधी रिटर्नों की छँटनी की वर्तमान स्थिति की जानकारी दें जिसमें फाइल की गई रिटर्न, छँटी गई, रिटर्नों में पाई गई कमियाँ, देय संपत्तिकर तथा वसूला गया। संपत्तिकर का विवरण भी दिया गया हो, पूर्ण विवरण सहित असेसमेंट बुक की कापी उपलब्ध कराएँ;

(घ) दिनांक 1 जनवरी, 2015 से 31 अक्टूबर, 2021 तक की अवधि के लिए 31.10.21 तक जारी यूपीआईसी की कुल संख्या, एजेंसी का नाम व पता, एजेंसी को रिलीज की गई धनराशि, आवंटित किए जाने हेतु लंबित यूपीआईसी की संख्या व इन लंबित यूपीआईसी का निपटान कब तक कर दिया जाएगा कि जानकारी देते हुए 'यूनीक आइडेंटिफिकेशन कोड' (यूपीआईसी) का रजिस्टर उपलब्ध कराएँ;

(ङ) दिनांक 1 जनवरी, 2015 से 31 अक्टूबर, 2021 तक की अवधि के लिए एकत्रित किए गए संपत्ति कर का विवरण जोन के नाम, करदाताओं की संख्या, एकत्रित किया गया कर (रुपयों में), कर वसूली में हुई कमी/वृद्धि तथा यदि कमी हुई है तो उसके कारणों की जानकारी सहित उपलब्ध कराएँ;

(च) क्या यह सत्य है कि ऑडिट रिपोर्ट 2017-18 के अनुसार विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों की अत्यधिक कमी दर्ज की गई है, दिनांक 31.03.2019 तक बकाया संपत्तिकर की राशि लगभग रु. 1107.48 करोड़ है, इसके लिए सरकार की क्या योजना है; और

(छ) ऑडिट रिपोर्ट 2017-18 के अनुसार आडिट रिपोर्ट 2017-18 के अनुसार 1. साकेत कोर्ट, साकेत. 2. मैसर्स ब्राइटवेज हाउसिंग एंड लैंड डेवलपमेंट लिज, प्लॉट नं. 7, टीडीआई डिस्ट्रिक्ट सेंटर जसोला, 3. स्कूल आफ प्लानिंग एण्ड आर्किटेक्चर, जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी काम्पलेक्स, वसंत कुंज फेज 2, 4. हेवल स्टार प्रा. लि. डेवलपर एरोसिटी होटल एण्ड ग्लोबल सेंटर दिल्ली नं. 13, एरोसिटी, आई जीआई एयरपोर्ट के समीप, महिपालपुर, 5. होटल एम्बोसिया, ए-217, महिपालपुर, 6. (ए) सी 97, मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र, फेस 2 की सम्पत्ति, (बी) ए-1/177ए, जनकपुरी की संपत्ति, 7. आल इंडिया प्राइमरी टीचर्स फेडरेशन, डी-41, औद्योगिक क्षेत्र जनकपुरी, 8. ए3/233, जनकपुरी की संपत्ति, 9. होटल वेब्ज, ए-272, एन एच 8, महिपालपुर एक्सटेंशन के सम्बंध में निकाले गए संपत्ति कर का संपूर्ण विवरण उपलब्ध कराएं।

शहरी विकास मंत्री: (क) उत्तरी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार रिकॉर्ड के संसाधनों के अनुसार ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। हालांकि विभाग इस विषय पर कार्यरत है।

पूर्वी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार जी नहीं। खाली भूमियों का भी सम्पत्ति कर प्राप्त होता है और इसका विवरण सम्पत्ति कर फाइलों तथा मांग एवं समाहरण पंजिका में होता है। संपत्ति कर छूट का कोई मामला स्वीकृत नहीं किया गया है।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस प्रश्न के विषय में यह विदित किया जाता है कि 01-04-2004 के पश्चात् निगम द्वारा किसी भी खाली भूमि एवं भवन के संदर्भ में संपत्तिकर पर कोई छूट नहीं दी गयी है। अतः कोई रजिस्टर उपलब्ध नहीं है।

(ख) उत्तरी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार 9.87, 637 संपत्तियों को सर्वे उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत डाटा वर्ल्ड एजेंसी ने किया था।

पूर्वी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार मैसर्ज डाटा वर्ल्ड नामक कम्पनी ने अगस्त 2018 सम्पत्तियों के सर्वे का कार्य आरम्भ किया है और उपलब्ध सूचना के अनुसार 7,51,530 सम्पत्तियों का सर्वे दिनांक 26.12.2021 तक किया जा चुका है।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार संपत्तियों का सर्वेक्षण एक अनवरत प्रक्रिया है जिसके तहत तथ्यों की सत्यता की जांच हेतु विभाग द्वारा समय-समय पर संपत्तियों का निरीक्षण किया जाता है। विभाग द्वारा दिनांक 1 जनवरी 2015 से 31 अक्टूबर 2021 के बीच 1,94,152 भवनों का सर्वेक्षण किया गया है।

(ग) उत्तरी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित वर्षों के अंतर्गत A&C department द्वारा पीटीआर की छंटनी के उपरांत संपत्ति कर वसूलने के लिए डिमांड लगभग की गई थी।

Year	No. of Property	Demand
2021-21	9908	238 Cr.
2021-22	5756	218 Cr.

अतिरिक्त प्रश्न के अंतर्गत सूचना अभी उपलब्ध नहीं है।

पूर्वी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस प्रकार का कार्य विक्रेन्दीयकृत स्तर पर मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय में किया जाता है और

सूचना तत्काल दिया जाना सम्भव नहीं है। मांग एवं समाहरण पंजिकाएं ही असेसमेंट बुक है और इन पंजिकाओं की संख्या 3000 से अधिक हो सकती है।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 1 जनवरी 2015 से 31 अक्टूबर 2021 की अवधि के दौरान 29,12,782 संपत्तिकर दाताओं, द्वारा रिटर्न फाइल किया गया। करदाताओं द्वारा जमा की गई रिटर्न की जांच एक अनवरत प्रक्रिया है जो कि वर्षभर चलती रहती है। इस अवधि में विभाग द्वारा कुल 1,91,927 संपत्तिकर रिटर्न की जांच की गयी जिनमें से 32,309 में कमी पाई गयी और इस संबंध एक अंतर राशि के रूप में रु. 347.94 करोड़ का कर एकत्रित किया गया।

(घ) उत्तरी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार 9,87,637 संपत्तियों का यूपीआईसी उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अधिकार के क्षेत्र के अंतर्गत डाटा वर्ल्ड एजेंसी ने जारी किया था। JL-21, Roshan Garden, Najafgarh, New Delhi-110043 तथा विभाग में लगभग 13.77 करोड़ का भुगतान उपरोक्त एजेंसी को कर दिया है वर्तमान में लगभग 13.77 करोड़ का भुगतान उपरोक्त एजेंसी को कर दिया है वर्तमान के केस कोर्ट में लंबित है।

पूर्वी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 1 जनवरी 2015 से 31 अक्टूबर 2021 तक जारी यूपीआईसी की कुल संख्या 606887 है, एजेंसी का नाम मैसर्स डाटा वर्ल्ड इनफारेमेशन सिस्टम प्रा. लि. है तथा पता एच 94, प्रथम मंजिल, सेक्टर 63, नोएडा, यूपी 201301 है, एजेंसी को रिलीज की गई धनराशि रुपये 4,87,69,169/- है। यूपिक आबंटन का कार्य जारी है और प्राप्त आवेदनों को लगातार निपटाया जा रहा है। आबंटित किए जाने हेतु लंबित यूपीआईसी का निपटान 10 दिन तक कर दिया जाएगा। 'यूनीक आइडेंटिफिकेशन कोड' (यूपीआईसी) का डाटा/रजिस्टर बैबसाइट edmcupic.in पर उपलब्ध है।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार विभाग द्वारा दिनांक 1 जनवरी 2015 से 31 अक्टूबर 2021 की अवधि के दौरान ऑनलाइन रिकार्ड के आधार पर कुल 314764 यूपीआईसी जारी किए गये। जोकि घरेलू प्रक्रिया द्वारा जनरेट किये गये तथा उस पर कोई खर्चा नहीं आया। इनकी प्रिंटिंग का कार्य DIMTS एजेंसी को प्रति कार्ड 15 रुपये के हिसाब से दिया गया था। इसके लिये एजेंसी को रुपये 47.21 लाख की धनराशि दी गयी थी। वर्ष 2019 के पश्चात् जब कोई करदाता अपना संपत्तिकर रिटर्न ऑनलाइन फाइल करता है जो यूपिक नं. (UPIC No.) ऑटो-जनरेट हो जाता है।

(ड) उत्तरी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित वर्षों के अंतर्गत A&C department द्वारा जारी सूचना।

Year	No. of tax Payers	Amount in Cr.
2016-17	440145	613
2017-18	400955	547
2018-19	448760	670.2
2019-20	419508	548.75
2020-21	438456	684
2021-26.12.21	384581	472.96

पूर्व दिल्ली नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2014-15 से 31.10.2021 तक कर वसूली का विवरण संलग्न परिशिष्ट 1 के 2 पृष्ठों पर

उपलब्ध है। वर्ष 2017-18 तक लगातार कर राशि में वृद्धि हुई है और 2017-18 में गत वर्ष की तुलना में 42 प्रतिशत वृद्धि हुई है और यह वृद्धि की गति अगले वर्ष जारी नहीं रही है और उसके बाद की अवधियों में कोरोना बीमारी के कारण कर वसूली पर प्रभाव पड़ा है।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार सूची अनुलग्नक 'क' पर संलग्न है।

(च) उत्तरी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार के सम्पत्ति कर विभाग में विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों की कमी हेतु समय-समय पर केन्द्रीय संस्थापना विभाग को अवगत करा दिया जाता है।

पूर्वी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार जी हां, कर्मचारियों की संख्या में कमी है। प्रश्न के शेष भाग का संबंध केन्द्रीय संस्थापना विभाग से है। उल्लिखित बकाया राशि 1107.48 करोड़ का।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस विषय में यह विदित किया जाता है कि रु. 1107.48 करोड़ की बकाया राशि का संबंध वर्ष 2004 से पहले के आर.वी. मेथड व एकीकृत निगम के समय से संबंधित है। यह जानकारी संभवतः वर्ष 2010 के आस-पास ऑडिट के साथ साझा की गयी थी। वही जानकारी वर्तमान में भी चली आ रही है। इस देनदारी का सही-सही विवरण कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है। इस संबंध में यह भी विदित हो कि वर्ष 2004 के पश्चात यूनिट एरिया मेथड लागू हो गया है। विभाग अथक प्रयास कर रहा है कि किसी तरह से इनकी पूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाए, जिससे कि वास्तविक स्थिति प्राप्त हो सके एवं उचित कार्यवाही की जा सके।

(छ) दक्षिणी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस संबंध में यह सूचित किया जाता है कि ज्यादातर संपत्तियों से एकट के हिसाब से कर वसूल कर लिया गया है जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:-

संपत्तिकर	रसीद नं.	दिनांक
1. साकेत कोर्ट, साकेत	12.77 करोड़	DS-94250
2. मैसर्स ब्राइटवेज हाउसिंग एंड लैंड डेवलपमेंट लि. प्लॉट नं.-7, टीडीआई डिस्ट्रिक्ट सेंटर, जसौला	48.69 करोड़	DO-30204
3. स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी कॉम्प्लेक्स, वसंतकुज, फेज-2	24.45 लाख	DS-93659
4. इवन स्टार प्रा.लि. डेवलपर/ऐरोसिटी होटल एंड ग्लोबल सेंटर (दिल्ली) प्रा.लि., एसेट नं.-13, एयरोसिटी, आईजीआई एयरपोर्ट के समीप, महिपालपुर	34.27 लाख	DP-99084
5. होटल एम्बोसिया, ए-217, महिपालपुर	5.22 लाख	DR-93546
6. (ए) सी-96, मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र. फेस 2 की संपत्ति (बी) ए-1/177ए, जनकपुरी की संपत्ति	(ए) करदाता ने 4.00 लाख स्वीकृत राशि के रूप में suo motu Assessment के बाद में भुगतान किया है एवम् आगे की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है (बी) डीएमसी अधिनियम के अनुसार मामले में नोटिस जारी किया गया है एवम् आगे की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	
7. ऑल इंडिया प्राइमरी टीचर्स फेडरेशन, डी-41, औद्योगिक क्षेत्र, जनकपुरी	9.59 लाख रु. ऑनलाइन प्राप्त हुए	
8. ए-3/233, जनकपुरी की संपत्ति	डीएमसी अधिनियम के अनुसार मामले में नोटिस जारी किया गया है एवम् आगे की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	
9. होटल वेब्ज, ए-272, एन एच 8, महिपालपुर एक्सटेंशन के संबंध निकाले गए संपत्ति कर का संपूर्ण विवरण उपलब्ध कराएँ?	करदाता ने शपथ पत्र दिया है कि संबंधित संपत्ति का उपयोग गेस्ट हाउस के तौर पर हो रहा है एवम् संपत्तिकर के गेस्ट हाउस के तौर पर ही वर्ष 2018-19 और 2019-20 का जमा किया गया है।	

परिशिष्ट-1

PROPERTY TAX COLLECTION

(In Lakh)

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22								
Zone	Collection on Tax Payers 31.03.2015	No. of Tax Payers 31.03.2016	Collection on Tax Payers 31.03.2017	No. of Tax Payers 31.03.2018	Collection on Tax Payers 31.03.2019	No. of Tax Payers 31.03.2020	Collection on Tax Payers 31.03.2021	No. of Tax Payers 01.04.2021 to 31.10.2021								
Shah (N) Manual	1553.37	56466	1899.52	61094	1634.37	17158	3082.3	27998	3495.92	36225	1397.45	10072	1220.83	7566	139.73	438
Shah (N) Online					1161.23	52268	1142.83	53949	1130.34	54570	1488.47	56644	1890.1	62506	1259.06	48343
Shah (N) Total	1553.37	56466	1899.52	61094	2795.6	69426	4225.13	81947	4626.26	90795	2885.92	66716	3110.93	70072	1398.79	48781
Shah (S) Manual	6748.85	151942	8482.89	162610	6496.17	58430	8175.41	62224	8289.85	50164	4877.89	32376	5088.49	22571	272.05	819
Shah (S) Online					4100.32	123127	4074.53	121803	5149.55	123987	5220.05	127854	6124.44	138708	6149.24	121449
Shah (S) Total	6748.85	151942	8482.89	162610	10596.49	181557	12249.94	184027	13439.4	174151	10097.94	160230	11212.93	161279	6421.29	122268
Circle Manual	1214.56	1218	1382.16	1186	1576.76	181557	2128.26	1456	2204.27	1286	1637.15	1176	1657.53	942	239.33	48
Circle Online															1066.22	2214
Circle Total	1214.56	1218	1382.16	1186	1576.76	181557	2128.26	1456	2204.27	1286	1637.15	1176	1657.53	942	1305.55	2262
GRP Manual	3751.36	235	5251.81	268	3239.21	1775	7302.48	518	4359.24	242	6203.57	266	4819.2	243	2083.34	181
Total	13268.14	209861	17016.38	225158	18208.06	434315	25905.81	267948	24629.17	266474	20824.58	228388	20800.59	232536	11208.97	173492

30.12.2021

PROPERTY TAX COLLECTION FOR THE YEAR 2021-2022

Zone	2020-21				2021-22			
	(in Lacs)		No. of Tax Payers	Recovery on 30.12.2020	(in Lacs)		No. of Tax Payers	Recovery on 30.12.2021
	Collection upto 30.12.2020	Collection upto 30.12.2020			Collection upto 30.12.2021	Collection upto 30.12.2021		
SHAH(N) Arrear/diff.	666.61	666.61	5555	2.62	381.08	381.08	949	0.00
SHAH(N)Online	1543.53	1543.53	54188	0.00	1490.62	1490.62	53943	4.27
SHAH(N)TOTAL	2210.14	2210.14	59743	2.62	1871.70	1871.70	54892	4.27
SHAH(S)Arrear/diff.	3185.19	3185.19	16200	25.14	562.88	562.88	1394	0.00
SHAH(S)Online	5291.58	5291.58	124007	1.58	6761.79	6761.79	134375	14.07
SHAH(S)TOTAL	8476.77	8476.77	140207	26.72	7324.67	7324.67	135769	14.07
CIRCLE online	1105.73	1105.73	630	22.57	1145.21	1145.21	2475	1.56
CIRCLE /Arrear/diff.	0.00	0.00	0	0.00	439.90	439.90	81	0.00
Circle TOTAL	1105.73	1105.73	630	22.57	1585.11	1585.11	2556	1.56
GRP	3389.68	3389.68	214	0.00	4003.14	4003.14	199	52.77
TOTAL P.TAX	15182.32	15182.32	200794	51.91	14784.62	14784.62	193416	72.67
TRANSFER DUTY	4597.13	4597.13	Sep,2020	0.00	9173.66	9173.66	Sep,2021	0.00
GROSS TOTAL	19779.45	19779.45	200794	51.91	23958.28	23958.28	193416	72.67

Copy to :-

1. P.S to Hon'ble Mayor/EDMC for kind information
2. P.S. to Chairman Stg. Committee for kind information
3. High Power Committee (House Tax)
4. Addl. Cmr.-III
5. PS to Commissioner
6. Jt. A&C (HQ)/Jt. A&C, Shah.(S)/Jt. A&C, Shah.(N)
7. Dy. A&C/HQ, Dy. A&C/Shah.(S)/Dy. A&C,Shah.(N)

Dy. A&C/AA&C/S.O.

01.11.2021

PROPERTY TAX COLLECTION FOR THE YEAR 2021-2022

Zone	2020-21				2021-22			
	(in Lacs)		No. of Tax Payers	Recovery on 01.11.2020	(in Lacs)		No. of Tax Payers	Recovery on 01.11.2021
	Collection upto 01.11.2020	Collection upto 01.11.2021			Collection upto 01.11.2021	Collection upto 01.11.2021		
SHAH(N) Arrear/diff.	590.80	139.73	5199	0.00	139.73	438	0.00	
SHAH(N)Online	1473.98	1259.06	52457	0.00	1259.06	48343	5.11	
SHAH(N)TOTAL	2064.78	1398.79	57656	0.00	1398.79	48781	5.11	-665.99
SHAH(S)Arrear/diff.	2962.23	272.05	15533	0.00	272.05	819	10.37	
SHAH(S)Online	5158.34	6149.24	120401	0.00	6149.24	121449	38.78	
SHAH(S)TOTAL	8120.57	6421.29	135934	0.00	6421.29	122268	49.15	-1699.28
CIRCLE online	1033.95	1066.22	596	0.00	1066.22	2214	2.31	
CIRCLE /Arrear/diff.	0.00	239.33	0	0.00	239.33	48	3.06	
Circle TOTAL	1033.95	1305.55	596	0.00	1305.55	2262	5.37	271.60
GRP	3078.57	2083.34	206	0.00	2083.34	181	0.00	-995.23
TOTAL P.TAX	14297.87	11208.97	194392	0.00	11208.97	173492	59.63	-3088.90
TRANSFER DUTY	1143.15	4839.61	June,2020	0.00	4839.61	July, 2021	0.00	3696.46
GROSS TOTAL	15441.02	16048.58	194392	0.00	16048.58	173492	59.63	607.56

Recovery affected in April and May, 2021 due to Covid 19

Copy to:-

1. P.S to Hon'ble Mayor/EDMC for kind information
2. P.S. to Chairman Stg. Committee for kind information
3. High Power Committee (House Tax)
4. Addl. Cmr.-III
5. PS to Commissioner
6. Jt. A&C (HQ)/Jt. A&C,Shah.(S)/Jt. A&C, Shah.(N)
7. Dy. A&C/HQ, Dy. A&C/Shah.(S)/Dy. A&C.Shah.(N)

Dy. A&C/AA&C/Supdt.

अवधि	अनलग्नक 'क'												
	मुख्यालय		इक्षिणी क्षेत्र		मध्य क्षेत्र		पश्चिमी क्षेत्र		नजफगढ़ क्षेत्र		कुल		
	संपत्तिकर करदाता	संपत्तिकर करदाता	संपत्तिकर करदाता	संपत्तिकर करदाता	संपत्तिकर करदाता	संपत्तिकर करदाता	संपत्तिकर करदाता	संपत्तिकर करदाता	संपत्तिकर करदाता				
01.01.2015	31.03.2015	682	332	330	858	418	1004	242	2508	210	895	1882	5597
01.04.2015	31.03.2016	26268	3840	11487	82370	14876	103786	7692.48	137715	4733.67	82440	65056.5	410151
01.01.2016	31.03.2017	41365.3	4956	14359	88401	18077	111417	9544.5	146499	6812.09	92959	90157.3	444232
01.04.2017	31.03.2018	30638.9	4366	12297	83571	13608	101978	7184.31	135617	5708.38	89021	69436	414553
01.04.2018	31.03.2019	49378.3	9547	15508	105727	14604	84289	8758.24	140378	6192.09	91848	94440.3	431789
01.04.2019	31.03.2020	38825	8813	15056	103279	14693	79511	8421	137916	5665	92375	82660	421894
01.04.2020	31.03.2021	51300.8	7033	14002	107164	14253	82909	8852.13	148299	5906.61	109055	94314.1	454460
01.04.2021	31.10.2021	42201	7799	11544	78739	12391	60919	7073	106885	3861	75764	77070	330106
		280659	46686	94581	650109	102919	625813	57767.7	955817	39088.8	634357	575016	2912782

Property tax in Lakhs

105. श्री सुरेंद्र कुमार: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डीएसआईआईडीसी द्वारा गोकलपुर विधानसभा में 12 कालोनियों के निर्माण की स्कीमों के लिए अभी तक बजट आवंटित न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ख) इनका निर्माण कब तक शुरू होगा?

शहरी विकास मंत्री: (क) डीएसआईआईडीसी को 307 करोड़ निधि आवंटित करने की मिसिल वित्त विभाग में विचाराधीन है।

(ख) बजट आवंटन होने के बाद इनका निर्माण शुरू किया जाएगा।

106. श्री गुलाब सिंह: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुख्यमंत्री सड़क योजना पुनः चालू करने की योजना है;

(ख) अगर हाँ, तो इसके लिए वित्तीय मंजूरी कब तक दी जाएगी पूर्ण विवरण दें; और

(ग) साल 2019 में मटियाला विधानसभा में मुख्यमंत्री सड़क योजना से कितना पैसा मंजूर किया गया, पूरी जानकारी दी जाए?

शहरी विकास मंत्री: (क) और (ख) मुख्यमंत्री सड़क पूर्णनिर्माण योजना चालू है और वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 में 56.95 करोड़ की स्वीकृति पत्र दिया जा चुका है।

(ग) वित्तीय वर्ष 2019-20 में मुख्यमंत्री सड़क पूर्णनिर्माण योजना मटियाला विधानसभा के लिए कार्यों का विवरण अनुलग्नक 'क' पर संलग्न है।

अनुलग्नक 'क'

Details of proposals received during FY 2019-20 under MSPY Scheme in respect of Matiala Assembly constituency AC-34

Sr. No.	Name of work	Executing agency	Estimate Cost (in lakh)	50% of the Estimate to be Released at 1st Installment (in lakh)	Assembly Constituency	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
1	Restoration of road from village Daulatpur to village khawad in Matiala Assembly Constituency AC-34.	I&FC	90.6	45	34	
2	Restoration of road from Shikarpur village Chowk to village khawad in Matiala Assembly Constituency AC-34.	I&FC	57.03	28.51	34	
3	Imp. of street at Astha Apartment Sec-06, plot no-19B, Dwarka in Matiala Assembly Constituency AC-34	I&FC	24.65	12.32	34	
4	Restoration of road from village nanakheri to near village Dharampur MCD Toll Tax in Matiala Assembly Constituency AC-34	I&FC	69.91	34.95	34	

1	2	3	4	5	6	7
5	Imp of Street at Haneman Society, Sec-06 plot no-40 Dwarka in Matiala Assembly Constituency AC-34	I&FC	32.81	16	34	
6	Imp of street at Manisha Tower, Sec-23, Plot no-7B Dwarka in matiala Assembly Constituency AC-34	I&FC	36.48	18.27	34	
7	Imp of street at Eligible society, Sec-10, Plot no-38 Dwarka in matiala Assembly Constituency AC-34	I&FC	25.36	12.68	34	
8	Imp. Dev. of road in Mansaram park in AC-34 Matiala by Demolishing & Providing & Laying RMC in A Block and B Block in Mansaram park in ward No. 37S Matiyala Najafgarh.	South DMC	0	0	34	Rejected
9	Imp. Dev of Sahyog vihar road and mansaram park road from sahyog Vihar Chowk near DEMS Offices to dwarka Sec-3 road in Sahyog vihar matiala road from shiv mandir to uttam nagar road from shiv mandir to uttam nagar road and from Dispensory in E-Block Mansarm Park to Phirni Road in Mansaram Park ward No. 37-S matiala NGZ.	South DMC	160.32	80.16	34	

10	Imp of Street at Khosla Apartment Sec-5, Plot No-16 Dwarka in Matiyala Assembly Constituency AC-34.	I&FC	26.19	13.09	34
11	Imp. of Street at lovely Home Apartment. Sec-5 Plot no. 5 Dwarka in Matiyala Assembly Constituency AC-34.	I&FC	83.44	41.72	34
12	Imp. of Street at Shivlok Apartment, Sec-6 plot No. 6, Dwarka in Matiyala Assembly Constituency AC-34.	I&FC	32.28	16.14	34
13	Imp. of Street at Swami Dayannad Apartment, Sec-6 Plot No.5 Dwarka in Matiyala Assembly Constituency AC-34.	I&FC	46.1	23.05	34
14	Imp. of Street at New jai Bharat Apartment, CGHS Sec-4 Plot No.5 Dwarka in Matiyala Assembly Constituency AC-34.	I&FC	29.36	14.68	34
15	Imp. Of Street at Ispatika Apartment, Sec-4 Plot No.29 Dwarka in Matiyala Assembly Constituency AC-34.	I&FC	19.4	9.7	34
16	Imp. of Street Gulshan-E- Iqbal (Palam Court), Sec-19B, Plot No.3 Dwarka in Matiyala Assembly Constituency AC-34.	I&FC	41.33	20.66	34
17	Imp. of Street at Surya Apartment, Sec-6 Plot No. 14 Dwarka in Matiyala Assembly Constituency AC-34.	I&FC	37.43	18.71	34

1	2	3	4	5	6	7
18	Imp. of Street at Apporva Apartment, Sec-5 Plot No.4 Dwarka in Matiyala Assembly Constituency AC-34.	I&FC	37.71	18.85	34	
19	Imp of street at Krishna Garden NTPC, Society, Sec-19B Plot no. 10 dwarka in matiala Assembly Constituency, AC-34	I&FC	14.54	7.27	34	
20	Imp of street at navsanjivan CGHS Society, Sec-12 Plot no. 1 Dwarka in matiala Assembly Constituency, AC-34	I&FC	16.02	8.01	34	
21	Imp of street at Gyan Shkati Society, Sec-6 Plot No.7 Dwarka in Matiala Assembly Constituency, AC-34	I&FC	34.55	17.27	34	
22	Imp of Street at Shri Ram, Sec-4 Plot No. 32 Dwarka in Matiala Assembly Constituency, AC-34	I&FC	28.17	14.08	34	
23	Imp of Street at Shivani at Shivani Apartment CGHS, Sec-12 Plot no. 18 Dwarka in Matiala Assembly Constituency, AC-34	I&FC	34.22	17.11	34	
24	Imp of Street at Shivani At Kesarwani Apartment Sec-5 Plot no. 4 Dwarka in Matiala Assembly Constituency, AC-34	I&FC	29.82	14.91	34	

25	Imp of Street at Shivani At Himachal Apartment CGHS, Sec-5 Plot no. 21 Dwarka n Matiala Assembly Constituency, AC-34	I&FC	36.62	18.31	34
26	Imp of Street at Shivani At Satyam Apartment, Sec-18 Plot no. 2Dwarka in Matiala Assembly Constituency, AC-34	I&FC	27.25	13.62	34
27	Imp of Street at Shivani At Naveen Apartment, Sec-5 Plot no. 13 Dwarka in Matiala Assembly Constituency, AC-34	I&FC	23.8	11.9	34
28	Imp of Street at DJA, Sec-13 Plot No. 1A Dwarka in Matiala Assembly Constituency, AC-34	I&FC	4.46	2.23	34
29	Imp of Street at JDM Apartment Plot No 11, Sec-5 dwarka in Matiala Assembly Constituency, AC-34	I&FC	35.28	17.64	34
30	Imp and Dev of roads From H. No. 266 to Transformer by pdg. RMC in Sec-12 Pocket-8 in ward No.36-S, Dwarka-A/NGZ.	South DMC	11.12	5.56	34
Total			1146.25	573.1	

107. श्री अखिलेश पति त्रिपाठी: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीनों दिल्ली नगर निगमों ने दिल्ली की सफाई सुनिश्चित करने के लिए पिछले 5 वर्षों में अलग-अलग निगम ने व्यक्तिगत रूप से कुल कितना खर्च किया है;

(ख) तीनों दिल्ली नगर निगमों ने कूड़े की उठान सुनिश्चित करने के लिए कितनी कूड़ा गाड़ियों की खरीद की, प्रत्येक गाड़ी की लागत क्या है, वह किस-किस जोन में चलाई जा रही है, पूर्ण विवरण दें;

(ग) उत्तरी दिल्ली नगर निगम को पिछले 15 वर्षों में कितनी धनराशि कनवर्जन/चार्ज के रूप में प्राप्त हुई है तथा वर्षवार उसका खर्च किस-किस मद में कब-कब किया गया पिछले 15 वर्ष का पूर्ण विवरण दें;

(घ) उत्तरी दिल्ली नगर निगम को पिछले 15 वर्षों में कितनी धनराशि पार्किंग चार्ज के रूप में प्राप्त हुई व इससे दिल्ली में कितनी पार्किंग सुविधाएं लगाई गईं कितनी परियोजनाएं अभी हाल में चल रही हैं व कितनी परियोजनाएं प्रस्ताविक हैं, पूर्ण विवरण दें; और

(ङ) कितनी पार्किंग वर्षों से बंद पड़ी हुई और उसके बंद रहने का क्या कारण है, पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएं?

शहरी विकास मंत्री: (क) **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम:** दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में सफाई पर पिछले 05 वर्षों में किए व्यय का ब्यौरा अनुलग्नक 'क' पर संलग्न है।

उत्तरी दिल्ली नगर निगम: अधिशासी अभियंता डैम्स स्टोर उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने पिछले 5 वर्षों में सफाई व्यवस्था को सुनिश्चित करने में कुल राशि

34,34,13,226/- रुपये खर्च किये एवं प्लान व नान प्लान ट्रेड के अंतर्गत कुल व्यय का विवरण अनुलग्नक 'क' पर संलग्न है।

पूर्वी दिल्ली नगर निगम: पूर्वी दिल्ली नगर निगम द्वारा पिछले 5 वर्षों में सफाई पर किया गया खर्चा निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	वर्ष	रुपये लाख में
1	2016-17	52797.75
2	2017-18	63218.19
3	2018-19	70790.74
4	2019-20	67313.42
5	2020-21	59695.75

(ख) दक्षिणी दिल्ली नगर निगम: स्वच्छता के सन्दर्भ में खरीदी गई गाड़ियों की जानकारी निम्नलिखित है:-

Sl. No.	Description of items	Work order No. and Date	Name of Firm/Make	Qty.	Unit Rate	Contractual Amount
FY 2013-14						
1.	Refuse Removal Truck (08 Cub Mtr)	12/31.05.13	M/s Tata Motors (DGS&D Rate Contract Prices)	80	19,63,386	15,70,70,947
FY 2014-15						
2.	Front End Loaders	54/13.1.14	M/s Leo Earthmovers Pvt. Ltd., (JCB Make)	30	16,99,791	5,09,93,738

चारों जोनों में चल रही स्वच्छता के सन्दर्भ में गाड़ियां की जानकारी निम्नलिखित है:-

S.No.	Zone	RR Trucks	Front End Loader
1	Central Zone	15	08
2	South Zone	16	05
3	West Zone	21	07
4	Najafgarh Zone	28	10
Total Nos.		80	30

उत्तरी दिल्ली नगर निगम: उत्तरी दिल्ली नगर निगम के तहत आने वाले केन्द्रीय कार्यशाला झण्डेवालान द्वारा कूड़े की उठान सुनिश्चित करने के लिए 20 आर.आर. ट्रक तथा 10 बैकहोय लोडर खरीदे गए हैं जिसमें प्रत्येक आर.आर. ट्रक की लागत रु. 20,12,707,00 तथा प्रत्येक बैकहोय लोडर की लागत रु. 19,44,640,00 है जिनका जोनवाईज विवरण इस प्रकार है:-

जोन का नाम	आर.आर. ट्रक	बैकहोय लोडर
सिविल लाईन जोन	3	1
रोहिणी जोन	2	2
केशव पुरम जोन	2	1
नरेला जोन	9	5
करोल बाग जोन	3	1
शहरी पहाड़गंज जोन	1	0
कुल	20	10

पूर्वी दिल्ली नगर निगम: पूर्वी दिल्ली नगर निगम द्वारा खरीदी गयी गाड़ियां निम्न प्रकार हैं:-

क्र.सं.	वाहन का प्रकार	कुल सं.	प्रति वाहन कीमत (रु. में)
1	लीलैंड टिप्पर ट्रक, 1631, BS-IV, डीजल	27	20,03,310/-
2	टाटा टिप्पर ट्रक, 1631, BS-IV, डीजल	40	19,63,387/-
3	गैम्जन स्किड स्टियर लोडर डीजल	10	20,26,826/-
4	लीलैंड टिप्पर ट्रक, 1631 BS-IV, डीजल	10	19,92,835/-
5	महिन्द्रा बैकहो लोडर, 1631, BS-III, डीजल	10	19,17,743/-

(ग) उत्तरी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार उत्तरी दिल्ली नगर निगम की उत्पत्ति मई 2021 में हुई तथा मई 2012 से अभी तक क्षेत्रीय कार्यालय में प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 2012-13 से नवम्बर 2021 तक प्राप्त कन्वर्जन चार्ज की सूचना अनुलग्नक 'ख' पर संलग्न है। कन्वर्जन चार्ज की राशि निगम के खजाने में क्षेत्रीय भवन विभाग द्वारा लेखाविभाग के माध्यम से जमा करवाया जाता है। वर्षवार खर्च की सूची अनुलग्नक 'ग' पर संलग्न है।

(घ) उत्तरी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार उत्तरी दिल्ली नगर निगम को पिछले 15 वर्षों में प्राप्त धनराशि:-

क्र.सं.	वर्ष	86-0193 रात्रि पार्किंग शुल्क	86-0147 पार्किंग शुल्क
1	2008-22	512.55 करोड़	303.85 करोड़

3 बहुस्तरीय पार्किंग परियोजना पर काम चल रहा है तथा 09 बहुस्तरीय पार्किंग जो प्रस्तावित है उनकी सूची अनुलग्नक 'घ' पर संलग्न है।

(ङ) उत्तरी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार विभाग द्वारा और आबंटित पार्किंग के आबंटन के लिए निविदायें समय-समय पर आमंत्रित की जाती है और निविदा प्राप्त होने पर पार्किंग को आबंटित कर दिया जाता है। जिन पार्किंग में तीन निविदाएं नहीं आती उन्हें निःशुल्क पार्किंग के रूप में चलाया जाता है। ऐसी वर्तमान में 25 पार्किंग है।

पूर्वी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार पूर्वी दिल्ली नगर निगम की तीन पार्किंग बन्दी पड़ी हुई है।

1. आनन्द विहार नियम महाराजपुर पोस्ट, डीपीसीसी द्वारा प्रदूषण की वजह से बंद कर दिया गया है।
2. वेलकम नियम पुलिस स्टेशन पार्किंग को अभियांत्रिक परियोजना कार्य की वजह से बन्द कर दिया गया है।
3. शास्त्री पार्क, खाली भूमि, पुराने लोहे के पुल पास वाली पार्किंग को नगर निगम के पार्क की वजह से बन्द कर दिया गया है।

अनुलग्नक 'क'

SDMC

Summary of Expenditure of Sanitation Including Salary & Other related charges

Expenditure	Actual Expenditure 2016-17	Actual Expenditure 2017-18	Actual Expenditure 2018-19	Actual Expenditure 2019-20	Actual Expenditure 2020-21
Sanitation (Non-Plan)	86671.30	121955.19	119324.48	117653.13	112251.03
Sanitation (Plan)	20639.54	31977.50	388.86	8000.00	9488.70
G. Total	107310.84	153932.69	119713.34	125653.13	121739.73

NDMC

Head of Account	2015-16 Expenditure	(PLAN) 2016-17 Expenditure	2017-18 Expenditure	2018-19 Expenditure	Rs. In Lakhs 2019-20 Expenditure
Strent. & Mech. C&SS(Gen.)	15865.97	15091.93	17551.50	0.00	4489.21
TOTAL(PLAN)	15865.97	15091.93	17551.50	0.00	4489.21
Improvement of Sanitation Services(61-1062)	192.09	227.27	226.31	352.89	0.00
GarbageManagement (61-1064)	912.99	1742.26	418	7295.78	20467.82
Fund for improvement of Sanitation Services (89-1062)	72.79	112.05	65.14	414.04	1056.23
TOTAL (NON PLAN)	1177.87	2081.58	709.45	8062.71	21524.05

अनुलग्नक 'ख'

S.No.	Financial Year	Conversion & Parking Charges Received during the financial year (Figure in crores)
1	2012-13	130.86
2	2013-14	117.04
3	2014-15	106.08
4	2015-16	145.26
5	2016-17	145.21
6	2017-18	239.07
7	2018-19	143.85
8	2019-20	139.71
9	2020-21	127.63
10	2021-22 (upto November)	86.47

अनुलग्नक 'ग'

NORTH DMC

Year	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	Total (upto 2021-22) (24.12.21)
Escrow Expenditure	9.40	10.49	4.86	0.93	2.51	0.95	0.00	1.35	1.54	1.01	33.04

अनुलग्नक 'घ'

As on 27.12.2021

Status of Multi-Level Parkings North DMC

Sr. No.	Location of Proposed Multi-Level parking	Present Status/ Remarks
1	Near Shiva Market Pitampura	Work in progress.
2	Multilevel car parking Gandhi Maidan	Work in progress.
3	Qutab Road	Work in progress.
4	Bank Street Karol Bagh	Under process.
5	Sant Nagar, Rani Bagh	Tenders called.
6	Development of parking at Idgah Road.	Parking is being constructed above ground and DMRC will construct Metro Station below ground. The tenders will be called by DMRC on the behalf of North DMC. MoU signed with DMRC on 21st August 2020. DMRC will invite tenders for North DMC work in mid of 2022.
7	Shastri Park Karol Bagh	No response.
8	Rajender Nagar	No response.
9	Pusa Lane Parking	No response.
10	U & V Block Shalimar Bagh	Estimate under process.
11	AC-Block, Shalimar Bagh	Estimate under process.
12	Old MCD Zonal office at S.P. Zone	Estimate under process.

108. श्री अखिलेश पति त्रिपाठी: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तरी दिल्ली नगर निगम के पिछले पांच वर्षों में जल निकासी के लिए (विधायक निधि/मुख्य मंत्री सड़क निर्माण योजना/ग्रामीण विकास निधि/दिल्ली सरकार के किसी अन्य निधि के अतिरिक्त) कौन-कौन सी परियोजनाएं लागू की;

(ख) जल निकासी के लिए नालों के निर्माण के लिए अभी कौन-कौन से कार्य चल रहे हैं, कौन-कौन से कार्य कर लिए गए हैं, कौन-कौन से कार्य प्रस्तावित हैं, इन पर मदवार (विधायक निधि/मुख्य मंत्री सड़क निर्माण योजना/ग्रामीण विकास निधि दिल्ली सरकार के किसी अन्य निधि के अतिरिक्त) उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने कितना खर्च अपनी निधि से किया है, इसकी पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई जाए;

(ग) दिल्ली नगर निगम द्वारा पिछले तीन वर्षों में कितने ट्रक मलबे निकाले गए, उन मलबों को कहां फेंका गया, किन-किन वाहनों का प्रयोग किया गया, पूर्ण विवरण दें;

(घ) उत्तरी दिल्ली नगर निगम के सभी निगम पार्षदों को निगम फंड या अन्य किसी निधि से अभी तक प्रतिवर्ष कितना धन निर्गत किया गया और कौन-कौन से कार्य पास हुए, कौन-कौन से कार्य पूर्ण हुए, प्रतिवर्ष इस धन का उपयोग किन-किन कार्यों में किया गया है, पूर्ण विवरण दें;

(ङ) मॉडल टाऊन विधानसभा में पिछले पांच सालों में पिछले पांच सालों में विधायक निधि से ओपन जिम एवं झूले लगाने हेतु कब और कितना फंड प्राप्त हुआ, पूर्ण विवरण दें; और

(च) अभी तक कितने जिम और झूले कहाँ-कहाँ लगाए गए हैं पूर्ण विवरण दें?

शहरी विकास मंत्री: (क) उत्तरी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार अभियांत्रिक विभाग के अनुरक्षण एवं परियोजना मंडलों से प्राप्त जानकारी अनुलग्नक 'क' पर संलग्न है।

(ख) उपरोक्तानुसार।

(ग) उपरोक्तानुसार।

(घ) उपरोक्तानुसार।

(ङ) सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग से प्राप्त जानकारी का विवरण अनुलग्नक 'क' पर संलग्न है।

लोक निर्माण विभाग से प्राप्त जानकारी से अनुसार मॉडल टाउन विधानसभा में पिछले पांच सालों में इस कार्यालय द्वारा विधायक से ओपन जिम एवं झूले लगाने हेतु रुपये 43.39 लाख का फंड खर्च हुआ है।

उत्तरी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार मॉडल टाउन विधानसभा में पिछले 5 सालों में विधायक निधि से ओपन जिम व झूले लगाने हेतु कब और कितना फंड प्राप्त हुआ उसकी जानकारी निम्न प्रकार है।

No. of Sanction Order	Date of Sanction Order	Total Amount Sanctioned (In Lakhs)	Total Amount Released (In Lakhs)
F.No.18B (145)/AC-18/UD/MLALADS/6VS/2017-18/1716-1731	03.08.2018	49.08	24.48
F.No.18B(145)/AC-18/UD/MLALADS/6VS/2017-18/3996-4011	30.10.2018	78.90	39.50
F.No.18B(145)/AC-18/UD/MLALADS/6VS/2017-18/17509-17524	15.07.2018	37.54	18.76
F.No.18B(145)AC-18/UD/MLALADS/6VS/6VS/2017-18/16185-16200	21.06.2019	76.72	38.32

(च) सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग से प्राप्त जानकारी का विवरण अनुलग्नक 'ख' पर संलग्न है।

एमएलए लैंड से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2021-22 में जिम और झूले से संबंधित सैक्शन आर्डर अनुलग्नक 'ए' पर संलग्न है।

उत्तरी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार अभी तक जितने जिम ओर झूले जहां-जहां लगाए गए हैं इसका पूर्ण विवरण अनुलग्नक-ख पर संलग्न है।

लोक निर्माण विभाग से प्राप्त जानकारी के अर्न्तगत आने वाले के. एवं न. दि. सड़क मंडल द्वारा निम्न स्थानों पर जिम तथा झूले लगवाए गए हैं:-

1. पुलिस कालोनी मॉडल टाउन
2. मॉडल टाउन मेट्रो स्टेशन नियर पार्क

3. जहानारा रोड़ पुलिस कॉलोनी
4. रोड़ नं. 48 वाल्मिकी पार्क
5. डेसू कॉलोनी त्रिपोलिया गेट जी.टी. रोड़
6. सिंधौरा कलां कालोनी लोक निर्माण विभाग क्वार्टर
7. नियर पुलिस स्टेशन गुलाबी बाग पार्क
8. नागिया पार्क।

109. श्री सौरभ भारद्वाज: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंजीनियरिंग/इन्फ्रास्ट्रक्चर वर्क्स के अंतर्गत विगत पाँच वर्ष (2015-2020) का बजट व उसके प्रयोग (यूटिलाइजेशन) का विवरण वर्षवार उपलब्ध कराएँ;

(ख) सरकारी और गैर सरकारी, निजी संस्थाओं द्वारा सड़क खोदने व रख-रखाव संबंधी दिशानिर्देशों/नीतियों/स्थाई आदेशों की प्रतिलिपियाँ उपलब्ध कराएँ;

(ग) दिल्ली में, विशेषकर एयरटेल/जिओ/आईजीएल/अन्य टेलीकॉम कंपनियों द्वारा की जा रही खुदाई के संबंध में संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएँ;

(घ) भवन निर्माण के संबंध में परियोजना की भौगोलिक स्थिति, वार्ड संख्या, भू-स्वामी एजेंसी, ठेकेदार का नाम, पता व फोन नंबर, अनुबंध की राशि, अनुमानित लागत, दिनांक 31.10.2020 तक ठेकेदार को दी गई धनराशि, ठेके के आरंभ व अंत की तिथि, बनाए जाने वाले कमरों की संख्या, कार्य की वर्तमान स्थिति, कार्यान्वयन के दौरान होने वाले विलंब के कारण, कार्यकारी अभियंता

द्वारा प्रमाणित आधारभूत ढाँचे की वर्तमान स्थिति, क्या यह उपयोग में हैं, आदि जानकारी प्रदान करते हुए संपूर्ण विवरण उपलब्ध कराएँ;

(ड) दिनांक 1 जनवरी, 2020 से 31 अक्टूबर, 2021 तक की अवधि में सभी एसई, ईई, एई, जेई की उनकी प्रोन्नति संबंधी जानकारी सहित, सूची उपलब्ध कराएँ; और

(च) क्या यह सत्य है कि किसी व्यक्ति की किसी एक स्थान/पद पर तैनाती की एक निश्चित/सीमित अवधि होती है यदि हाँ, तो 1 जनवरी, 2010 से 31 अक्टूबर, 2021 की अवधि के दौरान तीनों नगर निगमों में व पूर्ववर्ती एकीकृत नगर निगम में विभिन्न विभागों में कार्यरत सभी एसई, ईई, एई, जेई की सूची उपलब्ध कराएँ, जिसमें उन सभी की प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम व अन्य तैनातियों की जानकारी उनके नाम, कर्मचारी कोड, पिता का नाम, तैनाती की अवधि, पदनाम सहित दी गई हो?

शहरी विकास मंत्री: (क) उत्तरी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार विवरण अनुलग्नक 'ए' व 'बी' पर संलग्न है।

पूर्वी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार पूर्वी दिल्ली नगर निगम द्वारा पिछले 5 वर्षों (2015-2020) में बजट व उसके प्रयोग का विवरण अनुलग्नक 'ए' व 'बी' पर संलग्न है।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के इंजीनियरिंग विभाग के अंतर्गत विगत पांच वर्ष (2015-2020) का बजट व उसके प्रयोग (यूटिलाइजेशन) का विवरण वर्षवार अनुलग्नक 'क' पर संलग्न है।

(ख) उत्तरी दिल्ली दिल्ली नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार उत्तरी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार सरकारी/गैर सरकारी, निजी

सभी अनुलग्नक <http://delhiassembly.delhi.gov.in> पर उपलब्ध।

संस्थाओं द्वारा सड़क खोदने व रखरखाव संबंधी आदेश संख्या ENC/DIR/PWD/8081/13578-05 दिनांक 10.10.2019 तहत अनुमति दी जाती है जो कि दिल्ली सरकार के उप सचिव (लोक निर्माण विभाग) द्वारा अनुमोदित है (आदेश की प्रतिलिपि अनुलग्नक 'सी' पर संलग्न है।)

पूर्वी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार सरकारी/गैर सरकारी, निजी संस्थाओं द्वारा सड़क खोदने व रख-रखाव संबंधी दिशानिर्देशों/नीतियों/स्थायी आदेशों का विवरण <http://gsdl.org.in/pdms> पर उपलब्ध है इसकी सूची भी संलग्न है। इसकी प्रतिलिपियां अनुलग्नक 'क' पर संलग्न है।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा सड़क खोदने व रख-रखाव संबंधी दिशानिर्देशों/नीतियों/स्थायी आदेशों की प्रतिलिपियां अनुलग्नक 'ख' पर संलग्न है।

(ग) उत्तरी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार 28.12.2021 तक कुल संख्या 3674 आवेदन अलग-अलग कम्पनियों/विभागों के द्वारा मंडल क्षेत्र में ऑनलाईन पोर्टल पर प्राप्त हुए। जिसमें से संख्या 881 आवेदन को खुदाई करने की अनुमति मंडल क्षेत्र के द्वारा दी जा चुकी है। जिसकी सूची अनुलग्नक 'डी' पर संलग्न है।

पूर्वी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार दिल्ली में, विशेषकर एयरटेल/जिओ/आईजीएल/अन्य टेलीकॉम कंपनियों द्वारा की जा रही खुदाई के संबंध में संपूर्ण जानकारी website <http://gsdl.org.in/pdms> पर उपलब्ध है।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस विषय में संपूर्ण जानकारी, दिल्ली सरकार के अधीनस्थ GSDL द्वारा बनाई गई वेबसाइट <http://gsdl.org.in/pdms> पर उपलब्ध है।

(घ) उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अभियांत्रिक विभाग के अनुरक्षण एवं परियोजना मंडलों से प्राप्त जानकारी अनुलग्नक 'ई' पर संलग्न है।

पूर्वी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार सूची संलग्न है।
अनुलग्नक-‘ख’

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार संबंधित रिपोर्ट अनुलग्नक 'ग' पर संलग्न है।

(ङ) उत्तरी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 01.01.2020 से 31.10.2021 तक की अवधि में उत्तरी दिल्ली नगर निगम से एस.ई.ई.ई. से संबंधित पदोन्नति आदेश की प्रतिलिपि अनुलग्नक 'एफ' पर संलग्न है।

दिनांक 1 जनवरी 2010 से 31 अक्टूबर 2021 की अवधि में किसी भी ए. ई. जेई की पदोन्नति विभाग द्वारा नहीं की गयी है।

पूर्वी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार सूची संलग्न है।
अनुलग्नक-‘ग’

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस संबंध में यह सूचित किया जाता है कि विभाजन के पश्चात 02.03.2021 तक सभी 'क', 'ख' एवं 'ग' समूह के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की पदोन्नति उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा ही की जाती थी। अतः इस संदर्भ में जानकारी उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा ही प्रेषित की जा सकती है। दिनांक 02.03.2021 के पश्चात एवं 31 अक्टूबर 2021 तक द.दि.न.नि. द्वारा (एस.ई. ई.ई., ए.ई., जे.ई., को मिलाकर) किसी भी पद समूह की पदोन्नति, मामले के न्यायालय में वाद लंबित होने के कारण नहीं की जा सकी थी। अतः द.दि.न.नि. द्वारा स्वयं 01 जनवरी 2021 से

31 अक्टूबर 2021 तक कोई पदोन्नति (नियमित या तदर्थ) आधार पर नहीं की गई है।

(च) उत्तरी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 01.01.2020 से 31.10.2021 तक की अवधि उत्तरी दिल्ली नगर निगम के एस. ई., ई.ई. से संबंधित तैनातियों की जानकारी अधिकारियों के नाम पिता का नाम, तैनाती का अवधि पदनाम, सहित अनुलग्नक 'जी' पर संलग्न है।

उत्तरी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार 01 जनवरी 2010 से 31 अक्टूबर 2021 की अवधि उत्तरी दिल्ली नगर निगम में व पूर्ववर्ती एकीकृत नगर निगम में विभिन्न विभागों में कार्यरत सभी आई, जेई, जिसमें उन सभी की प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ पंचम व अन्य तैयारियाँ की जानकारी की सूची अनुलग्नक 'एच' पर संलग्न है।

पूर्वी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार पूर्वी दिल्ली नगर निगम से कार्यरत एसई., ईई., आई, जेई की सूची संलग्न है। अनुलग्नक-‘घ’

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार संबंधित रिपोर्ट अनुलग्नक 'घ' पर संलग्न है।

110. श्री सौरभ भारद्वाज: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 01.01.2015 से 31.10.2020 की अवधि के बीच उन संपत्तियों का विवरण उपलब्ध कराएँ, जिन्हें बिल्डिंग बाई लॉज/रूल्स के उल्लंघन, अतिक्रमण/अनधिकृत निर्माण आदि के कारण सील की गई या गिराई गई;

(ख) उन अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची, जिन पर यह सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व था कि बुक/सील की गई या तोड़ी गई संपत्तियों का पुनः प्रयोग न होने लगे या उनका पुनर्निर्माण न होने पाए;

(ग) कार्यालय आदेश डी/891/ईई(बी)/एचक्यू दिनांक 14.12.2000 के अनुसार सेलुलर मोबाइल फोन सेवा हेतु प्रति मोबाइल फोन टावर के अस्थाई ढाँचे के निर्माण हेतु एकमुश्त रु. 1,00,000/- की फीस ली जानी थी, इस संदर्भ में तीनों नगर निगमों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत मोबाइल टावरों का संपूर्ण विवरण, उनकी स्थिति, पते सहित उपलब्ध कराएँ व यह भी बताएँ कि क्या उन्हें लाइसेंस प्रदान किया गया था और एतदर्थ फीस ली गई थी; और

(घ) उक्त संदर्भ में दिनांक 01.01.2015 से 31.10.2021 तक की अवधि के लिए तोड़ी गई सभी संपत्तियों की सूची, जिसमें वार्ड संख्या, संपत्ति का पता, क्या और कितना डिमोलीशन शुल्क वसूल किया गया, आदि विवरण प्रदान करें और तोड़ी गई संपत्तियों से कम 'रिकवरी चार्ज' वसूल किए जाने के कारण तथा लंबित डिमोलीशन शुल्क वसूल किए जाने की कार्ययोजना क्या है और इस संबंध में निगरानी तंत्र क्या है?

शहरी विकास मंत्री: (क) उत्तरी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार भवन उपनियमों/नियमों का उल्लंघन करने वाली संपत्तियों पर जहां तोड़/फोड़/सीलिंग की गई कार्रवाई के संदर्भ में विभिन्न क्षेत्रीय भवन विभागों से प्राप्त जानकारी अनुलग्नक 'ए' पर संलग्न है।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत आने वाले चारों क्षेत्रों का विवरण अनुलग्नक 'क' पर संलग्न है।

पूर्वी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 01.01.2015 से 31.10.2020 तक कुल 6456 अनाधिकृत निर्माणों पर तोड़ फोड़/सीलिंग की कार्यवाही की गयी। सूची संलग्न है।

(ख) उत्तरी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार कनिष्ठ अभियंताओं के द्वारा संबंधित क्षेत्र का नियमित (भवन) निरीक्षण किया जाता है एवं सील की गई संपत्तियों को पूर्ण प्रयोग होने लगे या उनका पुनर्निर्माण होने पर उचित कार्यवाही की जाती है। इस सदी में विभिन्न क्षेत्रीय भवन विभागों से प्राप्त जानकारी/अधिकारियों अनुलग्नक 'बी' पर संलग्न है।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस अवधि के दौरान चारों क्षेत्रों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची अनुलग्नक 'ख' पर संलग्न है।

पूर्वी दिल्ली नगर निगम के प्राप्त जानकारी के अनुसार उपरोक्त समय में क्षेत्री भवन विभाग में कार्यरत कनिष्ठ अभियंताओं की सूची संलग्न है।

(ग) उत्तरी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार मोबाईल टावरों का संपूर्ण विवरण, पते सहित विभिन्न क्षेत्रीय भवन विभागों से प्राप्त जानकारी अनुलग्नक 'सी' के अनुसार है।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त कार्यालय आदेश के स्थान पर वर्तमान में कार्यालय आदेश संख्या /167/SE(B)HQ/Addl.Com (Engg)SDMC/17 प्रभाव में है। इस संदर्भ में द.दि.न.नि. के चारों क्षेत्रों द्वारा मोबाइल टावर लगाने हेतु अनुमति प्रदत्त संपत्ति सूची अनुलग्नक 'ग' पर संलग्न है।

पूर्वी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार पूर्वी दिल्ली नगर निगम क्षेत्र में स्थित कुल 2652 मोबाईल फोन टावरों में से 1851 मोबाईल फोन टावर से निर्धारित शुल्क लेकर परमीशन दी गयी है। कुल 801 अवैध मोबाईल फोन टावरों में से 185 को सील कर दिया गया है। अन्य अवैध मोबाईल फोन

टावरों पर भी कार्यवाही की जाएगी। कुल 2652 मोबाईल फोन टावरों की सूची संलग्न है।

(घ) उत्तरी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार 01.01.2015 से 31.10.2021 तक की अवधि के लिए तोड़ी गई सभी संपत्तियों की सूची जिसमें संपत्ति का पता, क्या और कितना डेमोलिशन शुल्क वसूल किया गया, आदि विवरण के संदर्भ में विभिन्न क्षेत्रीय भवन विभागों से प्राप्त जानकारी अनुलग्नक 'डी' के अनुसार है। अंबित डेमोलिशन शुल्क संपत्ति कर बकाये के रूप में वसूले जाएंगे।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार सूची अनुलग्नक 'घ' पर संलग्न है। संबंधित विभाग द्वारा समय-समय पर ऐसे संपत्तिधारकों को डिमोलिशन शुल्क जमा करने हेतु पत्राचार किया जाता है। डिमोलिशन शुल्क न जमा करने की स्थिति में नियमानुसार ऐसी संपत्तियों का विवरण संपत्ति कर विभाग से सांझा किया जाता है, जिससे कि संपत्ति कर विभाग बकाया संपत्ति कर के रूप में डिमोलिशन शुल्क की भी प्राप्ति हो सके।

पूर्वी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार 01.01.2015 से 31.10.2021 तक अनाधिकृत निर्माणों पर तोड़ फोड़ की कार्यवाही और वसूल किए डिमोलिशन शुल्क की सूची संलग्न है। कुल 82,51,545/- रुपये वसूला गया है। शेष 3,41,66,060/- रुपये संपत्ति कर बकाये के रूप में वसूल किए जाएंगे।

111. श्री रघुविन्दर शौकीन: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार द्वारा उत्तरी दिल्ली नगर निगम को प्रतिवर्ष फंड जारी किया जाता है;

(ख) यदि हाँ, तो विगत 5 वर्षों में उत्तरी दिल्ली नगर निगम को जारी फंड का विवरण दिया जाए; और

(ग) उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा इन राशियों का व्यय ब्यौरा प्रदान किया जाए?

शहरी विकास मंत्री: (क) उत्तरी दिल्ली नगर निगम: जी हाँ, यह सत्य है।

(ख) उत्तरी दिल्ली नगर निगम: योजना मद के आय एवं व्यय का ब्यौरा अनुलग्नक 'क' में संलग्न है। गैर-योजना मद का ब्यौरा अनुलग्नक 'ख' में संलग्न है।

लेखा नियंत्रक शहरी विकास विभाग: दिल्ली सरकार के द्वारा 2016-17 से 2020-21 की अवधि के दौरान उत्तरी दिल्ली नगर निगम को जारी निधियों का विवरण

(ऋण को छोड़कर)

एमसीडी	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
उत्तरी दिल्ली नगर निगम	1703.06	1944.14	1810.27	1867.39	1751.81

विवरण अनुलग्नक 'ए' संलग्न है।

(ग) उत्तरी दिल्ली नगर निगम: योजना मद के आय एवं व्यय का ब्यौरा अनुलग्नक 'क' में संलग्न है।

गैर-योजना मद में जितना भी पैसा दिल्ली सरकार से प्राप्त हुआ यह कर्मचारियों के वेतन पेंशन इत्यादि अनिवार्य खर्चों के भुगतान पर खर्च हुआ।

अनुलग्नक -क

Sl. No.	Name of the Scheme	Rs. in Lakhs									
		Total Receipt 2016-17	Exp. 2016-17	Total Receipt 2017-18	Exp. 2017-18	Total Receipt 2018-19	Exp. 2018-19	Total Receipt 2019-20	Exp. 2019-20	Total Receipt 2020-21	Exp. 2020-21
1	Urban Development Total	27100.00	26068.37	45685.00	42525.49	0.00	5057.66	20240.00	17437.74	30713.40	27956.83
2	Transport Total	10000.00	8596.46	2000.00	7719.60	0.00	6045.62	1000.00	731.60	0.00	891.96
3	Education Total	14042.13	13179.34	17412.08	15635.11	14105.33	21302.77	66200.32	68186.34	60789.65	61720.65
4	Rural Development-total	0.00	0.00	0.00	204.96	0.00	57.01	0.00	4.89	0.00	0.00
5	Medical Total	10175.00	11122.17	13145.00	8985.76	7945.00	11507.22	13575.00	10852.34	11065.00	11176.08
	Grand Total	61317.13	58966.34	78242.08	75070.92	22050.33	43970.28	101015.32	97212.91	102568.05	101745.52

अनुलग्नक -ख

Fund received under Non-Plan Schemes from Delhi Government 2016-17 to 2021-22 upto 22.12.2021

	Rs. in lacks					
	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
Education	55055.8	57135.93	63290.12	0	0	0
Maintenance of School-Building	2453.71	2539.56	2793.51	0	0	0
Maintenance of Capital Assets	2116.23	2190.27	2409.29	0	0	0
Colonies	4406	4406	4406	0	0	0
Basic Tax Assignment	33264.3	36748.04	71247.03	87305.50	76480.92	48420.23
Municipal Reforms Fund	14530	14505	16500	0	0	0
TOTAL RECEIPTS(Non-Plan)	111826	117524.8	160645.95	87305.5	76480.92	48420.23

Statement of funds released to North DMC during the period 2016-17 to 2020-21 is as under:-

North DMC		Rs. in Crore				
S.No	Heads	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21
A	BTA Part as per 5th DFC UD	523.64	559.82	1098.74	873.06	764.81
	Scheme/Project Part as per 5th DFC UD	594.62	615.42	507.73	0.00	0.00
	Scheme/Project Part as per 5th DFC UD	355.00	475.60	0.00	212.40	307.14
B	Education	128.00	161.80	124.30	646.13	593.21
C	Health	101.80	131.50	79.50	135.80	110.65
	Funds released to North DMC as BTA+GIA	1703.06	1944.14	1810.27	1867.39	1775.81
D	Loan to North DMC					
	G. Total Loan Plan & Non-Plan	218.00	1.25	0.00	0.00	
	GIA+Loan GNCTD	1921.06	1945.39	1810.27	1867.39	1775.81

The figure of the funds released to North DMC under Education & Health schemes as per information available & provided by the Finance/Planning Department, GNCTD subject to reconciliation from the concerned Department as well as North DMC.

अनुलग्नक-ए

Statement of funds released to North DMC as GIA and Loan during the Period 2016-17 to 2020-21 from GNCTD

S.No	North DMC Heads	Rs. in Crore				
		16-17	17-18	18-19	19-20	20-21
A	As per 3rd DFC					
	GIA for education	550.56	571.36	474.68	0.00	
	GIA for M/O Resettlement colonies	44.06	44.06	33.05		
	Scheme/Project Part as per 5th DFC	594.62	615.42	507.73	0.00	0.00
	Basic Tax Assignment (global share)	332.64	367.48	894.72	873.06	764.81
	Other Grants (M/o School Building, Capital Assets)	45.70	47.29	39.02	0.00	
	MRF	145.30	145.05	165.00	0.00	
	BTA Part as per 5th DFC	523.64	559.82	1098.74	873.06	764.81
	Sub Total as per DFC	1118.26	1175.24	1606.47	873.06	764.81
B	Fund Released as GIA for Schemes/Programmes/ Projects by UD, Edu and Health GNCTD					
	GENERAL EDUCATION	123.00	150.00	112.50	632.70	
	SPORTS & YOUTH SERVICES	5.00	1.00	0.80	1.00	
	NUTRITION		10.80	11.00	12.43	
	Sub Total Education	128.00	161.80	124.30	646.13	593.21

MEDICAL	57.80	78.90	44.00	92.00	
PUBLIC HEALTH	44.00	52.60	35.50	43.80	
Sub Total Health	101.80	131.50	79.50	135.80	110.65
Grant from Edu & health Deptt.	229.80	293.30	203.80	781.93	703.86
TRANSPORT (MH 3054)	100.00	20.00	0.00	10.00	0.00
GIA under URBAN DEVELOPMENT MH 2217	255.00	455.60	0.00	202.40	307.14
sub total UD Deptt.	355.00	475.60	0.00	212.40	307.14
G. Total GIA Plan	584.80	768.90	203.80	994.33	1011.00
C G. Total GIA Plan & Non-Plan	1703.06	1944.14	1810.27	1867.39	1775.81
Scheme/Project Part as per 5th DFC 6.5%	1179.42	1384.32	711.53	994.33	1011.00
D Loan to North DMC					
Loan (Ways & Means) Non-plan	200.00	0.00	0.00	0.00	
Loan under Plan Scheme 6217	18.00	1.25	0.00	0.00	
G. Total Loan Plan & Non-Plan	218.00	1.25	0.00	0.00	
GIA+Loan GNCTD	1921.06	1945.39	1810.27	1867.39	1775.81

The figure of the funds released to North DMC under Education & Health schemes as per information available & provided by the Finance/Planning Department, GNCTD subject to reconciliation from the concerned Department as well as North DMC.

112. श्री रघुविन्दर शौकीन: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नांगलोई विधानसभा क्षेत्र में तह बाजारी के लिए कौन-कौन सी सड़कें/जगहें अधिसूचित की गई हैं; और

(ख) क्या इन बाजारों में फेरीवालों/स्ट्रीट वेंडरों को इसके कोई अधिकार दिए गए हैं?

शहरी विकास मंत्री: (क) वर्तमान में नांगलोई विधानसभा के अंतर्गत उत्तरी दिल्ली नगर निगम क्षेत्र में कोई भी सड़क/जगह अधिसूचित नहीं की गई। इस संबंध में सभी जोनल कार्यालयों द्वारा बैडिंग जोन बनाने की प्रक्रिया विचारधीन है।

(ख) स्ट्रीट वेंडरों अधिनियम 2014 एवं दिल्ली सरकार द्वारा जारी स्ट्रीट वेंडर्स रूल्स 2017 तथा स्कीम 2019 के अनुसार स्ट्रीट वेंडरों को अधिकार दिए जाने का प्रस्ताव है। जिसकी प्रक्रिया जारी है।

113. श्री राजेश ऋषि: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनकपुरी विधानसभा के वार्ड 15 एस, 16 एस, 17 एस और 18 एस में एसडीएमसी द्वारा वर्ष 2018 से 2021 दिसंबर तक कितने बन रहे और बन गए मकानों और कोठियों को बुक किया गया, पूर्ण विवरण नोटिस कॉपी के साथ दे;

(ख) किन-किन बिल्डिंग, मकानों, दुकानों, फ्लैट्स और कोठियों पर कार्रवाई की और किन-किन पर नोटिस देने के बाद भी कार्रवाई नहीं की गई, पूर्ण विवरण दें;

(ग) वार्ड 16 एस की कोठी नं. सी 3/1, सी4एच/162, सी4बी/335, वार्ड 18 एस की गई 12, ई13, चाणक्य प्लेस पार्ट 1 पर अब तक कार्रवाई न किए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) जनकपुरी में चंदर नगर के सामने वाली डीडीए की ए1 ग्रीन बेल्ट पर स्कूल बनाने की अनुमति किस नियम के तहत दी गयी, अनुमति की कापी सहित पूर्ण विवरण दें; और

(ङ) जनकपुरी में वार्ड 15एस, वार्ड 16एस, वार्ड 17एस और वार्ड 18एस की सफाई के लिए कितने कर्मचारी हैं और कितनी कूड़ा उठाने वाली गाड़ियां हैं, वार्ड वाइज विवरण दें?

शहरी विकास मंत्री: (क) उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के भवन विभाग, पश्चिमी क्षेत्र द्वारा वर्ष 2018 से 2021 दिसंबर तक सम्बन्धित वार्डों में की गई बुकिंग की जानकारी निम्नलिखित है:-

वार्ड सं. 015-एस. 209

वार्ड सं. 016-एस. 159

वार्ड सं. 017-एस. 111

वार्ड सं. 018-एस. 429

उपरोक्त सभी बुकिंग में विभाग द्वारा नोटिस जारी किये गए हैं। तथा वर्ष 2018 से 2021 दिसंबर के दौरान 908 सम्पत्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं, इतने अधिक नोटिसों की प्रतिलिपि बहुत अधिक विस्तृत (Voluminous) होने के कारण उपलब्ध कराना संभव नहीं है।

(ख) दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के भवन विभाग द्वारा सैक्शन 343/344 के अंतर्गत कार्यवाही की जाती है। सिलिंग व भवन गिराने की कार्यवाही के अलावा 344(ii) में कार्य रुकवाने हेतु सम्बन्धित थानाध्यक्ष को सूचित किया जाता है और बिजली, पानी विच्छेद कराने हेतु सम्बन्धित विभाग को भी सूचित किया जाता है। इसके अतिरिक्त उप-पंजीयक को सम्पत्ति खरीद बेच को सीमित करने हेतु भी सूचना भेजी जाती है।

(ग) उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार

सी3/1, जनकपुरी: उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार सम्बन्धित सम्पत्ति का नक्शा भवन मुख्यालय द्वारा आई.डी. सं. 10038344-02 द्वारा स्वीकृत किया गया है तथा दिनांक 02.12.2021 को भवन विभाग, पश्चिमी क्षेत्र द्वारा सम्बन्धित सम्पत्ति को नियमित भी किया जा चुका है।

सी4एच/162, जनकपुरी: उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार सम्बन्धित सम्पत्ति को डी.डी.ए. के Standard Plan के विरुद्ध निर्माण कार्य के कारण डी.एम.सी. एक्ट धारा 343/344(1) के तहत फाईल सं. EE(B)-II/WZ/UC/21/357 दिनांक 09.08.2021 बुक किया जा चुका है।

सी4बी/335, जनकपुरी: उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार सम्बन्धित सम्पत्ति को डी.डी.ए. के Standard Plan के विरुद्ध निर्माण कार्य के कारण डी.एम.सी. एक्ट धारा 343/344 के तहत फाईल सं. EE(B)-II/WZ/UC/20/408 दिनांक 21.12.2020 बुक किया जा चुका है। तथा दिनांक 11.02.2021 को सम्पत्ति पर तोड़-फोड़ (Demolition) की कार्यवाही भी की जा चुकी है।

ई.-12, चाणक्य प्लेस, पार्ट-1: उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार सम्बन्धित सम्पत्ति को अवैध निर्माण के चलते डी.एम.सी. एक्ट की धारा 343/344 के तहत

फाईल सं. EE(B)-II/WZ/UC/21/456 दिनांक 09.11.2021 द्वारा बुक किया जा चुका है। साथ ही बिजली, पानी कटवाने हेतु व रजिस्ट्री पर रोक लगाने हेतु सम्बन्धित विभागों को पत्र जारी किया जा चुका है। सिलिंग की कार्यवाही हेतु डी.एम.सी. एक्ट धारा 345-ए. के तहत फाईल तैयार की जा चुकी है।

ई.-13, चाणक्य प्लेस, पार्ट-1: उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार सम्बन्धित सम्पत्ति को अवैध निर्माण के चलते डी.एम.सी. एक्ट की धारा 343/344 के तहत फाईल सं. EE(B)-II/WZ/UC/20/455 दिनांक 09.11.2021 द्वारा बुक किया जा चुका है। साथ ही बिजली, पानी कटवाने हेतु व रजिस्ट्री पर रोक लगाने हेतु सम्बन्धित विभागों को पत्र जारी किया जा चुका है। सिलिंग की कार्यवाही हेतु डी.एम.सी. एक्ट धारा 345-ए. के तहत फाईल तैयार की जा चुकी है।

(घ) यह प्रमाणित किया जाता है कि दक्षिणी दिल्ली नगर निगम प्राथमिक विद्यालय ए/1/ए जनकपुरी 1970 से चल रहा है तथा विद्यालय ए/1/ए जनकपुरी डीडीए ग्रीन बेल्ट पर नहीं बना हुआ है।

(ङ) जनकपुरी में वार्ड 15एस, वार्ड 16एस, वार्ड 17एस और वार्ड 18एस की सफाई के लिए कर्मचारी और कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों का विवरण निम्न प्रकार है:-

वार्ड सं.	सफाई कर्मचारी	कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों की सं.
15एस	165	07 ऑटो टिप्पर 01 टाटा 909
16एस	120	07 ऑटो टिप्पर

17एस	102	07 ऑटो टिप्पर 01 टाटा 909
18एस	174	07 ऑटो टिप्पर 01 टाटा 909

114. श्री शिव चरण गोयल: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि रेशमा कैंप 2/22 के सामने WHS टिम्बर मार्किट, कीर्ति नगर में DDA की एक बहुत बड़ी जमीन खाली पड़ी है;

(ख) यदि हाँ, तो उसका कितना वर्ग क्षेत्रफल है; और

(ग) क्या भविष्य में इस भूमि पर निर्माण कार्य हेतु सरकार की कोई योजना है?

शहरी विकास मंत्री: (क) से (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण: दिल्ली विकास प्राधिकरण को प्रश्न भेजा गया था, परन्तु दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अपने पत्र सं. एफ5 (3)/मिस./2015/पी एंड सी/वीएस/769 दिनांक 2 अगस्त, 2018, को सूचित किया है कि-दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 29 के साथ पठित अनुच्छेद 239ए ए(3) और (4) में निहित प्रावधानों को देखते हुए विधान सभा के स्पीकर वैधानिक रूप से किसी आरक्षित विषय पर कोई प्रश्न स्वीकार नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त यह भी बताया जाता है कि यदि दि.वि.प्रा. के सम्बन्ध में सभा द्वारा उठाये गये प्रश्नों के उत्तर अपेक्षित हैं, तो उन्हें आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से भेजा जाना चाहिए, क्योंकि दिल्ली विकास प्राधिकरण केन्द्र सरकार के नियंत्रण में कार्य करता है। (प्रतिलिपि संलग्न है)

प्रतिलिपि

**दिल्ली विकास प्राधिकरण
(आयुक्त एवं सचिव कार्यालय)
ब्लॉक-बी, विकास सदन, आई.एन.ए., नई दिल्ली-110023**

सं. एफ 5(3)/मिस./2015/पी एंड सी/वीएस/760 दिनांक: 2 अगस्त, 2018
सेवा में,

श्री संदीप मिश्रा,
विशेष सचिव (संसद अनुभाग),
शहरी विकास विभाग, रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार,
9वां तल, सी.विंग, दिल्ली सचिवालय,
आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002

विषय: छठी दिल्ली विधानसभा के 7वें सत्र के दूसरे भाग में दिनांक
07/06/2018 को उठाए गए अतारांकित प्रश्न के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में दिनांक 09/07/2018 के अपने पत्र सं. 52 (यू.एस.क्यू.)/बजट रोशन-सैकंड-जून-2018/दिल्ली असेंबली/यू.डी./डी 7175, 7176 का अवलोकन करें, जिसकी संदर्भ से एफ.यू.एस.क्यू./बजट रोशन II जून 2018/दिल्ली असेंबली/यू.डी./डी.-6983-43 (यू.एस.क्यू.-80), 6925 34 (क्यू.एस.क्यू. 78), 6977 80(यू.एस.क्यू. 89) तथा 6901 6904 (यू.एस.क्यू. 70) दिनांक 29/05/2018 तथा अनुपूरक फर्स्ट डी 7066 से 7068 दिनांक 13/06/2018 है, जिसके द्वारा संदर्भित विषय पर उत्तर तैयार करने के लिए विभाग की उपयुक्त सामग्री प्रेषित करने के लिए कहा गया था।

इस संबंध में, यह बताया जाता है कि संविधान के अनुच्छेद 239ए ए(3) (क) के अनुसार विधानसभा के पास राज्य सूची अथवा समवर्ती सूची में आने

वाले किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है, केवल उन मामलों को छोड़कर जो राज्य सूची की प्रविष्टि 1, 2 तथा 18 से संबंधित हैं तथा सूची की प्रविष्टि 64, 65 तथा 66 से कुछ हद तक संबंधित हैं क्योंकि ये उक्त प्रविष्टि 1, 2 तथा 18 से संबंधित हैं। अतः आरक्षित विषयों अर्थात् प्रविष्टि 1, 2 तथा 18 में उल्लिखित विषयों पर राज्य सरकार के पास न तो कानून बनाने की शक्तियां हैं और न ही कार्यकारी कार्रवाई करने की शक्तियां। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 29 में यह वर्णित है कि प्रश्नों की विषय सामग्री प्रशासन के मामलों से संबंधित होनी चाहिए, जिसके लिए सरकार उत्तरदायी है।

अतः दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 29 के साथ पठित अनुच्छेद 239ए ए(3) और (4) में निहित प्रावधानों को देखते हुए, विधानसभा के स्पीकर वैधानिक रूप से किसी आरक्षित विषय पर कोई प्रश्न स्वीकार नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त यह भी बताया जाता है कि यदि दि.वि.प्रा. के संबंध में सभा द्वारा उठाए गए प्रश्नों के उत्तर अपेक्षित हैं, तो उन्हें आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से भेजा जाना चाहिए क्योंकि दि.वि.प्रा. केन्द्र सरकार के नियंत्रण में कार्य करता है।

तथापि, रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार के विकास कार्य और सार्वजनिक कल्याण में दि.वि.प्रा. की भूमिका से संबंधित मामलों के संबंध में दि.वि.प्रा. रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार से प्राप्त पत्राचार के उत्तर देना जारी रखेगा।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(डी. सरकार)
आयुक्त एवं सचिव

115. श्री शिव चरण गोयल: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) MCD विभाग के तहत मोती नगर विधानसभा में कुल कितनी पार्किंग स्थल आबंटित की गयी हैं पूर्ण विवरण दें;

(ख) इन जगहों पर किस तरह के वाहनों को पार्किंग की अनुमति है और उनके लिए क्या शुल्क एवं समय निर्धारित किया गया है;

(ग) क्या शारदा पूरी बिशन सिंह स्कूल के सामने MCD विभाग ने कोई पार्किंग आबंटित की है; और

(घ) क्या इस जमीन पर पशुपालन, ट्रकों की अवैध पार्किंग, टैटों का कार्य करने और बिल्डिंग मैटीरियल, आदि के रख-रखाव की भी छूट दी गयी है?

शहरी विकास मंत्री: (क) उत्तरी दिल्ली नगर निगम के तहत मोती नगर विधानसभा में अधिकृत पार्किंग की सूची अनुलग्नक 'क' संलग्न है।

(ख) मूल्यांक सूची अनुलग्नक 'ब' संलग्न है।

(ग) शारदा पूरी बिशन सिंह स्कूल के सामने उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने व्यापार मंडल मानसरोवर गार्डन को करोल बाग जोन द्वारा आवंटित की गई है।

(घ) पार्किंग में इस प्रकार की कोई भी छूट नहीं है।

अनुलग्नक 'क'

S. No.	Name of Parking Site	Location	Zone	Allowed Vehicles
1	Tanga Stand, Moti Nagar	Moti Nagar	KBZ	Car/Three Wheeler/ Two Wheeler
2	Kalra Hospital	Moti Nagar	KBZ	Car/Two Wheeler
3	Coverd drain Sudarshan Park	Coverd drain Sudarshan Park	KBZ	Car/Three Wheeler/ Two Wheeler
4	Under flyover Kirti Nagar Metro Station	Kirti Nagar Metro Station	KBZ	Car/Three Wheeler/ Two Wheeler
5	Karampura Commercial Complex	Karampura Commercial Complex	KBZ	Car/Three Wheeler/ Two Wheeler
6	Coverd drain Ramesh Nagar	Coverd drain Ramesh Nagar	KBZ	Car/Three Wheeler/ Two Wheeler
7	Kirti Nagar, Timber Market MCD Plot	Kirti Nagar Timber Market	KBZ	Car/Three Wheeler/ Two Wheeler
8	Kirti Nagar, Marble Market	Kirti Nagar, Marble Market	KBZ	Car/Three Wheeler/ Two Wheeler
9	Parking site adjoining office of Income Tax Department Jhadewalan	Jhandewalan	KBZ	Car/Two Wheeler / Four Wheeler
10	Campa Cola Factory Najafgarh Road	Najafgarh Road	KBZ	Car/Three Wheeler/ Two Wheeler
11	Infront of Milan Cinema and MCD Shops	Milan Cinema	KBZ	Car/Three Wheeler/ Two Wheeler
12	F-Block, Mansarover Garden Near Water Tank	Mansarover Garden	KBZ	Car/Three Wheeler/ Two Wheeler

अनुलग्नक 'ब'

PARKING CHARGES

The licensee shall be required to ensure that the following parking charges / fee for various categories of vehicles shall be charged during the period of contract:-

Duration	Car	Two Wheeler- Scooter/ Motorcycle Etc.
Up-to 01 hour	Rs. 20	Rs. 10
Beyond 1 hour to 5 hours (for every additional hour or part thereof)	Rs. 10/- per hour (subject to max. Rs. 50 for five hours)	Rs. 5/- per hour (subject to max. Rs. 25 for five hours)
Beyond 5 hours & up-to 10 hours (for every additional hour or part thereof)	Rs. 10/- per hour (subject to max. Rs. 100 for ten hours)	Rs. 5/-per hour (subject to max. Rs. 50 for 10 hours)
Beyond 10 hours (for every additional hour or part thereof)	Rs. 10/- per hour (subject to max. Rs. 200 for 24 hours)	Rs. 5/- per hour (subject to max. Rs. 100 for 24 hours)
Monthly	Rs. 1500/-	Rs. 500/-
Duration	Tempo (allowed only in parking under flyovers or parking set up for the tempos)	Bus/Truck/other equivalents
Up to 2 hour	Rs. 60/-	Rs.80/-
Up to 5 hour	Rs.90/-	Rs.120/-
5 to 10 hour	Rs.200/-	Rs.300/-
10 to 24 hour	Rs.300/-	Rs.500/-
Monthly	Rs.6000/-	Rs.9900/-

116. श्री शिव चरण गोयल: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की कीर्ति नगर इंडस्ट्रियल एरिया में छोटे-छोटे प्लॉट काट कर दुकानें/ऑफिस/शोरूम इत्यादि बनाने की कोई योजना है; और

(ख) कीर्ति नगर इंडस्ट्रियल एरिया में वर्तमान समय में कितने प्लॉट पर छोटे-छोटे प्लॉट काट कर बनाए जा रहे हैं, पूर्ण विवरण दें?

शहरी विकास मंत्री: (क) और (ख) **औद्योगिक विभाग:** इस संबंध में यह प्रेषित है कि कीर्ति नगर इंडस्ट्रियल एरिया में से सिर्फ कीर्तिनगर पैकेजिंग कॉम्पलेक्स (फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्पलेक्स) ही डी.एस.आई.आई.डी.सी. के कार्यक्षेत्र में आता है। शेष कीर्ति नगर इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी.डी.ए.) के अंतर्गत आता है। अतः मांगी हुई जानकारी के संदर्भ में दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी.डी.ए.) ही उचित जानकारी दे सकता है। वर्तमान में डी.एस.आई.आई.डी.सी. द्वारा कीर्ति नगर इंडस्ट्रियल एरिया में किसी दुकान/दफ्तर/शोरूम के लिए नए प्लॉट आबंटन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण: दिल्ली विकास प्राधिकरण को प्रश्न भेजा गया था, परन्तु दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अपने पत्र सं. एफ5 (3)/मिस./2015/पी एंड सी/वीएस/769 दिनांक 2 अगस्त, 2018, को सूचित किया है कि-दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 29 के साथ पठित अनुच्छेद 239ए ए(3) और (4) में निहित प्रावधानों को देखते हुए विधान सभा के स्पीकर वैधानिक रूप से किसी आरक्षित विषय पर कोई प्रश्न स्वीकार नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त यह भी बताया जाता है कि यदि दि.वि.प्रा. के सम्बन्ध में सभा द्वारा उठाये गये प्रश्नों के उत्तर अपेक्षित हैं, तो उन्हें आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से भेजा जाना चाहिए, क्योंकि दिल्ली विकास प्राधिकरण केन्द्र सरकार के नियंत्रण में कार्य करता है। (प्रतिलिपि संलग्न है)

प्रतिलिपि

**दिल्ली विकास प्राधिकरण
(आयुक्त एवं सचिव कार्यालय)
ब्लॉक-बी, विकास सदन, आई.एन.ए., नई दिल्ली-110023**

सं. एफ 5(3)/मिस./2015/पी एंड सी/वीएस/760 दिनांक: 2 अगस्त, 2018
सेवा में,

श्री संदीप मिश्रा,
विशेष सचिव (संसद अनुभाग),
शहरी विकास विभाग, रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार,
9वां तल, सी.विंग, दिल्ली सचिवालय,
आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002

विषय: छठी दिल्ली विधानसभा के 7वें सत्र के दूसरे भाग में दिनांक
07/06/2018 को उठाए गए अतारांकित प्रश्न के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में दिनांक 09/07/2018 के अपने पत्र सं. 52 (यू.एस.क्यू.)/बजट रोशन-सैकंड-जून-2018/दिल्ली असेंबली/यू.डी./डी 7175, 7176 का अवलोकन करें, जिसकी संदर्भ से एफ.यू.एस.क्यू./बजट रोशन II जून 2018/दिल्ली असेंबली/यू.डी./डी.-6983-43 (यू.एस.क्यू.-80), 6925 34 (क्यू.एस.क्यू. 78), 6977 80(यू.एस.क्यू. 89) तथा 6901 6904 (यू.एस.क्यू. 70) दिनांक 29/05/2018 तथा अनुपूरक फर्स्ट डी 7066 से 7068 दिनांक 13/06/2018 है, जिसके द्वारा संदर्भित विषय पर उत्तर तैयार करने के लिए विभाग की उपयुक्त सामग्री प्रेषित करने के लिए कहा गया था।

इस संबंध में, यह बताया जाता है कि संविधान के अनुच्छेद 239ए ए(3) (क) के अनुसार विधानसभा के पास राज्य सूची अथवा समवर्ती सूची में आने

वाले किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है, केवल उन मामलों को छोड़कर जो राज्य सूची की प्रविष्टि 1, 2 तथा 18 से संबंधित हैं तथा सूची की प्रविष्टि 64, 65 तथा 66 से कुछ हद तक संबंधित हैं क्योंकि ये उक्त प्रविष्टि 1, 2 तथा 18 से संबंधित हैं। अतः आरक्षित विषयों अर्थात् प्रविष्टि 1, 2 तथा 18 में उल्लिखित विषयों पर राज्य सरकार के पास न तो कानून बनाने की शक्तियां हैं और न ही कार्यकारी कार्रवाई करने की शक्तियां। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 29 में यह वर्णित है कि प्रश्नों की विषय सामग्री प्रशासन के मामलों से संबंधित होनी चाहिए, जिसके लिए सरकार उत्तरदायी है।

अतः दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 29 के साथ पठित अनुच्छेद 239ए ए(3) और (4) में निहित प्रावधानों को देखते हुए, विधानसभा के स्पीकर वैधानिक रूप से किसी आरक्षित विषय पर कोई प्रश्न स्वीकार नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त यह भी बताया जाता है कि यदि दि.वि.प्रा. के संबंध में सभा द्वारा उठाए गए प्रश्नों के उत्तर अपेक्षित हैं, तो उन्हें आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से भेजा जाना चाहिए क्योंकि दि.वि.प्रा. केन्द्र सरकार के नियंत्रण में कार्य करता है।

तथापि, रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार के विकास कार्य और सार्वजनिक कल्याण में दि.वि.प्रा. की भूमिका से संबंधित मामलों के संबंध में दि.वि.प्रा. रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार से प्राप्त पत्राचार के उत्तर देना जारी रखेगा।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(डी. सरकार)
आयुक्त एवं सचिव

117. श्रीमती प्रमिला धीरज टोकस: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोगों को हानिकारक विकीरण से बचाने के लिए दिल्ली में मोबाइल टावर लगाने की क्या नीति है; और

(ख) एसडीएमसी द्वारा आर.के. पुरम विधानसभा में बार-बार मोबाइल टावर लगाना रोकने हेतु विभाग द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है, पूर्ण विवरण दें?

शहरी विकास मंत्री: (क) दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा निजी सम्पत्ति पर मोबाइल टावर की अनुमति एस.डी.एम.सी. एवं Cellular Operators Association of India & Ors. के बीच हुए Settlement Agreement दिनांक 30.01.2017 के अनुसार दी जाती है। इस संदर्भ में Settlement Agreement के क्रम सं. 11 के तहत हानिकारक विकीरण की शिकायत, दूर संचार विभाग Term Cell, भारत सरकार को की जा सकती है।

(ख) विभागीय नीति अनुरूप प्राप्त आवेदनों पर विभाग द्वारा संज्ञान लेकर ही स्वीकृति प्रदान की जाती है। ज्ञात है कि विभागीय लेखानुसार आर.के. पुरम विधानसभा क्षेत्र में 01/01/2004 से अब तक 139 अनुमतियां/एनओसी नियमानुसार प्रदान की गई है।

118. श्री अजय कुमार महावर: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत घौण्ड विधानसभा से कितनी सड़कों के निर्माण के लिए सरकार को आवेदन मिला है, विवरण दें;

(ख) उपरोक्त आवेदनों की वर्तमान स्थिति क्या है और भविष्य में कब तक बजट आबंटित हो जाएंगे;

(ग) क्या यह सत्य है कि उपरोक्त कार्यों के लिए संबंधित विभाग को अभी तक फंड जारी नहीं किया गया;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या हैं;

(ङ) मुख्यमंत्री सड़क योजना में कितने बजट का प्रावधान है, उसमें से कितना बजट का प्रावधान है, उसमें से कितना बजट किस योजना में अब तक खर्च हुआ है, विवरण दें; और

(च) मुख्यमंत्री सड़क योजना में बजट आबंटित करने की क्या प्रक्रिया एवं प्रावधान है?

शहरी विकास मंत्री: (क) मुख्यमंत्री सड़क पुनर्निर्माण योजना के द्वारा घोण्डा विधानसभा में कुल 5.42 करोड़ रु. के कुल 21 आवेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) उपरोक्त आवेदन वर्तमान में विचाराधीन है।

(ग) उपरोक्तानुसार।

(घ) उपरोक्तानुसार।

(ङ) बजट अनुमान 2021-22 के अनुसार रु. 370 करोड़ का प्रावधान रखा गया था। संशोधित बजट अनुमान 2021-2022 अभी वित्त विभाग द्वारा जारी नहीं किया गया है तथा अब तक वित्तिय वर्ष 2021-22 में 56.95 करोड़ को स्वीकृति पत्र दे दी गई है।

(च) बजटीय प्रावधानों में अनुसार मुख्यमंत्री सड़क पुनर्निर्माण योजना का बजट आवंटन किया जाता है।

119. श्री मोहन सिंह बिष्ट: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) करावल नगर विधानसभा के अंतर्गत कुल कितनी अनाधिकृत कॉलोनी है;

(ख) करावल नगर विधानसभा के अंतर्गत अनधिकृत कॉलोनियों में विकास का कोई भी कार्य आज तक न होने के क्या कारण है;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि करावल नगर विधानसभा की अधिकतर कॉलोनियों के एस्टीमेट शहरी विकास विभाग के पास बजट के लिए लम्बित पड़े हैं; और

(घ) इन कॉलोनियों को अभी तक बजट न दिये जाने के क्या कारण हैं तथा कितने दिनों में इनका बजट रिलीज कर दिया जायेगा?

शहरी विकास मंत्री: (क) करावल नगर विधानसभा के अन्तर्गत 28 अनधिकृत कॉलोनियाँ हैं।

(ख) शहरी विकास विभाग ने पिछले वित्तीय वर्ष 2020-21 में कार्यकारी संस्था डीएसआईआईडीसी को 289.19 करोड़ रुपये दिये हैं और वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 में 307 करोड़ रुपये की मिसिल विचाराधीन है।

(ग) शहरी विकास विभाग दिल्ली सरकार ने कार्यकारी संस्था (डीएसआईआईडीसी) को विकास कार्य के लिए एक मुक्त कॉलोनी वार निधि नहीं देता है।

(घ) शहरी विकास विभाग दिल्ली सरकार ने पिछले वित्तीय वर्ष 2020-21 में डीएसआईआईडीसी (कार्यकारी संस्था) को रुपये 289.19 करोड़ दिए हैं और वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 में 307 करोड़ की मिसिल विचाराधीन है।

120. श्री सोमनाथ भारती: क्या माननीय जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने वर्ष 2014 के बाद से जल एवं सीवर के लिए आधारभूत ढाँचे के निर्माण व उसमें सुधार के लिए कितनी धनराशि खर्च की है विधानसभा क्षेत्रवार विवरण प्रदान करें;

(ख) क्या मालवीय नगर जल आपूर्ति की स्थिति का ऑडिट किया गया है और अनुबंधित किए जाने के उद्देश्यों की पूर्ति न होने पर क्या कार्रवाई की गई;

(ग) दूषित जल, सीवर के बह निकलने तथा जल आपूर्ति न होने की समस्याओं के समाधान के लिए दिल्ली जलबोर्ड की मानक कार्य-प्रक्रिया क्या है; और

(घ) दिल्ली जल बोर्ड द्वारा मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में डीएमए भवनों का निर्माण कार्य हर प्रकार से कब तक पूरा कर लिया जाएगा?

जल मंत्री: (क) अनुलग्नक 'अ' में संलग्न है।

(ख) जी नहीं, मालवीय नगर जल आपूर्ति की स्थिति का ऑडिट नहीं किया गया है। वांछित मात्रा में पेयजल उपलब्ध नहीं होने के कारण अनुबंधित किए जाने के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो पाई। अतिरिक्त पानी उपलब्ध कराने का प्रयास जारी है।

(ग) दूषित जल की आपूर्ति होने पर, क्षेत्र की जल आपूर्ति को तुरंत बंद करके समस्याओं के समाधान ढूँढने एवं सुधार करने का कार्य दिल्ली जल बोर्ड द्वारा शुरू कर दिया जाता है। जल गुणवत्ता में सुधार होने तक इलाके में पेयजल की उपलब्धता टैंकरों द्वारा की जाती है।

दूषित जल की शिकायत प्राप्त होने पर सबसे पहले टैंकर दिया जाता है। सीवर के लिए मशीनें भेजकर समस्या का समाधान किया जाता है तथा जल आपूर्ति की समस्या का समाधान के लिए दिल्ली जल बोर्ड द्वारा निशुल्क पानी के टैंकर दिए जाते हैं।

(घ) मालवीय नगर पी.पी.पी.पी परियोजना के अंतर्गत प्रस्ताविक 09 डी.एम. ए. भवनों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र उपरोक्त 09 डी.एम.ए. में से 04 डी.एम.ए. में फैला हुआ है।

डी.एम.ए. पूर्णतया चालू करने के लिए 6.84 एमजीडी पानी की आवश्यकता है, परंतु वर्तमान में 4.61 पानी उपलब्ध है पूर्ण पानी की उपलब्धता हेतु दिल्ली जल बोर्ड निरंतर कार्यरत है।

अनुलग्नक 'अ'

Expenditure from the year 2014-15 to 2020-2021 in R/O AEE(M)-43

YEAR	WATER		SEWER	
	AC-43	AC-44	AC-43	AC-44
2014-15	38.14	124.10	508.22	203.46
2015-16	110.15	226.08	345.10	295.72
2016-17	170.50	313.05	342.54	264.70
2017-18	215.08	235.89	419.56	220.47
2018-19	257.12	323.81	342.10	316.34
2019-20	491.30	207.54	445.78	313.13
2020-21	475.25	203.51	366.93	464.14

121. श्री धर्मपाल लाकड़ा: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि मुण्डका विधानसभा क्षेत्र की कच्ची कॉलोनियों में बारिश के दिनों में भयंकर जलभराव की समस्या होती है; और

(ख यदि हाँ, तो इसके निदान हेतु सरकार की इन इलाकों में ट्यूबवैल और बोरवेल लगाकर वाटर लेवल डाउन करने या कोई नई ड्रेन बनाकर जलभराव की समस्या के समाधान की कोई योजना है?

शहरी विकास मंत्री: (क) हाँ, जरूरत के अनुसार उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा पम्प लगाये जाते हैं और बारिश के दिनों में नियमित रूप से जलभराव की निकासी कर दी जाती है।

(ख) उत्तरी दिल्ली नगर निगम कच्ची कॉलोनियों में कोई विकास कार्य नहीं करती है। इन इलाकों में सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग या डी.एस.आई.डी.सी. द्वारा सभी कार्य किए जाते हैं।

122. श्री ओमप्रकाश शर्मा: क्या माननीय जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली जल बोर्ड द्वारा रोहताश नगर विधानसभा में पिछले 10 वर्षों में कितने U.G.R. का निर्माण किया गया है, और इन U.G.R. की कैपेसिटी कितनी है;

(ख) रोहताश नगर विधानसभा में स्थित U.G.R. से किस-किस विधानसभा में पानी की सप्लाई की जा रही है;

(ग) दिल्ली जल बोर्ड के अनुसार रोहताश नगर विधानसभा में कितने पीने के पानी की आवश्यकता है;

(घ) क्या रोहताश नगर विधानसभा में प्रस्तावित 0.72 MG क्षमता के U.G.R. और बूस्टर पंपिंग स्टेशन और पंपिंग स्टेशनों के सिविल वर्क प्रस्ताव/मरम्मत कार्य को निरस्त कर दिया गया है;

(ङ) यदि हाँ, तो निरस्त करने के क्या कारण हैं;

(च) दिल्ली सरकार द्वारा यमुनापार विकास बोर्ड का गठन किस वर्ष से किया गया तथा यमुनापार विकास बोर्ड के कार्य क्या हैं;

(छ) यमुनापार विकास बोर्ड को स्थाई अथवा अस्थायी रूप से बंद करने के क्या कारण हैं; और

(ज) भविष्य में यमुनापार विकास बोर्ड को पुनः चालू करने की सरकार की क्या योजना है?

जल मंत्री: (क) रोहताश नगर विधानसभा में जी.टी. रोड़ यूजीआर, भागीरथी यूजीआर, शास्त्री पार्क यूजीआर व ताहिरपुर यूजीआर से पानी की सप्लाई की जाती है।

(ख) रोहताश नगर विधानसभा में स्थित जी.टी. रोड़ यूजीआर. से रोहताश नगर एवं शाहदरा विधानसभा के क्षेत्रों में सप्लाई की जा रही है।

(ग) रोहताश नगर विधानसभा में आवश्यकतानुसार लगभग 10.75 एम.जी. डी. पानी की आपूर्ति की जा रही है।

(घ) रोहताश विधानसभा क्षेत्र के लिए नये यूजीआर की आवश्यकता नहीं है।

(ड) उपरोक्त 'घ' अनुसार।

(च) शहरी विकास विभाग, दिल्ली से प्राप्त जानकारी के अनुसार-

यमुना पार क्षेत्र विकास बोर्ड (TYADB) का गठन मार्च, 1994 में किया गया था तथा TYADB के सदस्य TYADB बोर्ड की बैठक में TYADB योजना निधि के माध्यम से कार्यों की सिफारिश करते हैं और बोर्ड द्वारा अनुमोदित कार्यों को निष्पादित किया जाता है।

(छ) और (ज) शहरी विकास विभाग, दिल्ली से प्राप्त जानकारी के अनुसार:-ट्रांस यमुना क्षेत्र विकास बोर्ड के पुनर्गठन का प्रस्ताव फाइल सीडी संख्या 021266832 में 12.04.2021 को माननीय शहरी विकास मंत्री के कार्यालय में भेज दिया गया है।

123. श्री शोएब इकबाल: क्या माननीय जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मटियामहल विधानसभा क्षेत्र में जल आपूर्ति, विशेषकर शाम के समय अपर्याप्त रहती है, इसके समाधान हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) वर्क ऑर्डर की स्वीकृति होने के बाद भी बोरिंग में विलंब का क्या कारण है;

(ग) पंपसेट लगाने, उनके लिए बिजली के मीटर व अन्य आवश्यक फिटिंग्स व उनके रखरखाव में विलंब का क्या कारण है तथा विभिन्न स्थानों पर यूजीआर तथा पंप स्टेशनों पर पुराने ऑनलाइन बूस्टर पंपों को बदलने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या सुभाष पार्क के कोने पर वॉल्व को खोलने का तथा इस विधानसभा क्षेत्र में नए यूजीआर बनाने का कोई प्रावधान है ताकि मटियामहल क्षेत्र में जल आपूर्ति में सुधार हो सके; और

(ङ) पुरानी और क्षतिग्रस्त सीवर लाइनों व पानी की लाइनों को बदलने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ताकि गंदे पानी की आपूर्ति को रोका जा सके?

जल मंत्री: (क) मटिया महल विधानसभा क्षेत्र में जल आपूर्ति विशेषकर शाम के समय अपर्याप्त रहने के सन्दर्भ में यह सूचित किया जाता है कि जब भी प्लांट से पानी की सप्लाई किसी कारणवश बाधित होती है, तब समस्या उत्पन्न होती है, इसके अलावा कुछ क्षेत्रों में पानी की लाइन में अपने तथा एल. डी.आई. के कर्मचारियों द्वारा लीकेज ढूढ़ने की प्रक्रिया जारी है तथा जो भी लीकेज मिल रही है उसकी तुरंत मरम्मत करवायी जा रही है। क्षेत्र में पानी की उचित सप्लाई के लिए चार स्थानों पर ऑनलाइन बूस्टर का निर्माण किया गया है।

(ख) बोरिंग के कार्य का वर्क आर्डर होने के बाद कार्य समय पर शुरू करने की कोशिश की जाती है, परन्तु कभी-कभी विभिन्न प्रतिबंधों जैसे कि प्रदूषण की वजह से जेनेरेटर चलाने पर रोक के कारण कार्य विलम्ब हो जाता है।

(ग) बोरिंग का कार्य समाप्त होने के बाद पंपसेट लगाने के लिए नए मीटर कनेक्शन के लिए आवेदन कर दिया जाता है तथा मीटर कनेक्शन मिलने के बाद पम्पसेट चालू कर दिया जाता है। पम्प स्टेशनों पर पुराने ऑनलाइन बूस्टर पम्पों को बदलने का कार्य क्षेत्र में चार स्थानों पर कर दिया गया है।

(घ) मटिया महल विधानसभा में पानी की आपूर्ति रामलीला ग्राउंड यूजीआर और दिल्ली गेट यूजीआर से की जाती है। सुभाष पार्क के कोने पर वॉल्व को खोलने या बंद करने तथा नया यूजीआर बनाने का कोई प्रावधान विचारणीय नहीं है।

(ङ) पुरानी तथा क्षतिग्रस्त सीवर लाइनों व पानी की लाइनों को बदलने का कार्य निरंतर जारी है और जब भी किसी क्षतिग्रस्त लाइन का पता चलता है उसे बदलने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है।

124. श्री प्रवीण कुमार: क्या माननीय जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सराय काले खां क्षेत्र एवं उसके आसपास होने वाले जल भराव की निकासी के लिए विभाग की क्या योजना है;

(ख) विगत 5 वर्षों में जलभराव की निकासी के लिए किस-किस मद से कितना-कितना खर्च किया गया;

(ग) क्या सीएनजी पंप सराय काले खां के पास कोई पंप लगा हुआ है;

(घ) क्या उसके आगे की पानी की निकासी की लाइन बैठी हुई है;

(ङ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(च) सराय काले खां के पानी की निकासी के कार्य में हुई देरी के लिए या कार्य न करने के लिए दोषी कर्मचारियों/अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है, पूर्ण विवरण दें?

जल मंत्री: (क) सराय काले खां क्षेत्र और उसके आसपास जलभराव का मुख्य कारण उच्च भू जलीय स्तर है। इसका दिल्ली जल बोर्ड से कोई संबंध नहीं है। क्षतिग्रस्त सीवर लाईनों का नई सीवर लाईनें डालना प्रस्तावित है।

(ख) जल भराव की निकासी के लिए किसी मद से कोई खर्चा दिल्ली जल बोर्ड द्वारा नहीं किया गया है।

(ग) जी हाँ, पंप लगा हुआ है।

(घ) जी हाँ।

(ङ) बैठी हुई सीवर लाईन को नई सीवर लाईन डालना प्रस्तावित है।

(च) सराय काले खां क्षेत्र और उसके आसपास जल भराव का मुख्य कारण भू-जलीय स्तर है, उसका जल बोर्ड से कोई संबंध नहीं है और इसके लिये कोई जिम्मेदार नहीं है।

125. श्री विजेंद्र गुप्ता: क्या माननीय जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली जल बोर्ड में लाइसेंसधारी पलम्बरों की कुल कितनी संख्या है तथा प्रति लाइसेंस कितनी फीस दिल्ली सरकार द्वारा ली जाती है;

(ख) क्या दिल्ली सरकार की लाइसेंसधारी पलम्बर योजना को समाप्त करने की कोई योजना है;

(ग) यदि हाँ, तो पूर्ण विवरण दें;

(घ) लाइसेंसधारी पलम्बर योजना को समाप्त करने के कारण बेरोजगार हुए पलम्बरों के लिए रोजगार हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है;

(ड) लाइसेंसधारी पलम्बरों के लाइसेंस कौन सी अवधि तक मान्य हैं; और

(च) इन लाइसेंसधारी पलम्बरों से लाइसेंसिंग फीस कौन सी अवधि तक दिल्ली सरकार ने जमा कराई हुई है?

जल मंत्री: (क) दिल्ली जल बोर्ड में लाइसेंसधारी पलम्बरों की कुल संख्या 938 है तथा प्रति लाइसेंस 2000/- फीस दिल्ली सरकार द्वारा ली जाती है।

(ख) से (घ) वर्तमान सरकार द्वारा लाइसेंसधारी पलम्बर योजना को समाप्त करने की कोई योजना क्रियान्वित नहीं है।

(ड) 01.04.2020 से 31.03.2025 तक।

(च) 01.04.2020 से 31.03.2025 तक।

126. श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी: क्या माननीय जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20 एवं 2020-2021 में दिल्ली जल बोर्ड को दिए गए अतिरिक्त बजटीय आधार का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उपर्युक्त वित्तीय वर्षों में इन अतिरिक्त बजटीय उधारों के व्यय का पूरा विवरण क्या है?

जल मंत्री: (क) और (ख) इन वर्षों में दिल्ली जल बोर्ड को बजट प्रावधान के अतिरिक्त कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है।

127. श्री रामवीर सिंह विधूड़ी: क्या माननीय जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20 एवं 2020-2021 एवं 2021-22 में दिल्ली जल बोर्ड का कुल राजस्व और प्रत्येक पद के लिए गए व्यय का क्या विवरण है;

(ख) उपरोक्त वित्तीय वर्षों में प्रति वर्ष योजना और गैर योजना व्यय का क्या विवरण है;

(ग) उपरोक्त वर्षों में ब्याज और अवमूल्यन (डेप्रिसिएशन) हटाने के बाद प्रति वर्ष दिल्ली जल बोर्ड को कितना लाभ या नुकसान हुआ; और

(घ) उपरोक्त अवधि में ब्याज अवमूल्यन (डेप्रिसिएशन) मिलाकर प्रति वर्ष दिल्ली जल बोर्ड को कितना लाभ या नुकसान हुआ?

जल मंत्री: (क)

(करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	कुल राजस्व (योजना)	कुल व्यय (योजना)	कुल राजस्व (गैर योजना)	कुल व्यय (गैर योजना)
2015-16	1723.93	1677.49	2392.16	5822.35
2016-17	1386.82	1380.74	2438.94	6528.51
2017-18	1766.37	1549.22	2502.40	6046.15
2018-19	2625.98	1973.56	2537.90	6549.50

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 442

04 जनवरी, 2022

2019-20	2475.00	2350.78	3348.57	7552.79
2020-21	3764.00	2503.80	3477.26	7021.44
			(अनुमानित)	(अनुमानित)
2021-22	907.63	968.90	1717.13	1739.07
	(अब तक)	(नवंबर तक अनुमानित)	(अब तक)	(नवंबर तक अनुमानित राशि ब्याज और अवमूल्यन को हटाकर है, जिसकी गणना वित्तीय वर्ष की समाप्ति के उपरान्त की जाएगी।)

(प्रत्येक मद के लिए व्यय का विवरण संलग्न है।)

(ख) कृपया प्रश्न संख्या (क) के उत्तर का अवलोकन करें।

(ग)

वित्तीय वर्ष	लाभ या नुकसान ब्याज और अवमूल्यन हटाने के बाद (करोड़ में)
2015-16	8.15
2016-17	(533.73)
2017-18	(174.23)
2018-19	(235.29)
2019-20	(300.66)
2020-21	(586.13) (अनुमानित)
2021-22	(21.94) (नवंबर तक अनुमानित)
	(राशि ब्याज और अवमूल्यन को हटाकर है, जिसकी गणना वित्तीय वर्ष की समाप्ति के उपरान्त की जाएगी।)

(घ)

वित्तीय वर्ष	लाभ या नुकसान ब्याज और अवमूल्यन मिलाकर (करोड़ में)
2015-16	(3430.19)
2016-17	(4089.56)
2017-18	(3543.75)
2018-19	(4011.60)
2019-20	(4204.22)
2020-21	(3544.18) (अनुमानित)
2021-22	(21.94) (नवंबर तक अनुमानित)
(राशि ब्याज और अवमूल्यन को हटाकर है, जिसकी गणना वित्तीय वर्ष की समाप्ति के उपरान्त की जाएगी।)	

128. श्री अखिलेशपति त्रिपाठी: क्या माननीय जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मॉडल टाउन विधानसभा क्षेत्र के मुखर्जी नगर जेड आर ओ कार्यालय में कितने सरकारी और कितने प्राइवेट मीटर रीडर एवं मीटर इंस्पेक्टर हैं इन सबका क्षेत्रवार विवरण दें;

(ख) मॉडल टाउन विधानसभा क्षेत्र में स्टॉप मीटर्स, अनमीटर चालू मीटर्स, कॉमर्शियल मीटर, डोमेस्टिक मीटर्स का पूर्ण विवरण दें;

(ग) मुखर्जी नगर जेड आर ओ कार्यालय में पिछले पांच साल में कितने लोगों को नया कनेक्शन दिया गया है, कितने लोगों को नोटिस जारी किया गया है और कितने प्रतिक्षा सूची में रखे गये हैं, पूर्ण विवरण दें;

(घ) दिल्ली सरकार के द्वारा पानी के बिलों में जो स्कीम चलाई गई थी, उसके तहत कितने लोगों को छूट अभी तक दी गयी है, पूर्ण विवरण दें;

(ङ) क्या यह सत्य है कि गैर अधिकृत नक्शों के पास मकानों के नये कनेक्शन तो जारीकर दिये जाते हैं जबकि अधिकृत नक्शों के पास मकानों के कनेक्शन जारी नहीं किये जाते हैं और ये लोग दिल्ली जल बोर्ड कार्यालय के चक्कर लगाते रहते हैं, और

(च) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं तथा इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

जल मंत्री: (क) क्षेत्रीय राजस्व अधिकारी मुखर्जी नगर कार्यालय में 02 मीटर इंसपेक्टर सहित 21 सरकारी मीटर रीडर है। जिनका एरिया 3 विधानसभा (AC-3), (AC78) एवं (AC79) में वितरित है।

(ख) मॉडल टाउन विधानसभा का क्षेत्र, क्षेत्रीय राजस्व कार्यालय मुखर्जी नगर एवं क्षेत्रीय राजस्व कार्यालय केवल पार्क में है।

क्षेत्रीय राजस्व कार्यालय मुखर्जी नगर में स्टॉप मीटर की संख्या 216 हैं। चालू मीटर की संख्या 8447 है, जिनमें से कमर्शियल मीटर की संख्या 680 व घरेलू मीटर की संख्या 7767 है।

क्षेत्रीय राजस्व कार्यालय केवल पार्क में स्टॉप मीटर की संख्या 2389, चालू मीटर की संख्या 16513, कमर्शियल मीटर की संख्या 1055 व घरेलू मीटर की संख्या 17847 है।

(ग) मुखर्जी नगर क्षेत्रीय राजस्व अधिकारी कार्यालय में पिछले 5 सालों में कुल 8959 नए जल कनेक्शन दिए गए हैं व दिनांक 28.12.2021 तक कोई भी जल कनेक्शन लंबित नहीं है।

(घ) जिन जल कनेक्शनों पर चालू मीटर लगा था, उन सबको छूट का लाभ दिल्ली जल बोर्ड द्वारा दे दिया गया है व जिन जल कनेक्शनों पर चालू मीटर नहीं मिला वो उपभोक्ता छूट के दायरे से बाहर है।

(ङ) जी नहीं।

(च) लागू नहीं है।

129. श्री सुरेंद्र कुमार: क्या माननीय जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एसी-68 में पानी की समस्या को लेकर स्थानीय विधायक द्वारा कई बार मिलकर अवगत कराने के बावजूद पानी की समस्या अब तक हल न होने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या यह सत्य है कि एसी-68 की कॉलोनीयों में अब तक पानी नहीं पहुँचा है;

(ग) यदि हाँ, तो वहाँ पानी कब तक पहुँचेगा;

(घ) एसी-68 के जिन क्षेत्रों में सप्ताह में केवल दो दिन और वह भी आधा घंटा मात्र पानी आता है वहाँ रेगुलर पानी कब से आएगा; और

(ङ) एसी-68 के लिए तैयार ताहिरपुर यूजीआर से पानी की सप्लाई कब से शुरू होगी?

जल मंत्री: (क) समस्या हल करने के लिए ताहिरपुर यू.जी.आर. की कमांड के अंतिम छोर पर स्थित कॉलोनीयों में जलापूर्ति बढ़ाने के लिए सोनिया विहार की राइजिंग मेन से सेवा धाम रोड़ स्थित बूस्टर पम्प तक पानी की लाईन बिछाने का कार्य शीघ्र ही शुरू किया जा रहा है।

(ख) एसी-68 की तीन कॉलोनीयों को छोड़कर सारी कॉलोनीयों में पानी की पाईप लाईन से जालपूर्ति की जा रही है।

(ग) दो कॉलोनियों में पानी 30 जनवरी 2022 तक पहुँचा दिया जाएगा तथा तीसरी कॉलोनी में पानी ताहिरपुर यूजीआर पर अतिरिक्त पानी उपलब्ध होने पर सप्लाई दी जायेगी।

(घ) पानी की सप्लाई बढ़ाने के लिए ताहिरपुर यूजीआर की कमांड के अंतिम छोर पर स्थित कॉलोनियों को सोनिया विहार प्लांट की राईजिंग मेन बूस्टर पम्प के द्वारा जोड़ा जाएगा, जिसके लिए पानी की पाईप लाईन बिछाने का कार्य शीघ्र की शुरु किया जा रहा है।

(ङ) ताहिरपुर यूजीआर से एसी-68 के हर्ष विहार व सबोली वार्डों के अंतर्गत क्षेत्रों में पाईप लाईन से जलापूर्ति की जा रही है।

130. श्रीमती राजकुमारी ढिल्लो: क्या माननीय जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि हरिनगर विधानसभा के मायापुरी क्षेत्र में एक यूजीआर का निर्माण किया जा रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो इस यूजीआर का कार्य फरवरी, 2017 में शुरू होने के बावजूद यह कार्य अभी तक पूरा न होने के क्या कारण है;

(ग) इस यूजीआर का निर्माण कार्य कब तक पूरा होगा;

(घ) यूजीआर शुरू होने के बाद इसमें कितना पानी आएगा और कहाँ से आएगा; और

(ङ) कुल पानी में से कितना पानी हरिनगर विधानसभा को आवंटित होगा?

जल मंत्री: (क) जी हाँ।

(ख) यह यूजीआर एक पार्क में बनाया जा रहा है, वहाँ पर पेड़ होने के कारण उन्हें काटने की अनुमति प्राप्त करने तथा Design मंजूरी में समय लगा।

इसके बाद कोरोना वायरस तथा प्रदूषण के कारण बार-बार कार्य स्थगित करना पड़ा।

(ग) इस यू.जी.आर. को अब एक पंप चलाकर आंशिक रूप से मार्च 2022 व पूरा कार्य जून 2022 तक करने का लक्ष्य है।

(घ) इस यू.जी.आर. में हैदरपुर जल संयंत्र से पानी आएगा। पानी मी मात्रा आंतरिक विस्थापन व भूमिगत जल की उपलब्धता अनुसार की जाएगी।

(ङ) उपरोक्त 'घ' अनुसार। इस यूजीआर से खजान बस्ती, माया एन्क्लेव, एम-ब्लाक, हरी नगर, पार्ट ऑफ सुभाष नगर, ए-ब्लॉक, मायापुरी फेज-I, II क्षेत्रों को प्रदान किया जाएगा।

131. श्री गुलाब सिंह: क्या माननीय जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मटियाला विधानसभा में दिल्ली जल बोर्ड की 9 प्लस 5 स्कीम के तहत सीवर लाइन व सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बनाने की सरकार की कोई योजना है; और

(ख) यदि हाँ तो पूरी जानकारी दी जाए?

जल मंत्री: (क) मटियाला विधानसभा क्षेत्र में सीवर प्रणाली हेतु निम्नलिखित 10 जगहों पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने की योजना है।

1. जफरपुर
2. खैरा डाबर
3. सारंगपुर
4. काजीपुर
5. कंगन हेरी

6. कॉकरोल
7. गालिबपुर
8. शिकारपुर
9. हसनपुर
10. ताजपुर

(ख) क्रमांक 1 से 7 तक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने हेतु जमीन उपलब्ध हो चुकी है। सीवर प्रणाली एवं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हेतु आवश्यक योजना जल बोर्ड द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है। जिसकी निविदाएं भी आमंत्रित की जा चुकी है। उपरोक्त कार्य जून से दिसम्बर 2023 तक पूर्ण होने की सम्भावना है तथा क्रमांक 8 शिकारपुर, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने हेतु जगह डी.ए. द्वारा नवंबर 2021 में उपलब्ध करायी गयी है एवं सीवेज ट्रीटमेंट बनाने हेतु स्कीम बनाई जा रही है।

क्रमांक 9 एवं 10 हसनपुर एवं ताजपुर में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने हेतु आवश्यक जमीन संबंधित विभाग से आवंटन हेतु प्रयास किया जा रहा है। सीवर प्रणाली एवं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने की योजना जमीन उपलब्ध होने के पश्चात की जाएगी।

132. श्री महेंद्र गोयल: क्या माननीय जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रिठाला विधानसभा क्षेत्र में दिल्ली जल बोर्ड के कितने कनेक्शन हैं, पूर्ण जानकारी दी जाये;

(ख) वर्ष 2015 में रिठाला विधानसभा क्षेत्र को कुल कितना एमजीडी पानी मिलता था तथा वर्तमान समय में कुल कितना पानी मिलता है, पूर्ण जानकारी दी जाये;

(ग) वर्ष 2015 से वर्तमान समय तक दिल्ली जल बोर्ड में कितने नये कनेक्शन के आवेदन आये व विभाग द्वारा कितने उपभोक्ताओं को कनेक्शन आवंटित किये गये, पूर्ण विवरण दें;

(घ) सेक्टर-6 रोहिणी दिल्ली जल बोर्ड के कार्यालय पर कुल कितनी शिकायतें विभाग को वर्ष 2015 से वर्तमान समय तक प्राप्त हुई एवं वर्तमान स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिया;

(ङ) क्या यह सत्य है कि रोहिणी सेक्टर 16, 17, 11, 5 की वर्तमान सीवर लाइन आज से 25-30 वर्ष पूर्व में डाली गई थी;

(च) क्या यह भी सत्य है कि वर्तमान में इन सभी की स्थिति खस्ता हालत में है; और

(छ) यदि हाँ, तो विभाग द्वारा इन्हें बदलने की क्या योजना है, पूर्ण विवरण दें?

जल मंत्री: (क) रिठाला विधानसभा क्षेत्र में कुल 65,802 कनेक्शन हैं, जिसमें से दिनांक 29.10.2021 को 58,907 कनेक्शन एक्टिव थे तथा 6,985 शिथिल थे।

(ख) वर्ष 2015 में रिठाला विधानसभा में लगभग 11.90 एम.जी.डी. पानी मिलता था तथा वर्तमान में यह लगभग 18.34 एम.जी.डी. है।

(ग) जहाँ तक रोहिणी सेक्टर-6 स्थित क्षेत्रिय राजस्व कार्यालय का संबंध है, इसमें तीन विधान सभाओं का समावेश है, जिसमें 2015 से अब तक कुल 38,780 नए कनेक्शन के आवेदन प्राप्त हुए, उनमें से 32,504 कनेक्शन स्वीकृत किये गए।

(घ) जहाँ तक रोहिणी सेक्टर-6 स्थित राजस्व कार्यालय का संबंध है, यहाँ 2015 से अब तक कुल 13406 शिकायतें ऑनलाईन आर.एम.एस. पोर्टल पर प्राप्त

हुई। इनमें से 240 अभी लंबित है। इसके अतिरिक्त सी.पी. ग्राम, एलजी लिसनिंग पोस्ट, पी.जी.एम.एस तथा ऑफ-लाईन शिकायतें भी प्राप्त हुई थी, जिनमें से 38 पी.जी.एम.एस., 5 सी.पी. ग्राम तथा 100 सीधे प्राप्त हुई शिकायतों का निपटान किया जाना है।

(ड) यह सत्य है।

(च) सीवर लाईन संतोषजनक ढंग से काम कर रही है तथा आवश्यकतानुसार सीवर लाइनों की मरम्मत एवं सफाई का कार्य किया जाता है।

(छ) वर्तमान में सभी सीवर लाइनों को बदलने की कोई योजना नहीं है, परंतु आवश्यकतानुसार खराब सीवर लाइनों की मरम्मत व बदलने का कार्य किया जाता है।

133. श्री अजय कुमार महावर: क्या माननीय जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) घोण्डा विधानसभा एसी-66 में दिल्ली जल बोर्ड सीवर के रख-रखाव में अप्रैल, 2020 से अब तक कितना व्यय हुआ है व भविष्य में जल बोर्ड सीवर रख-रखाव सम्बन्धी क्या-क्या योजना है;

(ख) घोण्डा विधानसभा के यमुना विहार में जलभराव सम्बन्धी समस्या के समाधान के लिये क्या-क्या कदम उठाये जा रहे हैं व इससे कब तक निजात मिलेगी;

(ग) यमुना विहार यूजीआर व उस्मानपुर यूजीआर की कुल क्षमता कितनी है और घोण्डा विधानसभा में कितना एमजीडी पानी उपयोग होता है व अन्य विधान सभाओं में कितना एमजीडी पानी इन यूजीआर से जाता है;

(घ) खजूरी चौक से तीसरे पुश्ते तक पानी की एक ही पाइपलाईन कब तक डाली जायेगी, जिससे पानी की बर्बादी रोकी जा सके;

(ड) घोण्डा और आसपास की विधान सभाओं में सीवर ओवरफ्लो की भारी समस्या के समाधान हेतु एसपीएस-1 व एसपीएस-2 क्षमता कब तक बढ़ाई जाएगी; और

(च) घोण्डा विधान सभा में जर्जर हो चुके सीवर मेन होलों का निरीक्षण करवाकर इनकी मरम्मत कब तक कर दी जाएगी?

जल मंत्री: (क) घोण्डा विधानसभा एसी-66 में सीवर के रख-रखाव में अप्रैल 2020 से अब तक 175.00 लाख व्यय हुए हैं। भविष्य में सीवर रख-रखाव के लिए सीवर लाइनों की सफाई एवं सभी घरों में सीवर कनेक्शन लगाने की योजना है।

(ख) घोण्डा विधानसभा के यमुना विहार में जलभराव संबंधी समस्या के समाधान के लिए बारिश के मौसम से पहले पूर्वी दिल्ली नगर निगम अपने अधिकृत नालों की गाद निकालती व सफाई करती है। इसके अलावा बारिश के मौसम में आवश्यकता अनुसार पानी निकालने के लिए पम्प लगाये जाते हैं।

(ग) यमुना विहार यू.जी.आर. की क्षमता 3.30 एम.जी. तथा उस्मानपुर यू.जी.आर. की क्षमता 2.85 एम.जी. है। घोण्डा विधानसभा में लगभग 8 एम.जी.डी. पानी उपयोग होता है। इन दोनों यू.जी.आर. से मुस्तफाबाद एसी-69 में 1 एम.जी.डी., गोकलपुरी एसी-68 में 1 एम.जी.डी., बाबरपुर एसी-67 में 1 एम.जी.डी. तथा सीलमपुर एस-65 में 3.50 एम.जी.डी. पानी जाता है।

(घ) खजूरी चौक से तीसरा पुस्ता उस्मानपुर तक पानी की एक लाईन डालने के लिए सर्वे का कार्य चल रहा है। उसके पश्चात लाईन डालने का प्रस्ताव बनाया जायेगा। यह कार्य अलग 6 महीने में करा दिया जायेगा।

(ड) (अ) वर्तमान में, घोण्डा-1 एस.पी.एस. की क्षमता 13.4 MGD हैं, जबकि वर्तमान में लगभग 8-9 MGD के बीच पम्पिंग होती है।

(ब) वर्तमान में, घोण्डा-2 एस.पी.एस. की क्षमता 27.1 MGD है, जबकि वर्तमान में लगभग 14 MGD पम्पिंग होती है। अतः इनकी क्षमता बढ़ने की आवश्यकता नहीं है।

(नोट: उपरोक्त दोनों एस.पी.एस. का पुनर्निर्माण प्रस्तावित है।)

(च) जर्जर हो चुके सीवर मैन होल की मरम्मत का कार्य आवश्यकतानुसार समय-समय पर निरन्तर चलता रहता है।

134. श्रीमती प्रमिला धीरज टोकस: क्या माननीय जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में पिछले तीन वर्षों से चल रही परिधीय सीवर लाइन पुनर्वास परियोजना के पूर्ण होने की मूल तिथि तथा इसकी मूल लागत क्या थी, पूर्ण विवरण दें;

(ख) संशोधित होने की स्थिति में इस परियोजना के कब तक पूर्ण होने की संभावना है;

(ग) विलंब के कारण इस परियोजना की संशोधित लागत क्या है;

(घ) परियोजना के विलंब के लिए विभाग कंपनी/अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहा है; और

(ङ) आर.के. पुरम विधानसभा क्षेत्र में अत्यधिक बिल भेजने के कारण उपभोक्ताओं की शिकायतों पर विभाग द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

जल मंत्री: (क) आर.के. पुरम विधानसभा में Rehabilitation of Perhipheral Sewer Lines in Delhi (Contract-1) “Rehabilitation of Perhipheral Sewer of Dia 450-900 mm by CIPP Structural Lining method in Vasant Kunj, Munirka, Green Park and Mehrauli Area in South-SW Delhi का कार्य प्रगति पर है। जिसकी मूल लागत 69.30 करोड़ रुपये है तथा इस कार्य के पूर्ण होने की मूल तिथि 20.05.2021 थी।

(ख) इस परियोजना के पूर्ण होने की संभावना मई 2022 है।

(ग) यह परियोजना मूल लागत पर की जा रही है, विलंब के कारण मूल लागत में कोई सेशोधन नहीं है।

(घ) परियोजना में विलंब के लिए कंपनी के खिलाफ कारण बताओ नोटिस दे दिया गया है।

(ङ) आर.के. पुरम विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाले उपभोक्ताओं के ज्यादा बिल आने के संबंध में आने वाली शिकायतों पर दिल्ली जल बोर्ड के नियमानुसार योग्यता के आधार पर कार्यवाही की जाती है।

135. श्री अभय वर्मा: क्या माननीय जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2020 और वर्ष 2021 में दिल्ली में पेयजल की कुल उपलब्धता बतायें;

(ख) वर्तमान में लक्ष्मीनगर विधानसभा क्षेत्र में सुबह और शाम अलग-अलग कुल कितने एमजीडी पानी की आपूर्ति की जाती है;

(ग) विश्वकर्मा पार्क वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट पूरी तरह से कार्य करना कब से शुरू हो जाएगा और उससे लक्ष्मीनगर विधानसभा क्षेत्र को प्रतिदिन कितना पानी मिलेगा;

(घ) वर्ष 2021 में लक्ष्मीनगर विधानसभा क्षेत्र में कार्य करने के लिए दिल्ली जल बोर्ड को कितनी धनराशि उपलब्ध करायी गई है;

(ङ) क्या दिल्ली जल बोर्ड लक्ष्मीनगर विधानसभा क्षेत्र में सीवर लाइन एवं पानी की पाइपलाइन के रख-रखाव व नवीनीकरण के लिए किसी थर्ड पार्टी एजेंसी को हायर करने जा रही है; और

(च) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं, पूर्ण विवरण दें?

जल मंत्री: (क) वर्ष 2020 : 939 MGD.

वर्ष 2021 : 949 MGD.

(ख) सुबह कुल पानी की आपूर्ति : 5.03 MGD.

शाम में कुल पानी की आपूर्ति : 4.13 MGD.

(ग) 12.10.2021 से विश्वकर्मा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पूरी तरह से कार्य कर रहा है। इससे लगभग 01 एम.जी.डी. पानी लक्ष्मी नगर विधानसभा क्षेत्र को प्रतिदिन मिलता है।

(घ) वर्ष 2021 में लक्ष्मी नगर विधानसभा क्षेत्र में कार्य करने के लिए दिल्ली जल बोर्ड द्वारा 3237.33 लाख की धनराशि उपलब्ध कराई गई है।

(ङ) जी हाँ।

(च) दिल्ली जल बोर्ड द्वारा पूर्वी दिल्ली के पूरे क्षेत्र में (जिसमें लक्ष्मी नगर विधानसभा भी सम्मिलित है) 24×7 पानी की आपूर्ति, गैर राजस्व जल को कम करने, पाइप लाइनों में रिसाव को रोकने, सीवर लाइनों के रखरखाव के लिए निविदाएं आमंत्रित करने का प्रस्ताव है।

136. श्री अनिल कुमार बाजपेयी: क्या माननीय शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड द्वारा पिछले 3 वर्षों में रोहतास नगर विधानसभा, सीमापुरी विधानसभा, गोकुलपुरी विधानसभा में किन-किन व्यक्ति या कंपनी या एनजीओ को जमीनें/बिल्डिंग किराये पर दी गई है;

(ख) यदि हाँ, तो किराए पर दी गई जमीन में कितनी पार्किंग और बैंकट हॉल आदि चल रहे हैं, ये कितनी राशि पर दिए गए हैं तथा इनसे कब से कब तक का अनुबंध है, यह जानकारी दी जाए;

(ग) जिन कंपनी या एनजीओ या व्यक्तियों से अनुबंध हुआ है उसकी जानकारी दी जाए तथा संबंधित कंपनियों/एनजीओ/पदाधिकारियों की सूची पूर्ण विवरण सहित दी जाए;

(घ) अनुबंध पर दी गई जमीन या बिल्डिंग का लैंड यूज बताया जाए; और

(ङ) उपरोक्त विधानसभा में शौचालयों का रखरखाव करने वाली एजेंसियों का नाम तथा वर्ष भर में इन एजेंसियों या एनजीओ द्वारा दिए जाने वाले भुगतान की विधानसभा अनुसार जानकारी दी जाए?

शहरी विकास मंत्री: (क) पिछले तीन वर्षों में रोहतास नगर, सीमापुरी व गोकलपुरी विधानसभा में आर.पी. शैल द्वारा 11 पार्किंग और 2 मैरीज चंक आवंटित किए गए जिसकी सूची संलग्न है। (अनुलग्नक-क)

(ख) संलग्न सूची के क्रम संख्या 1,4,5,8 में पार्किंग और क्रम संख्या 12, एवं 13 में मैरीज चंक अभी चालू हालत में है और अनुबंध का समय अंकित किया हुआ है। बाकीकी पार्किंग साईट अभी खाली है।

(ग) जिनसे अनुबंध हुआ है उनका नाम संलग्न सूची में अंकित किया हुआ है।

(घ) अनुबंध पर दी गई भूमि के उपयोग की सूची संलग्न है। (अनुलग्नक-ख)

(ङ) डिविजन C-07, C-08 व C-09 के सभी शौचालयों का रखरखाव टेन्डर द्वारा मेसर्स साई नाथ सेल्स एण्ड सर्विस प्रा. लिमिटेड दिया गया है। उपरोक्त 3 विधानसभों के शौचालयों का रखरखाव भी इसी टेन्डर में सम्मिलित है। जिसका भुगतान टेन्डर के अनुसार 1990 प्रति WC के हिसाब से किया जाता है। उपरोक्त 3 विधानसभाओं में कुल 769 WC सीट है।

अनुलग्नक- 'क'

दिल्ली सरकार
दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड
विकास कुटीर, आई.पी. ईस्टेट, नई दिल्ली-110002

पत्रांक..... दिनांक.....

स.न.	पार्किंग स्थल का नाम	ठेकेदार का नाम	समय	किराया
1.	खाली स्थल ब्लॉक ई-2, नंद नगरी	सुशील कुमार सिंह	दो वर्ष, 16/12/2021 से	154135/- प्रति माह
2.	खाली स्थल ब्लॉक-ए, गोकुलपुरी, ढलाऊ के पीछे	पवन कुमार	दो वर्ष, 15/06/2020 से	69537/- प्रति माह
3.	खाली स्थल ब्लॉक-जे, सुन्दर नगरी, ढलाऊ के पीछे	सुशील कुमार सिंह	दो वर्ष, 01/02/2019 से	67789/- प्रति माह
4.	खाली स्थल ब्लॉक-डी, गोकुलपुरी	पवन कुमार	दो वर्ष, 15/02/2019 से	37000/- प्रति माह
5.	खाली स्थल बी-6/280, नंद नगरी	सुशील कुमार सिंह	दो वर्ष, 15/06/2020 से	18657/- प्रति माह

6.	खाली स्थल नन्द नगरी, नजदीक गगन सिनेमा	मोन्टी	दो वर्ष, 15/06/2020 से	346643/- प्रति माह
7.	सुन्दर नगरी, नजदीक के- ब्लॉक, स्टॉफ क्वार्टर	अजय कुमार	दो वर्ष, 15/02/2019 से	81900/- प्रति माह
8.	खाली स्थल नन्द नगरी सी-3	अनमोल एन्टरप्राइजेज	दो वर्ष, 15/06/2020 से	69723/- प्रति माह
9.	खाली स्थल नजदीक ईमाम बारा एम-ब्लॉक, सुन्दर नगरी	सुशील कुमार सिंह	दो वर्ष, 30/01/2019 से	127741/- प्रति माह
10.	खाली स्थल नन्द नगरी नजदीक, ए-3/500	पवन कुमार	दो वर्ष, 30/01/2019 से	96000/- प्रति माह
11.	खाली स्थल नन्द नगरी नजदीक, ए-2/126	पवन कुमार	दो वर्ष, 30/01/2019 से	140000/- प्रति माह
12.	चंक-ए, नजदीक गगन सिनेमा, नन्द नगरी	मैसर्स सीकेजी फूड प्राइवेट लि.	दो वर्ष, 06/10/2020 से	315566/- प्रति माह
13.	चंक-बी, नजदीक गगन सिनेमा, नन्द नगरी	मैसर्स सीकेजी फूड प्राइवेट लि.	दो वर्ष, 01/10/2020 से	311415/- प्रति माह

अनुलग्नक - 'ख'

दिल्ली सरकार
दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड
विकास कुटीर, आई.पी. ईस्टेट, नई दिल्ली-110002

पत्रांक: सं.डी-48/निदेशक (नगर नियोजक, डिग्लूस् आईबी) दिनांक: 31.12.2021

स.न.	पार्किंग स्थल का नाम	ठेकेदार का नाम	समय	किराया	भूमि का उपयोग
1	2	3	4	5	6
					L.O.P. Z.D.P.
					7
1.	खाली स्थल ब्लॉक ई-2, नंद नगरी	सुशील कुमार सिंह	दो वर्ष, 16/12/2021 से	154135/- प्रति माह	व्यवसायिक व्यवसायिक
2.	खाली स्थल ब्लॉक-ए, गोकुलपुरी, ढलाऊ के पीछे	पवन कुमार	दो वर्ष, 15/06/2020 से	69537/- प्रति माह	पार्क आवासीय
3.	खाली स्थल ब्लॉक-जे, सुन्दर नगरी, ढलाऊ के पीछे	सुशील कुमार सिंह	दो वर्ष, 01/02/2019 से	67789/- प्रति माह	पार्क आवासीय
4.	खाली स्थल ब्लॉक-डी, गोकुलपुरी	पवन कुमार	दो वर्ष, 15/02/2019 से	37000/- प्रति माह	शौचालय आवासीय
5.	खाली स्थल बी-6/280, नंद नगरी	सुशील कुमार सिंह	दो वर्ष, 15/06/2020 से	18657/- प्रति माह	विद्यालय/ पार्क आवासीय

6.	खाली स्थल नन्द नगरी, नजदीक गगन सिनेमा	मोन्टी	दो वर्ष, 15/06/2020 से	346643/- प्रति माह	व्यवसायिक	व्यवसायिक
7.	सुन्दर नगरी, नजदीक के-ब्लॉक, स्टॉफ क्वाटर	अजय कुमार	दो वर्ष, 15/02/2019 से	81900/- प्रति माह	पार्क	आवासीय
8.	खाली स्थल नन्द नगरी सी-3	अनमोल एनटरप्राइजेज	दो वर्ष, 15/06/2020 से	69723/- प्रति माह	पार्क	आवासीय
9.	खाली स्थल नजदीक ईमाम बारा एम-ब्लॉक, सुन्दर नगरी	सुशील कुमार सिंह	दो वर्ष, 30/01/2019 से	127741/- प्रति माह	पार्क	आवासीय
10.	खाली स्थल नन्द नगरी नजदीक, ए-3/500	पवन कुमार	दो वर्ष, 30/01/2019 से	96000/- प्रति माह	विद्यालय	आवासीय
11.	खाली स्थल नन्द नगरी नजदीक, ए-2/126	पवन कुमार	दो वर्ष, 30/01/2019 से	140000/- प्रति माह	पार्क	आवासीय
12.	चंक-ए, नजदीक गगन सिनेमा, नन्द नगरी	मैसर्स सीकेजी फूड प्राइवेट लि.	दो वर्ष, 01/10/2020 से	315566/- प्रति माह	व्यवसायिक	व्यवसायिक
13.	चंक-बी, नजदीक गगन सिनेमा, नन्द नगरी	मैसर्स सीकेजी फूड प्राइवेट लि.	दो वर्ष, 01/10/2020 से	311415/- प्रति माह	व्यवसायिक	व्यवसायिक

137. श्री प्रवीण कुमार: क्या माननीय शहरी विकास मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) सामुदायिक केंद्र के लिए बजट किस-किस मद से खर्च किया जा सकता है;

(ख) जंगपुरा विधानसभा क्षेत्र में विभाग के कितने शौचालय हैं;

(ग) जंगपुरा विधानसभा में विभाग के कितने शौचालय सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं;

(घ) जंगपुरा विधानसभा में शौचालयों की देखरेख पर प्रतिवर्ष कितना खर्च होता है;

(ङ) जंगपुरा विधानसभा में शौचालयों की देखरेख कौन-कौन से अधिकारी एवं कर्मचारी करते हैं, उनकी सूची सहित पूर्ण विवरण दें; और

(च) जंगपुरा विधानसभा में सुचारू रूप से कार्य न कर रहे शौचालयों के लिए जिम्मेदार कर्मचारियों के विवरण सहित उनके खिलाफ की गई कार्रवाई की पूर्ण जानकारी दें?

शहरी विकास मंत्री: (क) डीयूएसआईबी के योजना “हेड ऑफ अकाउंट” सामुदायिक हॉल/बीबीके के मद से खर्च किया जा सकता है। माननीय विधायक के अनुरोध पर विधायक फंड से भी खर्च किया जा सकता है।

(ख) जंगपुरा विधानसभा क्षेत्र में 20 शौचालय हैं।

(सूची संलग्न) अनुलग्नक (क)।

(ग) जंगपुरा विधानसभा क्षेत्र के सभी 20 शौचालय सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं।

(घ) जंगपुरा विधानसभा में शौचालयों की देखरेख पर प्रतिवर्ष Rs. 164.16 लाख खर्च होता है।

(ङ) अधिशासी अभियंता

श्री प्रदीप कुमार गर्ग

मोबाइल नं. 9717999271

सहायक अभियंता

श्री जितेंद्र कुमार

मोबाइल नं. 9717999212

सहायक अभियंता

श्री लक्ष्मीकांत

मोबाइल नं. 9717999118

एवं जूनियर इंजीनियर श्री सुमित पचौरी

मोबाइल नं. 9718196423

(च) जंगपुरा विधानसभा में सभी शौचालय सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं। समय-समय पर शौचालय के रखरखाव से संबंधित शिकायत मिलने पर अधिकारियों द्वारा मेंटेनेंस एजेंसी के द्वारा शिकायतों निपटारा किया जाता है। उपरोक्त कार्य की निगरानी श्री ए.के. गुप्ता मेम्बर (एक्सपर्ट) द्वारा की जाती है।

अनुलग्नक-‘क’

List of Jan Suvidha Complexes in AC-41 (Jungpura)

S. No.	Code of JSC	Location	No of Seats
1	2	3	4
1.	41CJ0601	Anna Nagar Vikas Kutter I.T.O, New Delhi (1)	14
2.	41CJ0602	Anna Nagar Vikas Kutter I.T.O, New Delhi (2)	53
3.	41CJ0662	Anna Nagar Sanjay Colony Vikas Kutter near Tilak Bridge I.T.O, New Delhi (Near Metro Line)	25
4.	41PJ0671	Anna Nagar Sanjay Colony Vikas Kutter near Tilak Bridge I.T.O, New Delhi (Near Rly. Godown)	10
5.	41CJ0603	Balmiki Basti Kabristan behind Express Building	48
6.	41CJ0604	Gandhi Sahitya Samiti Stadium(100 Quarter)	26
7.	41CJ0605	JJ Cluster Janta Camp Railway Nursery behind Pragati Maidan	10
8.	41CJ0663	Nagla Bharon Road Hafiz Nagar	11
9.	41CJ0607	Delhi Public School Mathura Road	20
10.	41CJ0608	Indira Gandhi Camp No. 3 near Railway Line Hari Nagar Ashram	21
11.	41CJ0609	Indira Gandhi Camp No. 2, Jeevan Nagar near Police Post, Hari Nagar	81
12.	41CJ0659	IG Camp No. 1 near Sidharth Basti near Hari Nagar Ashram	21
13.	41PJ0610	Garhi Mohalla Summon Bazar, Bhogal	20
14.	41CJ0657	JJC Adivasi Camp, behind PGDAV College, Nehru Naqar	41
15.	41CJ0611	Partap Camp Behind Gurudwara Nehru Nagar, Vimhans	21
16.	41CJ0612	Indira Camp MCD School Block 10 Nehru Nagar	19

1	2	3	4
17.	4TCJ0613	Vijay Camp Housing Factory Jal Vihar Lajpat Nagar	41
18.	41PJ0664	Madras Basti-Near Railway Line Jal Vihar	44
19.	41PJ0661	Madras Basti Near Railway Line Jal Vihar	110
20.	41CJ0614	Jal Vihar Railway Line Shiv Mandir Marg Lajpat Nagar	38
Total			674

138. श्री विशेष रवि: क्या माननीय शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मेरे द्वारा दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड में लिखे पत्रों दिनांक 24.09.2021, 13.08.2021, 23.10.2021, 17.09.2021, 18.10.2021, 18.10.2021, 18.10.2021, 18.10.2021, 24.09.2021, 02.09.2021, 12.10.2021, 12.10.2021, 10.03.2021, 03.02.2021

संदर्भ संख्या क्रमशः 120149, 11977, 120359, 120089, 120330, 120324, 120298, 120331, 120299, 120125, 119991, 120301, 1203321, 118608, 118063 पर क्या कार्रवाई की गई; और

(ख) इन पत्रों पर कार्रवाई में विलंब के क्या कारण हैं तथा इसके लिए कौन-कौन कर्मचारी उत्तरदायी हैं; पूर्ण विवरण दें?

शहरी विकास मंत्री: (क) माननीय विधायक द्वारा प्राप्त पत्रों पर की गयी कार्यवाही की स्टेटस रिपोर्ट संलग्न है।

(ख) माननीय विधायक के द्वारा सभी पत्रों पर समयानुसार कार्यवाही की गयी है।

DELHI URBAN SHELTER IMPROVEMENT BOARD
Government of NCT of Delhi
Office of Executive Engineer C-10
Inderlok, New Delhi-110035
Email: eec10.dusib35@gmail.com

Subject: Reply/Action taken of Vidhan Sabha Unstarred Question No 138 dated 04.01.2022 raised by Hon'ble MLA Sh Vishesh Ravi during Winter Session 2022

माननीय विधानसभा सदस्य श्री विशेष रवि द्वारा अतारांकित प्रश्न 138 का प्रतिउत्तर/कार्यवाही का विवरण

(क) पत्र वार अभियंत्रिक शाखा की कार्यवाही निम्नलिखित है:-

Sr. Reference No. Number	Date	Content of Letter	Reply/Action Taken	
1	2	3	4	5
1. Ref. No-120149/24/9/2021	24/09/2021	To EE DUSIB, Regarding immediate repair of flats of DUSIB Old Quarters (Amrit Kaur Puri) in AC 23 Karol Bagh.	The proposed work does not cover under any plan scheme of DUSIB. The status of already briefed personally to Hon'ble MLA to provide requisite budget from other source.	6
2. Ref.No-11977/13/8/2021 Ref.No-120359/23/10/2021	13/08/2021 23/10/2021	To CEO DUSIB, Request for consideration of the findings of the 2019 survey conducted by DUSIB in JJ cluster- Dev Nagar to ascertain the no. of legible makeshift houses (jhuggis) in this JJ cluster or conduct a new survey in this JJ	Matter pertains to rehabilitation / administration.	

प्रस्तावित कार्य विभाग के किसी मद के अन्तर्गत नहीं आता है, यह कार्य किसी अन्य मद से ही किया जा सकता है, ऐसा माननीय सदस्य को बताना दिया गया है।

यह कार्य पुनर्वास/प्रशासन विभाग से सम्बन्धित है।

cluster to ascertain the 17 legible makeshift houses (Jhuggis) To Hon'ble Minister UD-VC DUSIB, Request for immediate-strict departmental inquiry to penalize the DUSIB officers/Officials responsible for falsifying the final report of the 2017 survey (conducted by DUSIB) in JJ cluster- Dev nagar for illegal financial gains and conducting new survey in this JJ cluster to ascertain the no. of legible makeshift houses (Jhuggis).				
3. Ref.No-120089 Ref.No-120330/ 18/10/2021	17/09/2021 18/10/2021	To Chief Engineer & EE DUSIB, Request to build 1 additional floor plus toilet block on topit at General Market Community center Paharganj. Reminder 1 or the above letter	Proposal is under consideration/preparation of requisite drawing.	प्रस्ताव एवं नक्शा विचाराधीन है।
4. Ref.No-120324/18/10/2021	18/10/2021	To Hon'ble Minister UD-VC DUSIB, Request to renovate and repair the DUSIB toilets that are in dilapidated condition at 75-73 Rhegarpura and Military Road Bapa Nagar adjoining MCD Dhalav.	Tender are invited for carrying out of requisite repair and work shall be taken up after award of work.	कार्य का निविदा जारी कर दिया गया है, इसके उपरान्त कार्य किया जायेगा।
5. Ref.No-120298/18/10/2021	18/10/2021	To Chief Engineer, Request to build/ renovate the dilapidated Shishu Vatika at Dal	Installation of Open Gym is in progress in Shishu Vatika at Dal Mandi and	दाल मंडी शिशु वाटिका में खुले विम का कार्य किया जा रहा है, दरीबा पान निकट एम बी होटल

1	2	3	4	5	6
			mandi Chowk and Dariba Pan near MB Hotel in Paharganj.	estimate of work of renovation of Shishu Vatika at Dariba Pan near MB Hotel Paharganj is under preparation, likely to ready by 15.01.2022.	पहाड़ांज शिशु वाटिका का कार्य जल्द किया जायेगा।
6.	Ref.No-120331/18/10/2021	18/10/2021	To Chief Engineer, Request to prepare an estimate and expedite the basic amenities work at DB Gupta Road 350 JJ Cluster.	Aforesaid JJ Cluster is in priority list of rehabilitation, however proposal has been framed and shall be taken after approval of P&M section.	यह जे जे क्लस्टर पुनर्वास सूची में है, अतः कार्य उच्च अधिकारियों की स्तुति के बाद किया जा सकेगा।
7.	Ref.No-120299	18/10/2021	To Hon'ble Minister UD-VC DUSIB, Request to change the DUSIB EE approval and expenditure sanction power from 10 lakh to 1 crore on par with GNCT of Delhi PWD EE approval and expenditure sanction power.	Ifs policy matter.	यह कार्य नीतिगत है।
8.	Ref.No-120125	24/09/2021	To EE Civil-C10, Request to prepare an estimate and expedite the basic amenities work at DB Gupta Road 350 JJ cluster.	Aforesaid J J Cluster is in priority list of rehabilitation, however proposal has been framed and shall be taken after approval of P&M section.	यह जे जे क्लस्टर पुनर्वास सूची में है, अतः कार्य उच्च अधिकारियों की स्तुति के बाद किया जा सकेगा।
9.	Ref.No-119991/2/9/2021	2/9/2021	To Hon'ble CM, Second Reminder regarding the rehabilitation of Nari Bhatt Community in AC 23 Karol Bagh and request for issuance of directive to PWD and	Pertains to Rehabilitation Section.DUSIB	यह कार्य पुनर्वास विभाग से सम्बन्धित है।

DUSIB for conduction of a joint survey of 125 families from Nari Bhatt community to determine their eligibility or rehabilitation as per GNCT of Delhi and facilitate their rehabilitation, at the earliest.					
10	Ref No-120301/12/10/2021	12/10/2021	To EE-C10, Regarding installation of Fiber Sheet at Women's Rain Basera/ Shelter Home (Regghar Pura) in AC 23 Karol Bagh.	AA&ES accorded, under call of tender	कार्य की संतुति हो चुकी है, निविदा जारी किया जायेगा।
11	Ref No-120321/12/10/2021	12/10/2021	To EE- E4, Regarding installation of 02 Nos. of Toilet Sheets in DUSIB Toilet (Ladies) at Aram Bagh Cluster in AC 23 Karol Bagh	Pertains to EE E-4	यह कार्य बिजली विभाग, से सम्बन्धित है।
12	Ref No-118608/10/3/2021	10/03/2021	To EE-C10, Request for providing Cubical Toilets at Sarai Rohilla Cluster.	The proposal JJ cluster is not in the list of 675 JJC, however providing facilities in unlisted cluster is under consideration.	यह जे जे क्लस्टर विभाग के 675 जे जे क्लस्टर की सूची में नहीं है, बिना सूची के जे जे क्लस्टर में कार्य विचाराधीन है।
13	Ref.No-118063/3/2/2021	3/2/2021	To EE C10, Installation of new water tank and cleaning the sewer attached to the public toilet in the cluster of Aram Bagh, D.B. Gupta Road, near Rani Jhansi road in AC-23 Karol Bagh.	Recently, Work awarded.	कार्य करने का आदेश जारी कर दिया गया है।

(ख) माननीय विधायक के द्वारा सभी प्रेषित पत्रों पर समयानुसार कार्यवाही की गयी है।

संलग्न 1

(क) माननीय सदस्य की शिकायत की जांच “दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड” द्वारा की जा रही है।

(ख) दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड द्वारा माननीय सदस्य के शिकायत पत्र की जांच अभी जारी है। पत्र 02.11.2011 को शाखा में प्राप्त हुआ तत्पश्चात जांच शुरू की गई, अन्य कोर्ट से सम्बंधित सर्वे में व्यस्तता के कारण जांच में कुछ समय लग रहा है। जांच पूर्ण होते ही माननीय सदस्य को सूचित कर दिया जाएगा।

संलग्न 2

(क) इस संदर्भ में माननीय मंत्री, शहरी विकास मंत्रालय की अध्यक्षता में दिनांक 16.09.2021 को मीटिंग हुई थी, जिसका लिखित ब्यौरा दिनांक 23.09.2021 को जारी कर दिया गया था।

संबंधित पत्र का उत्तर माननीय विधानसभा सदस्य को जारी किए गए लिखित ब्यौरे के साथ दिनांक 21.12.2021 को भेज दिया गया था।

(ख) माननीय मंत्री की अध्यक्षता में जो मीटिंग दिनांक 16.09.2021 में हुई थी, उसमें निर्णय लिया गया था कि झुग्गीवासियों का पुनर्वास ए.एच.आर.सी. (एफोरडेबल रेंटल हाउसींग कॉम्प्लेक्स) के कारण संभव नहीं है इसीलिए दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड द्वारा कोई भी कार्यवाही अभी अपेक्षित नहीं है।

Vishesh Ravi

Chairman
Committee on Salary and Other Allowances
of Members of Delhi Legislative Assembly
Chairman
N. C. Joshi Hospital
Member
A & U Tibbia College and Hospital
Member
Committee on Welfare of Scheduled
Caste and Scheduled Tribes
Member
Committee on Public Accounts
Delhi Legislative Assembly



6-2882
21/11/2021



Hon'ble Minister
DUSIB, GNCT of Delhi
Delhi Secretariat, JP Estate,
Delhi 110002.

CEO
M.A. 18/11/21

Respected Sir,

I am writing this letter to bring your long due attention to the cause of inhabitants of JJ Cluster - Dev Nagar in AC 23 Karol Bagh.

The JJ Cluster of Dev Nagar in AC 23 Karol Bagh has been inhabited by people since the 1990s.

The inhabitants had been living there since long, braving their way through the tough conditions of life and lack of proper living facilities.

In the year 2017, a team of officials from DUSIB (Rehabilitation Department) visited the JJ Cluster - Dev Nagar to carry out a survey in which 119 legible JJ makeshift houses (Jhuggis) were passed in this JJ Cluster by the team conducting the survey. Majority of the Jhuggi inhabitants have complained that the DUSIB Officials/Officers (Rehabilitation Department) (part of the 2017 survey team) included local the names of Local Jhuggis Mafia and non-eligible people for personal-petty financial gains.

Upon seeing the 2017 survey list (Attached with this letter), I have personally identified few cases (06 cases) in the list in which irregularities can be clearly seen.
The cases identified by me (in the 2017 survey list-attached), are:

- Serial No. 1 - Name : Bablu s/o Sher Singh - Sher Singh is a MCD employee.
- Serial No. 18 - Name : Joginder s/o Balraj Singh - Balraj Singh has an entry in the list at Serial No. 14. (Father-Son duo have 02 entries (Serial No. 14 and 18) in the survey list)
- Serial No. 22 and Serial No. 23 - Name : Shakuntla - Repetition of entry, totaling to 02 entries in the list.

D.T.O

18/11/21

MINO
16/11/21
Apt 2

M.L.A.

Karol Bagh, AC-23
i-16/542, Military Road, Bapa :
Karol Bagh, New Delhi-05
Mobile : +91 9953758914
Mobile : +91 8588833423
Help Line No. : 011-25756864
E-mail: delhidvs@gmail.com

Ref. No. 120359/23/10/2021

Dated 23/10/2021

P-48076/4
23/10/21

By Director (REHAB)
DUSIB, Raj Ghat, N.D.
Recd. No. 383
Dated 29-11-21

SR/189/51/DUSIB/21
30-11-21

formis
Committee

PE examine & put up
for kind perusal of Hon'ble
28/10
2006

No. OSD (UD)/Min Health/2021/ 176 3000

Dated: 23.09.2021

MINUTES OF MEETING

A was held on 16.09.2021 at 03.00 PM under the Chairmanship of Hon'ble Minister (UD) Sh. Vishesh Ravi, Hon'ble MLA AC-23 along with the officers as per Annexure 'A' attended the meeting. The following issues were discussed:

1. Consideration of 2019 Survey by DUSIB to ascertain the number of eligible jhuggies in Dev Nagar JJ Cluster and inclusion of 17 Eligible Dwellers left out in the Survey in the final list

Sh. Vishesh Ravi, Hon'ble MLA Karol Bagh raised the issue for conducting survey in respect of Remaining 17 JJ dwellers left out in the final survey. The officers of DUSIB brought out that the joint survey of JJ Basti situated on DUSIB land at Dev Nagar was conducted in the year 2017 wherein 119 units were found. After joint survey, the list of these JJ dwellers was pasted at site and objections, if any were invited thereupon. No objection was received and thus the survey became final. It seems that the JJ Dwellers have come up after 2017. It was informed that DUSIB in its 29th Board meeting held on 25.09.2020 has decided that eligible JJ dwellers of Dev Nagar may be temporarily shifted in the flats constructed under JNNURM scheme at Sector 16B Dwarka.

Hon'ble Minister indicated that the process for rehabilitation of eligible dwellers may not be feasible in view of the decisions of Government of India to utilize all the flats constructed under JNNURM Scheme for the purpose of Affordable Rental Housing Complex Scheme.

2. Rehabilitation of Jhuggies of 350 Terminal Cluster Desh Bandhu Gupta Road AC 23, Karol Bagh and Interim permission to them for conduction of normal/ daily activities until rehabilitation

It has been informed by the officers of H&FW Department, GNCTD that the possession of land has never been handed over by DDA to them. It was decided by Secretary, H&FW Department, GNCTD in the meeting held on 31.01.2019 to refund the amount of Rs. 1,90,43,430/- deposited by N.C. Joshi Hospital towards relocation charges. Accordingly, DUSIB has already refunded the said amount on 03.10.2019 to N.C. Joshi Memorial Hospital. DUSIB rehabilitates JJ Bastis on the request of concerned Land Owning Agencies after receipt of relocation charges. At present there is no request for rehabilitation of this JJ basti. As such no action is pending on the part of DUSIB.

Contd...Page-2/

(3P)
G-1737
29/9/2021

CCO
MLA
30/9
Dir (Rehab)
DD-1
20/9/2021
20/9/2021

(3P)
O/o Member (Administration)
Duty/Receipt No. 4418
Date: 20/9/2021

DN: 27/9/21
DATE: 27/9/21
C/O The Director (Rehab)
DUSIB, Govt. of NCT of Delhi
Kirti Co-Op. Soc. New Qutub-110027

Art. Ravi
27/9/21

21/9

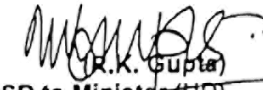
-2-

24/1/43

3. Streamlining the process of treatment of EWS Category Patients at Sir Ganga Ram Hospital

It was informed by Dr. RN Das, In-Charge EWS, DGHS that show cause notice has been served upon Sir Ganga Ram Hospital for not following proper procedure in case of treatment of EWS category patients. Necessary actions will be taken on receipt of reply to the show cause notice. The Hon'ble MLA suggested that

1. A Liaison Officer needs to be posted to overview the arrangements for EWS patients.
2. A committee may also visit Sir Ganga Ram Hospital to have a firsthand information about the procedure being followed for EWS patients.


(R.K. Gupta)
OSD to Minister (UD)
24/1

Copy to:

1. Sh. Vishesh Ravi, Hon'ble MLA AC-23
2. Addl. Chief Secretary, UD, GNCTD
3. Pr. Secretary (Health), GNCTD
4. Medical Superintendent, NC Joshi Hospital
5. DGHS
- ✓ 6. CEO, DUSIB
7. OSD (Health) to Hon'ble Minister

Copy for information to:

1. The Secretary to Hon'ble Minister (UD)
2. The Sr. PA to Hon'ble Minister (UD)

Shresh Ravi

Chairman
Committee on Salary and Other Allowances
of Delhi Legislative Assembly
Chairman
V. C. Joshi Hospital
Member
A & U Tibbia College and Hospital
Member
Committee on Welfare of Scheduled
Caste and Scheduled Tribes
Member
Committee on Public Accounts
Delhi Legislative Assembly

D. No. 588/2021
Date: 16/8/2021
O/o the Director (Rehab.)
D.U.S.I.B., Govt. of NCT of Delhi
Raja Garden, New Delhi-110027

Sh. Satyendar Jain
Hon'ble Minister
Delhi Urban Shelter Improvement Board
GNCT of Delhi
a - wing, 7th Level,
Delhi Secretariat, New Delhi 110002

M.L.A.

Karol Bagh, AC-23
1-16/542, Military Road, Bapa Nagar
Karol Bagh, New Delhi-05
Mobile : +91 9953758914
Mobile : +91 8588833423
Help Line No. : 011-25756864
E-mail: delhidvs@gmail.com

Ref. No. 11977/17/8/2021

Dated 13/8/2021



P-28027/SC/REHAB

PS
By Director (REHAB)
DUSIB, Raja Garden, N.D.
Receipt No. 285
Dated 19-8-21

Subject : Request for consideration of the findings of the 2019 survey conducted by DUSIB in JJ Cluster – Dev Nagar to ascertain the no. of legible makeshift houses (Jhuggis) in this JJ Cluster or conduct a new survey in this JJ Cluster to ascertain the no. of legible makeshift houses (Jhuggis).

Respected Sir,

I am writing this letter to bring your long due attention to the cause of inhabitants of JJ Cluster – Dev Nagar in AC 23 Karol Bagh.

The JJ Cluster of Dev Nagar in AC 23 Karol Bagh has been inhabited by people since the 1990s. Earlier the inhabitants had constructed their makeshift settlements (Jhuggis) on a piece of land which belonged to Central Public Works Department (CPWD), Govt.

In the year 2006, the CPWD carried out a demolition drive in this JJ Cluster which resulted in eviction of the inhabitants from the piece of land belonging to CPWD. Following this, the occupants / inhabitants shifted to a piece of land belonging to DUSIB, GNCT of Delhi which adjacent to the piece of land owned by CPWD and made their makeshift settlements on the DUSIB's land.

In the year 2010, DUSIB constructed a wall on its land which bifurcated the land piece into two pieces, Part A : Piece of land with 110 Jhuggis, Part B : Garage Area

get Raj, udx.
19/8/21

CED DUSIB 13.8.21
SATYENDAR JAIN
Minister of Home, Health,
PWD Power & Industries,
Govt. of NCT of Delhi

38	SARLA DEVI	Voter Card Not	Voter Card Not

(inclusive of 20 Jhuggis which are adjacent to the wall on the side of the Jhuggi area.)

The inhabitants have been living there ever since, having their way through the tough conditions of life and lack of proper living facilities.

In the year 2017, a team of officials from DUSIB visited the JJ Cluster - Dev Nagar to carry out a survey in which 119 legible JJ makeshift houses (Jhuggis) were passed in this JJ Cluster by the team conducting the survey. (Due to these 20 Jhuggis being on the other side of the wall they were left out of the count in the 2017 survey but were considered on the basis of merit in the 2019 survey as they had complete documents to support their case.)

However, in the year 2019, a team of officials from DUSIB visited the JJ Cluster - Dev Nagar to carry out a survey again. Upon conducting a survey, 175 legible makeshift houses (Jhuggis) were passed in the JJ cluster this time by the team conducting the survey. The break-up of this survey is $175 = 119 + 20 + 36$ in which

175 : Total no. of Jhuggis

119 : Jhuggis which were counted in 2017 and 2019 survey by DUSIB

20 : Jhuggis beyond the wall on the DUSIB land which were counted in the 2019 survey but were left out in the 2017 survey

36 : Jhuggis in the adjacent lane of North Delhi Municipal Corporation

Now, numerous people live in the fear that they will have no place to live as on 30.07.2021, a team from the Contractor / Agency (to whom DUSIB awarded the tender for rehabilitation) visited the JJ Cluster - Dev Nagar for eviction of the 20 Jhuggis.

In this connection, I request you the following :

1. Accepting the findings of 2019 survey conducted by DUSIB in JJ Cluster - Dev Nagar in which 175 makeshift houses (Jhuggis) were ascertained & passed as legible. (With special focus on rehabilitation of the $119 + 20$ arithmetic) Inclusion of the 20 Jhuggis should be done in the rehabilitation program designed for the JJ Cluster - Dev Nagar.
2. Conduct a new survey in the JJ Cluster - Dev Nagar to ascertain the no. of makeshift houses (Jhuggis) legible to be allowed in this DUSIB land & intimate (If Point 1 cannot be taken into consideration)

ndly ensure that no legible makeshift house (Jhuggi) is left out in & the inhabitants of the JJ Cluster get justice as guaranteed to every citizen of this country by the constitution of India.

Thanking you.



Vishesh Ravi

DELHI URBAN SHELTER IMPROVEMENT BOARD
GOVT. OF NCT OF DELHI
(REHABILITATION BRANCH)
RAJA GARDEN, OPPOSITE SHIVAJI COLLEGE, NEW DELHI-110027

No. D.D./Rehab./I/2021/D-308

Dated: - 21-12-2021

To,

Sh. Vishesh Ravi Ji, Hon'ble MLA,
Karol Bagh, AC-23
I-16/542, Military Road,
Bapa Nagar, Karol Bagh,
New Delhi- 110005

Sub:- Request for consideration of the findings of the 2019 survey conducted by DUSIB in JJ Cluster-Dev Nagar Karol Bagh to ascertain the no. of legible makeshift houses (jhuggies) in this JJ Cluster or conduct a new survey in this JJ Cluster to ascertain the 17 no. of legible makeshift houses (jhuggies).

Respected Sir,

This has reference to your letter No. 119771/7/8/2021 dated 13.08.2021, regarding conducting survey in respect of remaining 17 JJ dwellers left out in the final survey conducted by DUSIB in JJ Cluster Dev Nagar Karol Bagh.

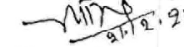
In this regard, it is informed that the issue for conducting survey in respect of remaining 17 JJ dwellers left out in the final survey was raised in the meeting held on 16.09.2021 at 3.00 PM under the chairmanship of Sh. Satyender Jain, Hon'ble Minister (UD)/Vice Chairman, DUSIB which was attended by your good self alongwith the other officers of DUSIB. The officers of the DUSIB brought out that the joint survey of JJ Basti situated on DUSIB land at Dev Nagar was conducted in the year 2017 wherein 119 units were found. After joint survey, the list of these JJ dwellers was pasted at site and objections, if any were invited thereupon. No objection was received and thus the survey became final. It seems that the JJ Dwellers have come up after 2017. DUSIB in its 29th Board meeting held on 25.09.2020 had decided that eligible JJ dwellers of Dev Nagar may be temporarily shifted in the flats constructed under JNNURM scheme at Sector 16B Dwarka.

Further, Hon'ble Minister indicated that the process for rehabilitation of eligible dwellers may not be feasible in view of the decisions of Government of India to utilize all the flats constructed under JNNURM Scheme for the purpose of Affordable Rental Housing Complex Scheme.

In view of above, at this stage no action may be taken by DUSIB. Copy of Minutes of the meeting held on 16.09.2021 is enclosed for ready reference.

Encl:- As above

Yours faithfully,


21/12/21
Director (Rehab)-I

139. श्री अजय दत्त: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अम्बेडकर नगर में डूसिब की कितनी प्रापटी (सम्पत्ति) है;

(ख) अप्रयुक्त और अनधिकृत रूप से अतिक्रमण की गई सम्पत्ति का ब्यौरा दें;

(ग) डूसिब की कितनी प्रापटी किसी संस्थान को दी गई है, पूर्ण ब्यौरा दें;

(घ) अम्बेडकर नगर विधान सभा में डूसिब इलैक्ट्रिकल विभाग द्वारा तीन साल पहले लगा दी जाने वाली हाई मास्ट लाइट जोकि अभी तक नहीं लगाई गई है, वह कब तक लगा दी जाएगी; और

(ङ) अम्बेडकर नगर खानपुर जेजे कालोनी में आम आदमी पार्क डूसिब द्वारा बनाया गया था, इस पार्क का रखरखाव कब तक शुरू किया जाएगा?

शहरी विकास मंत्री: (क) दक्षिणी जोन, जे.जे.आर. शाखा, में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार अम्बेडकर नगर (विधान सभा) क्षेत्र अंतर्गत आने वाली खानपुर, मदनगीर तथा दक्षिणपुरी जे.जे.आर. कॉलोनियों में डूसिब की आवंटित सम्पत्तियों की कुल संख्या निम्नलिखित है:-

दक्षिणपुरी - 6091

मदनगीर - 7932

खानुपर - 1274

अम्बेडकर नगर विधान सभा में सिविल खंड-06 के अंतर्गत 03 जन सुविधा परिसर, दो बस्ती विकास केन्द्र, 4 सामुदायिक भवन और एक पार्क है।

डूसिब (एस.सी.पी.) के अम्बेडकर नगर में 739 थड़े/स्टाल है।

(ख) अम्बेडकर नगर विधान सभा में सिविल खंड-06 के अंतर्गत एक खाली प्लॉट (800 वर्ग मीटर) जे.जे. कालोनी खानपुर में और 122 खाली चबूतरे मदनगीर अम्बेडकर नगर में हैं जिन में से 12 चबूतरे पर पुराने अनाधिकृत कबजे (धार्मिक स्थल आदि) हैं। एक बस्ती विकास केन्द्र खाली है।

(ग) अम्बेडकर नगर में डूसिब का एक बस्ती विकास केन्द्र निम्नलिखित है:-

क्र. सं.	स्थान	आवंटित संस्था	कार्य
1	नार्थन झुग्गी, एस.पी. कैशर, एम.बी. रोड़	मैत्री सुधा, चैरिटेबल ट्रस्ट	महिला शिक्षा, वोकेशनल एवं कम्प्यूटर ट्रेनिंग डिस्पेंसरी

अम्बेडकर नगर में डूसिब के चार सामुदायिक भवन निम्नलिखित हैं:-

क्र. सं.	स्थान	आवंटित संस्था	कार्य
1	एच-ब्लॉक नियर जोनल कार्यालय, कार्यालय, दक्षिणपुरी (सिंगल स्टोरी)		बारातघर

क्र. सं.	स्थान	आवंटित संस्था	कार्य
2	एफ-ब्लॉक, दक्षिणपुरी (डबल स्टोरी)		बारातघर
3.	एच-ब्लॉक जोनल कार्यालय, दक्षिणपुरी (डबल स्टोरी)	भूतल पर, दिल्ली विधानसभा एवमं पंजाबी एकेडमी दिल्ली सरकार प्रथम तल पर जेनल कार्यालय (डूसिब)	विधायक कार्यालय व लाईब्रेरी प्रथम तल पर जोनल कार्यालय (डूसिब)
4	नियर डी.टी.सी. डिपो, खानपुरा (सिंगल स्टोरी)	समाज कल्याण विभाग	आंगनवाड़ी

1. 0.62 एकड़ सन 1927 व 437 वर्ग मीटर दिनांक 13/10/1982 शिवानन्दा विद्या भवन दक्षिणपुरी को आवंटन की गयी थी।
2. 2800 वर्ग मीटर सिनेमा के लिए लक्की स्टार प्राईवेट लिमिटेड को निलामी द्वारा आवंटन की गयी थी तथा दिनांक 23.08.1978 को कब्जा दिया गया।
3. 312 वर्ग मीटर स्टेट बैंक आफ इण्डिया को अम्बेडकर नगर में सन 1979 आवंटन की गयी थी जो आज के समय में अतिक्रमण कर ली गयी है।

4. मौहल्ला क्लिनिक:-

- (i) ब्लॉक न. 5 दक्षिणपुरी एक्स.
- (ii) ब्लॉक न. 7 दक्षिणपुरी एक्स.
- (iii) संजय कैम्प दक्षिणपुरी
- (iv) वी.पी. सिंह कैम्प रेलवे कॉलोनी तुगलकाबाद
- (v) बस्ती इंदिरा कैम्प, सी-ब्लॉक, नियर विराट सिनेमा

डूसिव (एस.सी.पी.) के 37 थड़े/स्टाल समाज कल्याण विभाग दिल्ली सरकार को हस्तांतरित किये जा चुके हैं।

(घ) अम्बेडकर नगर विधानसभा में दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड विधुत खंड-2 द्वारा तकनीकी साध्यता अनुसार दो स्थानों पर हाई मास्ट लाइट लगाई गई है जो कि इस प्रकार है:-

1. जेएससी कोड संख्या 48CJ0821, विराट सिनेमा दक्षिणी पूरी जेजे बस्ती जो कि विधुत कनेक्शन सी ऐ संख्या 153075988 के माध्यम से दिनांक 22/05/2020 से सुचारु रूप से चालू है।
2. जेएससी कोड संख्या 48CJ0819, दलित एकता कैंप, दक्षिण पूरी जेजे बस्ती जो विधुत कनेक्शन सी ऐ संख्या 53075985 के माध्यम से दिनांक 22/05/2020 से सुचारु रूप से चालू है।

(ङ) अम्बेडकर नगर खानपुर जेजे कॉलोनी में जो पार्क है उसके रख-रखाव के कार्य शुरू कर दिया है।

140. श्री महेन्द्र यादव: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विकासपुरी विधानसभा में राजीव गांधी आवास योजना बापरोला के तहत तैयार तथा जर्जर व खाली पड़े हजारों फ्लैट्स को लेकर सरकार की क्या योजना है;

(ख) क्या सरकार की इन्हें किराये पर देने की कोई योजना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इन फ्लैट्स को कब और किसे आवंटित किया जाएगा?

शहरी विकास मंत्री: (क) विकासपुरी विधानसभा में राजीव गांधी आवास योजना बापरोला के तहत तैयार व खाली पड़े फ्लैट्स को दिल्ली झुग्गी झोपड़ी पुनर्वास और स्थानांतरण नीति 2015, जिसका नाम बदलकर अब 'मुख्यमंत्री आवास योजना' कर दिया गया है के अंतर्गत in-situ up gradation के तहत विकासपुरी विधानसभा तथा आसपास स्थित झुग्गीवासियों को आवंटित करने की योजना है। परन्तु भारत सरकार के अश्वासन और शहरी कार्य मंत्रालय के परिपत्र दिनांक 31.12.2020 के द्वारा यह सूचित किया गया था कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार, जे.एन.एन.यू.आर.एम./राजीव आवास योजना (आर.ए.वाई.) के तहत निर्मित सभी मौजूदा सरकारी वित्त पोषित खाली/अधूरे घरों को शहरी प्रवासियों/गरीबों के लिए किराये के आवास के रूप में उपयोग करने के लिए अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स (ए.आर.एच.सी.) योजना में परिचलित प्रवासियों/गरीबों के लिए किराये के आवास के रूप में किया जाता है, न कि किसी अन्य उद्देश्य के लिए।

अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स योजना (ARHCs) की भारत सरकार की नीति के संबंध में इस कार्यालय ने पत्र दिनांक 22.03.2021 के तहत ए.आर.एच.सी. योजना के प्रावधान से कुछ जेजे बस्ती, जिनसे पूर्ण या आंशिक

रूप से स्थानांतरण शुल्क पहले ही प्राप्त हो चुके हैं, या कुछ अदालती निर्देश जारी किए गए हैं, के प्रस्तावित पुनर्वास स्थलों को बाहर रखने के लिए अवर सचिव, भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से अनुरोध किया।

तदुपरांत, भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के दिनांक 09.09.2021 के पत्र द्वारा यह सूचित किया गया है कि दिल्ली सरकार के दिनांक 22.03.2021 के अनुरोध को मंत्रालय द्वारा स्वीकार नहीं किया गया और यह दोहराया गया है कि दिल्ली में जे.एन.एन.यू.आर.एम./आर.ए.वाई. के तहत निर्मित/निर्माणाधीन 48,754 घर शहरी प्रवासियों/ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. श्रेणी के गरीबों के लिए ए.आर.एच.सी. योजना के परिचालित दिशानिर्देशों के अनुसार किराये के आवास के रूप में उपयोग किया जाएगा। दो अनुस्मारक पत्र माननीय मंत्री (शहरी विकास) की अनुमति के दिनांक 25.10.2021 तथा 07.12.2021 को भारत सरकार को प्रेषित किये गये हैं। उन पत्रों का उत्तर अपेक्षित है।

अतः भविष्य में किये जाने वाले किसी भी पुनर्वास/आवंटन योजना को भारत सरकार के परिपत्र दिनांक 31.12.2020 एवं पत्र दिनांक 09.09.2021 के अनुसार ए.आर.एच.सी. योजना के सम्बन्ध में सरकार द्वारा अंतिम निर्णय लिये जाने के उपरांत ही मूर्त रूप दी जा सकेगी।

(ख) उपरोक्त (क) के अनुसार।

(ग) उपरोक्त (क) के अनुसार।

141. श्री शिव चरण गोयल: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मोती नगर विधानसभा क्षेत्र में कुल कितने शौचालय एवं बस्ती विकास केन्द्र हैं, पूर्ण विवरण दें;

(ख) क्या दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड की मोती नगर विधानसभा में जनहित कार्य के लिए कोई जगह उपलब्ध है;

(ग) यदि हाँ, तो पूर्ण विवरण दें; और

(घ) क्या नजफगढ़ रोड़ पर मोती नगर लाल बत्ती से मिलन सिनेमा के लिए जहां मोड़ मुड़ता है उस कार्नर पर DUSIB का जो खाली पड़ा प्लॉट है उस पर विभाग द्वारा जनहित का कार्य करने की या अन्य कोई योजना है?

शहरी विकास मंत्री: (क) मोती नगर विधानसभा क्षेत्र में शौचालय और बस्ती विकास केंद्र हैं। (सूची सलग्न है) अनुलग्नक-क

मोती नगर विधानसभा क्षेत्र में बस्ती विकास केन्द्रों की कुल संख्या निम्नलिखित आठ है:-

क्र.सं.	स्थान	आवंटित संख्या	कार्य
1	चूना भट्टी, लक्कड़ मंडी, कीर्ति नगर	संत निरंकारी मंडल	डिस्पेंसरी
2	5/35, कीर्ति नगर, इंडस्ट्रीयल एरिया	सेवा भारती प्रयास जूवेनाइल ऐड सेन्टर सोसाइटी	बालवाडी, बाल संस्कार, टेलरिंग एवं अन्य सामाजिक कार्यक्रम वोकेशनल ट्रेनिंग
3	8/35, कीर्ति नगर, इंडस्ट्रीयल एरिया	प्रयास जूवेनाइल ऐड सेन्टर सोसाइटी	हेल्थ, न्यूट्रीशन, नॉन फारमल एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग, रिक्रिएशन सेंटर

क्र.सं.	स्थान	आवंटित संख्या	कार्य
4	हरीजन बस्ती, चूना भट्टी, लक्कड़ मंडी, कीर्ति नगर	केयर इंडिया वैल्फेयर ट्रस्ट	हेल्थ केयर वोकेशनल प्रोग्रामस, स्किल अपग्रेडेशन एण्ड एजुकेशन
5	अमर पार्क, जखीरा	आशा कॉम्यूनिटी हेल्थ एण्ड डवलपमेंट सोसायटी	हेल्थ, कॉम्यूनिटी डवलपमेंट, सोशल वैलफेयर एक्टीविटीस
6	राखी मार्केट, जखीरा	प्रयास जूवेनाइल ऐड सेन्टर सोसाइटी सेवा भारती	वोकेशनल ट्रेनिंग, आलटरनेटिक्स एजुकेशन फार स्लम डवैलर्स बाल संस्कार, टेलरिंग एवं अन्य कार्यक्रम
7	जवाहर कैंप, ए-2, WHS कीर्ति नगर	रोटरी क्लब आफ दिल्ली सिटी	वोकेशनल एण्ड वैलफेयर प्रोग्रामस, हेल्थ केयर प्रोजेक्ट, अन्य सामाजिक भलाई के लिए कार्यक्रम
8	रोड़ नं. 7, नियर शिवानंद स्कूल, ईस्ट पंजाबी बाग	सेवा भारती	बालवाडी, बाल संस्कार, टेलरिंग एवं अन्य सामाजिक कार्यक्रम

(ख) दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड की मोती नगर विधानसभा में जनहित कार्य के लिए कोई जगह वर्तमान में उपलब्ध नहीं है।

(ग) उपरोक्त (ख) के अनुसार।

(घ) इस जगह पर वर्तमान में कोई योजना प्रस्तावित नहीं है।

अनुलग्नक-‘क’

List of JSC in AC-25 (Moti Nagar)

S. No.	Code of JSC	Location	No of Seats
1	2	3	4
1	25CJ0432	5/35 Industrial Area Kirti Nagar	24
2	25CJ0436	Chuna Bhatti (Harijan Basti) Lakkar Mandi Kirti Nagar	40
3	25CJ0476	B-58 Rama Road(Double Storey)	47
4	25CJ0477	B-58 Rama Road	13
5	25CJ0478	5/35 Industrial Area Kirti Nagar	21
6	25CJ0479	Natraj Ginema Back of Nalla Sudama Puri Moti Nagar.(YAP)	20
7	25CJ0480	Natraj Cinema Back of Nalla Sudama Puri Moti Nagar.(Old)	20
8	25G0481	Chuna Bhatti Lakkar Mandi Kirti Nagar	60
9	25CJ0482	JJ Jawahar Camp A-2-Block W.H.S. Kirti Nagar	32
10	25CJ0484	Road No.-7 Leather Factory East Punjabi Bagh NG Drain	23
11	25CJ0488	Chara Mandi Jhakira Flyover	421
12	25CJ0489	Near Haryana Dharamshala on Najafgarh Drain G Block, Karam Pura	19
13	25CJ0490	JJC Garib Basti D/S	33
14	25CJ0491	8/35 Industrial Area Kirti Nagar	39
15	25CJ0523	Chuna Bhatti (Harijan Basti) Lakkar Mandi Kirti Nagar	20

1	2	3	4
16	25CJ0525	Reshma Camp, Ex-Nehru Camp near WHS-2 Kirti Nagar	22
17	25CJ0528	Dr. Ambedkar Camp Plot No.39. Kirti Nagar Furniture Block	19
18	25CJ0529	Kamla Nehru Camp Lakkar Mandi Kirti Nagar, Site-1	62
19	25CJ0531	Behind Fire Station, Kirti Nagar	13
20	25CJ0535	Kamla Nehru Camp Lakkar Mandi Kirti Nagar	24
21	25CJ0536	Kamla Nehru Camp Lakkar Mandi Kirti Nagar, Site-2	62
22	25CJ0555	Amar Park Zhakira Site 2 (Near Zhakira Chowck)	22
23	25CJ0559	JJ Jawahar Camp A-2-Block W.H.S. Kirti Nagar Site 1	100
24	25MJ0439	Indira Gandhi Camp Maya Puri Chowck Block-C Mansorver Garden	10
25	25MJ0440	Indira Gandhi Camp Maya Puri Chowck Block-C Mansorver Garden	10
26	25PJ0433	Kamla Nehru Camp, Kirti Nagar	40
27	25PJ0483	Block A & B Sudershan Park Nalla Moti Nagar	18
28	25PJ0486	Amar Park Zhakira Site 1 (near Zhakira Chowck)	28
29	25PJ0508	Amar Park Infront of HIL Factory Gate, Petrol Pump, Zhakira	30
30	25PJ0516	Dr.Ambedkar Camp 52,53 Furniture Block, Kirti Nagar.	10
31	25PJ0565	Chara Mandi Jhakira Flyover	80
32	25PJ0564	In front of Kirti Nagar opp 52,53 Furniture Market	10
33	25CJ0441	JJC Rakhi Market, Under Zakhira Flyover	43
			1056

अनुलग्नक - 'ख'

Details of BVK in AC-25 (Moti Nagar)

S. No.	Location of BVK	No of Storeys	Plot area in sqm	Covered Area in sqm	Status	Remarks
1	B.V.K. at 5/35 Industrial area Kirti Nagar.	1	175	111.14	Fully allotted	
2	B.V.K. at 8/35 Industrial area, Kirti Nagar	2	400	182.28	Fully allotted	
3	B.V.K. at Harijan Basti Chunna Bhatti Lakkar Mandi, Kirti Nagar.	1	300	182.28	Fully allotted	
4	B.V.K. at Chunna Bhatti, Lakkar Mandi, Kirti Nagar Site 1	1	250	112.48	Fully allotted	
5	B.V.K at Amar Park, Zakhira, near Zakhira Chowk.	1	75	75	Fully allotted	
6	B.V.K at Jawahar Camp, A-2 WHS Kirti Nagar.	2	400	182.28 _#	Partially allotted	2 Rooms vacant
7	BVK at road no.7 near Shivanand School, Leather factory. East Punjabi Bagh.	1	75	75	Partially allotted	3 Rooms vacant
8	BVK at JJC Rakhi Market Under Zakhira Flyover	1	360	179	Fully allotted	

142. श्री राजेश गुप्ता: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि वजीरपुर विधानसभा क्षेत्र में डूसिब द्वारा संचालित शौचालयों में सम्बन्धित स्टॉफ द्वारा समय पर कार्य नहीं किये जाने के कारण वहाँ बिजली की आपूर्ति एवं साफ-सफाई सुचारू रूप से नहीं हो पा रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस समस्या के समाधान हेतु विभाग द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

शहरी विकास मंत्री: (क) जी नहीं। वजीरपुर विधानसभा क्षेत्र में स्थित शौचालयों का रखरखाव मेंटेनेंस एजेंसी मैसर्स आकांक्षा एंटरप्राइजेज के द्वारा किया जा रहा है। डूसिब के अधिकारियों द्वारा समय-समय पर सफाई से संबंधित एवं बिजली की आपूर्ति से संबंधित शिकायत मिलने पर मेंटेनेंस एजेंसी के द्वारा लगाए गए स्टाफ द्वारा शिकायतों का निपटारा किया जा रहा है। उपरोक्त कार्य मानिट्रिंग श्री ए.के. गुप्ता मेम्बर (एक्सपर्ट) की जाती है।

(ख) उपरोक्त के अनुसार।

143. श्री अभय वर्मा: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लक्ष्मी नगर विधानसभा के अंतर्गत एसडीएम झुग्गी बस्ती किशनकुंज, पीर मस्जिद झुग्गी अंसार नगर किशनकुंज, सब्जी मंडी झुग्गी मंडावली में विकास कार्य के लिए क्या-क्या योजनाएं सरकार के पास लंबित है;

(ख) इसके लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ग) दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड को वर्ष 2021 में कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(घ) आबंटित बजट को किसी कार्य के लिए एलोकेट करने की क्या प्रक्रिया तथा प्रावधान है; और

(ङ) दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड को 1 अप्रैल 2020 से 21 दिसम्बर 2021 तक किस-किस कार्य के लिए कितना-कितना बजट दिया गया है, विवरण दें?

शहरी विकास मंत्री: (क) डूसिब के डिविजन C-09 द्वारा निम्नलिखित एस्टीमेट लक्ष्मी नगर विधानसभा के अंतर्गत बनाये हैं।

1. काम का नाम: बस्ती विकास केन्द्र/सामुदायिक भवन का निर्माण (राजस्व)
उप शीर्ष: पीर बाबा की मजार, रमेश पार्क में स्थित “बस्ती विकास केंद्र” में वार्षिक मरम्मत और रखरखाव और कुछ सम्बंधित कार्य।
2. काम का नाम: ई-आई.यू.एस.
उप शीर्ष: किशन कुंज में एसडीएम कार्यालय के पास स्थित झुग्गी-झोपड़ी क्लस्टर में सीवर ड्रेन का निर्माण कार्य।
3. काम का नाम: बस्ती विकास केन्द्र/सामुदायिक भवन का निर्माण (राजस्व)
उप शीर्ष: पीर बाबा की मजार, रमेश पार्क स्थित झुग्गी-झोपड़ी क्लस्टर के पास “बस्ती विकास केंद्र” में वार्षिक मरम्मत और रखरखाव और कुछ सम्बंधित कार्य।
4. काम का नाम: ई.आई.यू.एस.
उप शीर्ष: हरिजन समिति डिस्पेंसरी के पास, मंगल बाजार, मंडावली में झुग्गी-झोपड़ी क्लस्टर के पास ओपन सरफेस ड्रेन का निर्माण कार्य।
5. काम का नाम: ई.आई.यू.एस.

उप शीर्ष: किशन कुंज, झुग्गी-झोपड़ी क्लस्टर में सभी खराब हुई गलियों का सीमेंट कंक्रीट फुटपाथ और सीवर ड्रेन द्वारा निर्माण एवं सुधार कार्य।

6. काम का नाम: जन सुविधा परिसर

उप शीर्ष: मंडावली, फजलपुर, डिस्पेंसरी, के पास स्थित प्रीफैब शौचालय (कोड-58PJ1215) में ए/आर एंड एम/ओ और मरम्मत कार्य।

(ख) उपरोक्त एस्टीमेटो के लिए निम्नलिखित धनराशि खर्च की जायेगी।

1. पी.ई. राशि : 2,92,200/-
2. पी.ई. राशि : 99,450/-
3. पी.ई. राशि : 3,17,700/-
4. पी.ई. राशि : 34,98,700/-
5. पी.ई. राशि : 49,88,400/-
6. पी.ई. राशि : 2,70,650/-

निविदा की प्रक्रिया चल रही है।

(ग) वर्ष 2020-2021 में कुल 14577.00 लाख दिल्ली आश्रय सुधार बोर्ड को आवंटित किया गया है। योजनावार बजट संलग्न है। वर्ष 2021-2002 में 68702.00 लाख आवंटित हुआ। (अनुलग्नक-क)

(घ) बजट आवंटन दिल्ली सरकार द्वारा किया जाता है, बजट मिलने पश्चात डूसिब संबंधित अभियान्त्रिक शाखा को बजट आवंटित कर देता है और अभियान्त्रिक शाखा आवंटित बजट को कार्यों में खर्च करती है।

(ङ) योजनावार बजट जो कि वर्ष 2020-2021 में आवंटित किया गया संलग्न है। (अनुलग्नक-क)

अनुलग्नक-‘क’

Statement of allocated Budget for the year 2020-21 & 2021-22
(Question No. 143 raised by Sh. Abhay Verma)

Figure in Lacs

S.No.	Head of A/c Name of Scheme	Budget 2020-2021	Budget 2021 2022
1	RA.Y. (Captial)	0.00	0.00
2	Prevention of isolation homes for	1100.00	500.00
3	Night Shelter III-b-I (Revenue)	2000.00	2500.00
4	Night Shelter III-b-I (Captial)	100.00	500.00
5	PMAY (CSS)	1.00	1.00
6	PMAY(SS)	1.00	1.00
7	S/Katra III-a-iii (Captial)	100.00	200.00
8	GiA (Captial)	200.00	500.00
9	E.I.U.S. III-a-I (Revenue)	1800.00	1800.00
10	E I.U.S. III-a-I (Capital)	200.00	200.00
11	S/Katra III-a-iii (Revenue)	150.00	200.00
12	Built up facilities BVK/HALL III-e-iv	300.00	300.00
13	Built up facilities BVK/HALL III-e-iv	100.00	400.00
14	Shishu Vatika III-e-vii (Revenue)	125.00	400.00
15	Shishu Vatika III-e-vii (Captial)	100.00	100.00
16	J.S.C. III-e-I (Revenue)	6800.00	7000.00
17	J.S.C III-e-I (Captial)	1000.00	1000.00
18	In Situ Rehabilitation (Loan)	0.00	100.00
19	JNNURM (SCSP)	0.00	2000.00
20	JNNURM-Others	0.00	500.00
21	Improvement of Services in SRS	500.00	500.00
22	MMAY	0.00	50000.00
	Total-A	14577.00	68702.00

144. श्री शोएब इकबाल: क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिजली के नए कनेक्शन लेने में और डीटी मामलों को सुलझाने में आने वाली कठिनाइयों के समाधान हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) खुले ओवरहेड तारों के कारण किसी दुर्घटना की आशंका को टालने के लिए और अनेक स्थानों पर इस्तेमाल न होने वाले तारों को हटाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) डीईआरसी नियमों के अंतर्गत 5 कि.वा. तक के उपभोक्ताओं के विरुद्ध मामले दर्ज नहीं किए जा सकते हैं, फिर भी ऐसा क्यों किया जा रहा है;

(घ) प्रो-राटा के आधार पर राशि लेने के स्थान पर बीएसईएस देय राशि को अन्य व्यक्तियों को क्यों स्थानांतरित कर रही है; और

(ङ) तुर्कमानगेट डीडीए फ्लैट्स में नए कनेक्शन लेने में आने वाली कठिनाइयों के समाधान हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

ऊर्जा मंत्री: (क) दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग और बिजली वितरण कंपनियों ने सूचित किया है कि नये बिजली कनेक्शन डीईआरसी (आपूर्ति कोड और प्रदर्शन मानक) विनियम, 2017 के विनियम 10 और 11 के प्रावधानों और डीईआरसी आदेश दिनांक 31.08.2017 के अनुलग्नक-1 में उल्लेखित दस्तावेजों की प्रस्तुति/उपलब्धता तथा शुल्क के भुगतान के बाद जारी किए जाते हैं।

डीईआरसी द्वारा उपभोक्ता शिकायतों/उपभोक्ता चार्टर/शिकायत चार्टर से निपटने के लिए मैनुअल ऑफ प्रैक्टिस जारी किया गया है। उपभोक्ता शिकायतों के निवारण के लिए जन जागरूकता बुलेटिन संख्या 13 भी जारी किया गया है। आवेदक तदनुसार संपर्क कर सकता है। (संलग्नक क)

बिजली वितरण कम्पनियों ने अपने सभी डिविजनों में ग्राहकों के लिए कस्टूमेर केयर सेन्टर स्थापित किए हैं। इसके अलावा डीईआरसी के निर्देशानुसार Consumer

Grievance Redressal Forum (CGRF) भी स्थापित किये गये हैं। डीटी (Direct Theft) से संबंधित विवादों के निपटारे के लिए समय समय पर लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है।

(ख) बिजली की तारें जो कि मानव जीवन के खतरनाक हैं उनको हटाने के लिए उर्जा विभाग की नीति है जो कि उर्जा विभाग ने आदेश संख्या F.11(09)/2007/Power/2609-2609 दिनांक 03.08.2018 द्वारा जारी की है। (संलग्नक ख)

उर्जा विभाग दिल्ली सरकार ने आदेश संख्या F.6(5)/Power/Discom/Vol-1/3655 दिनांक 23.11.2021 के तहत 11 के.वी. बेयर कंडक्टर जो कि मानव जीवन को खतरा पैदा करती है उसे इंसुलेटेड कंडक्टर में बदलने की नीति जारी की है। (संलग्नक ग)

बिजली वितरण कम्पनी बीवाईपीएल ने सूचित किया है कि स्टैंडर्ड प्रैक्टिस में पावर केबल को जो उपयोग में नहीं है या उपयोग किए जाने की संभावना नहीं है, बिजली वितरण कम्पनी के फील्ड स्टाफ द्वारा हटा दी जाती है तथा इसे सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर निगरानी की जाती है।

(ग) बिजली वितरण कंपनियों ने सूचित किया है कि डीईआरसी नियमों के विरुद्ध कोई भी मामला दर्ज नहीं किया गया है।

(घ) बिजली वितरण कम्पनियों ने सूचित किया है कि वैध रूप से उप-विभाजित संपत्ति के बकाया देय राशि के संबंधित अनुपात में भुगतान पर बिजली वितरण कम्पनी कनेक्शन प्रदान करती है।

(ङ) बिजली वितरण कम्पनी बीवाईपीएल ने सूचित किया है कि तुर्कमानगेट डीडीए फ्लैट्स में अतिक्रमण और अलग dwelling unit न होने की वजह से नये कनेक्शन जारी नहीं किए जा पा रहे हैं।

संलग्नक-‘क’

Public Awareness Bulletin - 13				
Three Tier Grievance Redressal Structure				
Consumer Grievance / Complaint like: New Connection, Temporary Connection, Load Enhancement, Load Reduction, Permanent Disconnection, Reconnection, Shifting of Meter and Service line, Name Change, Category Change, Billing, Reading of Meter, Metering Problems (Faulty/Burnt/Slow/Fast/Stolen), No Current/failure of power supply, Voltage fluctuation, Load shedding/scheduled outages, Non-working of Street Light, Reporting of theft of electricity, Unauthorized Use of Electricity.				
TIER - I DISCOMs				
Channels for registration of complaint				
DISCOM	BRPL	BYPL	TPDDL	NDMC
24x7 Toll Free No	19123/39999707	19122/39999608	19124/ 1800-208-8124	19121/011-49993555
Customer Care Centers	(Mon-Fri 09:30AM to 05:30PM & Sat- 09:30 AM to 01:00PM)			
Discom's Website	www.brsdelhi.com	www.bysdelhi.com	tatapower-dcl.com	http://www.ndmc.gov.in
Mobile App	BSES APP	BSES APP	TPDDL Connect	NDMC311
Official Email ID for Filing Complaint	brpl.customercare@relianceada.com	bypl.customercare@relianceada.com	customercare@tatapower-dcl.com	care@ndmc.gov.in
NOTE: The distribution licensee shall also provide the details for Pull/ Short Code SMS Service and Web Chat for registration of complaint by consumer. If complaint is not resolved timely or complainant is not satisfied with the response/ resolution provided, and if desires, the complainant may approach to the below officials for further clarification/ resolution, at their respective Division customer care centres:- STEP 1: Customer Care Officer/ Customer Relation Executive STEP 2: Business Manager / Customer Service Manager / Dist. Manager STEP 3: Circle Head/Divisional Chief If still not satisfied with the resolution, consumer may write at: STEP 4: Head Customer Care of DISCOM (BRPL, BYPL, TPDDL & NDMC) mentioned below according to area of operation.				
Postal Address for forwarding complaint in writing	BSES Rajdhani Power Ltd. (BRPL) Customer Care, BSES Bhawan, Behind Nehru Place Bus Terminal, Place, New Delhi - 110019	BSES Yamuna Power Ltd. (BYPL) Head, (Customer Care, Jhimli Corporate Annex Building, CBD-III, Karkardooma Delhi - 110032	Tata Power Delhi Distribution Ltd.(TPDDL) Customer Complaint Analysis Group (CCAG) at TATA Power - DDL, CENCARE Building, Opposite C-2 Block, Lawrence Road, Keshavpuram, Delhi - 110035	New Delhi Municipal Council (NDMC) Executive Engineer Commercial Department New Delhi Municipal Council Shaheed Bhagat Singh Place, Gole Market, New Delhi - 110001
TIER - II CGRFs				
If complainant is not satisfied either with the response of the licensee or there is no response from the licensee within the stipulated time, complainant may approach CGRFs of respective DISCOMs mentioned alongside: BRPL Secretary, CGRF-BRPL, Sub Station Building, Sector-V, Preet Vihar, New Delhi-110017, Email: brplnrc@gmail.com BYPL Secretary, CGRF-BYPL, Sub-Station Building, Shakir Khan Building, Near Karkardooma Courts, Karkardooma, Delhi - 110032, Email: cgrfbypl@gmail.com TPDDL Secretary, CGRF-TPDDL, Sub Station Building, Police Colony, Model Town-II, Delhi - 110009, Email: cgrf@tatapower-dcl.com NDMC Secretary, CGRF-NDMC, Shop No. 47, 48 & 49, 71-72, Shaheed Bhagat Singh Place, Gole Market, New Delhi - 110001, Email: nrc.ndmc@gmail.com				
TIER - III Ombudsman				
Complainant aggrieved by non-redressal of his grievance by the CGRF may make a representation to the Ombudsman at the following address: Electricity Ombudsman B-53, Paschim Marg, Opp. Tagore International School, Vasant Vihar, New Delhi - 110057 Email: elect_ombudsman@yahoo.com NOTE: ❖ The Forum shall not entertain a grievance if it pertains to the same subject matter for which any proceedings before any court, authority or any other Forum is pending or a decree, award or a final order has already been passed by any competent court, authority or forum. ❖ The Forum shall not entertain grievances falling under sections 126, 127, 135 to 139, 142, 152 and 161 on matter related to Assessment, Appeal to appellate authority, Theft of Electricity, Theft of electric lines and materials, Punishment for receiving stolen property, Interference with meters or works of licensee, Negligently breaking or damaging works, Punishment for non-compliance of directions by Appropriate Commission, Compounding of offences and Notice of accidents and inquiries respectively of the Electricity Act, 2003. ❖ In matters related to Unauthorized Use of Electricity (UUE) under section 126 of Electricity Act, 2003, complainant may prefer an appeal under section 127 of Electricity Act, 2003 before the Additional District Magistrate of the district being the Appellate Authority. ❖ The Jurisdiction to deal matters related to theft of electricity lies with Special Court. ❖ This Public Awareness Bulletin No. 13 shall supersede the earlier PAB-8.				
Issued in Public Interest by Delhi Electricity Regulatory Commission Vinayak Bhawan, C-Block, Shivalk, Malviya Nagar, New Delhi-110017 Telephone: 011-41080417, Website: www.derc.gov.in				

संलग्नक-‘ख’

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
(DEPARTMENT OF POWER)
DELHI SECRETARIAT, 8TH LEVEL B-WING
NEW DELHI-110007

NO. F.11 (09)/2007/Power/2607-2617

Dated: 03rd August, 2018

ORDER

Sub: Policy on the shifting of HT (11KV, 33KV & 66KV) / LT400V Electricity Transmission Lines posing threat to human lives – Modification of Cabinet decision No.1588 dated 09.11.2009 thereof.

The Council of Ministers, Govt. of NCT of Delhi vide decision no. 2604 dated 31.07.2018 on the subject cited above has considered and approved the following in respect of the existing policy on shifting of HT/LT Lines:

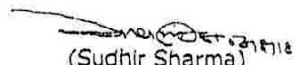
- i. In case of colonies set up under 20 point programme in the rural area, the shifting of HT/LT lines would be done through the fund of Govt. from the budget of Power Department which would provide for 100% of the cost of shifting.
- ii. In respect of other rural areas, like Lal Dora areas and extended Lal Dora areas, the cost of shifting of HT/LT lines would also be made from the funds of Govt. from the budget of Power Department which would provide for 100% of the cost of shifting.
- iii. In respect of farmhouses, the entire cost of shifting will be borne by the affected consumers. In case of farmers other than farmhouse owners, 100% of the cost of shifting is to be borne by Govt. from the budget of Power Department.
- iv. In respect of regularized unauthorized colonies including urbanized villages and resettlement colonies, 100% of the cost of shifting is to be borne by Govt. from the budget of Power Department.
- v. In case of HT/LT lines passing through Government institutions, public authority buildings, schools, hospitals, colleges of public nature and



which are owned by the government, 100% of the funding would be met by the concerned department/ agency for shifting of the lines.

vi. In case of private institutions of a public nature like educational and health institutions etc., 100% of the cost of shifting is to be borne by the concerned institution.

vii. Scope of the policy of HT/LT lines will include the HT transmission lines of 11KV, 33KV as well as 66KV and LT lines of 400V.


(Sudhir Sharma)
Dy. Secretary (Power)

Copy to :-

1. Pr. Secretary to Lt. Governor, Delhi.
2. Spl. Secretary to the Chief Minister, Delhi.
3. Council of Ministers, GNCTD
4. All MLAs, GNCTD
5. SO to Chief Secretary, GNCTD
6. Addl. Chief Secretary, GNCTD
7. All Pr. Secretaries / Secretaries, GNCTD
8. Pr. Secretary (UD), GNCTD
9. Secretary, DERC
10. Dir (O), DTL
11. CEOs, BRPL, BYPL & TPDDL



संलग्नक-ग

GOVT. OF NCT OF DELHI
DEPARTMENT OF POWER
8th Level, 'B' Wing, Delhi Secretariat,
J.P. Estate New Delhi

No. F.6(5)/Power/Discom/2020/VoU/3655

Dated; 23/22/2021

ORDER

Sub: Policy on the conversion of 11kV bare conductor to insulated conductor posing threat to human lives.

The Council of Ministers, Govt, of NCT of Delhi vide Decision No.3046 dated 05.11.2021 on the subject cited above has considered and approved the following.

Policy for conversion of 11kV bare conductor to insulated conductor:

I. PROCEDURE

- i. The Distribution Companies (DISCOMs) will define the priority of conversion of 11kV bare conductors with insulated conductor by identifying the areas prone to theft and most dangerous to human life to avoid fatal accidents & submit the detailed proposal along with estimate for the work to Power Department.
- ii. The Power Department will send the detailed proposal along with estimate for the work to Delhi Transco Limited (DTL) for its verification and veiling.
- iii. Delhi Transco Ltd. will check/ verify the feasibility of the proposal submitted by DISCOMs- DTL will submit the duly verified proposal & vetted estimate to Power Department.
- iv. The proposal of "Conversion of 11KV bare conductor to insulated conductor" should be supported by the report from the Revenue Department to confirm and certify the followings:
 - (1) The area for which conversion of 11kV Bare Conductors are being proposed is either:

- (a) Regularized unauthorized colonies (with year of regularization), or
 - (b) Urbanized village/resettlement colonies, or
 - (c) Colonies setup under 20 point programme in Rural Area, or
 - (d) Rural Area like Lal Dora and extended Lal Dora.
 - (e) Unauthorized colony with Name and Registration Number.
- (2) The Khasra number(s) of the respective Revenue village/area through which the 11kV Bare conductor is passing.
- v. After receipt of Revenue Department report, Power department GNCTD will issue acceptance letter to the concerned DISCOM to execute the proposed work.
 - vi. DISCOMs will obtain necessary permissions, if any, from concerned departments for conversion of 11kV bare conductor to insulated conductor.
 - vii. Upon successful execution & issuance of Utilization certificate by concerned DISCOM, Delhi Transco Limited (DTL) shall submit the post verification inspection report along with photos of before and after completion of the project to Power department and certify that the work has been done strictly as per prescribed norms, rules, regulations and conditions. Subsequently, the funds would be released to the concerned DISCOM, as per the acceptance letter.
- II. Terms and Conditions for payment
- i. The conversion of 11kV bare conductor to insulated conductor would be done through the fund of Govt. from the budget of Power department @ 100% of the cost of conversion of 11KV bare conductor for the following areas:
 - a. In case of colonies set up under 20 point programme in the rural area.
 - b. In respect of other rural areas, like Lal Dora areas and extended Lal Dora areas.
 - c. In respect of farmers other than farmhouse owners.
 - d. In respect of 'regularized unauthorized colonies' including urbanized village and resettlement colonies.

- ii. In respect of 'unauthorized colonies' 100% of the cost of conversion is to be borne by Govt, from the budget of Urban Development department in line with the policy No.F.627/UC/UD/2012/1609-1617 dated 28.09.2018 for shifting of HT/ LT lines.
- iii. In respect of farmhouse, the entire cost of conversion will be borne by affected consumers.
- iv. In case of 11kV lines passing through Government Institution, Public authority buildings, schools, hospitals, colleges of public nature 100% which are owned by the government 100% of funding would be met by respective department/ agency for conversion of conductor.
- v. In case of private institutions of a public nature like educational and health institution etc., 100% of the cost of conversion is to be borne by the respective institution,

(R.S. Samria)
Dy. Director (Power)

Copy to

1. Secretary to Lt. Governor, Delhi.
2. Secretary to Chief Minister, Delhi.
3. Council of Ministers, GNCTD.
4. All MLAs, GNCTD.
5. SO to Chief Secretary, Delhi.
6. All Addl. Chief Secretary/Pr. Secretaries/ Secretaries, GNCTD.
7. Secretary, DERC.
8. Director (Opr.), DTL.
9. CEOs, BRPL, BYPL, TPDDL.

145. श्री प्रवीण कुमार: क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड द्वारा जंगपुरा विधानसभा में कोई केबल डालने के कार्य की कोई योजना चल रही है या भविष्य में कोई योजना है;

(ख) यदि हाँ, तो उसमें कितना बजट पास किया गया और वह केबल कहां से कहां तक डाली जा रही है तथा क्या उसमें सभी मापदंडों का पालन किया जा रहा है, पूर्ण विवरण दें; और

(ग) यदि किसी अधिकारी के कार्य में कोई त्रुटि पाई जाती है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती है?

ऊर्जा मंत्री: (क) दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड ने सूचित किया है कि मथुरा रोड़ पर आश्रम चौक के पास लोक निर्माण विभाग के प्रस्ताविक अंडरपास के निर्माण के कारण 220 के.वी.डी./सी. अंडरग्राउंड केबल को शिफ्ट करने का कार्य प्रगति पर है और 15.01.2022 तक कार्य पूरा होने की संभावना है।

(ख) दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड ने सूचित किया है कि कुल 4.72 करोड़ रुपये (आपूर्ति+सेवा+एफ & आई+जीएसटी हेतु) पास किये गए हैं। केबल की लम्बाई 250 मीटर है जोकि नव प्रस्ताविक Joint Bay No-05A (near Ashram Metro Gate No. 02) to Existing Joint Bay No-06 (near Ashram Metro Gate No-01) तक एन.आई.टी. के सभी मापदंडों का पालन करते हुए किया जा रहा है।

(ग) दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड ने सूचित किया है कि यदि किसी अधिकारी के कार्य में कोई त्रुटि पाई जाती है तो नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

146. श्री राजेश ऋषि: क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनकपुरी विधानसभा में मार्च 2015 से मार्च 2021 तक कितने नए ट्रांसफार्मर लगाए गए और कितने बदले गए, पूर्ण विवरण दें;

(ख) जनकपुरी विधानसभा में मार्च 2015 से मार्च 2021 तक बीएसईएस द्वारा कितना फण्ड लगाया गया और किस-किस मद में, पूर्ण विवरण प्रस्तुत करें;

(ग) जनकपुरी विधानसभा में मार्च 2015 से मार्च 2021 तक कितने नए बिजली के कनेक्शन दिए गए, घरेलू और कमर्शियल दोनों का विवरण दें;

(घ) जनकपुरी विधान सभा में मार्च 2021 में कितने ट्रांसफार्मर ओवरलोड थे व उन पर विभाग ने क्या कार्रवाई की;

(ङ) वर्ष 2022 की गर्मियों के लिए सरकार की क्या तैयार है; और

(च) जनकपुरी विधानसभा के वार्ड-18 एस के डी ब्लॉक जीवन पार्क में और दयाल सर रोड़ पर नए ट्रांसफार्मर लगाने की सरकार की क्या योजना है?

ऊर्जा मंत्री: (क) बिजली वितरण कम्पनी बीआरपीएल ने सूचित किया है कि जनकपुरी विधानसभा में मार्च 2015 से मार्च 2021 तक 17 नए ट्रांसफार्मर लगाये गये हैं और 36 ट्रांसफार्मर अपग्रेड/बदल गये हैं।

(ख) बिजली वितरण कम्पनी बीआरपीएल ने सूचित किया है कि जनकपुरी विधानसभा में मार्च 2015 से मार्च 2021 तक 44.95 करोड़ रुपये का

फण्ड लगाया गया है। बिजली वितरण कम्पनी द्वारा दिया गया विवरण संलग्न है। (संलग्नक क)

(ग) बिजली वितरण कम्पनी बीआरपीएल ने सूचित किया है कि जनकपुरी विधानसभा में मार्च से मार्च 2021 तक घरेलु और कमर्शियल कुल 66966 कनेक्शन दिए गये हैं। विवरण संलग्न है। (संलग्नक ख)

(घ) बिजली वितरण कम्पनी बीआरपीएल ने सूचित किया है कि जनकपुरी विधानसभा में 25 ट्रांसफार्मर ओवरलोडिड थे व ओवरलोड कम करने के लिए जहां भी संभव है एल.टी. फीडर को डालकर निकटतम ट्रांसफार्मर पर लोड को शिफ्ट किया गया है।

(ङ) बिजली वितरण कम्पनी बीआरपीएल ने सूचित किया है कि वर्ष 2022 की गर्मियों में ओवरलोड कम करने के लिए जहां भी संभव है एल.टी. फीडर को डालकर निकटतम ट्रांसफार्मर पर लोड को शिफ्ट किया जाएगा तथा ट्रांसफार्मर को हायर कैपेसिटी पर ट्रांसफर किया जाएगा। बिजली वितरण कम्पनियां स्थानीय प्रतिनिधि के जरिये नये ट्रांसफार्मर लगाने के लिए नयी जगह तलाश रही है। क्षेत्र में इन कामों के लिए बिजली वितरण कम्पनी ने 9.25 करोड़ रु. का प्रावधान किया है।

(च) बिजली वितरण कम्पनी ने सूचित किया है कि जीवन पार्क के ट्रांसफार्मर को 630 के.वी.ए. से 990 के.वी.ए. तक अपग्रेड करने की योजना है।

दयाल सर रोड के ट्रांसफार्मर का वर्तमान लोड यद्यपि 100 प्रतिशत से कम है स्थानीय प्रतिनिधि के जरिये नये ट्रांसफार्मर लगाने के लिए नयी जगह तलाशी जा रही है।

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 501

14 पौष, 1943 (शक)

संलग्नक 'क' 146 (क)

Reply for Question No 146(B) -

Capex incurred between 2015 to 2021- Rs.44.94Cr. Year wise details are enclosed as Annexure A

Financial Year	Capex incurred (in Cr)
2015-16	7.10
2016-17	0.95
2017-18	5.02
2018-19	14.45
2019-20	13.79
2020-21	3.62
Grand Total	44.94

Registered Office: BSES Rajdhani Power Limited. BSES Bhawan, Nehru Place, New Delhi -110019.

ANNEXURE A - Capex Incurred Between 2015 to 2021

Financial Year	Name of the Scheme	Scheme Cost in Lacs
1	2	3
2015-16	Renovation of Customer Care Center for Janakpuri	56.81
2015-16	Aug. of Dry TY TR. 630 to 990 KVA at A11/D Bansal Wala Substation Janakpuri	19.23
2015-16	Providing New Ht. 11KV Feeder from Pankha Road Grid to A21/D Mother Dairy S/STN JKP	11.67
2015-16	Instalation of Additional G40 KVA TRF at A-4 Harijan Basti (K) S/S JKP	15.40
2015-16	Augmentation of 630KVA TRF 10 990 KVA TR at A5BS/S JKP	21.59

1	2	3
2015-16	Taking Out Two Bi Kt FDRS frin C4 Dabri JKP	6.13
2015-16	Replacement of 7 Panal Board at A11/D JKP	11.39
2015-16	Replacement of 4 Panal Board at Janta Flat Posangipur JKP	6.29
2015-16	Renovation of Circle Control Office, JKP	9.45
2015-16	Extension of LV main in Div JKP	9.22
2015-16	Replacement of 6 Panel Board at B-51/D JKP	12.51
2015-16	Replacement of 4 Panel Board at Plot No. 4, Distt Centre JKP	5.70
2015-16	Replacement of 4 Panel Board at Distt Service Centre JKP	6.63
2015-16	Replacement of 4 Panel Board at BD1/D JKP	6.35
2015-16	Replacement of 5 Panel Board at Community Center STN-1 JKP	9.02
2015-16	Upgradation of Transformer from 630 to 990KVA at B-1/610 JKP	19.24
2015-16	Upgradation of Transformer from 630 to 990KVA at Virendra Ngar Jhuggiwala JKP	19.24 18.95
2015-16	Replacement of HT Cable from Narang Colony I/D to P&T Colony in Division Janakpuri	0.83
2015-16	Replacement of HT Cable from BSES Colony to Community Centre S/Stn. No.1in Divsion Janakpuri	0.80
2015-16	Replacement of sick HTAB Cable from C-aH to Camp Jail No. 4 in Division Janakpuri	2.00
2015-16	Replacement of sick U/G Cable with LTAB Cable at A1-A Janakpuri	0.26
2015-16	Providing additional 02 Nos. LT feeders at Gali No. 11 Shive Nagar S/Stn.	0.75

1	2	3
2015-16	Replacement of bare conductor with LTAB Cable at A1 Block Janakpur	0.43
2015-16	Relocation of meters and Installation of meters in meter box in Division Janakpuri	9.08
2015-16	Replacement of Oil to Dry Type Transformation at Division Janakpuri	213.36
2015-16	Replacement of 400KVA oil to 630KVA Dry Type Transformer at Division Janakpuri	128.03
2015-16	Laying of H.T. 11KV 3Cx300SMMxLPE Cable at Chankya Place	11.30
2015-16	Laying of 3Nos New Additional Feeders from S/Stn No.1 4 Chanakya Place in Milap Nagar Zone D. VKP	7.78
2015-16	Laying of 1Nos New Lt Feeders from S/Stn R&S Block Chanakya Place in Milap Ngr. Zone-1502 D.VKP	2.71
2015-16	Providing hT 11KV Intereconnector Between F-4 Jeewan Park Nalawalas/Stn. to Indra Park I/D S/Stn to Give Alternate Source at IND	10.02
2015-16	Augmentation of Existing 400KVA DTR to 630KVA DTR at Jeewan Park I/D in Milap Nagar Zone, D.VKP	7.06
2016-17	Replacement of 4 Panal Board at Plot No. 8 Distt. Center JKP	0.17
2016-17	Replacement of 4 Panal Board at Plot No. 12 KP	0.20
2016-17	Replacement of 4 Panal Board at Plot No. 11 JKP	0.20
2016-17	Replacement of 5 Panel Board at A-31/D JKP	0.26
2016-17	Installation of 3 Way O/D RMU at C-5D Sub-Station JKP	0.09
2016-17	Replacement of Bare Conductor with LTAB Cable at C-4G JKP	4.26
2016-17	Replacement of Barl Conductor with LTAB Cable at C-2C Pocket-12 in Div. JKP	2.92

1	2	3
2016-17	Installation of 3 Way RMU at C-2A S/Stn Janakpuri	0.11
2016-17	Laying of Parallel of Feeder in Division Janakpuri	13.46
2016-17	Replacement of Bare Conductor with LT AB CBL at A2/221 JIP	0.76
2016-17	Aug. of 3xISOSQMM Old and Sick Pilca Cable to 3x300SQMM 11KV HT XLPE Cable at Jeewan Park ID S/Stn to Adarsh Nagar ID S/Stn.	3.02
2016-17	Laying of 2km Cable in Milap Nagar Zone & Anand Vihar Zone, in D.VKP	10.94
2016-17	Laying of 2km Cable in Milap Nagar Zone & Anand Vihar Zone, in D.VKP	9.61
2016-17	Inst. of New S/Stn of 400 KVA at A1/40 Eminent Medical Chanakya Place Part-1, Milap Nagar Zone, D.VKP	5.56
2016-17	Inst. of New S/Stn. of 400KVA at E-90 Jeewan Park, Near Sukhmani Motors, Milap Nagar Zone, D.VKP	3.31
2016-17	Inst. of New S/Stn of 400KVA at D2/209A Jeewan Park, Near Gupta Properties, Milap Nagar Zone, D.VKP	2.47
2017-18	Instalation of additional 6.30 KVA TRF at A-3 ST Mark JKP	10.10
2017-18	Retrofitting of 304 Flats at JKP Colony	12.61
2017-18	Augmentation of G30KVA TRE to 990 KVA in at 03.G PI/MS/S JKP	10.71
2017-18	Replacement of LT Panel Board at Div. JKP	17.14
2017-18	Augmentation of G30 KVA TRE to 990 KVA TRE at Community Center No. 2 TRE No. 1 JKP	16.70
2017-18	Augmentation of 630 KVA TRE to 990 KVA TRE at C2A Shiv Mandir JKP	13.10
2017-18	Replacement of 3 Panel Board at B2C 1/D JKP	5.89
2017-18	Installation of Additional G30KVA Transformer at B-1/145 PL/MS/Stn Division JKP	14.26

1	2	3
2017-18	Replacement of Bare Conductor with LT AB CAL at C-4F Block Janakpuri	17.22
2017-18	Extension of LV main in Div. Janakpuri	9.12
2017-18	Estimate Shifting of Cables from Trees in Div. JKP	8.52
2017-18	Replacement of Old Kaifa & Old Genus Meters in Division Janakpuri	16.34
2017-18	Replacement of Old Kaifa & Old Genus Meters & Relocation of Meters in Division Janakpuri (2)	18.59
2017-18	Replacement of Old Kaifa & Old Genus Meters in Division Janakpuri	14.26
2017-18	Meter Replacement Relocation in Div. Janakpuri (C&D Block+B-1 JKP)	18.52
2017-18	Laying of Parallel Lt Feeder in Division Janakpuri	14.13
2017-18	Rep. of Bare Conductor at A2/250 JKP	2.05
2017-18	Installation of New 630KVA D/Tx at Prem Nagar Park Between M-Blk Road & Dyalsar Road in Milap Nagar Zone-1502 D.VKP	16.04
2017-18	RPL of Old 3W OCD type Panel with New 4W RMU at Chanakya Place S/Stn No. 3	5.44
2017-18	RPL of 3W Old Type OCB Panel with 3W Sea Type RMU at Chanakya Place S/Stn. No. 2	3.87
2017-18	Installation of Additional G30KVA DTR at Milap Nagar 1/D S/Stn in Milap Nagar Zone, D.VKP	17.90
2017-18	Repair of Toilet Block-1st Floor at Milap Nagar Complaint Centre, Div.VKP	0.96
2017-18	AUG. of 3Cx1SOSQMM Old and Sick Pilca Cable to 3Cx300SQMM 11kv HTxLPE Cable at Chanakya Place a&B Block SSTN to Mahindra Park ID S/	8.61

1	2	3
2017-18	Extension of LT Network of Different Colonies of Milap Nagar Zone, Div. Vikaspuri (50 Nos Pole)	23.30
2017-18	Laying of 2Nos Lt Feeders at Shamshan Wala S/Stn Om Vihart in Milap Nagar Zone, D-VKP	8.44
2017-18	Installation of Meter in Meters Boxes at Chanakya Place in D.VKP (MLPO17 & MLPO18)	22.61
2017-18	Installation of New S/Stn of 400 KVA at Chanakya Place 30ft Road, Milap Nagar Zone, D.VKP	14.91
2017-18	Meter Reloc and Pole DB at Chanakya Place 2 no (MLPO16 & MLPO20)	15.49
2017-18	Replacement of Old Type 11KV OCB with 4W+1W I/D Type SF6 RMU at Chanakya Place S/Stn No. 4	9.18
2017-18	AUG of 630 KVA DT with 990KVA DT at Jeewan Park ID S/Stn (DT Meter No. 29601353), Bindapur Zone, D.VKP	17.72
2018-19	AUG of 3x150 Pilca CBL to 3x300xLPE from C-3 Complaint Center to Community Center Janak Cinema JKP	28.33
2018-19	Replacement of 3x150 Pilca to 3x300xLPE CBL from BE-Blk I/D to G-Blk(K) Hari Ngr. via Gali No. 20 Shiva Ngr I/D. DMS	25.82
2018-19	Replacement of 3x150 Pilca to 3x300xLPD CBL from P&T Qtrs. to A-58 JKP, Via Janta Qtrs. A-4C, A-5B, 3A, B-3B JKP	57.54
2018-19	Augmentation of 630 KVA TRE to 990 KVA TRE at Gali No. 22 Shiv Ngr. JKP	27.40
2018-19	Aug. of 630 KVA TRE to 990 KVA TRE at Virender Ngr., Jughiwala JKP	22.70
2018-19	Installation of Additional 630KVA Transformer at Rich Harvest School (K) in Division JKP	17.97
2018-19	Replacement of Bare Conductor with Lt Ab CBL at C-4E Janakpuri	3.26

1	2	3
2018-19	Aug. of 630 KVA TRE to 990 KVA TRE at Fateh Nagar I/D S/Stn. in Division JKP	21.51
2018-19	Aug. of 630 KVA TRE to 990 KVA TRF at B-1 Arya Ji Wala S/Stn. in Division JKP	18.07
2018-19	Aug. of 400 KVA TRF to 630 KVA TRF at B-2C PL/MS/Stn. in Division JKP	1.16
2018-19	Retrofitting of Type 3 Flats at DSES Colony, Janakpuri	395.22
2018-19	Construction of DHA: O for Garbage Dumping at BSES Housing Colony Janakpuri	5.71
2018-19	Renovation of DGM Civil Complaint Office & OnM Store at BSES Colony Janakpuri	5.35
2018-19	Renovation of Toilet Block-GR & 151 Floor at ASVP (QC-West) Office, B-1, Janak Puri, Div. JKP	5.04
2018-19	Construction of Sump & Pump House (Strom Water Drainage) Type-III Qtrs. at BSES Housing Colony Janakpuri	2.67
2018-19	Raising of Boundary Wall and P/L Cement concrete in the Rear Portion of Vard at 66KV Grid, C01, Janakpuri	5.25
2018-19	Renovation of SSF at D-6/B 2, JKP	8.75
2018-19	Civil Repair/MTC Work at Plot No. 1 DC, Plot No. 2 DC Plot No. 2A DC & Plot No. 12 Sujeja Tower-2 DC Under Janakpuri	3.42
2018-19	Extension of LV mains in Div. Janakpuri	7.60
2018-19	Rep of Bare Conductor at Tihar Jail Campus JKP	2.56
2018-19	Rep of Bare Cond. with AB CBL at A-2 Blk JKP	5.15
2018-19	Meter Replacement, Relocation & Pole DB Works in Div. JKP	13.59
2018-19	Replacement of Feeder Pillar/Service Pillar at Div. JKP	15.61

1	2	3
2018-19	Meter Relocation/Replacement Works in B1 5/Div. JKP CO7	13.61
2018-19	Installation of Pad Locks ini Div. JKP	5.49
2018-19	Laying a New Feeder from Vishal Grid to A-2 Bank Quaters Sub Station	41.29
2018-19	Augmentation of 630 KVA TRF with 990 KVA Dry Type TRF B 1 Stn. Nagli Zalib, Janakpuri ID, D-JKP	22.41
2018-19	Aug. of 990 KVA TRF to 1.6MVA at Virendeer Ngr P/L	34.61
2018-19	Inst. of Addl 630KVA Dtr at C1 Kidsk S/Stn. C3Cc, D.JKP	11.40
2018-19	Repair & MTC Work at Avt. Asaltpur ID Sub-Station Under Div. JKP	1.49
2018-19	Providing Entry Gate and IRC Fencing Pannels at 11 KV ID Sub-Station at District Service Center (JAB024) under Div. JKP	0.53
2018-19	Aug. of 3x1SOSQMM Pilca Cable to 3x300SQMM Ht XLPE Cable from Ad Harijan Basti to A2/140 Janakpuri, Block CC D.JKP	15.43
2018-19	RPL of 3x1SOSQMM Pilca Cale to 3x300SQMM XLPE Cable from 80 Blk ID S/Stn. to Pre Nagar, S/Stn. 81 BLK CC, D.JKP	19.23
2018-19	Laying of New Ht Cable against Faulty Cable to Booster for from Pankha Road Grid, B1 Blk Cc, D.JKP	12.33
2018-19	laying of Parallel LT feeders in Various Function Location Janakpuri	19.36
2018-19	Laying of Parallel LT for with LT AB Cable in B-1 Blk CC. D.JKP	18.78
2018-19	Laying out Additional LT Feeders to Devide the Load LT Feeders in Various Locations in Janakpuri Divsion	21.45
2018-19	Extension of LV vains in Div. Janakpuri	14.70

1	2	3
2018-19	Replacement of LT Bare Conductor with LT AB Cable at C2 Blk (Ahujawala) S/Stn. C3 Cc, D.JKP	21.03
2018-19	Lr Scheme in Prem Nagar B1 (Remaining Work) Scheme NO (JP17MS4079) (JKPSC07)	8.76
2018-19	Metering at Shared Points at Janakpuri Division	15.55
2018-19	LR Scheme in Prem Nagar B1 (Remaining Work) Scheme No (JP17MS4079) (JKPSC07)-2	11.91
2018-19	LR Work in Desu Colony & Jail Qrts. C3, Janakpuri	12.74
2018-19	Damaged Pole Replacement at Division Janakpuri	9.72
2018-19	Middle Pole Required in Division Janakpuri	7.70
2018-19	LR Scheme in Nangli Galib B1- (For Servilence Lead Works) (JKPSC06)	2.71
2018-19	LR Scheme in District Centre, B1 (JKPSC15)	5.20
2018-19	LR Scheme in Village Asalatpur, B1 Janakpuri	11.28
2018-19	LR Scheme in Village Posangipur, B1 Janakpuri	2.85
2018-19	Installing 4 Way RMU at B1/145 Janakpuri	6.42
2018-19	Installing 4 Way RMU at A3 St. Marks Janakpuri	6.85
2018-19	Installing 4 Way RMU at A2 Mother Dairy Janakpuri	6.15
2018-19	AUG. of 630KVA to 990KVA DTR at janta Flat Possangirpur, B-1 Blk CC, D.JKP	23.13
2018-19	AUG. of 630 to 990 KVA at C3-Blk Rainbow SCH SSTN Janakpuri PLM	3.25
2018-19	Laying of 4NOS LT Feeders at F Blk Jeewan Park Nala Chanakya Place Complaint Center, D-Uttam Nagar	22.61
2018-19	Meter Reloc and Pole DB at R&S Chanakya Place (HVDCO3 & MLPO21) New FL CNK003 & CNK014	13.84
2018-19	Meter Reloc and Pole DB at Chanakya Place HVDS Part 2	16.12

1	2	3
2018-19	Remaining Meter Reloc & Pole Work Chanakya Place (CNK022, CNK024, CNK008, CNK0009, CNK010)	16.34
2018-19	Laying of New HT 11KV CBL Interlink Between D-Blk 11 Colony PK-4 S/Stn. No. 2 to Mongia Building Chanakya Place RMU in D. Uttam Nagar	7.93
2018-19	Laying of 3Nos LT Feeders at Chanakya Place S/Stn. No. 3, Milap Naga, D.VKP	17.65
2018-19	Laying of 2Nos LT Feeders at Chanakya Place S/Stn. No. 4, Milap Nagar Zone, D.VKP	14.62
2018-19	Laying of 3Nos LT Feeders at Jeewan Park I/D S/Stn. Milap Nagar Zone, D.VKP	23.54
2018-19	Inst. of Additional 630KVA DTR at R&S Blk Chanakya Place, Bindapur Zone, D.VKP	23.65
2018-19	Meter Reloc & Pole DB at Jeewan Pak I/D (MLP022)	18.73
2018-19	Meter Reloc and Pole DB at Jeewak Park Nala and Tilak Pul (MLP023 and MLP76)	19.03
2018-19	AUG. of 630KVA DT with 990KVA DT at Jeewan Park ID S/Stn. (DT Meter No. 29508396), Bindapur Zone, D.VKP	21.50
2018-19	Augmentation of Existing Over loaded 630KVA DTR to 990KVA DTR at Chanakya Place S/Stn. No. 4 in D. Uttam Nagar ((Meter No. 29502817) (VKP)	22.72
2018-19	Augmentation of Existing Over loaded 630KVA DTR to 990KVA DTR at Chanakya Place S/Stn. No. 4 in D. Uttam Nagar ((Meter No. 29502819) (VKP)	22.89
2018-19	Reconst of Damaged/Tilted Plinth I/C RMU Plinth and Face Utting of Punth Mounted S/Stn. A&R at Chanakya Place, Bindapur (D)VKP	0.42
2019-20	Installation of 3 Way O/D RMU at C-4H Sub-Station JKP	2.16
2019-20	Renovation of Type-III Quarters (10 Blocks) at BSES Staff Colony Janakpuri	267.92

1	2	3
2019-20	Re-Construction/Raising Damaged Plinths and Raising of 11KV Sub-Samroodwala, Vasisht Park, C-2, Dhobiwala & C-1 Kioss in (D) JKV	3.32
2019-20	Augmentation of 990KVA TRF to 1.6 MVA at C-2A JKP	34.20
2019-20	Inst. of Addnl. 630KVA Dt at Chander Nagar S/Stn. B1 CC, D-JKP	10.55
2019-20	Renovation of C-3, Complaint Centre in Janakpuri Division, JKP	11.72
2019-20	Renovation of KCC and Power Metering Office in C-1, Janakpuri, JKP	15.97
2019-20	Renovation of Type III Sub-Station Flat at B-S/1, Janakpuri	4.44
2019-20	Revamping Work at Tihar Jail Substation No. 5 HTC, C3 CC, D.JKP	1.15
2019-20	Renovation of Security Room at Janakpuri Colony	2.20
2019-20	Retrofitting of Under Ground Tank at BSES Colony, Janakpuri	13.56
2019-20	Augmentation of Sick Pilca Cable to 3x300SQMM XLPE Cable from CSA to C6B, C3 CC, D.JKP	10.14
2019-20	Repl of O/H 11KV Cond with 3x300SQMM HT UG Cable from Ad harijan Basti to A3 Blk Mandirwala Via A3 St. Marks School S/Stn., R1 CC	12.76
2019-20	Aug of Pilca Cable to 3x300SQMM XLPE Cable from A2 Mother Dairy to Telecom Colony S/Stn. B1 Cc, D.JKP	20.47
2019-20	AUG. of Pilca Cable to 3x300SQMM XLPE Cable from A3 Mandirwala to A4 Asalatpur I/D Carwala S/Stn. B1 CC, D.JKP	8.65
2019-20	Augmentation of Pilca Cable to 3x300SQMM XLPE Cable from C2 Ahujawala to C2 Harvinderwala S/Stn. C3CC, D-JKP	13.47
2019-20	AUG. of Pilca Cable to 3x300SQMM XLPE Cable from C2 Ahujawala to C2 Dhobiwala S/Stn. C3 CC, D.JKP	11.27

1	2	3
2019-20	AUG. of Pilca Cable to 3x300SQMM XLPE Cable from C2 Dhobiwala to C1 Guptawala S/Stn. C3 CC, D.JKP	8.19
2019-20	Replacement of LT Bare Conductor with LT AB Cable at C4A, C4B, C6A, & C6B S/Stn. C3 CC, D.JKP	24.10
2019-20	Replacement of LT Bare Conductor with LT AB Cable at C2 Harvinderwala S/Stn, C3CC, D.JKP	21.92
2019-20	Pole DB Replacement & New DB Installation Work in Division Janakpuri	23.70
2019-20	Replacement of 990KVA Oil Type of with 990KVA Dry Type DT at C2-Ahujawala S/Stn.	18.34
2019-20	Replacement of Oil Type 990KVA DT with 990KVA Dry Type DT at C4G S/Stn, Part-I	18.39
2019-20	Replacement of 990KVA OH Tyhpe DT with 990KVA Dry Type DT at C4G S/Stn. Part-II	17.47
2019-20	Replacement of 990KVA Oil Type of with 990KVA Dry Type DT at C1 Guptajiwala S/Stn. in Div. JKP	16.74
2019-20	Replacement of 630KVA Oil Type DT with 630KVA Dry Type DT at C1 Guptajiwala S/Stn in Div. JKP	13.68 13.68
2019-20	Laying of New Feeder from Pankha Road to P&T Colony B1 CC, D.JKP	60.36
2019-20	Installing 4 Way RMU ast B1/G10 Janakpuri	6.08
2019-20	Installing 4 Way RMU at Sharwala, Virender Nagar	6.49
2019-20	Installing 4 Way RMU at K Blk Fateh Nagar	6.62
2019-20	Shifting of Sub-Station at A-43 Mayapuri, Phase-1 JKP	117.35
2019-20	Inst. of New S/Stn. at A2 Blk Janakpuri, B1 Cc, D.JKP	10.34
2019-20	AUG. of 990KVA to 1600KVA at Fateh Nagar I/D:ID	14.19
2019-20	AUG. of 990KVA to 1600KVA New Era Public School PL	14.59

1	2	3
2019-20	AUG. of 630 to 990 KVA at Shiv Nagar Ext. Pt/M.Pl	2.92
2019-20	AUG. of 630 to 990 KVA DT at C/2C-Blk Zonal Off. S/Stn. Pkt 12 J.Puri:ID	18.40
2019-20	AUG. of 630 to 990 KVA DT at C/2C-Blk Zonal Off. S/Stn. Pkt 12, J.Puri:ID	16.58
2019-20	Renovation of Room 3 for ASVP (Housing/Office-Civil West), BSES Colony, Janakpuri	1.37
2019-20	Miscellaneous Civil & Electrical Works at C-1 Janakpuri	4.74
2019-20	Renovation of Park Near Shopping Arcade, BSES Colony JKP	4.36
2019-20	Replacing Water Supply Line, BSES Colony, Janakpuri	27.28
2019-20	Face-Lifting of C-3 Complaint Center at Janakpuri (D) JKP under SS Implementation	4.83
2019-20	Replacement of Bare LT Conductor with LT AB Cable at C3A S/Stn. in Div. JKP	23.95
2019-20	Replacement of Bare LT Conductors with LT AB Cuble at C1, C1A & CSo S/Stn in Div. JKP	23.16 23.16
2019-20	Laying of Parallel LT FDR with LT AB Cable in D.JKP	22.75
2019-20	Laying of Parallel LT AB Circuits in Div. Janakpuri	4.39
2019-20	RPL of Oil Type 630KVA DT No. 1 with Dry Type Dt at PLT No. 5 Distt. Center, B1 CC, D.JKP	14.36
2019-20	RPL of Oil Type 630KVA Dt No. 2 with Dry Type Dt at Plt No. 5 Distt. Center, B1 CC, D.JKP	14.09
2019-20	Conversion of O/H Dog Conductor to Insulated Conductor at Ajanta O/D Feeder & Shiv Nagar Feeder	24.49
2019-20	Meter Relocation and Associated Works at Janakpuri Div.	13.46
2019-20	Conversioni of 990KVA Oil Transformer to Dry Type at Nangli Galib	18.29

1	2	3
2019-20	Replacement of 990KVA Oil Type of with 990KVA Dry Dt at C3, Complaint Centre S/Stn.	20.28
2019-20	Conversion of 2 Nos 400 KVA Oil Type Dt to 1 No 990KVA Dry Type Dt at C-58 MS Building S/Stn.	24.85
2019-20	Conversion of 990KVA Oil to Dry at A4 Salatpur	18.32
2019-20	Conversion of 990KVA Oil to Dry at A4 Asalatpur	18.61
2019-20	Strengthening of Guard Wire for O/H 11KV Feeder in Div. Janakpuri	1.57
2019-20	Shifting of 2Nos 99KVA Dt Outside S/Stn at A2 Mother Dairy S/Stn., in B1 CC, D.JKP	13.28
2019-20	Replacement of Existing Old & Sick 11KV U/G 3Cx300SQMM Cable from Chanakya Place S/Stn No. 1 to Chanakya Place S/Stn No. 4 in D.Uttam	9.13
2019-20	AUG. of Sick 3x300SQMM Pilca with 3x300SQMM XLPE Cable at Jeewan Park IDDIV.Uttam Nagar	17.87
2019-20	Inst. of 630KVA DTR at F Blk Jeewan Park Nala S/Stn. Chanakya Place, Div.Uttam Nagar	7.82 7.82
2019-20	Augmentation of 400KVA to 630KVA Dtr at D2.209A Jeewan Park Nr Gupta Properties in D.Uttam Nagar	14.36
2019-20	Augmentation of 400KVA to 630KVA Dtr at Sukhmani Motors E-90 Jeewan Park in D.Uttam Nagar	16.67
2019-20	Meter and Pole Work at Chanakya Place Sub/Cluster	9.01
2019-20	Construction of New Complaint Centre in Chankya Place, Uttam Nagar, Div.VKP	13.12
2019-20	Laying New 11KV HT Feeder from Pankha Road Grid to F-4 Jeewan Parks/Stn., Milap Nagar Zone, D.VKP	31.89
2019-20	Laying of Interlink New 11KV HT Feeder from F-4 Jeewan Park S/Stn. 10 East Uttam Nagar S/Stn in D.Uttam Nagar (VKP)	22.24

1	2	3
2019-20	Augmentation of Existing Overloaded 400KVA DTR to 630KVA DTR at Chanakya Place S/Stn. No. 5 in D.Uttam Nagar (VKP)	18.28
2020-21	Renovation of Type-III Quarters (10 Blocks) at BSES Staff Colony, Janakpuri	61.80
2020-21	Laying of Parallel LT Feeder in Div. JKP	9.12
2020-21	LV Extension in Division Janakpuri	8.88
2020-21	AUG. of Pilca ISO SQ MM CBL FRM A2 to A1A S/Stn. in Div.JKP	12.92
2020-21	Laying of 2 Nos. Additional Lt Feeders at C3 Block Rainbow S/Stn	7.93
2020-21	Laying of 3 Nos Additional Lt Feeders at C2C Pkt 12 S/Stn.	10.24
2020-21	Laying of 3 Nos Additional Lt Feeders at C2A S/Stn.	9.95
2020-21	Taking Out 2 Nos Lt Feeders from B1 Govt. School S/Stn	6.67
2020-21	Taking Out 2 Nos Lt Feeders from B1/145 Janakpuri	4.66
2020-21	Taking Out 2 Nos Lt Feeders from B1/610 Janakpuri	6.06
2020-21	Taking Out 2 Nos Lt Feeders from B3 PL/M	5.01
2020-21	Taking Out 2 Nos Lt Feeders from Virender Nagar Kiosk	6.85
2020-21	Taking Out 1 No Lt Feeder from A3 Block, Mandir Wala	3.13
2020-21	Lay 3 No Lt Feeders at C2 Dabri More, S/Stn.	10.25
2020-21	Taking Out 2 Nos Lt Feeders from A1 Bansal Wala Janakpuri	6.74
2020-21	Installation of Street Light Fitting in Desu Colon, D.JKP	4.97
2020-21	Inst. of 3W OD RMU at Pankha Rd Grid for Separating 2 Nos 11KV Feeder Cables of A1 Motheer Dairy & C Block, Dabari More from Same Panel	4.10
2020-21	Augmentation of 400KVA to 990KVA at A3 MTNL Store	8.62

1	2	3
2020-21	Augmentation of 630 to 990KVA at B-1/118 Janakpuri to Provide Relief to B2 Zonal OFFC	6.92
2020-21	Taking Out 2 Nos Lt Feeders from Nangli Jalib	6.61
2020-21	Taking Out 3 Nos Lt Feeders from Shiv Nagar ID	6.82
2020-21	Taking Out 2 Nos Lt Feeders from Fateh Nagar ID	7.99
2020-21	Taking Out 2 Nos Lt Feeders from K Blk Fateh Nagar	4.52
2020-21	Laying of 2 No Lt Feeder at BF Block, JKP	9.24
2020-21	Meter Relocation/Replacement/Both at Tihar Jail Road, Virender Nagar, Shiv Nagar, Ashok Nagar, Scheme & MMG	2.21
2020-21	Meter Relocation/Inst/Repl in Janakpuri	3.27
2020-21	Meter Relocation and Associated Works in Sub Division B1- Janakpuri Complaint Center	3.42
2020-21	Meter Relocation and Associated Works ini Sub Division C-3 Complaint Center	1.70
2020-21	Network Extension for Releasing New Connection in Sub Division C3 Blk JKP, D.JKP	3.86
2020-21	Network Extension for Releasing New Connection in Sub Division B1 Blk JKP, D.JKP	1.85
2020-21	Network Extension for Releasing New Connection in Sub Division, C3, D.JKP	4.68
2020-21	Laying of New Interconnector Between CNG Pump Distt. Center & Hotel Hilton S/Stn. D.JKP	4.88
2020-21	Installation of 4W ID RMU at AaC Janakpuri Kiosk	6.96
2020-21	Laying of Street Light Cable at Various Locations of Janakpuri Division	4.60
2020-21	Installation of 400KV Transformer Near HPCL Petrol Pump Opp Virnder Nagar	14.67

1	2	3
2020-21	AUG. of Existing 400KVA to 1.6MVA DTR at Jeewan Park I/D S/Stn in D. Uttam Nagar	28.34
2020-21	Laying of Nos Lt Feeders at Jeewan Park Nsls (CNK016), Div. Uttam Nagar	12.53
2020-21	Laying of 2 Nos Lt Feeders at Chanakya Place A & B (CNK013) Div. Uttam Nagar	10.50
2020-21	Laying Additional 4 Nos Lt Feeder at Jeewan Park I/D S/Stn. in D.Uttam Nagar	17.45
2020-21	Meter Relocation and Associated Works in Chankaya Place Sub Division, Div.Uttam Nagar	2.40
2020-21	Network Extension for Releasing New Connection in Sub Division Chanakya Place, Divsion Uttam Nagar	2.67
2020-21	Augmentations of 3W O/D to 4W O/D RMU at Jeewan Park Nala Wala S/Stn. in Zone D. Uttam Nagar	6.79
2018-19	Augmentation of 630KVA to 990KVA at Seetapuri O Blk	21.20
2017-18	Providing Additional 630KVA Transformer at Seeta Puri C Block: IDS/	12.94
2017-18	Augmentation of 630KVA to 990KVA Transformers at Seetapuri D Block	21.78
2017-18	Lose Reduction Scheme in Sita Puri Zone Dabri	13.57
2016-17	Taking Out 2 Nos Lt Feeders from Seeta Puri A Block: PL S/Stn.	3.42
2016-17	Augmentation of 630 KVA to 990KVA Transformer at Seeta Puri G Block:ID S/Stn.	19.70
2016-17	Installation of Meter in Meter Boxes-Sitapuri Div. Palam	14.62
2016-17	Replacement of Sick LTAB Cable at A Block Sita Puri	0.25
2015-16	Replacement of Sick LTAB Cable at A Block Sita Puri	0.22
Total		4493.75

Reply for Question No 146(C) -

No of Connections Released in Janak Puri Vidhan Sabha are 66966.

No. of Domestic Connections - 62051

No. of Non-Domestic Connections - 4859

Other than Domestic & Non-domestic - 56

Year-wise Summary is Attached Herewith.

Year Wise							
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Grand Total
12582	13657	17232	10423	4434	3973	4665	66966

147. श्री राजेश ऋषि: क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि मुख्यमंत्री स्ट्रीट लाइट योजना के अंतर्गत जनकपुरी में लगने वाली 3000 स्ट्रीट लाइट्स में से 300 स्ट्रीट लाइट ही लगी है;

(ख) यदि हाँ, तो बाकी की स्ट्रीट लाइट्स कब तक लग जाएगी;

(ग) बिजली के खम्बों पर लटकी हुई केबल टीवी, इंटरनेट और ब्रोडबैंड की केबल्स को अंडर ग्राउंड करने की सरकार की कोई योजना है;

(घ) यदि हाँ, तो यह कार्य कब शुरू होगा;

(ङ) क्या जनकपुरी को अनोथराइज्ड कॉलोनियों, चाणक्य प्लेस पार्ट-1 से सीतापुरी, महिंद्रा पार्क से बिंदापुर और रामदत्त एंक्लेव से जा रही हाईटेंशन वायर को हटाने की सरकार की कोई योजना है; और

(च) यदि हाँ, तो यह कार्य कब तक हो जाएगा?

ऊर्जा मंत्री: (क) बिजली वितरण कम्पनी बीआरपीएल ने सूचित किया है कि मुख्यमंत्री स्ट्रीट लाइट योजना के अंतर्गत जनकपुरी में 433 स्ट्रीट लाईट्स लगाई गई है।

(ख) बिजली वितरण कम्पनी बीआरपीएल ने सूचित किया है कि बाकी लाईटें जल्द लगा दी जाएगी।

(ग) जी नहीं।

(घ) उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता।

(ङ) जनकपुरी की अनोथराइज्ड कॉलोनियों, चाणक्य प्लेस पार्ट-1 से सीतापुरी, महिंद्रा पार्क से बिंदापुर और रामदत्त एंक्लेव से जा रही हाईटेंशन वायर को हटाने की वर्तमान समय में उर्जा विभाग कोई योजना विचाराधीन नहीं है। यद्यपि विगत वर्षों में दो प्रस्ताव उर्जा विभाग में प्राप्त हुए थे जिनका विवरण है। (संलग्नक क)

(च) उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता।

संलग्नक-क

At present, no case for shifting of 66kV HT line in Janakpuri constituency is pending with Power Deptt., GNCTD. However, two proposals received for shifting of 66kV HT line in the past & details of said proposals are given below;

S. No.	Proposal	Approved Estimate amount and date by ETC
1.	Shifting of 66 KV O/H D/C T/L of 220 KV PPK-I to Rewari Line ckt. & Pankha Road to Rewari Line Route length 1200 m. (From Pankha Road Grid to Dabri Crossing)	Rs.55622443/- Dated 22.09.2017
2.	Shifting of 66 KV O/H D/C T/L of 220 KV PPK-I to Rewari Line ckt. & Pankha Road to Rewari Line (Dabri Crossing to Sagarpur Grid)	Rs.44200314/- Dated 28.09.2016

Sl. no. 1

As informed by Hon'ble MLA that the line is passing over the Chankya Place Part-1 (Regn.No.1160) an unauthorized colony, the same was intimated to UC Cell, UD Deptt. vide letter dated 16.11.2018 to examine the matter as per policy of unauthorized colony.

Sl. no. 2

Power Deptt. vide letter dated 04.10.2019 requested Hon'ble MLA to give the consent to concerned Discom for revision of estimate, as the estimate was more than 03 years old.

148. श्री अनिल कुमार बाजपेयी: क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि डीईआरसी टैरिफ ऑर्डर, वित्त वर्ष 2021-22 के अनुसार घरेलु, कृषि व मशरूम उत्पादक उपभोक्ताओं को छोड़कर शेष सबके लिए डिजिटल माध्यम से भुगतान करना आवश्यक है; और

(ख) यदि हाँ, तो जिन उपभोक्ताओं के पास डिजिटल मोड की सुविधा उपलब्ध नहीं है, इस संबंध में सरकार क्या कदम उठा रही है?

ऊर्जा मंत्री: (क) और (ख) डीईआरसी ने सूचित किया है कि वित्त वर्ष 2021-22 के टैरिफ आर्डर के नोट 17 में घरेलु, कृषि और मशरूम की खेती को छोड़कर सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं जिनका मासिक बिजली बिल रु. 20000 से अधिक है, उनका विभिन्न प्लेटफार्मों के माध्यम से डिजिटल रूप से भुगतान करने का प्रावधान किया गया है। डिजिटल मोड पेमेंट ट्रांसफर में आ रही कठिनाईयों और रेप्रेजेंटेशनों को ध्यान में रखते हुए आयोग ने डिजिटल रूप से भुगतान हेतु 31.03.2022 तक का समय विस्तार दिया है और अगले वित्त वर्ष 01.04.2022 से इसे लागू करने का निर्णय लिया है। यह उम्मीद की जाती है कि उस समय तक उपभोक्ता भारत सरकार द्वारा प्रचारित किये गए भुगतान के डिजिटल तरीकों से अच्छी तरह वाकिफ हो जाएंगे। इस संबंध में डीईआरसी द्वारा जारी दिनांक 21.12.2021 के पत्र की प्रति संलग्न है। (संलग्नक 'क')

संलग्नक-क
ANNEXURE-III

Delhi Electricity Regulatory Commission

F.3(611)/Tariff-Engg./DERC/2019-20/6751(Part)/1573

Date: 21/12/2021

To

The Chief Executive Officer,
M/s BSES Rajdhani Power Ltd.,
BSES Bhawan, Nehru Place,
New Delhi - 110019

The Chief Executive Officer,
M/s BSES Yamuna Power Ltd.,
Shakti Kiran Building, Karkardooma,
New Delhi - 110092

The Chief Executive Officer,
Tata Power Delhi Distribution Ltd.,
33 KV Grid Sub-station,
Hudson Lane, Kings way Camp,
Delhi- 110 009

The Chairperson,
New Delhi Municipal Council,
Palika Kendra, Sansad Marg,
New Delhi-110001

Sub: Time Extension for Implementation of mandatory payment of monthly Electricity Bill exceeding Rs. 20,000/- Digitally.

- Ref. a) DERC letter no. F.17 (296)/Engg./DERC/2021-22/72 16/ 1 170 dnted 21/10/2021
b) Udyog Nagar Factory Owner's Association letter dated 14/12/2021
c) Narela Industrial Complex Welfare Association letter dated 9/12/2021
d) East Delhi Manufacturers Association letter dated 1/12/2021
e) All India Plastic Industries Association letter dated 29/11/2021

Sir,

With reference to representations filed by various stakeholders facing difficulties in making mandatory payment of monthly Electricity Bill exceeding Rs 20,000/- through digital mode, the Commission has judiciously considered the requests of stakeholders and decided to Implement the subject mandate from next financial year i.e. starting from 1/04/2022.

- 2) This issues with approval of the Commission.

Yours Faithfully,
Joint Director (TE)

Copy to:

- a) General Secretary, All India Plastic Industries Association, 203, Hansa Tower, 25, Central Market, Ashok Vihar, Phase-I, Delhi-110052
- b) President, Narela Industrial Complex Welfare Association, F-1999, DSIIDC Industrial Complex, Narela, Delhi - 110 040
- c) President, Udyog Nagar Factory Owner's Association, Z-101, (Opp. H-18), Udyog Nagar, Rohtak Road, Delhi-110041
- d) Chairman, East Delhi Manufacturers Association, B-17, Jhilmill Industrial Area, Behind Jhilmil Metro Station, Delhi -110095

विनियामक भवन, सी-ब्लॉक, शिवालिक, मालवीय नगर, नई दिल्ली-110017

Viniyamak Bhawan, C-Block, Shivalik, Malviya Nagar, New Delhi-110017

Status A

PWD	HPdmdm	Mar-40
TMDC	Rotern	Mar-52
	Fortin	Jul-41
SOVNL	Naptha Jhakn	May 46
Sasan	Sasan UMPP	Mar-40
	NAPP	Apr-20
NPCH	RAPP 5 & 6	Apr-20
	PTC	TAA
	Tulicorin	Oct-43
PWD	Thaygraj Solar	Mar-35
DVC	Mejia TPS U#6	Sep-33
	CTPS 7#8	Nov-36

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

524

04 जनवरी, 2022

SECI	SECI-ACME	June-40
	SECI Attanar	Mar-46
DMSW	DMSW	Feb-37

Status-B) PPAs for existing Long term plants which are non-operational

S. No.	Generating Company	Generating Station	Validity of PPA
1	IPGCL	Rajghat Power House Indraprastha Power Station	May 2015 Decommissioned
2	NTPC	Badarpur Thermal Power Station	Closed due to Pollution concerns

Status-C) PPAs for existing Long term plants which are reallocated

S. No.	Generating Company	Generating Station	Validity of PPA
1	NTPC	Barh-II Koidam Hydro Electric Power Station	Reallocated Reallocated
2	NHPC	Kishenganga	Reallocated
3	Mejaurja Nigam Pvt. Ltd.	Meja Thermal Power Station Stage-1	Reallocated

Notes

- Validity of PPAs for IPGCL/PPCL Plants is determined us per DERC/CERC regulations considering me useful fife of 25 years from COD of last unit.
- Validity of PPAs for Hydro Plants except Tata Power are determined as par CERC regulations considering the useful life of 10 years from COD of last unit.
- Beirasuil PPA has expired on 31.03.2017 Hon'ble CERC has extended the useful life of Bairaid post R&M to 25 years wef 01st April-2021 Hon'ble DERC has given its in principal approval for same till end of useful life. Thereafter

within the due date specified on the bill, a Late Payment Surcharge (LPSC) @ 18% per annum shall be levied. The LPSC shall be charged for the number of days of delay in receiving payment from (he consumer by the Distribution Licensee, until the payment is made in full without prejudice to the right of the licensee to disconnect the supply after due date, In the event of nonpayment In accordance with Section 56 of Electricity Act, 2003 This will also apply to temporary connections and enforcement cases, where payment of final bill amount after adjustment of amount as per directions of the Court and deposit, is not made by due date.

16. No payment shall be accepted by the Distribution Licensees from its consumers at its own collection centres/mobile vans in cash towards electricity bill exceeding Rs. 4,000/- except from blind consumers, for court settlement cases & payment deposited by the consumers at designated scheduled commercial bank branches upto Rs. 50,000/-. Violation of this provision shall attract penalty to the level of 10% of total cash collection exceeding the limit.
17. The payment of monthly electricity bills of all categories of consumers except Domestic, Agriculture & Mushroom Cultivation exceeding Rs. 20,000/- shall be paid Digitally through various platforms like NEFT, RTGS, IMPS, Credit Card, Debit Card, Wallets (like Pay TM, Google Pay) etc.
18. Wherever the Fixed or Energy Charges are specified in Rs. per kVAh, for the purpose of billing, the kVAh as read from the meter in the relevant billing cycle shall be used.

OTHER TERMS AND CONDITIONS

1. DOMESTIC CATEGORY

- 1.1 Domestic Lighting, Fan and Power (Single Point Delivery and Separate Delivery Points/Meters)

Available to following:

- a. Residential Consumers.
- b. Hostels of recognized/aided institutions which are being funded more than 90% by

TARIFF SCHEDULE FOR FY 2021-22

Sr. No.	CATEGORY	FIXED CHARGES	ENERGY CHARGES			
1.	DOMESTIC					
1.1	INDIVIDUAL CONNECTIONS					
A	Upto 2 kW	20 Rs./kW/month	0-200 Units	201-400 Units	401-800 Units	>1200 Units
			Rs./kWh	Rs./kWh	Rs./kWh	Rs./kWh
B	>2kW and ≤ 5 kW	50 Rs./kW/month				
C	>5kW and ≤ 15 kW	100 Rs./kW/month				
D	>15kW and ≤ 25kW	200 Rs./kW/month				
E	> 25kW	250 Rs./kW/month				
1.2	Single Point Delivery Supply for GHS	150 Rs./kW/month			4.50 Rs./kWh	
2	NON-DOMESTIC					
2.1	Upto 3kVA	250 Rs./kVA/month			6.00 Rs./kVAh	
2.2	Above 3kVA	250Rs./kVA/month			8.50 Rs./kVAh	
3	INDUSTRIAL	250Rs./kVA/month			7.75 Rs./kVAh	
4	AGRICULTURE	125 Rs./kW/month			1.50 Rs./kwh	

5	MUSHROOM CULTIVATION	200 Rs./kW/month	3.50 Rs./kWh
6	PUBLIC UTILITIES	250 Rs./kVA/month	6.25 Rs./kVAh
7	DELHI INTERNATIONAL AIRPORT LTD. (DIAL)	250 Rs./kVA/month	7.75 Rs./kVAh
8	ADVERTISEMENT & HOARDINGS	250 Rs./kVA/month	8.50Rs./kVAh
9	TEMPORARY SUPPLY		
9.1	Domestic Connections including Group Housing Societies		Some as that of relevant category without any temporary surcharge
9.2	For threshers during the threshing season	Electricity Tax of MCD Rs. 270 per connection per month	Flat rate of Rs. 5,100 per month
9.3	All other connections including construction projects	Same rate as that of the relevant category	1.30 times of the relevant category of tariff
10.	CHARGING STATIONS FOR E-RICKSHAW/E-VEHICLE ON SINGLE POINT DELIVERY/ SWAPPING OF BATTERIES BATTFHIPS		
10.1	Supply at LT		4.50 Rs./kWh
10.2	Supply at MT		4.00 Rs./kVAh

149. श्री गुलाब सिंह: क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कृषि के लिए कुल कितने बिजली के कनेक्शन हैं; और

(ख) दिल्ली में कृषि के सभी कनेक्शन से सभी बिजली कंपनियों को कुल कितना पैसा मिलता है विधान सभावार विवरण दें?

ऊर्जा मंत्री: (क) बिजली वितरण कंपनियों ने सूचित किया है कि दिल्ली में कृषि के लिए बिजली कनेक्शनों की संख्या इस प्रकार है:

बीआरपीएल	5953
बीवाईपीएल	41
टीपीडीडीएल	4648

(ख) बिजली वितरण कम्पनियों द्वारा सूचित किए गये दिल्ली में कृषि के कनेक्शनों से प्राप्त पैसों का विवरण संलग्न है। (संलग्नक क)

संलग्नक 'क'

Agriculture Collection

Division	Revenue (in Lacs) 2020-21	Revenue (in Lacs) 2021-22
Khanpur	1	1
New Friend Colony	1.4	1
Nizammudin	0.5	0
Sarita Vihar	4.8	3
Saket	166.7	116
Vasant Kunj	157.4	114
Jaffarpur	280.3	160

Division	Revenue (in Lacs) 2020-21	Revenue (in Lacs) 2021-22
Mundka	20.3	10
Nangloi	11.4	8
Najafgarh	359.6	233
Dwarka	0.6	0
Mohan Gardan	0.2	0
Vikas Puri	1.1	1
North East GT Road	1.03	0.35
North East Karawalnagar	2.99	1.33
North East Nand Nagri	3.5	1.08
North East Yamuna Vihar	1.52	0.52
South East Krishna Nagar	0.49	0.43
South East Mayur Vihar Ph 1 & 2	0.56	0.27
Badli	24.90	113.28
Bawana	347.75	202.36
Kirari	12.37	8.12
Narela	718.63	423.37
Shalimar Bagh	170.23	16.90

150. श्री अखिलेश पति त्रिपाठी: क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक विभाग के पास कितने बिजली कनेक्शन के आवेदन लंबित हैं, कारण सहित वरीयता क्रम से पूर्ण विवरण दें;

(ख) मॉडल टाउन विधान सभा क्षेत्र में बिजली विभाग के कुल कितने कनेक्शन हैं, पूर्ण विवरण दें;

(ग) सरकार द्वारा मॉडल टाउन में ट्रांसफार्मर लगाने के लिए अधिग्रहित की गई जमीनों की सूची उपलब्ध कराएं;

(घ) क्या ट्रांसफार्मर लगाने से पहले भूमि स्वामित्व वाले विभाग से एन ओ सी लेने हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का पूर्ण विवरण दें;

(ङ) क्या यह सत्य है कि किसी औद्योगिक क्षेत्र में बिजली का कनेक्शन लेने के लिए आवेदक का लाइसेंस होना अनिवार्य है; और

(च) यदि हाँ, तो वो कम से लागू किया गया?

ऊर्जा मंत्री: (क) बिजली वितरण कंपनियों द्वारा सूचित किए गए लंबित बिजली कनेक्शनों का पूर्ण विवरण संलग्न है। (संलग्नक क)

(ख) बिजली वितरण कम्पनी टीपीडीडीएल ने सूचित किया है कि माडल टाउन विधानसभा क्षेत्र में एक्टिव कनेक्शनों की संख्या 141560 है।

(ग) सरकार द्वारा मॉडल टाउन में ट्रांसफार्मर लगाने के लिए कोई जमीन अधिग्रहित नहीं की गई है।

(घ) डीईआरसी ने सूचित किया है कि ग्रिड सबस्टेशन, ट्रांसफार्मर, स्विच गियर, मीटर, उपकरण आदि के निर्माण और स्थापना के लिए स्थान डीईआरसी (आपूर्ति कोड तथा निष्पादन मानक) विनियम, 2017 के विनियम 22 के अनुसार किए जाते हैं। प्रतिलिपि संलग्न है (संलग्नक ख)

इसके अलावा, डीईआरसी आदेश दिनांक 31.08.2017 का खंड 6(2) यह निर्धारित करता है कि ऐसे मामलों में जहां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

द्वारा स्थान उपलब्ध कराया जाना है, वितरण लाइसेंसधारी उर्जा विभाग से संपर्क करेगा।

(ड) डीईआरसी ने सूचित किया है कि औद्योगिक कनेक्शन रखने के लिए, निम्नलिखित में से कोई भी दस्तावेज आवश्यक है:

- (1) वैध औद्योगिक लाइसेंस; या
- (2) फैक्टरी लाइसेंस; या
- (3) घरेलु लाइसेंस; या
- (4) ग्रामीण गांव के मामले में लाल डोरा प्रमाणपत्र; या
- (5) उद्योग चलाने के लिए आवेदक को अधिकृत करने वाला कोई अन्य दस्तावेज

(च) डीईआरसी ने सूचित किया है कि वैध औद्योगिक लाइसेंस का प्रावधान दिल्ली विद्युत आपूर्ति संहिता और निष्पादन मानक विनियम, 2007 में भी उपलब्ध था, जो 18.04.2007 से लागू था।

आयोग ने वित्त वर्ष 2004-05 के अपने टैरिफ आदेश में निम्नानुसार कहा है:

कनेक्शन प्राप्त करने के लिए दिल्ली के गैर-अनुरूप क्षेत्रों में संचालित औद्योगिक इकाइयों द्वारा एमसीडी लाइसेंस प्राप्त करने के मुद्दे के संबंध में आयोग ने अपने पिछले टैरिफ आदेश दिनांक 26.06.2003 में मौजूदा कनेक्शन के लिए एमसीडी लाइसेंस से जुड़े दुरुपयोग की शर्त को हटा दिया है। हालांकि, नए कनेक्शन के लिए एमसीडी लाइसेंस माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप लागू है।

BRPL New Connection Under Process Cases			संलग्नक 'क'
Division	New Connections under process as per timelines	New Connection request requiring further information from Customer	Grand Total
ALAKNANDA	190	0	190
KHAN PUR	886	0	886
NEW FRIENDS COLONY	287	0	287
NEHRU PLACE	134	0	134
NIZAMMUDIN	261	5	266
SARITA VIHAR	174	0	174
HAUZ KHAS	81	0	81
R.K.PURAM	116	23	139
SAKET	1504	251	1755
VASANT KUNJ	347	9	356
JAFFARPUR	123	0	123
MUNDKA	210	1	211
NANGLOI	430	0	430
NAJAFGARH	479	0	479
PUNJABI BAGH	90	0	90
DWARKA	271	0	271
JANAKPURI	180	0	180
MOHAN GARDEN	316	0	316
PALAM	403	0	403
TAGORE GARDEN	81	0	81
UTTAM NAGAR	133	0	133
VIKAS PURI	196	0	196
GRAND TOTAL	6892	289	7181

Out of the 7181 pending cases, 6892 cases are under process as per timelines and 289 cases are being pursued with consumers for completion of documentation.

Thanking You

Yours Sincerely,

Chander Mohan Sharma
Head (O&M)

BYPL

150 'क'

New Connection Under Process

Division	0.2 Days	3-4 Days	5-7 Days	8-14 Days	14 Days	Grand Total
Chandni Chowk	56	0	0	0	0	56
Darya Ganj	63	35	1	0	1	100
Pahar Ganj	125	34	3	7	0	169
Patel Nagar	43	21	0	0	0	64
Shanker Road	16	9	0	0	0	25
G.T. Road	34	16	0	1	12	63
Karawal Nagar	168	3	0	0	0	171
Nand Nagri	72	59	9	2	2	144
Yamuna Vihar	434	228	224	11	17	914
Karkar Dooma	34	12	0	0	0	46
Krishna Nagar	45	53	30	2	0	130
Laxmi Nagar	105	15	0	0	0	120
Mayur Vihar	0	58	0	0	0	58
Vasundhara	50	16	0	1	0	67
BYPL Total	1245	559	267	24	32	2127

Out of the 2127 pending cases, 2071 cases are under process as per prescribed timeline and 56 cases are being pursued with consumer to complete documentation formalities

We are tracking & monitoring the new connection applications days wise as well as division wise.

TPDDL			150 'क'
Division	New Connections under process as per timelines	New Connections requiring further information from customer	Grand Total
BADLI	48	1	49
BAWANA	10		10
CIVIL LINES	11	2	13
KESHAVPURAM	14	1	15
KIRARI	56		56
MANGOLPURI	7		7
MODEL TOWN	20	1	21
MOTI NAGAR	2		2
NARELA	98	2	100
PITAMPURA	4		4
ROHINI	20		20
SHALIMAR BAGH	30	2	32
Grand Total	320	9	329

के बाद उपभोक्ता को अर्जित ब्याज सहित प्रतिभूति जमा की शेष राशि डिमांड ड्राफ्ट या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेस सिस्टम के माध्यम से वापस कर देगा:

और बशर्ते कि, उपभोक्ता प्रतिभूति जमा से बकाया के निपटारे का विकल्प चुन सकता है:

और बशर्ते कि बैंक गारंटी के मामले में, अंतिम बिल के भुगतान के 7 (सात) दिनों के भीतर उपभोक्ता को बैंक गारंटी वापस कर दी जाएगी।

21. सेवा लाइन सह विकास (एसएलडी)

- (1) ऐसे मामलों में जहां किसी भी क्षेत्र को विकसित करने के लिए डेवलपर द्वारा प्रायोजित किया जाता है, विकासकर्ता द्वारा आयोग के आदेशों में लागू अनुसार निर्दिष्ट ईएचटी प्रणाली, एचटी सिस्टम, एलटी सिस्टम, सिविल वर्क, सर्विस लाइन, स्ट्रीट लाइट, सड़क बहाली प्रभार, और पर्यवेक्षण शुल्क की लागत के भुगतान पर लाइसेंसधारी द्वारा आपूर्ति के बिंदु तक विद्युतीकरण किया जाएगा; और बशर्ते कि उपकरण के स्थानांतरण के मामले में इस तरह के काम के लिए पूरी लागत का भुगतान विकासकर्ता करेगा; और बशर्ते कि लाइसेंसधारी, दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ निर्धारण के नियमों और शर्तों) विनियम, 2017 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार, विकासकर्ता से प्राप्त की गई राशि और वास्तव में खर्च की गई लागत और अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, से प्राप्त राशि को समायोजित करेगा।
- (2) अगर क्षेत्र को विद्युतीकरण हो चुका है या लाइसेंसधारी द्वारा विद्युतीकरण किया जाने वाला है, तो उपविनियमन (1) के तहत एक डेवलपर द्वारा विकसित क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर, आवेदक द्वारा आपूर्ति के बिंदु तक ईएचटी सिस्टम, एचटी सिस्टम एलटी सिस्टम, सिविल वर्क, सर्विस लाइन, सड़क बहाल प्रभार, और आयोग के आदेशों में निर्दिष्ट रूप में निरीक्षण शुल्क इत्यादि के लिए लागू लागत के भुगतान पर नया कनेक्शन जारी किया जाएगा; और बशर्ते कि, लोड में कमी के मामले में सेवा ला और विकास प्रभारों पर शुल्क नहीं लिया जाएगा और न ही वापस किया जाएगा; और बशर्ते कि, यदि लोड की वृद्धि के मामले में सेवा लाइ वास्तव में बदली गई है, तो जैसा भी मामला हो, विद्युतीकृत क्षेत्रों या गैर विद्युतीकरण क्षेत्रों के लिए मौजूदा दरों के आधार पर सेवा लाइन और विकास प्रभार का अंतर उपभोक्ता द्वारा देय होगा; (स्पष्टीकरण: उपभोक्ता द्वारा जमा किए गए सेवा लाइन और विकास प्रभार के सेवा लाइन और विकास प्रभारों की वास्तविक दरों के अनुरूप वृद्धि के बाद कुल भार के आधार पर गणना किया गया अंतर सेवा लाइन और विकास प्रभारों का अंतर होगा।)

यह भी कि समझौते की समप्ति के मामले में सेवा लाइ सह विकास शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।

- (3) सडक काटने की अनुमति और अन्य आवश्यक मंजूरी आवेदक की ओर से लाइसेंसधारी द्वारा प्राप्त क जाएगी। उसकी लागत आवेदक से ली जाएगी और मांग नोट में उसे अलग से दिखाया जाएगा।
- (4) सेवा लान का रखरखाव लाइसेंसधार द्वारा किया जाएगा।

22. ग्रिड सबस्टेशन, ट्रांसफार्मर, सर्विस लाइन, मीटर और अन्य उपकरणों की स्थापना के लिए स्थान:

- (1) लाइसेंसधारी से विद्युत की आपूर्ति के लिए आवेदन करने वाले विकासकर्ता या आवेदक, एक सुविधाजनक स्थान पर उपभोक्ता और लाइसेंसधार के बीच पारस्परिक रूप से सहमति से आयोग के आदेशों में अधिसूचित अपेक्षित आयामों के अनुसार ग्रिड सबस्टेशन, ट्रांसफार्मर, स्विच गियर, मीटर, उपकरण, इत्यादि का निर्माण और स्थापना के लिए स्थान, निशुल्क उपलब्ध कराएंगे;
यदि क्षेत्र में कोई विशिष्ट विकासकर्ता नहीं है और विद्यमान वितरण प्रणाली के संवर्धन में लोड की मांग को पूरा करने के लिए ग्रिड सबस्टेशन, ट्रांसफार्मर, स्विच गियर्स आदि की स्थापना की आवश्यकता है, तो वितरण लाइसेंसधारी ऐसे क्षेत्रों में उपलब्ध संभावित स्थान का संकेत करते हुए, इस तरह की आवश्यकता के पंद्रह दिनों के भीतर, स्थान के आवंटन के लिए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से संपर्क करेगा;
- (2) एचटी या ईएचटी नेटवर्क को छोड़कर, लाइसेंसधारी को उपभोक्ताओं के लिए विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति के लिए, उनकी सहमति के बिना उपभोक्ता के परिसर में उप-स्टेशन का उपयोग करने का कोई अधिकार नहीं होगा;
और बशर्ते कि अन्य उपभोक्ताओं को विद्युत उपलब्ध कराने के लिए ऐसे संपत्तियों का उपयोग किसी भी तरह से उन उपभोक्ताओं की आपूर्ति को प्रभावित नहीं करेगा, जिनके लिए ऐसी संपत्ति मूल रूप से स्थापित क गई थी।

23. लाइसेंसधारी के मीटर और अन्य उपकरणों के लिए सुरक्षित स्थान:

- (1) अपने परिस में स्थापित मीटर को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी उपभोक्ता की होगी।

151. श्री महेन्द्र गोयल: क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि टीपीडीडीएल द्वारा मकानों से 2 फुट दूरी से जा रही तारों की वजह से नये बिजली के कनेक्शन नहीं दिये जा रहे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो वर्तमान समय में रिठाला विधानसभा क्षेत्र के कितने आवेदन विचाराधीन हैं;

(ग) विभाग ने पिछले 2 वर्षों में ऐसे कितने आवेदकों को कनेक्शन जारी किया; और

(घ) वर्तमान समय में टीपीडीडीएल की इस विषय पर क्या योजना है?

ऊर्जा मंत्री: (क) बिजली वितरण कंपनी टीपीडीडीएल ने सूचित किया है कि बिजली के कनेक्शन डीईआरसी (आपूर्ति संहिता और प्रदर्शन मानक) विनियम, 2017 के विनियम 10 और 11 के प्रावधानों के अनुसार जारी किये जाते हैं। निरीक्षण करने पर यदि डीईआरसी (आपूर्ति संहिता और प्रदर्शन मानक) विनियम, 2017 के विनियम 11(2)(iv) में निर्विष्ट शर्तों का उल्लंघन पाया जाता है तो बिजली वितरण कंपनी लोड को मंजूरी नहीं देती है। प्रतिलिपि संलग्न है (संलग्नक क)

भवन और विद्युत नेटवर्क के बीच न्यूनतम दूरी केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2010 द्वारा समय-समय पर संशोधित नियम 60 और 61 में निर्दिष्ट की गई है। प्रतिलिपि संलग्न है (संलग्नक ख)

(ख) बिजली वितरण कंपनी टीपीडीडीएल ने सूचित किया है कि वर्तमान समय में रिठाला विधानसभा क्षेत्र का कोई भी आवेदन विचाराधीन (Pending)

नहीं है, यद्यपि डीईआरसी की उपरोक्त गार्डलाईनों के अनुसार 1149 केस सस्पेंड/रिजेक्ट किए गए हैं।

(ग) टीपीडीडीएल ने सूचित किया है केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2010 के विरुद्ध कोई कनेक्शन जारी नहीं किया गया है।

(घ) टीपीडीडीएल ने सूचित किया है बिजली वितरण कम्पनी केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2010 के नियमों को मानने के लिए बाध्य है और नियम के विरुद्ध कोई कनेक्शन जारी करने की कोई योजना नहीं है।

संलग्नक 'क'

भारत का राजपत्र : असाधारण

(5) मौजूदा संपत्ति का पुनर्निर्माण:

परिसर या इमारत के पूर्ण विध्वंस और पुनर्निर्माण के मामले में निम्नलिखित लागू होंगे:

(i) मौजूदा कनेक्शन से विद्युत की आपूर्ति के उपयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी और इसका परिसर के मालिक/अधिभोगी/विकासकर्ता द्वारा अनिवार्य रूप से समर्पण किया जाना होगा।

(ii) मीटर और सर्विस लाइन को निकाल दिया जाएगा और समझौता केवल लाइसेंसधारी को देय सभी देय राशि को प्राप्त करने के बाद समाप्त होता और उसके बाद उपभोक्ता की सुरक्षा जमा राशि विधिवत नियमों के अनुसार लाइसेंसधारी द्वारा वापस की जाएगी।

(iii) परिसर के मालिक अधिभोगी, विकासकर्ता, जैसा मामला हो, अस्थायी कनेक्शन के लिए आवेदन करेगा और लाइसेंसधारी ऐसा अस्थायी कनेक्शन विनियमन 16 के अधीन प्रदान करेगा।

बशर्ते ऐसे सभी मामलों में अस्थायी कनेक्शन इस तरह के परिसर के लिए बकाया राशि, यदि कोई हो, का पूरी तरह से भुगतान किए जाने के बाद प्रदान किया जाएगा।

(iv) ऐसे पुनर्निर्मित परिसर या भवन को नए परिसर के रूप में माना जाएगा और उपभोक्ता को इन विनियमों के अनुसार नए कनेक्शन के लिए सिरे से आवेदन करना होगा।

(v) इस तरह के पुनर्निर्मित परिसर के लिए कोई नया कनेक्शन आवेदक द्वारा परिसर के प्रति बकाया देय राशि के विधिवत भुगतान किए जाने के बाद ही दिया जाएगा।

बशर्ते यह कि इस तरह के पुनर्निर्मित भवन का कोई मालिकों द्वारा अधिभोग किया जाता है तो पुनर्निर्मित भवन में ऐसे कई मालिकों के लिए नए कनेक्शन (कनेक्शनों) को इस रूप में माना जाएगा जैसे कि संपत्ति को विनियमन 10(4) के रूप में उप-विभाजित किया गया है।

(6) मौजूदा संपत्ति का नवीनीकरण:

विनियमन 10(5) के अधीन घरेलू उपभोक्ता द्वारा अपने इस्तोमल के लिए उपभोग की जा रही मौजूदा संपत्ति का नवीकरण निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने की शर्त के अध्वधीन घरेलू श्रेणी के अंतर्गत माना जाएगा:

(i) उपभोक्ता लाइसेंसधारी को अग्रिम नोटिस देगा,

(ii) उपभोक्ता द्वारा इस आशय का एक वचन-पत्र दिया जाएगा कि परिवर्तन/परिवर्धन मौजूदा बिल्डिंग उप-नियमों के अनुसार है।

11. नया विद्युत कनेक्शन:

लाइसेंसधारी इन विनियमों में निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर, नए कनेक्शन के लिए आवेदन को संसाधित करेगा। लाइसेंसधारी इन विनियमों में निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर, नए कनेक्शन के लिए आवेदन को संसाधित करेगा

(1) सभी दस्तावेजों के साथ आवेदन जमा करना:

(i) आवेदक आयोग के आदेशों में अधिसूचित रूप में नए कनेक्शन के लिए लाइसेंसधारी के पास आवेदन करेगा।

बशर्ते यह कि अतिरिक्त उच्च तनाव या उच्च तनाव वोल्टेज स्तर पर कनेक्शन के लिए आवेदन करने वाले आवेदक पर आयोग के आदेशों में अधिसूचित एक अप्रतिदेय पंजीकरण-सह-प्रसंस्करण शुल्क लगाया जाएगा।

(ii) आवेदक लाइसेंसधारी की वेबसाइट पर ऑनलाइन नए कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकता है।

बशर्ते यह कि 50 केवीए और उससे अधिक के लिए नए कनेक्शन के लिए आवेदन, जब तक कि ऐसा कोई अन्य निम्नतर मान नहीं हो जैसा समय-समय पर आयोग द्वारा अधिसूचित किया जाए, केवल ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा।

(iii) यदि आवेदक अनुमोदित विनिर्देशों का अपने खुद का मीटर प्रदान करना चाहता है, तो वह आवेदन करने के समय स्पष्ट रूप से लाइसेंसधारी को सूचित करेगा।

(iv) लाइसेंसधारी आवेदक को आवेदन पत्र में सभी कमियों को केवल एक बार में बताएगा और बाद में कोई नई कमी नहीं उठाएगा।

(v) यदि लाइसेंसधारी आवेदक को मौके पर उसके आवेदन में किसी भी कमी के बारे में या ऑनलाइन आवेदन के मामले में निर्धारित 2 (दो) दिनों के भीतर, जैसा भी मामला हो, सूचित करने के विफल रहता है तो यह आवेदन लाइसेंसधारी द्वारा आवेदन प्राप्त होने की तारीख पर स्वीकार किया गया समझा जाएगा।

(vi) यदि आवेदक इस तरह की त्रुटियों को हटाने में विफल रहता है कमियों की सूचना मिलने की तारीख से 30 (तीस) दिनों के भीतर कमियां हटाने के बारे में लाइसेंसधारी को सूचित करने में विफल रहता है, तो आवेदन रद्द हो जाएगा और आवेदक को नए सिरे से आवेदन करना होगा।

(vii) इस विनियम के तहत सूचित कमियों को दूर करने पर ही आवेदन स्वीकार किया गया माना जाएगा।

(2) क्षेत्र निरीक्षण

(i) यदि आवेदन प्रपत्र पूरा हो गया है, तो लाइसेंसधारी आवेदन प्रपत्र प्राप्त होने के समय, लिखित पावती प्रदान करते हुए आवेदक के साथ आपसी परामर्श से आवेदक के परिसर के निरीक्षण के लिए एक तारीख और समय निर्धारित करेगा।

(ii) निरीक्षण की तिथि आवेदन स्वीकार करने की तिथि से 2 (दो) दिनों के भीतर निर्धारित की जाएगी।

बशर्ते यह कि अगर आवेदक क्षेत्र निरीक्षण के लिए एक अलग तिथि और समय चाहता है, जो निर्धारित तिथि और समय से परे है, तो आवेदक द्वारा लिया गया अतिरिक्त समय न तो कनेक्शन जारी करने के लिए गए कुल समय की गणना के लिए और न ही क्षतिपूर्ति के प्रयोजनार्थ विचार हेतु लिया जाएगा।

बशर्ते यह कि यदि आवेदक चाहता है तो यह आयोग के आदेशों में यथा अधिसूचित निरीक्षण शुल्क के भुगतान पर, लाइसेंसधारी के लिए किसी छुट्टी के दिन निरीक्षण निध रित करवा सकता है।

(iii) लाइसेंसधारी नियत तारीख और समय पर आवेदक या उसके प्रतिनिधि की उपस्थिति में परिसर के क्षेत्र निरीक्षण करेगा।

(iv) लाइसेंसधारी को, अगर निरीक्षण पर निम्नलिखित का पता चलता है तो यह लोड की स्वीकृति नहीं देगा।

(क) आवेदन में प्रस्तुत की गई जानकारी वास्तविक स्थिति से भिन्न है, या

(ख) स्थापना दोषपूर्ण है या

(ग) यदि ऊर्जाकरण किसी भी आयोग या प्राधिकरण द्वारा उनके किसी भी विनियमन या आदेश के तहत यथा निर्दिष्ट या निर्धारित अधिनियम, विद्युत नियमों, विनियमों के उपबंध या किसी अन्य अपेक्षा के उल्लंघन में हों।

(v) लाइसेंसधारी क्षेत्र के निरीक्षण के दौरान पाए गए दोषों/कमियों, यदि कोई हो, के बारे में आवेदक की मौके पर लिखित सूचना देगा।

(vi) आवेदक यह सुनिश्चित करेगा कि दोष/कमियों की सूचना प्राप्त होने से 30 (तीस) दिनों के भीतर सभी दोष/कमियों को दूर कर लिया जाए।

(vii) आवेदक से दोष/कमियों को दूर करने के बारे में जानकारी प्राप्त होने पर, लाइसेंसधारी आवेदक के परिसर के पुनर्निरीक्षण के लिए आवेदक को तिथि के बारे में सूचित करेगा, जो आवेदक से दोष/कमियों को दूर कर लिए जाने के बारे में सूचना प्राप्त होने के 2 (दो) दिनों से अधिक बाद की नहीं होगी।

(viii) यदि आवेदक ऐसे दोष/कमियों को दूर करने में विफल रहता है या दोष/कमियों की सूचना मिलने की तारीख से 30 दिनों के भीतर दोषों को हटाने के बारे में लाइसेंसधारी को सूचित करने में विफल रहता है, तो आवेदन रद्द हो जाएगा और आवेदक को नए सिरे से आवेदन करना होगा।

बशर्ते यह कि लाइसेंसधारी कार्य के पूरा होने के लिए आवेदक की अतिरिक्त समय दे सकता है, यदि आवेदक दोषों/कमियों की सूचना मिलने की तारीख से 30 (तीस) दिन के अंदर ही लिखित अनुरोध प्रस्तुत करता है।

(ix) यदि लाइसेंसधारी आवेदन की स्वीकृति की तिथि या स्थल संबंधी दोषों कमियों को

हटाने की सूचना मिलने की तारीख से 2 (दो) दिनों के भीतर क्षेत्र निरीक्षण/पुनः निरीक्षण करने में विफल रहता है, तो कनेक्शन के लिए आवेदन किया गया लोड आवेदन की स्वीकृति की तारीख से या दोष/कमियों को हटाने की सूचना प्राप्त होने की तिथि से 2(दो) दिन बाद, जैसा भी मामला हो स्वीकृत किया गया माना जाएगा।

(3) लोड स्वीकृति और मांग नोट

(i) इस अधिनियम या इन विनियमों में अन्यथा किए गए उपबंधों के सिवाय, लाइसेंसधारी आवेदक द्वारा अनुरोध किए गए लोड को मंजूरी देगा।

(ii) लाइसेंसधारी क्षेत्र निरीक्षण के 2 (दो) दिनों के भीतर दोषों/कमियों को सुधार लिए जाने की शर्त के अधीन लागू शुल्क के लिए आवेदक को मांग नोट देगा जिसमें आवेदन जमा करने के समय जमा किए गए पंजीकरण सह प्रोसेसिंग शुल्क, यदि कोई हो, के लिए समायोजन करने के बाद, सेवा लाइन सह विकास (एसएलडी) प्रभार, जमानत जमा, पूर्व भुगतान मीटर के लिए जमानत, सड़क पुनर्स्थापना प्रभार रीकनेक्शन प्रभार आदि जैसे शीर्षों के अंतर्गत इसका विवरण दिया जाएगा।

(5) उच्च वोल्ट वाली डायरेक्ट करेंट लाइनों के लिए जमीन से अंतराल नीचे दी गई ऊंचाई से कम नहीं होगा:

क्र.सं.	डीसी वोल्ट (के.वी.)	जमीनी अंतराल (मीटर)
1.	100 के.वी.	6.1
2.	200 के.वी.	7.3
3.	300 के.वी.	8.5
4.	400 के.वी.	9.4
5.	500 के.वी.	10.6
6.	600 के.वी.	11.8
7.	800 के.वी.	13.9

(6) जमीनी अंतराल अनुसूची X के अनुसार होगा।

59. सुचालकों तथा ट्रॉली वायरों के बीच अंतराल (1) ट्रॉली वायर का उपयोग करने वाली ट्रॉली अथवा ट्राम-वे को पार करने वाली ओवरहेड लाइनों के सुचालक ट्रॉली वायर के उपर कम से कम निम्नलिखित ऊंचाई पर रहेंगे-

- (i) 650 वो. तक वोल्ट वाली लाइनें - 1.2 मी.

परन्तु ऐसे मामलों में जहां बीयर वायर से लटकने वाला इंसुलेटेड सुचालक ट्रॉली वायर से ऊपर से गुजर रहा है, ऐसे इंसुलेटेड सुचालक के लिए न्यूनतम अंतराल 0.6 मी. होगा।

- (ii) 650 वो. से अधिक और 11000 वो. तक और - 1.8 मी.
सहित वोल्ट वाली लाइनें

- (iii) 11000 वो. से अधिक किन्तु 33000 वो. तक - 2.5 मी.
वोल्ट वाली लाइनें

- (iv) 33 के.वी. से अधिक वोल्ट वाली लाइनें - 3.0 मी.

- (2) उप-विनियम (1) में विनिर्दिष्ट किसी भी मामले में जो भी व्यक्ति बाद में लाइन बिछाता है, वह अपनी लाइन तथा कथित उप-विनियम के अनुसार क्रॉस होने वाली लाइन के बीच अंतराल रखेगा।

परन्तु नीचे की लाइन बाद में बिछाने वाला यदि पर्याप्त अंतराल रखने में असमर्थ है, तो इस उप-विनियम के अनुपालन में ऊपर की लाइन में बदलाव की लागत वहन करेगा।

60. 650 वो. से अधिक वोल्ट की लाइनों और सर्विस लाइनों की इमारतों से दूरी (1) ओवरहेड लाइन जहां तक संभव हो, किसी मौजूदा भवन के ऊपर से नहीं गुजरेगी और मौजूदा ओवरहेड लाइन के नीचे कोई भी इमारत नहीं बनाई जाएगी।

- (2) ऐसे मामले में जहां 650 वो. से कम वोल्ट की कोई ओवरहेड लाइन किसी इमारत के ऊपर या पास से गुजरती है अथवा समाप्त होती है, किसी भी पहुंच बिन्दु से अधिकतम झोल के आधार पर निम्नलिखित न्यूनतम अंतराल रखा जाएगा, अर्थात्:

- (i) किसी भी सपाट छत, खुली बालकनी, वराण्डा, छत और झुकी छत के लिए

(क) लाइन जब इमारत के ऊपर से गुजर रही हो, उच्चतम बिन्दु से लम्बवत दूरी 2.5 मी.; और

(ख) लाइन जब इमारत के नजदीक से गुजर रही हो, सबसे नजदीक के बिन्दु से समानांतर दूरी 1.2 मी.; और

- (ii) ढलवां छत के लिए

(क) लाइन जब इमारत के ऊपर से गुजर रही हो, लाइन के तत्काल नीचे से 2.5 मी. की लम्बवत दूरी; और

(ख) लाइन जब इमारत के नजदीक से गुजर रही हो, 1.2 मी. का अंतराल।

(3) कोई सुचालक, जो इस प्रकार लगाया है कि उसकी दूरी उपरोक्त निर्धारित दूरी से कम है, पर्याप्त रूप से इंसुलेटेड होगा और कम से कम 350 कि.ग्रा. के भंगुरता बल वाले अर्थ किए गए खुले बीयर वायर से पर्याप्त अंतरालों पर जुड़ा होगा।

(4) समानांतर दूरी तब मापी जाएगी, जब लाइन वायु दाब के कारण लम्बवत से अधिकतम विचलन पर हो।

(5) लम्बवत तथा समानांतर दूरी अनुसूची X में विनिर्दिष्ट दूरी के अनुसार होगी।

स्पष्टीकरण: इस विनियम के प्रयोजनार्थ, 'इमारत' शब्द में कोई भी अवसंरचना चाहे वह स्थाई हो या अस्थायी सम्मिलित है।

61. 650 वो. से अधिक वोल्ट वाली लाइनों की इमारतों से दूरी (1) ओवरहेड लाइन जहां तक संभव हो मौजूदा इमारत के ऊपर से नहीं गुजरेगी और मौजूदा ओवरहेड लाइन के नीचे कोई इमारत नहीं बनाई जाएगी।

(2) ऐसे मामले में जहां 650 वो. से अधिक वोल्ट वाली ओवरहेड लाइन किसी इमारत अथवा इमारत के हिस्से के ऊपर से अथवा नजदीक से गुजरती है, ऐसे लाइन के तत्काल नीचे बनी इमारत के सबसे ऊंचे हिस्से से लाइन के अधिकतम ऑल के आधार पर लम्बवत दूरी निम्नलिखित दूरी से कम नहीं होगी-

(i) 650 वो. से अधिक किन्तु 33,000 वो. - 3.7 मी.
तक और सहित वोल्ट वाली
लाइन के लिए

(ii) 33 के.वी. से अधिक वोल्ट वाली - 3.7 मी. + 0.30
लाइन के लिए मी. प्रत्येक
अतिरिक्त 33,000
वो. या इसके भाग
के लिए

(3) सबसे नजदीकी सुचालक और ऐसी इमारत के बीच की समानांतर दूरी, वायु दबाव के कारण अधिकतम विचलन के आधार निम्नलिखित दूरी से कम नहीं होगी-

(i) 650 वो. से अधिक और 11,000 वो. - 1.2 मी.
तक और सहित वोल्ट वाली लाइन
के लिए

(ii) 11000 वो. से अधिक और 33,000 वो. - 2.0 मी.
तक और सहित वोल्ट वाली लाइन
के लिए

(iii) 33 के.वी. वोल्ट से अधिक वाली
लाइन के लिए - 2.0 मी. + 0.3 मी.
प्रत्येक अतिरिक्त 33 के.वी.
अथवा इसके भाग के लिए

(4) उच्च वोल्ट वाली डायेक्ट करेंट (एचवीडीसी) प्रणाली के लिए, वायु दबाव के कारण अधिकतम विचलन के आधार पर इमारत से लम्बवत दूरी और समानांतर दूरी इस प्रकार रखी जाएगी:

क्र.सं.	डीसी वोल्ट (के.वी.)	लम्बवत दूरी (मीटर)	समानांतर दूरी (मीटर)
1	100 के.वी.	4.6	2.9
2	200 के.वी.	5.8	4.1
3	300 के.वी.	7.0	5.3
4	400 के.वी.	7.9	6.2
5	500 के.वी.	9.1	7.4
6	600 के.वी.	10.3	8.6
7	800 के.वी.	12.4	10.7

(5) लम्बवत तथा समानांतर दूरी अनुसूची X में निर्धारित दूरी के अनुसार होगी।

स्पष्टीकरण-इस विनियम के प्रयोजनार्थ इमारत शब्द में कोई भी अवसंरचना चाहे वह स्थाई हो या अस्थायी, को सम्मिलित माना जाएगा।

62. एक ही अवलम्ब पर भिन्न-भिन्न वोल्ट वाले सुचालक-ऐसे मामले में जहां एक ही प्रणाली के अलग-अलग वोल्ट वाले सुचालक एक ही अवलम्ब पर लगाए गए हैं, इनका स्वामी, कम वोल्ट वाली प्रणाली के काम करने के लिए आवश्यक वोल्ट से अधिक आवेशित होने से उत्पन्न खतरों से लाइनमैन और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त व्यवस्था करेगा, प्रणाली का यह अधिक आवेशन उच्च प्रणाली से लीकेज या संपर्क होने और निर्माण के पैटर्न के कारण

हो सकता है। दो प्रणालियों के सुचालकों के बीच बनाए रखने योग्य न्यूनतम दूरी, एक-दूसरे को क्रॉस करने वाली लाइनों के संबंध में विनियम 69 में विनिर्दिष्ट दूरी के अनुसार होगी।

63. इमारतों, अवसंरचनाओं, फ्लड बैंक (तटबंध) और सड़कों के उठान का निर्माण या इनमें फेरबदल-(1) ओवरहेड लाइनचाहे वह इंसुलेटिंग पदार्थ से आवरित हों या न हों, खड़ी करने के बाद, यदि कोई व्यक्ति नई इमारत, अवसंरचना, फ्लड बैंक बनाना चाहता है या किसी रोड़ की सतह को उठाना चाहता है अथवा किसी अन्य प्रकार का कार्य, चाहे वह स्थाई हो या अस्थायी कराना चाहता है या किसी इमारत, अवसंरचना, फ्लड बैंक अथवा रोड़ में या इनके ऊपर स्थाई अथवा अस्थायी विस्तार या फेरबदल करना चाहता, वह ऐसा करने के अपने इरादे की सूचना, आपूर्तिकर्ता अथवा स्वामी और इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर को देगा और इसके साथ प्रस्तावित इमारत, अवसंरचना, फ्लड बैंक (तटबंध), सड़क अथवा विस्तार या फेरबदल और निर्माण के दौरान अपेक्षित ढांचे का दर्शाने वाला पैमाने सहित नक्शा उपलब्ध कराएगा।

(2) ऐसी सूचना मिलने पर आपूर्तिकर्ता अथवा स्वामी नीचे दी गई जांच करेगा-

- (i) क्या संदर्भित लाइन इन विनियमों और अन्य कानूनों के अनुसार बिछाई गई थी;
- (ii) क्या यह तकनीकी रूप से व्यवहारिक है;
- (iii) क्या यह मार्ग का अधिकार (आरओडब्ल्यू) की आवश्यकता पूरी करता है;
- (iv) क्या यह व्यक्ति ओवरहेड लाइन में फेरबदल की लागत का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होगा, यदि ऐसा है, तो इस व्यक्ति को ओवरहेड लाइन के फेरबदल पर होने वाले संभावित व्यय की लागत के प्राक्कलन के साथ एक नोटिस बिना किसी देरी के भेजे और नोटिस मिलने के 30 दिन के अंदर अनुमानित लागत की राशि आपूर्तिकर्ता अथवा स्वामी के पास जमा करने को कहें।

(3) यदि यह व्यक्ति ओवरहेड लाइन में फेरबदल की आपूर्तिकर्ता अथवा स्वामी द्वारा आंकी गई लागत को और यहां तक कि इस लागत के भुगतान के संबंध में दायित्व को चुनौती देता है, तो विवाद इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर को भेज दिया जाएगा और उसका फैसला अंतिम होगा।

(4) इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर निम्नलिखित के आधार पर ओवरहेड लाइन में फेरबदल की लागत का आंकलन करेगा, अर्थात्।

152. श्री अभय शर्मा: क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनधिकृत निर्माण को हटाने के बाद सड़क के बीचों बीच बिजली के खंभों को सड़क के किनारे स्थानांतरित करने की क्या प्रक्रिया है, विस्तृत जानकारी दें;

(ख) लक्ष्मीनगर विधानसभा क्षेत्र में विकास मार्ग के सौन्दर्यीकरण के अंतर्गत बिजली के खंभों को हटाकर उसे भूमिगत करने की सरकार की क्या योजना है और इस पर कुल कितना खर्च आएगा;

(ग) क्या बिजली के मीटर बदलने का काम कोई निजी एजेंसी करती है, विवरण दें;

(घ) निजी बिजली वितरण कंपनियों द्वारा बिजली उपभोक्ताओं को परेशान करने के लिए एं अवैध वसूली के लिए उन पर बिजली के मीटर टैम्परिंग के आरोपों को लगाने से रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है; और

(ङ) वर्ष 2021 में बिजली विभाग द्वारा लक्ष्मीनगर विधानसभा क्षेत्र में अंडरग्राउंड केबल डालने एवं नये ट्रांसफार्मर बदलने एवं नये स्थानों पर ट्रांसफार्मर लगाने का कार्य कितने स्थानों पर किया गया है व इन कार्यों पर कितना खर्च किया गया है?

ऊर्जा मंत्री: (क) डीईआरसी ने सूचि किया है कि विद्युत लाइनों के स्थानांतरण को डीईआरसी (आपूर्ति कोड तथा निष्पादन मानक) विनियम, 2017 के विनियम 24 के अनुसार निपटाया जाता है। प्रतिलिपि संलग्न है (संलग्नक क)

बिजली वितरण कम्पनी बीवाईपीएल ने सूचित किया है कि पोल की शिफ्टिंग का कार्य अनुरोधकर्ता एजेंसी की ओर से “Deposit work” के रूप में किया जाता है।

(ख) बिजली वितरण कम्पनी बीवाईपीएल ने सूचित किया है कि विकास कार्य के सौन्दर्यकरण का प्रस्ताव ई.टी.सी. के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया है।

(ग) बिजली वितरण कम्पनी बीवाईपीएल ने सूचित किया है कि बीवाईपीएल कर्मचारियों की देखरेख में मीटर बदलने का काम निजी एजेंसी करती हैं। विवरण संलग्न है (संलग्नक ख)

(घ) डीईआरसी ने सूचित किया है कि बिजली की चोरी को बिजली अधिनियम की धारा 13 के अनुसार निपटाया जाता है। प्रतिलिपि संलग्न है (संलग्नक ग)

इसके आलावा आयोग डीईआरसी (आपूर्ति कोड तथा निष्पादन मानक) विनियम, 2017 का अध्याय VII चोरी और अनियमितताओं को प्रक्रियाओं से संबंधित है। प्रतिलिपि संलग्न है (संलग्नक घ)

बिजली वितरण कंपनियों द्वारा सूचित किया गया है कि बिजली के मीटर टैम्परिंग के आरोप डीईआरसी की गाईडलाइन के अनुसार ही लगाए जाते हैं।

(ङ) बिजली वितरण कम्पनी बीवाईपीएल ने सूचित किया है कि वर्ष 2021 में 6.37 करोड़ रुपये लक्ष्मीनगर विधानसभा क्षेत्र के रमेश पार्क, शक्रपुर, ललिता पार्क एवं न्यू बैंक इन्क्लेव आदि के डवलपमेंट के कार्यों के लिए खर्च किए गए हैं।

- (2) इस प्रयोजन के लिए लाइसेंसधारी द्वारा अधिकृत व्यक्ति के अलावा किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी कारण से मीटर को छेड़ा या निकाला नहीं जाएगा।
- (3) किसी भी स्थिति में मीटर पर लगाई गई सील को क्षतिग्रस्त, नष्ट नहीं किया जाएगा या इससे छेड़छाड़ नहीं की जाएगी।
- (4) सेवा लाइन और मीटर को लाइसेंसधारी की संपत्ति माना जाएगा और वे तब तक उसके नियंत्रण में रहेंगे जब तक वे लाइसेंसधारी की वितरण प्रणाली से जुड़े हों।

24. लाइसेंसधारी की विद्युत लाइन या विद्युत संयंत्र को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया:-

- (1) भूमि के मालिक या उसके उत्तराधिकारी, जिसने अपने हित में उक्त जमीन पर, नीचे, समूचे, पार या उस पर मौजूदा विद्युत लाइन या विद्युत संयंत्र के निर्माण के लिए निर्माण का अधिकार दिया है, यह वास्तविक प्रयोजनों के लिए अपनी जमीन के किसी भी हिस्से में विद्युत लाइन या विद्युत संयंत्र को स्थानांतरित करने के लिए आवेदन कर सकता है।
- (2) विद्युत लाइन या विद्युत संयंत्र को बदलने के लिए आवेदन लाइसेंसधारी को सौंपा जाएगा।
- (3) आवेदन प्राप्त होने पर, लाइसेंसधारी साइट का निरीक्षण करेगा और प्रस्तावित स्थानांतरण की तकनीकी व्यवहार्यता का आकलन करेगा।
- (4) विद्युत लाइन या विद्युत संयंत्र को स्थानांतरित करने का अनुरोध केवल तब ही स्वीकार किया जाएगा, जब-
 - (i) प्रस्तावित स्थानांतरण तकनीकी रूप से व्यावहारिक है, और
 - (ii) जमीन के मालिक या उसके उत्तराधिकारी अपने हित में विद्युत लाइन या विद्युत संयंत्र को अपनी जमीन के अन्य हिस्से या उसके द्वारा स्वामित्व वाली किसी अन्य भूमि या किसी अधिकार के किसी अन्य व्यवस्थित विकल्प में विद्युत लाइन और विद्युत संयंत्र को स्थानांतरित करने के लिए लिखित में सहमति देता है, और
 - (iii) भूमि के मालिक या उसके उत्तराधिकारी को यदि आवश्यक हो, तो सड़क काटने या रास्ते के अधिकार के लिए आवश्यक अनुमति/अनुमोदन लेनी होगी।

- (iv) आवेदक इलेक्ट्रिक लाइन या विद्युत संयंत्र को स्थानांतरित करने के लिए लागू होने वाले शुल्क को दे देता है।
- (5) यदि आवेदक द्वारा उप-विनियम (4) में निर्विष्ट शर्तों का अनुपालन किया जाता है तो लाइसेंसधारी विद्युत लाइन या विद्युत संयंत्र को स्थानांतरित करेगा।
- (6) उपभोक्ता के परिसर में मीटर या सेवा लाइन के स्थानांतरण के मामले में, विनियमन 25 में निर्दिष्ट प्रक्रिया लागू होगी।

25. उपभोक्ता के परिसर में मीटर या सेवा लाइन के स्थानांतरण की प्रक्रिया:-

- (1) उपभोक्ता मौजूदा परिसर के भीतर या अपनी संपत्ति के भीतर सर्विस लाइन के विचलन या मीटर को बदलने के लिए लाइसेंसधारी से आवेदन करेगा।
- (2) लाइसेंसधारी साइट निरीक्षण आयोजित करेगा।
- (3) एक ही परिसर में मीटर और सेवा लाइन के स्थानांतरण के शुल्क आयोग के आदेशों में अधिसूचित अनुसार होंगे।
- (4) अगर स्थानांतरण के लिए नई सेवा लाइन की आवश्यकता होती है, तो लाइसेंसधारी सेवा लाइन सह विकास शुल्क लगाने का हकदार होगा।
- (5) व्यय के भुगतान की तिथि से कार्य पूरा करने के लिए निम्नलिखित समय सारिणी को देखा जाएगा-

क्र.सं.	उद्देश्य	समय सारणी
(i)	मीटर का स्थानांतरण	7 (सात) दिन
(ii)	एलटी सर्विस लाइन का स्थानांतरण	30 (तीस) दिन
(iii)	एचटी सर्विस लाइन का स्थानांतरण	45 (पैंतालीस) दिन

और बशर्ते कि एलटी और एचटी लाइनों के स्थानांतरण के लिए उपरोक्त सारणी की गणना समय-समय पर सड़क काटने की अनुमति, यदि कोई हो जैसे कार्यों के लिए वैधानिक मंजूरी/अनुमति प्राप्त करने में लगने वाले समय को हटा कर की जाएगी।

अनुलग्नक-‘ख’

BYPL

Sr.No.	Vendor Name
1	AISHWARYA ENGINEERS ASSOCIATES
2	AMBUJA CONSTRUCTION COMPANY
3	CHEENA & CO.
4	J.K. GUPTA & CO.
5	JMV ELECTRICALS
6	MAGLANI ELECTRICALS
7	MANEET ELECTRIC WORKS
8	MK POWERTECH PRIVATE LIMITED
9	NEW DELHI TRADERS
10	PARAS ELECTROMECH
11	PARIHAR ELECTRIC CO.
12	PEE KAY ELECTRIC WORKS
13	SANJAY POWER PROJECTS PVT. LTD.
14	SHREE VIDYUT ENTERPRISES
15	SIDH VINAYAK ELECTRICALS
16	UNIQUE ELECTRICALS
17	V.K. POWERCON PRIVATE LIMITED
18	VIJAY ELECTRIC CORPORATION
19	SUPER ELECTRICAL
20	SHREEJI ENTERPRISES
21	VKM ENTERPRISES
22	KANSAL TRADERS
23	PAN ELECTRICALS PVT. LTD
24	VIJAY REFRIGERATIONS

Sr.No.	Vendor Name
25	VIKAS ELECTRIC TRADERS
26	THE IMPERIAL ELECTRIC COMPANY
27	K.P TRADERS
28	SARAS POWER PROJECTS CO. PVT LTD
29	SPARK UTILITY SERVICES PVT. LTD.
30	DK ELECTRICALS
31	ARHANT CONSTRUCTION CO.
32	DHARIWAL ENTERPRISES
33	TWIN STAR ENGINEERING PVT LTD
34	ELECON POWER INFRASTRUCTURE PRIVATE
35	MITHILA & MITHILA ENTERPRISES
36	SHRI BALAJI TRADERS AND ELECTRICALS
37	GEETANJALI ELECTRICALS
38	PARADISE POWER PROJECTS
39	DURGA ENGINEERS
40	ALKA ENTERPRISES..
41	DIWAN ELECTRICALS
42	K.K. ELECTRICALS
43	SIWAN INFRATECH
44	SHREE TECH ENTERPRISES
45	TATHASTU TECHNOSYSTEMS
46	DSY SERVICES INDIA PVT LIMITED (
47	A.S. ENTERPRISES
48	SAI DEVA ELECTRICALS
49	COMPETENT VIDYUT TOWERS (P) LTD.
50	TECH MAX ENGINEERS PRIVATE LIMITED

BRPL

Reply for Question No 152(C) -

Name of private agency/agencies contracted for replacement of electricity meters

Sr. No.	Meter Replacement Vendors
1	M/s. Buddham Builders
2	M/s. Shri Gurunanak
3	M/s. Indiacare
4.	M/s. Quess Corp
5	M/s. Sandeep Associates
6	M/s. Sugs Llyod

TPDDL

VENDORS WITH METERING GROUP

1. M/s Empire Enterprises
2. M/s G V Electricals
3. M/s H S Power
4. M/s Imperial
5. M/s Surya Construction Company
6. M/s Shyam Indus Power Solutions.
7. M/s Mithila & Mithila Enterprises
8. M/s Gaurav
- 9.. M/s D&B Projects

अनुलग्नक-‘ग’

135. बिजली की चोरी-¹[(1) जो कोई बेइमानी से,-

(क) यथास्थिति, किसी अनुज्ञप्तिधारी या प्रदायकर्ता की शिरोपरि, भूमिगत या जल के अंदर की लाइनों या केबलों या सर्विस तारों या सर्विस सुविधाओं से कोई टैप करेगा, कलेक्शन करेगा या करवाएगा; या

(ख) मीटर से छेड़छाड़ करेगा, बिगाड़े गए मीटर, धारा प्रत्यावर्ती ट्रांसफार्मर, लूप कनेक्शन या किसी अन्य युक्ति या पद्धति को संस्थापित करेगा या उसका उपयोग करेगा, जिससे विद्युत धारा के ठीक-ठीक या उचित रजिस्ट्रीकरण, अंशांकन या मापने में बाधा पड़ती है या उसका किसी रीति से अन्यथा परिणाम निकलता है, जिससे विद्युत की चोरी होती है या विद्युत बर्बाद होती है; या

(ग) किसी विद्युत मीटर, साधित्र, उपस्कर या तार को नुकसान पहुंचाएगा या उसे नष्ट करेगा अथवा उनमें से किसी को इस प्रकार नुकसान पहुंचाएगा या नाश करवाएगा या होने देगा, जिससे कि विद्युत के उचित या ठीक-ठीक मापने में बाधा पड़ती है; या

(घ) बिगाड़े गए मीटर के माध्यम से विद्युत का उपयोग करेगा; या

(ङ) उन प्रयोजनों से, जिनके लिए विद्युत का उपयोग प्राधिकृत किया गया था, भिन्न किसी अन्य प्रयोजन के लिए विद्युत का उपयोग करेगा,

जिससे कि विद्युत खिंचती है या उसका उपभोग होता है या उपयोग होता है तो वह, कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से, दंडनीय होगा:

परंतु जहां खींचा गया, उपभोग किया गया, उपयोग किया गया विद्युत भार या खींचे जाने, उपभोग किए जाने, उपयोग किए जाने के लिए, किए गए प्रयास से विद्युत भार-

(i) 10 किलोवाट से अधिक नहीं होता है, वहां प्रथम दोषसिद्धि पर अधिरोपित जुर्माना, विद्युत की ऐसी चोरी के कारण वित्तीय अभिलाभ के तीन गुना से कम नहीं होगा और द्वितीय या पश्चात्कर्तृ दोषसिद्धि की दशा में, अधिरोपित जुर्माना, विद्युत की ऐसी चोरी के कारण वित्तीय अभिलाभ के छह गुना से कम नहीं होगा;

(ii) 10 किलोवाट से अधिक नहीं होता है, वहां प्रथम दोषसिद्धि पर अधिरोपित जुर्माना, विद्युत की ऐसी चोरी के कारण वित्तीय अभिलाभ के तीन गुना से कम नहीं होगा और द्वितीय

1. 2007 के अधिनियम सं. 26 की धारा 13 द्वारा प्रतिस्थापित।

या पश्चात्कर्तृ दोषसिद्धि की दशा में, दंडादेश ऐसे, कारावास का, जिसकी अवधि छह मास से कम नहीं हो सकेगी, किन्तु जो पांच वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी और जुर्माने का होगा, जो विद्युत की ऐसी चोरी के कारण वित्तीय लाभ के छह गुना से कम नहीं होगा:

परन्तु यह और कि किसी व्यक्ति की द्वितीय और पश्चात्कर्तृ दोषसिद्धि की दशा में, जहां 10 किलोवाट से अधिक का भार, खींचा, उपभोग या उपयोग किया गया है या खींचने का या उपभोग का या उपभोग का प्रयत्न किया गया है, वहां ऐसा व्यक्ति, ऐसी अवधि के लिए, जो तीन मास से कम नहीं होगी, किन्तु जो दो वर्ष तक की हो सकेगी, विद्युत के किसी प्रदाय को प्राप्त करने से भी विवर्जित किया जाएगा और वह किसी अन्य स्रोत या उत्पादन केंद्र से उस अवधि के लिए विद्युत प्रदाय प्राप्त करने से भी विवर्जित होगा:

परन्तु यह भी कि यदि साबित हो जाता है उपभोक्ता के पास ऐसे कृत्रिम साधन या साधन, यथास्थिति, बोर्ड या अनुज्ञप्तिधारी या प्रदायकर्ता द्वारा प्राधिकृत न किए गए साधन विद्युत के खींचने, उपभोग या उपयोग के लिए विद्यमान हैं तो जब तक प्रतिकूल साबित न हो जाए, यह उपधारणा की जाएगी कि विद्युत का खींचना, उपयोग ऐसे उपभोक्ता द्वारा बेईमानीपूर्वक किया गया है।

(1क) इस अधिनियम के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यथास्थिति, अनुज्ञप्तिधारी या प्रदायकर्ता विद्युत की ऐसी चोरी के पता चलने पर विद्युत के प्रदाय को तुरंत रोक सकेगा:

परन्तु समुचित आयोग द्वारा, इन प्रयोजन के लिए यथा प्राधिकृत, अनुज्ञप्तिधारी या प्रदायकर्ता का केवल ऐसा अधिकारी या इस प्रकार प्राधिकृत पंक्ति से उच्चतर पंक्ति का, यथास्थिति, अनुज्ञप्तिधारी या प्रदायकर्ता का कोई अन्य प्राधिकारी ही विद्युत के प्रदाय की लाइन को काटेगा:

परन्तु यह और कि, यथास्थिति, अनुज्ञप्तिधारी या प्रदायकर्ता का ऐसा अधिकारी, ऐसे काटे जाने के समय से, चौबीस घंटे के भीतर अधिकारिता रखने वाले पुलिस थाने में ऐसे अपराध को किए जाने के संबंध में लिखित रूप में एक शिकायत दाखिल करेगा।

परन्तु यह भी कि, यथास्थिति, अनुज्ञप्तिधारी या प्रदायकर्ता, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निर्धारित रकम या विद्युत प्रभारों को जमा करने या उसका संदाय करने पर, इस खंड के दूसरे परंतुक में यथा निर्दिष्ट शिकायत को दाखिल करने की बाध्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे जमा या संदाय के अड़तालीस घंटे के भीतर विद्युत की प्रदाय लाइन को प्रत्यावर्तित करेगा।]

(2) राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त ¹[यथास्थिति, प्राधिकृत अनुज्ञप्तिधारी या प्रदायकर्ता का कोई अधिकारी—]

1. 2007 के अधिनियम सं. 26 की धारा 13 द्वारा प्रतिस्थापित।

(क) ऐसे किसी स्थान या परिसर में, जिसमें उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि विद्युत का अप्राधिकृत उपयोग ²[किया गया है, किया जा रहा है] प्रवेश कर सकेगा, उसका निरीक्षण कर सकेगा, तोड़कर खोल सकेगा, या तलाशी ले सकेगा; या

(ख) ऐसी सभी युक्तियों, यंत्रों, तारों और किसी अन्य सुकारक या वस्तु की जो विद्युत के अप्राधिकृत उपयोग के लिए प्रयोग ¹[की गई है, की जा रही है] तलाशी ले सकेगा, उसका अभिग्रहण कर सकेगा और उसे हटा सकेगा;

(ग) ऐसी लेखा पुस्तकों या दस्तावेजों की परीक्षा कर सकेगा या उन्हें अभिगृहीत कर सकेगा जो उसकी राय में उपधारा (1) के अधीन अपराधा की बाबत किन्हीं कार्यवाहियों के लिए उपयोगी या सुसंगत होगी और ऐसे व्यक्ति को जिसकी अभिरक्षा से ऐसी लेखा पुस्तकें या दस्तावेज अभिगृहीत किए गए हैं, अपनी उपस्थिति में उनकी प्रतियां बनाने या उनसे उद्धरण लेने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा।

(3) तलाशी के स्थान का अधिभोगी या उसकी ओर से कोई व्यक्ति तलाशी के दौरान उपस्थित रहेगा और ऐसी तलाशी के अनुक्रम में अभिगृहीत सभी वस्तुओं की एक सूची तैयार की जाएगी और ऐसे अधिभोगी या व्यक्ति को परिदत्त की जाएगी जो सूची पर हस्ताक्षर करेगा।

परन्तु यह कि किन्हीं घरेलू स्थानों पर परिसरों का निरीक्षण, तलाशी और अभिग्रहण सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच तक नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसे परिसर पर कोई अधिभोगी वयस्क पुरुष उपस्थित न हो।

(4) तलाशी और अभिग्रहण से संबंधित दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के उपबंध यथासंभव, इस अधिनियम के अधीन तलाशी और अभिग्रहण को लागू होंगे।

136. विद्युत लाइनों और सामग्री की चोरी—(1) जो कोई बेईमानी से—

(क) किसी टावर, पोल, किसी अन्य संस्थापन या संस्थापन के स्थान या किसी अन्य स्थान या स्थल, जहां वह अधिकारपूर्वक का विधिपूर्वक भंडारित किया गया, जमा किया गया, रखा गया, स्टोक किया गया, स्थित या अवस्थित हो, जिसके अंतर्गत परिवहन के दौरान अवस्थित करना भी है, यथास्थिति, अनुज्ञप्तिधारी या स्वामी की सहमति के बिना कोई इलेक्ट्रिक लाइन, सामग्री या मीटर

2. 2007 के अधिनियम सं. 57 की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित।

काटेगा या हटाएगा, या ले जाएगा या अन्तरित करेगा चाहे वह कार्य लाभ या अभिलाभ के लिए किया गया हो या नहीं; या

(ख) किसी विद्युत लाइन, सामग्री या मीटर को स्वामी की सहमति के बिना भंडारित करेगा, कब्जे में रखेगा या अन्यथा अपने परिसर में, अभिरक्षा में या नियंत्रण में रखेगा, चाहे वह कार्य लाभ या अभिलाभ के लिए किया गया हो या नहीं; या

(ग) किसी विद्युत लाइन, सामग्री या मीटर को स्वामी की सहमति के बिना लादेगा, ले जाएगा, या एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाएगा, चाहे वह कार्य लाभ या अभिलाभ के लिए किया गया हो या नहीं,

विद्युत लाइनों और सामग्री की चोरी का अपराध किया गया कहा जाएगा और वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति जिसे, उपधारा (1) के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, उस उपधारा के अधीन दंडनीय किसी अपराध का पुनःदोषी है, तो वह दूसरे और पश्चात्कर्तृ अपराध के लिए, कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी किन्तु जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने का भी, जो दस हजार रुपए से कम का नहीं होगा, दायी होगा।

137. चुराई गई संपत्ति प्राप्त करने के लिए दंड-जो कोई, किसी चुराई गई विद्युत लाइन या सामग्री को यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि वह चुराई गई संपत्ति है, बेईमानी से प्राप्त करेगा, वह दोनों में से किसी भी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडनीय होगा।

138. अनुज्ञप्तिधारी के मीटरों या संकर्मों से छेड़छाड़-(1) जो कोई-

(क) किसी मीटर, सूचक या साधित्र को किसी ऐसी विद्युत लाइन से जिसके माध्यम से अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत प्रदाय की जाती है, अप्राधिकृत रूप से संयोजित करेगा या उसे ऐसी विद्युत लाइन से वियोजित करेगा; या

(ख) किसी मीटर, सूचक या साधित्र को, किसी ऐसी विद्युत लाइन या अन्य संकर्म से, जो किसी अनुज्ञप्तिधारी की संपत्ति है, उस समय अप्राधिकृत रूप से पुनः संयोजित करेगा जब उक्त विद्युत लाइन या अन्य संकर्म काट दिया गया है या वियोजित कर दिया गया है; या

अनुलग्नक-‘घ’

- (4) भुगतान के प्राप्त होने पर लाइसेंसधारी इस पर अन्तिम बिलों मोहर वाली रसीद जारी करेगा। यह रसीद ‘नो ड्यूज प्रमाणपत्र’ समझी जाएगी। परंतु यह भुगतान निर्धारित तिथि में आनलाइन किया जाता है, लाइसेंसधारी उपभोक्ता को आनलाइन ‘नो ड्यूज प्रमाणपत्र’ जारी करेगा।
- (5) यदि भुगतान निर्धारित तारीख में नहीं किया जाता है तो उपभोक्ता को केवल लाइसेंसधारी के काउन्टर पर विलम्बित अदायगी अधिकार, यदि कोई हो, के साथ अदायगी करनी अपेक्षित होगी।
- (6) यदि उपभोक्ता को लाइसेंसधारी द्वारा राशि लौटायी जानी है तो लाइसेंसधारी अन्तिम बिल के साथ नो ड्यूज प्रमाण पत्र जारी करेगा तथा डिमांड ड्राफ्ट या इलेक्ट्रॉनिक निकासी प्रणाली के माध्यम से 15 दिन के भीतर ऐसे डिस्कनेक्शन की तारीख तक प्रोद्भूत ब्याज सहित शेष प्रतिभूति जमा राशि लौटाएगा।
- (7) अतः लाइसेंसधारी को बिलिंग की इस तारीख से पूर्व की किसी अवधि के लिए कोई प्रभार उगाहने का कोई अधिकार नहीं होगा।

54. रिकनेक्शन:-

- (1) किसी अस्थाई डिस्कनेक्शन के मामले में, लाइसेंसधारी विंगत ड्यूज तथा प्रयोज्य प्रभार, यदि कोई हो तथा अपेक्षित औपचारिकताओं के पूरा होने की अदायगी के 24 घण्टे के भीतर उपभोक्ता संस्थापना को विद्युत आपूर्ति बहाल करेगा:-

परन्तु लाइसेंसधारी डिस्कनेक्शन नोटिस में उपभोक्ता को फिर से कनेक्शन के लिए सभी लागू प्रभारों को सूचित करेगा।

इससे आगे यह भी शर्त है कि यदि कोई उपभोक्ता देश से बाहर चला जाता है और विलेखीकृत साक्ष्य उपलब्ध कराता है, लाइसेंसधारी रिकनेक्शन-प्रभार नहीं लगाएगा।

- (2) कनेक्शन के स्थाई रूप से कट जाने पर पुनः कनेक्शन के लिए पिछला बकाया तथा लागू शुल्क अदा करना होगा; यदि आवश्यक हो तो तथा नए कनेक्शन के लिए सभी औपचारिकताओं को पूर्ण करना होगा।

- (3) या तो गलती से या बिना किसी नोटिस के लाइसेंसधारी द्वारा आपूर्ति के डिस्कनेक्शन के मामले में आपूर्ति का रिकनेक्शन बिना किसी प्रभार के लगाए, जिसमें रिकनेक्शन प्रवाह भी शामिल है ऐसे डिस्कनेक्शन के समय से 24 घण्टे में लगाया जाएगा।

अध्याय-VII

अप्राधिकृत उपयोग, चोरी तथा अन्य अनियमितताएं

55. सामान्य:-

- (1) लाइसेंसधारी इस अधिनियम के भाग 12, 14, 15 विनियमों तथा आयोग के आदेशों की प्रविधि में निर्धारित प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसरण में उपभोक्ता द्वारा वचनबद्ध विद्युत के अप्राधिकृत उपयोग, चोरी तथा अन्य अनियमितताओं के खिलाफ कार्यवाहियां प्रारंभ करेगा।
- (2) लाइसेंसधारी अधिनियम की धारा 126 के अंतर्गत निर्धारण अधिकारियों की सूची, इस अधिनियम की धारा 135 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारियों तथा इस अधिनियम की धारा 135 की उपधारा (1ए) के अंतर्गत आपूर्ति डिस्कनेक्ट करने के लिए आयोग द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों को अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा तथा अपने स्थानीय कार्यालयों में प्रमुख स्थलों पर ऐसी सूची लगाएगा।
- (3) लाइसेंसधारी सभी निर्धारण अधिकारियों तथा प्राधिकृत अधिकारियों को विशिष्ट रूप से उनका पदनाम तथा उनके प्राधिकार का विवरण दर्शाते हुए उन्हें फोटो पहचान पत्र जारी करेगा।
- (4) परिसरों के निरीक्षण के दौरान, सभी मामलों में, निर्धारण अधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी जैसा भी मामला हो, परिसरों का निरीक्षण कार्य सम्पन्न होने तक सम्पूर्ण कार्यवाहियों का वीडियोग्राफ बनाएगा;

बशर्ते वीडियोग्राफ में उपभोक्ता फोटो विजिटिंग कार्ड, निरीक्षण रिपोर्ट के हस्ताक्षर, कुर्की ज्ञापन आदि पर हस्ताक्षर की उपभोक्ता द्वारा स्वीकारोक्तियां इन्कार शामिल होगा।
- (5) लाइसेंसधारी इस अधिनियम की धारा 126 तथा धारा 135 के अंतर्गत बुक किए गए सभी मामलों का रखरखाव तथा रिकॉर्ड मासिक आधार पर आयोग को प्रस्तुत करेगा।
- (6) यदि कोई उपभोक्ता अप्राधिकृत उपयोग में तथा विद्युत की चोरी में लिप्त हुआ पाया जाता है तो उपभोक्ता को विद्युत की चोरी में बुक किया जाएगा।

- (7) यदि विद्युत का अप्राधिकृत उपयोग अन्तिम रूप से संस्थापित किया जाता है तो लाइसेंस जारी निरीक्षण की तारीख से उपभोक्ता की आपूर्ति की श्रेणी बदलेगा तथा सामान्य प्रयोजन शुल्क के अनुसार बिल दिया जाएगा।

अधिनियम की धारा 126 के अन्तर्गत विद्युत का अप्राधिकृत उपयोग

56. निर्धारण अधिकारी द्वारा परिसरों तथा विद्युत का अप्राधिकृत उपयोग

- (1) निर्धारण अधिकारी या तो स्व प्रेरणा से या विद्युत की अप्राधिकृत उपयोग से संबंधित सूचना की प्राप्ति पर किन्हीं परिसरों का शीघ्र ही निरीक्षण करेगा:-
- परन्तु निर्धारण अधिकारी निरीक्षण करने के लिए लाइसेंसधारी के कर्मचारियों की सहायता प्राप्त कर सकता है।
- (2) निर्धारण अधिकारी विनियमन 55(3) के अन्तर्गत जारी फोटो आईकार्ड तथा अपने फोटो वाला विजिटिंग कार्ड साथ ले जाएगा।
- (3) फोटो आईकार्ड दिखाया जाएगा तथा अपने फोटो वाला विजिटिंग कार्ड परिसरों में प्रविष्टि से पूर्व उपभोक्ता को सौंपा जाएगा।
- (4) निर्धारण अधिकारी अन विनियमों के अन्तर्गत प्रावधानों के अनुसार निरीक्षण/साइट रिपोर्ट तैयार करेगा।
- (5) विद्युत के अप्राधिकृत उपयोग का कोई मामला निम्नलिखित मामलों में लाइसेंसधारी द्वारा बुक नहीं किया जाएगा-
- (i) जहां उपभोक्ता उच्चतर शुल्क श्रेणी के लिए विद्युत प्रभार अदा करता रहा है परंतु कमतर शुल्क श्रेणी के लिए विद्युत का उपयोग किया है।
- (ii) जहां उपभोक्ता शुल्क की समान श्रेणी के भीतर स्वीकृत भार या संविदा मांग, जैसा भी मामला हो, से अधिक विद्युत का उपयोग कर रहा है, तथा
- (iii) जहां आपूर्ति की श्रेणी में स्वप्रेरणा से परिवर्तन लाइसेंसधारी पर निर्भर होगा।

57. निर्धारण अधिकारी द्वारा रिपोर्ट की तैयारी:-

- (1) विद्युत के अप्राधिकृत उपयोग का पता लगाने के संबंध में मूल्यांकनकर्ता अधिकारी आयोग के आदेशों में यथानिर्धारित तरीके से स्थल पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगा।

- (2) छेड़छाड़ किए गए मीटर आदि जैसे सभी सामग्री साक्ष्यों तथा प्रलेखीकृत साक्ष्य, जो निरीक्षण के दौरान पाए गए मामले के संगत हों, कुर्की ज्ञापन के अन्तर्गत जब्त किए जाएंगे तथा उपभोक्ता या उसके प्रतिनिधि की उपस्थिति में सील किए जाएंगे तथा परिसरों की फोटो ग्राफी और वीडियोग्राफी की रिकार्डिंग के साथ एक सबूत के तौर पर रखा जाएगा।
- (3) कुर्की के गवाहों के नाम व पते तथा तारीख, समय और स्थान सहित कुर्क सामग्री का विस्तृत ब्यौरा कवर के बाहर रिकार्ड किया जाएगा तथा समस्त गवाहों के हस्ताक्षर सीलिंग प्वाइन्टों पर लगाए जाएंगे:-

परन्तु यदि गवाह ने हस्ताक्षर करने से इन्कार किया हो तो इसे रिपोर्ट में रिकार्ड किया जाएगा तथा वीडियोग्राफ में प्रग्रहित किया जाएगा।
- (4) निरीक्षण रिपोर्ट निर्धारण अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर की जाएगी तथा इसकी एक प्रति उपयुक्त प्राप्ति के तहत तुरन्त स्थल पर ही उपभोक्ता अथवा उसके प्रतिनिधि को सौंपा जाएगा। स्थल पर मौजूद अन्य व्यक्ति भी निरीक्षण रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करेंगे।
- (5) यदि स्थल पर उपभोक्ता या उसका प्रतिनिधि रिपोर्ट की प्रति की प्राप्ति रसीद देने से तथा स्वीकार करने से मना करता है तो रिपोर्ट की प्रति किसी सुस्पष्ट स्थल पर या परिसरों के बाहर चिपकाया जाएगा तथा फोटोग्राफ और रिकार्ड किया गया तथा वीडियो लिया जाएगा। इस रिपोर्ट की दूसरी प्रति निरीक्षण के दिन या उसके अगले दिन इलेक्ट्रानिक रूप से या पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के तहत उपभोक्ता को भेजी जाएगी।
- (6) निरीक्षण रिपोर्ट विनियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार आगामी कार्रवाई के आधार पर बनाई जाएगी।

58. विद्युत का अप्राधिकृत उपयोग के मामले से निपटने की प्रविधि (यूयूई):-

(1) अनन्तिम मूल्यांकन तथा नोटिस:-

यदि निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर तथा अन्य सामग्रियों के आधार पर निर्धारण अधिकारी निष्कर्ष निकालता है कि यह विद्युत के अप्राधिकृत उपयोग के मामले में प्रथम दृष्टया मामला है, वह-

(i) अपने विवेक के आधार पर अनन्तिम मूल्यांकन करेगा जो दी गई परिस्थितियों में पर्याप्त है तथा सभी उपलब्ध साक्ष्य और रिकार्डों पर आधारित है। ऐसा करते हुए निर्धारण

अधिकारी इस अधिनियम की धारा 126 की उप धारा (6) के साथ पठित उपधारा (5) में निर्धारित प्रावधान के अनुसार विद्युत के अप्राधिकृत उपयोग द्वारा लाभप्राप्त व्यक्ति द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि की गणना की जाएगी।

बशर्ते यदि विद्युत के अप्राधिकृत उपयोग की अवधि निष्कर्षतः संस्थापित की जा सकती है, मूल्यांकन पूरी अवधि का किया जाएगा जिसमें अप्राधिकृत उपयोग किया गया है तथा यदि ऐसे अप्राधिकृत उपयोग की अवधि का पता नहीं है या निष्कर्षतः संस्थापित नहीं की जा सकती तो मूल्यांकन की अवधि निरीक्षण की तारीख से पूर्व के 12 माहों तक सीमित किया जाएगा-

परन्तु विद्युत के अप्राधिकृत उपयोग की अवधि निम्नलिखित कारकों के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा।

- (क) निरीक्षण की तारीख से आपूर्ति की शुरुआत की तारीख से वास्तविक अवधि,
- (ख) मीटरिंग प्रणाली के घटक के प्रतिस्थापन की तारीख से वास्तविक अवधि जिसमें साक्ष्य का निरीक्षण की तारीख से पता लगाया जाता है,
- (ग) निरीक्षण की तारीख को निर्धारण अधिकारी द्वारा संस्थापना की पूर्ववर्ती जांच करने की तारीख से वास्तविक अवधि,
- (घ) ऊर्जा मीटर मैमोरी में रिकार्ड किए गए साक्ष्य, जहां कहीं उपलब्ध हों।
- (ङ) आरोपी व्यक्ति द्वारा विश्वास किए जाने वाले दस्तावेज पर आधारित
- (ii) निरीक्षण की तारीख अथवा मीटर जांच करने की रिपोर्ट की प्राप्ति की तारीख से सात दिनों के भीतर, जो भी बाद में हो, यदि आवश्यक हो, निरीक्षण की वीडियोग्राफी तथा अनन्तिम मूल्यांकन रिपोर्ट के साथ उपभोक्ता का एक नोटिस सर्व करें, कारण देते हुए जिसके लिए विद्युत के अप्राधिकृत उपयोग का कोई मामला उसके खिलाफ शुरू किया जा रहा है। नोटिस में समय, तारीख तथा स्थान स्पष्ट गोचर दोनों चाहिए, जिस पर उत्तर दिया जाना है तथा उस व्यक्ति का पदनाम भी दिया जाना चाहिए।

(2) अनन्तिम मूल्यांकन के साथ नोटिस के खिलाफ आपत्ति

उपभोक्ता जिसे मूल्यांकन के अनन्तिम बिल के साथ नोटिस किया गया है, नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 7 दिनों के भीतर, मूल्यांकन अधिकारी के समक्ष आपत्तियां, यदि कोई हों, दर्ज करा सकता है।

(3) व्यक्तिगत सुनवाई:-

(i) निर्धारण अधिकारी उपभोक्ता की आपत्तियों के दर्ज होने की तारीख से 7 दिनों के भीतर उपभोक्ता या उसके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि के साथ व्यक्तिगत सुनवाई का प्रबंध करेगा।

(ii) उपभोक्ता के अनुरोध पर, भावी तिथि पर सुनवाई का प्रबंध किया जा सकता है परन्तु उपभोक्ता द्वारा आपत्तियां दर्ज करने की तिथि से 10 दिनों के बाद नहीं।

(4) अन्तिम मूल्यांकन आदेश:-

(i) निर्धारण अधिकारी ऐसे व्यक्ति द्वारा भुगतान योग्य विद्युत प्रभारों के अनन्तिम मूल्यांकन के आदेश की सेवा की तारीख से 30(तीस) दिनों के भीतर अन्तिम मूल्यांकन आदेश पारित करेगा,

(ii) मूल्यांकन का अन्तिम आदेश स्पष्ट रूप से दर्शाएगा कि विद्युत के अप्राधिकृत उपयोग का ममाला संस्थापित है या नहीं। ऐसे आदेश में मौखिक या लिखित निरीक्षण रिपोर्ट, उपभोक्ता द्वारा प्रस्तुतियों तथा उसके स्वीकार अथवा अस्वीकार के कारणों के सार को रखा जाएगा।

(iii) यदि विद्युत का अप्राधिकृत उपयोग संस्थापित नहीं किया जाता है, मूल्यांकनकर्ता अधिकारी इस मामले को तुरंत छोड़ कर मूल्यांकन आदेश पास करेगा तथा आगामी उच्च अधिकारी को एक प्रति भेजते हुए उपभोक्ता को अवगत कराया जाएगा।

(iv) यदि विद्युत के अप्राधिकृत उपयोग का मामला पाया जाता है, निर्धारण अधिकारी इस अधिनियम की धारा 126 की उपधारा (6) के साथ पठित उपधारा (5) में निहित प्रावधानों के अनुसार विद्युत प्रभारी का मूल्यांकन करेगा तथा अधिनियम की धारा 126 की उपधारा (3) के अन्तर्गत अन्तिम मूल्यांकन आदेश पारित करेगा।

(v) अन्तिम आदेश में ऊर्जा का मूल्यांकन विनियमों के परिशिष्ट-1 में निर्धारित फार्मूले के अनुसार किया जाएगा-

परन्तु यदि विद्युत का अप्राधिकृत उपयोग शुल्क श्रेणी के गलत उपयोग या जिसके लिए विद्युत की आपूर्ति प्राधिकृत की गई थी, उसके बजाए परिसरों या क्षेत्रों के लिए किया गया है, तो निर्धारण अधिकारी मूल्यांकन अवधि के लिए मीटर में रिकार्ड के अनुसार ऊर्जा का मूल्यांकन करेगा।

(vi) मूल्यांकन बिल बनाते समय, लाइसेंसधारी मूल्यांकन बिल की अवधि हेतु उपभोक्ता द्वारा पहले से दी गई राशि के लिए उपभोक्ता को श्रेय देगा।

(vii) अन्तिम मूल्यांकन आदेश स्पष्ट रूप से उल्लेख करेगा कि यह आदेश इस अधिनियम की धारा 127 की उपधारा (1) के प्रावधानों के अनुसार उक्त आदेश को सर्व करने के 30 दिनों के भीतर अपीलीय प्राधिकारी (नाम, पदनाम तथा पते का उल्लेख किया जाए) के समक्ष उपभोक्ता द्वारा अपली की जा सकती है।

(5) अन्तिम मूल्यांकन आदेश पर आधारित बिलिंग और भुगतान

(i) लाइसेंसधारी मूल्यांकन अधिकारी द्वारा जारी अन्तिम मूल्यांकन आदेश के अनुसार विद्युत के अप्राधिकृत उपयोग के प्रभारों के लिए उपभोक्ता को बिल भेजेगा।

(ii) यह बिल सेवा की तारीख से 30 दिनों के भीतर उपभोक्ता द्वारा देय होगा। लाइसेंसधारी मूल्यांकित राशि के भुगतान की अन्तिम तारीख को बढ़ा सकता है या प्रत्येक 6 माह में प्रति वर्ष चक्रवृद्धि 16% की दर पर 30 दिन से अधिक बढ़ी हुई अवधि के लिए भुगतान की गई राशि पर ब्याज के भुगतान के अध्ययीन किस्तों में भुगतान की अनुमति दे सकता है।

(iii) उपभोक्ता बिल स्वीकार करेगा तथा निर्धारित समय के भीतर मूल्यांकन की गई राशि जमा करेगा तथा उप विनियमन (5) (2) के अनुसार अथवा अधिनियम तथा विनियमों के अनुसरण में अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष इसके खिलाफ अपील कर सकता है।

59. इस अधिनियम की धारा 127 के अन्तर्गत अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील

(1) यदि उपभोक्ता निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी अन्तिम मूल्यांकन आदेश से असंतुष्ट हो तो वह इस अधिनियम की धारा 127 की उपधारा (2) के तहत यथाविनिर्दिष्ट मूल्यांकित राशि की आधी राशि जमा करने के बाद ऐसे आदेश के जारी होने की तारीख से 30 दिनों के लिए आयोग के आदेशों में यथाविनिर्दिष्ट रूप तथा तरीके से इस अधिनियम की धारा 127 के अन्तर्गत अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दर्ज करा सकता है।

बशर्ते यदि यह राशि पक्षों की सहमति से पारित हो जाती है तो निर्धारण अधिकारी के अन्तिम मूल्यांकन आदेश के खिलाफ अपीलीय प्राधिकारी को कोई अपील नहीं की जाएगी।

- (2) अपीलीय प्राधिकारी प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर तथा पक्षों की सुनवाई के उपरान्त उचित स्पीकिंग आदेश पास करेगा तथा निर्धारण अधिकारी और अपीलकर्ता को आदेश की एक प्रति भेजेगा।
- (3) अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पास आदेश अन्तिम होगा।
- (4) यदि अपीलीय प्राधिकारी समझता है कि विद्युत का अनाधिकृत उपयोग का कोई मामला नहीं बनता है तो आगे कोई कार्रवाई शुरू नहीं की जाएगी अथवा इस संबंध में लाइसेंसधारी द्वारा कोई कार्रवाई जारी नहीं रखी जाएगी तथा अपीलकर्ता द्वारा जमा की गई राशि, लौटाए जाने तक 16 प्रतिशत की दर पर प्रत्येक 6 माह में जोड़े गए चक्रवृद्धि ब्याज सहित लौटाई जाएगी।
- (5) यदि अपीलकर्ता प्राधिकारी समझता है कि विद्युत के अनधिकृत उपयोग का कोई मामला बनता है, तो लाइसेंसधारी अपीलीय प्राधिकारी द्वारा जारी अन्तिम आदेश के अनुसार विद्युत के अनधिकृत उपयोग के प्रभार के लिए उपभोक्ता को संशोधित बिल भेजेगा।
- (6) अपीलीय प्राधिकारी द्वारा जारी अन्तिम आदेश पर आधारित तैयार बिल, सेवा की तारीख से 30 दिनों के भीतर उपभोक्ता द्वारा भुगतान करना होगा। लाइसेंसधारी मूल्यांकित राशि के भुगतान की अन्तिम तारीख को बढ़ा सकता है या इस अधिनियम की धारा 127 की उपधारा (6) के अनुसार प्रत्येक 6 माह में जोड़े गए प्रतिवार्षिक 16 प्रतिशत ब्याज दर पर 30 दिनों से अधिक की बढ़ी हुई अवधि के लिए अदेय राशि पर ब्याज के भुगतान के अध्ययन किस्तों में भुगतान की अनुमति दे सकता है।
- (7) यदि अपीलीय प्राधिकारी द्वारा यथा निर्धारित देय राशि अपील दर्ज करने के समय पर उपभोक्ता द्वारा पहले जमा राशि से कम है, अधिक राशि लाइसेंसधारी द्वारा तीस दिनों के भीतर लौटाई जाएगी,

परन्तु यदि लाइसेंसधारी द्वारा लौटाई जाने वाली राशि में विलम्ब किया जाता है तो उस विलम्ब समय के लिए, उपभोक्ता को 16 प्रतिशत की दर से प्रत्येक 6 माह में जोड़े गए चक्रवृद्धि ब्याज सहित लौटाई जाएगी।

अधिनियम की धारा 135 के अंतर्गत विद्युत की चोरी

60. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा परिसरों तथा विद्युत संस्थापनाओं का निरीक्षण

- (1) प्राधिकृत अधिकारी या तो विद्युत की चोरी के संबंध में स्वप्रेरणा से या सूचना की प्राप्ति पर किन्हीं परिसरों का शीघ्रातिशीघ्र निरीक्षण करेगा।

परन्तु प्राधिकृत अधिकारी निरीक्षण आयोजित करने के लिए लाइसेंसधारी के कर्मचारियों को सहायता उपलब्ध करा सकता है।

- (2) प्राधिकृत अधिकारी विनियम, 55(3) के अन्तर्गत जारी अपना फोटो तथा फोटो पहचान पत्र वाला विजिटिंग कार्ड साथ रखेगा।
- (3) फोटो आईडी दिखाना होगा तथा अपने फोटो वाला विजिटिंग कार्ड उपभोक्ता अथवा परिसरों में प्रवेश से पूर्व परिसर के स्वामी को सौंपना होगा।
- (4) अप्राधिकृत अधिकारी इन विनियमों के अन्तर्गत प्रावधानों के अनुसार निरीक्षण रिपोर्ट तैयार करेगा।

61. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा रिपोर्ट की तैयारी:-

- (1) विद्युत की चोरी का पता लगाने के लिए, प्राधिकृत अधिकारी आयोग के आदेशों में यथानिर्धारित तरीके से स्थल पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगा।
- (2) छेड़छाड़ किए गए मीटर जैसे सभी सामग्री वाले साक्ष्य, टेम्पर्ड मीटर सील तथा ऊर्जा के अवैध पृथक्करण के लिए प्रयुक्त कृत्रिम साधन और प्रलेखीकृत साक्ष्य आदि जो मामले के प्रासंगिक हैं तथा निरीक्षण के दौरान पाए गए हैं, कुर्की ज्ञापन के तहत कुर्क किया जाएगा तथा उपभोक्ता या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थितियों में सील किया जाएगा तथा परिसरों की फोटो ग्राफी और वीडियोरिकार्डिंग के साथ सबूत के रूप में रखा जाएगा।
- (3) कुर्की के गवाहों के नाम तथा पते और कुर्की की तारीख समय व स्थान सहित जब्त सामग्री का विस्तृत ब्यौरा कवर के बाहर रिकार्ड किया जाएगा तथा सभी गवाहों के हस्ताक्षर सीलिंग प्वाइंटों पर चिपकाए जाएंगे:-

परन्तु यदि गवाह हस्ताक्षर करने से इन्कार करता है तो इसे रिपोर्ट में रिकार्ड किया जाएगा तथा वीडियोग्राफी में प्रग्रहित किया जाएगा।

- (4) निरीक्षण रिपोर्ट प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर की जाएगी तथा दूसरी उचित रसीद की प्राप्ति के तहत तुरन्त स्थल पर उपभोक्ता या उसके प्रतिनिधि को सौंपी जाएगी। स्थल पर मौजूद अन्य व्यक्ति भी निरीक्षण पर हस्ताक्षर कर सकते हैं।
- (5) यदि स्थल पर उपभोक्ता या उसका प्रतिनिधि रिपोर्ट की प्रति की प्राप्ति देने या उसे स्वीकार करने से इंकार करता है तो रिपोर्ट की प्रति परिसरों के अन्दर या बाहर

सुस्पष्ट स्थान पर चिपकाई जाएगी तथा उसका फोटो या रिकार्ड की गई वीडियो रखी जाएगी।

(6) निरीक्षण रिपोर्ट विनियमों में विहित प्रावधानों के अनुसार आगे कार्रवाई का आधार बनेगी।

62. विद्युत की चोरी के अभियोग की प्रविधि

- (1) इस अधिनियम की धारा 135 के अंतर्गत विद्युत की चोरी का मुद्दा या केवल उन मामलों में शुरू किया जाएगा जहां बेईमानी का इरादा प्रासंगिक तथ्यों, रिकोर्डों और मामले के अन्य साक्ष्य सुस्पष्ट हैं।
 - (2) यदि विद्युत चोरी की करने के पर्याप्त साक्ष्य पाए जाते हैं तो प्राधिकृत अधिकारी इस अधिनियम की धारा 135 की उपधारा (2) के अंतर्गत एक कुर्की ज्ञापन के अन्तर्गत परिसरों से तारों/केबल्स, मीटर सर्विस लाइन, आदि सहित सभी सामग्री साक्ष्य जब्त तथा सील करेगा।
 - (3) उपभोक्ता की विद्युत आपूर्ति इस अधिनियम की धारा 135 की उपधारा (1) (ए) के अंतर्गत तथा चोरी का पता लगते ही तुरन्त आयोग द्वारा इस उद्देश्य के लिए यथाप्राधिकृत लाइसेंसधारी ऐसे अधिकारी आपूर्ति कर्ता द्वारा काट दी जाएगी। बशर्ते कि ऐसा अधिकारी ऐसे डिस्कनेक्शन के समय से 24 घण्टे के भीतर इस अपराध के होने के स्थल के कार्यक्षेत्र में आने वाले पुलिस थाने में लिखित में शिकायत करें:
- इसके अलावा यह भी है कि ऐसा अधिकारी ऐसे डिस्कनेक्शन के 2 दिनों के भीतर निरीक्षण की वीडियोग्राफी की प्रति के साथ विनियम 64 के अन्तर्गत पुलिस स्टेशन में दर्ज शिकायत की प्रति, स्पीकिंग आदेश की प्रति भी उपभोक्ता को भेजेगा।
- (4) केवल मीटर पर लगी सीलों के गुम होने या मीटर की ग्लास विंडो टूटने पर चोरी का कोई मामला दर्ज नहीं किया जाएगा, जब तक बेईमानी का इरादा उपभोक्ता के उपभोग के तरीके या अन्य किसी साक्ष्य द्वारा सम्पुष्टि नहीं की जाती है।
 - (5) उपभोक्ता या उसके कर्मचारी या उसकी ओर से कार्य करने वाले अन्य किसी व्यक्ति द्वारा रिमोट कंट्रोल, हाईवाल्टेज इन्जेक्शन सहित बाह्य तरीकों के सहारे से उपभोग की गई ऊर्जा के सही रजिस्ट्रेशन में बाधा डालना भी विद्युत की चोरी मानी जाएगी, जिसे इस आयोग द्वारा अधिसूचित प्रत्यायित प्रयोगशाला में या आयोग द्वारा प्राधिकृत एजेंसी में मीटर द्वारा लिए गए डेटा के विश्लेषण तथा मीटर की जांच के तहत संस्थापित किया जा सकता है।

63. विद्युत की चोरी का मूल्यांकन बिल

- (1) निर्धारण अधिकारी विनियमों के परिशिष्ट 1 में यथा अधिसूचित विद्युत की चोरी की ऊर्जा का मूल्यांकन करेगा।
- (2) चोरी की गई विद्युत के मूल्यांकन की अवधि विद्युत की चोरी का पता लगाने की तारीख या चोरी की सही अवधि पता लग जाता तो जो भी पहले हो, से पूर्व के 12 माहों की अवधि होगी:-

बशर्ते कि विद्युत की चोरी की अवधि का निम्नलिखित घटकों पर आधारित मूल्यांकन किया जाए:-

- (i) आपूर्ति के प्रारंभ होने की तारीख से निरीक्षण की तारीख तक की वास्तविक अवधि
 - (ii) मीटरिंग पद्धति जिसमें साक्ष्य पाया जाता है, के घटक के प्रतिस्थापन की तारीख से निरीक्षण की तारीख तक वास्तविक अवधि होगी?
 - (iii) प्राधिकृत अधिकारी द्वारा संस्थापना की पूर्व जांचों की तारीख से निरीक्षण की अवधि तक वास्तविक अवधि होगी
 - (iv) ऊर्जा मीटर मैमोरी से रिकार्ड डेटा, जहां कहीं उपलब्ध हों।
 - (v) आरोपी व्यक्ति द्वारा अवलम्ब दस्तावेज पर आधारित
- (3) मूल्यांकन बिल लागू शुल्क के अनुसार दर से दुगुना तैयार किया जाएगा
 - (4) मूल्यांकन बिल बनाते समय लाइसेंसधारी मूल्यांकन बिल की अवधि के लिए विद्युत की यूनिटों हेतु उपभोक्ता द्वारा पहले से भुगतान को दर्शाएगा
 - (5) मूल्यांकन आदेश उपभोक्ता को या स्थान या परिसरों के स्थायी या प्रभारी को, जैसा भी मामला हो, आपूर्ति के डिस्कनेक्शन के 7 दिनों के भीतर या ऐसे व्यक्ति के अनुरोध की प्राप्ति की तारीख से 2 दिनों के भीतर जो भी पहले हो, भेजे जाएंगे।

64. संदिग्ध चोरी:-

- (1) ऐसे सभी मामलों जहां निरीक्षण पर चोरी नहीं पाई गई हो परन्तु उपभोग पद्धति के आधार पर आशंका हो प्राधिकृत अधिकारी किसी कुर्की ज्ञापन के तहत पुराने मीटर को हटा

सकता है तथा उपभोक्ता या उसके प्रतिनिधि की उपस्थिति में इसे सील कर सकता है जिस पर दोनों के हस्ताक्षर होंगे तथा एक नए मीटर के साथ उपभोक्ता की विद्युत की आपूर्ति दी जाएगी।

बशर्ते कि विगत 1 वर्ष की उपभोग पद्धति ज्यादातर समान हो तथा मूल्यांकित उपभोग के 74 प्रतिशत से कम न हो, कोई आगामी कार्यवाहियां नहीं की जाएगी तथा इस निर्णय से 3 दिनों में उपभोक्ता को अवगत कराया जाएगा।

परन्तु यदि उपभोग की पद्धति उक्त के अनुसार एक समान हो मौजूदा मीटर आगे जांच के लिए नहीं भेजा जाएगा।

(2) मीटर के विनियम 32 के उप विनियम 8 के अनुसार जांच की जाएगी।

(3) निर्धारण अधिकारी निरीक्षण रिपोर्ट उपभोग पद्धति मीटर जांच के परिणामों के आधार पर निष्कर्ष निकालता है कि विद्युत की चोरी का मामला प्रथम दृष्टया है, विनियम 62 और विनियम 63 में यथा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:-

बशर्ते कि मूल्यांकन अधिकारी मीटर जांच रिपोर्ट के 7 दिनों के भीतर विद्युत की चोरी के मामले का सबूत देने वाला कोई स्पीकिंग आदेश पारित करें।

65. इस अधिनियम की धारा 152 के अन्तर्गत अपराध का संयोजन

इस अधिनियम की धारा 152 के अन्तर्गत अपराध की कम्पाउंडिंग केवल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार अथवा इस प्रयोजनार्थ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (कम्पाउंडिंग अधिकारी) द्वारा विधिवत प्राधिकृत अधिकारी द्वारा की जाएगी।

66. विद्युत की चोरी को ध्यान में रखते हुए डिस्कनेक्शन की गई आपूर्ति को फिर से चालू करना

(1) लाइसेंसधारी उपभोक्ता द्वारा भुगतान की गई राशि के 48 घंटे के अन्दर परिसरों में विद्युत की आपूर्ति फिर से चालू करेगा।

(i) विनियम 63 के अनुसरण में मूल्यांकित अथवा

(ii) लोक अदालत सहित किसी अदालत द्वारा राशि जमा की जाने की अनुमति दी गई

- (2) यदि मूल्यांकित राशि किसी आवेदन जो मौजूदा उपभोक्ता नहीं है द्वारा जमा की जाती है तो परिसरों को आपूर्ति की जाएगी और इसे नए कनेक्शन के मामले के रूप में माना जाएगा।
- (3) विद्युत की आपूर्ति फिर से चालू करना इस अधिनियम की धारा 135 के अनुसार मौजूदा उपभोक्ता के खिलाफ आपराधिक कार्यवाहियों को शुरू करने के लिए लाइसेंसधारी का अधिकार बिना किसी पूर्वधारणा के होगा।

67. छेड़छाड़ किए गए मीटर का स्वैच्छिक प्रकटीकरण

- (1) यदि कोई उपभोक्ता आगे आता है और स्वैच्छिक रूप से मीटर तथा/अथवा सीलों की टेम्परिंग की उद्घोषणा करता है, लाइसेंसधारी तुरन्त एक नए मीटर से छेड़छाड़ किए गए मीटर को बदलेगा:-

परन्तु छेड़छाड़ किए गए मीटर के स्वैच्छिक प्रकटीकरण की उपभोक्ता को केवल एक बार अनुमति दी जाएगी।
- (2) निर्धारण अधिकारी विनियमों के परिशिष्ट 1 में यथासूचित विद्युत की चोरी की ऊर्जा का मूल्यांकन करेगा।
- (3) मूल्यांकन बिल उद्घोषणा की तारीख से गणना की गई विगत 6 माहों की अवधि के लिए लागू शुल्क के अनुसार दर का दुगुना बनाया जाएगा।
- (4) मूल्यांकन बिल बनाते समय, लाइसेंसधारी मूल्यांकन बिल की अवधि के लिए उपभोक्ता द्वारा विद्युत की युनिटों के लिए पहले से अदा की गई राशि को उपभोक्ता को क्रेडिट देगा।
- (5) छेड़छाड़ किए गए मीटर की उद्घोषणा की तारीख मीटर के प्रतिस्थापन की तारीख तक की अवधि के लिए ऊर्जा बिल खराब मीटरों की प्रविधि के अनुसार परिगणना की जाएगी।
- (6) यदि कोई उपभोक्ता स्वैच्छिक रूप से छेड़छाड़ किए गए मीटर की घोषणा करता है तथा मूल्यांकन बिल अदा करता है तो लाइसेंसधारी विशेष अदालत नहीं जाएगा या अन्य कोई कार्रवाई नहीं करेगा। परन्तु यदि उपभोक्ता 30 दिनों के भीतर मूल्यांकन बिल का भुगतान करने में विफल रहता है। लाइसेंसधारी इसे विनियम 62 के अन्तर्गत चोरी का मामला समझेगा तथा तदनुसार कार्रवाई करेगा।

अध्याय-VIII
शिकायत निवारण प्रक्रिया

68. सामान्य:-

- (1) लाइसेंसधारी द्वारा विद्युत कनेक्शन जारी करना, विद्युत धारा नहीं होना/विद्युत आपूर्ति विफलता, वोल्टेज उतार-चढ़ाव, लोड शेडिंग, निर्धारित कटौतियाँ, मापन, बिलिंग के साथ संबंधित और अन्य शिकायतें विनियमावली में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार निवारित की जाएंगी।
- (2) प्रत्येक लाइसेंसधारी उपभोक्ता शिकायतों के निवारण हेतु पद्धति की नियम-पुस्तिका (मैनुअल)/उपभोक्ता चार्टर/शिकायत चार्टर जिसको एतदपश्चात् 'नियम-पुस्तिका' (मैनुअल) कहा गया है, इन विनियमों के लागू होने की तिथि से तीन माह के भीतर तैयार करना होगा तथा आयोग में स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करना होगा।
- (3) मैनुअल में उपभोक्ताओं को प्रभावित करने वाली जानकारी होगी, जिसमें शिकायत दर्ज करवाने हेतु चैनल्स, कार्मिक, कार्यालयों, हेल्पलाइन नम्बरों का विवरण, शिकायत निवारण की प्रक्रिया इत्यादि संबंधी जानकारी सम्मिलित है।
- (4) मैनुअल अंग्रेजी और हिन्दी भाषाओं में तैयार किया जाएगा तथा उपभोक्ताओं के संदर्भ हेतु प्रत्येक कार्यालय में उपलब्ध होगा और इसकी वेबसाइट से डाउनलोड किया सकेगा।
- (5) लाइसेंसधारी शिकायत दर्ज करवाने के लिए विभिन्न क्रियाविधियाँ (मोड्स) स्थापित करेगा, जैसे कि कॉल सेन्टर, वेबसाइट, एसएमएस, लाइसेंसधारी का ऐप्लीकेशन सर्वर अथवा अन्य कोई क्रियाविधि (मोड) जो लाइसेंसधारी द्वारा उपयुक्त पाया जाता है अथवा आयोग द्वारा अधिसूचित किया जाता है।

69. शिकायत दर्ज करवाने हेतु प्रक्रिया:-

- (1) उपभोक्ता अथवा आवेदक अपनी शिकायत लाइसेंसधारी के केन्द्रीयकृत कॉल सेन्टर/क्षेत्रीय शिकायत केन्द्र/जिला कार्यालयों में अथवा टेलीफोन या वेबसाइट या एसएमएस या ऐप्लीकेशन सर्वर पर डाक द्वारा दर्ज करवा सकता है।

153. श्री सोमनाथ भारती: क्या उपमुख्यमंत्री/मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभाग द्वारा नए राशन कार्डों की स्वीकृति के लिए क्या मानक प्रक्रिया अपनाई जाती है और इसके लिए क्या समयावधि नियत है;

(ख) चालू राशनकार्डों तथा लंबित राशनकार्डों की संख्या विधानसभा क्षेत्रवार उपलब्ध कराए, व नाम जोड़ने व काटने के लिए दिये लंबित आवेदनों की संख्या भी विधानसभा क्षेत्रवार प्रदान करें;

(ग) नए राशन कार्डों व राशन कार्डों में संशोधन के आवेदनों को विभाग द्वारा क्यों नहीं निपटाया जा रहा है, क्या इन लंबित आवेदनों को निपटाने में केंद्र सरकार की भी कोई भूमिका है;

(घ) मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में राशनकार्ड धारकों का संपूर्ण विवरण उपलब्ध कराएँ;

(ङ) मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कृष्णा नगर में मैसर्स मूलचंद नामक राशन के दुकान बहाली की पूरी प्रक्रिया की जानकारी संबंधित दस्तावेज के साथ उपलब्ध कराएँ, इस दुकान पर स्थानीय विधायक की उपस्थिति में विभाग के अधिकारियों द्वारा छापा मारकर उसे निलंबित किया गया था, तो इसकी बहाली प्रक्रिया में विधायक की सम्मिलित नहीं किये जाने के क्या कारण हैं; और

(च) मेरे द्वारा वर्ष 2016 के बाद से खाद्य आपूर्ति विभाग/दिल्ली स्टेटसिविल सप्लाईज कारपोरेशन को कितने पत्र लिखे व उन पर क्या कार्यवाई की गई और मुझे उनके बारे में क्या प्रत्युत्तर दिया गया?

(छ) दिल्ली नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा कितने ट्रांसपोर्टर्स को भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से राशन की दुकानों में राशन पहुंचाने के लिए लगाया हुआ है, उन सभी ट्रक मालिकों का पूरा ब्यौरा उनके टेलीफोन नम्बर व उन्हें कब से लगाया गया है, सहित प्रदान करें तथा वे जिन नियमों एवं शर्तों के आधार पर लगाए गए थे उनके द्वारा उनके उल्लंघन एवं उन पर उसके लिए की गई कार्रवाई की भी पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएं;

(ज) दिल्ली नागरिक खाद्य आपूर्ति निगम द्वारा लगाए गए ट्रांसपोर्टर्स किस रेट पर भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से राशन की दुकानों पर आपूर्ति कर रहे हैं और उनमें से प्रत्येक को किये गए भुगतान की गहीनावार जानकारी तब से उपलब्ध कराएं जब से उनको लगाया गया है तथा दिल्ली नागरिक खाद्य आपूर्ति निगम द्वारा भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से राशन की दुकानों पर समय पर राशन की आपूर्ति हेतु तय की गई समय सीमा के उल्लंघन के ट्रांसपोर्टर्स वाईज दृष्टांत (घटनाएं) तथा विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में उनके विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा उपलब्ध कराएं;

(झ) ये ट्रांसपोर्ट 2010 से अब तक कितनी बार हड़ताल पर गए। इस सम्बन्ध में हड़ताल पर जाने के कारण, हड़ताल की अवधि और किन शर्तों पर हड़ताल खत्म हुई, पूर्ण विवरण उपलब्ध कराएं;

(ञ) क्या यह सत्य है कि विभाग भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से राशन की दुकानों तक राशन पहुंचाने के लिए भावी टेंडर आमंत्रित करते समय मजदूरों के लिए अलग से टेंडर शामिल करने की सोच रहा है;

(ट) ट्रांसपोर्टर्स द्वारा 2010 से अब तक राशन चोरी/आपूर्ति में कमी के मामलों का पूर्ण विवरण दें तथा इस सम्बन्ध में प्रत्येक घटना तथा की गई कार्रवाई का पूर्ण विवरण दें;

(ठ) क्या यह सत्य है कि नवम्बर, 2019 में जारी टेंडर के अनुसार राशन आपूर्ति में लगाए जाने वाले ट्रक बीएस-IV और सीएनजी होने चाहिए थे यदि हाँ तो ऐसा करना असफल क्यों रहा;

(ड) क्या यह भी सत्य है कि दिल्ली खाद्य आपूर्ति निगम द्वारा दिसम्बर, 2019 में दूसरा टेंडर आमंत्रित किया गया जिसमें स्वीकृत इंधन की शर्त को बीएस-IV व सीएनजी से बदलकर केवल सीएनजी में परिवर्तित किया गया था; और

(ण) क्या यह भी सत्य है कि ट्रांसपोर्टर्स जिनको राशन की आपूर्ति केवल एनएनजी ट्रकों द्वारा करवानी थी वे बीएस-IV ट्रकों से भी आपूर्ति करवा रहे हैं यदि हाँ तो इस सम्बंध में ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ नियमों के उल्लंघन के लिए क्या कार्रवाई की गई?

उपमुख्यमंत्री/मंत्री: (क) सूचना हेतु सिटिजन चार्टर एवं प्रक्रिया प्रवाह सक्क्युलर दिनांक 13.09.2019 संलग्न है।

(ख) राशन विभाग की वेबसाइट एनएफएस पर उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर इस समय दिल्ली में चालू राशन कार्डों की संख्या 1780196 है तथा 01.01.2013 से 27.12.2021 तक लंबित राशन कार्डों की संख्या 234710 है (प्रतिलिपि संलग्न)। 01.01.2013 से 27.12.2021 तक नाम जोड़ने के लिए 86204 व काटने के लिए 1933 आवेदन लंबित है।

(ग) दिल्ली के लाभार्थियों की संख्या 7277995 पूरी हो चुकी है जैसे ही भारत सरकार, लाभार्थियों की लिमिट बढ़ाएगी या राशन कार्ड निरस्त होंगे। राशन

कार्ड सदस्यों के नाम काटेंगे तभी रिक्तियां होंगी और FIFO के तहत लंबित नए राशन कार्डों का निपटारा जल्दी हो पायेगा।

दिल्ली में राशन कार्ड बनने की नियमानुसार सतत प्रक्रिया चालू है।

(घ) मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में राशन कार्ड धारकों का संपूर्ण विवरण संलग्न है।

(ङ) सहायक आयुक्त में अर्ध न्यायिक प्रक्रिया के तहत मैसर्स मूलचंद के लाभार्थियों का 10% सत्यापन करवाकर निस्तारण किया।

(च) माननीय विधायक श्री सोमनाथ भारती दुवारा दिए गए पत्र दिनांक 28.07.2020, 12.08.2020 एवं 14.08.2020 से सम्बन्धित जानकारी संलग्न है।

(छ) दिल्ली नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा 16 ग्रुप के लिए ट्रांसपोर्टर लगाए हुए हैं उनमें से 15 ग्रुप को 16.01.2020 तथा 04.09.2020 से लगाया गया है। सभी ग्रुप की कंपनी के नाम एवं फोन नंबर लिस्ट में दिए गए हैं। मै/स सतगुरु ट्रांसपोर्ट कंपनी (मायापुरी गोदाम), नरेला एवं घेवरा गोदाम के ट्रांसपोर्टर पर कम मात्रा आपूर्ति करने के मामले को उनके दुबारा दिए गए स्पष्टिकरण के उपरांत बंद किया गया।

(ज) दिल्ली नागरिक खाद्य आपूर्ति निगम द्वारा लगाए गए ट्रांसपोर्टर्स के रेट प्रश्न छ में दर्शाये गए हैं उनको दिए गए महीनेवार राशि का भुगतान संलग्न है। दिल्ली नागरिक खाद्य आपूर्ति निगम द्वारा भारतीय खाद्य निगम के गोदामों के राशन की दुकानों पर समय पर राशन की आपूर्ति हेतु तय की गई समय सीमा जो कि खाद्य एवं संभरण विभाग एवं भारत सरकार के सार्वजनिक वितरण

विभाग द्वारा निर्धारित सीमा के अनुरूप होती है और यह अवधि विषम स्थिति में बढ़ाई जाती है। अतः इनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हुई।

(झ) ट्रांसपोर्टर द्वारा वर्ष 2014, 2017 तथा 2021 (मायापुरी गोदाम) द्वारा हड़ताल की गयी थी जोकि उनके कार्य करने के परेशानियों गोदाम से सम्बन्धित थी जिसका निवारण हो गया था।

(ञ) विभाग भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से राशन की दुकानों तक राशन पहुंचाने के लिए भावी टेंडर आमंत्रित करते समय मजदूरों के लिए अलग से टेंडर शामिल करने की नहीं सोच रहा है।

(ट) ट्रांसपोर्टर्स द्वारा 2010 से अब तक राशन चोरी/आपूर्ति में कमी के मामलों की घटना वार सूचना संलग्न है।

(ठ) हाँ, 1 नवम्बर, 2019 में जारी टेंडर के अनुसार राशन आपूर्ति में लगाए जाने वाले ट्रक बीएस-IV और सीएनजी होने चाहिए थे परन्तु कमजोर/शुन्य भागीदारी के कारण असफल रहा।

(ड) हाँ, दिल्ली खाद्य आपूर्ति निगम द्वारा दिसम्बर, 2019 में दूसरा टेंडर आमंत्रित किया गया जिसमें स्वीकृत इंधन की शर्त को बीएस-IV व सीएनजी से बदलकर केवल सीएनजी में परिवर्तित किया गया था।

(ण) हाँ, ट्रांसपोर्टर्स जिनको राशन की आपूर्ति केवल सीएनजी ट्रकों द्वारा करवानी थी वे बीएस-IV ट्रकों से भी आपूर्ति करवा रहे हैं। चूंकि भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्ना योजना, आत्मा निर्भर भारत तथा नॉन पीडीएस (दिल्ली सरकार) के द्वारा अतिरिक्त खाद्यान का आवंटन की समय पर आपूर्ति करने हेतु बीएस-IV को भी अनुमति दी गयी है।

154. श्री ओमप्रकाश शर्मा: क्या उपमुख्यमंत्री/मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में जिन गरीब लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है उनमें से कितने लोगों को दिल्ली सरकार द्वारा कोरोना काल के दौरान वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में अब तक वर्ष भर प्रतिमाह मुफ्त राशन उपलब्ध कराया गया है;

(ख) दिल्ली सरकार द्वारा इस पर अभी तक कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ग) भविष्य में दिल्ली सरकार द्वारा इन लोगों को कब तक मुफ्त राशन उपलब्ध कराए जाने की योजना है पूर्ण विवरण दें?

उपमुख्यमंत्री/मंत्री: (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, दिल्ली सरकार द्वारा कोरोना काल के दौरान वर्ष 2020-21 में लगभग 63.63 लाख लाभकर्ताओं को एवं 2021-22 में अब तक लगभग 31.68 लाख लाभकर्ताओं को जिनके पास राशन कार्ड नहीं है मुफ्त राशन उपलब्ध कराया गया है।

(ख) दिल्ली सरकार द्वारा अभी तक 2020-21 में 71.829 करोड़ रुपए और 2021-22 में अब तक 37.1 करोड़ रुपए धनराशि खर्च की गई है।

(ग) माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार एवं मंत्रिमंडल निर्णय संख्या 3037 दिनांक 05.10.21 के अनुसार जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है उन लोगों को मुफ्त नॉन पीडीएस राशन कोरोना महामारी के जारी रहने तक आवंटन किया जाएगा।

155. श्री अखिलेश पति त्रिपाठी: क्या उपमुख्यमंत्री/मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) माडल टाउन क्षेत्र के अन्तर्गत जितनी भी राशन की दुकानें हैं उनके पूर्ण विवरण सहित सूची उपलब्ध कराई जाये;

(ख) प्रत्येक दुकान पर कितने-कितने राशनकार्ड धारकों को राशन मिलता है, उसकी संख्या कितनी है, सभी कार्डधारकों की पूर्ण सूची विवरण के साथ उपलब्ध कराये;

(ग) प्रत्येक दुकान पर किस-किस श्रेणी के कितने-कितने कार्डधारक हैं, उनकी सूची पूर्ण विवरण के साथ उपलब्ध कराई जाये; और

(घ) माडल टाउन क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले लाल बाग इलाके के कई लोगों का राशन सर्कल-4 में दिये जाने के कारण उनको राशन लेने जहांगीरपुरी जाना पड़ता है, इस समस्या के समाधान के लिए विभाग द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है?

उपमुख्यमंत्री/मंत्री: (क) से (ग) मांगी गई जानकारी संलग्न है।

(घ) वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत कार्डधारी अपनी सुविधा के तहत किसी भी राशन की दुकान से राशन प्राप्त कर सकता है।

156. श्री राजकुमार आनंद: क्या उपमुख्यमंत्री/मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पटेल नगर विधान सभा क्षेत्र में कितने राशन कार्ड आवेदन लंबित है;

(ख) यह लंबित राशन कार्ड कब तक जारी किए जाएंगे; और

(ग) पिछले 3 माह में कितने राशन कार्ड जारी किए गए हैं?

उपमुख्यमंत्री/मंत्री: (क) विधानसभा पटेल नगर में कुल 1387 नए राशन कार्ड के आवेदन लंबित हैं जिसकी सूची सीडी संलग्न है।

(ख) दिल्ली के लाभार्थियों की संख्या 7277995 पूरी हो चुकी है जैसे ही लाभार्थियों के लिमिट बढ़ेगी या राशन कार्ड निरस्त होंगे/राशन कार्ड सदस्यों के नाम काटेंगे तभी रिक्तियां होंगी और साथ के साथ लंबित नए राशन कार्ड जारी किए जा सकेंगे।

(ग) पिछले 3 माह में 12 राशन कार्ड जारी किए गए राशन कार्ड का विवरण सीडी में संलग्न है।

157. श्री सौरभ भारद्वाज: क्या उपमुख्यमंत्री/मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एसी-50 ग्रेटर कैलाश विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत दिनांक 01 जनवरी 2015 से 30 नवंबर 2021 की अवधि में जारी किए गए राशन कार्डों का सम्पूर्ण विवरण प्रदान करें। दिनांक 30 नवंबर 2021 तक की प्रतीक्षा सूची भी उपलब्ध कराएँ;

(ख) ग्रेटर कैलाश क्षेत्र के विधायक कार्यालय से खाद्य आपूर्ति विभाग में 1 जनवरी 2015 से 30 नवंबर 2021 के बीच कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुई, इन शिकायतों की प्रतियाँ उपलब्ध कराएँ;

(ग) उक्त शिकायतों के संबंध में की गई कार्रवाई से संबंधित फाइल पर की गई सभी नोटिंग उपलब्ध कराएँ;

(घ) एसी-50 में दिनांक 1 जनवरी 2015 से 30 नवंबर 2021 की अवधि के दौरान विभाग द्वारा कराए गए सोशल ऑडिट आकस्मिक निरीक्षण और घर-घर जाकर किए गए सर्वेक्षण से संबंधित संपूर्ण विवरण उपलब्ध कराएँ;

(ङ) विभाग यह कैसे सुनिश्चित करता है कि एसी-50 के अंतर्गत उचित दर दुकानदार अपनी दुकान सभी कार्य दिवसों में खोल रहे हैं, कृपया संपूर्ण विवरण दें;

(च) विभाग यह कैसे सुनिश्चित करता है कि उचितदर दुकानदार सभी पात्र व्यक्तियों को राज्य तथा केंद्र का सभी प्रकार का राशन वितरित कर रहा है, विवरण उपलब्ध कराएँ?

उपमुख्यमंत्री/मंत्री: (क) दिनांक 01 जनवरी 2015 से 30 नवंबर 2021 की अवधि में सर्कल FSO द्वारा कुल 827 नये राशन कार्ड जारी किए गए तथा 30 नवंबर 2021 तक कुल 522 राशन कार्ड के आवेदन लंबित हैं।

(ख) 1 जनवरी 2015 से 30 नवंबर 2021 तक माननीय विधायक के कार्यालय में 2 शिकायतें प्राप्त हुई हैं उक्त शिकायतों के संबंध में की गई कार्रवाई की प्रतिलिपि संलग्न है।

(ग) उक्त शिकायतों के संबंध में की गई कार्रवाई की प्रतिलिपि संलग्न है।

(घ) आकस्मिक निरीक्षण का विवरण FPS पर उपलब्ध निरीक्षण पुस्तिका में अंकित है, मंडल स्तर पर घर-घर जाकर कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ङ) समय-समय पर दुकानों का आकस्मिक निरीक्षण किया जाता है।

(च) इस समय राशन EPOS मशीन के माध्यम से परिवार के किसी भी सदस्य के द्वारा (जिसका नाम राशन कार्ड में है) अंगूठा लगाने के बाद राशन ले सकता है तथा इसकी जानकारी EPOS पोर्टल पर देखी जा सकती है।

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 581

14 पौष, 1943 (शक)

प्रतिलिपि

FOOD AND SUPPLIES DEPARTMENT
CIRCLE-50 (GREATER KAILASH)
DDA SHOPPING COMPLEX, SHIEKH SARAI
NEW DELHI-110017

F.No.: FSO/C-50/GK/1002

Dated: 24.11.2021

To

The Hon'ble MLA, Greater Kailash,
New Delhi-110017.

Subject:- Transfer of Ration Card from FPS Shahpur Jat to FPS shop Chirag Delhi
Regarding:- Long distance travel by beneficiaries to Shahpur Jat village FPS.

Sir,

In reference of your letter D.O. No.MLA/AC-50/225-R/2021-22 dated 03.10.2021 addressed to CFS, F&S. It is to inform you that no form related to change of fair price shop from Shahpur Jat to Chirag Delhi has been received from any of the beneficiaries in the circle office owing to which this circle is unable to transfer the ration cards from FPS Shahpur Jat to FPS Chirag Delhi as this office can only process the applications only after they are received on NFS Portal either through online mode or offline mode as per the official guidelines laid by the F&S Department, GNCTB. This information has already been conveyed vide letter dated 06.07.2020 (copy enclosed).

Therefore, it is once again requested to please send the beneficiaries who want to change their fair price shop from Shahpur Jat to Chirag Delhi and submit the requisite form for FPS change or they can also submit request online after which they need to submit documents within seven working days in the circle office.

Further, It is pertinent to inform you that the One Nation One Ration Card Scheme got implemented in Delhi from July, 2021 onwards, under which the ration is distributed through e-Pos machine. Under this scheme, ration is provided to the beneficiaries only after taking biometric information such as finger print or Iris in e-Pos machine due to which the chances of diversion or pilferage of ration is not possible as the undistributed ration which is lying in the shop will be adjusted in subsequent months.

Also the beneficiary can take ration from any of the ration shop not only in Delhi but also from any of the fair price shop from any part of the country, after the implementation of ONORC scheme in Delhi and other states as well.

This is for your kind information and further necessary directions in the matter please.

Your's Faithfully

FSO C-50, (Greater Kailash)
Food & Supplies Officer

Copy to: The Assistant Commissioner (New Delhi)



Govt. of NCT of Delhi
Department of Food Supplies and Consumer Affairs,
Circle-50 (Greater Kailash) DDA Shopping Complex,
Shiekh Sarai, Ph-11, New Delhi-110017

F.No.: FSO/C-50/2020/854

Dated: 27.06.2020

TO

Hon'ble Saurabh Bharadwaj, MLA
New Delhi-110017.

Subject:- Transfer of Ration Card from FPS Shahpur Jat to Chirag Delhi FPS Shops.
Regarding:- Long distance travel by beneficiaries to Shahpur Jat village FPS.

Respected Sir,

Reference of the subject matter may be please be taken. In this respect it is to inform you that an e-Mail was received on 17.06.2020 in this circle i.e. Circle 50, Greater Kailash from Assistant Commissioner, New Delhi office. In the letter Hon'ble MLA of Greater Kailash Shri Saurabh Bhardwaj has requested to transfer the cards from fair price shop of Shahpur Jat Village to fair price shops of Chirag Delhi as the location of the fair price shop of the Shahpur Jat far away from the location of beneficiaries residing in Savitri Nagar, Khirki Village, Khirki DDA flats, Jagdamba Ji Cluster Camp, Soami Nagar JJ Comp, Lal Gurnbad JJ Cluster Camp, Sheikh Sarai-I.

Hence, in this respect Hon'ble MLA Shri Saurabh Bhardwaj Ji may be requested to send people residing in these areas of Savitri, Khirki Village, Khirki DDA Flats, Jagdamba JJ Cluster Camp, Soami Nagar JJ Camp, Lal Gurnbad JJ Cluster Camp, Sheikh Sarai-I to submit in application form for change of their Fair Price Shop as per the guidelines of the department, after which this office will transfer their cards from the fair price shop of Shahpur Jat to fair price shop of their nearby location. This office will also sensitize people for the abovesaid purpose. However, No application for change of fair price shop from Shahpur Jat to Chirag Delhi have been received in this office.

Further, regarding various complaints against the Fair Price Shop of Shahpur Jat mentioned in the letter of Hon'ble MLA Shri Saurabh Bhardwaj Ji, a notice has been issued to the licensee of the shop for seeking his explanation regarding various complaints received against the Fair Price Shop, his reply is awaited in the circle office. However, no written complaint from beneficiaries have been received in the circle office against the Fair Price Shop of Shahpur Jat.

Thanking You

Your's Faithfully

Copy to: The Assistant Commissioner, New Delhi District

Food & Supplies Officer
Circle-50, (Greater Kailash)

158. श्री अभय वर्मा: क्या उपमुख्यमंत्री/मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुख्यमंत्री राशन योजना क्या है तथा इस योजना के तहत लक्ष्मी नगर विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2021 में कुल कितने लोग लाभान्वित हुए हैं और इस योजना पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ख) भारत सरकार की मुफ्त राशन योजना के तहत लक्ष्मी नगर विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2021 में कुल कितने लोग लाभान्वित हुए हैं;

(ग) नया राशन कार्ड बनाने का काम कब से शुरू होगा;

(घ) वर्ष 2015 से लेकर 2019 तक के आवेदनों करके खाद्य एवम संभरण विभाग के मुख्यालय को भेजे गए, आवेदनों की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ङ) लक्ष्मी नगर विधानसभा क्षेत्र में कुल कितने राशन कार्डधारी हैं और नए राशन कार्ड बनाने के लिए कुल कितने रिक्त स्थान हैं और वे कब तक भरे जाएंगे?

उपमुख्यमंत्री/मंत्री: (क) 2021 में कोई मुख्यमंत्री राशन योजना नहीं है। हालांकि, गैर-पीडीएस के तहत, जिन लाभार्थियों के पास राशन कार्ड नहीं था और जिन्हें भोजन की आवश्यकता थी, उन्हें गैर-पीडीएस योजना के तहत अभी भी राशन वितरित किया जा रहा है। लक्ष्मी नगर विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2021 में अब तक लगभग कुल 28875 लोग लाभान्वित हुए हैं। लगभग रु. 30,10,750 की धनराशि खर्च की गई।

(ख) भारत सरकार की मुफ्त राशन योजना (PMGKAY) के तहत लक्ष्मी नगर विधानसभा क्षेत्र में राशन कार्ड में पंजीकृत 52045 लोग प्रति माह वर्ष 2021 में कब से PMGKAY स्कीम लागू हुई, लाभान्वित हुए हैं।

(ग) नया राशन कार्ड बनाने का काम वर्तमान में पहले आओ पहले पाओ (FIFO) के अनुसार जारी है।

(घ) कुल आवेदन प्राप्त 6012, स्वीकृत 2226, निरस्त 1121, अस्वीकृत 2074, सरेंडर 13 और प्रक्रियाधीन 578।

(ङ) लक्ष्मी नगर विधानसभा क्षेत्र में लगभग कुल 13419 राशन कार्डधारी है। दिल्ली के लाभार्थियों की संख्या 7277995 पूरी हो चुकी है जैसे ही लाभार्थियों की लिमिट बढ़ेगी या राशन कार्ड निरस्त होंगे/राशन कार्ड सदस्यों के नाम काटेंगे तभी रिक्तियां होंगी और साथ के साथ लंबित नए राशन कार्ड जारी किए जा सकेंगे।

159. श्री अजय महावर: क्या उपमुख्यमंत्री/मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुख्यमंत्री राशन योजना क्या है तथा इस योजना के तहत घोंडा विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2021 में कुल कितने लोग लाभान्वित हुए हैं और इस पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ख) भारत सरकार के मुफ्त में राशन योजना के तहत घोंडा विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2021 में कुल कितने लोग लाभान्वित हुए हैं;

(ग) नया राशन कार्ड बनाने का काम कब से शुरू होगा;

(घ) वर्ष 2015 से लेकर 2019 तक के आवेदनों का प्रोसेस करके खाद एवं संभरण विभाग के मुख्यालय को भेजा गया उसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ङ) घोंडा विधानसभा क्षेत्र के कुल कितने राशन कार्ड धारी और नए राशन कार्ड बनाने के लिए कुल कितने रिक्त स्थान हैं; और

(ज) उपरोक्त रिक्त स्थान कब तक भरे जाएंगे?

उपमुख्यमंत्री/मंत्री: (क) 2021 में कोई मुख्यमंत्री राशन योजना नहीं है। हालांकि, गैर-पीडीएस के तहत, जिन लाभार्थियों के पास राशन कार्ड नहीं था

और जिन्हें भोजन की आवश्यकता थी, उन्हें गैर-पीडीएस योजना के तहत अभी भी राशन वितरित किया जा रहा है तथा 44732 लोग अब तक लाभान्वित हुए हैं लगभग रु. 47,41,592 की धनराशि खर्च की गई।

(ख) घोंडा विधानसभा क्षेत्र के सारे कार्डधारी (PMGKAY स्कीम के तहत) लाभान्वित हुए हैं।

(ग) पहले आओ पहले पाओ (FIFO) के अनुसार काम चल रहा है।

(घ) कुल आवेदन प्राप्त 8773, स्वीकृत 4092, निरस्त 642, अस्वीकृत 1639, सरेंडर 16 और प्रक्रियाधीन 2384।

(ङ) घोंडा विधानसभा क्षेत्र में कुल राशन कार्डधारियों की संख्या 30829 है। वर्तमान में नए राशन कार्ड बनाने के लिए कोई रिक्त स्थान नहीं है।

(ज) दिल्ली के लाभार्थियों की संख्या 7277995 पूरी हो चुकी है जैसे ही लाभार्थियों की लिमिट बढ़ेगी या राशन कार्ड निरस्त होंगे/राशन कार्ड सदस्यों के नाम काटेंगे तभी रिक्तियां होंगी और साथ के साथ लंबित नए राशन कार्ड जारी किए जा सकेंगे।

160. श्री मोहन सिंह बिष्ट: क्या उपमुख्यमंत्री/मंत्री क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) करावल नगर विधानसभा क्षेत्र के लोगों को राशन वितरण किस माध्यम से किया जा रहा है;

(ख) दिल्ली सरकार केंद्र सरकार द्वारा कितना-कितना राशन वितरण किया जा रहा है;

(ग) करावलनगर विधानसभा के अंतर्गत कुल कितनी राशन की दुकानें हैं;

(घ) राशन वितरण में घपलेबाजी रोकने के लिए कितनी राशन की दुकानों में बायोमेट्रिक सिस्टम लगाया गया है और कब कब इन राशन की दुकानों की जांच पड़ताल की गयी।

उपमुख्यमंत्री/मंत्री: (क) करावल नगर विधानसभा क्षेत्र के लोगों को राशन वितरण उचित दर दुकानों (नागरिक आपूर्ति योजना PDS) एवं शिक्षा निदेशालय दिल्ली सरकार के अंतर्गत (गैर नागरिक आपूर्ति योजना NONPDS) के माध्यम द्वारा किया जा रहा है।

(ख) 1. एनएफएस अधिनियम, 2013 के तहत वितरण

अ. योजना-25 किलो गेहूं

10 किलो चावल तथा 01 किलो चीनी

प्रायोरिटी राशन 04 किलो गेहूं, 01 किलो चावल (प्रत्येक व्यक्ति)

2. पीएमजीकेवाई के तहत वितरण:

प्रत्येक व्यक्ति 04 किलो गेहूं, 01 किलो चावल

3. दिल्ली सरकार द्वारा गैर-पीडीएस के तहत वितरण (जिनके पास राशन कार्ड नहीं है और जिन्हें भोजन की आवश्यकता है)

प्रत्येक व्यक्ति 04 किलो गेहूं, 01 किलो चावल।

(ग) करावल नगर विधानसभा के अंतर्गत कुल 41 दुकाने हैं।

(घ) करावल नगर विधानसभा के अंतर्गत कुल 41 दुकानें हैं जिन पर epos मशीन में बायोमैट्रिक सिस्टम द्वारा राशन वितरण किया जाता है और समय-समय पर दुकानों का निरीक्षण होता है।

161. श्रीमती राजकुमारी ढिल्लो: क्या माननीय समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पीडब्ल्यूडी रोड पर समाज कल्याण विभाग द्वारा धोबी समाज के लाभार्थियों को जगह आवंटित की गई है;

(ख) यदि हाँ तो क्या इन लाभार्थियों को लाभार्थी पत्र देने का प्रावधान है;

(ग) यदि हाँ तो ये लाभार्थी पत्र कब तक प्रदान किए जाएंगे; और

(घ) यदि नहीं, तो लाभार्थी पत्र के अभाव में बिजली एवं पानी का कनेक्शन प्रदान नहीं किए जाने के कारण, लोगों को होने वाली समस्याओं के निवारण के लिए विभाग की क्या योजना है तथा यह कब तक लागू होगी?

समाज कल्याण मंत्री: (क) नहीं।

(ख) उत्तर (क) के अनुसार लागू नहीं होता।

(ग) उत्तर (क) के अनुसार लागू नहीं होता।

(घ) उत्तर (क) के अनुसार लागू नहीं होता।

162. श्री शोएब इकबाल: क्या माननीय समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों से वृद्धावस्था पेंशन का भुगतान रोक दिया गया है, इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या कारण है कि पहले की भाँति काजी द्वारा जारी मुस्लिम तलाकनामा के आधार पर तलाक पेंशन का भुगतान न करके उसके स्थान पर न्यायालय द्वारा जारी तलाक के दस्तावेज माँगे जा रहे हैं, जिसके कारण तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को परेशानी हो रही है; और

(ग) “आरफन पेंशन” के लिये पेंशन कार्यालय द्वारा अनाथ के नाम पर राशन कार्ड की मांग की जाती है, जो आसानी से उपलब्ध नहीं होते। इस समस्या के समाधान हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

समाज कल्याण मंत्री: (क) वृद्धावस्था पेंशन नियमित रूप से पेंशनधारियों के खाते में प्रेषित की जा रही है।

(ख) समाज कल्याण विभाग से संबंधित नहीं है। अतः संबंधित विभाग से सूचना एकत्र की जा रही है।

(ग) समाज कल्याण विभाग से संबंधित नहीं है। अतः संबंधित विभाग से सूचना एकत्र की जा रही है।

163. श्री विजेंद्र गुप्ता: क्या माननीय **समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रोहिणी विधानसभा में बुजुर्ग पेंशन लाभार्थी की मृत्यु के कारण कितने स्थान रिक्त हुये हैं तथा उन रिक्त स्थानों पर दिल्ली सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिये वृद्धा पेंशन हेतु आवेदन कब से प्रारम्भ किये जाएंगे;

(ख) क्या दिल्ली सरकार ने वृद्ध कल्याण हेतु कोई अन्य योजना वृद्धजनों को समर्पित की है;

(ग) यदि हाँ, तो पूर्ण विवरण दें;

(घ) मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना का क्या मानदण्ड है, स्पष्ट करें। दिल्ली की सेवा बस्तियों से कितने बुजुर्गों का तीर्थ स्थानों पर जाने के लिए आज तक पंजीकरण किया गया है;

(ङ) दिल्ली सरकार द्वारा संचालित कितने वृद्धा आश्रम हैं तथा क्या उनमें रहने वाले बुजुर्गों को मुख्यमंत्री यात्रा योजना के अंतर्गत कोई तीर्थ यात्रा कराई गई है; और

(च) क्या दिल्ली सरकार द्वारा बुजुर्गों की उचित देखभाल के लिए एकमुश्त राशि या विशेष पेंशन की कोई योजना है?

समाज कल्याण मंत्री: (क) रोहिणी विधानसभा में वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत अप्रैल 2019 से नवम्बर 2021 तक मृत्यु के कारण कुल 343 स्थान रिक्त हुये हैं।

वर्तमान में वर्ष 2018 में आबंटित रिक्तियों के आधार पर जिस विधानसभा क्षेत्र में रिक्तियाँ उपलब्ध हैं वहाँ आवेदन भरे जा रहे हैं।

अतिरिक्त नयी रिक्तियों का मामला नीतिगत निर्णय है जो कि समय-समय पर मंत्री मंडल द्वारा लिया जाता है।

(ख) वर्तमान में दिल्ली सरकार द्वारा वृद्ध कल्याण हेतु निम्नलिखित योजनाएँ चल रही हैं—

- वृद्धाश्रम 02
- वृद्ध व्यक्तियों द्वारा संचालित 150 मनोरंजन केंद्रों को सहायता अनुदान
- 11 भरण-पोषण न्यायाधिकरण एवं 11 अपीलीय न्यायाधिकरण
- वृद्धजनों के लिए हेल्पलाइन-14567

(ग) विवरण इस प्रकार है—

- वृद्धाश्रम-इन संस्थानों में वृद्ध जनों को वस्त्र, भोजन, दैनिक उपयोग की वस्तुएँ दी जाती हैं। साथ ही इन संस्थानों में वृद्धजनों के स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए चिकित्सक एवं उपचारिका की सुविधा भी उपलब्ध होती है।
- वृद्ध व्यक्तियों द्वारा संचालित मनोरंजन केंद्रों को सहायता अनुदान-गैर सरकारी अथवा निजी संस्थाओं द्वारा वृद्धजनों के लिए चलाए जाने

वाले मनोरंजन केंद्रों के लिए दिल्ली सरकार सहायता अनुदान प्रदान करती है, जिसकी मदद से ये संस्थाएँ वृद्धजनों के लिए खेल, संगोष्ठी एवं पर्यटन का आयोजन करती हैं।

- भरण-पोषण न्यायाधिकरण एवं अपीलीय न्यायाधिकरण-वृद्ध जन अपने भरण-पोषण के अधिकारों के लिए इन न्यायधीकरणों में आवेदन कर सकते हैं।

वृद्धजनों के लिए हेल्पलाइन-14567-एन.आई.एस.डी., समाज कल्याण विभाग (दिल्ली सरकार) व हेल्पऐज-इंडिया (स्वयं सेवी संस्था) के त्रिपक्षीय अनुबंध के अंतर्गत वृद्धजनों के लिए हेल्पलाइन-14567 चलाई जा रही है, जिसके तहत वृद्धजनों को विभिन्न प्रकार की सहायताएँ, सूचनाएँ एवं सुविधाएँ प्रदान की जा रही हैं।

(घ) इस विभाग से संबंधित नहीं है। अतः संबंधित विभाग से सूचना एकत्र की जा रही है।

(ङ) दिल्ली सरकार द्वारा वर्तमान में दो वृद्धाश्रम संचालित किए जा रहे हैं, एक बिंदापुर और दूसरा वजीरपुर में स्थित हैं। उनमें रहने वाले बुजुर्गों को मुख्यमंत्री यात्रा योजना के अंतर्गत कोई तीर्थ यात्रा अभी तक नहीं कराई गई है।

(च) वर्तमान में आर्थिक सहायता अनुभाग, समाज कल्याण विभाग, दिल्ली सरकार के अन्तर्गत वृद्धजनों हेतु वृद्धावस्था आर्थिक सहायता योजना चलाई जारी रही हैं जिसके अन्तर्गत 2000/- रुपये प्रतिमाह (60-69 आयु वर्ग) एवं 2500/- रुपये प्रतिमाह (70 और उससे अधिक आयु वर्ग) प्रदान की जाती है।

इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अल्प संख्यक वर्ग के वृद्ध लाभार्थियों को रुपये 500/- अतिरिक्त प्रदान किये जाते हैं।

164. श्री रामवीर सिंह विधूड़ी: क्या माननीय समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में बुजुर्गों को मिलने वाली वृद्धावस्था पेंशन की आवेदन-प्रक्रिया कब से बंद है;

(ख) वृद्धावस्था पेंशन की यह आवेदन-प्रक्रिया पुनः कब तक शुरू हो पाएगी;

(ग) दिल्ली में इस समय यह वृद्धावस्था पेंशन कितने लोगों को दी जा रही है;

(घ) वृद्धावस्था पेंशन पा रहे सभी बुजुर्गों का विधानसभा क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसे कितने नए आवेदक हैं जिनके आवेदन करने के पश्चात उन्हें अभी तक पेंशन मिलनी आरंभ नहीं हुई है?

समाज कल्याण मंत्री: (क) पिछली रिक्तियाँ वर्ष 2018 में खोली गई थी। वर्तमान में जिस विधानसभा क्षेत्र में रिक्तियाँ उपलब्ध हैं वहाँ आवेदन भरे जा रहे हैं।

अतिरिक्त नयी रिक्तियों का मामला नीतिगत निर्णय है जो कि समय-समय पर मंत्री मंडल द्वारा लिया जाता है।

(ख) उपरोक्त 'क' के अनुसार।

(ग) दिल्ली में इस समय (माह नवम्बर 2021 तक) कुल 429443 वृद्धजनों को वृद्धावस्था पेंशन दी जा रही है।

(घ) ब्यौरा संलग्न है।

(ङ) दिल्ली में पूर्ण रूप से भरे एवं योग्य पाये गये कुल 864 ऐसे नये आवेदक हैं जिन्हें आवेदन के पश्चात् पेंशन मिलना प्रारम्भ नहीं हुआ है।

संलग्न

Summary of Old Age Beneficiaries Assembly Constituency Wise

Assembly Constituency Number	Constituency Name	Financial Assistance Credited in Accounts Upto NOV 2021
1	2	3
1	NARELA	10431
2	BURARI	8229
3	TIMARPUR	5428
4	ADARSH NGR.	7153
5	BADLI	6212
6	RITHALA	10983
7	BAWANA	10657
8	MUNDKA	9307
9	KIRARI	6302
10	SULTANPUR MAJRA	7788
11	NANGLOI JAT	8471
12	MANGOL	8652
13	ROHINI	4550
14	SHALIMAR	3574
15	SHAKUR BASTI	4630
16	TRI NAGAR	4615
17	WAZIRPUR	4235
18	MODEL TOWN	3616
19	SADAR BAZAR	7672
20	CHANDNI CHOWK	3178
21	MATIA MAHAL	4123

1	2	3
22	BALLIMARAN	4635
23	KAROL BAGH	6724
24	PATEL NAGAR	4933
25	MOTI NAGAR	4545
26	MADIPUR	6562
27	RAJOURI GDN.	7404
28	HARI NAGAR	4447
29	TILAK NAGAR	6620
30	JANAKPURI	4278
31	VIKASPURI	8385
32	UTTAM NAGAR	11601
33	DWARKA	5058
34	MATIALA	6902
35	NAJAFGARH	12278
36	BIJWASAN	5819
37	PALAM	6685
38	DELHI CANTT.	1884
39	RAJINDER NGR.	3434
40	NEW DELHI	936
41	JANGPURA	3854
42	KASTURBA NAGAR	2427
43	MALVIYA NAGAR	3459
44	R.K. PURAM	1677
45	MEHRAULI	3465
46	CHHATARPUR	7818
47	DEOLI	6003

1	2	3
48	AMBEDKAR NAGAR	4128
49	SANGAM VIHAR	4629
50	GREATER KAILASH	3056
51	KALKAJI	3773
52	TUGHLAKA BAD	3401
53	BADARPUR	6728
54	OKHLA	4787
55	TRILOKPURI	4498
56	KONDLI	5036
57	PATPARGANJ	5072
58	LAXMI NAGAR	5852
59	VISHWAS NAGAR	3786
60	KRISHNA NAGAR	6284
61	GANDHI NGR.	5606
62	SHAHDARA	5468
63	SEEMAPURI	9963
64	ROHTAS NAGAR	6922
65	SEELAMPUR	5745
66	GHONDA	7500
67	BABARPUR	5045
68	GOKALPUR	7989
69	MUSTAFABAD	8853
70	KARAWAL	6695
MP/MSW		16988
Total		429443

165. श्री गुलाब सिंह: क्या माननीय समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कई वर्षों से बंद बुढ़ापा पेंशन पुनः चालू करने की सरकार की कोई योजना है; और

(ख) यदि हाँ, तो कब तक पूरी जानकारी दी जाए?

समाज कल्याण मंत्री: (क) वर्तमान में जिस विधानसभा क्षेत्र में रिक्तियाँ उपलब्ध हैं वहाँ आवेदन भरे जा रहे हैं।

अतिरिक्त नयी रिक्तियों का मामला नीतिगत निर्णय है जो कि समय-समय पर मंत्री मंडल द्वारा लिया जाता है।

(ख) उपरोक्त 'क' के अनुसार।

166. श्री सौरभ भारद्वाज: क्या माननीय समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एसी-50, ग्रेटर कैलाश विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत दिनांक 1 जनवरी, 2019 से 30 नवंबर, 2021 की अवधि के दौरान विभाग में प्राप्त पेंशन से संबंधित सभी शिकायतों की प्रतिलिपि उपलब्ध कराएँ। इन शिकायतों के समाधान से संबंधित फाइलों पर की गई नोटिंग भी उपलब्ध कराएँ;

(ख) एसी-50 के लिए पेंशन का आर्वटित कोटा क्या है, कृपया इससे लाभान्वितों के नाम, पते और फोन नंबर उपलब्ध कराएँ;

(ग) इस प्रकार की शिकायतें थीं कि गलत मैपिंग के कारण एसी-50 के कोटे का प्रयोग किसी अन्य विधानसभा क्षेत्र द्वारा गया है, इस संबंध में विभाग द्वारा क्या कार्रवाई की गई और इसके समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए;

(घ) लाजपत नगर पेंशन कार्यालय में कुछ संविदात्मक कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया था, विभाग द्वारा इस संबंध में स्थाई कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई; और

(ड) लाजपत नगर पेंशन कार्यालय में लगातार कर्मचारियों द्वारा दुर्व्यवहार की शिकायतें मिल रही हैं, इस संबंध विभाग द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

समाज कल्याण मंत्री: (क) पेंशन संबंधी शिकायत विधानसभा क्षेत्रानुसार प्राप्त नहीं होती है। शिकायतकर्ता केवल अपना नाम व पता का ब्यौरा ही पत्र में देता है। इसलिए विधानसभा क्षेत्रानुसार शिकायतों का अलग से ऐसा कोई ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

अपितु जब भी किसी प्रकार की पेंशन संबंधी शिकायत विभाग में प्राप्त होती है उसका जल्द से जल्द निपटारा करने का प्रयास किया जाता है।

(ख) वृद्धावस्था आर्थिक सहायता योजना के अन्तर्गत ऐसा कोई कोटा निर्धारित नहीं है अपितु माह अक्टूबर 2018 में एसी-50 के लिए 500 रिक्तियाँ आवंटित की गयी थी।

लाभान्वितों के नाम, पते और फोन नंबर की सूची संलग्न है।

2017 में जब ई-डिस्ट्रिक्ट शुरू हुआ तो सभी Localities/Areas जिला कार्यालयों और विधायक के कार्यकर्ताओं द्वारा मैप कार्रवाई गई थी। तब काफी क्षेत्र (areas) अन्य विधान सभा में मैप हो गये जिसका पता लगने पर उन localities को ठीक किया गया और जो आवेदन गलत localities में भरे गये एवं निर्धारित पात्रता के अनुसार योग्य पाये गये उन आवेदनों को वहां से स्वीकृत किया गया और उनकी पेंशन प्रेषित कर दी गई।

(घ) इस संदर्भ में अभी इन्क्वायरी चल रही है। संविदात्मक कर्मचारियों को तुरन्त प्रभाव से पदच्युत भी कर दिया गया है।

(ङ) इस संदर्भ में संबंधित जिला कार्यालय को निर्देश दे दिये जाते हैं कि वे प्राप्त शिकायतों के आधार पर तथ्यों की जाँच करके उचित कार्यवाही करें। साथ ही समय-समय पर विन्डों पर कार्यरत स्टाफ को आम जनता व पेंशनधारियों के प्रति संवेदनशील होने के निर्देश दिये जाते हैं। इसका उल्लंघन करने पर उचित और कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

संलग्न

Old Age Pension-Constituency-50 (Out of 500 Vacancies)

S. No.	Applicant Name	Father Name	Address	Mobile Number	Application
1	2	3	4	5	6
1	Gopal Krishan Kaushik	JGHIH	450/2 Chirag Delhi Chirag Delhi Delhi 110017 India	9311535953	31/12/2018
2	Lalita Murghai	KJGJK	E-178 East of Kailash East of Kailash, Block-B Delhi	9871149977	31/12/2018
3	Kailash Nath	Roop Chand	J-3/49 DDA Flats Kalkaji Alakanda Delhi 110019 India	8588833450	31/01/2019
4	Shivcharan	Manna Lal	J-1/97 DDA Flats Kalkaji Alakanda Delhi 110019 India	9810646715	31/01/2019
5	Promila v. Aswani	GKKJ	20/634 DDA Flats Kalkaji Alakanda Delhi 110019 India	9953398338	31/01/2019
6	Shahnawaz Alam	Khadim Hussain	30/877 DDA Flats Kalkaji Greater Kailash Part-II Delhi	9350732700	31/01/2019
7	Banwari Lal	Khairati Lal	D-148 DDA Flats Kalkaji Alakanda Delhi 110019 India	9871185748	31/01/2019
8	C.M. Sharma	Mahanand	K-88-0 Sheikh Sarai Phase-2 Sheikh Sarai Phase-II Delhi	9871821638	31/01/2019
9	Biplab Sen Gupta	Parrimalen Gupta	B-143 Chitranganj Park Cr Park Delhi 110019 India	8800911946	31/01/2019

1	2	3	4	5	6
10	Ashok Kumar	BHKL	1223/52 DDA Flat Kalkaji Alakanda Delhi 110019 India	9654595924	31/01/2019
11	Jitendra Kumar Karwal	Suraj Bhan	725 Chirag Delhi Chirag Delhi Delhi 110017 India	9015056009	31/01/2019
12	Jmotri Devi	Slfdhjp	L-7-G Sheikh Sarai Sheikh Sarai Phase-II Delhi 110017 India	9968364080	30/11/2018
13	Naresh Chand Jain	Mukh Chand Jain	248 Chirag Delhi Chirag Delhi Delhi 110017 India	9968612401	30/11/2018
14	Bale Ram	Shiv Dayal	53 Zamrudpur Zamrudpur Village Delhi 110048 India	9711258625	30/11/2018
15	Jagan Devi	Ramchander	55 Zamrudpur Zamrudpur Village Delhi 110048 India	9999292987	30/11/2018
16	Rati Ram	Ram Chander	55 Zamrudpur Zamrudpur Village Delhi 110048 India	8543860167	30/11/2018
17	Chandra Narayan Verma	Baidhanth Prasad Ver	26/24, 3rd Floor C/O Pawan Kumar Zamrudpur Village	9821663405	30/05/2019
18	Hakumat Rai	Chardas	352 Chirag Delhi Chirag Delhi Delhi 110017 India	8375005364	30/05/2019
19	Mary Issac	Late N.K. Chacko	C-98 D.D.A Flats Kalkaji Greater Kailash Part-II Delhi	7678260871	30/05/2019
20	Samir Kumar Ghosh	Narender Nath Ghosh	813 Chirag Delhi Chirag Delhi Delhi 110017 India	9891843749	30/01/2019

21	Kishni	Klhl	292 Shahpur Jat Shah Pur, Village Jat, Taxi Stand Delhi	9953857569	30/01/2019
22	Raj Bala	KBKJHKJ	49 Chirag Delhi Chirag Delhi Delhi 110017 India	7289825334	29/12/2018
23	Karu Yadav	SLHFOPH	S-79 Greater Kailash Greater Kailash Part I Delhi	9625881442	29/11/2018
24	Ramesh Kumar Saini	LSHDL	62 Zamrudpur Zamrudpur Village Delhi 110048 India	8860875456	29/11/2018
25	Dharam Pal Bhutani	Tara Chand	142-A DDA Flats Shahpur Jat Delhi 110049 India	9818674755	29/10/2018
26	Shanti Bhauguna	Pandit Bhauguna	C-56A 2st Floor Panchsheel Vihar Panchsheel Vihar	9891393758	29/10/2018
27	Shakuntala Gupta	Mangal Prasad Gupta	A-258 Block A DDA Flats Kalkaji Greater Kailash Part	8826977016	29/06/2019
28	Rajinder Kaur Kohli	Bhagat Singh	A-202 Dda Flats Kalkaji Greater Kailash Part-II Delhi	9818877992	29/06/2019
29	Dharam Pal Kanojia	Prem Kishore	S-82/233 Jagdamba Camp Sheikh Sarai Delhi 110017 India	7838280272	29/06/2019
30	Dharam Pal Kanojia	Late Chhote Lal	J4/11 a D.D.A Flats Kalkaji Greater Kailash Part-II Delhi	9711765642	29/05/2019
31	K.M. Issac	Late K.M. Mani	C-98 D.D.A Flats Kalkaji Greater Kailash Part-II Delhi	9818427652	29/05/2019
32	Pyari Devi	Klhl	139 Chirag Delhi Chirag Delhi Delhi 110017 India	9891024951	29/01/2019

1	2	3	4	5	6
33	Shakuntla Devi	Jgjkj	14 A, L Pocket Sheikh Sarai Sheikh Sarai Phase-II Delhi	9654988421	28/12/2018
34	Usha Devi	Ghgkjh	431 Chirag Delhi Chirag Delhi Delhi 110017 India	9717106994	28/12/2018
35	Shama Kiran	Kjgkj	10 G L Sheikh Sarai Sheikh Sarai Phase-II Delhi 110017 India	9891091816	28/12/2018
36	Kanta Rani	Slbfhlo	D-81 DDA Flats Kalkaji Alakanda Delhi 110019 India	9999883096	28/11/2018
37	Deen Dayal Jain	Jhabulal Jain	776 Chirag Delhi Chirag Delhi Delhi 110017 India	9015031813	28/11/2018
38	Raj Rani	Bihari Lal	9/276 DDA Flats Kalkaji Greater Kailash Part-II Delhi	9717983593	28/06/2019
39	Chhotey Meeyan	Mahibulla	C-26 D.D.A Flats Kalakaji Greater Kailash Part-II Delhi	9899749157	28/06/2019
40	Macolina Singh	Patrick Hannah	D-77 DDA Janta Flats Kalkaji Greater Kailash Part-II Delhi	9717104838	28/04/2019
41	Santosh Kumari	GHLK	C-295 DDA Flats Kalkaji Alakanda Delhi 110019 India	9650263876	28/02/2019
42	Bikram Singh Rawat	Surender Singh Rawat	W-6 Greater Kailash Greater Kailash Part I Delhi	8368893243	28/02/2019
43	Lajwanti	Hgjkjk	J1/36 Block-J1 Kalkaji DDA Flats Alakanda Delhi 110019	9311448341	28/02/2019

44	Parkasho	Lklhjk	401 Sant Nagar Greater Kailash Part 1 Delhi 110065 India	7531923340	28/02/2019
45	Laxmi Devi	Kglhk	C-52 Panchsheel Vihar Panchsheel Vihar Delhi 110017	9990619783	28/02/2019
46	Rabina Khatoon	Kjikhk	S-136/40 J J Camp Swami Swami Nagar Jhuggi Delhi	9810202755	28/01/2019
47	Aminchand Thakur	Kjlkj	L-1 Aravali Aparatment LIG Flats Alakanda Alakanda	9818433310	28/01/2019
48	Narinder Jaswal	Bgkjk	4/111 Teanaments Kalkaji Alakanda Delhi 110019 India	9910702385	28/01/2019
49	Raj Sharma	Jkgk	194 Gurudwara Wali Gali Greater Kailash Part 1 Delhi	9811353649	28/01/2019
50	P.K. Verma	Roop Chand	37/986 DDA Flats Kalkaji Alakanda Delhi 110019 India	9211418702	28/01/2019
51	Indrani Mukherjee	Amiya Bhattacharya	B-125 Dda Sfs Flats Sheikh Sarai Phase-1 Sheikh Sarai	9899995517	28/01/2019
52	Ruchi Ram	Jgk	S/253/59 T Huts Panchsheel Colony Lal Gumbad Camp	8130677760	28/01/2019
53	Kiran Vijh	Jkgk	F-48 Ground Floor East of Kailash, Block-B Delhi	9654028897	28/01/2019
54	Raj Rani Sharma	Lal	183 Savitri Nagar Sheikh Sarai Delhi 110017 India	9891050572	28/01/2019
55	R.K. Bagga	C.L Bagga	461 Block-15 DDA Flats Kalkaji Alakanda Delhi 110019 India	9818306560	28/01/2019

1	2	3	4	5	6
56	Shyam Lal Matta	Jgjk	1091/44 DDA Flats Alakanda Delhi 110019 India	9540335238	28/01/2019
57	Anupurni	Jkgk	22 Zamrudpur Village Zamrudpur Village Delhi 110048	9650471228	28/01/2019
58	Chameli Devi	Jvgjhg	131-b Shahpur Jat Shah Pur, Village Jat, Taxi Stand Delhi	9958301027	27/12/2018
59	Hardevi	Kjgkjhk	206 Savitri Nagar Sheikh Sarai Delhi 110017 India	7289003033	27/12/2018
60	Haidar Ali	Sefayt Ali	C220/S Savitri Nagar Sheikh Sarai Delhi 110017 India	8076093803	27/11/2018
61	Rajo Devi	Swdfhpio	26 Greater Kailash Zamrudpur Zamrudpur Village Delhi	8076617555	27/11/2018
62	Sushila	Sdfokj	396b Chirag Delhi Chirag Delhi Delhi 110017 India	9560954858	27/11/2018
63	Chander Prakash	Nayader Chand Kalra	358, A Chirag Delhi New Delhi	9718708931	27/11/2018
64	Laxmi	Fhoh	S-136/45 Swami Nagar Swami Nagar Jhuggi Delhi 110017	8800516754	27/11/2018
65	Mange Ram	Dhol	77 Chirag Delhi Chirag Delhi Delhi 110017 India	8076481613	27/11/2018
66	Ramesh Devi	Sfugo	746 Chirag Delhi Chirag Delhi Delhi 110017 India	9999508223	27/10/2018

67	Bhanumati Mandal	Safti Bhakta	A-16 DDA Flats 88 Block Chittranjan Park Greater Kailash	9810665838	27/06/2019
68	Mina Barua	Nagender Lal Barua	34 A-88 Block DDA Flats Chittranjan Park Greater Kailash	8447146983	27/06/2019
69	Sapan Barua	N B Barua	Near Market No. 1 C-529 Chittranjan Park Greater Kailash	9717615169	27/06/2019
70	Champa Devi	Jethva	L-1/97-A DDA Flats Kalkaji Greater Kailash Part-II Delhi	9310285075	27/04/2019
71	Prem Wati	Singh	T-265/B-3 Chirag Delhi Chirag Delhi Delhi 110017 India	9553980016	27/02/2019
72	Nanku Rathor	Shdfoi	32 Shahpur Jat Shahpur Jat Delhi 110049 India	9891661898	26/11/2018
73	Mahesh Chand Sharma	Sgohgo	72 Sant Nagar Greater Kailash Delhi 110065 India	9911404970	26/11/2018
74	Prabhawati Tiwari	Asdfik	72 D Pkt Ph-2 Sheikh Sarai Sheikh Sarai Phase-II Delhi India	9891393758	26/10/2018
75	Hathi Ram	Hdih	15 Zamrudpur Village Zamrudpur Village Delhi 110048	9999292396	26/10/2018
76	Aroti Sarkar	M C Das	B-372 Chittranjan Park Greater Kailash Part-II Delhi India	9711435233	26/06/2019
77	Usha Rani Mitra	Dinesh Mandal	27A/88 DDA Flats Chittranjan Park Greater Kailash	8800780407	26/06/2019
78	Santosh Berry	Janki Das	23-C L-Pocket Shekh Sarai Phase-2 Sheikh Sarai Phase	9717015566	26/05/2019

1	2	3	4	5	6
79	Kanwal Kumar Bery	Mulkh Raj Bery	23-C L-Pocket Sheikh Sarai Phase-2 Sheikh Sarai Phase	9717015566	26/05/2019
80	Ramesh Chander Mehta	J C Mehta	B-4/B-5 Panchsheel Vihar, Aamrit Vani Mandir Panchsheel	9810779226	26/02/2019
81	Uma Rikhi	Sushil	L-1/11B DDA Flat Kalkaji Alakanda Delhi 110017 India	9871838331	26/02/2019
82	Siyaram	Kjhh	T-456-B Chirag Delhi Chirag Delhi Delhi 110017 India	9899522445	26/02/2019
83	Shaukat Ali	Yamin Ali	221A Chirag Delhi Chirag Delhi Delhi 110017 India	9873165090	26/02/2019
84	Krishan Singh	Sdhuihb	485 Chirag Delhi Chirag Delhi Delhi 110017 India	9911018126	25/10/2018
85	Gita Chauhan	Sdffi	C-106 Panchsheel Vihar Panchsheel Vihar Delhi 110017	8588016111	25/10/2018
86	C.T. Neelaveni	Sfhiow	1 B DDA Flate Shahpur Jat Shahpur Jat Delhi 110049 India	9013256978	25/10/2018
87	Mehar Chand	Kash	140/1 Zamrudpur Zamrudpur Village Delhi 110048 India	9818963525	25/10/2018
88	Harichand	Das	123-A Zamrudpur Zamrudpur Village Delhi 110048 India	9810689264	25/10/2018
89	Satya Dev Dubey	Lhi	8 Zamrudpur Village Zamrud Pur Delhi 110048 India	7880751145	25/10/2018

90	Minoti Prabha Dey	Sushil Chander Day	L-2 GF Chitranjan Park Greater Kailash Part-II Delhi	9213261740	25/06/2019
91	Ravita Sharma	Ram Sharan	C-43 1st Floor Panchsheel Vihar Malviya Nagar Panc	9354347900	25/05/2019
92	Jugal Kishor	Kallu Ram	13/412 DDA Flats Kalkaji Greater Kailash Part-II Delhi India	9810712078	25/04/2019
93	Saroj Batra	Father Name	C-45 Bangotri Enclave Alaknanda Alakanda Delhi	9818056379	25/04/2019
94	Harbhajan Singh	Balwant Singh	420 Sant Nagar Greater Kailash Part I Delhi 110065 India	9811429788	25/02/2019
95	Hari Chand	IHIOI	48/1167 DDA Flats Kalkaji Alakanda Delhi 110019 India	9212463235	24/12/2018
96	Brahmi Devi	JKJ	43/1084 DDA Flats Kalkaji Alakanda Delhi 110019 India	9717244930	24/12/2018
97	C.K. Ravindran	Krishna	J-4/26-B DDA Flats Kalkaji Alakanda Delhi 110019 India	9811376775	24/12/2018
98	Hemanta Biswas	Khsdk	Savitri Cenema 56 DDA Flats Kalkaji Alakanda	9891384363	24/12/2018
99	Asha Negi	Kjhkgkjh	31/896 DDA Flats Kalkaji Alakanda Delhi 110019 India	9717592301	24/12/2018
100	Rami Devi	KGJKG	C-55A Panchsheel Vihar Panchsheel Vihar Delhi 110017	8447899747	24/12/2018
101	Raj Sondhi	Gijj	A-245 DDA Flats Kalkaji Alakanda Delhi 110019 India	9540458628	24/12/2018

1	2	3	4	5	6
102	Chandro Devi	Hoioi	J-4/122B DDA Flats Kalkaji Alakanda Delhi 110019 India	9811724216	24/12/2018
103	Asarphi Devi	Abcdefgh	83 Zamrudpur Greater Kailash Part I Zamrudpur Delhi	9311875942	24/07/2019
104	Dhani Ram	Lekhraj	J2/43-B DDA Flats Kalkaji Greater Kailash Part-II Delhi	8130657569	24/07/2019
105	Ashok Kumar	Pyare Lal	F-266 Street No. 7 Vishnu Garden Greater Kailash-II	7840035256	24/07/2019
106	Prabir Guha	NC Guha	H No. 643 Block D Chittranjan Park Greater Kailash	9868123103	24/06/2019
107	Veena Bhardwaj	B.P. Sharma	691/2 Chirag Delhi Chirag Delhi Delhi 110017 India	9205953643	24/04/2019
108	P K Subramanian	P S Krishna Kumar	J-1/160 DDA Flats Kalkaji Greater Kailash Part-II Delhi	8377992465	24/04/2019
109	Bhagwan Devi	Ghurey Lal	D-17 DDA Flats Kalkaji Greater Kailash Part-II Delhi	8377992465	24/04/2019
110	Pushpa Rani	Shri Chuni Laluppall	147 Nilgiri Apartment Alaknanda Greater Kailash	9319722932	24/04/2019
111	Ravi Chopra	Gopal Dass	B-22 Greater Kailash Greater Kailash-II Enclave Delhi	9899458833	24/01/2019
112	Hushan	Nimu Miya	13/5 Zamrudpur Zamrudpur Village Delhi 110048 India	9811869798	24/01/2019

113	Mohd Aslam	Mohammad	T-265 Chirag Delhi Chirag Delhi Delhi 110017 India	9711282972	24/01/2019
114	Sneh Lata	Gopal Dass	B-22 Greater Kailash Greater Kailash-II Enclave Delhi	8527990059	24/01/2019
115	Dil Bahadur Sunar	Ram Bahardur	Arya Samaj Mandir M-Block Greater Kailash Part-II Delhi	9560528288	23/11/2018
116	Chander Pal Singh	Soran Singh	100 Zamrudpur Village Zamrudpur Village Delhi 110041	9811135933	23/10/2018
117	Daljit Kaur	Abcedeiff	153 Pocket D Narmada Apartment Alaknanda Alaknanda	9990046540	23/07/2019
118	Narinder Kaur	Abcdef	34/930 Block-34, DDA Flats Kalkaji Kalkaji Alaknanda	9810007973	23/07/2019
119	Aruna Dhamija	Bhadar Sain Walia	B-202 DDA Janta Flats Kalkaji Greater Kailash Part-II	9873855849	23/07/2019
120	Renukaminj	Patras Khalku	C-280 DDA Flats Kalkaji Greater Kailash Part-II Delhi	8448660683	23/06/2019
121	Kalyan Singh	Kjghk	NIL-175 Panchsheel Park Panchsheel Park Delhi 110017	9999756923	22/12/2018
122	Usha Roy	Fjhgh	25 Shahpur Jat Shah Pur, Vvillage Jat, Taxi Stand Delhi	9958231287	22/12/2018
123	Ramesh Devi	Jsgo	386 Shahpur Jat Shahpur Jat Delhi 110049 India	8882002223	22/11/2018
124	Babu Lal	Dbloqh	S-85/46 Lal Gumbad Camp Lal Gumbad Camp Delhi 110017	9694807310	22/11/2018

1	2	3	4	5	6
125	Maya Devi	Sfgo	209 Shahpur Jat Shahpur Jat Delhi 110049 India	9893666006	22/11/2018
126	Ishwar Devi	Kdkihj	D-76 East of Kailash East of Kailash, Block-D Delhi	9013603781	22/11/2018
127	Rohtash Kumar	Fd	107 Savitri Nagar Sheikh Sarai Delhi 110017 India	9990352725	22/10/2018
128	Ved Prakash Sharma	Mahadev Prasad Sharma	K-1 2nd Floor Kailash Colony Kailash Colony Delhi	8700200929	22/10/2018
129	Usha Devi Sharma	Madan Lal Sharma	K-1 Kailash Colony Kailash Colony Delhi 110017 India	8700200921	22/10/2018
130	Sumitra Devi	Mahendra Prasad	3, H.K Sheikh Sarai Sheikh Sarai Phase-II Delhi 110017 India	9560609973	22/10/2018
131	Ashrafi Devi	Kas	109 Savitri Nagar Savitri Nagar Sheikh Sarai Delhi	7011644237	22/10/2018
132	Teg Bahadur	Kk	D42 Sheikh Sarai Sheikh Sarai Phase-II Delhi 110017 India	9990553102	22/10/2018
133	Om Prakash Batra	Gela Ram Batra	JB-19A, G/F Khirki Extension Malviya Nagar Corner Delhi	9873866016	22/07/2019
134	Shakuntala Devi	Bhoor Mal	H.No 76 Chirag Delhi New Delhi Chirag Delhi Delhi	9818337875	22/07/2019
135	Khem Chand	Ram Kishan	364 B Chirag Delhi Chirag Delhi Delhi 110017 India	9205265793	22/06/2019

136	Chaman Lal	Sohan Lal	D-126 DDA Falts Kalkaji Greater Kailash Part-II Delhi	9716433280	22/06/2019
137	Bira Negi	Kunwar Singh Rawat	B-156 D.D.A Flats Ali Greater Kailash Part-II Delhi	9953510986	22/06/2019
138	Raj Kumari	Hukum Chand Munjal	1239/53 DDA Flats Kalkaji Greater Kailash Part-II Delhi	9818780708	22/06/2019
139	Shyam Narayan Sharma	Ram Lakhan Sharma	514 Chirag Delhi Chirag Delhi Delhi 110017 India	9811677542	22/06/2019
140	Chote Khan	Rais Dola	D-29 Block D DDA Janta Flats Kalkaji Greater Kailash	9268763446	22/06/2019
141	Laxman Prasad	Late Gopal Mani Chami	J-3/129 D.D.A Flats Kalkaji Greater Kailash Part-II Delhi	7828799050	22/06/2019
142	Chandra Rai	Bahadur	A-7 Kailash Colony Kailash Colony Delhi 110048 India	9716263048	22/01/2019
143	Ram Asare	Jay Ram	S/253/27 T Huts Panchsheel Colony Gullak Wali Masjid	9250818702	22/01/2019
144	Asha Bhardwaj	Gkgjk	819/A Chirag Delhi Chirag Delhi Delhi 110017 India	9999941164	22/01/2019
145	Subas Thapa	Jgijh	701/7 Chirag Delhi Chirag Delhi Delhi 110017 India	9910506357	21/12/2018
146	Jatadhar Jha	Kjhokhol	R-69 Greater Kailash Greater Kailash Part I Delhi-110001	9650480872	21/12/2018
147	Suresh Prasad	Hlj	B-52/2-A Panchsheel Vihar Panchsheel Vihar Delhi	9871116904	21/12/2018

1	2	3	4	5	6
148	Dila Ram	Fjghfh	407 Chirag Delhi Chirag Delhi Delhi 110017 India	9810740269	21/12/2018
149	Barphi Devi	Jsioi	50A Zamrudpur Zamrudpur Village Delhi 110048 India	8766246854	21/11/2018
150	Sushil Thakur	Dakshraj	6/188 DDA Flats Kalkaji Alakanda Delhi 110019 India	9871095782	21/11/2018
151	Rajpali Devi	Kfu	50 Zamrudpur Zamrudpur Village Delhi 110048 India	9999677253	21/11/2018
152	Khuku Saha	Sfhiio	N-12 Panchshila Park Panchsheel Park Delhi 110017 India	9810923264	21/11/2018
153	Shanti Lal Khurana	C R Khurana	L-2/152 B LIG DDA Flats Kalkaji Greater Kailash Part-II	9810907254	21/07/2019
154	Santosh Khurana	Gela Ram Kukreja	L-2/152 B LIG DDA Flats Kalkaji Greater Kailash Part-II	9810907254	21/07/2019
155	Harish Chand	Tejram	221 Chirag Delhi Chirag Delhi Delhi 110017 India	7217844791	21/06/2019
156	Kaushalya	Prem Das	221 Chirag Delhi Chirag Delhi Delhi 110017 India	7217844791	21/06/2019
157	Santosh	Ram Chander Sharma	371 Chirag Delhi Malviya Nagar Chirag Delhi Delhi	9811017475	21/06/2019
158	Azad Singh	Shri Budh Ram	117 Zamrud Pur Greater Kailash Part 1 Delhi 110048 India	8800706330	21/06/2019

159	Darman Singh	Gyan Singh	M-40 Greater Kailash Part I Delhi 110048 India	8860347881	21/06/2019
160	Harish Chhabra	Ganga Ram Chhabra	J-2/68-B DDA Flats Kalkaji Greater Kailash Part-II Delhi	9818930035	21/05/2019
161	Ranjeet Kaur	Mangal Singh	A-208 DDA Flats Kalkaji Greater Kailash Part-II Delhi	9953057208	21/04/2019
162	Rekha Kapoor	Jaidev Arya	A-194 DDA Flats Kalkaji Greater Kailash Part-II Delhi India	8447777866	21/04/2019
163	Krishan Kumar Sekhri	Prem Nath Sekhri	A-208 DDA Flats Kalkaji Greater Kailash Part-II Delhi India	8700584045	21/04/2019
164	Dugu Sagar	Uday Sagar	13/2 Zamrudpur Villgae Zamrudpur Delhi 110048 India	9871073921	21/01/2019
165	Panna Lal Patpatia	Baldev Raj Patpatia	65 Zamrudpur Village Zamrudpur Village Delhi 110048	9213695545	21/01/2019
166	Laeq Ahmad	Himayat Ali	J-3A/21E, Khirki Extn Malviya Nagar Greater Kailash-I	7290850234	20/11/2018
167	Nand Lal Ahuja	SFA	776 Chirag Delhi Chirag Delhi Delhi 110017 India	9667762179	20/10/2018
168	Krishna Puri	Devi Dayal	L-2/83B DDA Flats Kalkaji Greater Kailash Part-II Delhi	9667762179	20/10/2018
169	Latamthawani	Ganga Ram Shahani	L-1/180-B Dda Flats Kalkaji Greater Kailash Part-II Delhi	8130065800	20/07/2019
170	Mihir Kiran Dey	Kumud Bihari	J-2/83-B DDA Flats Kalkaji Greater Kailash Part-II Delhi	9891226098	20/07/2019

1	2	3	4	5	6
171	Shashi Saxena	Late Sh B.I. Raizada	14-C, SFS Flats, Category-I Sheikh Sarai Phase-I Delhi	9999628204	20/07/2019
172	Surinder Bagga	Kripal Singh	15/461 DDA Flats Kalkaji Greater Kailash Part-II Delhi	9818306560	20/04/2019
173	Hari Prasad	Pyare Lal	L-2/161-B DDA Flats Kalkaji Greater Kailash Part-II Delhi	9013559670	20/04/2019
174	Radha Thakur	Late Gajadhar Jha	J-3/215 DDA Flats Kalkaji Greater Kailash Part-II Delhi	8929960197	20/04/2019
175	Pushpa Devi	Khkh	J3/322 DDA Flats Kalkaji Alakanda Delhi 110019 India	8368217161	19/12/2018
176	Parvesh Malhotra	Prothvi Rai Malhotra	167C Shahpurjat Shahpur Jat Delhi 110049 India	9891182807	19/11/2018
177	Suresh Dayal Mathur	Jagdish Dayal Mathur	48 CJ Pocket Sheikh Sarai Phase-2 Malviya Nagar-S.O	9899424625	19/11/2018
178	Shambhu Prasad Das	Ran Chander Das	H.N.373 Chirag Delhi Malviya Nagar Chirag Delhi	9891688218	19/11/2018
179	Beermati Panwar	Oldh	310 Shahpur Jat Shahpur Jat Delhi 110049 India	9643059507	19/11/2018
180	Kamla Punni	Sssaa	1/4 Savitri Nagar Sheikh Sarai Phase-I Delhi 110017 India	8130709191	19/10/2018
181	Rattan Singh	Rampal	471 Naya Gamiya Mohalla Naya Gamiya Mohalla Chirag	9891170600	19/10/2018

182	Shakuntala Ahuja	ASO	776 Chirag Delhi Chirag Delhi Delhi 110017 India	9811799264	19/10/2018
183	Kamar Singh	IASA	108 Chirag Delhi Chirag Delhi Delhi 110017 India	8448665862	19/10/2018
184	Baldev Raj Arora	FC Arora	9/269 DDA Flats Kalkaji Greater Kailash Part-II Delhi	9654985276	19/07/2019
185	Sitapati	Ramlal	T-62C Top Floor Khirki Extension Malviya Public Schc	9711192683	19/07/2019
186	Ganga Devi	Bachhi Ram	14/428 DDA Flats Kalkaji Greater Kailash Part-II Delhi	9319910533	19/04/2019
187	Minoti Ghosh	Kedar Nath	B-44 Near Ration Office DDA Flats Kalkaji Greater	9810968808	19/04/2019
188	Mewa Singh	Brayag Singh	33/917 DDA Flats Kalkaji Greater Kailash Part-II Delhi	9811157037	19/04/2019
189	Jyoti	D V Karnani	D-6 DDA Flats Kalkaji Greater Kailash Part-II Delhi	9810715960	19/04/2019
190	Varghese E.J.	JL	J-4/74A DDA Flats Kalkaji Alakanda Delhi 110019 India	9953141345	19/01/2019
191	Bimla Devi	KH	125 J-1 DDA Flats Kalkaji Alakanda Delhi 110019 India	9999743747	19/01/2019
192	Madhuri Nath	HGJGH	765/23 DDA Flats J Kalkaji Alakanda Delhi 110019 India	9810898418	19/01/2019
193	Om Prakash Kashyap	Rambaskh	399 13 DDA Flats Kalkaji Alakanda Delhi 110019 India	9811572688	19/01/2019

1	2	3	4	5	6
194	Basanti	IL	J-2/101B DDA Flats Kalkaji Alakanda Delhi 110019 India	9990312622	19/01/2019
195	Kavita Bhardwaj	JHGH	707 Chirag Delhi Chirag Delhi Delhi 110017 India	9871956047	18/12/2018
196	Ram Wati	KAAA	59-A Chirag Delhi Chirag Delhi Delhi 110017 India	9871289501	18/10/2018
197	Nandlal	Banarsi	J-40 Karotiya Camp Kalkaji Greater Kailash Part-II Delhi	9958823700	18/07/2019
198	Balwant Singh	Sarwan Singh	1200/50 DDA Flats Kalkaji Greater Kailash Part-II Delhi	9810107108	18/07/2019
199	Tarapada Dhara	Shashadhar Dhara	88/C Zamrudpur Greater Kailash Zamrudpur Delhi	9313006462	18/07/2019
200	Nikhil Roy	Jogandra Roy	43 B/88 Block DDA Flats Chittranjan Park Greater Kailash	9650835657	18/07/2019
201	Jagdish Kumar	Atma Ram	J-1/221 DDA Flats Kalkaji Greater Kailash Part-II Delhi	8920721996	18/05/2019
202	Ishwar Devi Bageja	Mohan	S-289 Greater Kailash Greater Kailash Part I Delhi	9958615102	18/02/2019
203	Chhoti Gupta	Khoh	54 Zamrudpur Zamrudpur Village Delhi 110048 India	9899729865	17/12/2018
204	Ramesh Chander	Jit Ram	454 Chirag Delhi Chirag Delhi Delhi 110017 India	9717669300	17/11/2018

205	Suraj Bhan	Nanu Ram	289 Chirag Delhi Chirag Delhi Delhi 110017 India	9810967154	17/07/2019
206	Phuleshwar Jha	Umakant	666/2 Chirag Delhi Chirag Delhi Delhi 110017 India	9958858560	16/11/2018
207	Ramesh Kumar	SFDNHO	476 Chirag Delhi Chirag Delhi Delhi 110017 India	9650926529	16/11/2018
208	Khima Devi	GIOSFGO	143 B Shahpur Jat Shahpur Jat Delhi 110049 India	9873475908	16/11/2018
209	Sarla Gupta	Roop Kishore Agarwal	H-4 Flat 103 Panchsheel Vihar Malviya Nagar Malviya	8368073431	16/07/2019
210	Leela Devi	Sadgahd	360-A Shahpur Jat Andrewsganj Shah Pur, Village Jat	9911204474	16/07/2019
211	Naraian Das Arora	Diwan Chand	J-1/374 DDA Flats Kalkaji Greater Kailash Part-II Delhi	9811302351	16/06/2019
212	Renu Kalra	Janana Das	J-4/110 B DDA Flats Kalkaji Greater Kailash Part-II Dell	9868808703	16/05/2019
213	Yashpal Kalra	Om Prakash	J-4/110 B DDA Flats Kalkaji Greater Kailash Part-II Delhi	8130265302	16/05/2019
214	Gian Chand	Nandu Ram	463 Chirag Delhi Chirag Delhi Delhi 110017 India	9810116189	16/02/2019
215	Akleem Ahmad	Buniyad Ali	S-253/121A Golakwali Masjid Gullak Wali Masjid Delhi	9990547746	16/02/2019
216	Gyan Kaur	LKJFD	A-26 DDA Flats Alakanda Delhi 110019 India	9971648028	15/12/2018

1	2	3	4	5	6
217	Krishna Harsh	GIGUI	J-4/103A DDA Flats Kalkaji Alakanda Delhi 110019 India	9213336033	15/12/2018
218	Chander Singh Negi	KJGJIOGH	B-156 DDA Flats Kalkaji Alakanda Delhi 110019 India	9999923364	15/12/2018
219	Asha Malhotra	JGBIOHOI	J3/214 DDA Flats Kalkaji Alakanda Delhi 110019 India	9910703620	15/12/2018
220	Radha Devi	KIHODFHO	66A Zamrudpur Zamrudpur Village Delhi 110048 India	9873408588	15/12/2018
221	Ramesh Sachdeva	OIHIO	J-1/341 DDA Flats Kalkaji Alakanda Delhi 110019 India	8447021844	15/12/2018
222	Imrat Devi	Dhoho	S-13/26 Swami Nagar Swami Nagar Jhuggi Delhi 110017	9540144597	15/11/2018
223	Karuna Gupta	Sh. Chaman Lal Aggarwal	D19 Greater Kailash Encalve-1 Greater Kailash Encl	9557779133	15/07/2019
224	Arti Mandal	ADFSDGFS	H. No. 92 Zamrudpur Ghon Greater Kailash Greater	9213889439	15/07/2019
225	Hukam Chand Gera	Late Roshan Lal	J-1/85 Gali No-3 D.D.A Flats Kalkaji Greater Kailash	9958338003	15/07/2019
226	Mohdshamim	Rehemtulla	230 Chirag Delhi Chirag Delhi Delhi 110017 India	9811901205	15/06/2019
227	Qazal Bash Sahira Begum	Husaynuddin Daggar	397 Sahpurjat Shah Pur, Village Jat Taxi Stand Delhi	9953308115	15/06/2019

228	Annaghose	Rabdiyal	B-243 Greater Kailash Greater Kailash Part I Delhi	9716267330	15/06/2019
229	Arun Kumar Jha	Hari Madhav Jha	B-219 DDA Flats Kalkaji Greater Kailash Part-II Delhi	8826236414	15/04/2019
230	Binodbihari Sen	S C SEN	H No-699 Block D Chitranjan Park Greater Kailash	9210845153	15/04/2019
231	Shyam Sunder	Ram Kishan	House No - 263 A Post - Andrewganj Shahpur Jat	9818663686	15/04/2019
232	Mohinder Singh Gill	HFOHO	11/337 DDA Flats Kalkaji Alakanda Delhi 110019 India	9891651475	14/12/2018
233	Sohan Lal	OIHGSO	J-1/36 DDA Flats Kalkaji Alakanda Delhi 110019 India	9311448341	14/12/2018
234	Deepa	Dhoh	4/108 DDA Alakanda Delhi 110019 India	9810991243	14/12/2018
235	Parneshwari	Hfoh	J-3/92 Dda Flats Kalkaji Alakanda Delhi 110019 India	9811455530	14/12/2018
236	Sukhwant Kaur	Jiwan Singh	Gurudwara Gk-1 Greater Kailash-I Delhi 110048 India	8527881601	14/11/2018
237	Munni Devi	Pyare Lal	13A/48 C R Park Greater Kailash Part-II Delhi 110019 India	9958164316	14/06/2019
238	Mahinder Sahni	Pulkit Sahni	E-866 Chitranjan Park Greater Kailash Part-II Delhi India	9871857252	14/06/2019
239	Sushama Devi	Kali Parsad	28A Zamrudpur Greater Kailash Part-II Delhi 110048 India	8447810391	14/06/2019

1	2	3	4	5	6
240	Mamta Kapoor	Late Pyarelal Khanna	J-4/93A DDA Flats Kalkaji Greater Kailash Part-II Delhi	9899259894	14/04/2019
241	Daya Kishan Gupta	Bal Kishan Gupta	9 G L Block Sheikh Sarai Sheikh Sarai Phase-II Delhi India	9818196702	14/01/2019
242	Dharm Kaur	Mahinder Singh	C-234 DDA Flats Kalkaji Greater Kailash Part-II Delhi India	9818835153	13/07/2019
243	Treesa Harry	Khannan	JA-17B Khirki Extension Malviya Nagar Corner Delhi India	9899900266	13/07/2019
244	Ram Bati	NIL	513 Ashoka Bindusar Camp East of Kailash East of Kailash	8800227404	13/07/2019
245	Dinesh Chander Dhamija	N Dhamija	House No. 202 DDA Flats Kalkaji Greater Kailash	9899152515	13/06/2019
246	Gyarsi Devi	Dhukl Ram	C-204 DDA Flats Kalkaji Greater Kailash Part-II Delhi India	9818192388	13/06/2019
247	Pushpa Devi	Late Sukbeer Singh	A396 Chirag Delhi Chirag Delhi Delhi 110017 India	9871258070	13/06/2019
248	Dadakam Murgamma	KHFDP	S-159 Greater Kailash Greater Kailash Part-II Delhi, India	9818685783	12/12/2018
249	Manju Devi	LKIHDOHI	T-265B Chirag Delhi Chirag Delhi Delhi 110017 India	8448555719	12/12/2018
250	Francis Disuza	Desuja	90/B Zamrudpur Zamrudpur Village Delhi 110048 India	9871508953	12/12/2018

251	Ishwari Devi	Arnan Das	J-1/60 DDA Flats Kalkaji Greater Kailash Part-II Delhi India	9818767963	12/07/2019
252	Labh Singh	Chanan Singh	142/5 DDA JJ Tenaments Kalakji Greater Kailash Part	9990023545	12/07/2019
253	Chandra	Sadhu Ram	A-120 DDA Flats Kalkaji Greater Kailash Part-II Delhi India	9654541096	12/07/2019
254	Rajinder Kaur	Karam Singh	C-96 DDA Flats Kalkaji Greater Kailash Part-II Delhi India	9716701528	12/07/2019
255	Satish Patel	Joginder Patel	T-456 L-1 Chirag Delhi Chirag Delhi Delhi 110017 India	7042814453	12/06/2019
256	J George	Joseph	17/538 DDA Janta Flats Kalkaji Greater Kailash Part-I	9958217319	12/06/2019
257	Anup Kumar Gupta	Sujit Kumar Gupta	G-1424 Chittranjan Park Greater Kailash Part-II Delhi	8920427219	12/06/2019
258	Indra Devi	Mangta Ram	21/658 DDA Flats Kalkaji Greater Kailash Part-II Delhi	9811343808	12/04/2019
259	Mohan Singh Bisht	Shiv Singh Bisht	49 J Pocket Sheikh Sarai Sheikh Sarai Phase-II Delhi	9911734322	12/02/2019
260	Vina Bhardwaj	AS	433 Chirag Delhi Chirag Delhi Delhi 110017 India	8373900773	12/02/2019
261	Pradeep Sengupta	H. Sengupta	B-131 Chittranjan Park Cr Park Delhi 110017 India	9910001859	12/02/2019
262	Sarita Devi	LKFJWSJKL	S-136/78 J J Camp Swami Nagar Delhi 110017 India	8826609598	11/12/2018

1	2	3	4	5	6
263	Sunil Kumar Dey	Klhdo	675/21 DDA Flats Kalkaji Alakanda Delhi 110019 India	9717019020	11/12/2018
264	Shyama Bhardwaj	B R Dixit	H No - 655 2nd Floor Chirag Delhi New Delhi Chiragh	9540515146	11/07/2019
265	Prem Wati	Suma Ram	47 B Zamrudpur Near LSR College Zamrudpur Delhi	9818273700	11/07/2019
266	Manjeet Kaur	Aldhkl	315 Sant Nagar Greater Kailash Part I Delhi 110065 India	9899226288	11/07/2019
267	Vidya Rani	Late Sai Dass Dua	J-1/85 Gali No-3 D.D.A Flats Kalkaji Greater Kailash	9958338003	11/07/2019
268	Shashi Jain	Kundan Lal Jain	H No- 360/16 TF Chirag Delhi New Delhi Chiragh Delhi	9891667178	11/07/2019
269	Shri Pal	Shri Ramswaroop	212 Savitri Nagar Sheikh Sarai Delhi 110017 India	8373976048	11/06/2019
270	Laxminarayan	Devi Singh	C-189 D.D.A Flats Kalkaji Greater Kailash Part-II Delhi	7678347680	11/04/2019
271	P. Robert Minj	Late Francise Minj	C-280 DDA Flats Kalkaji Greater Kailash Part-II Delhi	9971423018	11/04/2019
272	Parveen Kalra	Nandlal	B-3 DDA Flats Kalkaji Greater Kailash Part-II Delhi	9350658719	11/04/2019
273	Bhim Singh	KJGKJG	T-265, C/11 Chirag Delhi Delhi 110017 India	9911871790	11/03/2019

274	Kala Wanti	Sharma	G-189/4 Savitri Nagar Sheikh Sarai Delhi 110017 India	7827855039	11/02/2019
275	Kapil Dev Yadav	Jagdish Prasad	201 Savitri Nagar Sheikh Sarai Delhi 110017 India	9871086536	11/02/2019
276	Savitri Devi	Jmbkbhk	2/56 DDA Flats Kalkaji Alakanda Delhi 110019 India	8447203302	11/01/2019
277	Veena Rani	LNILK	9/275 DDA Flats Kalkaji Alakanda Delhi 110019 India	999974144	11/01/2019
278	Shakuntla Devi	HLKH	A-103 DDA Flats Kalkaji Alakanda Delhi 110019 India	9873584471	11/01/2019
279	Swarm Kaur	LJLKJL	303 10 DDA Flats Kalkaji Alakanda Delhi 110019 India	9250225307	11/01/2019
280	Subhash Chander Girdhi	Kashi Ram	A-268 DDA Flats Kalkaji Alakanda Delhi 110019 India	9891114927	11/01/2019
281	Urmila Devi	KHDFOP	77A Zamrudpur Zamrudpur Village Delhi 110017 India	9711515300	10/12/2018
282	Angad Verma	LDFJ	294A Chirag Delhi Chirag Delhi Delhi 110017 India	9899633147	10/12/2018
283	Sukhdayal Singh	K Singh	2/35 DDA Flats Kalkaji Greater Kailash Part-II Delhi	9810940906	10/07/2019
284	Satish Kumar Anand	Ranjit Roy	B-47 DDA Flats Kalkaji Greater Kailash Part-II Delhi	9643137175	10/07/2019
285	Amita Nagar	Late Sh T N Dave	P-119 Top Floor Chittaranjan Park Ali Greater Kailash	9811063066	10/06/2019

1	2	3	4	5	6
286	Kishan Kant Nagar	Late Sh RL Pandya	P-119 Top Floor Chittaranjan Park Ali Greater Kailash	9811063066	10/06/2019
287	Yograj	Hardeva	165 Main Bazar Chirag Delhi Chirag Delhi Delhi 110017	9818400277	10/06/2019
288	Bimla Kumari	Raj Kumar	L-1/71B DDA Flats Kalkaji Greater Kailash Part-II Delhi	8588878399	10/04/2019
289	Ravinder Kumar Marwah	KJJJJJJJJHJK	87-A Zamrudpur Village Zamrudpur Delhi 110017 India	9818242288	10/01/2019
290	Krishna Devi	KJGKJ	631 Chirag Delhi Chirag Delhi Delhi 110017 India	9211701307	10/01/2019
291	Naseema Khatoon	KASJK	B/40 Khirki Extension Panchsheel Vihar Delhi 110017	9540961862	09/07/2019
292	Madheshwar Singh	Late Harihar Singh	166, 2nd Floor, Savitri Nagar, New Delhi-110017 Sarda	9955050036	09/07/2019
293	Rajendra Kumar	Nand Lal	16/491 Block-16 DDA Flats Kalakji Greater Kailash	9213155560	09/07/2019
294	Birami	NIL	S-219/194 Ashoka Bindusar Camp East of Kailash East	9811026573	09/07/2019
295	Harjeet Kaur	Moti Ram	L-1/176 A DDA Flats Kalkaji Greater Kailash Part-II Delhi	9910978284	09/07/2019
296	Darshan Kaur	Bachan Singh	C-94 DDA Flats Kalakji Greater Kailash Part-II Delhi	9999328001	09/07/2019

297	Margret Dass	Anthony Rajdass	752 DDA Flats 22 Block DDA Flats Kalkaji Greater Kailash	9560967249	09/07/2019
298	Dropati	Narayain Dass	L-2/93B DDA Flats Kalkaji Greater Kailash Part-II Delhi	9910290550	09/07/2019
299	Kanij Fatima	Habib Raza	C-197 DDA Falts Kalkaji Greater Kailash Part-II Delhi	8920593604	09/07/2019
300	Parmanand	Mool Chand	L-2/31-B LIG DDA Flats Kalkaji Greater Kailash Part-II	9213060910	09/07/2019
301	Vinod Gupta	Mam Chand Gupta	187 Main Bazar Chirag Delhi Delhi 110017	9891046459	09/06/2019
302	Saroj Bajaj	Nebhraj Mehta	E-793 GF Chittaranjan Park Greater Kailash Part-II Delhi	8800910938	09/06/2019
303	Sandhya Rani Barua	JLJLJL	L2/197A DDA Flats Kalkaji Alakanda Delhi 110019 India	9810082489	09/03/2019
304	SP Anand	HLKHL	A-314 DDA Flats Kalkaji Alakanda Delhi 110019 India	9818074492	09/03/2019
305	Daulat Ram	Dani Ram	S-162-A Panchshila Park Panchsheel Park Delhi 110017	9999979571	09/03/2019
306	Shyama Devi	Chander	J-4/39A DDA Flats Kalkaji Alakanda Delhi 110019 India	7838841912	09/03/2019
307	Jamna Devi	JKHLK	J-3/271 DDA Flat Kalkaji Alakanda Delhi 110019 India	9560128220	09/03/2019
308	Manju Bhardwaj	Mahinder Kumar	H.N.433 Chirag Delhi Malviya Nagar Chirag Delhi Delhi	9818879106	09/02/2019

1	2	3	4	5	6
309	Anwari Bano	Md Daud	318 A Chirag Delhi New Delhi Chiragh Delhi Village	9129713159	08/07/2019
310	Sarita Bhambra	Dhanpat Rai	428-A Sant Nagar Greater Kailash Part I Delhi 110065	9999806803	08/07/2019
311	Priya Bala Majumdar	Bipin Bihari Pal	54 Pocket-52 Kali Mandir Chitranjan Park Greater Kailash	9868734252	08/06/2019
312	Sidheshwari Devi	Gopal Singh Rawat	A-1/41-A Block L-1 DDA Flats Kalkaji Greater Kailash	8373951262	08/06/2019
313	Swaran Kaur	Banta Singh	A-112 DDA Flats Near Ration Card Office Greater Kailash	9311202611	08/05/2019
314	Bhajan Singh	Labh Singh	A-112 DDA Flats Kalkaji Near Ration Card Office	9311202611	08/05/2019
315	Hari Om	Late Phool Singh	J1/296 DDA Flats Kalkaji Greater Kailash Part-II Delhi	8860765579	08/04/2019
316	Waryam Singh	Raghubir Singh	Near Food Supply Office DDA Flats Kalkaji Alakanda	9810219491	08/03/2019
317	Meera	Suresh	D69 DDA Flats Kalkaji Alakanda Delhi 110019 India	7835808337	08/02/2019
318	Parwati Devi	JKHJK	67/3 Zamrudpur Zamrudpur Village Delhi 110048 India	9958688350	08/02/2019
319	Urmila Tandon	Trilok Bhushan Ghai	J-4/102-A DDA Flats Kalkaji Alakanda Delhi 110019 India	9212765323	08/02/2019

320	Sher Singh	Rakha Singh	314 Sant Nagar East of Kailash, Block-B Delhi 110065 India	9582747767	08/02/2019
321	Sant Ram	Satoshi Ram	E-335 E-East of Kailash East of Kailash, Block-D Delhi	9958906308	08/02/2019
322	Rajender Batra	Late Sh Chanda Ram	C-311 DDA Flats Kalkaji Greater Kailash Part-II Delhi	9873367481	08/02/2019
323	Yashoda Devi	Lal	21/660 DDA Flats Kalkaji Alakanda Delhi 110019 India	9899449064	08/02/2019
324	Bansi Lal Kathuria	Late Ashanand Khathuria	20 A-Block DDA Flats Kalkaji Alakanda Delhi 110019 India	9999114686	08/02/2019
325	Shakuntla	Bal Kishan	J3/75 DDA Flats Kalkaji Alakanda Delhi 110019 India	8459093755	08/02/2019
326	Rani Gandhi	Ramesh Chander	A-118 DDA Flats Kalkaji Alakanda Delhi 110019 India	9810102477	08/02/2019
327	Shouchand	JKGKJ	80 Chirag Delhi Chirag Delhi Delhi 110017 India	9540052962	08/02/2019
328	Ram Swarup Yadav	Bhutai Yadav	K-103 Zamrudpur Zamrudpur Village Delhi 110048 India	8010085192	08/02/2019
329	Jasvinder Singh	HGJGJK	8/232 DDA Flats Kalkaji Alakanda Delhi 110019 India	9810373229	08/01/2019
330	V K Popli	JHKJ	1087/43 DDA Flats Kalkaji Alakanda Delhi 110019 India	9971714383	08/01/2019
331	Shanti Devi	IKKL	Kalkaji Alakanda Delhi 110019 India	9212463235	08/01/2019

1	2	3	4	5	6
332	Santosh Sharma	KJGJK	C-113 DDA Flats Kalkaji Alakanda Delhi 110019 India	7011430162	08/01/2019
333	Abdul Majid	LKHKLJ	J-320 DDA Flats Kalkaji Alakanda Delhi 110019 India	9312497503	08/01/2019
334	Sureshi Devi	SFLJP	27/829 DDA Flats Kalkaji Alakanda Delhi 110019 India	9818250933	07/12/2018
335	Nathi Lal	Dhan Doli Ram	A-665 Block-A Gautam Puri Phase-2 East of Kailash	9811026573	07/07/2019
336	Pushpa Devi	Mange Ram Sharma	664 Chirag Delhi Chiragh Delhi Village Delhi 110017 India	9718938189	07/06/2019
337	Parwati	Late Girdhari Lal	J-1/228 D.D.A Flats Kalkaji Greater Kailash Part-II Delhi	9101137907	07/06/2019
338	Munni Devi	Nepal Singh	140 Zamrudur Zamrudpur Village Delhi 110048 India	8376069433	07/06/2019
339	Roop Lal Kanojia	Late Ram Lal	J-3/166 D.D.A Flats Kalkaji Greater Kailash Part-II Delhi	9911409338	07/04/2019
340	Satwant Kaur	KHLKHL	1197/50 DDA Flats Alakanda Delhi 110019 India	9811410832	07/01/2019
341	Anita Nanda	HLKH	D-175 DDA Flats Alakanda Delhi 110019 India	9354411649	07/01/2019
342	Paramjeet Kaur	KJGJ	1200/50 DDA Flats Kalkaji Alakanda Delhi 110019 India	9643255616	07/01/2019

343	Parkasho	GKJHJ	26 Zamrudpur Zamrudpur Village Delhi 110048 India	9013137235	06/12/2018
344	Ram Vati	LKWFFHO	22/729 DDA Flats Kalkaji Alakanda Delhi 110019 India	9868587110	06/12/2018
345	Roshani Devi	Bhagat Ram	179 B Block-II DDA LIG Flats Greater Kailash Part-II Delhi	9818433310	06/07/2019
346	Parkash Rani	Shiv Dutta	2/49 J J Tenaments Kalkaji Greater Kailash Part-II Delhi	9910290314	06/07/2019
347	Tara Sahay	Harish Chand	G-1406 Ground Floor Chitranjan Park Greater Kailash	7982348754	06/06/2019
348	Amarjeet Kaur	Dalip Singh	314-1st Floor Srinivasपुर Greater Kailash Part I Delhi	9582747767	06/06/2019
349	Bhagwan Sahay	Hardev Singh	G-1406 Ground Floor G Block Chitranjan Park Greater Kailash	7836998109	06/06/2019
350	Naresh Kumar Kaushik	Swaroop Singh	697 Chirag Delhi Chirag Delhi Delhi 110017 India	8076216640	06/06/2019
351	Arun Kumar Jain	Late M C Jain	H No - 248 Main Bazar Chirag Delhi Chirag Delhi Delhi India	9811307625	06/06/2019
352	Shyamwati	Ashok	149 A Chirag Delhi Chirag Delhi Delhi 110017 India	9250975100	06/06/2019
353	Reba Choudhury	Nakul Chandra Monda	19/587 DDA Flats Kalkaji Greater Kailash Part-II Delhi India	9013301637	06/05/2019
354	Vidya Sachdeva	Topan Das	L-1/211B DDA Flats Kalkaji Greater Kailash Part-II Delhi	9968288970	06/05/2019

1	2	3	4	5	6
355	Sharda Devi	Naryan Singh	1083/43 Block-43 Kalkaji Greater Kailash Part-II Delhi	9910474083	06/04/2019
356	Ramchand Joinwal	Dhani Ram	J-4/79B D.D.A Flats Kalkaji Greater Kailash Part-II Delhi	9560513175	06/04/2019
357	Rakesh Kumar	Shadi Ram	D-673 Chitranjan Park Cr Park Delhi 110019 India	9350171731	06/03/2019
358	Raj Sharma	JKGJGK	735 Chirag Delhi Chirag Delhi Delhi 110017 India	9871055858	06/03/2019
359	Anandi Devi	NLKSHNFO	B-66 DDA Flats Kalkaji Alakanda Delhi 110019 India	9560032148	05/12/2018
360	Deepa Devi	SFHNPOIK	32 H.No 909 DDA Flats Kalkaji Alakanda Delhi 110019 India	8588833450	05/12/2018
361	Ram Chander Chugh	LFP	A-259 DDA Flats Kalkaji Alakanda Delhi 110019 India	9810417917	05/12/2018
362	Ravinder Kumar Malhotra	KJFPO	J-3/214 DDA Flats Alakanda Delhi 110019 India	9910703620	05/12/2018
363	Radha Kishan	SLCFIP	J-1/87 D DDA Flats Kalkaji Alakanda Delhi 110019 India	9350360545	05/12/2018
364	Shakuntla	LCH	207 Block-B DDA Flats Kalkaji Alakanda Delhi 110019 India	9871121998	05/12/2018
365	Rajinder Kumar Sharma	KHOSCF	A-166 DDA Flats Kalkaji Alakanda Delhi 110019 India	9891537514	05/12/2018

366	Ram Raj	SFK	B-111 DDA Flats Kalkaji Alakanda Delhi 110019 India	9971857978	05/12/2018
367	D.Rama Rao	FLWHO	579 1st Floor Chirag Delhi Chirag Delhi Delhi 110017 India	8447539390	05/12/2018
368	Saroj Devi	CDKHNP	579 1st Floor Chirag Delhi Chirag Delhi Delhi 110017 India	8447539390	05/12/2018
369	Poonam Maurya	Avadh Raj Maurya	1019/39 2nd Floor DDA Flats Kalakji Greater Kailash India	9873628441	05/07/2019
370	Penzi Messy	Abdul Messey	D-70 DDA Flats Kalkaji Greater Kailash Part-II Delhi India	9899018575	05/06/2019
371	Shashi Suri	Late P.I. Suri	S-337 Greater Kailash Greater Kailash Part I Delhi	9582712978	05/06/2019
372	Mahendra Kumar Sharm	Ravi Chand Sharma	613 Jhankar Gali Chirag Delhi Chirag Delhi Delhi 11001	9811847630	05/06/2019
373	J B Wadhawan	Late P N Wadhawan	B-210 DDA Janta Flats Kalkaji Greater Kailash Part-II	8587994950	05/04/2019
374	Shrinath Verma	Judagi Verma	790/5 Chirag Delhi Chirag Delhi Delhi 110017 India	9654278275	05/03/2019
375	Kali Charan	Bhuti Lal	A-118 Block-A Panchsheel Vihar Delhi 110017 India	7303605932	05/03/2019
376	Savitri Devi	Surje Shoukin	29/4 Near Prachin Shiv Mandir Chirag Delhi Chirag Delhi	9891555088	05/03/2019
377	Tulsi Yadav	Shukar Yadav	T-265/D Chirag Delhi Village Delhi 110017 India	9871736526	05/03/2019

1	2	3	4	5	6
378	Pooran Lal	Basant Lal	121 Chirag Delhi Chirag Delhi Delhi 110017 India	9953079557	05/03/2019
379	Lalita Singh	Ran Vijya Pratap Singh	A-368 Chirag Delhi Chirag Delhi Delhi 110017 India	9319652624	05/02/2019
380	Chhotey Lal	Hundi Lal	A-3 Kailash Colony Greater Kailash Part 1 Delhi	9871914248	05/02/2019
381	Savitri Devi	Kljghkl	209-A Shahpur Jat Shah Pur Village Jat, Taxi Stand Delhi	9716199729	05/01/2019
382	Sushma Takkar	KLKJL	138 Sant Nagar Greater Kailash Part 1 Delhi 110065 India	9953456595	05/01/2019
383	Usha	SLDKL	607 A Chirag Delhi Chirag Delhi Delhi 110017 India	9971944502	04/12/2018
384	Chatter Singh Rattan	OFHO	39 Zamrudpur Village Zamrudpur Village Delhi 110048	9971139016	04/12/2018
385	Mahinder Kaur Dheer	LHDFLSKH	E-342 East of Kailash East of Kailash, Block-D Delhi	9289649257	04/12/2018
386	Dinesh Kumar	Chander Bhan	607A Chirag Delhi Chirag Delhi Delhi 110017 India	9999912387	04/12/2018
387	Carl Sabberwal	Late Kesavan Nair	K1/123, Ground Floor Chittaranjan Park Greater Kailash	9810834605	04/07/2019
388	Harender Kumar	Tak Chand	370 Chirag Delhi Chirag Delhi Delhi 110017 India	8076079777	04/06/2019

389	Bimla Devi	FGJH	578 Chirag Delhi Chirag Delhi Delhi 110017 India	9650133928	04/02/2019
390	Sham L.C.	KJGKJ	T-220E/1 Savitri Nagar Sheikh Sarai Delhi 110017 India	7982594027	04/02/2019
391	Nirmalajumeja	Hans Raj Rawal	568-A-SF Chirag Delhi Chirag Delhi 110017 India	9670466469	04/02/2019
392	Ramji Lal	SLFKH	K-34A Pocket Sheikh Sarai Sheikh Sarai Phase-II Delhi India	8447085577	03/12/2018
393	Rajo Devi	Sdlkbbkl	T-265C/17 Chirag Delhi Delhi 110017 India	9821845989	03/12/2018
394	Sudesh	Ramwati	123 Near Lsr Collage Zamrudpur Village Delhi 110048	9971707224	03/11/2018
395	Gyanwati Devi	HIF	68 Zamrudpur Zamrudpur Village Delhi 110048 India	9871449807	03/11/2018
396	Babu Ram	Lt. Ram Singh	H No - 9 Zamrudpur Greater Kailash Part-I Zamrudpur Village	9899137172	03/11/2018
397	Ramesh Dagar	UIIO	618 Chirag Delhi Chirag Delhi Delhi 110017 India	9899844433	03/11/2018
398	Faizan Ali	Lukman Ali	S-253/135 Gullak Wali Masjid Malviya Nagar	8929395278	03/07/2019
399	Nazara Begum	Wazir Ahamad	L-E/1 Zamrud Pur Zamrud Pur Zamrudpur Delhi 110048	9873778912	03/07/2019
400	Charan Kaur	Niranjan Singh	C-92 DDA Flats Kalkaji Greater Kailash Part-II Delhi	9210496987	03/07/2019

1	2	3	4	5	6
401	Jasbir Singh	Rawel Singh	A-397 Double Storey Kalkaji Greater Kailash Part-II	9811297096	03/07/2019
402	Anita George	Anteny Samuel	17/538 Block 17 DDA Flats Kalkaji Greater Kailash	9958217319	03/06/2019
403	Chhanu Lal	Kashi	W-73 GK-2 Greater Kailash Part 1 Delhi 110048 India	8287545762	03/06/2019
404	Kamal Kishore Beri	Jugal Kishor	111 Sant Nagar, Greater Kailash Part 1 Delhi 110065 India	9810930650	03/01/2019
405	Om Wati	HKLJ	139 Shahpur Jat Shah Pur, Village Jat, Taxi Stand Delhi	9899998389	03/01/2019
406	Laxmi	Jhgj	89 Zamrudpur Zamrudpur Village Delhi 110048 India	9354889076	03/01/2019
407	Geeta Devi	Moti Singh	U-321 U-Block Chirag Delhi Chirag Delhi Delhi 110017 India	9540943410	03/01/2019
408	Mangat Singh	Guni	A-101 Zamrudpur Greater Kailash-I Delhi 110049 India	7065622051	02/11/2018
409	Alpana Sarkar	Krishan Lal Dutta	26A/88 DDA Flats Kalkaji Greater Kailash Part-II Delhi	8527971684	02/07/2019
410	Rajbir Singh Panwar	Roop Chand Panwar	217 Shahpur Jat Village Shah Pur, Village Jat Taxi STAND	8700566830	02/07/2019
411	Savitri Devi	Narayan	S-136/52 A Block S Jhugi Swami Nagar Swami Nagar Delhi	7011254872	02/07/2019

412	Satyawati	Motilal	1234/53 DDA Flats Kalkaji Greater Kailash Part-II Delhi	7428727207	02/07/2019
413	Ruma Majumdar	Jitendranath Guha	M-10 Second Floor Near Chitranjan Park Police Station	8882082083	02/07/2019
414	Subhash Chander	Late Sai Dass	J-1/252 D.D.A Flats Kalkaji Greater Kailash Part-II Delhi	9953844333	02/06/2019
415	Pushpa Bagga	Late Hans Raj Sachdeva	J-1/252 D.D.A Flats Kalkaji Greater Kailash-II Enclave	9953844333	02/06/2019
416	Darshna	LKJLH	42A Chirag Delhi Chirag Delhi Delhi 110017 India	9873344101	02/03/2019
417	Jai Ram Shewaramani	Gover Das	1-G Pocket-K Shiekh Sarai Sheikh Sarai Phase-II Delhi	9250200578	02/03/2019
418	Pradip Majumdar	Dhirender Nath	377 Happy International School Chirag Delhi Chirag	9212078923	02/03/2019
419	Shakuntala Kanojia	HFJHFHJH	19D Pocket-J Sheikh Sarai Delhi 110017 India	9312278193	02/03/2019
420	Saroj Kant Bahera	FGJFGJH	194-A Shahpur Jat Shah Pur, Village Jat, Taxi Stand Delhi	9871540746	02/03/2019
421	Robert Dsouza	Denis Dsouza	B-8 JE-16/A Chirag Delhi Delhi 110017 India	8860887104	02/03/2019
422	Veena Rani Patpatia	ASGKJ	65 Near Badi Choppal Zamrudpur Zamrudpur Delhi	9213695545	02/03/2019
423	Barfi	Pal	S-82/36 Jagdamba Camp Jagdamba Camp Delhi 110017 India	8745004776	02/02/2019

1	2	3	4	5	6
424	S C Babbar	Anur Chander	J-36D Sheikh Sarai Sheikh Sarai Phase-II Delhi 110017 India	9212706559	02/02/2019
425	Ashok Kumar	KJKBB	4-H Pocket Sheikh Sarai Sheikh Sarai Phase-II Delhi	9821937658	01/12/2018
426	Baldev Singh Rattan	Pritam Singh Rattan	39 Punjabi Mohalla Zamrudpur Zamrudpur Village Delhi	9811373220	01/12/2018
427	Tej Singh	Maha Singh	H No - 561 Chirag Delhi New Delhi Chiragh Delhi Village	8285440060	01/06/2019
428	Harisadhan Bhattacharm	Birseswar Bhattacharh	H No - C10 Grater Kailash-I Greater Kailash-1	9312851913	01/05/2019
429	Saraswati Patra	KJGKJG	462A Chirag Delhi Chirag Delhi Delhi 110017 India	7303808495	01/03/2019
430	Rattan Kumari	HKLHL	T197 Savitri Nagar Sekh Sarai Delhi 110017 India	9811309842	01/03/2019
431	Sarwan Kumar Rana	Dharam Singh	681 Chirag Delhi Delhi 110017 India	9971980434	01/02/2019
432	Ashok Kumar	JKGHIKHG	R.T.O Office Sheikh Sarai Phase-II Delhi India	9540362366	01/01/2019

167. श्री महेन्द्र यादव: क्या माननीय समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विधवा, विकलांगता व वृद्ध पेंशन से जुड़ी समस्याओं व शिकायतों के निवारण के लिए विभाग की कोई विशेष हेल्पलाइन चलाई जाती है;

(ख) क्या सरकार पेंशन लाभार्थियों की शिकायतों के समयबद्ध निपटारे हेतु कोई विशेष पोर्टल या ऑनलाइन करने की सरकार की कोई योजना है;

(ग) यदि हाँ, तो कब तक; और

(घ) यदि नहीं, तो शिकायत निवारण की वर्तमान में क्या व्यवस्था है तथा भविष्य के लिए सरकार की क्या योजना है?

समाज कल्याण मंत्री: (क) और (ख) वृद्धजनों के लिये हेल्पलाइन-14567-एन.आई.एस.डी., समाज कल्याण विभाग (दिल्ली सरकार) व हेल्पऐज-इण्डिया (स्वयं सेवी संस्था) के त्रिपक्षीय अनुबंध के अन्तर्गत वृद्धजनों के लिये हेल्पलाइन-14567 चलाई जा रही है, जिसके तहत वृद्धजनों को विभिन्न प्रकार की सहायताएं, सूचनाएं एवं सुविधायें प्रदान की जा रही हैं।

साथ ही आम जनता की पेंशन संबंधी समस्याओं व शिकायतों का कार्यालय ई-मेल एवं पत्राचार के माध्यम से भी समाधान करने का प्रयास किया जाता है।

इनक्वायरी विन्डो पर भी व्यक्तिगत रूप से लाभार्थी/प्रार्थी अपनी समस्या प्रस्तुत कर सकता है।

इसके अतिरिक्त दिल्ली सरकार द्वारा लाभार्थियों की शिकायतों के समयबद्ध निपटारे हेतु ऑनलाइन पोर्टल जैसे PGMS, LG Listening Post इत्यादि की

सुविधा उपलब्ध है। जिस पर आम जनता/प्रार्थी/लाभार्थी की शिकायतों व समस्याओं का नियमित रूप से कार्यालय कर्मचारियों द्वारा निपटारा किया जाता है।

(ग) और (घ) उपरोक्त 'क' एवं 'ख' के अनुसार।

168. श्री राजेश गुप्ता: क्या माननीय समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि वजीरपुर विधानसभा क्षेत्र में वृद्धावस्था पेंशन सुचारू रूप से नहीं मिल रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस पेंशन को सुचारू रूप से चालू करने के लिए विभाग द्वारा काम कदम उठाये जा रहे हैं?

समाज कल्याण मंत्री: (क) जी नहीं।

(ख) उपरोक्त 'क' के अनुसार।

169. श्रीमती प्रमिला धीरज टोकस: श्रीमती माननीय समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली में वृद्धावस्था पेंशन के आवेदनों को बंद हुए अब दो साल से अधिक समय हो गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो विभाग की इन आवेदनों को कब खोलने की योजना है?

समाज कल्याण मंत्री: (क) वर्तमान में वर्ष 2018 में आर्बिट्रट रिक्तियों के आधार पर जिस विधानसभा क्षेत्र में रिक्तियाँ उपलब्ध हैं वहाँ आवेदन भरे जा रहे हैं।

अतिरिक्त नयी रिक्तियों का मामला नीतिगत निर्णय है जो कि समय-समय पर मंत्री मंडल द्वारा लिया जाता है।

(ख) उपरोक्त 'क' के अनुसार।

170. श्री विजेन्द्र गुप्ता: क्या उपमुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शराब की सरकारी दुकानों को प्राइवेट कंपनियों को सौंपने के पीछे दिल्ली सरकार का उद्देश्य क्या है, स्पष्ट करें;

(ख) दिल्ली रिहायशी इलाकों में नई शराब की दुकानें खोलने से महिलाओं और बच्चों को होने वाली परेशानी को दूर करने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(ग) क्या दिल्ली सरकार ने आवासीय क्षेत्रों में शराब की नई दुकानें खोलने से पूर्व वहां की आवासीय कल्याण समितियों तथा महिला संगठनों से कोई अनुमति ली है;

(घ) यदि हाँ तो अनुमति कापी प्रस्तुत करें और यदि नहीं ली गई तो कारण बताएं;

(ङ) क्या पिंक शराब की दुकानें खोलकर दिल्ली सरकार महिला सुरक्षा की राह बना रही है; और

(च) यदि हां तो किस प्रकार पूर्ण विवरण दें;

उपमुख्यमंत्री: (क) आबकारी नीति 2021-22 के तहत सरकारी दुकानों को बंद किया गया है तथा उतनी ही संख्या में प्राइवेट दुकानों को खोलने का प्रावधान है।

विगत के कुछ वर्षों में प्राप्त आबकारी विभाग के आंकड़ों के अनुसार यह पाया गया कि दिल्ली में नकली शराब/नॉन ड्यूटी पेड शराब की बिक्री के काफी मामले सामने आए थे जिस पर विभाग द्वारा कार्रवाई करते हुए पिछले पांच वर्षों में लगभग 17,58,049 अवैध शराब के बोतल जब्त की गई और दोषियों पर उचित कार्रवाई की गई। इस प्रकार की अवैध शराब की बिक्री से कई लोगों की जान जा सकती है और इससे राजस्व का नुकसान भी है।

आबकारी नीति 2021-22 का मुख्य उद्देश्य संभावित हूये त्रासदी तथा राजस्व की हानि को रोकना है।

आबकारी नीति 2021-22 के अन्य उद्देश्य यह भी है कि सरकार के लिए अधिकतम राजस्व का सृजन सुनिश्चित करना, दिल्ली में नकली शराब के बिक्री को खत्म करना और उपभोक्ता अनुभव को बदलना।

अत्यधिक जटिल, अत्यधिक विनियमित आबकारी व्यवस्था को सरल बनाने के लिए एवं एक सरलीकृत शुल्क और मूल्य निर्धारण तंत्र स्थापित के लिए, जिसकी समीक्षा समय-समय पर की जा सके।

उद्योग में जिम्मेदार व्यापारियों को व्यापार करने की अनुमति देना तथा किसी को एकाधिकार या कार्टेल के गठन की अनुमति नहीं देना।

सभा वार्डों/क्षेत्रों में अधिकृत शराब की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ताकि दिल्ली में नकली/नॉन ड्यूटी पेड शराब की समस्या को समाप्त किया जा सके।

(ख) अबकारी नीति 2021-22 के अंतर्गत शराब व्यापारियों द्वारा कानून एवं व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित का पालन करना अनिवार्य है-

1. सभी दुकानों को इस प्रकार डिजाइन किया जाएगा कि शराब की बिक्री दुकान के अंदर से हो तथा ग्राहकों को वाक इन सुविधा मिल सके।
2. सभी दुकानों में शीशे के दरवाजे लगाना अनिवार्य है।
3. सभी दुकानों में पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था होनी चाहिए।
4. सभी दुकानों के अंदर एवं बाहर परिसर में सीसीटीवी केमरे लगाना अनिवार्य है, जिसकी रिकार्डिंग कम से कम एक माह तक सुरक्षित रखना अनिवार्य है।
5. दुकानों के आस-पास विक्रेता द्वारा पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना अनिवार्य है।
6. लाइसेंसधारी, कानून-व्यवस्था और आसपास की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होगा।
7. यदि दुकान पड़ोस के लिए परेशानी का कारण बनती है और सरकार को इसकी शिकायत प्राप्त होती है तो उस दुकान का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।
8. जोनल लाइसेंस को नवीनीकृत करने के लिए लाइसेंसधारी द्वारा लाइसेंस मापदंडों का अनुपालन और आस-पास के क्षेत्रों में कानून-व्यवस्था की स्थिति एक महत्वपूर्ण पैरामीटर होगा।
9. यदि लाइसेंसधारी द्वारा उपरोक्त शर्तों एवं नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो उसके विरुद्ध उचित एवं कठोर कार्रवाई की जाएगी।

(ग) एक्साइज नीति 2021-22 में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

(घ) उपरोक्तानुसार।

(ङ) एक्साइज नीति 2021-22 में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

(च) उपरोक्तानुसार।

171. श्री एस.के. बग्गा: क्या माननीय **उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृष्णा नगर विधानसभा एसी-60 में एमसीडी वार्ड नं. 21ई, 22ई, 23ई, एवं 24ई में कितने लोगों को शराब के ठेके आवंटित किए गए हैं;

(ख) कृष्णा नगर विधानसभा एसी-60 के चारों वार्ड में स्थित सभी शराब के ठेकेधारियों का पूर्ण विवरण दें;

(ग) उक्त शराब के ठेकों के लाइसेंस कितने समय के लिए दिए गए हैं;

(घ) क्या शराब की दुकानें नियमानुसार आवंटित की गयी हैं; और

(ङ) मेरे द्वारा की गयी 5 शिकायतों क्रमशः शॉप नंबर 54, 5, 56 खुरेजी खास, दिल्ली 110051, शॉप नंबर 12ए, इंद्रा पार्क, दिल्ली 110051, शॉप नंबर सी 9/10, कृष्णा नगर, दिल्ली-110051, शॉप नंबर 11/51 व 52, गीता कालोनी, दिल्ली-110031, शॉप नंबर 421सी, झील खुरेजी, दिल्ली-110051 की वर्तमा स्थिति क्या है?

उपमुख्यमंत्री: (क) कृष्णा नगर विधानसभा एसी-60 में खोली गई दुकानों की संख्या निम्नानुसार है

21-ई-3 दुकान

22-ई-0

23-ई-5 दुकान

24-ई-1 दुकान

(ख) 21-ई वार्ड में मै/स.जे.एस.एन. इन्फ्राटेक, एल.एल.पी. द्वारा 3 दुकान खोली गई है।

22-ई वार्ड में कोई भी दुकान नहीं खुली है।

23-ई वार्ड में 5 और 24-ई में एक मै/स. पोपुलर स्पिरिट्स द्वारा खोली गई है।

(ग) आबकारी नीति 2021-22 के तहत दिए गए शराब के ठेकों के लाइसेंस वर्तमान में 31.03.2022 तक वैध हैं जिनकी वैधता नियम अनुसार बढ़ाई जा सकती है।

(घ) जी हाँ, दुकानें नियमानुसार आवंटित की गई हैं।

(ङ) (क) शॉप नंबर 11/51 व 52, गीता कालोनी, दिल्ली 110031

वर्तमान स्थिति-इस दुकान से संबंधित शिकायतों के निस्तारण हेतु दुकान के परिसर पुनर्निरीक्षण किया गया था जिसके उपरांत इस दुकान पर आबकारी नियमावली, 2010 के नियम 51(1) का उल्लंघन नहीं पाया गया।

- (ख) शॉप नंबर 54, 55, 56 खुरेजी खारा, दिल्ली-110051
वर्तमान स्थिति-इस दुकान से संबंधित शिकायतों के निस्तारण हेतु दुकान के परिसर का पुनर्निरीक्षण किया गया था, जिसके उपरांत इस दुकान पर आबकारी नियमावली, 2010 के नियम 51(1) का उल्लंघन नहीं पाया गया है।
- (ग) शॉप नंबर 12ए, इंद्रा पार्क, दिल्ली-110051
वर्तमान स्थिति-इस दुकान से संबंधित शिकायतों के निस्तारण हेतु दुकान के परिसर का निरीक्षण किया गया था, जिसके उपरांत इस दुकान पर आबकार नियमावली, 2010 के नियम 51(1) का उल्लंघन नहीं पाया गया।
- (घ) शॉप नंबर सी 9/10 कृष्णा नगर, दिल्ली-110051
वर्तमान स्थिति:- इस दुकान से संबंधित शिकायतों के निस्तारण हेतु दुकान के परिसर का निरीक्षण किया गया था, जिसके उपरांत इस दुकान पर आबकारी नियमावली, 2010 के नियम 51(1) का उल्लंघन नहीं पाया गया।
- (ङ) शॉप नंबर 413सी, झील खुरेजी, दिल्ली-110051
वर्तमान स्थिति:- इस पते पर दुकान खोलने का आवेदन निरस्त कर दिया गया है।

172. श्री अजय दत्त: क्या माननीय उपमुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अम्बेडकर नगर विधानसभा में खोली गयी शराब की नयी दुकान नंबर 19/553डीडीए फ्लैट मदनगीर और विराट सिनेमा मदनगीर कमर्शियल कम्प्लेक्स, नोटीफाई प्रापर्टी है;

(ख) इन दुकानों का साइज क्या है और मंदिर इन दुकानों से कितनी दूर है, पूरा ब्यौरा दिया जाए;

(ग) क्या इन दुकानों को खोलने से पहले एक्साईज विभाग ने सभी सरकारी मापदंडों को ध्यान में रखा है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं, पूर्ण विवरण दें;

(ङ) क्या रिसेटलमेंट और अनऑथोराइज्ड कॉलोनी में शराब की रिटेल दुकान खोलने की अनुमति दी जा सकती है, पूर्ण विवरण दें;

(च) यदि हाँ, तो दुकान खोलने के लिए न्यूनतम कितना क्षेत्रफल अनिवार्य है, पूर्ण ब्यौरा दें; और

(छ) अम्बेडकर नगर विधानसभा में आबकारी विभाग द्वारा कितनी शराब की दुकानों को रिटेल लाइसेंस दिए गए हैं, पूर्ण विवरण दें?

उपमुख्यमंत्री: (क) आवेदनकर्ता द्वारा दिए गए दस्तावेज के अनुसार दुकान नंबर 19/553 डीडीए फ्लैट मदनगीर अधिसूचित वाणिज्यिक सड़क सेंट्रल मार्केट रोड़ मदनगीर (स्वीट पैलेस मदनगीर से सिवानन्द विद्यालय) पर है तथा लाइसेंसी द्वारा दायर दस्तावेजों के अनुसार मकान मालिक ने इस दुकान के ग्राउंड तथा फर्स्ट फ्लोर का दिल्ली नगर निगम को कन्वरजन चार्ज जमा कर रखा है और शॉप नंबर 4, 5, 6 विराट सिनेमा मदनगीर डीडीए लीज दिनांक 23.03.1978 के अनुसार एक कमर्शियल काम्प्लेक्स पर बनी हुई है।

(ख) (1) दुकान नंबर 19/553 डीडीए फ्लैट मदनगीर 756 स्कवायर फीट

(2) शॉप नंबर 4, 5, 6 विराट सिनेमा मदनगीर 11/1 स्कवायर फीट
दिल्ली आबकारी नियम 2010 के नियम 51(1) के अंतर्गत इन

दोनों दुकानों के सौ मीटर के दायरे में कोई भी मंदिर नहीं पाया गया (जिसका क्षेत्रफल 400 वर्ग फीट या इससे ज्यादा हो) तथा न ही कोई प्रमुख शिक्षण संस्था-1 (सरकारी मान्यता प्राप्त उच्च माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, महाविद्यालय एवं उच्च शिक्षण संस्था-1 पाया गया।

(ग) एक्साइज डिपार्टमेंट ने एक्साइज पॉलिसी 2021-22, दिल्ली एक्साइज एक्ट-2009 एवं दिल्ली एक्साइज नियम 2010 का पालन किया है तथा लाइसेंस देने से पूर्व इन दोनों जगह का एक्साइज टीम द्वारा निरीक्षण किया गया है और उनकी रिपोर्ट का संज्ञान करने के बाद ही लाइसेंस जारी किया गया है।

(घ) उपरोक्तानुसार।

(ङ) आबकारी नीति 2021-22 के अनुसार किसी भी मॉल, अधिसूचित वाणिज्यिक सड़कों/गलियों, लोकल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, कम्युनिटी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में शराब की दुकान खोलने का प्रावधान है।

नॉन कन्फर्निंग क्षेत्रों में शराब की दुकान खोलने से संबंधित प्रस्ताव सरकार के धारा विचारधीन है।

(च) 500 वर्ग फीट।

(छ) अम्बेडकर नगर विधानसभा में 5 दुकानें खोली गई हैं, जिनका विवरण निम्नलिखित है-

79-s-03

80-s-02

173. श्री अजय महावर: क्या माननीय उपमुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के अन्दर नेशनल हाइवे और स्टेट हाइवे पर शराब के ठेके खोलने की अनुमति है या नहीं। यदि नहीं, तो हाइवे से कितने मीटर अन्दर तक खोले जा सकते हैं;

(ख) गली मोहल्ले में खुलने वाले शराब के ठेके आर.डब्ल्यू.ए. एवं महिलाओं के विरोध करने पर भी क्या खोले जा सकते हैं। यदि हाँ, तो बताएं कि जनता के विरोध का पैमाना क्या है, जिससे शराब के ठेके न खोले जा सकें;

(ग) क्या किसी भी मोहल्ला सभा या ग्राम सभा से इस विषय में पूछकर ठेके खोले गए हैं;

(घ) क्या दिल्ली में महिलाओं के लिए पिक ठेके खोले जा रहे हैं, मापदंडों सहित पूर्ण विवरण दें;

(ङ) क्या शराब के ठेके खोलने की समय सीमा देर रात्रि तक बढ़ाई गई है एवं युवाओं के शराब पीने की उम्र घटाई गई है; और

(च) क्या यह शराब के ठेके मास्टर प्लान-2021, Mixed use Regulation के नियमों को ध्यान में रख कर खोले जा रहे हैं?

उपमुख्यमंत्री: (क) आबकारी नीति 2021-22 के अंतर्गत नेशनल हाइवे अथवा स्टेट हाइवे के निकट शराब के ठेके खोलने के संदर्भ में कोई विशिष्ट दिशा-निर्देश नहीं हैं।

(ख) आबकारी नीति 2021-22 में इस विषय पर कोई दिशा-निर्देश नहीं हैं, हालांकि आबकारी नीति 2021-22 के अंतर्गत शराब व्यापारियों द्वारा कानून एवं व्यवस्था को सुनिश्चित करना अनिवार्य है।

(ग) आबकारी नीति 2021-22 के अंतर्गत इस विषय से संबंधित कोई प्रावधान नहीं है।

(घ) आबकारी नीति 2021-22 के अंतर्गत इस विषय से संबंधित कोई प्रावधान नहीं है।

(ङ) वर्तमान नियम एवं गाइडलाइन्स के तहत शराब के ठेके खोलने की समय-सीमा नहीं बढ़ाई गई है। शराब के ठेके सुबह 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक खुल सकते हैं। युवाओं के शराब पीने की उम्र नहीं घटाई गई है। तदपि नई नीति में समीपवर्ती राज्यों में शराब के सेवन की उम्र को ध्यान में रखते हुए उम्र सीमा तय करने की बात कही गई है।

(च) जी हाँ।

174. श्री मोहन सिंह बिष्ट: क्या माननीय उपमुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के अंदर आज दिन तक कुल कितनी शराब की नई दुकानें खोली गई हैं;

(ख) क्या यह सत्य है कि दिल्ली में नई शराब की दुकान खोलने से पहले नियम संबंधी औपचारिकताओं की अनदेखी की जा रही है;

(ग) यदि नहीं, तो 15 20 फीट के रोड़ पर शराब की दुकान खोले जाने के क्या कारण हैं;

(घ) शराब की दुकानों का कमर्शियल होना अनिवार्य न किए जाने तथा इन जमीन के मालिकों से कमर्शियल तथा पार्किंग शुल्क न लिए जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) जो शराब की दुकानें नियम और कायदे के अनुसार नहीं खोली जा रही हैं इनको बंद करने के लिए सरकार की क्या योजना है, पूर्ण विवरण दें?

उपमुख्यमंत्री: (क) नई आबकारी नीति 2021-22 के तहत दिनांक 27 दिसंबर 2021 तक दिल्ली में खोली गई शराब की दुकानों की संख्या 501 है।

(ख) नहीं, यह सत्य नहीं है। दिल्ली में नई शराब की दुकान खोलने से पहले सभी नियम संबंधी औपचारिकताओं का पालन किया जा रहा है।

(ग) सभी दुकानें आबकारी नीति 2021-22 के नियमानुसार खोली जा रही है।

(घ) उपरोक्तानुसार।

(ङ) यदि विभाग के समक्ष किसी नियम का उल्लंघन संज्ञान में आता है तो उस दुकान एवं संबंधित लाइसेंसधारी पर नियमानुसार उचित कार्रवाई की जा रही है/जाएगी।

175. श्री ओमप्रकाश शर्मा: क्या पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में प्रदूषण को नियंत्रित करने की दिशा में आनंद विहार एवं कनॉट प्लेस में जो स्मॉग-टावर लगाए गए हैं, उन पर कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ख) यह धनराशि किस विभाग द्वारा खर्च की गई;

(ग) क्या ये स्मॉग-टॉवर सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं; और

(घ) इन स्मॉग-टॉवरों के विज्ञापन एवं प्रचार-प्रसार पर कितनी धनराशि खर्च की गई?

पर्यावरण मंत्री: (क) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 13.01.2020 के अनुपालन में, जीएनसीटीडी ने बाबा खड़क सिंह मार्ग, कनॉट प्लेस में एक स्मॉग टॉवर स्थापित किया है। आनंद विहार में दूसरा स्मॉग टॉवर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा स्थापित किया गया है।

जीएनसीटीडी द्वारा वित्त वर्ष 2020-21 में बाबा खड़क सिंह मार्ग, कनॉट प्लेस में स्मॉग टॉवर की स्थापना के लिए 19 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।

(ख) पर्यावरण विभाग की योजना-जीआईए ने डीपीसीडी को स्मॉग टॉवर के अंतर्गत बाबा खड़क सिंह मार्ग, कनॉट प्लेस में स्मॉग टॉवर की स्थापना के लिए दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) को 19 करोड़ रुपये अनुदान सहायता के रूप में दिए हैं।

(ग) जी श्रीमान।

(घ) बाबा खड़क सिंह मार्ग, कनॉट प्लेस में स्थापित स्मॉग टॉवर के लिए विज्ञापन और प्रचार पर पर्यावरण विभाग/डीपीसीसी को कोई फंड बुक नहीं किया गया है।

सूचना और प्रचार निदेशालय, जीएनसीटीडी द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, स्मॉग टावर के विज्ञापन एवं प्रचार पर लगभग रु. 5.58 करोड़ खर्च किए गए हैं।

176. श्रीमती बंदना कुमारी: क्या माननीय पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एमसीडी. डीडीए. पीडब्ल्यूडी की सड़कों पर पेड़ों के संरक्षण व रखरखाव को लेकर इन विभागों की क्या कार्यनीति है;

(ख) पिछले 5 वर्षों में पर्यावरण संरक्षण को लेकर उपरोक्त तीनों संस्थानों ने क्या कदम उठाए हैं;

(ग) पेड़ों के ठीक से रखरखाव व संरक्षण के संबंध में विभाग की क्या कार्यनीति है; और

(घ) पेड़ों के ठीक से रख-रखाव न होने तथा उनके गिरने की स्थिति में होने वाले जानमाल के नुकसान की भरपाई व उसके लिए जिम्मेवार अधिकारियों/कर्मचारियों की जवाबदेही तय करने के संबंध में विभाग की क्या कार्यनीति है, पूर्ण विवरण दें?

पर्यावरण मंत्री: (क) और (ख) दक्षिणी एमसीडी का उत्तर अनुलग्नक-अ(1) पर संलग्नित है।

उत्तरी एमसीडी का उत्तर अनुलग्नक-अ(2) पर संलग्नित है।

पूर्वी एमसीडी का उत्तर अनुलग्नक-अ(3) पर संलग्नित है।

डीडीए का उत्तर अनुलग्नक-ब पर संलग्नित है।

पीडब्ल्यूडी का उत्तर अनुलग्नक-स पर संलग्नित है।

(ग) पेड़ों के ठीक से रखरखाव व संरक्षण के सम्बन्ध में वन एवं वन्य जीवन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा अपने वन क्षेत्र में निम्न कार्य नीति अपनाई जाती है:-

- लगाए गए पौधों को नियमित रूप से पानी देना एवं खाद देना।
- यदि किसी वृक्ष में कीड़े या कोई गंभीर बीमारी की आशंका होती है तो उसका उपचार जल्द से जल्द किया जाता है।
- वन क्षेत्र में बाउंड्री वॉल और फेंसिंग का निर्माण किया जाता है।?
- लगाए गए पौधों में खरपतवार झाड़ और घास इत्यादि की सफाई का कार्य समय समय पर कराया जाता है।
- वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा नियमित रूप से वन क्षेत्रों में अपने अपने अधिकार क्षेत्र में गश्त की जाती है।

जिससे दिल्ली के वन क्षेत्रों पर अधिक से अधिक हरियाली रहे।

(घ) दिल्ली वृक्ष (परिरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा (8) के अनुसार, यदि किसी वृक्ष से किसी प्रकार के जान या माल के खतरे की सम्भावना हो अथवा यातायात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा हो, तो भूमि का मालिक/विभाग ऐसे वृक्षों को गिराने हेतु तत्काल कार्यवाही कर सकता है और इस तथ्य से सम्बंधित वृक्ष अधिकारी को 24 घंटे के अंदर दी जानी अनिवार्य है। पेड़ों के ठीक से रखरखाव न होने तथा उनके गिरने की स्थिति में होने वाले जानमाल के नुकसान की भरपाई के लिए भूमि का मालिक/विभाग जिम्मेदार होगा।

अनुलग्नक-अ(1)

(क) दक्षिणी दिल्ली नगर निगम, उद्यान विभाग, के द्वारा पेड़ों के संरक्षण के लिए रोड़ पर स्थित वृक्षों की शाखाओं की समय-समय पर हल्की छंटाई तथा वृक्षों में पानी देने का कार्य किया जाता है।

(ख) पर्यावरण संरक्षण के लिए उद्यान विभाग, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के द्वारा पार्कों तथा सड़कों के किनारे वृक्षारोपण, घास लगाने तथा विकास कार्य किया जाता है।

(ग) दक्षिणी दिल्ली नगर निगम, उद्यान विभाग के द्वारा पेड़ों के संरक्षण के लिए रोड़ पर स्थित वृक्षों की शाखाओं की समय-समय पर हल्की छंटाई तथा वृक्षों में पानी देने का कार्य किया जाता है।

(घ) अधिकतर पेड़ प्राकृतिक आपदा के कारण नुकसान पहुँचाती है जिसमें कर्मचारियों की जवाबदेही तय नहीं की जा सकती।

अनुलग्नक-अ(2)

(क) 60 फुट से कम चौड़ी सड़कों पर पेड़ों का संरक्षण व रख-रखाव उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा विभागीय कर्मचारियों से करवाया जाता है।

(ख) पिछले 5 वर्षों में पर्यावरण संरक्षण को लेकर उत्तरी दिल्ली नगर निग ने अपने अधीन आने वाले पार्कों, सड़कों, निगम अस्पतालों तथा संस्थानों में वृक्षारोपण कराया है। जिसका ब्यौरा निम्नलिखित है:

वर्ष	लगाये गये पेड़ों की संख्या	लगाई गई झाड़ियों की संख्या
2016-17	53941	150868
2017-18	44037	35456
2018-19	25968	68702
2019-20	25990	25252
2020-21	27330	37756

(ग) पेड़ों के ठीक से रखरखाव व संरक्षण हेतु विभाग द्वारा समय-समय पर खाद-पानी देना तथा हल्की प्रूनिंग (छंटाई) की जाती है।

(घ) उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत गिरने की स्थिति वाले पेड़ों को वन-विभाग, दिल्ली सरकार से अनुमति लेने के बाद उन्हें कटवा दिया जाता है।

अनुलग्नक-अ(3)

(क) पू.दि.न.नि. की सड़कों पर पेड़ों के संरक्षण एवं रख-रखाव हेतु विभाग द्वारा टैंकों के माध्यम से सिंचाई व्यवस्था एवं समय-समय पर मालियों द्वारा पेड़ों की कटाई-छंटाई कराई जाती है। एवं वन विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा समय-समय पर दिशा निर्देशों के तहत पेड़ों के चारों तरफ पक्के फर्श को तोड़कर कच्चा कराना, दिये गये लक्ष्य के अनुसार वृक्षारोपण कराना एवं पेड़ों पर नम्बरिंग इत्यादि कराना शामिल है।

(ख) उपरोक्तानुसार।

अनुलग्नक-ब

(क) सड़कों पर पेड़ों का संरक्षण व रखरखाव डी.एस.आर.-2021 के मानदण्डों के अनुसार किया जाता है। पेड़ों का संरक्षण, रखरखाव कटाई, छंटाई (Pruning) और सिंचाई नियमित रूप से उपरोक्त माप दण्डों के अनुसार की जाती है।

- (ख) 1. दिल्ली विकास प्राधिकरण में विगत 5 वर्षों में 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 तक लगभग 33.24 लाख पौधों वृक्षारोपण किया है।
2. भूजल के बचाने के लिए पार्कों में सिंचाई की समूची व्यवस्था के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण में उपचारित जल की सप्लाई की व्यवस्था कर रहा है। इससे लगभग 181 पार्कों में उपचारित जल से सिंचाई की जा रही है।?
3. ग्रीन वेस्ट की समूचित निपटान के लिये एवं पार्कों में इससे लगने वाली आग को रोकने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण ग्रीन वेस्ट को खाद में परिवर्तित करने का कार्य शुरू किया है। एवं इस वर्ष लगभग 19,000 qtl. खाद का उत्पादन ग्रीन वेस्ट से किया जायेगा।

अनुलग्नक-स

(क) पेड़ों के संरक्षण व रखरखाव के लिए नियमितरूप से पानी देना, खाद देना, आवश्यकतानुसार समय-समय पर कटाई-छंटाई करना एवं किसी भी प्रकार की बिमारी या कीड़े व दीमक के प्रकोप के रोकथाम के लिए उपचार करना ही उद्यान विभाग पीडब्ल्यूडी की नीति है।

(ख) पिछले 5 वर्षों में पेड़ों के रखरखाव को नियमितरूप से एवमं एवमय के सभी प्रकार की उद्यान किया जैसे पानी देना, खाद देना, समय से कटाई-छंटाई करना एवमं बिमारी और दीमक का उपचार इत्यादि करना है, जिससे दिल्ली की सड़कों पर अधिक से अधिक हरियाली रहे।

(ग) उपरोक्त क्रम संख्या (क) और (ख) के अनुसार।

(घ) पेड़ा अधिकतर आंधी व तुफान के समय गिरते हैं जो कि एक प्राकृतिक आपदा है। रखरखाव की कमी से कोई पेड़ नहीं गिरा है, और प्राकृतिक आपदा से हुई क्षति के लिए अधिकारी/कर्मचारी की जवाबदेही तय नहीं की जा सकती।

177. श्री महेन्द्र गोयल: क्या पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दिनों दिल्ली में प्रदूषण स्तर बढ़ने का मुख्य कारण क्या था;

(ख) क्या पड़ोसी राज्यों के पराली जलाने से प्रदूषण की मात्रा हर वर्ष अधिक होती है, दिल्ली में कुल प्रदूषण का कितना प्रतिशत पड़ोसी राज्यों के कारण होता है;

(ग) पिछले 4 वर्षों में पड़ोसी राज्यों में बढ़ने वाले प्रदूषण की औसत क्या मात्रा रही, वर्षवार विवरण दें;

(घ) पड़ोसी राज्यों को पराली जलाने से रोकने हेतु विभाग द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं;

(ङ) क्या यह भी सत्य है कि प्रदूषण के नाम पर छोटे व मझोले व्यापारियों के मनमाने चालान काटे जा रहे हैं, यदि हाँ तो इस संबंध में क्या कार्यनीति है; और

(च) पिछले एक वर्ष में NGT द्वारा दिल्ली तथा पड़ोसी राज्यों के छोटे के मझोले व्यापारियों के कितने चलान किए गए/नोटिस दिए गए, अलग-अलग पूर्ण विवरण दें?

पर्यावरण मंत्री: (क) दिल्ली सरकार के पर्यावरण विभाग द्वारा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी कानपुर के माध्यम से कराए गए अध्ययन (2016) के अनुसार दिल्ली में वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों की पहचान निम्नानुसार की गई है:-

- वाहन प्रदूषण।
- सड़क और जमीन पर उड़ने वाले धूल कण और उनका पुनः निलंबन।
- निर्माण और विध्वंस गतिविधियों के कारण उत्पन्न धूल।
- सूखे पत्तों/कचरा आदि को जलाना।
- औद्योगिक प्रदूषण उत्सर्जन।
- विशेष रूप से पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने के कारण अन्य राज्यों से दिल्ली में प्रदूषकों का प्रवेश।
- औद्योगिक स्रोत।

इसके अलावा, अध्ययन रिपोर्ट में गर्मी और सर्दियों के दौरान प्रमुख स्रोतों से परिवेशी वायु में $PM_{2.5}$ और PM_{10} का प्रतिशत संकेंद्रण दर्शाया गया है:

स्रोत	PM _{2.5} का प्रतिशत संकेंद्रण (सदी)	PM _{2.5} का प्रतिशत संकेंद्रण (गर्मी)
वाहन	25%	9%
माध्यमिक कण	30%	15%
पत्तियां आदि जलना	26%	12%
कोयला और फ्लाई ऐश	5%	26%
निर्माण	2%	3%
जमीन और सड़क पर उड़ने वाली धूल	4%	27%
ठोस कचरा जलाना	8%	7%

स्रोत	PM ₁₀ का प्रतिशत संकेंद्रण (सदी)	PM ₁₀ का प्रतिशत संकेंद्रण (गर्मी)
वाहन	20%	6%
माध्यमिक कण	25%	10%
पत्तियां आदि जलना	17%	7%
कोयला और फ्लाई ऐश	12%	37%
निर्माण	3%	4%
जमीन और सड़क पर उड़ने वाली धूल	14%	26%
ठोस कचरा जलाना	9%	8%

सर्दियों के महीनों के दौरान, विशेष रूप से पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने और महत्वपूर्ण मौसम वैज्ञानिक स्थितियों के कारण प्रदूषकों का अन्य राज्यों से दिल्ली में आना वायु प्रदूषकों के उच्च संकेंद्रण का कारण बनता है।

(ख) सफर मॉडल के अनुसार, 2021 (अक्टूबर-नवंबर 2021) के लिए पीएम 2.5 (PM 2.5) में फसल अवशेष जलाने के उत्सर्जन का प्रतिशत हिस्से के आंकड़े अनुलग्नक ए के रूप में संलग्न है।

(ग) पड़ोसी राज्यों से बढ़ रहे औसत प्रदूषण पर वर्षवार का कोई प्राथमिक डेटा उपलब्ध नहीं है।

(घ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के पर्यावरण विभाग ने 23.11.2020 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों के लिये वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) में याचिका देकर अन्य एनसीआर राज्यों को पराली डि-कंपोज के लिये आईएआरआई पूसा प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल की सलाह देने का आग्रह किया है।

आयोग ने दिल्ली सरकार को पूसा प्रौद्योगिकी की प्रभावकारिता की जांच के लिये तीसरे पक्ष द्वारा अध्ययन कराये जाने की सलाह दी है। दिल्ली सरकार के विकास विभाग ने WAPCOS द्वारा संचालित पूसा प्रौद्योगिकी की प्रभावकारिता पर सीएक्यूएम को 16.09.2021 को अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की।

साथ ही, WAPCOS द्वारा आयोजित पूसा प्रौद्योगिकी की प्रभावकारिता पर अंतिम रिपोर्ट वाला हलफनामा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष 14.11.2021 को WPC 1135/2020 शीर्ष, आदित्य दुबे (नाबालिग) बनाम भारत संघ और अन्य से टायर किया गया था।?

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के माननीय मंत्री (पर्यावरण) ने 07.11.2021, 11.11.2021 और 03.12.2021 को भारत सरकार के माननीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री को पत्र लिखकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के राज्यों में पराली जलाये जाने की रोकथाम और आईएआरआई बायो डी-कंपोजर प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के लिये आवश्यक हस्तक्षेप किए जाने का अनुरोध किया है।

(ड) माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने ओ ए 697/2018 शीर्षक रजिस्टेंट वेलफेयर एसोसियेशन, लक्ष्मी नगर बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के आदेश दिनांक 16.01.2019 द्वारा, ओ ए संख्या 630/2018, शीर्षक डॉ अरुण कुमार बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के आदेश दिनांक 18.01.2019 द्वारा, और ओ ए संख्या 700/2018 शीर्षक मोहम्मद सलीम, सचिव दिल्ली विकास मंच, सीलमपुर बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विकास मंच, सीलमपुर बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के आदेश दिनांक 31.01.2019 द्वारा पर्यावरण के नुकसान की वसूली का सिद्धांत लागू करने का निर्देश दिया है और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति-(डीपीसीसी) द्वारा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड-(सीपीसीबी) से विकसित फार्मूले के आधार पर इसे लागू किया जा रहा है।

(च) इसकी जानकारी विभाग के पास नहीं है।

संलग्न-ए

**2021 में पी.एम. 2.5 के लिए पराली जलाने का योगदान :
सफर मॉडल के अनुसार**

दिनांक	पी.एम. 2.5 में फसल अवशेष जलाने (उत्सर्जन) का प्रतिशत में योगदान
1	2
16-अक्टूबर	14
17-अक्टूबर	2
18-अक्टूबर	-
19-अक्टूबर	-
20-अक्टूबर	12

1	2
21-अक्टूबर	15
22-अक्टूबर	4
23-अक्टूबर	3
24-अक्टूबर	2
25-अक्टूबर	6
26-अक्टूबर	8
27-अक्टूबर	16
28-अक्टूबर	19
29-अक्टूबर	20
30-अक्टूबर	12
31-अक्टूबर	8
1-नवम्बर	7
2-नवम्बर	6
3-नवम्बर	8
4-नवम्बर	25
5-नवम्बर	36
6-नवम्बर	41
7-नवम्बर	48
8-नवम्बर	30
9-नवम्बर	27
10-नवम्बर	27

1	2
11-नवम्बर	26
12-नवम्बर	35
13-नवम्बर	31
14-नवम्बर	12
15-नवम्बर	10
16-नवम्बर	8
17-नवम्बर	6
18-नवम्बर	2
19-नवम्बर	3
20-नवम्बर	5
21-नवम्बर	8
22-नवम्बर	6
23-नवम्बर	3
24-नवम्बर	—
25-नवम्बर	—
26-नवम्बर	8
27-नवम्बर	—
28-नवम्बर	—
29-नवम्बर	—
30-नवम्बर	1

178. श्री अजय कुमार महावर: क्या पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पर्यावरण सैस से अब तक दिल्ली सरकार को कुल कितना राजस्व प्राप्त हुआ है और इसमें से किस-किस मद में कितनी-कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ख) शेष राजस्व को भविष्य में खर्च करने की क्या योजनायें हैं;

(ग) घोण्डा विधानसभा क्षेत्र में पर्यावरण सैस से किस-किस मद में कितनी कितनी धनराशि खर्च की गयी और पर्यावरण को लेकर सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(घ) घोण्डा विधानसभा क्षेत्र में यमुना खादर पर वन के विकास के लिए अब तक क्या कदम उठाये गये हैं और भविष्य में क्या योजनायें हैं; और

(ङ) इन वन में कितने वन्य जीव जन्तु हैं, पूरा विवरण दें?

पर्यावरण मंत्री: (क) परिवहन विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा 22.11.2021 तक, पर्यावरण उपकर (Environmental Cess) के रूप में कुल रु. 1298.38 करोड़ प्राप्त किए गए हैं।

पर्यावरण उपकर के कुल 281.51 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। पर्यावरण उपकर के उपयोग का विवरण संलग्न है।

(ख) पर्यावरण उपकर, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के रिट याचिका (सिविल) 13029/1985 में एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ और अन्य के निर्देश के अनुसार खर्च किया जा रहा है।

(ग) घोंडा विधानसभा क्षेत्र में परिवहन विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा पर्यावरण उपकर से पैसा खर्च नहीं किया गया है।

(घ) वन के विकास, रखरखाव व संरक्षण से संबंधित सभी योजनाएं पूरे राज्य के आधार पर तैयार की जाती हैं।

घोंडा विधानसभा क्षेत्र में वन विकास के लिए विगत 5 वर्षों में किया गया पौधरोपण इस प्रकार है:

क्र.सं.	वर्ष	लगाए गए पौधे
1.	2016-17	16,000
2.	2017-18	21,800
3.	2018-19	75,055
4.	2019-20	57,499
5.	2020-21	शून्य

(ङ) घोंडा विधानसभा क्षेत्र में वन एवं वन्य जीव विभाग, दिल्ली सरकार ने जंगली जानवरों की कोई गिनती नहीं की है।

संलग्न

क्र. सं.	राशि (लाख रु. में)	मंजूरी की तारीख	किसे जारी की गई	मद
1	93	14.09.2016	एसडीएमसी	उच्चतम न्यायालय के आदेश, दिनांक 22.08.16 के अनुसरण में आरएफआईडी की पूर्व-निविदा आकस्मिक लागत।
2	15	15.01.2018	पीडब्ल्यूडी	पीडब्ल्यूडी के अनुरोध के अनुसार एसपीएम मार्ग पर एनएमवी लेन का सुधार और रखरखाव।
3	43	2018-2019	डीएम सेन्ट्रल	एसआरडीसी के अनुरोध के अनुसार एसपीएम मार्ग की एनएमवी लेन पर ट्रैफिक मार्शल के रूप में नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों की तैनाती। (स्वीकृति दिनांक 21.02.18 के अनुसार 15 लाख रुपये और स्वीकृति दिनांक 24.08.19 के अनुसार 28 लाख रुपये)
4	600	29.03.2019	मैसर्स आईओसी	एचसीएनजी परियोजना के लिए मैसर्स आईओसी को प्रथम भाग का भुगतान (सुप्रीम कोर्ट के आदेश दिनांक 13.08.18 के तहत 15 करोड़ रुपये मंजूर किए गए थे)
5	26500	12.03.2019	एनसीआरटीसी	सुप्रीम कोर्ट के आदेश दिनांक 06.03.19 के अनुसरण में दिल्ली-मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर के लिए भुगतान
6	900	05.08.2020	मैसर्स आईओसी	एचसीएनजी परियोजना के लिए मैसर्स आईओसी को दूसरा भुगतान (सुप्रीम कोर्ट के आदेश दिनांक 13.08.18 द्वारा 15 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए थे)

कुल रु. 281.51 करोड़

179. श्री प्रवीण कुमार: क्या माननीय सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 2018 से अब तक दिल्ली नागरिक बैंक में सदस्यता को लेकर कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं तथा उन पर जा कार्रवाई की गयी उसका विवरण एवं फाईलों की सत्यापित कॉपी दें;

(ख) दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक 17.10.2021 को हुए चुनाव में रिटनिंग अधिकारी द्वारा कितना खर्चा किया गया, उन सभी का अलग-अलग मदों में ब्यौरा दें;

(ग) दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक में डी.सी.एस. एक्ट 2003 के तहत कितनी जांचे चल रही हैं;

(घ) us 61, 62, 66, (1), 66, (2), 60 एवं रूल 80, 121, 118 के तहत सभी की शिकायतें कब की गयी, इसकी तिथि व वर्तमान स्टेटस सहित पूर्ण विवरण दें, और

(ङ) दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक के सीईओ द्वारा निदेशक मंडल में भ्रष्टाचार की रजिस्ट्रार कार्यालय में की गयी शिकायत पर क्या कार्रवाई की गयी पूर्ण जानकारी देने?

सहकारिता मंत्री: (क) विभाग में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार मुख्यतः निम्नलिखित शिकायतें विभिन्न चैनलों के माध्यम से कई प्रतियों में प्राप्त हुई हैं।

1. दिनांक 12.02.2019 का एक शिकायत श्री अतुल भारद्वाज, उपाध्यक्ष एवं तीन अन्य निदेशकों के द्वारा प्राप्त हुई थी। जिसका संबंधित विषय

वर्ष 2011-14 की अवधि के दौरान दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम 2003 व नियम 2007 के नियम 25 के उल्लंघन में सदस्यों के अवैध नामांकन के संदर्भ में था। इस संबंध में, तथ्यों के आधार पर, एक निरीक्षण का आदेश दिया गया था और तदनुसार, दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम, 2003 की धारा 61 के तहत कार्यवाही शुरू की गई थी। वित्तीय आयुक्त की माननीय अदालत द्वारा केस नंबर 190/2019 के तहत 25.07.2019 को एक ex parte स्टे प्रदान किया गया था जिसका पंजीयक सहकारी समिति कार्यालय द्वारा विरोध किया गया। वित्तीय आयुक्त ने ex parte स्टे 28.11.2019 को समाप्त कर दिया। संबंधित बैंक ने 2019 के सीएम (एम) नंबर 1721 और 1722 में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष आवेदन दायर किया, जिसमें कोर्ट ने पंजीयक के आदेशों पर रोक लगा दी और वित्तीय आयुक्त से दो महीने के भीतर इस मामले पर निर्णय लेने का अनुरोध किया। इस बीच कार्यवाही समाप्त नहीं हो सकी और कोविड-19 प्रतिबंध लग गए। Covid प्रतिबंधों में छूट के बाद, पंजीयक सहकारी समिति कार्यालय ने जल्दी सुनवाई के लिए एक आवेदन वित्तीय आयुक्त की अदालत में दायर किया और बैंक के निदेशक द्वारा दायर इम्प्लेडमेंट आवेदन का विरोध विभाग द्वारा किया गया और वित्तीय आयुक्त से जल्द से जल्द कार्यवाही समाप्त करने का अनुरोध किया। यह कार्यवाही अभी भी वित्तीय आयुक्त ने न्यायालय के समक्ष लंबित है।

2. दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक में सदस्यों का नामांकन करते समय दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम 2003 की धारा 41 के उल्लंघन का

आरोप लगाते हुए 2018 की शुरुआत में एक और शिकायत प्राप्त हुई थी। तदनुसार, दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम, 2003 की धारा 138 के तहत दिनांक 29.08.2018 को तत्कालीन पंजीयक द्वारा निर्देश पास किया गया जिसमें निरीक्षण कार्यवाही पूरी होने तक नए सदस्यों के नामांकन को तत्काल प्रभाव से रोकने के लिए कहा गया। हालांकि, पंजीयक कार्यालय ने इस सन्दर्भ में बैंक द्वारा अतिरिक्त उल्लंघन नोटिस किए। अतिरिक्त पंजीयक को आदेश दिनांक 21.10.2019 के तहत दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम, 2003 की धारा 41(3) के तहत कार्रवाई शुरू करने के लिए नियुक्त किया गया। इसके बाद, दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम और नियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अतिरिक्त पंजीयक ने दिनांक 16.02.2021 को एक विस्तृत आदेश पारित किया, जिसमें दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड के 6003 (छह हजार तीन) सदस्यों की अयोग्यता की मंजूरी दी गई।

3. पंजीयक सहकारी समिति कार्यालय में दिनांक 08.02.2021 को एक अन्य शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें 12.01.2018 से 30.09.2020 के दौरान निवर्तमान प्रबंध समिति द्वारा दर्ज किए गए 2050 सदस्यों और 01.10.2020 से 15.12.2020 के बीच 902 सदस्यों को शामिल करने को बैंक उप-नियमों का उल्लंघन और माधव दास समिति की अवहेलना करने के कारण अवैध घोषित करने का अनुरोध किया गया। इसी अवधि के दौरान कुछ अन्य सदस्यों से भी इसी विषय पर शिकायतें प्राप्त हुई थीं। इस संबंध में मुख्य शिकायत उपर्युक्त अधिनियम एवं नियमों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई के लिए रिटर्निंग अधिकारी को अग्रेषित की गई थी। इस दौरान, उक्त विषय में दिल्ली नागरिक सहकारी

बैंक सदस्य संघ और अन्य, याचिकाकर्ताओं ने माननीय उच्च न्यायालय में WP(C) NO. 4487 अप्रैल 2021 के पहले सप्ताह में अपनी याचिका दर्ज करवाई जिसमें यह प्रार्थना की गई थी कि (i) निवर्तमान प्रबंध समिति द्वारा भरे गए 2050 सदस्यों को अवैध घोषित करने के लिए निर्देशों के लिए आदेश जारी करने के लिए कहा और (ii) आगामी चुनावों में वोट डालने के लिए पात्र सदस्यों की सूची से 01/10/2020 से 15/12/2020 के बीच सदस्यों की सूची में शामिल 902 सदस्यों को माधव दास समिति के अनुसार बाहर करने के लिए प्रार्थना की। जो माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष निर्णय के लिए लंबित है।

(ख) दिल्ली राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड ने पत्र दिनांक 28/12/2021 के माध्यम से सूचित किया कि 17.10.2021 को हुए चुनाव में रिटर्निंग अधिकारी द्वारा खर्च Rs. 25,37,943/- के लगभग है। खर्च की सूची संलग्न है।

(ग) दिल्ली राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड में कुल आठ जाँचे चल रही है। जिसका विवरण इस प्रकार है:-

धारा 61 के तहत निरीक्षण	धारा 62 के तहत जांच	धारा 66 के तहत जांच	धारा 118/121 के तहत अभियोजन
01	01	04	02

(घ) 1) श्री अनिल कुमार गौर द्वारा दिनांक 13.10.2016 को शिकायत प्राप्त हुई।

विषय:

दिवाली उपहार की खरीद

स्थिति:

- 09.06.2017 को धारा 61 के तहत निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त हुई
 - धारा 66(1) के तहत जांच रिपोर्ट 15.12.2017 को प्राप्त हुई
 - वर्तमान में, मामले की सुनवाई दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम और नियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार धारा 66(2) के तहत की जा रही है।
- 2) कार्यवाहक सीईओ, डीएनएसबी के द्वारा दिनांक 18.01.2016 को एक शिकायत प्राप्त हुई।

विषय:

सदस्यों के नामांकन में अनियमितताएं

स्थिति:

- धारा 61 के तहत निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 02.11.2017 को प्राप्त हुई
- धारा 62 के तहत जांच रिपोर्ट दिनांक 21.05.2018 को प्राप्त हुई
- धारा 66(1) के तहत जांच रिपोर्ट 09.10.2019 को प्राप्त हुई
वर्तमान में, मामले की सुनवाई दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम और नियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार धारा 66(2) के तहत की जा रही है।

- 3) श्री अनिल कुमार गौर के द्वारा दिनांक 24.05.2016 को एक शिकायत प्राप्त हुई।

विषय:

वर्ष 2015-16 की सांविधिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में अनियमितता के सन्दर्भ में

स्थिति

- धारा 62 के तहत दिनांक 01.12.2007 को जाँच रिपोर्ट प्राप्त हुई
 - धारा 66(1) के तहत जांच रिपोर्ट 08.04.2019 को फिर 23.07.2019 और 03.08.2020 को प्राप्त हुई
 - वर्तमान में, मामले की सुनवाई दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम और नियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार धारा 66(2) के तहत की जा रही है।
- 4) श्री आर.एस. यादव और विजय देव द्वारा दिनांक 29.05.2013 को शिकायत प्राप्त हुई।

विषय:

ऋण वितरण में कुप्रबंधन

स्थिति

- धारा 61 के तहत दिनांक 31.07.2015 को निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त हुई

- धारा 62 के तहत जांच रिपोर्ट दिनांक 11.01.2017 को प्राप्त हुई
 - धारा 66(1) के तहत जांच रिपोर्ट दिनांक 03.10.2017 को प्राप्त हुई
 - वर्तमान में, मामले की सुनवाई दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम और नियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार धारा 66(2) के तहत की जा रही है।
- 5) श्री अतुल भारद्वाज एवं अन्य के द्वारा दिनांक 12.02.2019 को शिकायत प्राप्त हुई।

विषय:

दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम नियम 2007 के नियम 25 के उल्लंघन में नए सदस्यों का नामांकन के सम्बन्ध में

स्थिति

दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम, 2003 की धारा 61 के तहत निरीक्षण अधिकारी को दिनांक 14.02.2019 के आदेश के तह पहले ही नियुक्त किया जा चुका है और जांच अधिकारी द्वारा कार्यवाही शुरू की गई थी। हालांकि, इस मामले पर बैंक ने 2019 के सीएम (एम) नंबर 1721 और 1722 में माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने 04.12.2019 को पंजीयक सहकारी समिति कार्यालय के आदेशों पर रोक लगा दी।

- 6) श्री कृष्ण कुमार मित्तल के द्वारा दिनांक 06.02.2017 को शिकायत प्राप्त हुई।

विषय:

बैंक के छह कर्मचारियों की अवैध नियुक्ति के सन्दर्भ में

स्थिति

- धारा 61 के तहत दिनांक 17.11.2020 को निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त हुई
 - दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम, 2003 की धारा 62 के तहत जांच अधिकारी को ओदश दिनांक 11.02.2021 के तहत नियुक्त किया गया है और रिपोर्ट अभी भी प्रतिक्रित है।
- 7) श्री दिनेश कुमार शर्मा से एक शिकायत दिनांक 13.06.2019 को प्राप्त हुई।

विषय: दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड में अनियमितताओं के संबंध में लेखा परीक्षा के लिए अनुरोध

डीसीएस अधिनियम, 2003 की धारा 60 और डीसीएस नियम, 2007 के नियम 80-श्री दिनेश कुमार शर्मा, सदस्यता संख्या 94558 ने 12/06/2019 को विभिन्न अनियमितताओं के संबंध में शिकायत की जैसे कि बिना सिबिल चेक किए ऋण स्वीकृत करना, बैंक का एनपीए बढ़ना, एनपीए की वसूली, कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नोट काउंटिंग/सॉर्टिंग मशीन आदि की खरीद में अनियमितताएं। उक्त शिकायत के मामले में टिप्पणी के लिए सीईओ, दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड को भेजा गया था। चूंकि आरोप

गंभीर प्रकृति के थे, इसलिए आरसीएस ने इस कार्यालय आदेश दिनांक 31/01/2020 के माध्यम से बैंक के विशेष लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक नियुक्त करने की शक्ति अतिरिक्त पंजीयक को प्रदान की। तदनुसार मैसर्स अमित अमर पाल एंड एसोसिएट्स, सीए को दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए डीसीएस नियम, 2007 के नियम 80 के तहत विशेष ऑडिट करने के लिए इस कार्यालय आदेश दिनांक 12/02/2020 के तहत नियुक्त किया गया था। तत्पश्चात, दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड ने माननीय वित्तीय आयुक्त के न्यायालय में एक मामला संख्या 33/2020 के तहत दायर किया और वित्तीय आयुक्त द्वारा 21/02/2020 को मामला पर रोक लगा दी। हालांकि वित्तीय आयुक्त की माननीय अदालत ने दिनांक 29/01/2021 को अपने आदेश के तहत दिनांक 21/02/2020 को दिए रोक को हटा दिया। इसके अलावा बैंक ने माननीय उच्च न्यायालय में WP(C) No. 2999/2021 में एक याचिका दायर कर माननीय वित्तीय आयुक्त द्वारा पुनरीक्षण याचिका संख्या में पारित आदेश दिनांक 29/01/2021 को चुनौती दी। माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 08/03/2021 के आदेश द्वारा माननीय वित्तीय आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 29/01/2021 के निष्पादन पर रोक लगा दी।

- 8) कार्यवाहक सीईओ, डीएनेओ, डीएनएसबी द्वारा दिनांक 18.01.2016 को शिकायत प्राप्त हुई।

विषय:

सदस्यों के नामांकन में अनियमितताएं के सन्दर्भ में

स्थिति

- श्री राजेश कुमार के खिलाफ दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम, 2003 की धारा 121 r/w धारा 118 के तहत कार्यवाही आदेश दिनांक 14.11.2019 के द्वारा किया गया
 - दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम, 2003 की धारा 121 r/w धारा 118 के तहत एवं विभिन्न अन्य आईपीसी धाराओं के तहत संबंधित व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए कड़कड़डोमा कोर्ट में एक अनुपालन मामला पहले ही दायर किया जा चुका है।
- 9) श्री अनिल कुमार गौर के द्वारा दिनांक 24.05.2016 को शिकायत प्राप्त हुई।

विषय:

सांविधिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट 2015-16 में अनियमितताएं के सन्दर्भ में

स्थिति

- श्री जितेन्द्र गुप्ता के खिलाफ दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम, 2003 की धारा 121 r/w धारा 118 के तहत कार्यवाही आदेश दिनांक 24.09.2019 के द्वारा की गयी
- दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम, 2003 की धारा 118 और विभिन्न अन्य आईपीसी धाराओं के तहत संबंधित व्यक्ति के खिलाफ

मुकदमा चलाने के लिए तीस हजारी कोर्ट में एक शिकायत का मामला पहले ही दायर किया जा चुका है।

श्री अनिल कुमार गौर द्वारा दायर याचिका माननीय उच्च न्यायालय में WP(C) No. 7398/2012

विषय:

40 पदों को भरने और 62 कर्मचारियों की पदोन्नति में गड़बड़ी

स्थिति

डीएनएसबी लिमिटेड के निदेशक मंडल द्वारा अवैध पदोन्नति के मामले में डीसीएस अधिनियम, 2003 की धारा 66(2) के तहत आरसीएस आदेश संख्या 47/आरसीएस/2017-बी-बैंक/2256.2276 दिनांक 17.04. 2017 में नियमानुसार निर्देशित किया था:

दिल्ली राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड के निदेशक मंडल/प्रशासक को पदोन्नति के मुद्दे की फिर से जांच करनी चाहिए और इसे डीसीएस अधिनियम/नियमों के अनुसार आवश्यक होने पर सुधारात्मक कार्रवाई को नियमानुसार पंजीयक समिति कार्यालय के बैंकिंग विभाग के परामर्श के साथ स्पष्ट रूप से सामने लाना चाहिए।

दिनांक 06/11/2018 को बैंक को एक पत्र लिखा गया जिसके तहत इन 62 कर्मचारियों की पदोन्नति के मुद्दे की पुनः जांच पंजीयक समिति कार्यालय की बैंकिंग डिवीजन से परामर्श नहीं करने के लिए स्पष्टीकरण मांगा गया था जो आरसीएस के निर्देश और डीसीएस अधिनियम और नियमों के तहत आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए बैंक को उत्तरदायी बनाता है।

बैंक को बोर्ड की कर्मचारी उप समिति की बैठक के अभिलेखों और क्रमशः 17/05/2018 एवं 21/05/2018 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठकों के अभिलेखों के साथ इन 62 पदोन्नतियों की समीक्षा से संबंधित कार्यवाही के अभिलेखों के साथ बैंक के एक वरिष्ठ पदाधिकारी को तैनात करने का निर्देश दिनांक 05/12/2018 को दिया गया था।

बैंक को फिर से 26/09/2019 के पत्र के माध्यम से बोर्ड की कर्मचारी उप समिति की बैठक और 17/05/2018 और 21/05/2018 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठकों के अभिलेखों के साथ इन 62 पदोन्नतियों की समीक्षा से संबंधित कार्यवाही का पूरा रिकॉर्ड प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था। 07/11/2019 को एक रिमाइंडर जारी किया गया जिसमें बैंक को उपरोक्त अभिलेखों/सूचना/दस्तावेजों को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। बार-बार निर्देश के बावजूद, बैंक द्वारा वांछित दस्तावेज/सूचना प्रस्तुत न करने पर 03/12/2019 को निम्नलिखित अधिकारियों की एक समिति का गठन किया गया।

1. श्री विवेक कुमार, संयुक्त पंजीयक
2. श्री अमिताभ जोशी, सहायक पंजीयक
3. श्री तनुज भनोट, सहायक पंजीयक

समिति ने 05/12/2019 को बैंक का दौरा किया और 62 कर्मचारियों की पुनः पदोन्नति से संबंधित अभिलेखों की जांच की, जो कर्मचारी सेवा नियमों के संदर्भ में उनकी पात्रता की तुलना में, वहां बनाए गए बैंक के उपनियम आदि के तहत है।

संबंधित अधिकारियों की पहले दिल्ली आम चुनाव 2020 में और उसके उपरांत कोविड-19 मैनेजमेंट में तैनाती की गई थी। लोकडॉन

खुलने क उपरांत इन अधिकारियों का एक-एक करके पंजीयक सहकारी समिति विभाग से तबादला हो गया। पंजीयक सहकारी समिति कार्यालय पदोन्नति मामले के लिए गठित समिति के अधिकारियों द्वारा जब्त/बरामद किये गए दस्तावेजों के आधार पर यथोचित कार्यवाही की जाएगी।

(ड) श्री जितेंद्र गुप्ता, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड ने दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड के प्रबंधन के मनमानी और मनमाने निर्णयों/कार्यों के खिलाफ दिनांक 22/11/2021 को शिकायत/अभ्यावेदन दायर किया। श्री जितेंद्र गुप्ता, मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रबंधन के खिलाफ आरोप लगाए गए थे। जिसमें कार्यालय के पत्र दिनांक 29/11/2021 द्वारा बैंक को श्री जितेंद्र गुप्ता, मुख्य कार्यपालीक अधिकारी की शिकायत/प्रतिवेदन दिनांक 22/11/2021 पर 15 दिनों के भीतर टिप्पणी देने का निर्देश दिया गया। यह भी निर्देश दिया गया कि दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड के अध्यक्ष द्वारा जारी दिनांक 22/11/2021 के आदेश जिसमें श्री जितेंद्र गुप्ता को निलंबन के तहत रखा गया था, को अगले आदेश तक स्थगित रखा जाएगा और वह मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिल्ली नागरिक बैंक लिमिटेड बने रहेंगे। आगे यह भी निर्देश दिया गया कि बैंक श्री जितेंद्र गुप्ता, मुख्य कार्यकारी अधिकारी के खिलाफ कोई और प्रतिकूल कार्रवाई न करें जब तक कि इस मामले पर रजिस्ट्रार सहकारी समितियों के कार्यालय द्वारा बैंक की टिप्पणियों के आलोक में इस मामले पर विधिवत विचार नहीं किया जाता है। ये निर्देश डीसीएस अधिनियम, 2003 की धारा 138 के तहत जारी किए गए थे और अनुपालन और रिपोर्ट के लिए थे। इसके बाद अध्यक्ष, दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड ने अपने पत्र दिनांक 03/12/2021 क माध्यम से बैंक का उत्तर पुस्तत किया इसके साथ में डीसीएस अधिनियम/नियमों के u/s 115 एवं u/s 117 के तहत विभाग में रिव्यू पेटिशन दायर की जो प्रक्रियाधीन है।



सहकारिता द्वारा समाज कल्याण

दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड DELHI NAGRIK SEHKARI BANK LTD.

Estd. 1969

Regd. Office : 720, Near Ghanta Ghar, Subzi Mandi, Delhi-110007
Admn. Office : 3-C/5, Opp. Liberty Cinema, New Rohtak Road, Delhi-110005
Phones : 011-28717331-34 • Fax : 011-28712179
Website : <http://www.dnsbltd.com> • E-mail : info@dnsbltd.com

Branch

Administrative Office

Ref. No. DNSBL/HO/2021-2022/RCS/2147

40187 29/12/21 Dated 28.12.2021

Sh. A.A. Arfi,
(Asstt. Registrar Banking)
O/o Registrar Co-operative Societies,
Govt. Of NCT of Delhi,
Old Court Building,
Parliament Street,
New Delhi - 110001

Reg: Forwarding Unstared Question No. 179 & 180 raised by Sh. Praveen Kumar, Hon'ble MLA, Delhi.

Dear Sir,

We write with reference to your letter no. F.No.AR/Bkg./RCS/Misc-1/2021/846 dated 27-12-2021 and your mail also dated 27-12-2021 received at 4.47 p.m. on the official email of the bank.

As desired, please find enclosed point-wise information, compiled/prepared by us to the extent possible in the given time frame and paucity of time. As you are aware that the newly appointed Managing Committee took charge of the Bank on 18-10-2021. Therefore, if any information is left for reference and not covered in the compliance, we are ready to look into the matter for further requirements. We hope this meets your requirements.

Thanking you and with kind regards.

Sincerely,

(H. R. KAPIL)
CHIEF EXECUTIVE OFFICER (OFFICIATING)

2186/AR (BKG)
28/12/2021

For m. a.
28/12/21

Election 2021 Expenses

S.No.	Date	Particulars	Expenses
1	30-Mar-21	Avon Printers	29736.00
2	7-Apr-21	Durga Stationery	250.00
3	8-Apr-21	S.H. Enterprises	9389.00
4	10-Apr-21	C-Net System	210.00
5	12-Apr-21	Avon Printers	17800.00
6	13-Apr-21	Avon Printers	17800.00
7	15-Apr-21	Sonu Center (Stationery)	470.00
8	15-Apr-21	Krishna Communication	157138.00
9	18-May-21	Kaka Ad. Agency	25600.00
10	18-May-21	Kaka Ad. Agency	25600.00
11	18-May-21	Kaka Ad. Agency	72000.00
12	7-Aug-21	Krishna Communication	257174.00
13	12-Aug-21	Speed Post Charges	51.00
14	17-Aug-21	S.K. Furniture House	1000.00
15	15-Sep-21	GST	118.00
16	15-Sep-21	Tr in SB 11848 TN (Sh. Lal Singh, R.O.)	45550.00
17	6-Oct-21	NDMC (Navyug School Charges/Security)	250000.00
18	8-Oct-21	RTGS to Pankaj Kumar Keshri	242964.00
19	12-Oct-21	Banner(6)	1800.00
20	12-Oct-21	Rubber Stamps	3800.00
21	14-Oct-21	Maa Vaishno Print Co,	226200.00
22	14-Oct-21	I-Card (For Election Staff)	2400.00
23	15-Oct-21	Lunch	1080.00
24	16-Oct-21	Election Box	64148.00
25	16-Oct-21	Rubber Stamps	1350.00

S.No.	Date	Particulars	Expenses
26	16-Oct-21	200 Face Mask	1000.00
27	16-Oct-21	Extension Box	250.00
28	16-Oct-21	Cello Tape	288.00
29	16-Oct-21	Box Cartage (Trunk)	300.00
30	16-Oct-21	Box Return Cartage (Trunk)	300.00
31	16-Oct-21	6 Box (Trunk) Return Charges	1200.00
32	16-Oct-21	Sanitizer	750.00
33	16-Oct-21	Sanitizer (6) Bottles	300.00
34	16-Oct-21	Labour(7)	4200.00
35	16-Oct-21	Markin Bags (40)	1400.00
36	16-Oct-21	Bags (Big) (30)	3000.00
37	16-Oct-21	Fevicol, brush and rope etc.	1070.00
38	16-Oct-21	Snacks (Samosa)	300.00
39	16-Oct-21	Lunch for R.O. (Three days)	450.00
40	16-Oct-21	Carton	1500.00
41	16-Oct-21	Chalk	97.00
42	16-Oct-21	Pen	480.00
43	16-Oct-21	Single Punch, Rubber and tags etc	1760.00
44	16-Oct-21	Brown Tape	350.00
45	16-Oct-21	Elfy	200.00
46	16-Oct-21	Conveyance (Tri Nagar 3 times + Azad Market 2 times)	650.00
47	16-Oct-21	Badges	550.00
48	16-Oct-21	Spunch (40)	800.00
49	17-Oct-21	Cash Payment (Observers - 3k+3k)	6000.00
50	17-Oct-21	School Staff for election duty	22200.00

S.No.	Date	Particulars	Expenses
51	17-Oct-21	School Staff for election duty	16800.00
52	17-Oct-21	Staff of SDM Office Jam Nagar House for election duty	2400.00
53	17-Oct-21	Election duty (2000 x 14)	28000.00
54	17-Oct-21	Sector Officers payment for election duty	25000.00
55	17-Oct-21	Sweepers for election duty	1000.00
56	17-Oct-21	RCS Staff for election duty (3500 X 78)	273000.00
57	17-Oct-21	Dustbin (80)	4000.00
58	17-Oct-21	Electrician	1000.00
59	18-Oct-21	Techpub (Videography)	30000.00
60	18-Oct-21	New Sharma Tent & Light House	47500.00
61	18-Oct-21	Lancer Human Resources (For Security Guard)	93600.00
62	18-Oct-21	Divine Catrers	211125.00
63	18-Oct-21	Sh. Lal Singh (R.O.)	15000.00
64	18-Oct-21	Sh. Ashok Kumar (Asstt. R.O.)	10000.00
65	26-Oct-21	Kaka Ad. Agency	12495.00
66	26-NOV-21	Sh. J.P. Sharma (Asstt R.O.)	8000.00
67	14-Dec-21	Bank Staff for election duty (17-10-21)	190000.00
68	14-Dec-21	Bank Staff for election duty (15-10-21 & 16-10-21)	66000.00
Total Expenses			2537943.00
PL 12007 (G.B.M. Expenses) Debited			2701120.00
Amount to be transferred from account of Returning Officer Sh. Lal Singh			113177.00
Security deposit to be refund by NDMC			50000.00
			<u>2537943.00</u>

180. श्री प्रवीण कुमार: क्या माननीय सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड का वर्तमान में कितना एन.पी.ए. है तथा 31.11.2021 तक यह कुल कितने घाटे में चल रहा है, पूर्ण विवरण दें;

(ख) दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड में 17.10.2021 से अभी तक कितनी भर्तियां बैंक ने की है, पूर्ण विवरण दें;

(ग) दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड ने विगत 5 वर्षों में लीगम पर कितना खर्च किया है, पूर्ण विवरण दें;

(घ) दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड में कम्प्यूटर हार्डवेयर, कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर पर पिछले 50 वर्षों में जो खर्चा किया है, उसका विवरण दें;

(ङ) वर्ष 2018 से अब तक दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड में फर्जी लोन, फर्जी सदस्यता के सन्दर्भ में कितने सांसद, विधायक, बैंक के डाइरेक्टर, बैंक के सदस्यों ने शिकायत की है एवं उन शिकायतों पर की गयी कार्रवाई का पूर्ण विवरण दें; और

(च) विभाग द्वारा विगत 5 वर्षों में डी.सी.एस. एक्ट 2003 की धारा 138 अन्तर्गत कितने आदेश दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड को दिये गये इनमें से कितनों का पालन किया गया एवं कितने आदेश पालन नहीं किया गया आदेशों का पालन न करने वालों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी, पूर्ण विवरण दें?

सहकारिता मंत्री: (क) दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड ने पत्र दिनांक 01/01/2022 के माध्यम से सूचित किया कि:-

31.03.2021 को अंकेक्षण बैंक पत्र के अनुसार बैंक का सकल एन.पी.ए. 27.40 करोड़ रुपये (38.69%) प्रावधान 25.00 करोड़ रुपये को घटाने के बाद शुद्ध एन.पी.ए. 2.39 करोड़ रुपये (5.22%) है। 31.03.2021 तक बैंक का संचयी घाटा 10.38 करोड़ रुपये है।

वर्तमान में (15/12/2021 तक)

सकल एन.पी.ए. 28.14 करोड़ रुपये (45.92%) प्रावधान 25.29 करोड़ रुपये को घटाने के बाद शुद्ध एन.पी.ए. 2.85 करोड़ रुपये (7.92%) है। स्पष्टीकरण-तीन महीने के लिए बकाया ऋण शेष राशि को एन.पी.ए. के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो कि सकल एन.पी.ए. है। बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे एन.पी.ए. के विरुद्ध अपने लाभ में से भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों के अनुसार प्रावधान करें। विवरण संलग्न है।

(ख) दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड ने पत्र दिनांक 28/12/2021 के माध्यम से सूचित किया है कि दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड में निम्नलिखित 3 भर्तियां अनुबंध के आधार पर की गई हैं।

1. सलाहकार-जिसका कार्यकाल 22/11/2021 से 21/10/2022 (दो महीने) तक है।
2. रिक्वरी हेतू-जिसका कार्यकाल 18/11/2021 से 17/01/2022 (दो महीने) तक है।
3. रिक्वरी हेतू-जिसका कार्यकाल 26/11/2021 से 25/01/2022 (दो महीने) तक है।

(ग) दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड ने पत्र दिनांक 28/12/2021 के माध्यम से सूचित किया है कि दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड ने विगत 5 वर्षों में लीगत पर लगभग 91 लाख खर्च किया है। जिसकी विस्तृत सूची संलग्न है।

(घ) दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड ने पत्र दिनांक 28/12/2021 के माध्यम से सूचित किया है कि हार्डवेयर कंप्यूटर एवम सॉफ्टवेयर में 01/04/2016 से 28/12/2021 तक कुल रु. 65,07,073/- खर्च हुआ। जिसकी सूची संलग्न है।

(ङ) विभाग में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार वर्ष 2018 से अब तक मुख्यतः सदस्यता के मुद्दे से संबंधित निम्नलिखित शिकायतें विभिन्न माध्यम से कई प्रतियों में प्राप्त हुई हैं।

विषय:

सदस्यता के मुद्दे से संबंधित

स्थिति

विभाग में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार वर्ष 2018 से अब तक मुख्यतः सदस्यता के मुद्दे से संबंधित निम्नलिखित शिकायतें विभिन्न माध्यम से कई प्रतियों में प्राप्त हुई हैं।

1. दिनांक 12.02.2019 को एक शिकायत श्री अतुल भारद्वाज, उपाध्यक्ष एवं तीन अन्य निदेशकों के द्वारा प्राप्त हुई थी। जिसका संबंधित विषय वर्ष 2011-14 की अवधि के दौरान दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम 2003 व नियम 2007 के नियम 25 के उल्लंघन में सदस्यों के अवैध

नामांकन के संदर्भ में था। इस संबंध में, तथ्यों के आधार पर, एक निरीक्षण का आदेश दिया गया था और तदनुसार, दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम, 2003 की धारा 61 के तहत कार्यवाही शुरू की गई थी। वित्तीय आयुक्त की माननीय अदालत द्वारा केस नंबर 190/2019 के तहत 25.07.2019 को एक ex parte स्टे प्रदान किया गया था जिसका पंजीयक सहकारी समिति कार्यालय द्वारा विरोध किया गया। वित्तीय आयुक्त ने ex parte स्टे 28.11.2019 को समाप्त कर दिया। संबंधित बैंक ने 2019 के सीएम (एम) नंबर 1721 और 1722 में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष आवेदन दायर किया, जिसमें कोर्ट ने पंजीयक के आदेशों पर रोक लगा दी और वित्तीय आयुक्त से दो महीने के भीतर इस मामले पर निर्णय लेने का अनुरोध किया। इस बीच कार्यवाही समाप्त नहीं हो सकी और कोविड-19 प्रतिबंध लग गए। Covid प्रतिबंधों में छूट के बाद, पंजीयक सहकारी समिति कार्यालय ने जल्दी सुनवाई के लिए एक आवेदन वित्तीय आयुक्त की अदालत में दायर किया और बैंक के निदेशक द्वारा दायर इम्प्लेडमेंट आवेदन का विरोध विभाग द्वारा किया गया और वित्तीय आयुक्त से जल्द से जल्द कार्यवाही समाप्त करने का अनुरोध किया। यह कार्यवाही अभी भी वित्तीय आयुक्त के न्यायालय के समक्ष लंबित है।

2. दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक में सदस्यों का नामांकन करते समय दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम 2003 की धारा 41 के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए 2018 की शुरुआत में एक और शिकायत प्राप्त हुई थी। तदनुसार, दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम, 2003 की धारा 138 के तहत दिनांक 29.08.2018 को तत्कालीन पंजीयक द्वारा निर्देश पास

किया गया जिसमें निरीक्षण कार्यवाही पूरी होने तक नए सदस्यों के नामांकन को तत्काल प्रभाव से रोकने के लिए कहा गया। हालांकि, पंजीयक कार्यालय ने इस सन्दर्भ में बैंक द्वारा अतिरिक्त उल्लंघन नोटिस किए। अतिरिक्त पंजीयक को आदेश दिनांक 21.10.2019 के तहत दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम, 2003 की धारा 41(3) के तहत कार्रवाई शुरू करने के लिए नियुक्त किया गया। इसके बाद, दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम और नियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अतिरिक्त पंजीयक ने दिनांक 16.02.2021 को एक विस्तृत आदेश पारित किया, जिसमें दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड के 6003 (छह हजार तीन) सदस्यों की अयोग्यता की मंजूरी दी गई।

3. पंजीयक सहकारी समिति कार्यालय में दिनांक 08.02.2021 को एक अन्य शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें 12.01.2018 से 30.09.2020 के दौरान निवर्तमान प्रबंध समिति द्वारा दर्ज किए गए 2050 सदस्यों और 01.10.2020 से 15.12.2020 के बीच 902 सदस्यों को शामिल करने को बैंक उप-नियमों का उल्लंघन और माधव दास समिति की अवहेलना करने के कारण अवैध घोषित करने का अनुरोध किया गया। इसी अवधि के दौरान कुछ अन्य सदस्यों से भी इसी विषय पर शिकायतें प्राप्त हुई थीं। इस संबंध में मुख्य शिकायत उपर्युक्त अधिनियम एवं नियमों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई के लिए रिटर्निंग अधिकारी को अग्रेषित की गई थी। इस दौरान, उक्त विषय में दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक सदस्य संघ और अन्य, याचिकाकर्ताओं ने माननीय उच्च न्यायालय में WP(C) NO. 4487 अप्रैल 2021 के पहले सप्ताह में अपनी याचिका दर्ज कारवाई जिसमें यह प्रार्थना की गई थी कि (i) निवर्तमान प्रबंध समिति द्वारा

भरे गए 2050 सदस्यों को अवैध घोषित करने के लिए निर्देशों के लिए आदेश जारी करने के लिए कहा और (ii) आगामी चुनावों में वोट डालने के लिए पात्र सदस्यों की सूची से 01/10/2020 से 15/12/2020 के बीच सदस्यों की सूची में शामिल 902 सदस्यों को माधव दास समिति के अनुसार बाहर करने के लिए प्रार्थना की। जो माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष निर्णय के लिए लंबित है।

श्री आर.एस. यादव और विजय देव द्वारा दिनांक 29.05.2013
को शिकायत प्राप्त हुई।

विषय:

ऋण वितरण में कुप्रबंधन

स्थिति

- धारा 61 के तहत दिनांक 31.07.2015 को निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त हुई
- धारा 62 के तहत जांच रिपोर्ट दिनांक 11.01.2017 को प्राप्त हुई
- धारा 66(1) के तहत जांच रिपोर्ट दिनांक 03.10.2017 को प्राप्त हुई।

वर्तमान में, मामले की सुनवाई दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम और नियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार धारा 66(2) के तहत अतिरिक्त पंजीयक द्वारा की जा रही है।

(च) दिल्ली राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड को डीसीएस अधिनियम, 2003 की धारा 138 के तहत निम्नलिखित आदेश जारी किए गए थे।

क्र. सं.	विषय वस्तु	आदेश पत्र नं. और तारीख
1	डीसीएस नियम 2007 के नियम 25 के उल्लंघन में नामांकित सदस्यों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए	549 दिनांक 29/08/2018
2	दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक को डीसीएस अधिनियम, 2003 की धारा 138 के तहत निर्देश दिया गया था कि जब तक रजिस्ट्रार सहकारी समितियों द्वारा इस मामले पर विधिवत विचार नहीं किया जाता है, तब तक उन 40 सेवानिवृत्त कर्मचारियों को किसी भी रूप में फिर से नियोजित/पुनः नियुक्त करने से बचना चाहिए।	931 दिनांक 28/01/2019
3	नए सदस्यों का नामांकन रोकने के लिए	982 दिनांक 14/02/2019
4	जितेंद्र गुप्ता, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड के निलंबन के संबंध में।	

दिल्ली राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड ने पत्र दिनांक 28/12/2021 के माध्यम से सूचित किया कि बैंक को पंजीयक कार्यालय द्वारा विगत 5 वर्षों में डी.सी. एस. अधिनियम 2003 की धारा 138 के अंतर्गत दिए गए सभी आदेशों का पूर्णरूप से पालन किया गया।

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

687

14 पौष, 1943 (शक)



सहकारिता द्वारा समाज कल्याण

Est'd. 1969
दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड
DELHI NAGRIK SEHKARI BANK LTD.

Regd. Office : 720, Near Ghanta Ghar, Subzi Mandi, Delhi-110007
Admn. Office : 3-C/5, Opp. Liberty Cinema, New Rohtak Road, Delhi-110005
Phones : 011-28717331-34 • Fax : 011-28712179
Website : <http://www.dnsbltd.com> • E-mail : info@dnsbltd.com

Branch ADMN.OFFICE

Ref. No. DNSBL/HO/2021-2022/RCS4.13/2149

01.01.2022
Dated

Sh.A.A.Arifi,
Asstt.Registrar (Banking),
Office of the Registrar Cooperative Societies,
Govt. of N.C.T. of Delhi,
Room No.16, Old Court Building,
Parliament Street,
New Delhi - 110001.

Reg. : Supplementary Information regarding Gross NPA & Net NPA.

Dear Sir,

This is in continuation of our earlier letter No.DNSBL/HO/2021-2022/RCS/2147 dated 30.12.2021, vide which we sent Bank's point wise response to various questions raised.

Now, as desired, we submit detailed information of Gross NPA & Net NPA in response to Question No.180(a) in the sheet attached.

We hope this meets your requirements.

Thanking you and with regards,

Yours sincerely,


(H.R. KAPIL)
G.E.O. (OFFICIATING)

For w.a.


01/01/2022

P.A.

Phones : Subzi Mandi - 23850989, Krishna Nagar - 22097003, Lajpat Nagar - 26414570, Tri Nagar - 27383621, Janak Puri - 25553968
Narela - 27282806, Pilampura - 27011943, Yamuna Vihar - 22912358, Nangloi - 25943567, Shahdara - 22585250, Noida - 25022192
Rohini - 27852526, Meethapur - 26669100, Karawal Nagar - 22933157

तीन महीने के लिए बकाया ऋण शेष राशि को एन.पी.ए. के रूप में वर्गीकृत किया गया है जो कि सकल एन.पी.ए. है। बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे एन.पी.ए. के विरुद्ध अपने लाभ में से भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों के अनुसार प्रावधान करें। एन.पी.ए. बैलेस जिसके लिए प्रदान नहीं किया गया है, वह नेट एन.पी.ए. नहीं है, और सामान्य रूप से माना जाता है।

उपरोक्त सूत्र के अनुसार 31.03.2021 का अंकेशन बैंक पत्र के अनुसार बैंक का सकल एन.पी.ए. 27.40 करोड़ रुपये (38.69%)

प्रावधान 25.00 करोड़ रुपये को घटाने के बाद शुद्ध एन.पी.ए. 2.39 करोड़ रुपये (5.22%) है।

सकल एन.पी.ए.	(-) प्रावधान	= शुद्ध एन.पी.ए.
27.40 करोड़ रुपये	(-) 25.00 करोड़ रुपये	= 2.39 करोड़ रुपये

वर्तमान स्थिति 15.12.2021 के अनुसार (बिना जांचा/Unaudited)

सकल एन.पी.ए.	(-) प्रावधान	= शुद्ध एन.पी.ए.
(Gross NPA)	(-)(Provision)	= (Net NPA)
28.14 करोड़ रुपये	(-) 25.29 करोड़ रुपये	= 2.85 करोड़ रुपये
(45.92%)		(7.92%)

लेखापरीक्षित (Audited Sheet) शीट के अनुसार 31.03.2021 को हानि (Audited Sheet) शीट के अनुसार 31.03.2021 को हानि (Loss) 10.38 करोड़ रुपये है।



सहकारिता द्वारा संचालित कल्याण

दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड
DELHI NAGRIK SEHKARI BANK LTD.

Estd. 1969

Regd. Office : 720, Near Ghanta Ghar, Subzi Mandi, Delhi-110007
Admn. Office : 3-C/5, Opp. Liberty Cinema, New Rohtak Road, Delhi-110005
Phones : 011-28717391-34 • Fax : 011-28712179
Website : <http://www.dnsbltd.com> • E-mail : info@dnsbltd.com

Branch

Administrative Office

Ref. No. DNSBL/HO/2021-2022/RCS/2147

Copy No. 418187, Dated 29/12/21, 28.12.2021

Sh. A.A. Arfi,
(Asstt. Registrar Banking)
O/o Registrar Co-operative Societies,
Govt. Of NCT of Delhi
Old Court Building,
Parliament Street,
New Delhi - 110001

One of the Registrar of Cooperative Societies
Govt. of New Delhi
New Delhi

Reg: Forwarding Unstarred Question No. 179 & 180 raised by Sh. Praveen Kumar, Hon'ble MIA, Delhi.

Dear Sir,

We write with reference to your letter no. F.No.AR/Bkg./RCS/Misc-1/2021/846 dated 27-12-2021 and your mail also dated 27-12-2021 received at 4.47 p.m. on the official email of the bank.

As desired, please find enclosed point-wise information, compiled/prepared by us to the extent possible in the given time frame and paucity of time. As you are aware that the newly appointed Managing Committee took charge of the Bank on 18-10-2021. Therefore, if any information is left for reference and not covered in the compliance, we are ready to look into the matter for further requirements. We hope this meets your requirements.

Thanking you and with kind regards.

Sincerely,

(H. R. KAPIL)
CHIEF EXECUTIVE OFFICER (OFFICIATING)

D.A

2186/AR (B.R.G.)
28/12/2021

For m. a.
28/12/21

संलग्नक

(क) Gross N.P.A. — 45-92%

Net N.P.A. — 7.92%

(ख) दि.ना.स. बैंक लि. में 17/10/2021 से अभी तक निम्नलिखित 3 भर्तियां अनुबंध के आधार पर की गई हैं।

1. सलाहकार - जिसका कार्यकाल 22/11/2021 से 21/01/2022 (2 महीने) तक है।

2. रिकवरी हेतू - जिसका कार्यकाल 18/11/2021 से 17/01/2022 (2 महीने) तक है।

3. रिकवरी हेतू - जिसका कार्यकाल 26/11/2021 से 25/01/2022 (2 महीने) तक है।

(ग) दि.न.सं. बैंक लि. में विगत 5 वर्षों में लीगल पर लगभग 91 लाख खर्च किया है। जिसकी विस्तृत सूची संलग्न है।

(घ) हार्डवेयर कम्प्यूटर एंवम साफ्टवेयर कम्प्यूटर में कुल 65,07,073/- रु. खर्च हुआ। (विवरण सूची संलग्न है)

संलग्नक-‘ग’

DELHI NAGRIK SEHKARI BANK LTD.

Statement of Account of Legal Expenses for the period from 01-01-2017 to 28-12-2021

Date	Particulars	Amount
07-01-2017	Chetan Sharma	90,000.00
02-03-2017	Vats Gupta & Co	50,000.00
25-05-2017	LEX Alliance	351,900.00
25-05-2017	Vats Gupta & Co	57,500.00
26-05-2017	LEX Alliance	74,750.00
22-06-2017	Vikas Shokeen	87,400.00
22-06-2017	Vikas Shokeen	6,325.00
30-06-2017	LEX Alliance	380,650.00
31-10-2017	Advocate Chetan Sharma	90,000.00
06-11-2017	LEX Alliance	392,800.00
28-12-2017	Surender Kumar	100,000.00
28-12-2017	Rajiv Vig	25,000.00
28-03-2018	LEX Alliance	100,000.00
31-03-2018	Payment of bills of Advocate Rajinder Gulati	25,000.00
09-05-2018	Payment of Advocate Sh Rajinder Gulati	25,000.00
13-06-2018	Payment of Bills of Advo Sh Rajinder Gulati	25,000.00
07-07-2018	Payment of Bills of Advocate Rajinder Gulati	25,000.00
27-08-2018	Retainership July18/Misc bills of Advo. R.Gulati	25,000.00
12-09-2018	Retainership Fee Aug 2018 of Advo. Rajinder Gulati	45,000.00
17-09-2018	Retainership M/o Aug18 Advo.R.Gulati (Balance Amt.)	5,000.00
09-10-2018	Retainership Fee M/o Sep18 Advo. Rajinder Gulati	50,000.00

Date	Particulars	Amount
01-11-2018	Retainership M/O Oct 18 & Misc Bills Advo R. Gulati	50,000.00
03-12-2018	R/Ship M/O of Nov18 & Misc. Bills of Adv. R.Gulati	50,000.00
05-01-2019	Retainership Fee M/oDec18 of Advo. Rajinder Gulati	50,000.00
07-02-2019	Retainership Fee M/o Jan19 of Advocate R.Gulati	50,000.00
20-03-2019	Retainership M/o Feb19 of Advocate Rajinder Gulati	50,000.00
20-03-2019	Professional Fee of Advo R.Gulati in case of Kamna	33,000.00
30-03-2019	Retainership Mar19&Misc Bills of Advo Rajat Sharma	50,000.00
06-06-2019	Payment of Retanairship M/o Apr & May19 toAdvocate	100,000.00
09-07-2019	Retainership Fee M/o June19 Advocate Rajat Sharma	100,000.00
24-07-2019	Professional fee of Advo. Rajinder Gulati 164/2019	55,000.00
16-08-2019	Retainership Fee M/o July19 to Advo. Rajat Sharma	100,000.00
19-08-20"19	Profeessional Fee of Advo Rajinder Gulati 190/2019	55,000.00
23-08-2019	Professional fee Advo R. Gulati 191/19 & 192/19	110,000.00
04-09-2019	Retainership M/O of Aug-19 Advo. Rajat Sharma	100,000.00
05-10-2019	Retainership Fee M/o Sep19 Advocate Rajat Sharma	100,000.00
23-10-2019	Payment of Professional fees DNSB Adv. Sh. Rajinder	55,000.00
23-10-2019	Payment of Professional Fees of DNSB	200,000.00
23-10-2019	Payment of Apperance Fees of Adv. Rakesh K. Khanna	330,000.00
06-11-2019	Retainership fee m/o of Oct-19 adv.Sh.Rajat Sharma	100,000.00
08-11-2019	Payment of Advo Rahul Gupta in WPC 11124/19	210,000.00
08-11-2019	To Advo Rahul Gupta for appearance of Advo Nitin	40,000.00
21-11-2019	Payment of Advo Rajat Sharma (B.No.40/DNSBL/9/2019	21,000.00
28-11-2019	Payment of Advo Rajiv Khosla for appearance before	100,000.00
05-12-2019	Tr for Retainership Fee Nov 2019 to Advo Rajat	100,000.00

Date	Particulars	Amount
05-12-2019	Jinterder Pal Singh	110,000.00
05-12-2019	Jinterder Pal Singh	110,000.00
07-12-2019	Payment of Adv. Rahul Gupta Case W.P.C. 11124/2019	50,000.00
07-12-2019	Payment of Adv. Rajinder Gulati Case C.M.M 1722/19	55,000.00
07-12-2019	Payment Adv. Rajinder Gulati Case C.M.M. 1721/2019	55,000.00
11-12-2019	Jitender Pal Singh	110,000.00
11-12-2019	Jitender Pal Singh	110,000.00
12-12-2019	Payment of Advo Rajinder Gulati Case No.WPC13026/19	55,000.00
16-01-2020 “	Retainership M/o Dec19 of Advocate Rajat Sharma	100,000.00
24-01-2020	Bill of Advo Rajat Sharma Lucknow High Court Case	35,000.00
10-02-2020	Tr To GL-52114 & 10020 R”ship M/o Jan 20 Advo Rajat	100,000.00
03-03-2020	Tr To 52114 & 10020 Retainership Feb20 Advo. Rajat	100,000.00
30-03-2020	Retainership fees for Mar.20/Adv Rajat Sharma	100,000.00
08-05-2020	For Retainership Fee to Advo Rajat Sharma April 20	100,000.00
03-06-2020	Tr 52114 Retainership Fee Advo Rajat Sharma May-20	100,000.00
10-07-2020	Tr To GL52114&10020 R-ship Jun20 Advo Rajat Sharma	100,000.00
03-08-2020	Tr To GL52114&10020 Retainership Fee Advo Rajat	100,000.00
04-09-2020	Tr To GL 52114 & 10020 Retainership M/O Aug20 To	100,000.00
30-09-2020	Tr GL-52114 & 10020 For Payment Advo. R. Khanna	120,000.00
08-10-2020	Tr to GL52114&10020 Retainership Sep20 Advo Rajat	100,000.00
14-10-2020	Tr to GL52114 & 10020 payment of Advo Rakesh Khanna	120,000.00
28-10-2020	Tr To GL52114&10020 payment of Advo Rakesh Khanna	310,000.00
03-11-2020	Tr to GL52114&10020 Retainership fee oct-20 Advo.	100,000.00
03-12-2020	Tr To GL 52114 & 10020 Retainership Fee M/o Nov 20	100,000.00

Date	Particulars	Amount
07-01-2021	Tr To GL52114 & GL10020 Retainership M/o Dec-20	100,000.00
16-02-2021	Tr To GL 52114 & GL 10020 Advocate Rajat Sharma	100,000.00
05-03-2021	Tr GL 52114&10020 payment of Advo Shobha in case	7,500.00
06-03-2021	GL52114&10020 Advo Rajat Sharma Retainership Feb21	100,000.00
08-03-2021	Paymn. Rakesh Km Khanna B.N 01 Dt.11.1.21	110,000.00
08-03-2021	Paymn. Rakesh Km Khanna B.N 04 Dt.27.01.21	110,000.00
08-03-2021	Paymn. Rakesh Km Khanna B.N 10 Dt. 19.02.21	110,000.00
08-03-2021	Paymn. Rakesh Km Khanna B.N 15 Dt. 03.03.21	110,000.00
31-03-2021	Tr to GL52114&10020 Advo Rajat Sharma Retainership	100,000.00
31-03-2021'	Payments of 3 bills of Advocate Rakesh Khanna	330,000.00
31-03-2021	Payment of 2 bills of Advocate Rakesh Khanna	220,000.00
06-05-2021	Rajat sharma advocate/Retainership fee m/o April21	100,000.00
13-07-2021	Retainership Fee May21 & Jun21 Advo Rajat Sharma	200,000.00
18-08-2021	Retainership Fee July 21 Anil	50,000.00
24-08-2021	Adv.Rakesh Khanna app.fee/1018/21 28.7.21	110,000.00
24-08-2021	Adv.Rakesh Khanna/app.fees wpc 4487/21 dt 12.4.21	110,000.00
24-08-2021	Adv.Rakesh Khanna/app.fee wpc 4487/21 dt 11.8.21	110,000.00
15-09-2021	Advocate Anil Kr./retainership fees M/O Aug 21	50,000.00
22-09-2021	Tr 52114 for Payment of Advo Rakesh Khanna	110,000.00
08-10-2021	Tr 52114&10020 Adv Anil for apparance before CIC	33,000.00
08-10-2021	Tr 52114&10020 Adv Anil for appearance before CIC	33,000.00
14-10-2021	Advocate Anil Kr./retainership fees M/O Sep-2021	50,000.00
03-12-2021	52114/10020 for Retainership Fee Month Oct-nov21	100,000.00
		9,133,825.00

संलग्नक-घ

DELHI NAGRIK SEHKAR BANK LTD

Purchase Detail of Computer Hardware & Software for the
Last Five Year i.e. from 01-04-2016 To 28-12-2021

	Price Without Taxes	Tax(@) 18%	Total Price With Taxes
Hardware 08-07-2019	2814469.00	506604.00	3321073.00
Software 03-06-2019	2700000.00	486000.00	3186000.00
Total	5514469.00	992604.00	6507073.00

181. श्री अब्दुल रहमान: क्या माननीय सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजेंद्र गुप्स हाउसिंग सोसाइटी में व्याप्त भ्रष्टाचार के सन्दर्भ में विगत 5 वर्षों में हुई शिकायत, उसकी जाँच रिपोर्ट का वर्तमान स्टेटस एवं इसकी जाँच में हुई देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की सूची सहित पूर्ण विवरण दें।

(ख) दिल्ली स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक में भ्रष्टाचार की विगत 5 वर्षों में कितनी शिकायत विभाग को प्राप्त हुई एवं उस पर की गई कार्यवाही की सभी फाइलों की कॉपी एवं यदि कार्यवाही नहीं हुई तो इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों की सूची सहित पूर्ण विवरण दें;

(ग) दिल्ली स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक में विगत 5 वर्षों में कितनी भर्ती की गई उस पर क्या प्रक्रिया अपनाई गई एवं विभाग की क्या भूमिका है पूर्ण विवरण दें;

(घ) दिल्ली स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक में सरकार का कितना शेयर है एवं इस शेयर में निरन्तर कम होने के क्या कारण हैं;

(ङ) सरकार के द्वारा नोमनी निदेशक की नियुक्त ना होने के कारण व इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों की सूची सहित पूर्ण विवरण दें; और

(च) पूर्व निदेशक मंडल पर भ्रष्टाचार के मामलों संबंधित जांच का पूर्ण विवरण दें तथा जांच में देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों का पूर्ण विवरण दें?

सहकारिता मंत्री: (क) श्री अरुण चड्ढा और अन्य द्वारा दायर याचिका दिनांक 05/12/2018 पर राजेंद्र सीजीएचएस लिमिटेड में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए, विधानसभा सचिवालय में, डीसीएस अधिनियम, 2003 की धारा 62 के तहत एक जांच अधिकारी श्री जीमरवाह के. सेवानिवृत्त आईएएस को इस कार्यालय के आदेश दिनांक 08/02/2019 के तहत याचिका में उठाए गए मुद्दों पर जांच करने के निर्देश के साथ नियुक्त किया गया था। बाद में याचिका समिति द्वारा उठाई गई आपत्ति पर डीसीएस अधिनियम 2003 की धारा 62 के तहत जांच अधिकारी एक सेवारत अधिकारी होना चाहिए। अतः इस कार्यालय आदेश दिनांक 26/02/2019 द्वारा सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के पश्चात श्रीसंजय शर्मा अवर सचिव, कौशल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, को डीसीएस अधिनियम 2003 की धारा 62 के तहत जांच अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था।

तत्पश्चात जांच अधिकारी श्री संजय शर्मा ने 09/03/2020 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और डीसीएस अधिनियम, 2003 की धारा 62(1) के तहत जांच रिपोर्ट सोसायटी को भेज दी गई। शिकायतकर्ता द्वारा फाइल का निरीक्षण करने के बाद जांच रिपोर्ट की प्रति भी प्राप्त की गई।

तत्पश्चात धारा 62 के तहत जांच अधिकारी की रिपोर्ट और समिति के आगे के जवाब के आधार पर पत्र दिनांक 04/08/2020 (इस कार्यालय में 03/09/2020 को प्राप्त के आधार पर सक्षम प्राधिकारी ने धारा (66)1 के तहत जांच के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की एवं श्री डी कार्तिकेयन, एडीएम नई दिल्ली, को इस कार्यालय के आदेश दिनांक 01/03/2021 के द्वारा डीसीएस अधिनियम, 2003 की धारा 66(1) के तहत जांच अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। उसी की रिपोर्ट अभी भी प्रतीक्षित है। इसके अलावा जांच अधिकारी को जल्द से जल्द रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिये एक अनुस्मारक पत्र दिनांक 28.12.2021 को जारी कर दिया गया है।

(ख) विभाग में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार मुख्यतः निम्नलिखित शिकायतें विभिन्न चैनलों के माध्यम से कई प्रतियों में प्राप्त हुई हैं।

भारत सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली के पत्र सं. 10855/जेएस (एबी)/(2018 दिनांक 09.07.2018) द्वारा राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ (एनसीसीएफ) के मुख्य सतर्कता अधिकारी को दिनांक 05.07.2018 को प्राप्त एक टेलीफोन कॉल के बारे में सूचित किया जिसमें श्री ललित कुमार, शिकायतकर्ता जो दिल्ली राज्य सहकारी बैंक का सदस्य होने का दावा करता है, डॉ बिजेंद्र सिंह, पूर्व अध्यक्ष/एनसीसीएफ जो दिल्ली राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष और मैसर्स दिल्ली राज्य सहकारी विपणन और आपूर्ति संघ लिमिटेड के एक पदाधिकारी भी हैं, के कामकाज में अनियमितताओं के बारे में शिकायत की।

कार्यवाही:- श्री अजय चगती, विशेष सचिव (IT) को डीसीएस अधिनियम, 2003 की धारा 6 के तहत दिनांक 18/07/2018 को निरीक्षण करने के लिए निरीक्षण अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। जिस पर श्री अजय चगती ने अपने आवेदन दिनांक 09/08/2018 के माध्यम से किसी अन्य उपयुक्त अधिकारी

को कार्य सौंपने का अनुरोध किया क्योंकि मुख्य सचिव के कार्यालय में उनका काम बढ़ गया है और वह निरीक्षण पूरा नहीं कर पाएंगे। तत्पश्चात श्री पी.सी. जैन, विशेष सचिव, डब्ल्यू.सी.डी., दिल्ली सरकार) के डीसीएस अधिनियम 2003 की धारा 61 के तहत निरीक्षण करने के लिए दिनांक 25/09/2018 को आदेश जारी किया गया।

दिल्ली राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड ने मामला संख्या 321/2018 शीर्षक दिल्ली राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड बनाम आरसीएस और 335/2018 शीर्षक बिजेन्द्र सिंह बनाम आरसीएस वित्तीय आयुक्त, दिल्ली के समक्ष एक पुनरीक्षण याचिका दायर की। इस संशोधन याचिका पर सुनवाई हुई और आदेश 14.09.2018 को सुरक्षित रखा गया। उसके बाद दिल्ली (राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड ने WP (C) 12370/2018 के तहत माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली के समक्ष याचिका दायर की। माननीय उच्च न्यायालय ने वित्तीय आयुक्त को अगले 2 सप्ताह के भीतर आदेश पारित करने के निर्देश के साथ रिट याचिका का निपटारा किया। मामला माननीय वित्तीय आयुक्त के समक्ष आदेश के लिए लंबित है।

इसके अलावा सहायक निदेशक विजिलेंस की ओर से पत्र संख्या डी.ओ.वी, F.27/05/2018/10531-532 दिनांक 05/11/2020 से प्राप्त पत्र के साथ माननीय उपराज्यपाल महोदय के सचिव के यू.ओ. नोट सं. 20027/20-आरएन/338/ए 2301 दिनांक 21/09/2020 के साथ मुख्य सचिव को संबोधित पत्र प्राप्त हुआ जिसके साथ श्री ललित कुमार के शिकायत पत्र दिनांक 16/09/2020 जो दिल्ली राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड, 31, नेताजी सुभाष मार्ग, दरियागंज, नई दिल्ली (डीएससीबी) के कामकाज में घोटाले और बैंक के काम काज की अनिमितताओं के बारे में था जिसमें माननीय एल.जी. ने निर्देश दिया कि आरसीएस, शिकायतकर्ता द्वारा बैंक के कामकाज से संबंधित अनियमितताओं के बारे में पूर्ण तथ्यों का जांच करे और तदनुसार आवश्यक कार्रवाई शुरू करें। इस बात को ध्यान में रखते हुए, श्री

रणजीत सिंह, अतिरिक्त पंजीयक, सहकारी समितियों को दिल्ली राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड के कामकाज के संबंध में कथित अनियमितताओं पर तथ्यान्वेषी जांच करने के लिए इस कार्यालय के आदेश दिनांक 15/01/2021 द्वारा जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। जांच अधिकारी की सहायता के लिए श्री गुलशन आहूजा, सहायक रजिस्ट्रार (बैंकिंग) को भी नियुक्त किया गया था। जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट माननीय एल.जी. को प्रस्तुत की और माननीय एल.जी. ने रिपोर्ट का अवलोकन किया और डीओवी से पूरे मामले की जांच करने और मुख्य सचिव के माध्यम से मामले में विशिष्ट सिफारिश के साथ फाइल जमा करने का निर्देश दिया। संबंधित फाइल निर्देशानुसार डी.ओ.वी. को आवश्यक कार्यवाही के लिये भेजा गया है जो प्रक्रियाधीन है।

इसके अलावा, श्री ललित कुमार द्वारा दिल्ली राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड के प्रबंधन में अनियमितता की शिकायत उप सचिव, कमिटी ऑन पिटीशन, दिल्ली विधानसभा के पत्र दिनांक 22/03/2019 के द्वारा अग्रेषित किया गया। उपरोक्त शिकायत इस कार्यालय के पत्र दिनांक 26/03/2019 द्वारा अध्यक्ष/सीईओ, दिल्ली राज्य सहकारी समिति को भेजी गई जिस पर बैंक के सहायक महाप्रबंधक ने पत्र दिनांक 29/03/2019 द्वारा पैरावाइज उत्तर प्रस्तुत किया। दिल्ली राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड के प्रबंधन के मामलों में अनियमितताएं को ध्यान में रखते हुए, डीसीएस अधिनियम, 2003 की धारा 61 के तहत एक निरीक्षण प्रस्तावित किया गया। तदनुसार, श्री सुधाकर, एसडीएम, राजस्व को डीसीएस अधिनियम 2003 की धारा 61 के तहत निरीक्षण करने के लिए निरीक्षण अधिकारी नियुक्त किया गया। श्री सुधाकर ने बताया कि कोरोना पॉजिटिव होने के कारण वह निरीक्षण नहीं कर सके। इस दौरान बैंक की ओर से आरसीएस को रिव्यू आवेदन दिया गया। तत्कालीन सचिव-सह-आरसीएस ने आदेश दिया कि पहले अतिरिक्त रजिस्ट्रार द्वारा फैक्ट फाइंडिंग इन्क्वायरी पूरी की जाए। फैक्ट फाइंडिंग इन्क्वायरी पूरी हो चुकी है और माननीय उपराज्यपाल के निर्देश पर संबंधित फाइल आगे की जांच

के लिए सतर्कता निदेशालय में प्रस्तुत की गई है। श्री सुधाकर के जगह डीसीएस अधिनियम 2003 की धारा 61 के तहत निरीक्षण करने के लिए अन्य निरीक्षण अधिकारी की नियुक्ति होना है।

इसके अलावा, हाल में श्री देवेन्द्र सिंह शौकीन, पूर्व परिवहन एवं विकास मंत्री, दिल्ली के पत्र दिनांक 08/11/2021 एवं 29/11/2021 और श्री जीतराम सोलंकी पूर्व विधायक दिल्ली के पत्र दिनांक 29/11/2021 द्वारा दिल्ली राज्य सहकारी बैंक के प्रबंध समिति द्वारा प्रबंधक निदेशक की नियुक्ति के खिलाफ तथा जालसाजी कर बैंक खातों में फर्जी प्रविष्टियां कराकर राशि का गबन की शिकायत विभिन्न माध्यमों से प्राप्त हुई। जिस पर विभाग के पत्र संख 802 दिनांक 20/12/2021 के माध्यम से बैंक के चेयरमैन से कॉमेट/जवाब प्रस्तुत करने को कहा गया है। जवाब अभी अपेक्षित है।

(ग) दिल्ली राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड ने पत्र दिनांक 28/12/2021 के माध्यम से सूचित किया कि पिछले 5 वर्षों में बैंक में 20 कर्मचारी नियुक्त किए गए। बैंक में सभी भर्तियां बैंक सेवा नियमों और मानव संसाधन नीति के अनुसार होती हैं।

डीसीएस अधिनियम 2003 की धारा 135 एवं डीसीएस नियम 2007 के नियम 166 के तहत बैंक को अपने स्वयं के सेवा नियम और मानव संसाधन नीति तैयार करने की शक्ति प्रदान है।

बैंक ने अपने सर्विस रूल एवं मानव संसाधन नीति (HR Policy) के अंतर्गत नियुक्ति की प्रक्रिया निर्धारित कर रखी है। जिसके अंतर्गत प्रत्येक पद की योग्यता अलग-अलग निर्धारित है। जिन पदों के लिए भर्ती करनी होती है वह पहले निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृत की जाती है। तदनुसार बैंक उन रिक्त पदों के लिए दो राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन देता है जिसमें सारी चीजें जैसे उम्र, शैक्षिक योग्यता, प्रार्थना पत्र देने की अंतिम तिथि आदि दी जाती है।

प्राप्त आवेदनों में से योग्य पाए गए प्रार्थियों को साक्षात्कार हेतु बुलाया जाता है। साक्षात्कार लेने के लिए बैंक के निदेशक मंडल द्वारा एक साक्षात्कार कमेटी बनाई जाती है। साक्षात्कार कमेटी आवेदकों का साक्षात्कार एवं मूल्यांकन के उपरांत सर्वश्रेष्ठ आवेदकों का चयन करके अपनी रिपोर्ट सम्बन्धित विभाग को सौंप देती है। साक्षात्कार कमेटी की संस्तुति के आधार पर आवेदकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाता है। इस प्रक्रिया में विभाग की कोई भूमिका नहीं है।

(घ) दिल्ली राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड ने पत्र दिनांक 27/12/2021 एवं दिनांक 28/12/2021 द्वारा सूचित किया है कि बैंक में दिल्ली सरकार की हिस्सेदारी रु. 80,02,500/- और पिछले दशकों में अपरिवर्तित रही है। इसलिए, पिछले दशकों में सरकारी हिस्सेदारी में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

बैंक में दिल्ली सरकार की हिस्सेदारी (Share) निम्न प्रकार है-

वर्ष	शेयर मूल्य रु. में	प्रतिशत
2017	80,02,500.00	24.60%
2020	80,02,500.00	18.20%
आज की तारीख 28.12.2021 के अनुसार	80,02,500.00	20.81%

दिल्ली सरकार की हिस्सेदारी (Share) Rs. 80,02,500/- है जो पिछले दशकों से अपरिवर्तित है। हिस्सेदारी की प्रतिशत में गिरावट का मूल कारण अन्य सहकारी समितियों द्वारा अतिरिक्त शेयर खरीदना है।

(ङ) दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम 2003 की धारा 35(10)(ए) के अनुसार एवं दिल्ली सहकारी नियम, 2007 के नियम 58(1) के साथ पठित,

दिल्ली राज्य सहकारी बैंक के निदेशक मंडल में सरकार के एक नामित व्यक्ति को नामित किया जाना आवश्यक है।

इस कार्यालय के पत्र दिनांक 21/12/2020 के माध्यम से वित्त विभाग से दिल्ली राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड के निदेशक मंडल में सरकार के एक नामित व्यक्ति को नामित करने का अनुरोध किया गया था।

(च) विभाग में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार मुख्यतः निम्नलिखित शिकायतें विभिन्न चैनलों के माध्यम से कई प्रतियों में प्राप्त हुई हैं।

सहायक निदेशक विजिलेंस की ओर से पत्र संख्या डी.ओ.वी, F.27/05/2018/105331-532 दिनांक 05/11/2020 से प्राप्त पत्र के साथ माननीय उपराज्यपाल महोदय के सचिव के यू.ओ. नोट सं. 2002/20-आरएन/338/ए 2301 दिनांक 21/09/2020 के साथ मुख्य सचिव को संबोधित पत्र प्राप्त हुआ जिसके साथ श्री ललित कुमार के शिकायत पत्र दिनांक 16/09/2020 जो दिल्ली राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड, 21, नेताजी सुभाष मार्ग, दरियागंज, नई दिल्ली (डीएससीबी) के कामकाज में घोटाले और बैंक के काम काज की अनिमितताओं के बारे में था जिसमें माननीय एल.जी. ने निर्देश दिया कि आरसीएस, शिकायतकर्ता द्वारा बैंक के कामकाज से संबंधित अनियमितताओं के बारे में पूर्ण तथ्यों का जांच करे और तदनुसार आवश्यक कार्रवाई शुरू करे। इस बात को ध्यान में रखते हुए, श्री रणजीत सिंह, अतिरिक्त पंजीयक, सहकारी समितियों को दिल्ली राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड के कामकाज के संबंध में कथित अनियमितताओं पर तथ्यान्वेषी जांच करने के लिए इस कार्यालय के आदेश दिनांक 15/01/2021 द्वारा जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। जांच अधिकारी की सहायता के लिए श्री गुलशन आहूजा, सहायक रजिस्ट्रार (बैंकिंग) को भी नियुक्त किया गया था। जांच अधिकारी

ने अपनी रिपोर्ट माननीय एल.जी. को प्रस्तुत की और माननीय एल.जी. ने रिपोर्ट का अवलोकन किया और डीओवी से पूरे मामले की जांच करने और मुख्य सचिव के माध्यम से मामले में विशिष्ट सिफारिश के साथ फाइल जमा करने का निर्देश दिया। संबंधित फाइल निर्देशानुसार डी.ओ.वी. को आवश्यक कार्यवाही के लिये भेजा गया है जो प्रक्रियाधीन है।

इसके अलावा, श्री ललित कुमार द्वारा दिल्ली राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड के प्रबंधन में अनियमितता की शिकायत उप सचिव, कमिटी ऑन पिटीशन, दिल्ली विधानसभा के पत्र दिनांक 22/03/2019 द्वारा अग्रेषित किया गया उपरोक्त शिकायत इस कार्यालय के पत्र दिनांक 26/03/2019 अध्यक्ष/सीईओ, दिल्ली राज्य सहकारी समिति को भेजी गई जिस पर बैंक के सहायक महाप्रबंधक ने पत्र दिनांक 29/03/2019 द्वारा पैरावाइज उत्तर प्रस्तुत किया। दिल्ली राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड के प्रबंधन के मामलों में अनियमितताएं को ध्यान में रखते हुए, डीसीएस अधिनियम, 2003 की धारा 61 के तहत एक निरीक्षण प्रस्तावित किया गया। तदनुसार, श्री सुधाकर, एसडीएम, राजस्व को डीसीएस अधिनियम 2003 की धारा 61 के तहत निरीक्षण करने के लिए निरीक्षण अधिकारी नियुक्त किया गया। श्री सुधाकर ने बताया कि कोरोना पॉजिटिव होने के कारण वह निरीक्षण नहीं कर सके। इस दौरान बैंक की ओर से आरसीएस को रिव्यू आवेदन दिया गया। तत्कालीन सचिव-सह-आरसीएस ने आदेश दिया कि पहले अतिरिक्त रजिस्ट्रार द्वारा फैक्ट फाइंडिंग इन्क्वायरी पूरी की जाए। फैक्ट फाइंडिंग इन्क्वायरी पूरी हो चुकी है और माननीय उपराज्यपाल के निर्देश पर संबंधित फाइल आगे की जांच के लिए सतर्कता निदेशालय में प्रस्तुत की गई है। श्री सुधाकर के जगह डीसीएस अधिनियम 2003 की धारा 61 के तहत निरीक्षण करने के लिए अन्य निरीक्षण अधिकारी की नियुक्ति होना है।

दि दिल्ली राज्य सहकारी बैंक लि०

31, नेताजी सुभाष मार्ग, दरियागंज, नई दिल्ली-110002

फोन नं०- 011-23270375 ईमेल : dscbho@gmail.com

पत्रांक 4230

दिनांक 28/12/2021

सहायक पंजीयक (बैंकिंग),
कार्यालय पंजीयक सहकारी समितियों,
दिल्ली सरकार
पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली-110001

महोदय,

विषय- श्री अब्दुल रहमान द्वारा विधानसभा के प्रश्न संख्या 181 का उत्तर।

क) हमसे सम्बंधित नहीं है।

B) हमसे सम्बंधित नहीं है।

ख) डीसीएस एक्ट 135 एवं रूल 166 के अंतर्गत बैंक को अपने सर्विस रूल एवं मानव संसाधन नीति (HR Policy) बनाने की शक्ति (empowered) प्रदान है। बैंक ने अपने सर्विस रूल एवं मानव संसाधन नीति (HR Policy) के अंतर्गत नियुक्ति की प्रक्रिया निर्धारित कर रखी है। प्रत्येक पद की योग्यता अलग-अलग निर्धारित है। जिन पदों के लिए भर्ती करना होता है वह पहले निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृत की जाती है। तदनुसार बैंक उन रिक्त पदों के लिए दो राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन देता है। जिसमें सारी चीजें जैसे उम्र, शैक्षिक योग्यता, प्रार्थना पत्र देने की अंतिम तिथि आदि दी जाती है।

प्राप्त आवेदनों में से योग्य पाए गए प्रार्थियों को साक्षात्कार हेतु बुलाया जाता है। साक्षात्कार लेने के लिए बैंक के निदेशक मंडल द्वारा एक साक्षात्कार कमेटी बनाई जाती है। साक्षात्कार कमेटी आवेदकों का साक्षात्कार एवं मूल्यांकन के उपरांत सर्वश्रेष्ठ आवेदकों का चयन करके अपनी रिपोर्ट सम्बंधित विभाग को सौंप देती है। साक्षात्कार कमेटी की संसृति के आधार पर आवेदकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाता है।

पिछले 5 वर्षों में बैंक में 20 कर्मचारियों की नियुक्ति की गयी।

ग) बैंक में दिल्ली सरकार की हिस्सेदारी (Share) निम्न प्रकार है -

वर्ष	शेयर मूल्य रु० में	प्रतिशत
2017	80,02,500.00	24.80 %
2020	80,02,500.00	18.20 %
आज की तारीख 28.12.2021 के अनुसार	80,02,500.00	20.81 %

दिल्ली सरकार की हिस्सेदारी (Share) Rs. 80,02,500/- है जो पिछले दशकों से अपरिवर्तित है। हिस्सेदारी की प्रतिशत में गिरावट का मूल कारण अन्य सहकारी समितियों द्वारा अतिरिक्त शेयर खरीदना है।

घ) हमसे सम्बंधित नहीं है।

ङ) हमसे सम्बंधित नहीं है।

स. प्र. (B) 28/12/21

182. श्री सुरेंद्र कुमार: क्या माननीय समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोकलपुरी विधानसभा में आज तक चालू की गयी पेंशनों (वृद्ध, विकलांग, विधवा, तलाकशुदा) का विवरण क्या है, सूची दें;

(ख) लंबित पेंशनों की सूची दें;

(ग) एसी-68 में आज तक कितनी विधवाओं को आर्थिक सहयोग दिया गया और कितने लंबित हैं, सूची दें;

(घ) एसी-68 में आज तक कितनी विधवाओं की बेटी की शादी में मदद की गयी है और कितने लंबित हैं, सूची दें, और

(ङ) एसी-68 में आज तक कितनी तलाकशुदा महिलाओं को पेंशन मिलती है और कितने लंबित हैं, सूची दें?

समाज कल्याण मंत्री: (क) गोकलपुरी विधानसभा में वर्तमान में चालू पेंशन का ब्यौरा निम्नवत है:-

1. वृद्ध पेंशन - 7989
2. विकलांग पेंशन - 2973
3. विधवा व तलाकशुदा पेंशन - 6453

विधवाओं महिलाओं से सम्बंधित जानकारी सवेदनशील होने के कारण यदि माननीय सदस्य व्यक्तिगत रूप से चाहेंगे तो पूर्ण जानकारी दी जा सकती है।

(ख) लंबित विधवा पेंशन का ब्यौरा निम्नवत है-

1. वृद्ध पेंशन - 8
2. विकलांग पेंशन - 23
3. विधवा व तलाकशुदा पेंशन - 548

सम्बंधित जानकारी सर्वेदनशील होने के कारण यदि माननीय सदस्य व्यक्तिगत रूप से चाहेंगे तो पूर्ण जानकारी दी जा सकती है।

(ग) उपरोक्त के एवं ख के अनुसार।

(घ) एसी-68 में आज तक 379 विधवाओं की बेटी की शादी में मदद की गयी है एवं ऑनलाइन लंबित आवेदनों की सूची विधानसभा अनुसार ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल (e-District Portal) पर अभी उपलब्ध नहीं है।

(ङ) ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के अनुसार एसी-68 में आज तक 22 तलाकशुदा महिलाओं को पेंशन मिल रही है व ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल (e-District Portal) के अनुसार 6 तलाकशुदा महिलाओं की पेंशन लंबित है।

183. श्री नरेश यादव: क्या माननीय समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान में गरीब परिवारों की बेटियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता की सरकार की कोई योजना है;

(ख) यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो क्या भविष्य में सरकार की ऐसी कोई योजना लाने का कोई प्रस्ताव है?

समाज कल्याण मंत्री: (क) जी नहीं।

(ख) उपरोक्त के अनुसार नहीं।

(ग) अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

184. श्री सुरेंद्र कुमार: क्या माननीय **चुनाव मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि गोकलपुर विधानसभा में चुनाव कार्यालय के लिए बैंक कॉलोनी रोड़ पर जमीन सुनिश्चित की गयी थी;

(ख) यदि हाँ, तो इस पर अब तक कार्यालय का निर्माण न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) गोकलपुर विधानसभा में प्रस्तावित चुनाव कार्यालय का निर्माण कब तक कर दिया जाएगा?

चुनाव मंत्री: (क) हाँ, दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा 500 वर्ग मीटर जमीन फैसिलिटी सेंटर, मंडोली मैन वजीराबाद रोड़ पर वोटर सेंटर विधानसभा-68 (गोकलपुर) के लिए आवंटित की गई है।

(ख) लोक निर्माण विभाग से फाइनेंस डिपार्टमेंट की एक्सपेंडिचर गाइडलाइंस कोविड-19 के मद्देनजर स्पष्टीकरण मांगा गया था, कि उक्त कार्य संभव है या नहीं पर इस संदर्भ में कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। इसके अलावा लोक निर्माण विभाग के जवाब के अनुसार इस कार्य के लिए वित्त वर्ष 2020-21, 2021-22 में बजट का प्रावधान नहीं किया गया था। यथाशीघ्र प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय स्वीकृति लोक निर्माण विभाग को प्रदान कर दी जाएगी जिससे बजट प्रावधान हो सके।

(ग) सक्षम अधिकारी द्वारा प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय स्वकृति होने के बाद समयावधि का अनुमान लगाया जा सकता है।

185. श्री मोहन सिंह बिष्ट: क्या माननीय चुनाव मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चुनाव संबंधित कामों को देखने के लिए कुल कितने एआरओ पूर्णकालिक काम कर रहे हैं;

(ख) क्या यह सत्य है कि अधिकतर चुनाव कार्यों की देखरेख के लिए अन्य विभागों से एआरओ लगाए गए हैं जिसके कारण लोगों को वोट व पहचान-पत्र बनवाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है; और

(ग) यदि नहीं, तो करावल नगर विधानसभा में लोगों के पहचान पत्र न बनाए जाने अथवा देरी से बनने के क्या कारण हैं?

चुनाव मंत्री: (क) दिल्ली की 70 विधानसभा क्षेत्रों के लिए चुनाव आयोग द्वारा 140 सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की अधिसूचना जारी की गई जो कि चुनाव के दौरान रिटर्निंग अधिकारियों को उनके कार्य के निष्पादन में सहायता करते हैं।

(ख) खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, दिल्ली सरकार के सभी 70 सर्किल के खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारियों को भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना के द्वारा सहायक रिटर्निंग अधिकारी बनाया गया है जिनका कार्य वोट/पहचान पत्र बनाना नहीं है।

(ग) करावल नगर विधानसभा में आवेदनकर्ता का पहचान पत्र का कार्य भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार नियत समय पर हो रहा है।

186. श्री मोहन सिंह बिष्ट: क्या माननीय **चुनाव मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि करावल नगर विधानसभा क्षेत्र के अधिकतर क्षेत्र उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह भी सत्य है कि करावल नगर के अंतर्गत आने वाले गांव बदरपुर खादर, चौहान पट्टी, सभापुर गांव, मिलन गार्डन, सोनिया विहार, शहीद भगत सिंह कॉलोनी, प्रकाश विहार, अंकुर इन्क्लेव और कमल विहार में अधिकतर वोट उत्तर प्रदेश में रहने वालों के बने हैं;

(ग) यदि हाँ, तो क्या यह भी सत्य है कि दिल्ली में सरकारी सुविधाओं के लिए चुनाव के समय में अधिकतर वोट दिल्ली में डाले जाते हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो वार्डर का फायदा उठाकर दिल्ली के जो वोट बनाये गए हैं इनको कब तक चिन्हित कर वोटर लिस्ट से उनका नाम काटा जाएगा?

चुनाव मंत्री: (क) करावल नगर विधानसभा क्षेत्र के कुछ पोलिंग स्टेशन उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं।

(ख) सभी मतदाता पहचान पत्र भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देशित दस्तावेज के आधार पर बनाए जाते हैं।

(ग) संज्ञान में नहीं है।

(घ) ऐसा कोई मामला संज्ञान में आने पर कार्यालय द्वारा उचित कार्यवाही की जाती है।

187. श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी: क्या उपमुख्यमंत्री/मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पराली से खाद बनाने हेतु दिल्ली सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में बायो-डीकम्पोजर सॉल्यूशन खरीदने के लिए कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ख) वर्ष 2021-22 में अभी तक दिल्ली के कितने किसानों को इसका लाभ मिला है;

(ग) इस योजना के मीडिया में प्रचार-प्रसार हेतु विज्ञापनों एवं अन्य संबंधित कार्यों पर दिल्ली सरकार द्वारा अब तक कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(घ) उसका पूरा ब्यौरा क्या है?

उपमुख्यमंत्री/मंत्री: (क) कृषि इकाई, विकास विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा बायो-डीकम्पोजर सॉल्यूशन खरीदने हेतु वित्त वर्ष 2021-22 में निम्न धनराशि खर्च की गई है:-

क्र.सं.	मद	खर्च की गई धनराशि (रु. में)
1	गुड़ व बेसन	1,04,055/-
2	बायो-डीकम्पोजर कैप्सूल	2,00,000/-
	कुल धनराशि	3,04,055/-

(ख) 2021-22 में दिल्ली के 645 किसानों को लाभ हुआ है।

(ग) और (घ) पूरे उत्तर भारत में पराली जलाने के कारण उत्पन्न होने वाला विकराल प्रदूषण विगत कई वर्षों से बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। आस-पास के राज्यों में पराली जलाने के कारण कई हफ्तों तक दिल्ली के ऊपर प्रदूषण छाया रहता है जिसके कारण दिल्लीवासियों सहित समस्त उत्तर भारतवासियों का सांस लेना भी दूभर हो जाता है। यह जरूरी था कि अनुसंधानकर्ता इन विषय में नई तकनीक ईजाद करे जिसे न सिर्फ दिल्ली बल्कि आस-पास के राज्यों के संज्ञान एवं इस्तेमाल में भी लाया जा सके। दिल्ली में पूसा इन्स्टीट्यूट ने विगत वर्ष पराली को कम्पोस्ट खाद में बदलने की एक नई तकनीक ईजाद की थी जिसे दिल्ली सरकार की ओर से दिल्ली के किसानों को उपलब्ध कराया गया। लेकिन यह भी जरूरी था कि इस तकनीक की सूचना उन सभी राज्यों के किसानों को पहुंचे जहां से यह धुआँ बड़ी मात्रा में उत्सर्जित होता है क्योंकि इस प्रदूषण का मुख्य स्रोत दिल्ली के आस-पास के राज्य हैं इसलिए लोगों की सुरक्षा हेतु इस नई तकनीक के बारे में जागरूकता के लिए दिल्ली सरकार की ओर से विज्ञापन जारी किए गए थे जिस पर रुपये 7,47,26,088/- (रुपये सात करोड़ सैंतालीस लाख छब्बीस हजार अट्ठासी) का खर्चा आया था।

188. श्री अनिल कुमार बाजपेयी: क्या उपमुख्यमंत्री/मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली सरकार ने किस-किस सरकारी विभाग से सरकारी विज्ञापन के लिए कितना-कितना पैसा खर्च किया है; और

(ख) वर्ष 2015 से अभी तक उसका वर्षवार पूरा ब्यौरा देने की कृपा करें?

उपमुख्यमंत्री/मंत्री: (क)

बजट (रुपये करोड़ में)		
मेजर हेड (एडवरटाइजमेंट एण्ड पब्लिसिटी)		
(ख)		
वर्ष	आवर्तित बजट (रुपए में)	कुल व्यय राशि (रुपए में)
2015-16	100	81.23
2016-17	175	67.25
2017-18	190	117.76
2018-19	100	45.54
2019-20	200	199.9
2020-21	326	293.2**
2021-22	250	183**
(नवम्बर, 2021 तक)		

** इस व्यय में कोविड महामारी से बचने के लिए जनता को जागरूक करने, कोविड लॉकडाऊन व लॉकडाऊन के दौरान सहायता/सहायता राशि, हेल्थ केंयर सेंटर, वैक्सीनेशन, व वैक्सीनेशन सेंटरों के संबंध में नागरिकों को जागरूक करने व जानकारी देने हेतु प्रचार-प्रसार की राशि भी सम्मिलित है।

189. श्री ओम प्रकाश शर्मा: क्या माननीय उपमुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रोड़ नंबर 68 नत्थू कॉलोनी फ्लाईओवर के मरम्मत का कार्य कब तक पूरा कर लिया जायेगा;

(ख) संबंधित ठेकेदार और अन्य लोगों पर निर्माण संबंधित अनियमितताये पाये जाने पर क्या कार्यवाही की गई;

(ग) डीटीडीसी का परफॉर्मेंस ऑडिट कब तक का किया गया है तथा भविष्य में आगे कब तक का कर दिया जायेगा; और

(घ) डीटीडीसी द्वारा गैमन इंडिया को निर्माण और मरम्मत से संबंधित कितने ठेके प्रदान किए गए तथा इससे संबंधित कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं और उनमें से कितनी शिकायतों का निवारण कर दिया गया है?

उपमुख्यमंत्री: (क) दिल्ली पर्यटन एवम परिवहन विकास निगम लि. (डी.टी.टी.डी.सी.) के अनुसार रोड़ नंबर 68 नत्थू कॉलोनी के मरम्मत का कार्य में उपरगामी पुल की शिकायत मिलने पर कमियों को जांचने हेतु कार्यवाही जारी है, फाइनल रिपोर्ट आने के बाद मरम्मत का कार्य शुरू किया जाएगा और इसे अतिशीघ्र पूरा करने का प्रयास किया जाएगा।

(ख) इस कार्य की मरम्मत ठेकेदार के पैसों से करायी जाएगी।

(ग) डीटीडीसी का परफॉर्मेंस ऑडिट 2020-21 तक हो चुका है, भविष्य का परफॉर्मेंस ऑडिट CAG के निर्देश पर आधारित होगा।

(घ) दिल्ली पर्यटन एवम् परिवहन विकास निगम लि. (डी.टी.टी.डी.सी.) द्वारा गैमन इंडिया को निर्माण से संबंधित निम्न कार्य किए गए हैं:-

- (i) C/o ROB & RUB at Road No. 68 at Nand Nagari, Delhi इस कार्य में एक शिकायत प्राप्त हुई है जिसकी जांच प्रक्रिया जारी है, रिपोर्ट आने के बाद ठेकेदार के माध्यम से या उसके risk and cost पर शिकायत का निवारण किया जाएगा।
- (ii) C/o Bridge & its Approaches over River Yamuna downstream of existing Bridge at Waziarabad Delhi. C/o Eastern & Western Approaches.
- (iii) C/o Bridge & its Approaches Over Rive Yamuna downstream of existing Bridge at Waziarabad Delhi. C/o Main Bridge (Cabe Stayed).

उपरोक्त क्रम संख्या (ii) व (iii) में दर्शाए गए कार्यों में कोई शिकायत प्राप्त नहीं है।

190. श्री राजेश ऋषि: क्या उपमुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि जनकपुरी विधानसभा में जनकपुरी कम्युनिटी सेंटर में कला एवं संस्कृति विभाग का एक थिएटर है;

(ख) यदि हाँ, तो इस थिएटर के बहुत दिनों से बंद रहने के क्या कारण दें;

(ग) यह थिएटर कब तक शुरू किया जायेगा;

(घ) क्या यह सत्य है कि जनकपुरी विधानसभा में जनकपुरी क्लब, कला एवं संस्कृति विभाग की जमीन पर बनाया गया है; और

(ङ) यदि हाँ, तो यह जमीन कब तक विभाग द्वारा खाली कराई जायेगी?

उपमुख्यमंत्री: (क) विभाग में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार जनकपुरी विधानसभा में जनकपुरी कम्यूनिटी सेंटर में कला एवं संस्कृति विभाग का कोई थिएटर नहीं है।

(ख) उपरोक्तानुसार लागू नहीं।

(ग) उपरोक्तानुसार लागू नहीं।

(घ) विभाग में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार जनकपुरी विधानसभा में जनकपुरी क्लब, कला एवं संस्कृति विभाग की जमीन पर नहीं बनाया गया है।

(ङ) उपरोक्तानुसार लागू नहीं।

191. श्री एस.के. बग्गा: क्या माननीय **उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वैट पीरियड वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18 (प्रथम तिमाही) कितनी असेसमेंट एक्स-पार्टी की गयी है व कितना टैक्स वसूल किया गया है।

(ख) वैट पीरियड वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18 (प्रथम तिमाही) कितनी अपील पेंडिंग है, कितना टैक्स/इंटरेस्ट इन्वाल्ड है;

(ग) वैट पीरियड के अन्तर्गत कितने व्यापारियों ने डीवैट-41 फाईल किए हैं, पार्टीवाइज, इयरवाइज, जोनवाइज विवरण प्रदान करें;

उपमुख्यमंत्री: (क)

i) मांगे गये वैट पीरियड में किये गये कुल असेसमेंट एवं टैक्स का विवरण निम्नलिखित है—

वर्ष	कुल असेसमेंट	टैक्स (करोड़ में)
2015-16	398146	20,514.44
2016-17	455676	21,989.87
2017-18	46315	5,540.45

ii) एक्सपार्टी असेसमेंट एवं उसके द्वारा वसूल किया गये टैक्स से संबंधित सूचना डी-वैट पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है।

(ख)

वर्ष	पेंडिंग अपील	टैक्सरु/इंटरेस्ट (करोड़ में)
2015-16	966	543.84
2016-17	684	375.89
2017-18	230	65.22

(ग) ओएचए स्तर पर मौजूदा उपलब्ध जानकारी का विवरण निम्नलिखित है:

जोन	पार्टी का नाम	वर्ष	डीवैट-41 की संख्या
I	नाथ इंजिनियर्स ट्रेडर्स	2013-14	01
	राम चन्द एण्ड संस	2013-14	01
	गुप्ता इलेक्ट्रिक एण्ड मशीनरी स्टोर	2013-14	01
	मैटल एण्ड इलेक्ट्रिकल्स	2015-16	01

जोन	पार्टी का नाम	वर्ष	डीवैट-41 की संख्या
II	पोलाईट इलेक्ट्रिकल इंडिया प्रा.लि.	2017-18	01
	ओमेक्स इंटरनेशनल	2013-14	03
III	सैनी इलेक्ट्रॉनिक्स	2008-09	02
	ओमेक्स इंटरनेशनल	2013-14	03
	एरिस्टो व्हीलर्स	2017-18	02
IV	-	-	00
V	-	-	00
VI	-	-	00
VII	-	-	00
VIII	-	-	00
IX	-	-	00
X	-	-	00
XI	-	-	00
XII	-	-	00
AE-I	चैम्पियन इंजिनयरिंग वर्क्स	2014-15	02

(घ)

जोन	कैसल रजिस्ट्रेशन की संख्या	कारण
1	2	3
I	11151	व्यापारियों के संविधान में बदलाव के कारण, पैन नंबर में बदलाव-61 व्यवसाय बंद के कारण-8686 अन्य कारण-1416 कर भुगतान करने के लिये उत्तरदायी नहीं रहने के कारण-606 एकमात्र प्रोपराईटर की मृत्यु के कारण-320 विलय, डीमर्जर, बिक्री, पट्टे पर अन्यथा के कारण व्यापार का हस्तांतरण-62
II	9891	व्यापारियों के संविधान में बदलाव के कारण पैन नंबर में बदलाव-124 व्यवसाय बंद के कारण-7500 अन्य कारण-1276 कर भुगतान करने के लिये उत्तरदायी नहीं रहने के कारण-612 एकमात्र प्रोपराईटर की मृत्यु के कारण-290 विलय, डीमर्जर, बिक्री, पट्टे पर अन्यथा के कारण व्यापार का हस्तांतरण-87

1	2	3
III	19150	व्यापारियों के संविधान में बदलाव के कारण पैन नंबर में बदलाव-150 व्यवसाय बंद के कारण-15172 अन्य कारण-2110 कर भुगतान करने के लिये उत्तरदायी नहीं रहने के कारण-1153 एकमात्र प्रोपराईटर की मृत्यु के कारण-468 विलय, डीमर्जर, बिक्री, पट्टे पर अन्यथा के कारण व्यापार का हस्तांतरण-97
IV	19314	व्यापारियों के संविधान में बदलाव के कारण पैन नंबर में बदलाव-102 व्यवसाय बंद के कारण-15450 अन्य कारण-2187 कर भुगतान करने के लिये उत्तरदायी नहीं रहने के कारण-1134 एकमात्र प्रोपराईटर की मृत्यु के कारण-345 विलय, डीमर्जर, बिक्री, पट्टे पर अन्यथा के कारण व्यापार का हस्तांतरण-96
V	23769	व्यापारियों के संविधान में बदलाव के कारण पैन नंबर में बदलाव-63 व्यवसाय बंद के कारण-19574

1	2	3
		अन्य कारण-2839 कर भुगमान करने के लिये उत्तरदायी नहीं रहने के कारण-966 एकमात्र प्रोपराईटर की मृत्यु के कारण-276 विलय, डीमर्जर, बिक्री, पट्टे पर अन्यथा के कारण व्यापार का हस्तांतरण-51
VI	26744	व्यापारियों के संविधान में बदलाव के कारण पैन नंबर में बदलाव-71 व्यवसाय बंद के कारण-22666 अन्य कारण-2671 कर भुगतान करने के लिये उत्तरदायी नहीं रहने के कारण-966 एकमात्र प्रोपराईटर की मृत्यु के कारण-302 विलय, डीमर्जर, बिक्री, पट्टे पर अन्यथा के कारण व्यापार का हस्तांतरण-68
VII	33678	व्यापारियों के संविधान में बदलाव के कारण पैन नंबर में बदलाव-94 व्यवसाय बंद के कारण-27453 अन्य कारण-3931 कर भुगतान करने के लिये उत्तरदायी नहीं रहने के कारण-1606

1	2	3
		एकमात्र प्रोपराईटर की मृत्यु के कारण-486 विलय, डीमर्जर, बिक्री, पट्टे पर अन्यथा के कारण व्यापार का हस्तांतरण-108
VIII	20508	व्यापारियों के संविधान में बदलाव के कारण पैन नंबर में बदलाव-61 व्यवसाय बंद के कारण-15869 अन्य कारण-2757 कर भुगतान करने के लिये उत्तरदायी नहीं रहने के कारण-1432 एकमात्र प्रोपराईटर की मृत्यु के कारण-220 विलय, डीमर्जर, बिक्री, पट्टे पर अन्यथा के कारण व्यापार का हस्तांतरण-149
IX	14911	व्यापारियों के संविधान में बदलाव के कारण पैन नंबर में बदलाव-88 व्यवसाय बंद के कारण-10867 अन्य कारण-2204 कर भुगतान करने के लिये उत्तरदायी नहीं रहने के कारण-1426 एकमात्र प्रोपराईटर की मृत्यु के कारण-247 विलय, डीमर्जर, बिक्री, पट्टे पर अन्यथा के कारण व्यापार का हस्तांतरण-79

1	2	3
X	559	व्यापारियों के संविधान में बदलाव के कारण पैन नंबर में बदलाव-01 व्यवसाय बंद के कारण-461 अन्य कारण-80 कर भुगतान करने के लिये उत्तरदायी नहीं रहने के कारण-17
XI	813	व्यापारियों के संविधान में बदलाव के कारण पैन नंबर में बदलाव-01 व्यवसाय बंद के कारण-639 अन्य कारण-113 कर भुगतान करने के लिये उत्तरदायी नहीं रहने के कारण-30 एकमात्र प्रोपराईटर की मृत्यु के कारण-06 विलय, डीमर्जर, बिक्री, पट्टे पर अन्यथा के कारण व्यापार का हस्तांतरण-22
XII	1757	व्यापारियों के संविधान में बदलाव के कारण पैन नंबर में बदलाव-08 व्यवसाय बंद के कारण-1431 अन्य कारण-237 कर भुगतान करने के लिये उत्तरदायी नहीं रहने के कारण-59 एकमात्र प्रोपराईटर की मृत्यु के कारण-16 विलय, डीमर्जर, बिक्री, पट्टे पर अन्यथा के कारण व्यापार का हस्तांतरण-06

(ड)

वर्ष	इंफोर्समेंट-1 टैक्स/पेनल्टी (करोड़ में)	इंफोर्समेंट-2 टैक्स/पेनल्टी (करोड़ में)
2020-21	20.58	16.37
2021-22	21.77	5.14

इंफोर्समेंट-1 एवं 2 की कार्यवाही विभाग स्तर पर की जाती है।

192. श्री भूपेंदर सिंह जून: क्या माननीय उपमुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गाँव शाहाबाद मोहमदपुर के पास दिल्ली रेवाड़ी सेक्शन पर लेवल-क्रासिंग नंबर 17 पर क्या रेल ओवर ब्रिज बनाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या उक्त रेल ओवर ब्रिज की स्वीकृति भारतीय रेलवे द्वारा वर्ष 2020-21 में दिल्ली सरकार के साथ लागत साझा करने के आधार पर दी गई थी है;

(ग) क्या रा.रा.क्षे. दी सरकार ने अपने हिस्से की राशि का भुगतान भारतीय रेलवे को कर दिया है; और

(घ) क्या उक्त रेल ओवर ब्रिज के सम्बन्ध में दिल्ली सरकार की स्वीकृति अभी तक लंबित है यदि हाँ तो उसके क्या कारण हैं?

उपमुख्यमंत्री: (क) से (घ) लोक निर्माण विभाग एवं शहरी विकास विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार यह विषय दिल्ली सरकार के विभागों के सम्बन्ध नहीं है।

193. श्री राजेश ऋषि: क्या माननीय उपमुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली सरकार के अंतर्गत कितने विभाग आते हैं, प्रशासनिक अधिकारियों की सूची सहित पूर्ण विवरण दें; और

(ख) दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले विभागों के कर्मचारियों का विभागवार विवरण, पिछले तीन सालों की वार्षिक आय एवं खर्च का विवरण दें?

194. श्री अनिल कुमार बाजपेयी: क्या माननीय उपमुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2014 से 2020 तक सरकारी आंकड़ों के अनुसार कितने लोग बेरोजगार हैं;

(ख) पिछले पांच वर्षों में कितने अनुबंधरत कर्मचारियों को सरकारी विभागों में पक्का कर दिया गया है, विवरण दें;

(ग) सरकार के तथा उसके अंतर्गत किन-किन विभागों में पिछले 6 वर्षों से पद खाली पड़े हैं और उन पदों को भरने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए;

(घ) पिछले पांच वर्षों में कितने लोगों को एडवाइजर तथा कंसलटेंट के पदों पर नियुक्ति की गई है उन पर आने वाले खर्च का विभागवार विवरण दें;

(ङ) उपरोक्त एडवाइजर और कंसलटेंट के पदों पर भर्ती के लिए क्या कोई विज्ञापन दिया गया था; और

(च) यदि हां तो उसकी नियुक्ति संबंधित प्रक्रिया का पूर्ण विवरण प्रदान करें।

195. श्रीमती प्रमिला धीरज टोकस: क्या माननीय उपमुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली सरकार के प्रत्येक विभाग में स्वीकृत पदों की कितनी रिक्तियां हैं;

(ख) ये पद कब स्वीकृत किए गए एवं कब से रिक्त पड़े हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इन रिक्त पदों को भरने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उपरोक्त प्रश्नों (193, 194, 195) के उत्तर विभाग द्वारा नहीं दिया गया।

196. श्री मुकेश अहलावत: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम में अनेक औषधालय/चेस्ट क्लीनिक ऐसे हैं जहाँ एमएस/एमडी/सर्जन/डिप्लोमा धारक डॉक्टर अकारण ही तैनात हैं जबकि आरबीआईपीएमटी में कोई सर्जन उपलब्ध नहीं है, यदि हाँ, तो इसका संपूर्ण विवरण उपलब्ध कराएँ;

(ख) क्या यह सत्य है कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम में कार्यरत सर्जन विगत अनेक वर्षों से चेस्ट क्लीनिक में तैनात हैं, यदि हाँ, तो इनका पूर्ण विवरण दें;

(ग) औषधालयों, चेस्ट क्लीनिकों, आयुर्वेदिक औषधालयों, आयुर्वेदिक अस्पताल हैदरपुर व पॉलीक्लीनिकों में भरपूर स्टाफ नर्स व वार्ड बॉयज हैं, जबकि उनके उद्घाटन से अब तक वहाँ एक भी रोगी का एडमीशन नहीं हुआ है, यदि हाँ, तो इसका संपूर्ण विवरण उपलब्ध कराएँ; और

(घ) क्या यह सत्य है कि कोविड काल में चिकित्सकीय आपातकाल के दौरान उत्तरी दिल्ली नगर निगम में कार्यरत उपर्युक्त प्रशिक्षित स्टाफ अकर्मण्य बैठा रहा; यदि हाँ, तो इसका पूर्ण विवरण दें?

शहरी विकास मंत्री: (क) उत्तरी दिल्ली नगर निगम के 08 औषधालय और 07 चेस्ट क्लीनिक में एमएस/एमडी/सर्जन/डिप्लोमा धारक डॉक्टर कार्यरत हैं। ये सभी जीडीएमओ औषधालयों और चेस्ट क्लीनिक से संबंधित कार्य कर रहे हैं।

आरबीआईपीएमटी में एक सर्जन डॉ. सुनील सहदेव कार्यरत हैं।

(ख) उत्तरी दिल्ली नगर निगम में डा. दिनेश करगवाल जी.डी.एम.ओ. जो सर्जन डिग्री धारक है चेस्ट क्लीनिक रोहिणी में पिछले 02 वर्षों से कार्यरत है।

(ग) उत्तरी दिल्ली नगर निगम के औषधालयों में स्टाफ नर्स व वार्ड बॉयज के पद स्वीकृत नहीं है। चेस्ट क्लीनिक व पॉलीक्लीनिक में 36 स्टाफ नर्स और 22 वार्ड बॉयज स्वीकृत पदों में कार्यरत है। औषधालय/चेस्ट क्लीनिक व पॉलीक्लीनिक में मरीज को भर्ती करने का प्रावधान नहीं है। आयुर्वेदिक अस्पताल हैदरपुर कोविड-19 से पहले अपनी सतत अंतरंग (IPD) और बाह्य रोगी सेवाएं जनता को उपलब्ध कराता रहा है। कोविड-19 मार्च 2020 में आने पर यहां के सारे डॉक्टर, स्टाफ नर्स, वार्ड बॉयज, वार्ड आया को कोविड ड्यूटी में कोविड पदनामित अस्पतालों में अपनी सेवाएं देने के लिए भेज दिया गया था। भेजे गए स्टाफ में अभी भी सारा स्टाफ वापस नहीं आया है। कोविड-19 आने से पहले की अंतरंग (JPD) व बाह्य रोगियों की रिपोर्ट निम्नानुसार हैं।

वर्ष	ओ.पी.डी.	आई.पी.डी.
2015-16	43250	7284
2016-17	41440	4592
2017-18	24603	4054
2018-19	7099	2655
2019-20	6054	2433

दवाइयों की कमी दूर होने व स्टाफ आने पर फिर से अंतरंग (IPD) सेवाएं सूचारू रूप से जनता को उपलब्ध कराई जा सकेंगी।

(घ) जी नहीं, कोविड काल में चिकित्सकीय आपातकाल के दौरान उत्तरी दिल्ली नगर निगम में कार्यरत स्टाफ नर्स व वार्ड कौंज नियमित कार्यों के अतिरिक्त कोविड टीकाकरण, कोविड परीक्षण (RT-PCR, Rapid Antigen Test) इत्यादि कामों में कार्यरत थे।

विधेयक पर विचार एवं पारण

माननीय अध्यक्ष: विधेयक पर विचार करना अब श्री राजेंद्र पाल गौतम जी माननीय गुरुद्वारा चुनाव निदेशालय मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि दिनांक 3 जनवरी 2022 को सदन में पुरःस्थापित दिल्ली सिख गुरुद्वारा संशोधन विधेयक 2022 (वर्ष 2022 का विधेयक संख्या 1) पर विचार किया जाए।

गुरुद्वारा चुनाव मंत्री (श्री राजेंद्र पाल गौतम): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि दिनांक 3 जनवरी 2022 को सदन में पुरःस्थापित दिल्ली सिख गुरुद्वारा संशोधन विधेयक, 2022 (वर्ष 2022 का विधेयक संख्या 1) पर विचार किया जाए।

माननीय अध्यक्ष: यह प्रस्ताव सदन के सामने है,

जो इसके पक्ष में है, वो हां कहें,

जो इसके विरोध में है, ना कहे,

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

प्रस्ताव पारित हुआ।

अब सदस्य चर्चा में भाग ले सकेंगे। बिधूड़ी जी, गुरुद्वारे वाला।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी (माननीय नेता, प्रतिपक्ष): इतने पेपर्स दे दिए हैं ऑनरेबल डिप्टी सीएम ने, ढूँढने में समय लग जाएगा।

...(व्यवधान)

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी (माननीय नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष जी, अब किसी ने कहा है न,

दिल्ली की जो हालत हम सुनाने लगेंगे
तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे
अगर भीड़ में खो गयी आदमियत
तो उसे ढूँढने में जमाने लगेंगे।

क्या इस दिल्ली को।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: गुरुद्वारे पर आइए प्लीज। गुरुद्वारे पर आइए।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी: अध्यक्ष जी, अरे भई मैं अभी गुरुद्वारा।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: बाजपेयी जी समय मत खराब करिए सदन का।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी: देखिए अध्यक्ष जी, ये जो गुरुद्वारा विधेयक लाया गया है पहले ही केंद्र की सरकार, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री मोदी जी के नेतृत्व में इसको अपनी मंजूरी दे चुकी है। मैं केंद्र सरकार को, देश के ऐसे प्रधानमंत्री जी को अपनी पार्टी की ओर से और देश के सिखों की ओर से बहुत बधाई देता हूँ। अब ये हाऊस भी इस विधेयक को पास कर रहा है।

मैं आपके माध्यम से हाऊस के सभी ऑनरेबल मेंबर्स को और सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: अब माननीय मंत्री जी चर्चा का उत्तर देंगे।

गुरुद्वारा चुनाव मंत्री: माननीय अध्यक्ष जी, भारत के सिख समुदाय की तरफ से काफी लंबे समय से यह मांग थी कि पहले भारत में 4 अकाल तख्त थे जिसमें से एक श्री अकाल तख्त साहिब अमृतसर, दूसरा श्री तख्त केशगढ़ साहिब आनंदपुर, तीसरा श्री तख्त पटना साहिब, पटना और चौथा श्री तख्त हुजूर साहिब नांदेड़। एक पांचवां तख्त जोड़ने की मांग लंबे समय से सिख समुदाय की तरफ से आ रही थी जिसे केंद्र की सरकार ने the Sikh Gurudwara Act 1925 में 1999 के Ministry of Home Affairs के नोटिफिकेशन के हिसाब से इसको अमेंडमेंट किया और करने के बाद से हाई कोर्ट ने भी 2018 के जजमेंट में दिल्ली की सरकार से ये निवेदन किया था कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के इस प्रस्ताव पर विचार किया जाए। जैसे ही ये हमारे संज्ञान में आया तुरंत हमने इसको एक आर्डर पर फाईल पर लाकर एलजी साहब से अनुमति लेकर और उसको सदन के सामने चर्चा के लिए रखा और मैं सभी को इसके लिए शुभकामनाएं भी देता हूँ कि जो दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने जो डिमांड रखी थी उसको हम एक्ट के अंदर लाए हैं कि श्री तख्त दमदमा साहिब तलवंडी साबो, भटिंडा (पंजाब) इसको 5वें अकाल तख्त के रूप में इस एक्ट के अंदर सब सदस्यगण इसकी स्वीकृति दें ताकि इसको एक्ट में कनवर्ट करके नोटिफाई किया जा सके। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: अब विधेयक पर खंड वार विचार होगा, प्रश्न है कि खंड-2 जिसमें धारा 4 का संशोधन है विधेयक का अंग बने।

यह प्रस्ताव सदन के सामने है,
जो इसके पक्ष में है, वो हां कहें,
जो इसके विरोध में है, ना कहे,
(सदस्यों के हाँ कहने पर)
हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता
प्रस्ताव पारित हुआ।

खंड-2 विधेयक का अंग बन गया। अब प्रश्न है कि खंड-1 प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक का अंग बने,

जो इसके पक्ष में है, वो हां कहें,
जो इसके विरोध में है, ना कहे,
(सदस्यों के हाँ कहने पर)
हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता
प्रस्ताव पारित हुआ।

खंड-1 प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक का अंग बन गए। विधेयक को पारित करना अब श्री राजेंद्र पाल गौतम जी माननीय गुरुद्वारा चुनाव निदेशालय मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि दिनांक 3 जनवरी 2022 को सदन में पुरःस्थापित दिल्ली सिख गुरुद्वारा संशोधन विधेयक, 2022 (वर्ष 2022 का विधेयक संख्या 1) को पारित किया जाए।

श्री राजेंद्र पाल गौतम, माननीय गुरुद्वारा चुनाव मंत्री: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि दिनांक 3 जनवरी 2022 को सदन में पुरःस्थापित दिल्ली सिख गुरुद्वारा संशोधन विधेयक, 2022 (वर्ष 2022 का विधेयक संख्या 1) को सदन में पारित किया जाए।

माननीय अध्यक्ष: यह प्रस्ताव सदन के सामने है,
जो इसके पक्ष में है, वो हां कहें,
जो इसके विरोध में है, ना कहे,
(सदस्यों के हाँ कहने पर)
हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता
प्रस्ताव पारित हुआ।

विधेयक पास हुआ। अब माननीय मनीष सिसोदिया जी, माननीय उप-मुख्यमंत्री जी प्रस्ताव करेंगे कि दिनांक 3 जनवरी, 2022 को सदन में पुरःस्थापित दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय विधेयक 2022 (वर्ष 2022 का विधेयक संख्या 2) पर विचार किया जाए।

उप-मुख्यमंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि सदन में पुरःस्थापित दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय विधेयक 2022 (वर्ष 2022 का विधेयक संख्या 2) पर विचार किया जाए।

माननीय अध्यक्ष: यह प्रस्ताव सदन के सामने है,
जो इसके पक्ष में है, वो हां कहें,
जो इसके विरोध में है, ना कहे,
(सदस्यों के हाँ कहने पर)
हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता
प्रस्ताव पारित हुआ।

अब सदस्य चर्चा में भाग ले सकते हैं। आतिशी जी।

सुश्री आतिशी: धन्यवाद अध्यक्ष महोदय कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विधेयक पर बोलने का मौका दिया। मुझे लगता है कि इस विधानसभा ने कई विधेयक पास किए हैं लेकिन शायद उन विधेयकों में से एक सबसे महत्वपूर्ण विधेयक ये हम जो 'Delhi Teachers University' का बिल लेकर आ रहे हैं वो है क्योंकि आखिरकार किसी भी समाज को, किसी भी देश को आगे बढ़ाने में अगर कोई सबसे बड़ी भूमिका निभाता है तो देश के शिक्षक निभाते हैं। अगर हम इंजीनियर बनाने में गलती कर दें तो हो सकता है कि कुछ फोन गलत डिजाइन हों, हो सकता है कुछ सॉफ्टवेयर गलत डिजाइन हों लेकिन अगर हम शिक्षक बनाने में गलती कर दें, शिक्षकों को पढ़ाने में गलती कर दें तो फिर हमारे देश के, हमारे समाज के भविष्य पर सवाल खड़ा हो जाता है, इसलिए ये बिल महत्वपूर्ण है। अगर आप भारतीय परम्परा में देखिये तो हमारे देश में शुरू से ही शिक्षकों को एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, उन्हें भगवान से कम नहीं माना गया है लेकिन सच्चाई ये है कि एक तरफ तो हम गुरु को भगवान का दर्जा देते हैं, देवता का दर्जा देते हैं लेकिन दूसरी तरफ अगर हम शिक्षकों के हालात देखने जाते हैं कि सरकारी स्कूलों में किस प्रकार से टीचर्स की कंडिशनस हैं तो दिखता है कि बिल्कुल दो अलग-अलग दुनिया ही हैं। एक तरफ हम कहते हैं कि गुरु ब्रह्म है लेकिन दूसरी तरफ जब सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के आधार कार्ड बनने होते हैं तो हम उन्हें कहते हैं कि जी अभी अपना देवत्व छोड़ दीजिए, अभी आप जाकर सर्वे करिये कि किस-किस के पास आधार कार्ड हैं, किस-किस के पास आधार कार्ड नहीं हैं और उन आधार कार्ड को बैंक अकाउंट से लिंक करवाईये। हम कहते हैं गुरु विष्णु है लेकिन फिर जब सरकार को कोई सर्वे करवाना होता है, पल्स पोलियो ड्रॉप्स डलवानी होती है तो हम कहते हैं कि अभी आप देश के भविष्य के बारे में, बच्चों के भविष्य के

बारे में सोचना छोड़िये, अभी आप जरा सर्वे पर जाइये, बच्चे तो क्लास रूम में जैसे हैं वो बने रहेंगे। हम कहते हैं कि गुरु भगवान का रूप है, धरती पर वरदान है लेकिन हम देश के हजारों लाखों स्कूलों में जायें तो टीचरों के पास स्टाफरूम में बैठने के लिए कुर्सी नहीं है, उनके पास बैठने के लिए टेबल नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, इस्तेमाल करने के लिए टॉयलेट नहीं हैं, ये है हमारे देश की सच्चाई और अगर आप दिल्ली में भी 2015 से पहले देखने जाइयेगा तो सरकारी स्कूलों का और शिक्षकों के जो हालात हैं वो बिल्कुल ऐसे थे। आप सरकारी स्कूलों के अन्दर जाइये तो शिक्षकों को पढ़ाने के अलावा हर काम दिया जाता था चाहें वो आधार कार्ड बनना हो, चाहे वो सर्वे हो, चाहें वो आधार सिडिंग हो, वो सारे काम शिक्षकों को दिए जाते थे। अगर आप स्कूलों के हालात देखिये तो पीने को पानी नहीं होता था, टॉयलेट नहीं होते थे स्टॉफ रूम में टेबल चेयर टूटी हुई होती थी, ये शिक्षकों के हालात थे। टीचर ट्रेनिंग के नाम पर केन्द्र सरकार लाखों करोड़ का बजट खर्च करती थी लेकिन जब आप देखने जाइये कि उस टीचर ट्रेनिंग में क्या होता था तो कहते थे जी हम एक दिन में सिर्फ एक टीचर पर सौ रुपये खर्च कर सकते हैं उसमें आपको खाना न मिले, पानी न मिले, बैठने की ठीक व्यवस्था न मिले लेकिन ये हमारे नियम कानून हैं और इन्हीं नियम कानूनों से टीचर ट्रेनिंग होगी। दिल्ली में भी 2015 से पहले यही हालात थे। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का, दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी का धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने पिछले सात साल में दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था में जो परिवर्तन किया है कि आज दिल्ली के सरकारी स्कूल, दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों से बेहतर हो गए हैं। इन्फ्रास्ट्रक्चर पर काम हुआ, स्कूलों की साफ-सफाई पर काम हुआ। अब हर क्लास में ब्लैक बोर्ड है, स्कूल में पीने का पानी है। आज स्कूलों में जाइये

तो आपको स्मार्ट बोर्ड दिखते हैं। आज हर स्कूल में साफ-सफाई है, स्कूलों में sports की facility है, swimming pool है Astro turf है। ये काम पिछले सात सालों में दिल्ली की सरकार ने किया और आज इसी की वजह से इस साल दो लाख से ज्यादा बच्चे प्राइवेट स्कूल छोड़कर दिल्ली के सरकारी स्कूलों में आये हैं, इसके लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का और दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी का धन्यवाद। लेकिन शिक्षा का मतलब सिर्फ infrastructure नहीं है, शिक्षा का मतलब सिर्फ नये क्लासरूम नहीं हैं, शिक्षा का मतलब सिर्फ अच्छे डैस्क नहीं हैं क्योंकि आखिरकार शिक्षा क्या है, शिक्षा वो है जो क्लासरूम में होती है। शिक्षा वो है जब एक टीचर 29-40 बच्चों के सामने खड़े होते हैं, उन्हें समझाते हैं ना सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में बल्कि जिन्दगी के बारे में भी समझाते हैं। आखिरकार असली शिक्षा वो है और शिक्षा में अगर हमें इन्वेस्ट करना है तो हमें शिक्षक में इन्वेस्ट करना होगा, शिक्षक के सम्मान में इन्वेस्ट करना होगा। दिल्ली सरकार ने 2016 में जब अपना बजट पास किया। एजुकेशन पर तो दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की जो सरकार है अपने पहले बजट से ही 25 परसेंट बजट एजुकेशन को देती रही है लेकिन मैं बताऊँ, मेरा मानना है कि एक और मील का पत्थर 2016 में था जब टीचर ट्रेनिंग के बजट को 10 गुना बढ़ाया गया 10 करोड़ जो टीचर ट्रेनिंगका बजट दिल्ली सरकार का होता था, एक ही बार में उसे 2016 में 100 करोड़ किया गया कि टीचर्स की ट्रेनिंग पर कभी भी पैसे की कमी नहीं आयेगी। न सिर्फ इतना, दिल्ली के शिक्षा मंत्री को जब ये पता चला कि टीचर्स की ट्रेनिंग की व्यवस्था ठीक से नहीं होती, खाने का ठीक से इन्तजाम नहीं होता, बैठने के लिए कुर्सियों तक का ठीक से इन्तजाम नहीं होता क्योंकि केन्द्र सरकार द्वारा 100 रुपये प्रति टीचर प्रतिदिन की लिमिट लगाई हुई है तो दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी

ने आदेश पारित किया कि जितना खर्चा दिल्ली सरकार में आई.ए.एस. ऑफिसर की ट्रेनिंग पर होता है उतना ही खर्चा हर रोज किसी भी शिक्षक की ट्रेनिंग पर होगा, उससे एक पैसा कम खर्च नहीं होगा, ये दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी ने आदेश पारित किया है। दिल्ली के शिक्षकों को, दिल्ली के प्रिंसीपल्स को देश-दुनिया के सबसे अच्छी जगह ट्रेनिंग्स के लिए भेजा गया। दिल्ली के सरकारी स्कूल का हर प्रिंसीपल आई.आई.एम. अहमदाबाद से Leadership Training, Management training लेकर आये हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूल के टीचर National Institute of Education गये हैं, सिंगापुर गये हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूल के प्रिंसीपल Cambridge University गये हैं, Harvard University गये हैं। हमारी SCERT, DIET में पढ़ाने वाली faculty Finland के स्कूल देखकर आये हैं, Finland के Teachers Education System देखकर आये हैं। हमने अपने स्कूलों में Mentor teachers लगाये, हमने अपने ही स्कूलों के बेहतरीन टीचर्स को देश-दुनिया में ट्रेनिंग दिलवाई कि वो बाकी टीचर्स के साथ काम करके पढ़ाई के स्तर को सुधार सकें। SCERT, DIET जो आज तक टीचर ट्रेनिंग देते आये हैं जहां की Faculties हमेशा ये कहती थीं कि हम पर कोई ध्यान नहीं देता, हमें ठीक तनख्वाह नहीं मिलती उन SCERT और DIETs की restructuring हुई। आज दिल्ली में टीचर ट्रेनिंग करने वाले प्रोफेसर्स को जो SCERT और DIET में हैं Universities के professors के बराबर तनख्वाह मिलती है। ये दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किया है। पिछले कई सालों से जो ये काम हुये उसका परिणाम भी देखने को मिला। आज अगर आप देखिये तो दिल्ली के सरकारी स्कूलों के नतीजे प्राइवेट स्कूलों से बेहतर आते हैं। पिछले पांच सालों में, जहां तक 12वीं के नतीजे हैं तो पिछले पांच सालों में 12वीं के नतीजे हर साल सरकारी स्कूलों के बेहतर आये हैं। पिछले कई सालों

में हर साल हजार से ज्यादा बच्चे JEE और NEET के Exam clear करके देश के बड़े-बड़े Engineering College और Medical college में admission लेते हैं। ये जो बदलाव पिछले सात साल में आये हैं उन सबका नतीजा है लेकिन मुझे लगता है कि देखिये हम जिसे mainstream शिक्षा कहते हैं उसमें दिल्ली की सरकार ने, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने बहुत बड़े-बड़े कदम उठाये और बहुत बड़े-बड़े Milestones हासिल भी किए लेकिन अब उस शिक्षा की व्यवस्था को फिर से सोचने की जरूरत है एक re-imagine करने की जरूरत है। मुझे याद है कि जब मैं स्कूल में पढ़ती थी और हमें स्कूल का कोई प्रोजेक्ट मिलता था तो हमें लाइब्रेरी में जाना पड़ता था, हमें encyclopedia निकालनी पड़ती थी, उससे बैठकर नोट्स बनाने पड़ते थे क्योंकि वही एक सूचना का स्रोत था। आज हर बच्चे के हाथ में एक मोबाइल फोन है जो सूचना, जो information हमें इक्लट्टे करने में दिनों लग जाते थे, हफ्ते लग जाते थे आजकल बच्चों को दो सैकेंड, तीन सैकेंड, पांच सैकेंड में मिल जाती है और शायद इसीलिए शिक्षा को एक fundamental तरीके से फिर से सोचने की re-imagine करने की जरूरत है और मुझे खुशी है इस बात की कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में ऐसा हो भी रहा है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पिछले कुछ सालों में कई mindset curriculum हम लेकर आये हैं कि बच्चों के सोचने का तरीका बदले। उन्हें सिर्फ हिन्दी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री न आये, बल्कि वो एक अच्छे इन्सान बने, वो देशभक्त बनें, वो सिर्फ नौकरी ढूँढने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनें। ऐसे कई Mindset Curriculum दिल्ली सरकार लेकर आई है। दिल्ली सरकार एक Entrepreneurship Mindset Curriculum लेकर आई है। एक Happiness Curriculum लेकर आई है। दिल्ली सरकार ने एक देशभक्ति curriculum की शुरुआत की है तो आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों में, दिल्ली

के स्कूलों में शिक्षा को फिर से एक नये तरीके से सोचने की शुरुआत हुई और मुझे लगता है कि अगर हमें शिक्षा को नये तरीके से सोचना है तो उसमें सबसे जरूरी है शिक्षक, उसमें सबसे जरूरी है टीचर कि अगर हमें एक शिक्षा व्यवस्था को नया स्वरूप देना है तो उससे पहले हमें अपनी टीचर एजुकेशन को कि कोई एक शिक्षक कैसे बनता है उसको एक नया स्वरूप देना पड़ेगा और इसीलिए जो आज ये विधेयक जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं जो 'Delhi Teachers University' का बिल है उसका हम स्वागत करते हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि एक दिन ऐसा आयेगा कि जब सिंगापुर में बैठे टीचर, जब साउथ कोरिया में बैठे टीचर, जब अमरीका में बैठे टीचर और वहां के Education Administrator सोचेंगे कि हमें देश-दुनिया में अपने टीचरों को ट्रेनिंग के लिए कहाँ भेजना है तो वो सोचेंगे कि 'Delhi Teachers University' में हम अपने टीचर्स को भेजें क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन शिक्षा यहां पर मिलेगी, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।

माननीय अध्यक्ष: बहुत-बहुत धन्यवाद, कुलदीप जी।

श्री कुलदीप कुमार: धन्यवाद अध्यक्ष जी, आज मुझे इस महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का मौका दिया और ये बिल महत्वपूर्ण होने के साथ-साथ ऐतिहासिक भी है मतलब ये आज ऐतिहासिक दिन भी है कि विधानसभा में आज 'Delhi Teachers University' का बिल पास होने जा रहा है और यहां दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी बैठे हुए हैं जिन्होंने दिल्ली की ही नहीं पूरे देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री के रूप में उनकी गिनती होती है और आज पूरा देश नहीं, पूरा विश्व ये बात कहता है कि दिल्ली की education system में पिछले पांच से छः सालों में इतना बदलाव देखने को मिला है कि आज दिल्ली पूरे देश के लिए एक रोल मॉडल बनने का काम कर रही है तो आज मैं बधाई भी देता हूँ इसके माध्यम से कि ये बिल आज विधानसभा में पास होने के लिए जा रहा

है। अध्यक्ष जी, ये बिल जब कल इस विधानसभा के अन्दर पेश हुआ माननीय उप-मुख्यमंत्री जी (शिक्षा मंत्री जी) ने बिल प्रस्तुत किया तो जब भी हम इस विधानसभा में बैठते हैं, हर साल एजुकेशन में कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है, कुछ न कुछ बदलाव देखने के लिए मिलता है। ये ऐसी सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है जो शिक्षा के ऊपर अपने बजट का 25 परसेंट खर्च कर रही है, ये देश में कहीं नहीं होता केवल दिल्ली में होता है कि एजुकेशन के ऊपर हम अपने बजट का 25 परसेंट खर्च करें और उसके बाद उसका रिजल्ट ये आये कि आज चाहे IIT की बात हो, अतिशी मैडम ने ये बताया कि चाहे IIT की बात हो, चाहे JEE की बात हो, आज सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला गरीब का बच्चा, चाहे वो सफाई कर्मचारी का बच्चा हो, चाहें वो रिक्शा चालक का बच्चा हो, चाहे ऑटो चालक का बच्चा हो, आज वो IIT, JEE के अन्दर एडमिशन उसका हो रहा है, वो entrance पास करके उसके अन्दर जा रहा है जो ये बताता है कि दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था में क्या-क्या बदलाव हुआ है और बहुत सारे बदलाव तो मैंने खुद देखे हैं। मैं खुद सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ अध्यक्ष जी तो मुझे पता है कि क्या-क्या बदलाव हुये। पहले हम शिक्षक की जब बात करते हैं, पहले जब अगर किसी क्लास रूम के अन्दर कोई पंखा खराब होता था, कहीं जाले लगे होते थे तो उसको हटाने की जिम्मेदारी भी उस स्कूल के प्रिंसीपल या टीचर्स के ऊपर होती थी, कोई पानी पीने की टोंटी खराब होती थी तो उसको देखने की जिम्मेदारी भी वहां के टीचर्स और प्रिंसीपल के पास होती थी। आज उस एजुकेशन में इतना बदलाव हुआ है अध्यक्ष जी कि ये सरकार जब बनी तो इस सरकार ने, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और उप-मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस लेवल पर जाकर सोचा कि जो पंखा ठीक कराने की जिम्मेदारी टीचर्स के पास थी, उन टीचर्स का

काम है बच्चों के भविष्य को खड़ा करना, बच्चों के भविष्य को बनाना, उनके पढ़े हुये बच्चे देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, IAS बनते हैं PCS बनते हैं और उनका काम केवल क्या था कि वो देख रहे थे कि पंखा कैसे चलेगा, टॉटी कैसे ठीक होगी। इस सरकार ने एक ऐसी पोस्ट लेकर आई स्टेट मैनेजर और आज मैं गर्व से यह कह सकता हूँ विधानसभा में खड़ा होकर कि आज किसी भी टीचर्स को, किसी भी प्रिंसीपल को इस बात की चिंता नहीं कि पंखा खराब है या सही है, ठीक कौन करायेगा, आज वो जिम्मेदारी पूरी इस स्टेट मैनेजर के ऊपर है, तो उसकी नियुक्ति की गई और आज उससे बहुत बड़ा बदलाव उसके अन्दर देखने को मिला। एक बहुत बड़ा और कदम जो सरकार ने SMC के माध्यम से School Management Committee को कमेटी ऐसी कि जिसके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उन्हीं के पेरेंट्स के माध्यम से स्कूल की शिक्षा व्यवस्था को ठीक करना कि जो आधार बनाया गया उनको जो इन्वोल्व उसके अन्दर किया गया मुझे लगता है वो भी एक बहुत बड़ा कारण है जो हमारी दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था का डंका आज पूरे विश्व के अन्दर बज रहा है, देश के अन्दर बज रहा है और उसके साथ-साथ सरकार की नीयत, अध्यक्ष जी सबसे बड़ी बात होती है नीयत की, आपके पास सब कुछ है लेकिन नीयत नहीं है। इस सरकार की ये नीयत थी कि हमें दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को सुधारना है और सरकारी स्कूलों की शिक्षा को ठीक करना है तो उसके दम पर जब दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री सुबह 6.00 बजे स्कूलों के अन्दर विजिट करते थे तो मैं आज दावे से विधानसभा में कह रहा हूँ कि आज दिल्ली का ऐसा कोई टीचर नहीं होगा जिसको यहां बैठे हुए शिक्षा मंत्री जी पर्सनल नहीं जानते होंगे, कोई प्रिंसीपल नहीं होगा स्कूल का जिसको नहीं जानते होंगे और यहां तक कि मुझे तो यहां तक भी पता है कि बहुत सारे स्कूलों के जो Fourth

Class Staff का स्टाफ है, सफाई कर्मचारी हैं, सिक्क्योरिटी गार्ड हैं वो भी मनीष जी को पर्सनली जानते हैं और बच्चे जानते हैं तो ये जो नीयत से सरकार ने काम किया है, वो दिखाता है कि हमारी दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को किस प्रकार से खड़ा करने का काम हुआ है और तरह-तरह के चाहे business blaster की बात करें, बच्चों को उद्यमी बनाने की बात करें, अपने पैरों पर खड़ा करने की बात करें, आज इस सरकार ने करके दिखा दिया जो देश भर में कहीं नहीं हुआ वो शिक्षा के माध्यम से दिल्ली के अन्दर होने का काम हुआ और मुझे लगता है कि केजरीवाल सरकार जो कल मनीष जी ने भी कहा था कि 'शिक्षा शिक्षक के दम पर व शिक्षा के दम पर देश' के फार्मूले का पालन कर रही है और ये जो यूनिवर्सिटी बनने जा रही है बक्करवाला में, मुझे लगता है कि ये ऐतिहासिक होगी और यहां से शिक्षक की एक ऐसी नींव तैयारी होगी जो हमारे आने वाले बच्चों के, देश के भविष्य के बच्चों के भविष्य को तैयार करने का काम करेगी और पुनः एक बार फिर मैं उप-मुख्यमंत्री जी को इस बिल को लाने के लिए, पेश करने के लिए दिल्ली की जनता की ओर से, अपनी विधानसभा की ओर से बहुत-बहुत बधाई देता हूँ बहुत-बहुत शुभकामनायें देता हूँ, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का मौका दिया धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: धन्यवाद कुलदीप जी, श्रीमान ओमप्रकाश जी।

श्री ओमप्रकाश शर्मा: धन्यवाद अध्यक्ष जी, मैं मनीष सिसोदिया जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। 'Delhi Teachers University Bill, 2022' जिसके विषय में कल सिसोदिया जी ने विस्तार से बताया। हम लोग बचपन से ही सुनते आये हैं "गुरु गोविन्द दोऊ खड़े, काके लागू पाओं, बलिहारी गुरु आपने गोविन्द दियो मिलाये" धन्यवाद तो शिक्षकों के प्रति आपकी सोच, आपकी नीयत बहुत अच्छी है इसकी नियति क्या होगी मैं नहीं जानता। जहां तक हमारे भारत की मैं

बात करूँ तो गुरुकुल परम्परा से लेकर विश्व की सबसे पहली यूनिवर्सिटी तक्षशिला जिसमें चरक, चाणक्य, पाणिनी, विष्णु शर्मा जैसे स्टूडेंट वहां से निकले और दुनिया की पांच पहली यूनिवर्सिटी और जिस यूनिवर्सिटी को नालन्दा हो, विक्रमशिला हो, वल्लभी गुजरात हो या पुष्पगिरी उड़ीसा हो, ये एक बड़ी पुरानी परम्परा रही है और पूरी दुनिया के अलग-अलग हिस्सों से लोग भारत शिक्षा के लिए आते थे। आज पुनः नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत उदय हो रहा है और आज हम पुनः जो विश्वगुरु की कल्पना हम कर रहे हैं और मैं ये समझता हूँ कि विश्वगुरु बनने के लिए किसी भी समाज की आत्मा शिक्षा ही होती है और शिक्षा पर जब सरकार और समाज ध्यान देगा तो भारत को विश्वगुरु बनने से कोई नहीं रोक पायेगा। बार-बार इस सदन में कहा जाता है कि आप अपने बजट का 25 परसेंट हिस्सा एजुकेशन पर खर्च करते हैं लेकिन वो कहीं परिलिखित होता दिखाई नहीं देता है। मैंने अभी एक आर.टी.आई. जो कि मेरे टेलिफोन में है कविता कॉलोनी नांगलोई जो छठी से बारहवीं तक का स्कूल है, एक-एक सैक्शन में चालीस की जगह इक्कासी-बयासी बच्चे बैठ रहे हैं, स्कूलों में फैंकेल्टी का आभाव है, फर्नीचर पूरा नहीं है, लैब में जरूरी उपकरण नहीं हैं। ये सब कुछ तब है जब हम ये कहते हैं कि हम अपने बजट का लगातार 25 परसेंट हिस्सा इसमें लगा रहे हैं और उसके बाद भी यदि मूलभूत जरूरतें शिक्षकों की और शिक्षा प्राप्त करने वालों की अगर पूर्ति नहीं हो रही तो बड़े खेद का विषय है। दिल्ली सरकार के जो कॉलेज हैं बार-बार सुनने को मिलता है उसमें जो पढ़ाने वाले टीचर, जिन शिक्षकों का आज हम गुणगान इस सदन में कर रहे हैं उनको समय पर तनख्वाह नहीं मिलती है और सबसे बड़ी बात इस एम.सी.डी. के कॉलेज नहीं हैं, कॉलेज दिल्ली सरकार के हैं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: नहीं नहीं आप बीच में मत बोलो प्लीज बीच में मत डिस्टर्ब करो।

श्री ओमप्रकाश शर्मा: मुझे लगता है आपको शायद समझ नहीं है और इन सबके बाद भी जो आप शिक्षा और शिक्षकों के लिए इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं पिछले सात साल में दिल्ली सरकार ने न तो एक स्कूल खोला, न आपने कॉलेज खोला तो आपकी नीयत अच्छी है, नियति क्या होगी वो समय बतायेगा धन्यवाद, जयहिन्द जयभारत।

माननीय अध्यक्ष: श्रीमान अजय दत्त जी।

श्री अजय दत्त: अध्यक्ष जी आपने मुझे इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी का जिनकी सोच इस देश क्या पूरे विश्व में अलग आयाम तय कर रही है। शिक्षा एक ऐसा विषय है जो भारत में अगर इस पर आजादी के तुरंत बाद ठीक से काम कर लिया होता तो ये देश कहीं और पहुंच गया होता। इस देश में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जब नाम आता है तो वो इसलिए आता है कि वो इस विश्व के सबसे बड़े, सबसे ज्यादा पढ़े-लिखे व्यक्ति हैं। इस देश में जब ए.पी.जे. अब्दुल कलाम जी को पूछा जाता है, उनका नाम आता है तो वो इसलिए आता है कि वो इस देश में बहुत बड़े इन्स्टीट्यूशन से पढ़कर एक गरीब घर से निकल कर और मिसाइल मैन और इस देश के राष्ट्रपति बने तो बाबा साहब का ये सपना कि शिक्षा को हम ऐसा बना देंगे कि इसे पूरा देश देखे और गरीब लोग जो दलित समाज से हैं, गरीब समाज से हैं जिनके पास शिक्षा पर पैसे खर्च करने के लिए नहीं हैं, उनको एक बराबरी देने का जो दर्जा दिल्ली

सरकार दे रही है। गरीब लोगों को, ऐसे लोगों को जिनके बच्चे पढ़ नहीं सकते थे, आज उनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों जैसी शिक्षा नीतियां देख रहे हैं, ऐसा अनुभव कर रहे हैं, अच्छे स्कूलों में जा रहे हैं और उससे भी बड़ी चीज जो आज माननीय शिक्षा मंत्री लश्ने इस सदन में कल पेश की और जिस पर आज चर्चा है कि शिक्षकों को भी ट्रेनिंग देने का जो एक बहुत बड़ा कार्य विश्वस्तर की यूनिवर्सिटी, 12 एकड़ की यूनिवर्सिटी बनाने का जो प्रावधान माननीय शिक्षा मंत्री ने रखा है ये काबिले तारीफ है। ये बाबा साहब की सोच का, भारतवर्ष को बड़ा पढ़ा-लिखा समझदार बनाने का जो कार्य आप कर रहे हैं, मैं आपको सैल्यूट करता हूँ सर और मैं भी गरीब परिवार से आता हूँ, बड़ी मेहनत करके पढ़ाई की और आज इस सदन को यह भी अवगत करा दूँ कि मैं आज भी पढ़ रहा हूँ, मैं पी.एच.डी. कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि ये पढ़ाई का सिलसिला जीवनभर चलता रहना चाहिये क्योंकि Harward की एक स्टडी ये भी कहती है कि जब तक आप पढ़ते रहोगे तब तक आप चलते रहोगे, जिस दिन आपकी पढ़ाई खत्म हो गई उस दिन आपकी सोचने-समझने की स्थितियां भी खत्म हो गईं। तो हिन्दु धर्म में एक बहुत बड़ी saying है, कहते हैं “गुरु ही ब्रह्मा गुरु ही विष्णु गुरु ही देवो महेश्वरम्, गुरु ही साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः”। वो गुरु है, वो गुरु जो इस देश को एक अच्छा नागरिक बनाकर दे रहा है, वो गुरु जो इस देश को एक ऐसा व्यक्ति बनाकर दे रहा है जो इस देश की सेवा कर सके, इस देश को अच्छे आयामों तक लेकर जा सके और उन गुरु को बनाने का अगर आप आज की शिक्षा पद्धति देखें तो जो बी.एड. की डिग्री लेकर आ रहे हैं क्या वो गुरु हैं, क्या उनके अन्दर इतनी सारी जो advanced technology और advanced technique जो उन्हें एक अच्छे स्तर का टीचर बनाने के लिए होनी चाहिये क्या वो हैं, क्या ऐसे प्रावधान सरकारों ने रखे? नहीं रखे क्योंकि प्राइवेट

स्कूलों को पिछले 25-30 साल से बढ़ावा दिया गया और जिसकी वजह से सरकारी स्कूल बिल्कुल निम्न स्तर पर आ गये और अध्यक्ष जी मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा जब हम एम.सी.डी. के स्कूलों में देखते हैं जब बच्चा पांचवी से पढ़कर छठी में आता है तो उसको पढ़ना-लिखना भी नहीं आता है और आठवीं तक 'No detention policy' लगाई गई थी जिसको मनीष जी ने बदला और उसमें बच्चों को पढ़ना ही नहीं आता था। आठवीं के बाद जब वो दसवीं में बच्चा जाता था तो वो फेल हो जाता था और फेल होने के कारण वो आगे डर के मारे पढ़ता ही नहीं था और गरीबों के बच्चे वहीं पर रहते थे, उनको वहीं छोटे-मोटे काम करने पड़ते थे, उनका जीवन नरक जैसा हो जाता था, तो उस पॉलिसी को बदलने का काम मनीष जी ने किया। आतिशी जी बैठी हैं, इन्होंने एक 'चुनौती' करके एक प्रोजेक्ट चलाया जिसके अन्दर उन बच्चों को छठी क्लास में 'अ' से अनार, ए.बी.सी.डी. पढ़ाई गई, उनको पढ़ाई के लिए तैयार किया गया और उसके बाद आज वही बच्चे अच्छे मार्क्स से पढ़कर आ रहे हैं जिसकी वजह से दिल्ली सरकार के सी.बी.एस.ई. का रिजल्ट 99.7 परसेंट आ रहा है। ये पूरे देश में एक बहुत बड़ा विषय है और इसके बाद जब मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल जी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं और शिक्षा मंत्री मनीष जी इनकी सोच एक beyond जाती है ये out of the box thinker हैं और उसी thinking के अनुसार जब इन्होंने सोचा कि भई इसको और कैसे हम बहुत बड़ा रोल मॉडल बनायें दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को तो उन्होंने "Train The Trainer Programme" शुरू किया। This is not only the University, this is basically train the trainer which means you should train a trainer which means the teachers and the teachers should come as an excellent teacher. When he comes out from this university, he must be excellent teacher, he

must be a dynamic teacher, he must be a smart intelligent and value based teacher. He should know what he has to give to his students. He must know what is the high end technology. He must know how he can create different smart classes. He should know what is going on this world. He must know as to what he should communicate to the student. He must know as to what he can do. So, a teacher is not just a teacher and a teacher should come with a passion not only for the payments. Today, when I used to work in the software industry, I used to scan a profile of a person and I used to choose whether he comes from an IIT or he comes from XLRI or from IIM or from this and then I used to recruit for myself, for my company which means there is a pedigree behind it, there is an academic background behind it and this is what Delhi Government is trying to create. I must salute my Education Minister.

माननीय अध्यक्ष: कन्क्लूड करिये।

श्री अजय दत्त: तो सर this is just not creating a University, this is basically a creation of a new age professional teacher and they all will be passionate to teach real techniques and technology to the students of Delhi and this will be a revolutionary change in the history of India.

माननीय अध्यक्ष: अजय जी कन्क्लूड करिये अब कन्क्लूड करिये, प्लीज कन्क्लूड करिये।

श्री अजय दत्त: और मैं मनीष जी को इस यूनिवर्सिटी को क्रिएट करने के लिए धन्यवाद देता हूँ और आखिरी में मैं ये जरूर कहूंगा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का ये स्टेटमेंट था कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पियेगा, वो दहाड़ेगा, भारत माता की जय, जयहिन्द थैंक्यू सर।

माननीय अध्यक्ष: संजीव झा जी, श्रीमान संजीव झा। आपका नाम आया हुआ है मेरे पास भई। समय नहीं है अगर नहीं बोलना है तो रहने दीजिये प्लीज। सौरभ भारद्वाज जी।

श्री सौरभ भारद्वाज: अध्यक्ष जी बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष जी बहुत सालों पहले हमारे यहां दिल्ली के अन्दर देहात में गाँव के अन्दर जो नाम होते थे।

ओ/केबी

अगर कोई लोग नए गांव के अंदर आते थे तो वो पूछा करते थे भई फलां मास्टर जी हैं या नहीं हैं, फला मास्टर जी कहां रहते हैं। आज से करीब 30 साल पहले, 40 साल पहले दिल्ली के अंदर, खासतौर पर दिल्ली देहात में टीचिंग प्रोफेशन की एक अलग इज्जत हुआ करती थी, एक अलग रूतबा हुआ करता था। स्टूडेंट्स को अपने टीचर्स, अपने मास्टर्स के नाम, उनके गांव, उनकी पूरी वंशावली पता होती थी। और वो दौर था जब ज्यादातर लोग जो दिल्ली के अंदर बड़े हुए हैं वो सब लोग सरकारी स्कूलों में ही पढ़े थे और सरकारी स्कूलों के अंदर पढ़कर बड़े-बड़े ओहदों पर पहुंचे, प्राइवेट कम्पनियों में बड़ी-बड़ी नौकरियां की, सरकार के अंदर आई.ए.एस. अफसर तक वो लोग बनें जो सरकारी स्कूलों से पढ़े थे। और अध्यक्ष जी, क्या हिंदी, क्या इंग्लिश, हर भाषा के अंदर इतनी मतबूती हुआ करती थी कि आज भी अगर आप 60 साल की उम्र के, 70 साल

की उम्र के, 75 साल की उम्र के दिल्ली के पढ़े हुए बुजुर्गों से बात करें तो आज भी वो शानदार अंग्रेजी, शानदार हिंदी और बहुत सुंदर उनकी जो हैंडराइटिंग है वो आप देख सकते हैं, आपको लगेगा भई इतनी सुंदर हैंडराइटिंग उस समय में कैसे जो है इन लोगों ने सीखी।.... उर्दू भी जानते थे, बिल्कुल। फारसी, उर्दू, इतने, ऐसे शब्द लिखते थे, मैं, उन लोगों की लिखाई कई बार मिलती है तो ऐसा लगता है अध्यक्ष जी जैसे किसी प्रिंटिंग प्रेस में छापे गये हों। इतनी सुंदर लिखाई जो है उस वक्त हुआ करती थी।

और बीच में मुझे लगता है कि करीब 25-30 सालों का या शायद 40 सालों का एक दौर आया जब सरकारी स्कूलों का हाल खराब होना शुरू हुआ, उसका रिफ्लेक्शन सरकारी स्कूल के टीचरों पर भी पड़ा। उनका जो कॉन्फिडेंस हुआ करता था, समाज के अंदर जो उनका रूतबा हुआ करता था, समाज के अंदर जो उनकी इज्जत हुआ करती थी वो भी धीरे-धीरे कम होनी शुरू हुई। एक वक्त था जब समाज में कहीं रिश्ता होता था तो लोग बड़े गर्व से बताते थे कि भई हमारे पिताजी फला स्कूल में मास्टर हैं। और पिछले 30 सालों के अंदर ये रूतबा घटा।

और जब हम लोग राजनीति में आये तो हमें भी नहीं ये मालूम था, न हमें इतनी जानकारी थी कि एजुकेशन भी एक ऐसा फील्ड हो सकता है जिसके अंदर कुछ बदलाव किया जा सकता है, जिसके अंदर लोगों की दिलचस्पी हो सकती है, जिसके नाम पर समाज के अंदर उत्तेजना लाई जा सकती है। और बिल्कुल जमीनी स्तर से अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में मनीष सिसोदिया जी ने काम करना शुरू किया। मुझे याद है जब मनीष जी स्कूलों में जाया करते थे तो स्कूलों के अंदर छते गिर रही होती थी, जाले लगे हुआ करते थे, पंखे मुड़े हुए हुआ करते थे। लोग बच्चों को स्कूल इसलिए नहीं भेजते थे क्योंकि स्कूलों की

क्लासों की खिड़कियां टूटी हुई होती थी, बच्चों को इतनी ठंड लगती थी कि बच्चों को स्कूल इसलिए नहीं भेजते थे कि ठंड लगती है। लोग लड़कियों को स्कूल इसलिए नहीं भेजते थे क्योंकि लड़कियों के लिए टॉयलेट उपलब्ध नहीं थे। लोग कहते थे भई हम अपनी बेटी को स्कूल नहीं भेजेंगे, स्कूल में टॉयलेट नहीं है, इस कारण बच्चियां स्कूल नहीं जाती। तब से आज तक इतना बड़ा परिवर्तन शिक्षा क्षेत्र के अंदर आया है कि यकीन नहीं होता कि ये दिल्ली, पिछले 6-7 सालों के अंदर इतना परिवर्तन हो गया। जो आइडियाज मनीष सिसोदिया जी स्कूल के अंदर लेकर आये वो इतने बेसिक और जमीनी आइडियाज थे, जैसे स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, एक बिल्कुल साधारण सा आइडिया, जो पहले कानूनों में था, सिर्फ स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को empower करके, उसको सशक्त करके अभूतपूर्व परिणाम आने लगे। आपने स्कूल के बच्चों के पैरेंट्स को अधिकृत किया, उनको empower किया कि वो स्कूल के मामलों के अंदर बोल सके। सिर्फ एक एस.एम.सी. को भी आप लें तो उससे खूब परिवर्तन हुआ।

और कल जब मनीष सिसोदिया जी ने टीचरों की ट्रेनिंग के लिए, टीचरों की एजुकेशन के लिए, टीचर को as a career जैसे एक आई.ए.एस. अफसर का कैरियर होता है, जैसे एक IIT के बच्चे का कैरियर होता है, जैसे एक IIMs का कैरियर होता है, IIMS के बच्चे का कैरियर होता है, उस लेवल पर लाकर जब मनीष जी ने उसकी कल्पना दिखाई कि IIT, IIMS के स्तर पर हम टीचर्स के लिए एक यूनिवर्सिटी का गठन कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, ये बहुत बड़ा सपना है, पूरे देश के लिए बहुत बड़ा सपना है। और मैं ये तो नहीं कहूंगा कि किसी एक व्यक्ति के आने से भारत का उदय होगा क्योंकि अगर मैं ये कहूं कि फलां नेता के आने से अब भारत विश्व गुरु बनेगा, अब भारत का उदय होगा तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अपने, ओ.पी.शर्मा जी के और हम अपने सबके माता-पिता,

दादा, परदादा हम सबको सामूहिक गाली दे रहे हैं कि वो सबसे नालायक थे, वो किसी काम के नहीं थे। अब एक नायक आया है, अब, 2014 में एक नायक आया है जिसने हमारे सब नालायक पूर्वजों को नालायकी से निकालकर हमको जो है भारत उदय की तरफ ले जा रहा है, ये बहुत गलत है। मुझे लगता है कि अपने पूर्वजों को इस तरीके से छोटा दिखाना, उनकी बेइज्जती सिर्फ इसलिए करना कि एक आदमी का हम महिमा-मंडन करना चाहते हैं, ये गलत है। मुझे लगता है भारत हमेशा से, इसीलिए मैंने ये नहीं कहा कि पहली बार टीचरों को मनीष जी जो हैं वो रूतबा देंगे क्योंकि अगर मैं ये कहता कि मनीष जी पहली बार करेंगे तो इसका मतलब ये था कि आज तक किसी ने किया ही नहीं। नहीं, ऐसा था, आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले हुआ था, तब रूतबा होता था टीचर्स का। मनीष जी उस रूतबे को वापस लेकर आयेंगे, जो बहुत बड़ी बात है। अगर हम ये कहें, ओ.पी.शर्मा जी ने कहा तक्षशिला के समय पर भारत बहुत महान था, बिल्कुल महान था। अगर हम ये कहें कि नरेंद्र मोदी जी भारत को उतना महान बनाने की कोशिश करेंगे जिस समय चाणक्य रहा करते थे तो मुझे लगता कि अच्छी बात थी मगर ये कहना कि वो ही करेंगे, ये गलत बात है। तो मैं बहुत खुश हूँ और अध्यक्ष जी, आप इस बात को देखिएगा आने वाले 10 साल बाद, 15 साल बाद लोग इस बात को याद रखेंगे और लोग इस बात को याद करेंगे कि 2022 की जनवरी के अंदर इस तरीके की यूनिवर्सिटी के बारे में सोचा गया। उस वक्त दिल्ली विधान सभा के अंदर इस विचार को रखा गया कि क्यों न टीचर्स के लिए एक यूनिवर्सिटी बनाई जाए। और अध्यक्ष जी, ये बहुत अतिशयोक्ति नहीं होगी, जिस तरीके से मैं देखता हूँ, हमारी सरकार जिस भी नए काम को शुरू करती है, चाहे वो एजुकेशन का मामला हो, चाहे वो हैल्थ का मामला हो, चाहे वो डोर-स्टेप डिलीवरी का

मामला हो, हर मामले को, हर नई शुरूआत को पूरा देश एक-एक करके उसकी कॉपी करता है, उसका अनुसरण करता है। मुझे लगता है कि ऐसा समय जरूर आयेगा, आने वाले 5 साल में या आने वाले 10 साल में जब भारत से ही नहीं, पूरे विश्व के मास्टर, पूरे विश्व के टीचर जो aspire करते होंगे कि हमें टीचिंग के अंदर कुछ कीर्तिमान स्थापित करना है या टीचिंग के अंदर कोई बेंचमार्क हासिल करना है या टीचिंग की एक अच्छे स्टैंडर्ड की हमें ट्रेनिंग लेनी है तो अध्यक्ष जी हमें बहुत गर्व होगा आने वाले 5 सालों में कि विश्व के कोने-कोने से इस तरीके के युवा, इस तरह के वयस्क दिल्ली के अंदर आया करेंगे कि हम इस टीचर यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले और इसके अंदर इसका हम लाभ उठायें, ऐसी मेरी मनोकामना भी है और ऐसी मेरी शुभकामनाएं भी हैं दिल्ली सरकार को और मनीष सिसोदिया जी को कि इन्होंने जो ये काम शुरू किया है, इसको ये आगे तक ले जाएं और पूरी दिल्ली का और पूरे देश का नाम हम रोशन करें। धन्यवाद अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्ष: नेता, विपक्ष, श्रीमान बिधूड़ी जी।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी (माननीय नेता, प्रतिपक्ष): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर, दिल्ली विधान सभा में 'दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय विधेयक 2022' को उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया है, उस पर विचार हो रहा है। सभी का समर्थन मिलेगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, प्रचार के लिए यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणाएं की जा रही हैं। किसी ने कहा है 'सूत न कपास जुलाहों में लट्टम-लट्टा'। आदरणीय अध्यक्ष जी, दिल्ली सरकार ने स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा की, वाईस चांसलर की भी नियुक्ति हो गई लेकिन अभी तक उस स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का कोई अता-पता नहीं है। आदरणीय अध्यक्ष जी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजों को दिल्ली सरकार यूनिवर्सिटी बना देती है

और जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है उसके बारे में भी यहां मालूम हुआ है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज 'इंदिरा गांधी इंस्टिट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस' को, इसे स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में मिला दिया जाएगा। ये जानकारी भी हमारे पास है। एक तरह से इस कॉलेज को ही यूनिवर्सिटी का रूप देने की कोशिश की जा रही है। आदरणीय अध्यक्ष जी, बहुत अच्छा लगा कि कुल बजट का 25 प्रतिशत शिक्षा के ऊपर खर्च हो रहा है। ये भी कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहा है। बहुत-बहुत बधाई सरकार को। लेकिन आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं ये जरूर पूछना चाहता हूं कि एन.एस.आई.टी. पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी का नेताजी सुभाष इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नाम से एक कॉलेज था लेकिन इसे यूनिवर्सिटी बना दिया गया। इससे पहले भी डी.टी.यू. 'दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग' के नाम से दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही कॉलेज था उसे भी दिल्ली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी बना दिया गया।

क्या ये सच्चाई नहीं है? ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर यहां बैठे हुए हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद यहां फीस लाखों रूपया कर दी गई है। आदरणीय अध्यक्ष जी, दिल्ली सरकार हायर एजुकेशन में रेगुलर फंडिंग करने के बजाय, ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर यहां बैठे हुए हैं, उनको जरूर रिप्लाय करना चाहिए, अब डेफिसिट मोड की फंडिंग पर जोर दे रही है। मतलब स्टूडेंट से जो फीस आयेगी उसी से टीचिंग और नॉन-टीचिंग स्टाफ की सैलरी दी जाएगी। आखिर क्या हाल हो जाएगा? यानि फीस ज्यादा से ज्यादा बढ़ाकर वसूली करो और अगर तब पैसा कम होगा तो दिल्ली सरकार फंड जारी करेगी, ये क्रांतिकारी परिवर्तन है नई शिक्षा नीति के क्षेत्र में।

अध्यक्ष जी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के 12 फुल्ली फंडेड कॉलेज हैं। हमारी बहन आतिशी जी बहुत अच्छे से चर्चा कर रही थी। कमाल का परिवर्तन हुआ है,

स्कूल्स की बिल्डिंग बहुत अच्छी हो गई। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब से चाहूंगा कि आतिशी जी के नेतृत्व में आज ही एक कमेटी बनाई जाए, उनकी चेयरमैन-शिप में, और कल वो कमेटी श्री मदन लाल खुराना जी ने, श्री साहिब सिंह वर्मा जी ने दिल्ली देहात में छात्राओं के लिए जो 2 नए कॉलेज खोलें, जो अभी तक स्कूल की बिल्डिंग में चल रहे हैं, शोड्स में चल रहे हैं, उनमें शौचालय भी नहीं हैं, ये कमाल का परिवर्तन, ये क्रांतिकारी परिवर्तन है। बहुत-बहुत बधाई डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब को भी और दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार को भी। मैं जरूर ये ध्यान दिलाना चाहूंगा आदरणीय डिप्टी सीएम साहब का, उन 2 कॉलेज का जो नाम है, उनके बारे में यदि जानकारी चाहिए तो वो नाम मैं आपको बता सकता हूं, अदिति कॉलेज और भगिनी निवेदिता कॉलेज, ये 2 कॉलेज हैं। श्री मदन लाल खुराना जी ने और श्री साहिब सिंह वर्मा जी ने दिल्ली में 12 नए कॉलेज खोलें। पिछले 7 सालों में आम आदमी पार्टी की सरकार एक नया कॉलेज नहीं खोल पाई। और जो कॉलेजिज खोले गये उनमें 5 कॉलेजिज ऐसे हैं जिनकी बिल्डिंग जर्जर हालत में है। स्कूल्स की बिल्डिंग में कॉलेजिज चल रहे हैं। पिछले 7 सालों में आम आदमी पार्टी की सरकार स्कूल की बिल्डिंग्स में चल रहे 5 कॉलेजिज के लिए आज तक नई बिल्डिंग नहीं बना पाई है, ये है दिल्ली सरकार का वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम। अब पता नहीं इस सिस्टम को नोबल पुरस्कार मिलना चाहिए या भारत रत्न की उपाधि डिप्टी सीएम साहब को मिलनी चाहिए, मेरी समझ से तो बाहर है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: सौरभ जी, सौरभ जी, समय, समय बर्बाद हो रहा है, प्लीज। चलिए, अब कन्क्लूड कर रहे हैं? हो गया, बिधूड़ी जी।

...(व्यवधान)

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी: आदरणीय अध्यक्ष जी,

...(व्यवधान)

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी: देखिये अब इंटरप्ट

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप उधर ध्यान मत दीजिए, इधर ध्यान दीजिए।
कन्क्लूड....

...(व्यवधान)

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी: मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, बहुत चर्चा हो रही है, पिछले 6 महीने से इन कॉलेजिज का जो टीचिंग स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ है उसको सैलरी नहीं दी जा रही है।

...(व्यवधान)

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी: आज आखिर जवाब दें डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब कि आप पिछले 6 महीने से आप टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को सैलरी नहीं दे पा रहे हैं।....

माननीय अध्यक्ष: अब बिधूड़ी जी, कन्क्लूड करिये, हो गया। 15 मिनट हो गये पूरे।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी: मैं कन्क्लूड करूं?

माननीय अध्यक्ष: हां, कन्क्लूड।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी: आदरणीय अध्यक्ष जी, अभी हाल ही में दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब ने घोषणा की कि हम गेस्ट टीचर्स का वेतन बढ़ा रहे हैं। अरे आपने तो ये वायदा किया था कि हम सत्ता में आयेंगे तो हम गेस्ट टीचर्स को रेगुलराइज करेंगे। क्या आप दिल्ली में एक भी गेस्ट टीचर को रेगुलराइज कर पाये? हजारों गेस्ट टीचर्स को आपने सरकारी नौकरी से बाहर कर दिया, क्या ये आपकी क्रांतिकारी शिक्षा नीति है? जब ये क्रांतिकारी शिक्षा नीति की चर्चा हो रही है, जब आप बात कर रहे हैं, आज दिल्ली के सैकड़ों स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है, वाइस प्रिंसिपल नहीं है, आज हजारों शिक्षकों की कमी है। ये परिस्थिति आज दिल्ली में पैदा हो गई है।

...(व्यवधान)

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी: तो क्या मुझे नेता प्रतिपक्ष होने के नाते दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर का ध्यान, इन सारी कमियों, खामियों के बारे में उनका ध्यान दिलाना चाहिए, नहीं दिलाना चाहिए? आदरणीय अध्यक्ष जी,

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: अब हो गया....

...(व्यवधान)

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी: मैं ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब को आपके माध्यम से ये आग्रह कर रहा हूँ, ये हमारे माननीय विधायक थोड़ा मुझे इंटरप्ट कर रहे हैं, आपको शायद बहुत अच्छा लग रहा होगा। लेकिन आप मेरी बात पर ध्यान दो, भविष्य में ये सब कुछ आपके काम आयेगा। सुधार लो इस सिस्टम को...

...(व्यवधान)

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी: क्योंकि मेरे ऊपर बंदिश है...

...(व्यवधान)

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी: अगर मुझे...., अगर बोलने की अनुमति हो, इस विधान सभा को आपने एक तरह से ये, ये प्रेस कांफ्रेंस रूम बना दिया है, एक तरह से

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: बिधूड़ी जी, हो गया अब।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी: आप तैयार होइये। एजुकेशन सिस्टम पर और दिल्ली सरकार की जो भी उपलब्धियां हैं पिछले 7 सालों में, किसी चैनल पर, किसी मंच पर, दिल्ली का चीफ मिनिस्टर, दिल्ली का डिप्टी चीफ मिनिस्टर जहां चाहे लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ चर्चा करें, मैं आपको आज चुनौती देता हूं। मेरी चुनौती को स्वीकार करिये। यहां आपकी संख्या ज्यादा है, आप मुझे बोलने की अनुमति देते नहीं हैं इसलिए....

...(व्यवधान)

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी: दिल्ली में आदरणीय अध्यक्ष जी इन्होंने शिक्षा का बेड़ा-गर्क कर दिया है इसलिए...

...(व्यवधान)

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी: दिल्ली सरकार न कोई कॉलेज खोल पाई है, न नए स्कूल खोल पाई है। इसलिए जो सुधार करने की आवश्यकता है लीडर ऑफ अपोजिशन के सुझावों पर ध्यान दें और यदि ध्यान देगी, जो 12 कॉलेज

फुल्ली फंडिड बाय दिल्ली गवर्नमेंट हैं उनके हितों की रक्षा करेगी तो मैं जरूर डिप्टी चीफ मिनिस्टर को 12 कॉलेजिज के टीचर्स की ओर से, नॉन टीचिंग स्टाफ की ओर से बहुत-बहुत उनको बधाई, शुभकामनाएं दूंगा और यदि सुधार नहीं करेंगे तो मैं आपकी अनुमति लेकर जरूर हर मंच पर, चाहे वो विधान सभा का मंच हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया के सामने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सामने expose करूंगा, चाहे जितनी मर्जी कम्प्लेंट आप कोर्ट में या कहीं मेरे खिलाफ करो, मुझे उसकी कोई चिंता नहीं। इसलिए मैं इन्हीं शब्दों के साथ, मेरे सुझावों पर ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर जरूर गौर फरमायेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी आपका कि आपने मुझे समय दिया और डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब से बहुत-बहुत... और बहुत-बहुत सभी अपने Hon'ble MLAs को बहुत-बहुत बधाई। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: अब माननीय उप-मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी चर्चा का उत्तर देंगे।

माननीय उप-मुख्यमंत्री (श्री मनीष सिसोदिया): अध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद। कल इस विधान सभा में मैंने 'दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय' का बिल पेश किया था और आज उस पर सभी माननीय सदस्यों ने चर्चा में शामिल होकर उसकी महत्ता पर भी बात की और कई और मुद्दों पर भी बात की। मैं माननीय नेता, प्रतिपक्ष जी के वक्तव्य को भी बहुत ध्यान से सुन रहा था, बहुत भावुक हो जाते हैं।

...(व्यवधान)

माननीय उप-मुख्यमंत्री: और उनके।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: भई अब, अब नहीं।

...(व्यवधान)

माननीय उप-मुख्यमंत्री: Delhi और दिल एक जगह ही है, चिंता क्यों करते हो। तो मुझे अच्छा लग रहा था कि इधर वाली कुर्सियों पर कंधे पर बंदूक रखकर कई निशाने इन्होंने एल.जी. साहब पर भी चला ही दिये।

...(व्यवधान)

माननीय उप-मुख्यमंत्री: कल विधान सभा में एक प्रश्न आया था भई दिल्ली में प्रिंसिपल्स के कितने पद खाली हैं, अब इनको थोड़ी सी उम्मीद थी कि एक कोई ऐसा डेटा मिलेगा जिस पर लहरा-लहराकर लहरायेंगे कि देखो इतने पद खाली हैं। अब मैंने जब सच्ची हकीकत इनके सामने रखी कि भई केंद्र सरकार के अधीन आने वाले संघ लोक सेवा आयोग में 363 पदों की रिक्तियां लम्बित पड़ी हैं कितने दिन से तो इन्हें लगा ये तो अपने ऊपर ही बंदूक चल गई, फिर कोई नहीं बोला।

...(व्यवधान)

माननीय उप-मुख्यमंत्री: फिर कोई नहीं बोला।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: ओम प्रकाश जी, वास्तविकता तो बतायेंगे न। आप डिस्टर्ब न करो बीच में।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: नहीं, ओम प्रकाश जी,....

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: वो बता तो रहे हैं 363...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: नहीं, अब ये तो बात ठीक नहीं है। ओम प्रकाश जी, ये बात ठीक नहीं है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: ये, ये बैठिये आप।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: नहीं, प्लीज बैठिये।

...(व्यवधान)

उप-मुख्यमंत्री: कमी भी बताई..

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: देखिये मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूँ,....

...(व्यवधान)

उप-मुख्यमंत्री: अध्यक्ष महोदय, कमी भी बताई....

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: ये ठीक नहीं है।

...(व्यवधान)

उप-मुख्यमंत्री: अध्यक्ष महोदय, कमी भी बताई। कमी इधर भी मालूम है, कमी उधर भी मालूम है। उसके लिए कौन जिम्मेदार है, वो उधर भी मालूम है, इधर भी मालूम है। बिधूड़ी जी, चुपके-चुपके निशाना साध गये हैं, ये सबको मालूम है। उन्होंने बड़ा अच्छा बोला। मैं जातना हूँ DTU की फीस का उन्होंने मुद्दा उठाया। निश्चित रूप से सारी यूनिवर्सिटिस में, सब में, हर जगह फीस बढ़ती है, यहां भी फीस कमेटी है उसके तहत फीस बढ़ती है। पर वो भी जानते हैं कि DTU की फीस, अब उठायेंगे नहीं न, भई उनको डर लगता है, मुद्दे हैं, भावुक है, बात सिर्फ DTU की थोड़े ही है, बात तो IIT की भी है। क्योंकि मैं देख रहा था IIT की फीस, वो भी जानते हैं कि दिल्ली सरकार ने या दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले DTU की फीस उतनी नहीं बढ़ी है जितनी मोदी जी ने IIT की फीस बढ़वा दी है, उनको भी पता है ये बात। उनको इस बात का पता है कि 90 हजार से 3 लाख रुपये मोदी जी ने IIT की फीस करवा दी है, ये उनको पता है। ये निशाना इधर नहीं था, निशाना उधर था।

...(व्यवधान)

उप-मुख्यमंत्री: अब DTU तो बहाना था, IIT निशाना था।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: अब बिधूड़ी जी, बैठिये। बैठिये।

...(व्यवधान)

उप-मुख्यमंत्री: DTU तो बहाना था, IIT निशाना था। ये वाली कुर्सी तो बहाना था, बड़ी कुर्सी निशाना था। भावुक हैं। क्या करेंगे? भावनाओं में बहकर बात कहनी पड़ती है। IIM की फीस 23 लाख रुपये कर दी है इनकी केंद्र सरकार ने।

...(व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ता: आप अपनी बताओ न?

माननीय अध्यक्ष: अरे भई बता तो रहे हैं न, विजेन्द्र जी बता...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: सारा बता रहे हैं वो। अब बार-बार आप टोकेंगे, बता रहे हैं सब कुछ।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: DTU की भी बता रहे हैं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: नहीं, उसकी भी नहीं बतायें?

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: बतायें ही नहीं,

...(व्यवधान)

उप-मुख्यमंत्री: अध्यक्ष जी, मैं आपको बता रहा हूँ.

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: कमाल की बात है।

...(व्यवधान)

उप-मुख्यमंत्री: अध्यक्ष जी,

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: ये कोई तरीका है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: नहीं, बिधूड़ी जी ऐसे नहीं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: बिधूड़ी जी, मैं,

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: बिधूड़ी जी, मैं अब अलाउ नहीं करूंगा।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: नहीं, अभी, अभी चर्चा होनी है।....

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: नहीं, बैठिये।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: बैठिये, बैठिये।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: अब बैठिये।

...(व्यवधान)

उप-मुख्यमंत्री: अध्यक्ष महोदय,

...(व्यवधान)

उप-मुख्यमंत्री: अध्यक्ष महोदय, ये शोर इसलिए मचाते हैं क्योंकि जब सच का सामना होने लगता है तो बाहर भागने का बहाना ढूँढ़ने लगते हैं। अभी देखियेगा थोड़ी देर बात बाहर पाये जाएंगे। और सिर्फ टीचर यूनिवर्सिटी पर नहीं...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: भई विजेन्द्र जी अब चुप होंगे नहीं?

...(व्यवधान)

उप-मुख्यमंत्री: अभी।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: भई बिधूड़ी जी, ये सब तरीका ठीक नहीं है। ऐसा नहीं चलेगा।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आपने जितने आरोप लगाये हैं वो उन्होंने सबने सुने हैं।

...(व्यवधान)

उप-मुख्यमंत्री: ..टीचर्स यूनिवर्सिटी पर नहीं, दो दिन से चिल्ला रहे थे...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: और वो सच है या झूठ है, मंत्री जी बोल रहे हैं तो आपको परेशानी हो रही है।

...(व्यवधान)

उप-मुख्यमंत्री: अभी तो मैं इसका, टीचर्स यूनिवर्सिटी का जवाब दे रहा हूँ। 2 दिन से चिल्ला रहे थे और सड़क पर खड़े हो-होकर चिल्ला रहे हैं आबकारी नीति, आबकारी नीति, मेरी चुनौती है अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में दम है तो जब मैं जवाब दूँ तो यहीं बैठे रहियेगा, हिलियेगा मत यहां से, हिलियेगा मत यहां से।

...(व्यवधान)

उप-मुख्यमंत्री: हिलियेगा मत यहां से। भागोगे नहीं। कायरों की तरह मत भागना यहां से...

...(व्यवधान)

उप-मुख्यमंत्री: जवाब सुनना आज।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: हां, अब होगी, चर्चा होगी।

...(व्यवधान)

उप-मुख्यमंत्री: यहीं दूंगा जवाब। यहीं दूंगा।

...(व्यवधान)

उप-मुख्यमंत्री: औकात दिखाऊंगा भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी का दोमुंहा चेहरा सामने लाऊंगा। हिम्मत है तो सुनियेगा, भागियेगा मत कायरों की तरह। जब-जब जवाब देता हूँ कायरों की तरह उठकर भाग जाते हों शोर मचाकर। यहीं खड़े होकर सुनना।

...(व्यवधान)

उप-मुख्यमंत्री: यहीं खड़े होकर सुनना।

...(व्यवधान)

उप-मुख्यमंत्री: बहाना ढूँढते हैं बाहर भागने का।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: बिधूड़ी जी, आपको शोभा नहीं देता है। आप, विजेन्द्र जी उठ जाएं तो बात दूसरी है। आपको ये....

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आपको शोभा नहीं देता है। आप बैठिये प्लीज।

...(व्यवधान)

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी: मुझे 2 मिनट...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: प्लीज बैठियेगा।

...(व्यवधान)

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी: मुझे 2 मिनट..

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: नहीं, अभी नहीं।

...(व्यवधान)

उप-मुख्यमंत्री: बहाना ढूंढते हैं हमेशा बाहर भागने का।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: नहीं, अभी नहीं। अब पूरा उत्तर देने दीजिए।

...(व्यवधान)

उप-मुख्यमंत्री: इनको पता है यहां बैठना मुश्किल हो जाएगा जब जवाब आयेगा।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: भई ये चुप हों, तभी तो वो चुप होंगे। ये बोलेंगे तो वो कैसे चुप होंगे।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: भई सौरभ जी, बैठिये।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: सौरभ जी,

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: सौरभ जी, बैठिये।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: अजय दत्त जी, बैठिये।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: सौरभ जी, बैठ जाइये अब।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: नहीं, मैं रोक रहा हूँ न। माननीय मंत्री जी, खड़े हैं, बैठिये प्लीज।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैं रोका न, मैंने बिठाया न।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: बैठिये प्लीज।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: बैठिये, बैठिये, प्लीज सौरभ जी।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: प्लीज, बैठिये, बैठिये, बैठिये।

...(व्यवधान)

उप-मुख्यमंत्री: अध्यक्ष महोदय...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: एक सेकंड, एक सेकंड माननीय मंत्री जी। देखिये मैं प्रार्थना कर रहा हूँ अभय वर्मा जी

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: विजेंद्र जी, विजेंद्र जी, ये क्या हो रहा है भई? सौरभ जी, जब तक माननीय मंत्री जी बोलते हैं वो कुछ भी बोल रहे हैं, हम अगर बोलते हैं तो ये ठीक नहीं है। फिर जब आपकी बारी आती है बोलने की, उधर से बोलते हैं तो दिक्कत होती है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: नहीं, सौरभ जी।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: अब चुप हो जाइये।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: विजेंद्र जी, आप सबसे ज्यादा बोलते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, प्लीज।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: नहीं, आप सबसे ज्यादा बोलते हैं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: तो बढ़ा तो रहे हैं वो।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: तो उसका.... कम्पेयर नहीं करेंगे। आपको दर्द क्यों हो रहा है?

P/PK

माननीय अध्यक्ष: अगर वो कम्पेयर कर रहे हैं आईआईटी से, आईआईटी दिल्ली में नहीं है क्या, दिल्ली के बच्चे उसमें पढ़ते नहीं, उसकी कितनी फीस कर दी, कम्पेयर नहीं करेंगे वो, कम्पेयर नहीं करेंगे वो।

श्री विजेन्द्र गुप्ता: 350 प्रसेंट बढ़ा दी।

माननीय अध्यक्ष: कम्पेयर नहीं करेंगे, बैठ जाइये आप।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: कोई तरीका है ये।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: बिधूड़ी जी बैठिये जरा, बैठ जाइये बिधूड़ी जी। नहीं मैं इसमें कोई इजाजत।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: हॉ हो गया। चुनौती आपने स्वीकार कर ली उन्होंने सुन लिया।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: ये माननीय विधायक शांत हो जाये, प्लीज। बहुत गम्भीर विषय है।

उप-मुख्यमंत्री: कई बार होप लगा, मुझे लगता था ये भागेंगे इसलिए मुझे अच्छा लगा चुनौती स्वीकार की।

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी कितना पीड़ित हैं उसको सुनो तो सही।

उप-मुख्यमंत्री: जब-जब बोलता हूं तब-तब उठकर भाग जाते हो।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: चलिए।

उप-मुख्यमंत्री: चलिए अच्छा है मुझे।

...(व्यवधान)

उप-मुख्यमंत्री: इन्होंने प्रचार की बात की, प्रचार मैं बताता हूं अध्यक्ष महोदय क्या होता है। हम शिक्षा पर काम करते हैं और दम ठोक कर करते हैं और करते हैं, जुमले नहीं फेंकते। दिल्ली में 2014 में भारतीय जनता पार्टी का शासन था, एल जी रूल लगा हुआ था, स्मृति ईरानी जी केंद्रीय शिक्षा मंत्री थी, ओम प्रकाश जी विधायक थे। आईपी यूनिवर्सिटी का ईस्ट दिल्ली सेंटर आपकी विधान

सभा के नजदीक में, एकदम कोने पर है, खोलने का बड़े-बड़े पैमाने पर उद्घाटन किया गया।

...(व्यवधान)

उप-मुख्यमंत्री: सुन लीजिए, सुन लीजिए।

माननीय अध्यक्ष: एक रुपया नहीं दिया ओम प्रकाश जी, मैं चौलेंज करता हूँ आपको, आपको मैं चौलेंज करता हूँ, आ जाइयेगा मेरे पास।

उप-मुख्यमंत्री: कुछ तो सुन लीजिए।

माननीय अध्यक्ष: आप बैठ जाइये, बोलने दीजिए, बैठ जाइये, बैठ जाइये बोलिये मत।

उप-मुख्यमंत्री: तो केंद्रीय।

माननीय अध्यक्ष: सदन को गुमराह कर रहे है।

उप-मुख्यमंत्री: केंद्रीय मंत्री जिस यूनिवर्सिटी के कैंपस का।

माननीय अध्यक्ष: एक रुपया नहीं दिया मैं चौलेंज करता हूँ, मैं सदन के अध्यक्ष की कुर्सी से बोल रहा हूँ, आप मेरे ऑफिस में आ जाइये।

उप-मुख्यमंत्री: केंद्रीय मंत्री जिस यूनिवर्सिटी के कैंपस का शिलान्यास करके गई थीं, उस यूनिवर्सिटी के कैंपस की जमीन डीडिए से नहीं खरीदी गई थी, उसके बिना ही शिलान्यास हवा में कर दिया गया था, इसको कहते हैं प्रचार। 2015 में जब हमारी सरकार आई हमने उस यूनिवर्सिटी के कैंपस के लिए डीडिए

से जमीन खरीदी उसके बाद पहला पत्थर वहां पर गड़ा उसको कहते हैं प्रचार जो आप लोग करते हो।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: भईया ओम प्रकाश जी।

उप-मुख्यमंत्री: जमीन का एक पैसा नहीं दे रखा था।

माननीय अध्यक्ष: आप चौलेंज करियेगा ना आप, आपको लगता है आप चौलेंज करिये।

उप-मुख्यमंत्री: अध्यक्ष महोदय, कल माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, कल या शायद परसों वहां मेरठ में, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया था। मुझे बड़ा अच्छा लगा। एक तो देश में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बने, बहुत अच्छा है, एक स्टेडियम है वहां पर मेरठ में उसको रैनोवेशन किया गया और उसके बाद वहां एक यूनिवर्सिटी की आधारशीला रखी गई। यूनिवर्सिटी की आधारशीला इस देश में बहुत अच्छी चीज है। फिर मैंने देखा प्रधानमंत्री जी के बयान में कि उस यूनिवर्सिटी में मेरी भी दिलचस्पी थी कि भई एक नई यूनिवर्सिटी बन रही है, खेल यूनिवर्सिटी बन रही है हम भी बना रहे हैं दिल्ली में। प्रधानमंत्री जी कौन सी यूनिवर्सिटी का अनाउंस कर रहे हैं, देखें जरा मॉडल क्या है। बड़ा अच्छा लगा, हूबहू दिल्ली की खेल यूनिवर्सिटी का मॉडल कॉपी किया गया। अब तक गुजरात में कहीं नहीं बना ये, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें इतनी सारी है, उसमें कहीं नहीं बना ये। केंद्र में खेल यूनिवर्सिटी बनाई वहां वो मॉडल नहीं लगाया, उत्तर प्रदेश में अब प्रधानमंत्री जी ने वो मॉडल लगाया क्योंकि दिल्ली सरकार ने एक यूनिवर्सिटी का मॉडल खड़ा किया खेल यूनिवर्सिटी का जिसमें कहा की यहां आप

पढ़ने वाले बच्चों को विषयों की, किताबों की पढ़ाई पर नहीं, खेलने की पढ़ाई के आधार पर डिग्री दी जाएगी, उनके खेलने के आधार पर डिग्री दी जाएगी। वो जितने खेल खेलेंगे, जितने मेडल लेकर आएंगे उनकी डिग्रियाँ उतनी आगे बढ़ेंगी, प्रधानमंत्री ने डिग्री वही लाइन ली, मुझे बहुत खुशी हुई। बहुत खुशी हुई। अब मैं अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने भी रखा, कुछ ओर साथियों ने भी कुछ-कुछ रखा। हालांकि माननीय नेता, प्रतिपक्ष ने टीचर यूनिवर्सिटी के संबंध में टी तक नहीं बोला। उनके पूरे उसमें बहुत इधर-उधर की बातें करते रहे, लेकिन उनको भी पता है कि टीचर यूनिवर्सिटी जब हम खड़ा करेंगे, तो आज इस देश में टीचर यूनिवर्सिटी का कोई मानक है नहीं जो मैंने कल बात कही। मुझे बहुत खुशी हुई कि माननीय सदस्यों ने बहुत अच्छे से यहां पर अपनी बातें रखी और साथ-साथ मैं अंत में यही कहना चाहता हूं कि ये जो टीचर ट्रेनिंग यूनिवर्सिटी, दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय इस विधान सभा से पास होकर जा रहा है ये देश में शिक्षकों के प्रशिक्षण को, टीचर्स की ट्रेनिंग को क्वालिटी में उस जगह खड़ा कर देगा जहां एजुकेशन में और मैं बहुत दावे के साथ ये कह रहा हूं कि धीरे-धीरे एजुकेशन में टीचर्स की क्वालिटी इतनी शानदार हो जाएगी कि फिर इंपैक्टर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, एजुकेशन इंपैक्टर, स्कूल इंपैक्टर्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बाई डिफाल्ट डिफेंक हो जाएंगे वो पद। इस देश में फिर एजुकेशन इंपैक्टर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, एजुकेशन इंपैक्टर शब्द इतिहास की बात बन जायेगी। सौरभ जी ने बड़ा अच्छा बोला कि विश्व गुरु की बात है। हम सब सपना देखते हैं कि भारत विश्व गुरु बने, लेकिन इन कुर्सियों पर बैठे नेता विश्व गुरु नहीं बना सकते। किसी भी कुर्सी पर बैठे नेता वो चाहे प्रधानमंत्री कार्यालय में हों या मुख्यमंत्री कार्यालय में हो या मंत्री के कार्यालय में हैं। कोई भी देश नेताओं से विश्वगुरु नहीं बनता, गुरुओं से विश्वगुरु बनता है। और ये

टीचर्स यूनिवर्सिटी, ये टीचर्स यूनिवर्सिटी इस देश में वो परम्परा कायम करेगी कि इस देश को ऐसे-ऐसे गुरू मिल सकें जिनके दम पर हमारा भारत बहुत शान के साथ फिर से विश्वगुरू बनकर खड़ा हो सके। मुझे बहुत खुशी है कि इस सदन ने इस यूनिवर्सिटी को सराहा है, बहुत-बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।

माननीय अध्यक्ष: अब विधेयक पर खंड वार विचार होगा, प्रश्न है कि खंड-2 से खंड-38 विधेयक का अंग बने।

यह प्रस्ताव सदन के सामने है,
जो इसके पक्ष में है, वो हां कहें,
जो इसके विरोध में है, ना कहे,
(सदस्यों के हाँ कहने पर)
हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता
प्रस्ताव पारित हुआ।

खंड-2 से खंड-38 विधेयक का अंग बन गए। अब प्रश्न है कि खंड-1 प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक का अंग बने,

जो इसके पक्ष में है, वो हां कहें,
जो इसके विरोध में है, ना कहे,
(सदस्यों के हाँ कहने पर)
हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता
प्रस्ताव पारित हुआ।

खंड-1 प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक का अंग बन गए।

विधेयक को पारित करना, अब श्री मनीष सिसोदिया जी माननीय उप-मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि दिनांक 3 जनवरी, 2022 को सदन में पुरःस्थापित दिल्ली

शिक्षक विश्वविद्यालय विधेयक, 2022 (वर्ष 2022 का विधेयक संख्या-2) को पारित किया जाए।

उप-मुख्यमंत्री: अध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करता हूँ कि सदन में पुरःस्थापित दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय विधेयक, 2022 (वर्ष 2022 का विधेयक संख्या-2) को पारित किया जाए।

माननीय अध्यक्ष:

यह प्रस्ताव सदन के सामने है,
जो इसके पक्ष में है, वो हां कहें,
जो इसके विरोध में है, ना कहे,
(सदस्यों के हाँ कहने पर)
हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता
प्रस्ताव पारित हुआ, विधेयक पास हुआ।

नियम-114 के अन्तर्गत बधाई प्रस्ताव

एक बधाई प्रस्ताव मेरे पास आया है नियम-114 के अंतर्गत। सुश्री आतिशी जी से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ ये प्रस्ताव बिजनेस ब्लास्टर कार्यक्रम के संबंध में बधाई प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

सुश्री आतिशी: धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, दिल्ली सरकार ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम को लेकर जो एक शुरूआत की है उस पर मैं एक धन्यवाद प्रस्ताव रखना चाहूंगी। देखिये, आज हमारा देश एक बहुत मुस्किल दौर से गुजर रहा है। पिछले डेढ़ साल में एक सिर्फ कोविड के दौरान एक करोड़ से ज्यादा लोगों की नौकरियाँ गई हैं। आज लोगों के पास काम नहीं है, आज लोग अपनी नौकरियाँ खो रहे हैं, धंधे बंद हो रहे हैं। मैकंजी

इंडिया की एक स्टडी ये बताती है कि 2030 तक भारत को 9 करोड़ नई नौकरियाँ चाहिए होंगी, इतने युवा हमारे देश में स्कूलों से निकल रहे हैं, कॉलेज से निकल रहे हैं। लेकिन आज सवाल ये है कि ये नौकरियाँ कहां से आएंगी क्योंकि एक तरफ हम देखें तो जैसे ही मशीनीकरण हो रहा है, बहुत सारी ऐसी नौकरियाँ हैं जो पहले इंसान करते थे आज मशीनें कर रही हैं। दूसरी तरफ हम देखें तो हमारी शिक्षा व्यवस्था से जो बच्चे निकलकर आते हैं, जो युवा निकल कर आते हैं उनके मन में सिर्फ एक ही सपना होता है और वो सपना होता है कि अच्छी पढ़ाई करने के बाद हमें अच्छी सी नौकरी मिलेगी। जब आईआईटी, आईआईएम में रिक्रूटमेंट का समय आता है तो हैडलाइन इस बात की बनती है कि सबसे बड़ा सैलरी पैकेज किसको मिला, हैडलाइन इस बात की नहीं बनती है कि आईआईटी, आईआईएम जैसे इंस्टीट्यूट से पढ़ने के बाद उनके स्टूडेंट्स ने कितनी कंपनियाँ खड़ी की, कितने लोगों को नौकरियाँ दी। हम जब छोटे थे तब से पढ़ते आए हैं कि भारत एक विकासशील देश है, भारत एक विकासशील देश है। मुझे याद है कि जब मैं स्कूल में थी तब कहा जाता था कि 2020 तक भारत एक विकसित देश हो जाएगा, अब 2020 भी निकल गया, 2021 भी निकल गया लेकिन आज भी अगर हम किताबें उठाकर देखेंगे तो दिखेगा, वही लिखा होगा कि भारत एक विकासशील देश है। ऐसा नहीं है कि इस देश में टैलेंट नहीं है। अगर आप देखें तो आज दुनिया की बड़ी-बड़ी कम्पनियों के, सबसे बड़ी कम्पनियों के सीईओ भारतीय मूल के लोग हैं। ट्विटर के सीईओ हैं पराग अग्रवाल, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं सत्य नडेला, गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचायी, अडोबी के सीईओ हैं शान्तनू नारायण, आईबीएम के सीईओ हैं अरविंद कृष्णा, पैप्सीको इंटरनैशनल की सीईओ हैं इंद्रा नूई। दुनिया की सबसे बड़ी परफ्यूम कंपनी सनैल की अभी नई सीईओ बनी है लीना नायर । तो अगर भारत के

स्कूलों से पढ़े, भारत के कॉलेजिज से पढ़े लोग दुनिया की सबसे बड़ी-बड़ी कम्पनियों को हैड कर सकते हैं तो फिर सवाल ये उठता है कि ऐसी कम्पनियाँ भारत में क्यों नहीं बनती। जब पराग अग्रवाल ट्विटर के सीईओ बने, तब सोशल मीडिया पर एक मीम चल रहा था। उस मीम में ये सारे सीईओज की फोटोज दी हुई थी और उसमें लिखा हुआ था 'पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा अमेरिका'। आज हमारे युवा पढ़-लिख कर चाहे आईआईटीज से हों, चाहे आईआईएम से हों, जितने भी अच्छे कोलिजीज से पढ़ कर अमेरिका की, यूरोप की कनाडा की कम्पनियों में नौकरियाँ कर रहे हैं, उनकी ईकानोमी को बढ़ा रहे हैं, उन देशों को विकसित कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम अपनी शिक्षा व्यवस्था में ये एक मानसिकता देते हैं कि सिर्फ आपको यहां से निकलने के बाद नौकरी ढूँढने वाला बनना है, अच्छी नौकरी करने वाला बनना है। लेकिन दिल्ली सरकार की पहल 'बिजनेस ब्लास्टर्स' जो 'एंजोपेनर्स माइंडसेट करिकुलम' जो दिल्ली में कई सालों से चल रहा है उसके तहत ही जो पहल की गई है वो इस मानसिकता को बदलने की बात कर रहा है। दिल्ली सरकार के स्कूलों में हर बच्चों को इसके तहत 2000 रुपये का सीडमनी दिया गया, 11वीं, 12वीं के 3 लाख बच्चों को ये सीडमनी दिया गया और इस पूरे सदन को बताते हुए मुझे ये खुशी है कि इस समय पूरी दिल्ली में 3 लाख बच्चे इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं और 51 हजार ऐसे स्टार्टअप हैं जो हमारे दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बच्चों ने बनाए हैं। दिल्ली सरकार ने इस पर अपना 60 करोड़ रुपया सीड कैपिटल के तौर पर इन्वैस्ट किया और शायद ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टप प्रोग्राम है जो आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों में चल रहा है। पिछले कई हफ्तों से इस प्रोग्राम के तहत कुछ बच्चे टीवी पर भी आ रहे थे और जब आप उन बच्चों को टीवी पर देखिये, संडे को शाम को 7 बजे जब वो प्रोग्राम होता था तो अक्सर हमारे दोस्त,

जानकार, रिश्तेदार उसके बाद कॉल करके एक ही सवाल बार-बार पूछते थे क्या ये सच में सरकारी स्कूलों के बच्चे हैं। तो आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बच्चों में जो कॉन्फिडेंस है, उनमें जो योग्यता है कि वो सोचते हैं कि वो खुद सिर्फ आईआईटी, जेईई की तैयारी नहीं करेंगे। आज एक ग्याहरवीं क्लास में पढ़ने वाली स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, खिचड़ीपुर की लड़की कहती है कि हम अपना मोबाईल मैनुफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं और हमने एक लिस्ट बना ली है आईआईटी के इंजिनियरों की जिनको हम अपनी कंपनी में नौकरी देंगे, तो ये पूरे देश के लिए गर्व की बात है। तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगी दिल्ली सरकार का कि बिजनेस ब्लास्टर्स का ऐसा कार्यक्रम वो लेकर आए। मुझे ये भरोसा है कि ये 3 लाख बच्चे जब अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद हमारी इकोनॉमी में जायेंगे तो मुझे लगता है कि अभी हम विश्वगुरु बनने की बात कर रहे थे, हम एक 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की बात कर रहे थे, भारत को दुनिया का नम्बर वन देश होने से कोई नहीं रोक सकता जब ये 3 लाख बिजनेस ब्लास्टर्स हमारे देश की इकोनॉमी में आयेंगे, धन्यवाद।

अनुदानों की पूरक मांगें 2021-2022

अब माननीय उप-मुख्यमंत्री 2021-2022 के लिए First Batch of Supplementary Demands पेश करेंगे।

Dy. Chief Minister: Hon'ble Speaker Sir, I present First Batch of Supplementary Demands for Grants for the year 2021-2022 before the House.¹²

12. दिल्ली विधानसभा पुस्तकालय में संदर्भ संख्या आर-22087 पर उपलब्ध।

माननीय अध्यक्ष:- अब सदन Supplementary Demands पर Demand wise विचार करेगा:-

DEMAND NO. 1 (Legislative Assembly)

जिसमें Revenue में 1 लाख रुपये हैं, सदन के सामने है-

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,
जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें,
(सदस्यों के हाँ कहने पर)
हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

Supplementary Demand No. 1 पास हुई।

DEMAND NO. 2 (General Administration)

जिसमें Revenue में 4 अरब 35 करोड़, 8 लाख 50 हजार रुपये तथा Capital में 48 करोड़ रुपये हैं, कुल राशि 4 अरब 83 करोड़ 8 लाख 50 हजार रुपये सदन के सामने है-

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,
जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें,
(सदस्यों के हाँ कहने पर)
हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

Supplementary Demand No. 2 पास हुई।

DEMAND NO. 3 (Administration of Justice)

जिसमें Revenue में 3 अरब 26 करोड़ 86 लाख 20 हजार रुपये तथा Capital में 8 करोड़ रुपये हैं, कुल राशि 3 अरब 34 करोड़ 86 लाख 20 हजार रुपये सदन के सामने है-

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,
जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें,
(सदस्यों के हाँ कहने पर)
हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

Supplementary Demand No. 3 पास हुई।

DEMAND NO. 4 (Finance)

जिसमें Revenue में 10 करोड़ 55 लाख 81 हजार रुपये तथा Capital में 3 करोड़ रुपये हैं, कुल राशि 13 करोड़ 55 लाख 81 हजार रुपये सदन के सामने है—

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,
जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें,
(सदस्यों के हाँ कहने पर)
हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

Supplementary Demand No. 4 पास हुई।

DEMAND NO. 5 (Home)

जिसमें Revenue में 97 करोड़ 50 लाख तथा Capital में 2 लाख रुपये हैं, कुल राशि 97 करोड़ 52 लाख रुपये सदन के सामने है —

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,
जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें,
(सदस्यों के हाँ कहने पर)
हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

Supplementary Demand No. 5 पास हुई।

DEMAND NO. 6 (Education)

जिसमें Revenue में 83 लाख रुपये हैं तथा Capital में 2 अरब 67 करोड़ 65 लाख 15 हजार रुपये हैं, कुल राशि 2 अरब 68 करोड़ 48 लाख 15 हजार रुपये सदन के सामने है -

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,
जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें,
(सदस्यों के हाँ कहने पर)
हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

Supplementary Demand No. 6 पास हुई।

DEMAND NO. 7 (Medical & Public Health)

जिसमें Revenue में 2 अरब 88 करोड़ 49 लाख रुपये तथा Capital में 6 लाख रुपये हैं, कुल राशि 2 अरब 88 करोड़ 55 लाख रुपये सदन के सामने है-

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,
जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें,
(सदस्यों के हाँ कहने पर)
हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

Supplementary Demand No. 7 पास हुई।

DEMAND NO. 8 (Social Welfare)

जिसमें Revenue में 76 लाख 50 हजार रुपये हैं तथा Capital में 1 लाख रुपये हैं, कुल राशि 77 लाख 50 हजार रुपये हैं, सदन के सामने है-

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,
जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें,
(सदस्यों के हाँ कहने पर)
हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता
Supplementary Demand No. 8 पास हुई।

DEMAND NO. 9 (Industries)

जिसमें Revenue में 1 अरब 8 करोड़ 63 लाख 85 हजार रुपये हैं, सदन के सामने है—

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,
जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें,
(सदस्यों के हाँ कहने पर)
हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता
Supplementary Demand No. 9 पास हुई।

DEMAND NO. 10 (Development)

जिसमें Revenue में 9 अरब 40 करोड़ 50 लाख 89 हजार रुपये तथा Capital में 2 लाख रुपये, कुल राशि 9 अरब 40 करोड़ 52 लाख 89 हजार रुपये है, सदन के सामने है—

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,
जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें,
(सदस्यों के हाँ कहने पर)
हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता
Supplementary Demand No. 10 पास हुई।

DEMAND NO. 11 (Urban Development & Public Works)

जिसमें Revenue में 10 लाख रुपये हैं तथा Capital में 22 लाख रुपये हैं, कुल राशि 32 लाख रुपये है, सदन के सामने है-

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,
जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें,
(सदस्यों के हाँ कहने पर)
हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

Supplementary Demand No. 11 पास हुई।

हाउस ने कुल मिलाकर Revenue में 22 अरब 9 करोड़ 34 लाख 75 हजार रुपये तथा Capital में 3 अरब 26 करोड़ 98 लाख 15 हजार रुपये, कुल राशि 25 अरब 36 करोड़ 32 लाख 90 हजार रुपयों की Supplementary Demands को मंजूरी दे दी है।

Delhi Appropriation (No. 1) Bill, 2022 (Bill No.3 of 2022)

अब माननीय उप-मुख्यमंत्री/वित्तमंत्री 'Delhi Appropriation (No. 1) Bill, 2022 (Bill No. 3 of 2022)' को House में Introduce करने की permission मांगेंगे।

Hon'ble Dy. Chief Minister/Finance Minister: Hon'ble Speaker Sir, I seek permission of the House to introduce 'The Delhi Appropriation (No. 1) Bill, 2022 (Bill No. 3 of 2022)' to the house

अध्यक्ष महोदय: उप-मुख्यमंत्री जी का प्रस्ताव सदन के सामने है-

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,
जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें,
(सदस्यों के हाँ कहने पर)
हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता
प्रस्ताव पास हुआ।

अब माननीय उप-मुख्यमंत्री Bill को सदन में Introduce करेंगे।

Dy. Chief Minister: Hon'ble Speaker Sir, I introduce 'The Delhi Appropriation (No. 1) Bill, 2022 (Bill No.3 of 2022)' to the House.¹³

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न है कि खण्ड-2, खण्ड-3 व Schedule बिल का अंग बनें-

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,
जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें,
(सदस्यों के हाँ कहने पर)
हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

खण्ड-2, खण्ड-3 एवं Schedule बिल का अंग बन गये।

प्रश्न है कि खण्ड-1, Preamble और Title Bill का अंग बनें-

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,
जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें,
(सदस्यों के हाँ कहने पर)
हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

13. दिल्ली विधानसभा पुस्तकालय में संदर्भ संख्या आर-22088 पर उपलब्ध।

खण्ड-1, Preamble और Title Bill का अंग बन गये।

अब माननीय उप-मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि the 'The Delhi Appropriation (No. 1) Bill, 2022 (Bill No.3 of 2022)' को पास किया जाए।

Dy. Chief Minister: Hon'ble Speaker, Sir, the House may now please 'The Delhi Appropriation (No. 1) Bill, 2022 (Bill No. 3 of 2022)'

माननीय अध्यक्ष: उप-मुख्यमंत्री जी का प्रस्ताव सदन के सामने है-

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,
जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें,
(सदस्यों के हाँ कहने पर)
हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

'The Delhi Appropriation (No. 1) Bill, 2022 (Bill No. 3 of 2022)' पास हुआ। बहुत-बहुत धन्यवाद।

अल्पकालिक चर्चा (नियम-55)

श्री दिलीप कुमार पाण्डेय जी, अजय कुमार महावर जी, संजीव झा जी। नई आबकारी नीति के लाभ व हानियों के संबंध में चर्चा प्रारम्भ करेंगे। अन्य सदस्य भी चर्चा में भाग ले सकेंगे। अब माननीय श्री दिलीप कुमार पाण्डेय जी।

श्री दिलीप कुमार पाण्डेय, मुख्य सचेतक (सत्तापक्ष): बहुत-बहुत आभार, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय इस विषय पर अपनी बात रखने का मौका देने के लिए। आज इस सदन में इस विषय के आसपास बहुत सारी बातें हुई। सदन में बहुत

सारे साथी ऐसे हैं जो बहुत अच्छा बोलते हैं और उनका बोलना अच्छा लगने के पीछे का कारण कि वो जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि वो जनता की बात कह रहे हैं। उनकी बातचीत से ऐसा लगता है कि जिन लोगों ने उन्हें चुना, उन्हें उनके हित की चिंता है। बड़ा दुखद लगा, जब नेता विपक्ष, महोदय बोल रहे थे तो मैंने आज पहली बार इस पद और इसकी जुड़ी हुई जो गरीमा है इस स्तर पर उसका अवनयन देखा और बरबस जिस तरह की बातचीत चल रही थी, जिस तरह के प्रश्न किए जा रहे थे, मुझे मन में लगा कि ऐसी बात लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं कर सकता, लीडर ऑफ कमिशन कर सकता है। अध्यक्ष महोदय, मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा हूँ, भाई पोलिसी अच्छी है, बुरी है, ठीक है, गलत है, तरह तरह के मत इन मतों के साथ हम लोकतंत्र को मजबूत करते हुए दूसरे की बात से सहमत-असहमत होते हुए भी इस सदन के अंदर अपनी चर्चा करते हैं। लेकिन किस दुकानदार को कितना कमिशन मिला ये कौन सा जनहित का प्रश्न है। इससे कौन सी विधान सभा की, कौन से गरीब आदमी के चुल्हे में आग जल रही है, किसका पेट भर रहा है। तो समझ में ये आता है कि ये पूरा प्रपंच जो रचा जा रहा है, ये प्रपंच जब वो आंकड़ा सुनने में आया कि नई आबकारी नीति से दिल्ली सरकार को अतिरिक्त साढ़े तीन हजार करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ, ये सारा प्रपंच जो है, ये साढ़े तीन हजार करोड़ रुपये से जन्मा है। अध्यक्ष महोदय मैं बताना चाहूंगा ऑन रिकॉर्ड कि दिल्ली की सरकार के 2015 में बनने के बाद से लेकर के और नई आबकारी नीति के लागू होने तक के बीच में पूरी दिल्ली में तकरीबन दो हजार अवैध शराब की दुकानें थी और ये सिर्फ अवैध शराब की दुकानें नहीं थी, ये सीधे-सीधे सरकार का रिवेन्यू लीकेज था जो भारतीय जनता पार्टी और उनके द्वारा नियंत्रित पुलिस के आशीर्वाद से प्रफुल्लित हो रहा था, प्रस्फुटित हो रहा था, फल-फूल रहा था। फलने-फूलने

का सीधा मतलब ये कि असल में ये साढ़े तीन हजार करोड़ रुपये जो इस नई आबकारी नीति के लागू होने के बाद राजस्व में जा रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जेब में जा रहे थे और ऐसा नहीं होता तो आज जो बौखलाहट नेता, विपक्ष के चेहरे पर दिखी वो बौखलाहट नहीं होती। जो प्रपंच रचा जा रहा है, जो जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है वो नहीं होता। नई एक्साइज पॉलिसी के आने से पहले 850 दुकानें थी, । एक भी दुकान ऑन रिकॉर्ड नहीं बढ़ी है, अलबत्ता आवंटन के बाद 4 दुकानें कम हुईं। और नई आबकारी नीति जो लागू हुई, आरटीआई का जवाब पड़ा हुआ है, अभी तक उसमें से सिर्फ 506 दुकानें ही खुली हैं। इसका विरोध इसलिये किया जा रहा है कि जो कमिशन-कमिशन की बात बार-बार आ रही थी दरअसल वो दुकानदार का कमिशन नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जेब में गिरने वाले कमिशन की बात हो रही थी। लेकिन अब वो एक कहानी सुनी होगी आपने कि एक आदमी चोरी करते समय पकड़ा गया। अभी संदेह था कि ये चोर है कि नहीं, तभी उसने अपने बाप का नाम बता दिया और पकड़ा गया कि ये चोर है। तो लाख छुपाते-छुपाते जो कमिशन खोरी की, दलाली की दुकानदारी बंद हुई है उसका दर्द आज भारतीय जनता पार्टी के नेता की जुबान पर आ गया। और विरोध का तरीका देखिये आप, कल दिल्ली बंद नहीं था, कल दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली पुलिस द्वारा प्रायोजित खुल्लमखुल्ला गुंडई चल रही थी। मेरे पास तस्वीरें हैं, गुगल पर कोई भी इंटरनेट पर सर्च करके देख सकता है। एएनआई को बाइट, आप ढूंढ़ के देख लीजिए। एक बूढ़ा आदमी।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: भई आप लोगों को मौका मिलेगा ना। विजेन्द्र जी मुझे मत बोलना फिर बाद में।

श्री दिलीप कुमार पाण्डेय, मुख्य सचेतक (सत्तापक्ष): विजेन्द्र जी, पूरी तरह से पोल खोल दूंगा, शांत रहिये आप। मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, मेरे बीच में मत बोलिए आप।

माननीय अध्यक्ष: आपको सदन का कोई सदस्य बोलने नहीं देगा।

श्री दिलीप कुमार पाण्डेय: मैं एक शब्द नहीं बोलने दूंगा, मैं एक आदमी को नहीं बोलने दूंगा, मेरे बीच में मत बोलिये, मैं कभी आपके बीच में नहीं बोला। मेरे बीच में नहीं बोलेंगे आप, स्पष्ट बता रहा हूँ।

...(व्यवधान)

श्री दिलीप पाण्डेय: मैं बता रहा हूँ धज्जियाँ उड़ा दूंगा फैक्ट्स के आधार पर। धज्जियाँ उड़ा दूंगा फैक्ट्स के आधार पर चुप रहिएगा एकदम, एकदम शांत रहिएगा। आज की बात नहीं है, इस सदन में आपको बार-बार आना है, कभी बोलने नहीं दूंगा, गारंटी है।

...(व्यवधान)

श्री दिलीप पाण्डेय: सम्मान कर रहा हूँ मैं बीच में मत बोलिये, आप पुराने हैं, आप सीनियर हैं तमीज से पेश आइये।

माननीय अध्यक्ष: विजेन्द्र जी मैं चेतावनी दे रहा हूँ आपको, विजेन्द्र जी मैं चेतावनी दे रहा हूँ आपको।

श्री दिलीप पाण्डेय: दलालों की तरह बात मत करिये आप।

माननीय अध्यक्ष: मार्शल्ल्स विजेन्द्र जी को बाहर करो, विजेन्द्र जी को बाहर करो।

श्री दिलीप पाण्डेय: दलालों की तरह बात मत करिये आप, दलालों की तरह बात मत करिये, शराब माफियाओं के साथ खड़े हैं आप। शराब माफियाओं के साथ क्यों खड़े हैं, कितनी दलाली खाई है आपने, बताइये दिल्ली वालों के सामने कितनी खाई है आपने। कितनी दलाली खाई।

माननीय अध्यक्ष: बाहर करिये।

...(व्यवधान)

श्री दिलीप पाण्डेय: शराब माफियाओं के साथ क्यों खड़े हैं आप, कितनी दलाली खाई गुप्ता जी बताइये सदन में आप, बताओ ये आपने कितनी दलाली खाई। 3500 करोड़ में से कितनी दलाली मिली आपको बताइये आप।

माननीय अध्यक्ष: बाहर करिये उनको।

...(व्यवधान)

श्री दिलीप पाण्डेय: आप वरिष्ठ हैं, आप बताइये आपकी जेब में आने वाला कितना पैसा बंद हुआ, आपकी जेब में आने वाला कितना पैसा मारा गया बताइये आप। कितना कमिशन रह गया। वरिष्ठ हैं आप, मैं आपका सम्मान करता हूँ लेकिन निर्बाध बोलने का अधिकार सिर्फ आपको नहीं है, हमें भी है। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली की सरकार ने वो दो हजार अवैध शराब की दुकानें बंद कराईं। इतना ही नहीं, इस दौरान 1864 लोगों के ऊपर।

Q/RK

एफआईआर हुई रेवेन्यू लीकेज की वजह से। इन दुकानों की वजह से जो रेवेन्यू लीकेज हो रहा था। 1864 लोगों के ऊपर। 1000 ऐसे वाहन जब्त किये

गये जो इन अवैध शराब की आवाजाही के लिए जिम्मेदार थे और कम से कम तकरीबन मैं आपको बताऊं अध्यक्ष महोदय कि इस पॉलिसी के आने के बाद, इसके आने के पहले सात लाख से भी ज्यादा अवैध शराब की बोतेलें जो हैं राजस्व विभाग ने, एक्साइज विभाग ने जब्त की हैं। तो ये जो क्रोध दिख रहा है, ये जो बौखलाहट दिख रही है, ये जो छटपटाहट दिख रही है, ये रेवेन्यू लीकेज के बन्द होने की वजह से अपनी जो आमदनी बन्द हो गयी है, उसकी बौखलाहट है और वो बौखलाहट कल दिल्ली के अन्दर सड़कों पर दिखी अध्यक्ष महोदय। मैंने देखा एक व्यक्ति ने अपना कोविड का डोज बुक किया हुआ था। भाजपा के गुण्डों ने बस रोककर उसे उतार दिया और बेचारा अपना वैक्सीन लेने नहीं जा पाया। उसको कुछ होता तो कौन जिम्मेदार होता। रास्ते में भाजपा के गुण्डों ने बसें रोक दी। सरकारी सम्पत्तियों को नुकसान पहुंचाया। बसों के टायर, पहिये पन्चर किये और इस वजह से एक्बुलेन्स जाम हुई। वहाँ किसी के जान-माल की जिम्मेदारी भाजपा के नेता नहीं लेंगे। उनको सिर्फ और सिर्फ अपनी जेब भरने से मतलब है। उनको सिर्फ और सिर्फ दलाली खाने से मतलब है। कल सीधा-सीधा दिख गया अध्यक्ष महोदय कि भारतीय जनता पार्टी के गुण्डे जो सड़क पर कर रहे थे उसको दिल्ली की पुलिस का भी आशीर्वाद प्राप्त था। कहीं कुछ नहीं हुआ। किसी के खिलाफ कहीं कुछ भी नहीं हुआ। कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये सीधे-सीधे आज जो इस सदन में नेता विपक्ष के चेहरे पर और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के चेहरे पर, विजेंद्र गुप्ता जी के चेहरे पर दिखा है, उस दलाली के बन्द होने का जो गुस्सा है वो दिख रहा है अध्यक्ष महोदय। और ये जो पॉलिसी बनी है इसके लाभ और हानि की बात करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। लाभ दिल्ली की सरकार का है, दिल्ली की जनता का है। इस प्रोग्रेसिव पॉलिसी के लाने के लिए दिल्ली की सरकार बहुत साधुवाद की हकदार है और हानि

भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की है जिनकी दलाली बन्द हो गयी, जिनका कमीशनखोरी बन्द हो गयी, जिनकी जेब में पैसा आना बन्द हो गया। बहुत-बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।

माननीय अध्यक्ष: श्री संजीव झा जी।

श्री संजीव झा: बहुत-बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय कि आपने आज इस मुद्दे पर मुझे बोलने का मौका दिया। पिछले दो दिन से हमारे विपक्ष के साथी बहुत शोर-शराबा कर रहे हैं, बहुत बातचीत हो रही है और दिलीप भाई ने बिल्कुल ठीक कहा कि बिधूडी जी इस सदन के विपक्ष के नेता हैं, मैं इनका बड़ा रिगार्ड करता था लेकिन जिस तरह से आज उनका अग्रेशन दिख रहा था तो मुझे तो लग रहा था कि बात ये दिल्ली की जनता की नहीं है, बात तो कुछ और ही है। मुझे लगता है कि ये आबकारी नीति जो बनी है, जो पॉलिसी बनी है, मुझे लगता है इस पर केस स्टडी होना चाहिए। आज उस पर सवाल खड़े किये जा रहे हैं और मुझे याद है जब हम सब लोग दूसरी बार जीतकर आये थे, सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू लीकेज है वो आबकारी विभाग का होता था। हमारी सरकार ने उस पर मॉनिटरिंग शुरू करी। डिप्टी सी०एम० साहब ने उस पर तरह-तरह के मॉनिटरिंग के तरीके इजाद किये। हमारे अधिकारी ईमानदारी से उसे इम्प्लीमेंट करने लगे तो अचानक रेवेन्यू में कुछ बढ़ोत्तरी हुई। उसमें भी ये खूब हल्ला हुआ कि शराब की दुकान खूब खोले जा रहे हैं, खूब खोले जा रहे हैं। फिर इसी सदन में बताया गया कि शराब की कोई नई दुकान नहीं खुल रही है बल्कि जो रेवेन्यू लीकेज थे उस लीकेज को दुरुस्त किया जा रहा है तो रेवेन्यू बढ़ा है। आज जब ये पॉलिसी बनी, इससे पहले रोज इसी बात की चर्चा में हमारे अधिकारी लगे रहते थे कि कहाँ कितनी बोटल की लीकेज हो गयी, किसने चोरी की, पूरे दिन इसी माथापच्ची में लगते थे और रेवेन्यू लीकेज भी खूब होता था। तो मुझे

लगता है कि पहली बार ऐसी पॉलिसी बनी जिसमें इस टंटे से अब सरकार दूर रहेगी। अभी मैं सुन रहा था, विपक्ष के साथी कह रहे थे कि 500 दुकानें बेच दी। माना 500 दुकानें बेच दी, प्राइवेट को दे दी। भला आपकी कितनी बिक गयी है। ये तो बता दो। ये दर्द उनका अपना है कि हमारी भी दुकान बिक गयी। बिल्कुल, ये ठीक है कि सरकार का काम शराब का ठेका चलाना नहीं है, सरकार का काम है अच्छा स्कूल बनाना, सरकार का काम है अच्छा अस्पताल बनाना, सरकार का काम है बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराना, सरकार का काम है कि गरीब के घर तक राशन की होम डिलीवरी कैसे हो, वो करना। सरकार का काम है कि अगर घर बैठे आपके सर्टिफिकेट कैसे बन जाये, उस पर ठीक से योजना बनाना। तो सरकार अब ये चाह रही है की हम उन कल्याणकारी योजनाओं पर काम करें ताकि दिल्ली की जनता का भला हो। ये कह रहे हैं कि खूब दुकान खुल गयी। अभी मैं आरटीआई का जवाब मंगा रहा था कि अभी तक कितने दुकान खुले हैं। बिधूड़ी जी पिछली पॉलिसी में 850 दुकान थीं और अब तक 500 दुकानें खुली हैं और पूरी पॉलिसी हमने देखी। दुकान बढ़े नहीं हैं, दुकान घटे हैं। अब देखिये, एक तरफ दुकान घटा और रेवेन्यू डबल हो गया। तो आपको तो तारीफ करना चाहिए। एक तरफ आप कहते हैं ये पैसा कहाँ गया। मैं बताता हूँ पैसा कहाँ गया। एक तरफ आज पूरे देश में डेवलपमेन्ट वर्क इसलिए रुक गया है कि सभी सरकारें कहती हैं पैसा नहीं है। दिल्ली में पैसों के कारण कोई डेवलपमेन्ट वर्क नहीं रुका है। गलियों बन रही हैं, सड़के बन रही हैं। जो सब्सिडी थी वो बदस्तूर जारी है बल्कि और कल्याणकारी योजनायें चलाई जा रही हैं। तो आज ये जो पॉलिसी है इससे फायदा हुआ है और इससे रेवेन्यू आ रहा है, उससे फायदा दिल्ली की जनता को हो रहा है। हाँ, आपको दर्द इसलिए है कि आज ये जो साँठगाँठ कांग्रेस और बीजेपी की थी और ये रेवेन्यू की चोरी

होकर जो आपके घर आता था, वो बन्द हो गया। मैं एक बात और बता दूँ कि बात खेल यही नहीं है, खेल इससे भी बड़ा है। अभी जो लोग ये प्रायोजित प्रोटेस्ट करा रहे हैं या तो आप उसके हिस्सा या झाँसे में हैं और मैं भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं को भी कह देता हूँ कि बगल में गुड़गाँव और ये फरीदाबाद और ये नोएडा जो बड़े-बड़े शराब माफिया हैं वो चाह रहे हैं कि दिल्ली में दुकान न खुले ताकि ये शराब की स्मगलिंग हो। तो तमाम माफिया के लोग यहाँ पर प्रायोजित प्रोटेस्ट करा रहे हैं। तो या तो आप झाँसे में शिकार हो रहे हैं या हो सकता है कि उस माफिया से आपकी भी कोई न कोई नूराकुशती है, कोई न कोई सेटिंग है। तो इसीलिए अध्यक्ष महोदय मुझे ये लगता है कि आज ये जो एक्साइज पॉलिसी बनी है, ये एक्साइज पॉलिसी एक रिसर्च का विषय है। बल्कि सभी स्टेट को इसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि उसी तरह के संसाधन में सरकार अपने रेवेन्यू को कैसे बढ़ाये, उसका एक यूनिक मॉडल है जो दिल्ली सरकार ने इजाद किया है। बल्कि मैं धन्यवाद करता हूँ डिप्टी सी0एम0 को और एक्साइज के सभी अधिकारियों को जो आपने पॉलिसी इजाद किया है। तो ज्यादा न कहते हुए मैं बस इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप दिल्ली के हितैषी हैं, दिल्ली की जनता के हितैषी हैं, अब प्रोटेस्ट में भी किसी ने मुझे दिखाया कि एक तरफ तो शराब के विरोध में प्रोटेस्ट कर रहे थे और प्रोटेस्ट से पहले उन्हीं को शराब बॉटा भी जा रहा था। वो शराब बॉटकर उनको प्रोटेस्ट में लाया जा रहा है फिर उनसे प्रोटेस्ट कराया जा रहा है। ये तो आपके प्रोटेस्ट की हकीकत है और बिल्कुल दिलीप भाई ने ठीक कहा कि जिस तरह का प्रोटेस्ट हुआ वो प्रोटेस्ट नहीं था, वो गुण्डागर्दी थी। बसों को रोका गया, बसों को तोड़ा गया, लोगों को मारा-पीटा गया। योगी जी उत्तर प्रदेश में कहते हैं न जो सरकारी सम्पत्ति का नुकसान करेगा उनको चिन्हित करके उनका पोस्टर लगाया जायेगा। तो अगर आपमें भी इतनी मोरेलिटी है तो लगाइए उन तमाम लोगों का फोटो जिन

लोगों ने कल बसों को तोड़ा और उन तमाम लोगों को लोगों को मारा-पीटा जो अपने काम पर जा रहे थे, उनको जबरदस्ती रोका। तो मुझे ये लगता है कि इस तरह की गुण्डागर्दी करके और ये गुण्डागर्दी करने वाले लोग कतई दिल्ली के हितैषी हो ही नहीं सकते। ये किसी न किसी के भेजे गये एजेन्ट हैं या जो कोई प्रायोजित कर रहा है उसके वो एजेन्ट है। तो इसीलिए अध्यक्ष महोदय, मैं तो प्रशंसा और तारीफ करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि जिस तरह की एक्साइज पॉलिसी आयी है, मुझे पूरा विश्वास है कि वो तमाम तरह की चोरी, तमाम तरह की गुण्डागर्दी और तमाम तरह की माफियागिरी पर अब रोक लगेगी जो पहले होती आयी थी। बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: श्री अजय कुमार महावर जी।

श्री अजय कुमार महावर: धन्यवाद अध्यक्ष जी, नियम-55 के तहत इस आबकारी नीति पर चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। सबसे पहले मैं दिल्ली के लोगों की भावना को चार लाईन के माध्यम से प्रकट करना चाहता हूँ।

भरोसा जितना कीमती होता है, धोखा उतना ही महंगा हो जाता है।

ईमानदारी का दाम कौन जाने, जहाँ राजा ही बेईमान हो जाता है॥

इस सरकार के मुखिया और सरकार के बहुत सारे मेरे साथी विधायक जिनके गुरु अन्ना हजारे, अन्ना हजारे ने, अध्यक्ष जी, आज तक अपने गाँव रालेगण सिद्धि में एक भी शराब का ठेका खुलने नहीं दिया। यह उनका तपोबल है। लेकिन आज उन्हीं के शिष्य एक राज्य में सत्ता में आये और ऐसी क्या मजबूरी थी जो सरकारी लाईसेन्स को रद्द करके और प्राइवेटाईजेशन का, निजीकरण का जो लोग विरोध करते थे, उन लोगों ने आज दिल्ली की 70 विधान सभा में 849 ठेके खोलने का काम किया और इसका डिसेन्ट्रीलाइजेशन किया। गली,

मोहल्ला जहाँ नहीं खुलनी चाहिए, वहाँ भी किया। मैं 02 अक्टूबर को देख रहा था कि मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ा-बड़ा विज्ञापन अखबारों में दिया और उसमें कहा कि महात्मा गाँधी हमारे देश के आदर्श पुरुष हैं, राष्ट्रपिता हैं, हमें उनके मार्ग का अनुयायी होना चाहिए और हमें उनके दिखाये मार्ग पर चलना चाहिए। मैं इस सदन से पूछना चाहता हूँ क्या सरकार जिसने ये बयान दिया वो महात्मा गाँधी के मार्ग पर चल रही है? क्या महात्मा गाँधी ने कहा था कि दारू के ठेके खोलो? महात्मा गाँधी ने तो शराबबन्दी की बात की थी। मुझे एक पल वो भी याद है जब इस दिल्ली में जेसिका लाल हत्याकाण्ड हुआ, निर्भया हत्याकाण्ड हुआ। तो इस सदन में बैठे बहुत सारे लोग मोमबत्तियाँ लेकर रात को ओंस की बूंद में भी निर्भया के लिए न्याय की बात कर रहे थे और तब ये कह रहे थे कि शराब के कारण ही ये निर्भया हत्याकाण्ड हुआ है, नशे के कारण ही ये निर्भया हत्याकाण्ड हुआ है। क्या वो लोग आज भूल गये, क्या सब के गली-मोहल्ले में एक-एक वार्ड में तीन-तीन ठेके खोलकर हर वार्ड की महिलाओं को क्या ये सुरक्षित करने का, महिला सशक्तीकरण का काम है? नहीं है। ये सरकार अपनी बात से उलट काम कर रही है। ये घरेलू हिंसा को भी बढ़ावा देने वाली है और दिल्ली में मेरी माता-बहनों की रक्षा पर भी संकट खड़ा करने वाला ये फैसला है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी जो आज सदन में नहीं हैं कोरोना पाजिटिव का उनका ट्वीट आया। उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। वो शीघ्र स्वास्थ्य लाभ लेकर सदन में आयें, ऐसी प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। उन्होंने अन्ना आन्दोलन के समय एक किताब लिखी। उस किताब का नाम था 'स्वराज'। उस 'स्वराज' के पेज नम्बर 114 में जो माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली ने लिखा- नशाबन्दी में सफलता, इसका एक अंश पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। उन्होंने लिखा। ये शब्द मेरे नहीं, ये मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के शब्द हैं। दिल्ली के कुछ वार्डों में पिछले

एक साल में मोहल्ला सभायें चल रही हैं। हर महीने मोहल्ले के लोग, वहाँ के अधिकारी, वहाँ के नेता इकट्ठा होते हैं और अपने इलाके के विकास के बारे में चर्चा करते हैं। सोनिया विहार की ऐसी ही मोहल्ला सभा में एक लड़के ने खड़े होकर कहा हमारे इलाके में दारू की दुकान बहुत दूर है। एक दारू की दुकान हमारी कालोनी में भी खुलनी चाहिए। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू हो गयी। मजे की बात ये है कि मोहल्ला सभा में बैठे कई लोग दारू पीते थे लेकिन पब्लिक में सब धर्मात्मा बनते हैं। एक के बाद एक सबने कहा दारू बुरी चीज है और दारू की दुकान नहीं खुलनी चाहिए और दारू की दुकान खुलने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। उस दिन, उस दिन लगा कि भरी सभा में गलत प्रस्ताव करना काफी मुश्किल होता है। आज किसी भी इलाके में दारू की दुकान खोलने के लिए वहाँ के नेता और किसी अफसर की मंजूरी लेनी होती है। जनता से तो पूछा नहीं जाता। नेता और अफसर तो रिश्वत लेकर दबाव में आकर मंजूरी देते हैं। यदि यह कानून बना दिया जाये कि किसी भी इलाके में दारू की दुकान वहाँ की मोहल्ला सभा या वहाँ की ग्राम सभा की मंजूरी के बिना नहीं खोली जायेगी तो दारू की दुकान खोलना बहुत मुश्किल हो जायेगा। नशाबन्दी की दिशा में यह ठोस कदम होगा। ये माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी किताब में कहा है। तो मैं पूछना चाहता हूँ सदन से, मंत्री महोदय से, एक भी मोहल्ला सभा की क्या? क्या आपको इसकी जरूरत महसूस नहीं हुई? क्या मुख्यमंत्री के कथन पर विचार नहीं हुआ? एक भी ग्राम सभा हुई क्या? आप सदन को और दिल्ली की जनता को बताने का प्रयास करें कि क्या उसमें एक भी कदम उठाये गये? अभी बहुत सारे लोग बात कर रहे थे। हमारे माननीय उप-मुख्यमंत्री जी भी कह रहे थे कि साढ़े तीन हजार, चार हजार करोड़ की हर साल दलाली, कमीशन का मामला बता रहे थे और भाजपा पर आरोप मढ़ने का प्रयास कर रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी तो पिछले 23 वर्षों से सत्ता में नहीं है। हम तो दिल्ली की सत्ता में

नहीं है। आप सात साल से हैं और आपसे पहले शीला जी की सरकार थी। शीला जी की सरकार थी लेकिन अगर साढ़े तीन हजार से मैं गुणा करता हूँ सात साल का तो साढ़े चौबीस हजार करोड़ आपने बनाये क्या? जितनी प्रमाणिकता से आप यहाँ बात रख रहे हैं इसका मतलब साढ़े तीन, चार हजार करोड़ रुपये आप प्रतिवर्ष इससे आय कमाते रहे हैं तब ही इतनी प्रमाणिकता से आप यह बात कर पा रहे हैं और मैं दावे से कहता हूँ मुख्यमंत्री जी ने एक बात और कही थी उस समय कि दिल्ली में मैं माफियाओं को तोड़ना चाहता हूँ और माफियाओं को तोड़ने के लिए एक-एक, उन्होंने बीस-बाइस उदाहरण दिये थे कि बीस-बाइस ठेके एक-एक लोग उठा जाते हैं। मैं दावे से कहता हूँ। मैं देख रहा था अभी लिस्ट इसमें कहीं पर 26, 24, 31, 28, 29, 30, 32, एक-एक जोन में एक-एक कम्पनी को दुकानें दी गयी है। क्या आप माफिया को संरक्षण नहीं दे रहे हैं, क्या आपने झूठबयानी नहीं की? जिस बात को आप खत्म करना चाहते थे क्या आपने उसमें और ज्यादा आगे बढ़ने का काम नहीं किया? आपने शराब माफियाओं को संरक्षण देने का काम किया है और मैं दावे से कहता हूँ देश के तीन बड़े शराब माफिया, मैं अभी उनका नाम नहीं ले रहा हूँ, आप कहेंगे तो नाम भी ले लूंगा, वो इसमें शामिल हैं। पोन्टी चट्टा, रेड्डी जैसे लोग इसमें शामिल हैं और उन्हीं की सिस्टर कम्पनियाँ, सेल्फ कम्पनियाँ अपने फ्रेंड्स को, अपने फेमलीज को कम्पनियाँ बना-बनाकर एक-एक जोन में 30-30 दुकानें लेकर ये मलाई चाटने का काम सरकार के माध्यम से कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष: कन्क्लूड करिए अब अजय महावर जी। कन्क्लूड करिए।

श्री अजय कुमार महावर: आपकी बात का सम्मान करते हुए मैं सिर्फ दो मिनट लूंगा और नहीं लूंगा। पैसों के प्रभाव में सारा महकमा, सरकारी महकमा बिका हुआ है। देवालयों को और शिवालयों को, विद्यालयों को इनको भी नहीं

छोड़ा जा रहा है। 100 मीटर की दूरी बतायी गयी। उसमें भी पिन्-प्वाइन्ट नाप रहे हैं। अगर एक मीटर भी कम रह गया तो मुख्य द्वार से नापते हैं। अब कहते हैं जी बिल्कुल मेरे भजनपुरा में हनुमान मन्दिर के सामने दारू के दो ठेके खुल गये बीस मीटर की दूरी पर। जब मैंने सवाल उठाया तो कहने लगे 400 कवर्ड एरिया चाहिए, उसमें कुछ मीटर कम पड़ रहा है। अरे भक्ति के लिए जहाँ लोग वहाँ पर सुबह से शाम मन्दिर का घंटा बजा रहे हैं आप वहाँ पर, अरे कुछ और बढ़ा लेते। कुछ उसका दो सौ, ढाई सौ, तीन सौ स्क्वायर फीट के वो मन्दिर हैं। पचास-पचास साल पुराने मन्दिर हैं उन पर ऐसी क्या मजबूरी थी कि सरकार ने इसे छोड़ने का काम किया। मंत्री महोदय के ध्यान में एक बात डालना चाहता हूँ जो मेरे सवाल के जवाब में आया है। आदरणीय मंत्री जी इस पर जरूर ध्यान देंगे। अभी आपने जवाब में लिखा कि नेशनल हाइवे पर, इसमें लिखा कि हमारे पास कोई गाइडलाइन नहीं है। मेरे पास सुप्रीम कोर्ट का हवाला है और मैं ये हवाला आपके सामने प्रस्तुत कर सकता हूँ। इसमें साफ-साफ लिखा है नेशनल हाइवे के किनारे 500 मीटर तक शराब के ठेके नहीं खोले जा सकते और जिन कस्बों में अगर दूर कहीं बीस हजार से कम की आबादी है तो 220 मीटर। दिल्ली में तो खैर वो लागू नहीं होता। तो 500 मीटर से कम दायरे में अभी अक्षरधाम का जो नेशनल हाइवे दिसम्बर, 2018 में घोषित हुआ है उसके किनारे कम से कम 20 ठेके खुल गये हैं। तो इस पर आप संज्ञान लें और कड़ाई से संज्ञान लें, मैं मंत्री जी से ऐसी उम्मीद करता हूँ। नॉन कन्फर्मिंग एरिया की और इनकी बात।

माननीय अध्यक्ष: मंत्री जी जवाब देंगे।

श्री अजय कुमार महावर: जरूर मंत्री जी ने दी है। अन्त में चूँकि मुझे समय के लिए हमारे आदरणीय।

माननीय अध्यक्ष: अजय महावर जी हो गया प्लीज।

श्री अजय कुमार महावर: स्पीकर साहब ने मना किया इसलिए मैं दो लाईन में अपनी बात खत्म करता हूँ। एक बात आज मैं पढ़ रहा था, सुबह मंत्री महोदय के पुराने साथी ने ट्वीट किया है, उसमें लिखा है, आरोप लगाया कि छोटे वाले साले ने पांच सौ करोड़ रूपया की डील का मामला सेट कर लिया है। आखिर ये क्या मामला है, इस पर मंत्री जी जरूर बतायें क्योंकि वो आपके निक्कर वाले फ्रेंड हैं, पुराने फ्रेंड हैं और अन्त में ये कहते हुए कि,

धोखा देने वाले पर विश्वास करके फिर धोखा खाया,
जिन्दगी में ये सबक बहुत देर में समझ में आया।

ये दिल्ली वालों की तरफ से है। जय हिन्द। भारत माता की जय।

माननीय अध्यक्ष: श्री प्रकाश जारवाल जी।

श्री प्रकाश जारवाल: अध्यक्ष जी, आपने मुझे आबकारी नीति पर बोलने का मौका दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। जैसा कि मेरे साथी कह रहे थे, उसके नुकसान गिना रहे थे। मैं उस विधान सभा से आता हूँ जिसमें मैक्सिम अनॉथराइज्ड कालोनी है। 25 से 30 अनॉथराइज्ड कालोनी है, 6 जे0जे0 कलस्टर है और रिसेटलमेन्ट कालोनीज हैं। ऐसे तमाम मेरे साथी ऐसी विधान सभाओं से आते होंगे। मैं इस बारे में बस इतना कहना चाहता हूँ कि इस पॉलिसी से पहले मेरी विधान सभा में एक भी शराब का ठेका नहीं था मगर लोग शराब तो पीते ही थे। अब कहाँ से पीते थे। वो जो गली में मिलती है, जो झुग्गियों में मिलती है, उन शराब को जो अनॉथराइज्ड शराब, इलीगल शराब जो हरियाणा से आती थी, यू0पी0 से आती थी उस शराब को पीते थे। उस नकली

शराब को लोग पीते थे। बड़ी इजीली मिल जाती थी क्योंकि शराब का ठेका मेरी विधान सभा से 15 किलोमीटर दूर होता था। मेरी क्या आसपास की कई विधान सभाओं से अगर किसी को शराब लेने जाना होता था तो वो कालका जी विधान सभा जायेगा या जी०के० जायेगा, मगर अध्यक्ष जी शराब तो लोग पीते थे। मगर इस पॉलिसी के आने से अब एक साथी कह रहे थे की भाई 850 ठेकों से ज्यादा ठेके खोल दिये। अभी भी एक जवाब आया है इसमें हमारे एक माननीय सदस्य ने जवाब मांगा था, मात्र 550 ठेके खुले हैं शराब के और इस पॉलिसी को इस तरह से बनाया गया कि कोई ऐसा न हो कि एक ही मालिक बन जाये ठेकों का जैसे पुरानी पॉलिसी में पुरानी सरकारों ने किया। मैं एक ठेके वाले को जानता हूँ। इन्होंने तो कई लोगों के नाम गिना दिये। उसके 25-25, 40-40 ठेके होते थे और वो सभी पुरानी सरकारों में साँठगाँठ करके किया। तो मैं पॉलिसी में नहीं जा रहा। इस पॉलिसी को प्रत्येक वार्ड में तीन ठेकों से बाँटा और माननीय मंत्री साहब ने भी जवाब दिया की नॉन कन्फर्मिंग एरिये में जहाँ मिक्स लैण्ड यूज है वहाँ कोई शराब का ठेका नहीं खुला। मगर अध्यक्ष जी, जो सबसे ज्यादा तकलीफ, जो दर्द हो रहा है वो उन लोगों को हो रहा है, शराब माफियाओं को हो रहा है जो हरियाणा से सरकार या वहाँ की इल्लिगल शराब लेकर दिल्ली में बेचते थे या उन्हें तकलीफ हो रही है, उन्हें दर्द हो रहा है जिनकी उनसे कमीशन जाती थी और इस शराब माफिया ने जो कमी सरकार ने शराब माफियाओं पर पाबन्दी की कि पूरे दिल्ली के प्रत्येक वार्ड में, इलाकों में जहाँ कामर्शियल हैं, जहाँ दारू के ठेके खुल सकते हैं वहाँ खोलें और उससे सरकार का जो मुनाफा हुआ, सरकार का जो रेवेन्यू बढ़ा वो अध्यक्ष जी 6000 करोड़ से 9500 करोड़ हो गया वो भी एडवांस और इससे फायदा ये हुआ। माननीय विधायक साथी जिनकी कमीशन फिक्स हो सकती है उन माफियाओं से उन्हें बड़ी तकलीफ हुई अध्यक्ष जी। इतने साँसी, मैं एक एक्जाम्पल दूंगा आपको लॉकडाउन का पिछले

साल का। एक सॉसी, जब लाकडाउन लगा, दिल्ली के जब ठेके बन्द थे तो संगम विहार जैसे एरिये में एक मेरे किसी जानने वाले से 50 लाख रुपये उधार ले गया। अब आप सोचो उसने क्या किया। वो सॉसी था। उसका कारोबार, उसका धंधा यही था तो उसने 10 प्रतिशत ब्याज पर ले लिया और कहा मैं दो महीने में लौटा दूंगा। उसने हरियाणा से जाकर शराब खरीदी। यू0पी0 से जाकर, बार्डरों से जाकर शराब खरीदी और जब लाकडाउन था, पूरे संगम विहार में, दक्षिणपुरी में, तिगड़ी में, साउथ दिल्ली के आसपास सभी इलाकों में उसने शराब सप्लाई की। अध्यक्ष जी, उसने वो पैसे भी एक हफ्ते में लौटा दिये, उसका ब्याज भी लौटा दिया और कुछ पैसे उसने कमा भी लिये। तो ये सीधा-सीधा सरकार का नुकसान रेवेन्यू का हो रहा था। अब जिससे सरकार को पैसा बढ़ा है, चार हजार करोड़ का लगभग जो पैसा एडवांस आ गया उससे दिल्ली की जनता के लिए अस्पताल बन सकेंगे, मोहल्ला क्लीनिक बन सकेंगे, स्कूल बन सकेंगे। तो अध्यक्ष जी, ये जो जनता को बरगला रहे हैं इन्होंने कल पूरी दिल्ली को जो बन्द कर दिया कि शराब के ठेकों वालों के साथ ये इतने ठेके खोल दिये, इतना नुकसान कर दिया। इसमें दिल्ली की जनता का फायदा है। ये लोग नकली शराब नहीं पियेंगे। घटिया शराब नहीं पियेंगे और जो दिल्ली की सरकार को जो रेवेन्यू का नुकसान हो रहा था उसका दिल्ली सरकार को, दिल्ली की जनता को फायदा हो सकेगा। तो अध्यक्ष जी, विपक्ष में बैठे मेरे कई साथी इसका विरोध कर रहे हैं। मैं इन्हें बस ये कहना चाहता हूं कि आपके इलाकों में भी जो अनॉथराइज्ड कालोनी है, आपके इधर जो जो जे0जे0 कलस्टर है, नकली दारू से, हरियाणा की दारू से, यू0पी0 की दारू से, जो जनता मर रही थी, अब वो शायद न मरें, उन्हें वो नुकसान न पहुंचे। मेरा अध्यक्ष जी इसमें यही कहना है कि सरकार जो ये पॉलिसी लायी है, बहुत बढ़िया पॉलिसी है और इससे सरकार को भी फायदा होगा, दिल्ली की जनता को भी फायदा होगा और दिल्ली में जो माफिया शराब

माफिया सक्रिय था वो खत्म होगा और जितने भी सरकार में फायदे हो सकते हैं जनता के, दिल्ली की जनता के लिए जो भलाई वाले जो कार्य हो सकते इस शराब की पॉलिसी से, जो रेवेन्यू इकट्ठा होगा उसे जनता का, सरकार का सभी का फायदा है। मैं माननीय उप-मुख्यमंत्री साहब को भी बधाई देता हूँ और ताकी इतनी बढ़िया पॉलिसी जो इन्होंने बनायी उसके लिए वो बधाई के पात्र है ताकी दिल्ली की जनता के एक-एक आदमी का भला हो सके, उन्हें वेलफेयर की स्कीमें मिल सकें। बहुत-बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्ष: धन्यवाद, धन्यवाद। श्रीमान् मदन लाल जी।

श्री मदन लाल: धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस मामले में बोलने का अवसर दिया। नई आबकारी नीति से पहले क्योंकि दिल्ली में प्रोहिबिशन कभी भी नहीं था। शराब बीजेपी के जमाने में भी बिकती थी, कांग्रेस के जमाने में भी बिकती थी पर एक फर्क था। वहाँ शराब के ठेकों के अलावा इलीगल शराब बहुत ज्यादा मात्रा में बिकती थी, वो चाहे झुग्गी-झोपड़ियों का एरिया हो या दिल्ली का बार्डरों से सटे एरिया हो। अभी प्रकाश जारवाल जी बता रहे थे उनके क्षेत्र में तो क्योंकि नॉन कन्फर्मिंग एरिया है, दिल्ली के मास्टर प्लान में भी अथराइज नहीं है, कोई ठेका नहीं है। करोड़ों रुपये की इलीगल शराब बेची जाती है। सरकार को एक तरफ रेवेन्यू का लॉस होता था तो दूसरी तरफ लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती थी। मैं जिस कॉस्टीट्यून्सी से आता हूँ कस्तूरबा नगर, वहाँ एक लोधी रोड पुलिस स्टेशन का एरिया है जहाँ झुग्गी-झोपड़ियाँ हैं और एक नाला भी है। अध्यक्ष महोदय, वहाँ खुल्लेआम, सरेआम किन्तू नाम की एक अवैध शराब बेची जाती है। वो शराब बेचने के पीछे एक कारण भी है। ठेके खुलते सुबह 11.00 बजे और रात को 10.00 बजे बन्द हो जाते थे। उसके बाद पीने वालों की कतार और उससे पहले पीने वालों की कतार जिसके कारण पुलिस

और एक्साइज के ऑफिसरों की मिलीभगत से हमेशा वो दुकानदार किन्नु बेचता था। ये धंधा लगातार चलता रहा। सरकार चूँकि वेलफेयर स्टेट हैं इसलिए पैसे की दिक्कत नहीं होती थी पर आदमी की जब जॉन चली जाये वो दुख होता है। मेरे इलाके में मैं ऐसे 5-6 लोगों को जानता हूँ जो उस कच्ची शराब पीने के कारण अब तक अपनी जान गँवा चुके हैं। कई बार शिकायत की है। एक्साइज डिपार्टमेन्ट के लोग जब तक आते हैं उससे पहले वो तैयार हो जाता हैं। पुलिस वाले पकड़ते हैं उसे और उसकी मिलीभगत से किसी और आदमी के नाम मुकदमा दर्ज करके दो-तीन दिन में उसकी बेल हो जाती है।

R/vkt

ये नेक्सस चलता रहता है। ये सरकार ने पहली बार सोचा कि इसको बदलना है और बदलेंगे तो नई आबकारी नीति में उन पुरानी बातों को ध्यान में रख कर कानून बनाने की जरूरत थी जो इस सरकार ने बनाई है। मैं माननीय मनीष सिसोदिया जी का धन्यवाद करता हूँ और कानून का जानकार होने के नाते बधाई भी देता हूँ कि अब से पहले जितने मुकदमे दर्ज होते थे उनमें सजा नाममात्र या कभी नहीं होती थी। अब एक लगाम लगेगी चोरी से शराब बेचने वालों पर। विपक्ष का बार बार ये चिल्लाना, ये शोर मचाना, कल सारे दिन दिल्ली में हायतौबा मचाना समझ में आता अगर कोई ठेका किसी गली में, किसी पारिवारिक जगह के जहाँ लोग रहते हों, खुलता, हम उसके विरुद्ध हैं, सरकार भी विरुद्ध है। हम भी कोशिश करेंगे ऐसी जगह न खुलें। पर अगर मार्किट में खुल रहा है, अगर मॉल में खुल रहा है तो सर अगर इनकी खुद की स्टेट देखो तो वहाँ भी तो खुले हुए हैं। दिल्ली में पिछली सरकार के जमाने में 850 ठेकों में से अब तक केवल 506 ठेके खुल पाए हैं। तो ये तो उसका 60 परसेंट भी नहीं है। तो ठेके तो बढ़े नहीं। नई आबकारी नीति में उम्र अगर 25 साल से 21 कर दी है

तो ये तो यू.पी. और हरियाणा दोनों बीजेपी गवर्नर स्टेट्स में बहुत पहले से चली आ रही है 21 साल। हरियाणा में वहां शराब के जो अहाते हैं वो 3-3 बजे तक खुलते हैं। नोएडा अकेले छोटे से क्षेत्र में 525 ठेके हैं, बीजेपी गवर्नर है, बंगलोर में 1700 हैं, गुरुग्राम में 2019 में 240 थे, अब पता नहीं कितने हो गए होंगे। मुंबई में शराब जो वाइन है डिपार्टमेंटल स्टोर में दी जाती है, बीजेपी के साथ गवर्नमेंट चल रही थी। सर उन्होंने तो जो एक्साईज ड्यूटी है इंपोर्टेड व्हिस्की की 300 परसेंट से 150 परसेंट कर दी और बीजेपी साथ थी, ये यहां शोर मचा रहे हैं। गोवा में 2000 आउटलेट्स हैं जहां शराब बिकती है और वहां आबादी केवल 15 लाख है और 10 हजार बार हैं। वहां कोई शोर नहीं मचा रहा। बीजेपी केवल दिल्ली की बात कर रही है और दिल्ली में तो लगातार इतने साल से चल ही रहे थे। अध्यक्ष महोदय, 25 से 21 साल की उम्र अगर करने की जरूरत पड़ी तो मन में केवल मंशा थी कि लोग चोरी-छुपे शराब का सेवन न करें। ये तो यूपी में भी चल रही है, मध्यप्रदेश में, उत्तराखंड में जहां तीनों राज्यों में बीजेपी की सरकार है 21 साल की उम्र है। वेस्ट बंगाल में, आसाम में, उड़ीसा में, तमिलनाडु में सब जगह 21 साल की उम्र है। अध्यक्ष महोदय, यूपी और हरियाणा दोनों में बार 3 बजे सुबह तक खुली होती हैं, काहे की हाय-तौबा है इनकी तरफ से? अगर आप कर्नाटक को देखें तो जो पिछली कोरोना वेव थी, कर्नाटक की गवर्नमेंट ने घर घर शराब डिलीवरी की आज्ञा दे दी थी, इजाजत दे दी थी। तब हम काहे के लिए ह्यू एंड क्राई कर रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में कांग्रेस और बीजेपी के जमाने में नकली शराब खूब बिकी। हरियाणा और यूपी के रास्ते शराब हमेशा दिल्ली में आती रही। अगर आपको ध्यान होगा इस दिल्ली सरकार ने, माननीय केजरीवाल जी ने पहली बार किसी को एक करोड़ रुपये का कर्तव्यनिष्ठा में जान गंवाने पर अनुदान दिया था और वो शख्स कौन था? वो था हेड कांस्टेबल विनोद कुमार, दिसम्बर 2013 में शराब माफियाओं से लड़ते हुए

उसने अपनी जान गंवाई। आया नगर के जंगलों में शराब माफिया जो वहां से स्मगल करके दिल्ली शराब ला रहे थे उनसे उसका झगड़ा हुआ, उस सिपाही की जान गयी और दिल्ली सरकार ने एक नया आयाम क्रिएट करते हुए, एक नई परिपाटी करते हुए कर्तव्यनिष्ठा के लिए पहली बार इस पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं शायद वर्ल्ड में पहला इंसान होगा कि किसी को कर्तव्यनिष्ठा में इतना बड़ा अनुदान दिया हो, एक करोड़ की राशि उसे देकर उसके बाद एक करोड़ की राशि हर उस जवान को देने की सरकार ने घोषणा की और दी जो कर्तव्यपरायणता के लिए अपनी जान जिसने न्यौछावर की। वो केवल शराब माफियाओं की वजह से था। और अब शराब की नई नीति की वजह से उम्मीद है कि आने वाले टाइम में शराब की वजह से जो स्मगलिंग होती थी, न केवल वो रुकेगी बल्कि लोग नकली शराब के चंगुल से भी बचेंगे। एक तरफ जहां 3500 करोड़ की रेवेन्यू सरकार ने बढ़ाई है, विपक्ष का यह कहना कि कमीशन, कमीशन, कमीशन, मुझे अचरज आता है। जब एलओपी कहते हैं, लीडर आफ अपोजिशन कहते हैं कि कमीशन बताओ तो हम बता रहे हैं आपको कमीशन, हमने कमीशन के रूप में 3500 करोड़ और फालतू शराब माफियाओं से लिया है। हमने सरकार की कमाई 3500 करोड़ और ज्यादा की है जो पहले 6000 करोड़ होती थी वो 9500 करोड़ होकर के 3500 करोड़ बढ़ी है। हमने जो बेईमानी से लोगों की जेब में जा रहा था पैसा, न केवल उसको रोका है बल्कि हमने दिल्ली में इल्लिगल शराब की बिक्री को रोकने की पूरी कोशिश की है।

माननीय अध्यक्ष: कंकल्यूड करिए मदन लाल जी, कंकल्यूड करिए प्लीज।

श्री मदन लाल: सर यहां जो रूल बनाये हैं वो रूल इतने पीपल फ्रेंडली हैं कि सरकार की मंशा साफ साफ है। ठेके के मालिक की जिम्मेवारी सरकार ने तय की है कि लॉ एंड आर्डर की जिम्मेवारी उसकी होगी। रिलिजियस इंस्टीट्यूशंस

और स्कूल्स के 100 मीटर के दायरे में नहीं खुलेंगे, वहां कोई भी शराब के ठेके में बाहर से शराब की बिक्री नहीं करेगा बल्कि अंदर जाकर ही शराब की बिक्री होगी और शराब के ठेके केवल मॉल में, कमर्शियल एरियाज में खोले जायेंगे। अगर ये कहते कहीं किसी के घर के आसपास खुला है और ये बंद करने की बात करते तो हम भी इनके साथ खड़े होते, हम भी कहते हांजी हम भी, चलो हम भी बंद करायेंगे क्योंकि सरकार ने ये प्रोविजन यहां पर कर रखा है। नए कानून में प्रोविजन है कि अगर लोगों को इनकनविनिएंस है और ठेके की वजह से लोग परेशान है तो ठेका सरकार बंद करेगी। उसके बाद क्या चाहिए? यहां दर्द केवल ये है कि जो और लोग इनके थे बीजेपी या कांग्रेस के, जो माफिया थे, उन लोगों को न मिली, उसकी वजह से पेट में दर्द है। सर मैं इस पॉलिसी का समर्थन करता हूं और धन्यवाद करता हूं माननीय मनीष सिसोदिया जी का और केजरीवाल जी का कि उन्होंने इतनी अच्छी आबकारी नीति इस दिल्ली स्टेट के लिए बनाई है जिसके बाद उम्मीद है इल्लिगल शराब बिकनी यहां बंद होगी और लोगों की जो मौत इस तरह नकली शराब पीने से होती है, वो कम होगी और उसपर रोक लगेगी। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: श्री जितेंद्र महाजन जी।

श्री जितेंद्र महाजन: धन्यवाद अध्यक्ष जी, दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति जिसके अंदर गली मौहल्लों के अंदर शराब की दुकानें खोली जा रही हैं उस पर चर्चा करने के लिए आपने मुझे समय दिया। आज दिल्ली की जनता अपने को शर्मसार महसूस कर रही होगी कि दिल्ली विधान सभा नशा छुड़ाने की बात नहीं कर रही है, नशे को बढ़ा कर कैसे रेवेन्यू कमाया जाए इसके ऊपर चर्चा कर रही है। दिल्ली विधान सभा में पीने के पानी, बुजुर्गों की पेंशन, गरीब का राशनकार्ड, जिस गरीब के पास आज तक मकान नहीं है उसके ऊपर चर्चा

नहीं कर रही है, रेवेन्यू बढ़ाने के लिए दिल्ली को कैसे नशे की नगरी बनाया जाए उसके ऊपर चर्चा कर रही है। इससे दर्दनाक, शर्मनाक बात कोई हो नहीं सकती। सरकार ने कहा कि नई आबकारी नीति में ठेकों की संख्या में कमी हो रही है, मैं रोहतास नगर का विधायक हूँ। नई आबकारी नीति आने से पहले मेरी विधान सभा में माननीय अध्यक्ष जी 6 शराब के ठेके थे, आज उन ठेकों की संख्या 10 हो गयी है। दिल्ली सरकार में आज जो लोग हमारे साथी हैं इन्होंने महिला सुरक्षा की बात की थी, इन्होंने बाल सुरक्षा की बात थी। दिल्ली के अंदर जब निर्भया कांड हुआ और दिल्ली के लोगों को मालूम चला कि उसके अंदर जो 4 अपराधी थे चारों के चारों ने शराब पी हुई थी और इस सदन में बैठे हुए बहुत सारे साथी जैसे अजय भाई ने बताया, कैडिल मार्च निकाल रहे थे, इंडिया गेट के ऊपर प्रोटेस्ट कर रहे थे कि किसी भी कीमत पर निर्भया जैसा कांड दोबारा नहीं होना चाहिए, जेसिका लाल जैसा कांड दोबारा नहीं होना चाहिए। आप ये देखिए कि दिल्ली वाले आज तक अपनी बेटी निर्भया को भूले नहीं हैं, मगर दिल्ली सरकार में बैठे हुए लोग निर्भया को भूल गए हैं, वो ये भूल गए हैं निर्भया कांड क्यों हुआ था, उन चारों ने शराब के नशे में निर्भया जैसी बच्ची के साथ दरिंदगी की थी। आज दिल्ली के लोगों को याद है मगर दिल्ली सरकार उसको भूल गयी है। आप ये देखिए दिल्ली में जेसिका लाल हत्याकांड हुआ था, उसका क्या कारण था ये पूरी दिल्ली जानती है मगर दिल्ली सरकार भूल गयी है। आज राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के अनुसार महिलाओं के साथ दिल्ली के अंदर जितने भी रेप के मुकदमें हो रहे हैं, उसके अंदर 80 प्रतिशत से ज्यादा का कारण शराब है। टाईम्स आफ इंडिया के अनुसार महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों में 85 प्रतिशत जो कारण हैं, मुख्य कारण जो है वो शराब है। मगर हमारी दिल्ली सरकार वो तो ये सारी बातें भूल गयी है। उनका ध्यान सिर्फ इसी में है कि दिल्ली में रेवेन्यू कैसे बढ़ाया जाए। दिल्ली सरकार ने शराब बिक्री का

टारगेट डबल कर दिया है, दिल्ली सरकार रेवेन्यू कमाने के लिए दिल्ली को शराब की नगरी बनाना चाहती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री पंजाब में जाकर पंजाब को नशामुक्त करने की बात करते हैं और दिल्ली को नशे की नगरी बनाने का काम करते हैं, जनता आज पूरी दिल्ली दिल्ली सरकार के इस कृत्य को देख रही है। माननीय अध्यक्ष जी, शराब माफियाओं का कमीशन, कमीशन की बात हो रही है। शराब माफियाओं का कमीशन, शराब दुकानदारों का कमीशन जहां पहले 2 परसेंट होता था, इस सरकार ने 12 परसेंट कर दिया है। अब शराब दुकानदारों के पीछे कौन लोग हैं ये आज पूरी दिल्ली समझ चुकी है, दिल्ली सरकार का चेहरा बेकनाब हो गया है। दिल्ली सरकार का दावा देखिए, हरियाणा और यूपी के लोग दिल्ली में शराब पीने के लिए आया करेंगे ये ऐसी फैसिलिटी दी जा रही है। अरे भईया दिल्ली को पहले साफ पानी तो दे दो। आपने वादा किया था दिल्ली को 24 घंटे पीने का साफ पानी देंगे, आज सतापक्ष के इतने विधायकों ने साफ पानी को लेकर सवाल उठाए, दिल्ली सरकार के पास उसका कोई जवाब नहीं था मगर दिल्ली सरकार रेवेन्यू बढ़ाने के लिए शराब के ठेके खोलेगी और अपना भी रेवेन्यू बढ़ाएगी। आप देखिए, यहां इतने महापुरुषों के चित्र लगे हुए हैं, दिल्ली सरकार ने ड्राई-डे जो पहले 21 हुआ करते थे अब उनकी संख्या 3 कर दी है। दिल्ली वालों को आम आदमी पार्टी की तरफ से बधाई। अब रामनवमी के दिन शराब मिला करेगी, अब गुरुनानक जयंती के दिन शराब मिला करेगी, अब वाल्मीकि जयंती के दिन शराब मिलेगी, अब गांधी जयंती के दिन शराब मिलेगी, शराब पीने के लिए अब सिर्फ 3 दिन ड्राई दिन होंगे, 21 दिन इस सरकार ने खत्म कर दिए हैं। अब देखिए, किसकी मिलीभगत है। बोतल की कीमत ठेकेदार तय करेगा, दुकानदार बोतल की कीमत तय करेगा और कौन सा ब्रांड किस दुकान पर बेचना है, ये भी दुकानदार तय करेगा। अब आप ये देखिए ये इसमें किसकी मिलीभगत है। ये तो दिल्ली।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: भई माननीय सदस्य ऐसा, अजय दत्त जी।

श्री जितेंद्र महाजन: माननीय अध्यक्ष जी,

...(व्यवधान)

श्री जितेंद्र महाजन: दिल्ली सरकार की नीति में ये कहा गया है मेरे बड़े भाई साहब मदन जी ने भी ये बात कही कि दिल्ली सरकार की नीति में जहां लोकल लोग विरोध करेंगे, वहां पर शराब का ठेका बंद कर दिया जाएगा। आज माननीय एक्साईज कमिशनर ने जवाब दिया है कि ऐसा कोई प्रावधान इस पॉलिसी के अंदर नहीं है, आप देख सकते हैं। सभी सम्मानित सदस्य भी देख सकते हैं और आप देखिए जो एक्साईज पॉलिसी है उसके अंदर ठेका खुलने का भी समय था। दिल्ली सरकार दिल्ली को शराब की नगरी, नशे की नगरी बनाना क्यों चाहती है, दिल्ली की जनता में आज ये सवाल है। इस नई आबकारी पॉलिसी के हिसाब से दिल्ली के अंदर बार, पब, बैक्वट हाल सुबह 3 बजे तक शराब परोस सकेंगे। आप ये देखिए माननीय अध्यक्ष जी, और सुनने में तो यह भी आ रहा है कि जो लोग शराब के ठेके पर और इन जगहों पर जाकर शराब नहीं ले पाएंगे, दिल्ली सरकार भविष्य में उन्हें ऑनलाईन शराब की सप्लाई करने वाली है रेवेन्यू बढ़ाने के लिए। आप ये देखिए दिल्ली सरकार का क्या ये काम रह गया है हमारे स्कूल के बाहर आप शराब का ठेका खोलेंगे, हमारे मंदिर-गुरुद्वारे के बाहर आप शराब का ठेका खोलेंगे, क्या इसलिए दिल्ली के लोगों ने दिल्ली की सरकार को बनाया था, क्या इसलिए दिल्ली को आप लोगों ने जो वादे किए थे, सरकार ने जो वादे किए थे आज दिल्ली सरकार उन वादों से पलट गयी है।

माननीय अध्यक्ष: कंकल्यूड करिए महाजन जी, कंकल्यूड करिए प्लीज।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: हो गया, आप सारा बोल चुके हैं, इतना तो मैं भी समझता हूं जो आपने लिखा था वो सारा बोल चुके हैं।

श्री जितेंद्र महाजन: माननीय अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्ष: आप सारा बोल चुके हैं।

श्री जितेंद्र महाजन: माननीय अध्यक्ष जी, शर्मसार के लिए इतना ही बहुत है, कहने को इससे भी बहुत ज्यादा है मगर दिल्ली सरकार को इस नीति के ऊपर पुनर्विचार करना चाहिए, दिल्ली को शराब की नगरी नहीं बनाना चाहिए, दिल्ली से नशा कैसे दूर हो सकता है इसके लिए काम करना चाहिए, रेवेन्यू बढ़ाने के लिए दिल्ली को शराब की नगरी नहीं बनाना चाहिए मेरा ये इस सदन से अनुरोध है धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान सोमनाथ जी।

श्री सोमनाथ भारती: अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का मौका दिया। मैं भी सुन रहा था कि आम आदमी पार्टी शराब छुड़ाने की बात नहीं करती। आम आदमी पार्टी ने वो काम किया है, सबसे पहले मैं मनीष जी को धन्यवाद देता हूं, मुबारकबाद देता हूं कि आज 56 इंच का सीना आपका देखा सदन के अंदर। आपने जो दिखाया बहुत मजा आया। मैं साथियों का साथ चाहता हूं कि जो मनीष जी ने आज इस प्रकार से एलओपी के प्रश्नों का जवाब दिया, अद्भुत था। और बता दूं मैं..

...(व्यवधान)

श्री सोमनाथ भारती: सुनिए सुनिए, सुनिए, दूसरी बात आम आदमी पार्टी की सरकार ने केजरीवाल जी के नेतृत्व में किस तरह से माफियाओं को खत्म करने की ठानी है। पहले शिक्षा माफिया को खत्म किया, दिल्ली के स्कूलों को विश्वविख्यात किया, दिल्ली की शिक्षा पॉलिसी को विश्वविख्यात किया, प्राइवेट स्कूल्स बंद हुए, ढाई ढाई लाख लोग प्राइवेट से हमारे गवर्नमेंट के स्कूल्स में ट्रांसफर हुए और बता दूं अच्छी शिक्षा नीति ही असली शराबबंदी है। जब तक आप व्यक्ति को शिक्षित नहीं करोगे, एजुकेट नहीं करोगे, तब तक उसमें विवेक नहीं आएगा और कोई विवेक के साथ ही शराब को छोड़ सकता है नहीं तो आपके डंडे से, आपके किसी को छुपाने से, बंद करने से कुछ नहीं हो सकता। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जो बात चल रही थी 3500 करोड़ की, मेरी सरकार 3500 करोड़ के पीछे नहीं है, मेरी सरकार उसके पीछे है कि चूंकि as an administrator आपको समाज की समस्या का समाधान हर पहलू से निकालना पड़ता है। अब शराब चूंकि देश में 4 राज्य हैं बिहार, गुजरात, मिजोरम और नागालैंड जहां कि शराबबंदी है। अब इन राज्यों के अंदर जो शराबबंदी है हम सब साथियों ने देखा है कि बिहार में 37 लोग मर गए नकली शराब पीकर, 37 लोग मर गए, टोटल 122 लोग मर गए। मैं कहना चाहता हूं कि जब ये रियलिटी है कि जब तक कोई व्यक्ति खुद शराब छोड़ने का फैसला नहीं लेता तब तक सरकार को as an administrator वो फेसिलिटी देनी पड़ेगी जिससे कम से कम जान का बचाव हो, उसके माल का बचाव हो, ये व्यवस्था बने। अध्यक्ष महोदय, चूंकि मैं देख पा रहा हूं अभी दिलीप जी चले गए वो कह रहे थे कल जो यहां पर तांडव दिल्ली में हुआ वो किस प्रकार से पुलिस की मदद से भाजपा के लोगों ने सरकारी संपत्ति का नुकसान किया। आदेश गुप्ता जी ने दिल्ली जल बोर्ड के अंदर घुस कर के भी सरकारी संपत्ति का नुकसान किया था। यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि दिल्ली पुलिस इस प्रकार के बिहेवियर को सपोर्ट करती है,

बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इसी कारण से कल रहा। लेकिन असली बात जो मनीष जी ने भी कही आज कि जी तकलीफ किस बात की है 850 दुकान पहले भी थी 2015 में भी, 850 दुकान खोलने की अभी प्रक्रिया है, खुली 502 दुकानें हैं चूँकि भाजपा ने दुष्प्रचार दिल्ली में किया और हर जगह कहा कि पहले 250 दुकानें हुआ करती थी अब 850 खोल रहे हैं तो भाजपा ने दुष्प्रचार करने में कोई कसर छोड़ी नहीं है लेकिन असली तकलीफ इनको ये है कि जो किसी सूडो नाम से, किसी फिक्टिशस नाम से जो दुकानें इन्होंने खोली थी आज वो दुकानें बंद हो गयी हैं, वो इनको बहुत चुभ रहा है कि वो कमाई बंद हो गयी। दिल्ली, अध्यक्ष महोदय, पूरे विश्व में 28th most travelled city है और इंडिया में first most travelled city है। foreign visitors चूँकि foreign countries के अंदर शराब उनके लाइफ का हिस्सा होता है और ये as a government, as an administrator आपको इसको उपलब्ध कराना ही पड़ेगा अगर आपको पूरी दुनिया का हिस्सा बना रहना है लेकिन किस प्रकार से उपलब्ध आप कराओगे। चूँकि इनको तकलीफ थी, मेरे पास जो वीडियो है, चूँकि मैंने एक वीडियो देखी आपको मैं वो दिखाऊंगा कि किस प्रकार से दिल्ली के अंदर शराब माफियाओं ने एक तांडव मचा रखा था अध्यक्ष महोदय, वो वीडियो के अंदर एक महिला को दिखाया था ये 2017 का वीडियो है उसमें किस प्रकार से शराब माफियाओं ने, उस महिला का ये ट्वीट है, उन्होंने धमकी दी कि जो हथ्र मेरा किया, वही दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष का भी करेंगे, उनको बड़ा, कहने में मुझे शर्म आ रही है और बहुत दुखद घटना है ये, निवस्त्र करके उसको घुमाया गया, ये शराब माफिया का काम है, ये दिल्ली के अंदर हुआ है। पता नहीं उस केस का क्या हुआ, वो पकड़े गए कि नहीं पकड़े गए, लेकिन इस प्रकार से, मतलब मैं तो सोच रहा था कि भई भाजपा के साथी कहते कि भई आपने पॉलिसी बनाई है, एक स्ट्रक्चर दिया है, मैं मानता हूँ इस बात को चूँकि मैं खुद भी नहीं पीता

हूं, न पिलाता हूं, न शराब बांटता हूं। मैं शराब पीता हूं जो नानक पिलाते हैं, नाम खुमारी नानका चढ़ी रवै दिन रात, वो शराब पीता हूं। लेकिन as an administrator, as a government आपकी ड्यूटी है कि इस प्रकार की चीजों का भी आप एक पॉलिसी के माध्यम से इसकी मुसीबतों को ठीक करो। मैं याद दिलाना चाहता हूं क्योंकि ये पॉलिसी ऐसे नहीं बनी है, ये पॉलिसी एक प्रोसेस से बनी है। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली सरकार ने 4 सितम्बर, 2020 को एक executive committee बनाई। वो कमेटी जो बनी, expert committee बनी, उसके 5 objectives थे augmenting the state excise duty revenue, simplifying the liquor pricing mechanism, checking malpractices and evasion of duty in liquor trade, ensuring equitable access to liquor supply to transform the nature of liquor trade commensurate to the changing nature of the national capital. अध्यक्ष महोदय, उसके बाद इस कमेटी का रिपोर्ट आया कि 13 तारीख को, 13 तारीख 2020 को इस कमेटी ने रिपोर्ट सब्मिट की और उसके बाद इस रिपोर्ट को मैं जानना चाहता हूं भाजपा के साथियों से, इस रिपोर्ट को जनता के लिए उपलब्ध कराया गया 31 दिसम्बर, 2020 को और till 21 जनवरी 2021 को जनता के लिए पॉलिसी रखी गयी कि भई बताइए, कमेंट्स करिए, इस पर आब्जेक्शंस दीजिए। मैं जानना चाहता हूं भाजपा के साथियों से कि कितने साथियों ने अपने आब्जेक्शन सब्मिट किए थे? उस वक्त चूंकि जब ये पूरा ये करीब करीब 20 दिन के लिए ये पॉलिसी रखी गयी थी और उसमें बड़ा इंटरस्टिंग है चूंकि 14671, एक दो नहीं 14671 कमेंट्स/फीड बैक जनता से आए, स्टैकहोल्डर्स से आए, उन सारे कमेंट्स को सरकार ने कंसीडर किया, उसके बाद जो जरूरत थी वो पॉलिसी में चेंजिज किए। तो भाजपा के साथी बताएं, चिल्लाना अलग बात है, ड्रामा करना अलग बात है, गुस्सा करना अलग बात है, ये जो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया उसका अलग बात है और मैं बता दूं अगर एमसीडी का

चुनाव इन दो महीनों में नहीं होता तो ये भी चुपचाप बैठे रहते, इनको लगा साढ़े 4 साल कुछ किया तो है नहीं इसलिए चलो इसी पॉलिसी के माध्यम से आम आदमी पार्टी की सरकार को घेरें, आम आदमी पार्टी के विधायकों को घेरें। अध्यक्ष महोदय, और बड़ा इंटरस्टिंग रहा चूँकि मेरे विधान सभा में चल रहा है एक ऐसा। जो आदमी वहाँ बैठता है मेरे पास उसकी वीडियो है। उसको जब वो वहाँ आता है उसके पहले शराब की बोतल उसको आफर की जाती है। उसी दुकान पर शराब पिला कर के उसको बिठाया जाता है और बड़ी हद हो गयी, बड़ा मुझे हास्यास्पद भी लगा, बहुत दुख भी हुआ चूँकि वहाँ पर कोरोना नियम के वॉयलेशन में एसडीएम ने उसको बंद कर दिया, सील कर दिया। उसको भाजपा के साथियों ने कहा वहाँ कि जी हमने बंद करा दी, हमने बंद करा दिया। अरे भईया, इतना झूठ तो न बोलो। जो काम हुआ है, जिस कारण से, उसको बताओ जनता को। अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूँ भाजपा के साथियों से कितने आब्जेक्शंस उन्होंने वहाँ पर किए जो स्वराज की बात कर रहे थे। स्वराज के तहत ही केजरीवाल सरकार ने जनता से आब्जेक्शंस मांगे, उन आब्जेक्शंस को पॉलिसी का हिस्सा बनाया, ये मैं बताना चाह रहा था महाजन जी को। अध्यक्ष महोदय, उसके बाद सारे आब्जेक्शंस को लेकर 22 जनवरी, 2021 को कैबिनेट ने मीटिंग बुलाई और इस पॉलिसी को एक स्ट्रक्चर दिया। उसके बाद फिर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने 5 अप्रैल 2021 को रिकमंड किया मोडिफिकेशन के साथ कि भई इस प्रकार की पॉलिसी बननी चाहिए। मैं बस आब्जेक्टिव्स पढ़ूंगा फिर खत्म कर दूंगा। आब्जेक्टिव्स क्या है इस पॉलिसी का, बड़ी इंटरस्टिंग है। चूँकि किसी भी चीज का विरोध करें, करें लेकिन बेलगाम होकर न करें, किसी आब्जेक्टिव के तहत करें। बताएं क्या गलत है, क्या हम शराबबंदी कर दें और फिर नेताओं को, भ्रष्ट लोगों को वो मौका मिल जाए पैसा कमाने का जो बिहार में हो रहा है। बिहार में अनगिनत घर बर्बाद हो गए इस चक्कर में। अध्यक्ष महोदय, गुजरात

में हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, ये प्रोसेस इतना सुंदर अपनाया सरकार ने वो जानना जरूरी है। जो एक्साईज पॉलिसी 2021-22 बनी उसके 5-6 आब्जेक्टिव्स हैं वो बता दूँ मैं। to ensure generation of optimum revenue for the govt., eradicate the sale of spurious liquor, non-duty paid liquor in Delhi and transform the consumer experience. सरकार ने ये नहीं कहा कि मुझे अपने लिए पैसे कमाने हैं, अपने नेताओं के पॉकेट भरने हैं। सरकार कह रही है कि भई sale of spurious liquor has to be stopped to simplify the highly complex, heavily regulated excise regime ensuring ease of doing business in the overall trade. अभी क्या हो रहा था भाई-भतीजावाद। एक बड़ा अच्छा मैं मनीष जी को धन्यवाद देता हूँ कि वैसे तो वो डबल एज्ड हैं। एक एमएलए का एनओसी चाहिए, वो आपने खत्म कर दिया। तो जो एनओसी यूज किया करते थे पैसे बनाने के लिए, उनको तकलीफ हो रही है। आज वो एमएलए की, कि भई एमएलए की एनओसी चाहिए क्षेत्र में, एनओसी अगर मांगने आएगा तो पैसा मांगूंगा, तो इनको तकलीफ हो रही है कि भई एनओसी जो है हम से मांगा नहीं जाता। हम तो सरकार के प्रोसेस से ठीक है।

माननीय अध्यक्ष: कंकल्यूड करें सोमनाथ जी, कंकल्यूड करें प्लीज।

श्री सोमनाथ भारती: two minutes. To not allow formation of any monopoly or cartel, to allow the responsible place in the industry to carry out the trade transparently without resorting to any proxy model. अभी प्रॉक्सी मॉडल से बताया हमारे प्रकाश ने किस प्रकार से आपके वहां से लेकर आया, यहां भेजा पैसा बनाया, लोग मरें, जियें फर्क नहीं पड़ता इनको। To ensure equitable access of liquor supply to all the wards, area of Delhi मेरे यहां एक वार्ड में 14 थीं और एक वार्ड में 2 था। तो आज 14 वो 3 होकर

रह गया। मुसीबत क्या है कि इनको जहां इनकी दुकानें चलें बस वहां ठीक है। To ensure equitable access to liquor supply to all the wards, area of Delhi so that there are no un-served and under-served localities eliminating the problem of spurious non-duty paid liquor, to put in a place a simplified duty and pricing mechanism that is periodically reviewed. मैं कह रहा हूं इनमें से जो आब्जेक्टिव्स हैं किससे आप राजी नहीं हो। ये बता दो।

3.44.30.0

एस/बीएम

श्री सोमनाथ भारती: to ensure accountability on part of the licensee in terms of revenue enhancement besides keeping in check the emergence of monopolies in cartel, promotion of consumer choice, ensuring availability of popular as well as niche brands, so that consumer has a wider choice. Systematic measures to check smuggling and bootlegging such as adequate spread of retail vends and insignificant or no price differential with the neighbouring states thereby eliminating the arbitrays for smuggling. मैं जानना चाहता हूं कि ये जो पार्टियां जो पार्टी देश के हर कंपोनेंट को बेचने में लगी है। अगर दिल्ली सरकार ने अपने आपको खींच लिया वाइन ट्रेड से और प्राइवेटाइज कर दिया इनको क्या तकलीफ है, इनको क्या तकलीफ है। अध्यक्ष महोदय, मैं ये चूंकि असली शराबबंदी मनीष जी ने बहुत पहले शुरू कर दिया पहले से पॉलिसी लाकर।

माननीय अध्यक्ष: सोमनाथ जी, दो मिनट से ज्यादा हो गए, सोमनाथ जी प्लीज।

श्री सोमनाथ भारती: मैं आज उनको बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जिस प्रकार से हर चीज के अंदर माफियाओं को एक-एक करके निकाल रहे हैं शिक्षा से निकाला, टैंकर से निकाला, जो हैल्थ माफिया थे उनको निकाला, अब ये शराब माफियाओं को निकाला है। इस पॉलिसी का मैं सपोर्ट करता हूँ, ऑफकोर्स मैं शराब का सपोर्ट नहीं करता क्योंकि मैं खुद कंज्यूम नहीं करता। लेकिन ऐज एन एडमिनिस्ट्रेटर वो करना पड़ेगा चूँकि ये राज्य की जरूरत है, करना पड़ेगा। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, थैंक्यू, जय-हिन्द जय भारत।

माननीय अध्यक्ष: श्रीमान बिधूड़ी जी।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी (माननीय नेता, प्रतिपक्ष): आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं दिल्ली के ओनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री मनीष सिसोदिया जी से भाजपा विधायक दल की ओर से ये आग्रह करने के लिए खड़ा हुआ हूँ कि जो नई शराब नीति लाई गई है दिल्लीवासियों के हित में और अपनी पार्टी के हित में, इस नई शराब नीति को वापिस ले लें। आदरणीय अध्यक्ष जी, श्री सोमनाथ भारती जी ने कहा कि नई शराब नीति पर भारतीय जनता पार्टी ने विरोध दर्ज नहीं कराया। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि दिल्ली प्रदेश के सम्मानित अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी ने क्योंकि मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ बींग ए लीडर ऑफ अपोजिशन, हम दोनों ने इस नई शराब नीति का विरोध किया और लिखित में दिल्ली के उपराज्यपाल को दिया। आदरणीय अध्यक्ष जी, दिल्ली सरकार का ये कहना है कि इस नई शराब नीति से दिल्ली सरकार की आय बढ़ जाएगी। ये भी कहना है कि महिलाओं को, युवाओं को आसानी से शराब सुलभ हो सकेगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ इस सदन में कहना चाहता हूँ कि दिल्ली में जो अभी तक शराब के ठेके खोले गए हैं 90 परसेंट शराब के ठेके मास्टरप्लान का वॉयलेशन करके खोले गए हैं।

डिप्टी सीएम साहब इन शराब के ठेकों को बंद करो नहीं तो मैं आज लीडर ऑफ अपोजिशन के नाते जिम्मेवारी के साथ आज ऐलान कर रहा हूं, घोषणा कर रहा हूं कि मास्टरप्लान का उल्लंघन करके जो शराब के ठेके रिहायशी क्षेत्रों में, अनोथराइज कालोनिज में, झुगगी-झोपड़ी में, गांव में 80 परसेंट आबादी को बर्बाद करने के लिए खोले गए हैं, हम इनको बंद करवा देंगे, हम इनको खुला नहीं रहने देंगे। मैं ऐलान कर रहा हूं, ये घोषणा है मेरी, मेरी पार्टी की ओर से। आप नहीं बंद करेंगे, तो हम बंद करेंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी,

माननीय अध्यक्ष: भई इस पर टीका-टिप्पणी नहीं प्लीज।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी: दिल्ली के 80 वार्ड्स में शराब के ठेके नहीं थे। उन सभी वार्ड्स में 3-3 ठेके खोले जा रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, कहा जा रहा है कि शराब के ठेकों की संख्या नहीं बढ़ा रहे। दिल्ली में प्राइवेट शराब के ठेकों की संख्या 250 थी लगभग 600 शराब के ठेके सरकारी थे। आपने इन सरकारी ठेकों को बंद करके दिल्ली के हजारों कर्मचारियों को बेरोजगार कर दिया। आदरणीय अध्यक्ष जी, केवल 850 शराब के ठेके खोलने की तो ये बात कह रहे हैं दिल्ली में 2000 से ज्यादा बैक्विट हॉल्स हैं। उनको भी लाइसेंस दिया जा रहा है। होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में जो बार्स हैं उनको भी लाइसेंस दिया जा रहा है। मॉल में भी लाइसेंस दिए जा रहे हैं। आखिर हमारा किस बात को लेकर विरोध है? हमारा विरोध है कि हम दिल्ली के रिहायशी क्षेत्रों में शराब के ठेके खोलने की किसी कीमत पर दिल्ली की सरकार को अनुमति नहीं देंगे, नहीं खुलने देंगे, नहीं खुलने देंगे मैं आज इसकी शपथ लेता हूं। अध्यक्ष जी, 850 शराब के ठेकों के अलावा लगभग 3000 शराब के अड्डे खोले जा रहे हैं। इनको भी शराब की सप्लाई ये शराब के ठेकेदार ही करेंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं इस हाउस में ये आरोप लगा रहा हूं कि दिल्ली सरकार ने पहले जो प्राइवेट शराब के

ठेकेदार थे उनको डेढ़ परसेंट कमिशन मिलता था और उस कमिशन को बढ़ाकर 12 परसेंट कर दिया। दिल्ली में यदि 15 हजार करोड़ रुपये की शराब हर साल बेची जाएगी तो कितना पैसा शराब के ठेकेदारों की जेब में गया है इसका जवाब दिल्ली के ओनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर को इस ओनरेबल हाउस को देना पड़ेगा। ये मैं आज आपके माध्यम से दिल्ली के माननीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर से मांग करना चाहता हूँ। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमको दिल्ली की चिंता है। मैं आपके माध्यम से दिल्ली के ओनरेबल डिप्टी सीएम से पूछना चाहता हूँ कि यदि कोई ये शिकायत करता है कि शराब की क्वालिटी ठीक नहीं है, उसकी जांच दिल्ली सरकार की लैब में नहीं होगी, उसकी टेस्टिंग शराब के ठेकेदार कराएंगे और वे बताएंगे चाहे शराब की क्वालिटी खराब है वे बताएंगे कि क्वालिटी ठीक है या नहीं है। कातिल भी यही हैं और जज भी यही हैं ऐसा अधिकार आपने इन दिल्ली के प्राइवेट शराब ठेकेदारों को दे दिया है। आखिर उनके साथ आपका रिश्ता क्या है? मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता कि ड्राई-डेज कम कर दिए हैं। मैं इसको रिपीट नहीं करना चाहता कि अब दिल्ली में लोग किस ब्रांड की शराब पियेंगे। अब शराब की बोतल की कीमत ओनरेबल डिप्टी सीएम या ओनरेबल सीएम, दिल्ली तय नहीं करेंगे, शराब का ठेकेदार तय करेगा और जब से इन शराब के ठेकेदारों को शराब के ठेके दिए हैं, तो 25 परसेंट शराब की कीमत बढ़ गई है। इसकी जानकारी क्या डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पास है कि कितना फायदा इन प्राइवेट शराब के ठेकेदारों को हुआ है? ये पैसा यदि दिल्ली सरकार की जेब में जाता तो मुझे बहुत खुशी होती लेकिन ये प्राइवेट शराब के ठेकेदारों की जेब में पैसा जा रहा है। अध्यक्ष जी, हम इसका जमकर विरोध करेंगे। एक बहुत कमाल की बात है श्री अरविंद केजरीवाल जी की सरकार कहती थी हम दिल्ली में नये स्कूल, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, बारातघर, नये कॉलेज खोलेंगे, फ्लाईओवर बनायेंगे, वाटर-ट्रीटमेंट प्लांट बनायेंगे। दिल्ली में हम पेरिस और लंदन जैसी सड़क

बनायेंगे। लेकिन अब ये पॉलिसी कह रही है कि दिल्ली में लोग शराब कैसे पियेंगे। उनको शराब पीने का तरीका भी दिल्ली की सरकार बताएगी और उसके लिए पांच स्कूल खोले जा रहे हैं अध्यक्ष जी। अरे आप तो स्कूल, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, बारातघर खोलने की बात करते थे, आप शराब पीने के तरीके सिखलाने के लिए स्कूल खोलेंगे, आप किस रास्ते पर चल पड़े हैं! मैं आपके माध्यम से आदरणीय अध्यक्ष जी, दिल्ली के ओनरेबल चीफ मिनिस्टर नहीं हैं, वो कोरोना से पीड़ित हो गए हैं वो जल्दी से स्वस्थ हो जाएं हम ईश्वर से ये कामना करते हैं, ये प्रार्थना करते हैं। क्योंकि उनकी गैर-हाजिरी में ओनरेबल डिप्टी सीएम है क्या उनको ये जानकारी है या नहीं है। आदरणीय अध्यक्ष जी, अभी हमारे कुछ ओनरेबल मेंबर्स ये कह रहे थे कि अपोजिशन कह रही है कि 850 शराब के ठेके खोले जा रहे हैं, आज ही जानकारी आई है 500 खुले हैं। आपको मालूम है हुआ क्या है, पहले इन शराब के ठेकेदारों को ये बताया नहीं गया क्योंकि खेल दूसरा था, उनको तो इम्प्रेसन ये ही दिया कि पूरी दिल्ली तुम्हारी है, हम दिल्ली के शासक हैं। आप रेजिडेंशियल एरिया में, नॉन-कंफर्मिंग एरिया में जो मिक्स लैंड यूज की सड़क है, हमारा मास्टरप्लान मिक्स लैंड यूज की सड़क पर शराब के ठेके खोलने की अनुमति नहीं देता है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का वॉयलेशन हो रहा है, तो हम इस वॉयलेशन के खिलाफ हैं। श्री मनीष सिसोदिया साहब दिल्ली के लोगों को अच्छी शराब पिलाना चाहते हैं, पिलाएं। शराब के ठेके 850 से बढ़ाकर 2000 करना चाहते हैं, करें। लेकिन हमारा मास्टरप्लान ये कहता है कि शराब का ठेका कोई डीडीए की शापिंग मार्किट है, कोई म्युनिसिपल कार्पोरेशन की शापिंग मार्किट है, कोई स्लम डिपार्टमेंट की शापिंग मार्किट है, कोई फाइव स्टार होटल है, कोई मॉल है या कोई कमर्शियल प्रापर्टी है, आप सिसोदिया साहब वहां शराब के ठेके खोलिए, हम किसी एक ठेके का विरोध नहीं करेंगे। लेकिन आज इस हाउस में हम ये वचन दे रहे हैं कि हम मास्टरप्लान

का वॉयलेशन करके रिहायशी क्षेत्रों में गली-गली में शराब के ठेके खोलकर हम अपने उन गरीब लोगों को जो झुग्गी-झोपड़ी में रहते हैं, अनोथराइज कालोनी में रहते हैं, जो बेचारे जिनकी मंथली इन्कम 10 हजार रुपये से कम है, हम उनके बच्चों को शराबी नहीं बनने देंगे, दिल्ली को शराब की नगरी नहीं बनने देंगे। हम इसी के लिए चुनकर आए हैं और मैं आज इस हाउस में उस ईश्वर की उस भगवान राम की सौगंध खाता हूँ कि जो शराब के ठेके इन्होंने मास्टरप्लान का वॉयलेशन करके खोले हैं, मैं उनको बंद करवाऊंगा, नहीं तो मैं राजनीति छोड़कर अपने घर चला जाऊंगा मैं आज इस बात का ऐलान कर रहा हूँ। इसलिए हमारा कोई विरोध नहीं है, हम किसी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा रहे, हम यही कह रहे हैं कि अभी समय है, अभी ठीक कर लो। मैं उस पर नहीं जाना चाहता कि आपकी एक पार्टी के बहुत सीनियर लीडर कभी रहे होंगे वो क्या कह रहे हैं। मैं आरोप-प्रत्यारोपों में नहीं पड़ता हूँ, मैं उसमें नहीं पड़ता, न पड़ने वाला हूँ, हमको चिंता केवल इतनी है, आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूँ, आपके माध्यम से डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूँ हमारे गांव के बच्चों को, झुग्गी-झोपड़ी के बच्चों को, अनोथराइज कालोनिज के बच्चों को इन क्षेत्रों में नये-नये गली-गली में शराब के ठेके खोलकर बर्बाद मत करो। ये बर्बाद हो जाएंगे, पहले ही मां-बाप दुखी है कि इन बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा है, इनको शराबी मत बनाओ। इनको बचा लो ये ही मैं दिल्लीवासियों की ओर से आपसे भीख मांगता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री सत्येन्द्र जैन जी।

श्री सत्येन्द्र जैन (माननीय स्वास्थ्य मंत्री): आदरणीय अध्यक्ष महोदय।

माननीय अध्यक्ष: भई अब ये तो बात, नहीं अब हो गया वो बोले किसी ने टोका नहीं। अब मंत्री जी खड़े हैं तो फिर आप टोका-टाकी है। हां, वो देंगे न अब इसके बाद।

माननीय स्वास्थ्य मंत्री: एक ऐसे आदमी को भी सुन लो जो पीता नहीं है।

माननीय अध्यक्ष: नहीं उनका डिपार्टमेंट है वो बोलेंगे, माननीय सदस्य कोई भी बोल सकता है, कोई भी सदस्य बोल सकता है। हां बस ठीक है, बैठिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय जैन साहब।

माननीय स्वास्थ्य मंत्री: मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कृपया पीने वाले, न पीने वाले को भी सुन ले। अध्यक्ष महोदय, मेरे पास इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट है, डीएसआईआईडीसी इंडस्ट्रीज के अंडर आती है। मैं आपको एक किस्सा बताता हूं, कुछ समय पहले की बात है कई विधायकों को पता भी है, सुना रखा है। मैं पब्लिक हियरिंग में बैठता हूं सुबह, आजकल कोरोना की वजह से बंद है। तो एक सज्जन आए, आकर बोले कि सर, मैं डीएसआईआईडीसी में हूं मेरा आईएमएफएल ट्रांसफर करा दो। ये आईएमएफएल क्या चीज होती है? तो बराबर में आफिसर बैठे थे, उन्होंने कहा सर, ये शराब की दुकान होती है। तो मैंने कहा भले आदमी शराब की दुकान में क्यों जा रहे हो? कहते हैं सर, बेटी की शादी है। मैंने कहा क्या मतलब बेटी की शादी है। कहता है सर, 3-4 महीने के लिए ट्रांसफर कर दो बेटी की शादी हो जाएगी। अब मेरा दिमाग ठनक गया, मैंने सोचा ये क्या कहानी है भई कि एक आदमी कहता है 3-4 महीने ट्रांसफर कर दो तो वहां से बेटी की शादी हो जाएगी। इसका मतलब करप्शन कुछ जरूरत से ज्यादा ही है। तो मैंने थोड़ा सा देखा डीएसआईआईडीसी का मतलब होता है दिल्ली स्टेट

इंडस्ट्रीयल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कार्पोरेशन। इंडस्ट्रीयल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर जिसकी टर्नओवर साल की लगभग 1200 करोड़ के करीब है। मैंने इसलिए हिसाब-किताब मंगवाए तो पता लगा 1200 में से 1000 करोड़-1050 करोड़ शराब बेचने से है और 100-150 करोड़ का पूरे साल में काम करते हैं। तो पूरे डिपार्टमेंट में, उस पूरे ओरगनाइजेशन के अंदर किसी का इन्ट्रेस्ट ही नहीं काम करने में शराब बेचने के अलावा। कहते हैं हमारी टर्नओवर देखो कितनी है, हमारा नेट प्रोफिट देखो जी कितना है। मैंने कहा नेट प्रोफिट को अलग करो पहले, शराब से कितना हुआ, बिना शराब के कितना हुआ। पता लगा शराब से ही था, बाकी था ही नहीं कुछ, काम ये कुछ नहीं करते थे जिसका मेन ऐम था दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारना, दिल्ली की इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना। उसकी जगह वो 106 दुकानें खोलकर बैठे थे और उन दुकानों के अंदर वो सारी चीजें होती थी मैल प्रैक्टिसिज कि जो ब्रेंड पुशिंग कह रहे हैं कि वहां पर ऐसी शराब भी मिलती थी जिनको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी सिर्फ वहीं मिलेगी और कहीं नहीं मिलती थी मतलब घटिया के हिसाब से बता रहा हूं। लोकल दुकानें थी, लोकल ब्रांड थे लोकल पता नहीं क्या-क्या था। तो मैंने डिप्टी सीएम साहब से या सीएम साहब से कहा मैंने कहा जी देखो ऐसा है अगर दिल्ली में इंडस्ट्रीज का काम चलाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चलाना है तो शराब तो हटानी पड़ेगी यहां से। फिर उसकी थोड़ी तह में गए इन नेताओं ने ऐसा क्यों किया था। इसकी तह में गए तो पता लगा चार-चार बना रखी है कार्पोरेशंस, एक डीटीडीसी को दे रखा है, डीएसआईआईडीसी को दे रखा है एक और कार्पोरेशन, चार कार्पोरेशन को दिया था। ये तो पुराने एमएलए है तो सबकुछ पता ही होगा। हमने पूछा ये सरकार को अगर चलाना ही था पहली बात तो सरकार का काम शराब बेचना नहीं है, शराब बनाना भी नहीं है।

माननीय अध्यक्ष: भई दो मिनट ओमप्रकाश जी बीच में टोकोगे तो फिर बात ठीक नहीं है।

माननीय स्वास्थ्य मंत्री: पीना भी उसका काम नहीं होना चाहिए। तो हमने कहा जी चार क्यों बनाई गई, ये पूरी तरह से ओपन सीक्रेट था। कहते हैं भई चार मंत्री कमा लेंगे, अगर एक कार्पोरेशन बनायेंगे तो एक कमायेगा, चार बनायेंगे चार कमायेंगे। तो हमारे यहां तो कमाने का कुछ काम था नहीं। ऐसा है जी हमने पूरी कोशिश की कि इसको कैसे रिफार्म किया जाए, तरह-तरह के तरीके निकाले गए कि भई इसको दुकानों को लीज पर दे दिया जाए। हमने कोशिश की डीएसआईआईडीसी के अंदर कोशिश की कि भई सारी की सारी दुकानें किसी थर्ड पार्टी को दे दें और वो चला लें ताकि अफसर खाली हो जाएं अपना मेन काम करेंगे। उन कामों से मतलब ही नहीं उनका। उसके अंदर पता लगा ये पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर एक्साइज को कहा गया कि भई आप अपने आप वापस ले लो सारी दुकानें और दुकानों को इस तरीके से किया जाए और मैंने अपना फीडबैक ये दिया कि हर दुकान के अंदर जो सरकार का एक ठेका चल रहा है उसके अंदर बहुत बड़ी रिश्वतखोरी होती है। अंदाजा असेसमेंट ये थी सरकार के पास 400 दुकानें थी, तो 400 दुकानें मिलाकर कम से कम 2000-3000 करोड़ का घोटाला है और वो निकलकर आया। जब एक्साइज डिपार्टमेंट ने नयी टेंडर पॉलिसी निकाली तो साढ़े तीन हजार करोड़ का रेवेन्यू बढ़ा और पिछले पांच साल से या 10 साल से रेवेन्यू लगभग उतना ही पड़ा हुआ है और क्या कहते थे इतनी गुंजाइश ही नहीं है। देखो मैं शराब का पक्षधर बिल्कुल नहीं हूं, मैंने जिंदगी में कभी टच भी नहीं की पर इसीलिए मैं चाहता था कि मेरे पास कोई कार्पोरेशन हो वो ये काम न करें। वो अपना जो काम है वो ही करें। तो अपना काम जो था उसका इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट था, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट था, वो करें और सरकार का काम जैसे सरकार का काम शराब का उत्पादन नहीं है,

ऐसे ही बेचने का काम भी सरकार का नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता, ओवरऑल सुपरविजन हो सकता है। एक्साइज डिपार्टमेंट उसको सुपरवाइज कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है बट उसका काम बेचने का नहीं हो सकता है। तो ये बहुत बड़ा रिफार्म है जो डिप्टी सीएम जी ने उनके एक्साइज डिपार्टमेंट के थ्रू किया है और मुझे लगता है इसकी वजह से दिल्ली के अंदर काफी ट्रांसपेरेंसी आएगी और जैसे बाकी सदस्यों ने कहा कि एक नकली शराब, नकली शराब का भी एक एक्सपिरियंस बता देता हूं। मेरे यहां पर शकुर बस्ती में एक झुगगी-झोपड़ी है, जब प्रचार के सिलसिले में गए तो वहां पर सांसी बैठे होते हैं और वो खुलेआम बेच रहे होते हैं, खुलेआम। पुलिस को कंप्लेंट कर लो कहते हैं जी हमारा तो मंथली है। अभी कहेंगे तो माननीय नेता, प्रतिपक्ष को हमारे सारे एमएलए लिस्ट बनाकर दे देंगे दिल्ली के अंदर कम से कम ऐसे सांसी एक हजार होंगे जो सब जगह बेचते हैं, उनको रूकवा दें, पुलिस तो इनकी है। अगर वो सांसी एक बार दिल्ली में ऐसा कांड हुआ था कि कई लोग मरे थे, डेथ हुई थी। अगर वो नकली शराब बेच देंगे तब कई सारे लोगों की डेथ होगी, तब सरकार से पूछा जाएगा भई ये क्या हुआ। ओपन सीक्रेट है कि ओपनली सारा हो रहा है। हो क्या रहा है कि ये करप्शन का जो धंधा था इसको ट्रांसपेरेंट कर दिया गया जिसकी वजह से सरकार के साढ़े तीन हजार करोड़ का रेवेन्यू भी बढ़ेगा। रेवेन्यू इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि इस काम को सरकार को नहीं करना चाहिए और ट्रांसपेरेंट तरीके से होना चाहिए, ईमानदारी से होना चाहिए। मैं समझता हूं ये पॉलिसी बहुत ही ट्रांसफॉर्मिंग पॉलिसी है। मजेदार बात ये कि बीजेपी के जो राज्य है वो इस पॉलिसी की कापिज ले रहे हैं हमसे, आफिशियली भी ले रहे हैं। कहते हैं भई दिल्ली ने जो पॉलिसी बनाई हमें भी दे दो, हम भी करेंगे और ये सारे प्रतिपक्ष के नेता एक साल या दो साल के बाद अपना मुंह छुपाते फिरेंगे जब इनकी राज्य सरकारें उसको कापी कर देंगे as it is कट कॉपी एण्ड

पेस्ट करेंगी। उसके अंदर कई राज्य ऐसे होंगे जो कहेंगे जी हम भी कर दें। देखो हमने कुछ भी रिफार्म किए आपकी राज्य सरकारों के नाम कहो तो नाम भी दे सकते हैं। वो ले रहे हैं, सारे पॉलिसी को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो हम कह रहे हैं अच्छी पॉलिसी है तभी तो कर रहे हैं वो। हमारी पॉलिसी को वो कॉपी कर रहे हैं, ये तो सिर्फ इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि विरोध करना इनका फर्ज है। विरोध सिर्फ दर्ज करा रहे हैं बाकी तो दरअसल अभी एक मीटिंग में मेरे पास कुछ लोग आए थे 15-20 लोग आए। मुझे कुछ प्रायोजित से लगे कि प्रायोजित है। मैंने उनसे ये भी विरोध करने आए थे कहते हैं जी विरोध करने आए हैं हम, मैंने कहा किस चीज का कि दिल्ली सरकार ठेके खुलवा रही है। मैंने कहा सारे बैठिएगा चाय पिलाई उनको। मैंने कहा पहले ये बताओ आप में पीता कौन-कौन है, कहते हैं सारे पीते हैं। तो मैंने कहा फिर विरोध काहे का कर रहे हों, छोड़ दो आप, ठेके अपने आप बंद हो जायेंगे। कहते हैं छोड़ेंगे नहीं मतलब कितनी हिप्पोक्रेसी है कि शराब के लिए हमारे प्रतिपक्ष के नेता ने कहा 850 नहीं अब 2000 खोल लो हम विरोध नहीं करेंगे। इन्हीं की स्टेटमेंट दो मिनट पहले की है कि 850 नहीं 2000 भी खोल लो कोई बात नहीं हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम शराब के खिलाफ नहीं है वो सफाई दे रहे हैं, कल को कोई पूछ लेगा कि भई आप शराब के खिलाफ इतना बोल रहे थे अब ऐसा क्यों कर रहे हो। कहते हैं हम उसके बिल्कुल खिलाफ नहीं है बस एमपीडी का उल्लंघन नहीं होने देंगे। कहते हैं एमपीडी क्या चीज है, कहते हैं डीडीए का है जी, वो डीडीए क्या है वो केन्द्र सरकार की है जी और केन्द्र सरकार क्या है वो हमारे आका है जी कि आका की एक ओरगनाइजेशन का बस उल्लंघन नहीं होने देंगे। जैसे सुबह भी बात हुई थी कि जी कंपनसेट ग्राउंड पर नौकरी दे दो, कहते हैं जी देगा कौन। कहते हैं एलजी, कहते हैं कोई भी दे हमें नहीं पता, तुम दो। अरे भई तुम्हारे आका है उनसे पूछ लो एमपीडी का उल्लंघन हम नहीं

कर रहे हैं। जो उनके अंदर प्रोविजन है उसके हिसाब से ही कर रहे हैं और ये नीति बिल्कुल सोच-समझ कर ट्रांसपेरेंट तरीके से बनाई गई है मैं इसका समर्थन करता हूँ। धन्यवाद जय-हिन्द।

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री श्रीमान मनीष सिसोदिया जी।

माननीय उप-मुख्यमंत्री (श्री मनीष सिसोदिया): अध्यक्ष महोदय, अभी सत्ता विपक्ष के साथियों द्वारा दिल्ली में नई आबकारी नीति पर चर्चा में काफी कुछ कहा गया। किसी ने ईमानदारी की भी बात की, अजय महावर जी ने कुछ जिक्र किया, कोई शायरी पढ़ी। मैं यहीं से बात शुरू करना चाहता हूँ कि ईमानदारी का दाम दिल्ली की जनता जानती है जिनको एक ईमानदार मुख्यमंत्री मिल गया है। इसलिए ईमानदारी के दाम दिल्ली की जनता जानती है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, देश में लेकर पॉलिसी के दो मॉडल है, एक मॉडल है जहां शराब अलाऊ की जा रही है बेचना और एक जहां बैन की हुई है। बैन वाले में गुजरात है कई और राज्यों के नाम लिये गए यहां पर। गुजरात में आप राजस्थान बार्डर पर चले जाओ, महाराष्ट्र बार्डर पर चले जाओ, मध्यप्रदेश बार्डर पर चले जाओ मतलब वहां बच्चा जानता है कि किस तरह से इल्लीगल शराब पूरे गुजरात में जा रही है। आप गुजरात में चले जाओ इल्लीगल शराब मिल जाएगी आपको वहां पर। तो जो गुजरात के ही लोग बताते हैं मैं तो गुजरात में भी गया पीछे कि जी 10 हजार करोड़ रुपये जो रेवेन्यू गुजरात सरकार को मिलना चाहिए था वो तथाकथित शराबबंदी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी और उनके ठेकेदार कमा रहे हैं सबके सिस्टम के साथ मिलकर। बिहार में बैन है उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट के माननीय चीफ जस्टिस साहब ने हाल में एक टिप्पणी की थी मैं उस पर ज्यादा कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता, मैं दिल्ली की बात करूंगा। दिल्ली की पुरानी आबकारी नीति जैसा सत्येन्द्र जैन जी ने कहा

पिछले 6-7 साल से हमने काफी रिफार्म किए उसमें, रेवेन्यू के प्वाइंट ऑफ व्यू से भी, रिफार्म के प्वाइंट ऑफ व्यू से भी, जनता के प्वाइंट ऑफ व्यू से भी। जब 2015 में आए थे तो खुलेआम शराब पीने का बहुत प्रचलन था, कई ऐसे ठेके बंद कराए और साथ-साथ बड़े स्तर पर अभियान चलाया गया पूरे के पूरे अपने इंफोर्समेंट डिपार्टमेंट को झोंककर कि कोई भी खड़ा हुआ शराब पीता हुआ मिले, पकड़ लो उसको, उठा लो उसको वहां से। कारों में, झुगियों में, पार्कों में, इधर-उधर जहां-जहां जो शराब पीते मिलता था, ओपन लिकर कंजम्प्शन खूब जबर्दस्त तरीके से माहौल बनाकर चलाया गया। उसका एक छोटा सा उदाहरण एक बार मिला। कोई नौएडा से आए थे, तो बोले यार जानकार ही थे मतलब किसी जानकार के जानकार थे उसने मेरे जानकार से पूछा यार ये दिल्ली में मनीष सिसोदिया जी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने इतना मुश्किल कर दिया है शराब पीना, कार में बैठकर तो शराब पी नहीं सकते, उसके लिए नौएडा जाना पड़ता है। तो बहरहाल, लेकिन कुछ बुनियादी खामियां थी उस पॉलिसी में, कुछ चीजों को हमने शुरू में ईमानदार राजनीति की वजह से और कुछ विजन की वजह से, कुछ रिफार्म की वजह से, कुछ अच्छे आफिसर्स लगा-लगा कर उस दौरान में ठीक किया। एक मैं इसलिए क्योंकि सदन के रिकार्ड में भी रहे क्योंकि काफी पॉलिसी पर चर्चा हुई है अंदर भी और बाहर भी। 2015 में हमने एक सिस्टम बनाया सर, ये जो एक्साइज इंस्पेक्टर्स होते हैं उनको 2015 से पहले ठेके मिले होते थे कि भई ये वाला मार्किट तेरा इससे उगाही ऐसे आएगी, चेन बनी हुई थी और सबकी अपनी सेटिंग थी।

टी/ ईएम/

कोई किसी को गलत-शलत को कोई पकड़ता नहीं था, थोड़ा बहुत रेवेन्यू आता रहता था। तो 2015 में हमने कहा कि नहीं-नहीं इंस्पेक्टर्स जो हैं ये इनके

परमानेंट नहीं होने चाहिए इनके जोन। हमने रोटेट कर दिया कि भई सुबह उठकर तुम्हें पता चलेगा कि आज तुम किस जोन में जाओगे चेकिंग करने और कल सुबह उसमें नहीं जा रहे होंगे कहीं और जा रहे होंगे, परसों कहीं और जा रहे होंगे। जब तुम एक्साइज इंस्पेक्टर हो तो चारों तरफ चेकिंग करो ना, एक ही जगह, एक ही जगह का ठेका क्यों लेते हो। केवल उस छोटे से रिफार्म से 2015 में हमने कोई बड़े रिफार्म नहीं किए थे, हम समझ रहे थे चीजों को कि एक्साइज का पूरा। लेकिन यह ईमानदारी का एक रिफार्म था कि भैया हमें नहीं चाहिए, इंस्पेक्टर की पोस्टिंग का पैसा हमें नहीं चाहिए था। मैं तुम्हारी पोस्टिंग पोस्टिंग कहां, कैसे हुई पहले पोस्टिंग जोन के हिसाब से होती थी, जिस इलाके का ज्यादा पैसा उस इलाके का इंस्पेक्टर ज्यादा पैसा देकर खरीदता था पोस्टिंग। हमने ये सब बन्द किया और कहा रोज तुम्हारी पोस्टिंग होगी नई-नई और रोज तुम्हारा सबका जगलिंग होती रहेगी, तुमको भी नहीं पता अगले दिन तुम कहां जाओगे और हमको भी नहीं पता। उस तरह का सिस्टम बनाया तो 2014-15 में दिल्ली सरकार का एक्साइज रेवेन्यू था 3400 करोड़ रुपये और केवल और केवल इस ईमानदारी की पॉलिसी की वजह से शराब उतनी ही बिक रही थी। ऐसा नहीं कि शराब ज्यादा बिकी केवल और केवल उस चोरी को एक छोटे से प्रयोग से रोकने से 3400 करोड़ रुपये से 4238 करोड़ रुपये हो गया अगले साल। सीधे-सीधे 838 करोड़ रुपये लगभग-लगभग सीधे-सीधे बढ़ गया केवल और केवल इतने भर प्रयोग से कि इंस्पेक्टर्स की जो तैनाती होती थी, उस धन्धे को बन्द करके अब इंस्पेक्टर हर जगह का इंस्पेक्टर होगा। कल हो सकता है वहां बेइमान गया हो आज ईमानदार चला जाएगा कल वाले की बखिया उधेड़ देगा वो, सबके हाथ काट दिए हमने। इन्होंने खूब कोशिश की कि एक्साइज में रिफार्म ना हो। जैसा सत्येन्द्र जी ने कहा हमने भी कई प्रयोग करने की कोशिश की, हमने बांड्स बहुत टैक्नीकल हो जाएगी बात। बांड्स वगैरह पर इंस्पेक्टर होता

था वहां से सिस्टम्स को खत्म किया। तो धीरे-धीरे जो रिफार्म हुए जितना पुरानी पॉलिसी के आधार पर उसको रिफार्म करके ठीक किया जा सकता था, उसमें हमने 3 साल में 3400 करोड़ रुपये से 5200 करोड़ रुपये रेवेन्यू पहुंचा दिया, 2018 में हो गया था 5200 करोड़ रुपये। लेकिन अब एक्साइज पॉलिसी में उससे ज्यादा वो नहीं था कि भई अब तो कुछ लिकेज तो इसमें परमानेंट हैं और बहुत कहीं-कहीं से किसी-किसी सेगमेंट्स से मैं कहूंगा तो फिर वो हो जाएगा। नगर निगम और पुलिस जिसके कब्जे में हैं उस पोलिटिकल सेगमेंट से सीधे-सीधे संरक्षण में चल रहे हैं। उनको बन्द करना है तो फिर पूरी पॉलिसी बदलनी पड़ेगी। तो ये करके हमने, जो सोमनाथ जी ने जिक्र किया, कैसे काफी विस्तार से कि कैसे-कैसे पॉलिसी बनाई मैं उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन इसका मकसद क्या था और हासिल क्या हो रहा है और नई पॉलिसी से दिल्ली में बदला क्या है। अध्यक्ष महोदय, पुरानी पॉलिसी में दिल्ली में शराब की दुकान एक न्यूसेंस हुआ करती थी। आज वो जमाना चला गया, आज दिल्ली में शराब की दुकान न्यूसेंस नहीं है, माहौल बदल गया है। शराब की दुकान की खिड़की जो है वो सड़क पर खुलती थी और उस पर लोग लगे रहते थे लदे-पिदे रहते थे। एक छोटी सी दुकान हो जाती थी 500, 100 फीट की दुकान भी हो जाती थी 150 फीट की दुकान भी थी और यह सारी गली-मोहल्लों में खुली हुई थीं जिन गली-मोहल्लों की बात कर रहे हैं पर वो बड़े संरक्षण में खुली हुई थीं। क्योंकि गली-मोहल्ले में मिलती है 100 फीट की दुकान, हमने कहा नहीं, अब ये सामने लाइन नहीं लगेगी, नियम बना दिया। नई पॉलिसी में अब नियम हो गया है कि शराब दुकान कोई भी खुलेगी तो सड़क की तरफ उसका कोई सेल काउन्टर नहीं होगा, वो सीन नहीं चाहिए भाई अब दिल्ली में, वो न्यूसेंस नहीं चाहिए। वो सड़क पर खुलते हुए काउन्टर और उनके पीछे लदे-पिदे हुए लोग आज दिल्ली में बीते जमाने की बात हो गई है, आज नहीं हो रहा, नई पॉलिसी में नहीं हो रहा। पुरानी

पॉलिसी में शराब की दुकान के बाहर ठेला लगता था, आस-पास खूब कई सारे ठेले चिप्स लेकर खड़े हो जाते थे, अंडे लेकर खड़े हो जाते थे और एम.सी.डी. और पुलिस के संरक्षण में खड़े होते थे, हफ्ता मिलता था। उनसे बेचारे ठेले वालों से भी हफ्ता वसूलते थे और वहीं बारशाला चलती थी जिसको हमने बंद कराने की खूब कोशिश की है अपने एक्साइज डिपार्टमेंट से, एंफोर्समेंट से रेड डाल-डाल कर जितना करा सकते थे। वो बारशाला अब अवैध हो गई है, अब वो बीते जमाने की बात हो गई है। शराब की दुकान के आस-पास अगर कोई ठेला खड़ा हुआ तो ठेकेदार की गर्दन नाप दी जाएगी। अब ठेकेदार चाहे सिव्कोरिटी आफिसर रखे, कैमरा लगाए जो करे लेकिन शराब की दुकान के आस-पास अगर कोई न्यूसेंस वैल्यू होती है, अगर वहां कोई ठेला खड़ा होता है जिस पर शराब पी जाती है, कोई ऐसी चीज खुलती है, तो नई आबकारी नीति में न्यूसेंस खत्म हो गई, नॉनसेंस जो वैल्यू थी उसकी वो खत्म हो गई ये लोग उसका विरोध कर रहे हैं। उन्हें चाहिए कि नॉनसेंस वैल्यू तो होनी चाहिए थी। ये लोग शराब की पुरानी पॉलिसी के पक्षधर हैं, शराब की दुकान की खिड़की के पक्षधर हैं क्योंकि नई पॉलिसी में खिड़की बन्द हो गई है, लदे-पिदे लोग खड़े रहते थे काउंटर पर इनको अच्छा लगता था उसके पक्षधर हो रहे हैं, ठेले के पक्षधर हैं क्योंकि बाहर एम.सी.डी. और पुलिस को हफ्ता मिलता था और ऑफकोर्स उनसे इनको कमिशन आता होगा। ये सब बीते जमाने की बात हो गई। इल्लिगल दुकानें खूब सारी थी मैं आऊंगा डेटा पर। खूब सारी इल्लिगल दुकानें थीं, किसी ने 2000 भी बोला मैं अभी डेटा दूंगा आगे-आगे। इतनी इल्लिगल दुकानें थी ये तो 2000 कह रहे हैं कहीं मेरे साथियों ने कई ने कहा, इन्होंने भी कुछ-कुछ कहा। मेरे पास रिकार्ड है अध्यक्ष महोदय, 3977 दुकानें तो हमने बन्द कराई है पकड़-पकड़कर, धर पकड़कर और इनकी इन लोगों की। भगवान का शुक्र है कि ये Illegal दुकानों की वजह से hooch tragedy नहीं हुई, नहीं तो इनके मास्टर प्लान और इनकी

प्रिय पुरानी आबकारी Policy की वजह से दिल्ली में hooch tragedy भी हो सकती थी। Revenue का loss तो काफी लोगों ने जिक्र किया, मैंने भी थोड़ा सा बताया, revenue का loss तो हो ही रहा था। सरकार को अब पुरानी policy में latest year में base year जिसे हम कहते हैं 6000 हजार करोड़ रूपया मिला था, अब साढ़े 9 हजार करोड़ से ज्यादा सरकार को revenue मिलेगा यह लोग उसका विरोध कर रहे हैं कि सरकार को क्यों मिल रहा है, ये तो कहीं ओर मिलना चाहिए था, पहले कहीं ओर जाता था। दुकानों की संख्या साढ़े 8 सौ थी, 849 उसको बढ़ाया नहीं। पुरानी policy कहती थी कोई भी apply कर दो उसको दुकान मिल जाएगी। अब ये विरोध कर रहे हैं। एक ही मॉल में ओमप्रकाश जी की भी आपकी भी विधान सभा की बाजू में ओम प्रकाश जी की विधान सभा, मेरी विधान सभा भी उसकी भुगतभोगी थी। मॉल से जहां 15-15, 20-20 एक ही वार्ड में 27 दुकानें खुलवा रखी थी पुरानी policy में, एक ही वार्ड में 27 दुकानों के पक्षधर हैं, यह कह रहे हैं कि नहीं-नहीं वो चलने दो अच्छी policy थी, एक ही वार्ड में 27 दुकानें अच्छी थी उनको चेंज करना ठीक नहीं है। ये मास्टर प्लान की बात कर रहे हैं, अध्यक्ष महोदय, पुरानी policy में दिल्ली में 80 नगर निगम वार्डस ऐसे थे जहां एक भी दुकान नहीं थी और 45 ऐसे थे जहां केवल एक-एक दुकान थी। 2016 से अरविंद केजरीवाल जी ने नई दुकानें नहीं खुलने दी दिल्ली में। आज उनको सबको बन्द कराके नियम बना दिया गया है कि यह 50 फीट 100 फीट की दुकान नहीं चलेगीं, कम से कम 500 फीट की दुकान होना लाजमी है और यह इसका विरोध कर रहे हैं। बोले वही गली मोहल्लों की छुटकी-छुटकी-छुटकी 50-50 फीट वाली दुकान अच्छी लगती थी हमको तो ये नई policy की दुकान तो खराब है जी। जब नया मास्टर प्लान लागू किया गया उसके बाद से 127 दुकानें माननीय एल जी साहब से permission ले-ले लेकर पुरानी policy में

लगातार चलती रहीं और उनमें से 51 तो अभी 15 नवंबर तक चली हैं। अब ये विरोध कर रहे हैं। नई Policy में दुकान वाला सी.सी.टी.वी. लगाएगा, security रखेगा, आस-पास open liquor नहीं होने देगा, ये उसका विरोध कर रहे हैं। रिकार्ड पर कह रहा हूँ, 58 परसेंट दिल्ली में कोई दुकान नहीं थी या under served था एक दुकान पूरे वार्ड में। उसके contradiction में 45 वार्ड्स ऐसे थे दिल्ली में पुरानी policy में जिसके मोहब्बत में ये मरे जा रहे हैं। 45 वार्ड्स में, 850 में से आधी दुकानें केवल 45 वार्ड्स में होती थी यह थी पुरानी policy इसको बदला है हमने जिसकी मोहब्बत में यह मरे जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, नई नीति का भारतीय जनता पार्टी विरोध कर रही है, कसम राम की खा रही है, जी हम तो विरोध करेंगे। किस सरकार की नीति का विरोध कर रही है? अरविंद केजरीवाल जी की सरकार की नीति का विरोध कर रही है। उस सरकार की नीति का विरोध कर रही है जिसने 2016 से दिल्ली में शराब की नई दुकानें नहीं खुलने दीं, पुरानी policy में भी नहीं खुलने दीं थी उसका विरोध कर रही है। उस policy का विरोध कर रही है, उस सरकार की policy का विरोध कर रही है जिसने दिल्ली में excise का revenue 6 हजार करोड़ से बढ़ाकर साढ़े 9 हजार करोड़ रूपया कर दिया। उस सरकार की policy का विरोध कर रही है भारतीय जनता पार्टी जिसमें एक मॉल में 17-17, 20-20 दुकानें खुलने की permission थी, आज नई policy में एक मॉल तो छोड़ दीजिए एक वार्ड में भी कोई 27 दुकानें नहीं खोल सकता ये हमारी नई policy है और विरोध कौन कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी विरोध कर रही है। इनका रिकार्ड क्या है? इनका शराब के मामलों में, शराब के बेचने के मामलों में जहां-जहां इनकी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रहीं हैं और कितना ये दुकानें खोलते हैं, इनकी जो liquor policy है, यह अभी मैंने अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की liquor policy की बात की है, अब मैं जरा भारतीय जनता पार्टी की

liquor policy की भी एक बानगी सदन में रख देता हूँ। बंगलौर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पर। बंगलौर शहर में, वहां की population है 1 करोड़ 93 लाख, 1.93 करोड़ pollution है। 1 करोड़ 93 लाख लोगों पर भारतीय जनता पार्टी ने बंगलौर में 1800 शराब की दुकानें खोल रखी हैं यानि कि हर 10750 लोगों पर लगभग 11 हजार बोल दीजिए, हर 11 हजार लोगों पर बंगलौर में भारतीय जनता पार्टी ने एक शराब कर दुकान खुलवा रखी है बंगलौर में इन्होंने। मुम्बई में, नगर निगम में भी ये रहें हैं, सत्ता में भी ये रहें हैं। 1.23 करोड़ population पर 1200 दुकानें हैं, वहां भी 10200 लोगों पर एक शराब की दुकान है। गुड़गांव इनका revenue काफी affect हुआ है उससे। असली चोट तो वहीं से लगी है कि माफिया के लिंक तो वहीं से थे । गुड़गांव भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित शहर 8.86 लाख population और शराब की दुकानें 480 यानि कि हर 1845 लगभग 2000 लगा लो, 1845 या 2000 लोगों पर एक शराब की दुकान चलाती है, भारतीय जनता पार्टी गुड़गांव में चलाती है। गाजियाबाद, गाजियाबाद की population नया पुराना सब लगाकर 28 लाख population, liberal calculation की है मैंने कोई टाईट करके नहीं की। 28 लाख 67 हजार population गाजियाबाद में और शराब की दुकानें 950 यानि कि 2947, 3 हजार मान लीजिए, हर 3 हजार लोगों पर भारतीय जनता पार्टी गाजियाबाद में एक शराब की दुकान चलवाती है। नोएडा 8 लाख 20 हजार population, सिटी की population, district की बात नहीं कर रहा हूँ, 532 शराब की दुकानें चलाती है हर 1541 लोगों पर एक शराब की दुकान भारतीय जनता पार्टी ने खोल रखी है नोएडा में। हर 1541 लोगों पर नोएडा में एक शराब की दुकान, हर 2947 लोगों पर गाजियाबाद में एक शराब की दुकान, हर 2 हजार लोगों पर गुड़गांव में एक शराब की दुकान, हर 10 हजार लोगों पर बम्बई में एक शराब की दुकान, हर 10 हजार 7 सौ लोगों पर बंगलौर में एक शराब की दुकान और पूरे हरियाणा को

देखें इनका राज्य है भारतीय जनता पार्टी का शासन है 2 करोड़ 73 लाख लोगों की population है 2600 दुकानें हैं यानि कि 10 हजार पर एक दुकान। हर 10 हजार लोगों पर एक दुकान खोलते हैं। दो हजार लोगों पर एक दुकान खोलते हैं, 10 हजार लोगों पर एक दुकान खोलते हैं। दिल्ली, ढाई करोड़ की population है 849 शराब की दुकानें हैं, 29400 लोगों पर एक शराब की दुकान एवरेज आती है, बताईये शराब की नीति कहां की अच्छी है, कौन सी शराब नगरी है? अब बताईये जहां दो हजार लोगों पर एक-एक शराब की दुकान खोल रखी है, दस हजार लोगों पर खोल रखी है, तीन हजार लोगों पर खोल रखी है ढाई हजार लोगों पर एक शराब की दुकान भारतीय जनता पार्टी ने खोल रखी है, शराब की नगरी वो हुई या शराब की नगरी वो हुई जहां अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने 2016 से ये आंकड़ा maintain करके रखा हुआ है कि 849 से एक भी शराब की दुकान फालतू नहीं होगी और अगर उसको calculate करके देखें तो लगभग तीस हजार लोगों पर एक शराब की दुकान है और यह कहते हैं कि शराब की नगरी बना दी, क्या ढोंग रचते हैं। कहते हैं शराब पीने की उम्र कम कर दी, बच्चों को बिगाड़ेंगे।

...(व्यवधान)

उप-मुख्यमंत्री: आपके नेताओं की तरफ से खूब विरोध हुआ है। मैं सड़क पर और संसद पर सबके जवाब दे रहा हूं।

...(व्यवधान)

उप-मुख्यमंत्री: आपके साथी लगातार बोलते रहे हैं मैं दे दूंगा आपको

...(व्यवधान)

उप-मुख्यमंत्री: हाउस में भी बोलोगे बाहर झूठ बोलोगे। हाउस में कुछ बोलोगे और बाहर कुछ बोलोगे। जवाब सुनिए। अध्यक्ष महोदय, शराब पीने की

उम्र नोएडा में भारतीय जनता पार्टी की शराब नीति कहती है कि 21 साल का लड़का शराब पी सकता है। गुड़गांव, फरीदाबाद में कहते हैं कि 21 साल का पी सकता है, जम्मू कश्मीर में इनकी सरकार है, लद्दाख में इनकी सरकार है, कर्नाटक में इनकी सरकार है, गोवा में इनकी सरकार है, हिमाचल प्रदेश में इनकी सरकार है, सिक्किम में इनके party की सरकार है 18 साल।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: जितेंद्र जी।

उप-मुख्यमंत्री: 18 साल उम्र कर रखी है इन लोगों ने शराब पीने की। त्रिपुरा, झारखण्ड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, यू.पी., तेलंगाणा, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश और हरियाणा की मैंने बात की है इनकी भी है और कई और लोगों की भी हैं 21 साल कर रखी है। अध्यक्ष महोदय, क्यों, क्यों इसका विरोध हुआ, खूब किया बाहर किया खड़े होकर। क्यों किया क्योंकि 21 साल वहां जो यंग लड़का, लड़की कोई शराब पीने जाता हैं वहां कोई रेस्टोरेन्ट में जाता है अगर उसके सामने शराब का गिलास रखा हुआ है, बियर रखी हुई है, वाइन रखी हुई है तो सबसे पहले इनकी पुलिस पहुंचती है, आई कार्ड दिखाओ फिर उस restaurant वाले से पैसा मांगती हैं कि तुम्हारे यहां ये चल रहा है उन सबके हिसाब से हफ्ता बॉध रखा है। नोएडा में 21 साल का पी सकता है, यहां पियेगा तो पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। नोएडा का restaurant 21 साल को सर्व का सकता है, यहां सर्व करेगा तो restaurant को पुलिस seal करवा देगी, ये दोमुहांपन इन लोगों ने अध्यक्ष महोदय रखा। क्यों विरोध कर रहे हैं, मैं बता रहा हूं क्यों विरोध कर रहे हैं क्योंकि दिल्ली में...

...(व्यवधान)

उप-मुख्यमंत्री: आप सुन तो लो जवाब जी। अब आबकारी नीति पर चर्चा की है तो जवाब सुन तो लो।

अध्यक्ष महोदय: भाई साहब सुन लो।

उप-मुख्यमंत्री: मैंने कहा था बहुत भारी पड़ेगा जवाब, हाथ जोड़ने लगे, मैंने कहा था बहुत भारी पड़ेगा जवाब, भारी पड़ रहा है। अध्यक्ष महोदय, क्यों विरोध कर रहे हैं, क्यों विरोध कर रहे हैं? क्योंकि Excise Department ने अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में पिछले 4 साल का, 5 साल का रिकार्ड मैं दूँ तो 3977 illegal शराब के ठेके दिल्ली में बन्द कराएँ हैं इसलिए विरोध कर रहे हैं। अब इसलिए बता रहा हूँ और ये 3977 illegal ठेके जो इनके संरक्षण में, इनकी पुलिस के संरक्षण में, इनकी एम.सी.डी.के संरक्षण में चल रहे थे उनमें से ज्यादातर ठेके उन्हीं 80 वार्ड्स में थे जिनकी दुहाई यह अभी दे रहे हैं। डेटा दे रहा हूँ, अखबारों पर नहीं चलता हूँ। अध्यक्ष महोदय, 4 हजार लोग arrest किए केजरीवाल जी के नेतृत्व में सरकार ने। 2059 व्हीकल seize किए जिसमें यह लोग और इनके गुर्गे illegal शराब ला रहे थे, कल सड़क पर खड़े होकर दुखी हो रहे थे इनके लोग और 15 लाख 52 हजार 855 बोतल illegal शराब इनके लोगों के द्वारा दिल्ली में बेची जाती पकड़ी गई, उनको arrest किया गया इसलिए इनको दिक्कत हो रही है कि ये नई शराब नीति में तो यह गड़बड़ हो गई अब यह धन्धा कैसे चलेगा। अधिकतर raids उन्हीं लगभग-लगभग 50 परसेन्ट वार्ड जिसमें इन्होंने कभी मास्टर प्लान के नाम पर, आ रहा हूँ मास्टर प्लान पर और कभी किसी नाम पर दुकानें नहीं खुलने दी उसके नाम पर, illegal शराब वहां बिक रही थी क्योंकि इनके संरक्षण में थी। सरकारी शराब के ठेके मतलब सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शराब की दुकान वहां नहीं हो सकती क्योंकि उससे सरकार को टैक्स जाता है, इल्लिगल वाली का टैक्स इनको जाता है। अध्यक्ष महोदय, मैं एक छोटा सा और उदाहरण दे देता हूँ क्योंकि कई बार समझने में, नई पॉलिसी में दिल्ली के लिए बदला क्या। एक शराब की बोतल मान लो manufacturer के यहां से जहां से फैक्ट्री से बनती है 100 रुपये की

आती है मान लीजिए, तो पिछली पॉलिसी में उस पर यहां आकर 300 रुपये टैक्स लगता था तो वो सपोज 400 रुपये की एक बोतल ग्राहक को मिलती थी तो ये जो 300 रुपये सरकार का टैक्स था सारी लड़ाई लीगल और इलीगल इसमें है कि अगर वो इनके द्वारा संरक्षित ठेकों से बिकती है तो 300 रुपये जाता है इनको और सरकार के द्वारा चलाया जा रहे ठेकों से, सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त ठेकों से बिकती है तो वो 300 रुपये रेवेन्यू सरकार को आता है। तो सारी लड़ाई इस 300 रुपये पर बोतल एवरेज जो मैं आपको एक रफ फीगर दी उसकी चोरी की थी। दिल्ली सरकार ने अब ये नीति बदल दी। दिल्ली सरकार ने लाइसेंस लेने वालों से कहा कि भई हमें नहीं पता। आपने हमको इतना-इतना पैसा दिया, अब हमें लाइसेंस फीस में ही दे दो तुम ये। ये चोरी-चकारी का धंधा छोड़ो हम 300 रुपये की तुम्हारे पीछे, अपने मदन लाल जी ने सही याद दिलाया, विनोद कुमार जी जिनकी डेथ हुई, कितने लोगों की लिस्ट और हूच ट्रेजडी हो जाएगी दिल्ली में। इलीगल धंधा चलता रहेगा। शराब के व्यापारियों को भी पता था कि दिल्ली में कितनी शराब वो इलीगली सप्लाई करते हैं। जब उनको सरकार लीगल तरीके से चलाने की बात कही तो उन्होंने खुद साढ़े नौ हजार करोड़ रुपये का रेवेन्यू सरकार को देना स्वीकार किया क्योंकि उनको यह पता था कि अब इनको नहीं देना पड़ेगा, उनको यह पता था इसलिए इनके पेट में दर्द हो रहा है, इसलिए ये बौखला गये हैं। कल इन्होंने अपने कमीशन को बचाने के लिए सड़क पर भी खूब तांडव किया। कल अपने हिस्से का कमीशन बचाने के लिए, अब इनकी बौखलाहट देखिये, वो कमीशन कैसे बचाकर रखा जाए जो शराब माफिया से मिलता था। दो घंटे, तीन घंटे इन्होंने सड़क पर लोगों को दुखी रखा। इनको चिंता दिल्ली वालों की नहीं है, अध्यक्ष महोदय अभी कह रहे थे हमें दिल्ली की चिंता है, इनको चिंता कमीशन की है। ये अभी मास्टर प्लान की बात कर रहे थे। अध्यक्ष महोदय अभी मास्टर प्लान की बात कर रहे थे। दिल्ली के ढाई

करोड़ लोगों के साथ ये जो सोकाल्ड दिल्ली मास्टर प्लान है इससे बड़ी गद्दारी कुछ नहीं हो सकती क्यों, क्योंकि इन्होंने खुद माना अभी कि आलमोस्ट 50 परसेंट दिल्ली, लोग तो वहां रह रहे हैं, लोग शॉपिंग भी कर रहे हैं, कुछ कंज्यूम भी कर रहे हैं, कुछ-कुछ खा-पी भी रहे हैं, रेस्टोरेंट में भी जा रहे हैं, दुकानों पर भी जा रहे हैं नॉर्मली लेकिन उनके यहां खुली हुई दुकानों को इन्होंने इल्लीगल घोषित कर रखा है अपने मास्टर प्लान में। इन्होंने जान-बूझकर मास्टर प्लान ऐसा बनाया कि आधी दिल्ली अवैध मार्किट कहलाए। ये मास्टर प्लान नहीं है अध्यक्ष महोदय। मैं आज तक इसको, आज यहां से वक्तव्य सुनकर मैंने अपने आप को और करेक्ट किया। मैं हमेशा इसको कहता था कि ये डिजास्टर प्लान है। 100 वार्ड ऐसे हैं जहां पर कोई भी काम दिल्ली में, 80 वार्ड ये जिनको ये टोटली जीरो कमर्शियल एरिया, एक बार को शराब की दुकान की बात छोड़ दीजिए, दिल्ली में 80 वार्ड्स में जीरो कमर्शियल एरिया है। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जिनको दिल्ली का मास्टर बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी उन्होंने 80 वार्ड्स ऐसे छोड़ रखे हैं जहां जीरो कमर्शियल एरिया हैं। 80 के साथ-साथ करीब 100 वार्ड्स ऐसे छोड़ रखे हैं जहां पर बामुश्किल कोई कोना इन्होंने कोई छोटी सी डीडीए मार्किट, कोई छोटी सी सड़क इन्होंने लीगल घोषित की है बाकी सारा का सारा इल्लीगल है। तो 180 वार्ड्स में अगर किसी को रेस्टोरेंट खोलना हो, किसी को कोई मोटर साईकिल की रिपेयर की दुकान, कोई कार की रिपेयर की दुकान खोलनी हो, किसी तरह का कोई और कंसल्टेंसी का बिजनेस खोलना हो, कोई स्टार्टअप खोलना हो, स्टार्टअप-स्टार्टअप चिल्लाते हैं बहुत लेकिन आधी दिल्ली में इन्होंने स्टार्टअप खोलने को, किसी का बिजनेस खोलने को इल्लीगल घोषित कर रखा है, इसको ये मास्टर प्लान कहते हैं। आज मेरे को समझ में आया ये दिल्ली मास्टर प्लान नहीं है, एक्चुअली ये कमीशन मास्टर प्लान था इनका क्योंकि कमीशन मिलता है। ये दिल्ली डीडीए का सबसे बड़ा फेलियर है

कि 21वीं सदी में भारत की राजधानी को एक ठीक से मार्किट नहीं दे पाए, वहां मार्किट डेवलप नहीं कर पाए, तो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी क्यों कहते हैं उसको। दिल्ली को बर्बाद करने वाली अथॉरिटी बोलना शुरू कर दो। अगर आधी दिल्ली के लोगों को अपनी शॉपिंग, चाहे वो ग्रॉसरी मार्किट हो, चाहे परिवार की और शॉपिंग हो, चाहे छोटा-मोटा मैकेनिक का कोई स्टार्टअप लगाना हो, इल्लीगल मार्किट पर, इनके द्वारा डिक्लेयर इल्लीगल मार्किट में चलानी पड़ती है, तो ये फेलियर आपका है। इससे बड़ा डिजास्टर क्या होगा कि एमसीडी का कमीशन और पुलिस की हफ्ता वसूली के चक्कर में आपने आधी दिल्ली को इल्लीगल घोषित कर रखा है और आप बात करते हो मास्टर प्लान की। मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष से कहता हूं अध्यक्ष महोदय कि एक तो दिल्ली के बच्चों को, झुग्गी में रहने वाले बच्चों को, अनॉथराइज कालोनी में रहने वाले बच्चों को, ऐसी कालोनी में रहने वाले बच्चों को जो सोकाल्ड आपके मास्टर प्लान में डिजास्टर का हिस्सा बन चुके हैं, वहां उनको इल्लीगल शराब माफिया से बचा लीजिए, बहुत अपराध करा लिया आप लोगों ने उनसे अब सरकार वहां लीगल दुकान खोल देगी, आप वहां पर इल्लीगल धंधा बंद करवाइये अपना ये मैं इनसे कहना चाहता हूं और दूसरा बड़े भावुक होकर शपथ खाई इन्होंने राम जी की, मैं कहता हूं विपक्ष में या दिल्ली वाला होने के नाते या भारतीय जनता पार्टी का नेता होने के नाते, एक कद्दावर नेता होने के नाते अगर शपथ ही खानी है तो इस बात की खाइये न कि मैं शपथ लेता हूं कि दिल्ली की एक-एक कालोनी को, दिल्ली के एक-एक वार्ड को लीगल मार्किट दिलवाउंगा। वहां के लड़के-लड़कियां कुछ बिजनस करना चाहें, कोई दुकान खोलना चाहें तो उनको मैं लीगल दुकानें दिलवाउंगा, उसकी शपथ नहीं खाएंगे क्योंकि वहां से तो कमीशन बंद हो जाएगा। शपथ खाएंगे उस चीज की जिससे कमीशन बचा रहे, भगवान राम के नाम पर भी कमीशन खाने की शपथ खाते हैं, शर्म आनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय मैं समझता

हूँ कि इनका भांडाफोड़ हो चुका है, दिल्ली की जनता में कहीं कोई प्राब्लम है, दिल्ली सरकार बहुत कंसर्ड है लेकिन जब तक अरविंद केजरीवाल जी की भारतीय जनता पार्टी के सामने सरकार है, ये अरविंद केजरीवाल जी की सरकार दिल्ली में किसी को भी, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हों या कांग्रेस के लोग हों, इनको नंबर दो का शराब का धंधा नहीं चलाने देगी, उससे कमीशन नहीं खाने देगी, नहीं खाने देगी, नहीं खाने देगी।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी: मास्टर प्लान तो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने बनाया था, हमने कहा बनाया था।

माननीय अध्यक्ष: अब सदन को अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित करने से पहले मैं सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी, माननीय उप-मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी, सभी माननीय मंत्रीगण, माननीय नेता, प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी जी तथा सदन के सभी माननीय सदस्यों का हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ और इस बार विशेष आभार प्रकट करता हूँ कि शांतिपूर्वक सदन चला है। इसके अलावा सत्र के संचालन में सहयोग देने के लिए विधानसभा सचिवालय तथा दिल्ली सरकार के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ-साथ विभिन्न विभागों और सुरक्षा एजेंसियों तथा मीडिया का भी धन्यवाद करता हूँ। अब मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे राष्ट्रगान के लिए खड़े हों।

(राष्ट्रगान)

माननीय अध्यक्ष: अब सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित की जाती है।

(सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित की गई।)

© दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 18 (2) के उपबंधों तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 281 (2) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रकाशित तथा ग्राफिक प्रिंटर्स, 2965 /41, बीडनपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली-110 005 द्वारा मुद्रित।
